षोदश माला, खंड 20, अंक 6

सोमवार, 26 नवम्बर, 2001
5 अग्रहायण, 1923 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

आठवां सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 20 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी.सी. चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डा. राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

ललिता अरोड़ा
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 20, आठवां सत्र, 2001/1923 (शक)]

अंक 6, सोमवार, 26 नवम्बर, 2001/5 अग्रहायण, 1923 (शक)

विषय	कॉलम
निधन सम्बन्धी उल्लेख	1–2
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 101 से 103	2–25
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 104 से 120	25–57
अतारांकित प्रश्न संख्या 1151 से 1380	57–335
सभा पटल पर रखे पए पत्र	336
कार्य मंत्रणा समिति के अट्ठाईसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	337
सरकारी विधेयक-पुरःस्थापित	337–340, 387–389
(1) संविधान (बानवेवां संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 16 का संशोधन)	337
(2) आवश्यक सेवा (बनाए रखना) अध्यादेश निरसन विधेयक	388
(3) संविधान (तिरानवेवां संशोधन) विधेयक (नये अनुच्छेद 21क का अंत:स्थापन) (अनुच्छेद 45 के स्थान पर नये अनुच्छेद का प्रतिस्थापन तथा अनुच्छेद 51क का संशोधन)	387
इतिहास की पाठ्य पुस्तकों से कतिपय अंशों को हटाने के एन.सी.ई.आर.टी. के कथित निर्णय के बारे में	340–364
बांग्लादेश से शरणार्थियों के कथित आगमन के बारे में	364–366
'द हिन्दू' समाचार-पत्र में प्रकाशित पैगम्बर मोहम्मद तथा हजरत अबू बकर सिद्दीक के कथित व्यंग्य-चित्र के बारे में	367–369
'नेशनल जूट मिल्स लिमिटेड' के कर्मकारों द्वारा हड़ताल तथा जूट उद्योग का पुनरुद्धार किए जाने के बारे में	
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की न्यायपीठ की स्थापना किए जाने के बारे में	369–376
बिहार के आर्थिक रूप से पिछड़े जिलों के बारे में	376–379
नियम 377 के अधीन मामले	389–391, 393–397
(एक) उड़ीसा के कालाहांडी जिले में अपर इन्द्रावती परियोजना के लंबित प्रस्तावों को पर्यावरण संबंधी स्वीकृति शीघ्र दिए जाने की आवश्यकता — श्री विक्रम केशरी देव	389
(दो) राजस्थान में लंबित परियोजनाओं तथा आमान परिवर्तन के कार्य को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता — प्रो. रासा सिंह रावत	389
(तीन) उत्तर प्रदेश में गोरखपुर और गोंडा के बीच आमान परिवर्तन कार्य शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता — श्री रामपाल सिंह	390
(चार) मुम्बई में घाटकोपर से अतिरिक्त स्थानीय रेलगाड़ियां चलाए जाने की आवश्यकता — श्री किरीट सोमैया	393

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
(पांच) उत्तर बंगाल के चहुंमुखी विकास के लिए तत्काल कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
श्री प्रियरंजन दासमुंसी	394
(छह) मध्य प्रदेश सरकार को सूखा राहत के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
श्री सुन्दर लाल तिवारी	394
(सात) कानपुर में टाट मिल पर एक नए रेलवे पुल का शीघ्र निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
श्री श्रीप्रकाश जायसवाल	395
(आठ) गंडक और कोसी परियोजना चरण-2 को पुनः प्रारम्भ करने के लिए बिहार सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	395
(नौ) तमिलनाडु में धर्मपुरी तथा मोरप्पुर रेलवे स्टेशनों पर पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
श्री पी.डी. एलानगोवन	395
(दस) मुरादाबाद को दिल्ली तथा मुम्बई से जोड़ने वाली पर्याप्त रेल सेवाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
श्री चन्द्र विजय सिंह	396
(ग्यारह) पश्चिम बंगाल के पुरूलिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कोटसिला में एक अस्पताल का शीघ्र निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
श्री बीर सिंह महतो	396
कम्पनी (संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प और कम्पनी (तीसरा संशोधन) विधेयक	397–410
विचार करने के लिए प्रस्ताव	397
श्री अजय चक्रवर्ती	397
श्री अरुण जेटली	398
श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन	401
श्री अनादि साहू	403
श्री वरकला राधाकृष्णन	405
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति	407
श्री रामजीलाल सुमन	408
नियम 193 के अधीन चर्चा	
किसानों के समक्ष आ रही समस्याएं	410–492
श्रीमती प्रेनीत कौर	410
श्री मुलायम सिंह यादव	412
श्री बिक्रम केशरी देव	422
श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम	424
श्री राजो सिंह	429
श्री प्रसन्न आचार्य	432
श्री पी.एच. पांडियन	438
श्री किशन सिंह सांगवान	443
श्री प्रबोध पण्डा	447
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव	459
श्री चन्द्रनाथ सिंह	464
श्री अकबर अली खांदोकर	465
कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी	469
श्रीमती रेणूका चौधरी	472
श्री पी.सी. थामस	477
श्रीमती कैलाशो देवी	478
श्री अजित सिंह	480

लोक सभा

सोमवार, 26 नवम्बर, 2001/5 अग्रहायण, 1923 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

[अनुवाद]

निधन सम्बन्धी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, मुझे सभा को अपने भूतपूर्व सहयोगी, श्री सी.टी. दंडपाणी के निधन की दुखद सूचना देनी है।

श्री सी.टी. दंडपाणी चौथी, पांचवीं, और सातवीं लोक सभा के सदस्य थे तथा उन्होंने 1967 से 1977 तक और 1980 से 1984 तक तमिलनाडु के धर्मपुरम और पोल्लाची संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

श्री दंडपाणी एक सक्रिय संसद्विद थे तथा उन्होंने विभिन्न संसदीय और परामर्शदात्री समितियों में सदस्य के रूप में कार्य किया।

श्री दंडपाणी पेशे से बैंकर थे और एक सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्त्ता थे। उन्होंने रात्रि विद्यालयों और पुस्तकालयों की स्थापना की। वह द्रविण संस्कृति और भाषा की समृद्धि के लिए सम्मेलन आयोजित करने में सक्रिय रहे। वह जाति प्रथा को समाप्त करने, अंतर-जातीय विवाह को बढ़ावा देने, आर्थिक भेदभाव को मिटाने तथा समाज के दलित और कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए अनवरत संघर्षरत रहे।

खेलकूद को बढ़ावा देने में गहन रुचि रखने वाले श्री दंडपाणी ने कोयम्बटूर जिला, तमिलनाडु में अखिल भारतीय फुटबाल प्रतियोगिता का आयोजन किया था।

अनेक देशों की यात्रा कर चुके श्री दंडपाणी भारत-अमरीका सांस्कृतिक संघ की कोयम्बटूर यूनिट की कार्यकारी समिति के सदस्य थे।

श्री सी.टी. दंडपाणी का निधन 68 वर्ष की आयु में 28 अक्टूबर, 2001 को कोयम्बटूर, तमिलनाडु में हुआ। हम अपने इस साथी के निधन पर गहरा दु:ख व्यक्त करते हैं तथा मुझे विश्वास है कि यह सभा शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने में मेरे साथ है।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहेंगे।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

घरेलू कामगारों को सामाजिक सुरक्षा

***101. डा. वी. सरोजा:** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय ने घरेलू कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रीय नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) गृह-आधारित कर्मकारों के संबंध में एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने पर सरकार विचार कर रही है और इस बारे में अन्तरमंत्रालयीन परामर्श किया जा रहा है।

डा. वी. सरोजा: अध्यक्ष महोदय, विवरण में कहा गया है कि गृह-आधारित कर्मकारों के संबंध में एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने पर सरकार विचार कर रही है और इस बारे में अंतरमंत्रालयीन परामर्श किया जा रहा है।

महोदय, गृह-आधारित कर्मकार असंगठित क्षेत्र का एक बड़ा वर्ग हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने जून, 1996 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम

संगठन के 83वें सत्र में गृह-आधारित कर्मकारों के लिए कन्वेंशन संख्या 177 स्वीकार किया था। गृह-आधारित कर्मकारों के सामने आने वाली समस्याएं बहुत जटिल हैं क्योंकि उनके बीच कोई प्रत्यक्ष मालिक-नौकर या नियोक्ता-कर्मचारी संबंध नहीं है। उनके और संगठन के बीच तथा उन लोगों के बीच, जिनके लिए वे काम करते हैं, अस्पष्ट और अनिश्चित है। इसलिए गृह-आधारित कर्मकारों का विभिन्न स्तरों पर शोषण होता है। राष्ट्रीय नीति बनाए जाने पर विचार करने के बाद क्या मंत्री जी निर्धारित समय के बारे में बताएंगे जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय नीति को सभा में प्रस्तुत किया जाएगा और क्या सरकार इन असंगठित कामगारों के लिए आयोग के गठन पर विचार कर रही है?

[हिन्दी]

श्री शरद यादव: अध्यक्ष जी, माननीय सरोजा जी ने होम बेस्ड वर्कर्स के बारे में सवाल किया है। दुनिया में नहीं बल्कि पूरे देश में हमारी जो इकोनोमी है उसका सबसे बड़ा जो मजबूत स्तम्भ है वह एग्रीकल्चर के बाद होम बेस्ड वर्कर्स का है। इनकी जो केटेगरी है- जैसे हैंडलूम वर्कर्स, बीड़ी, पत्ती, पापड़ बनाने वाले हैं, तेल पेरने वाले, कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ आदि हैं। हिन्दुस्तान में 54 वर्ष में कई तरह की स्कीमें चली हैं। इनके मामले में जो पालिसी का मामला है जून, 1996 में आईएलओ में इसका प्रस्ताव जरूर पास हुआ है। आयरलैंड और फिनलैंड जैसी बहुत छोटी कंट्री में ही रेटीफाई हुआ है। जबकि यह ट्रेडिशनली परम्परागत दस्तकारों का देश है इसकी अंगुलियों में भी कमाल है। इस देश में महात्मा कबीर के बाद महात्मा गांधी ने हिन्दुस्तान की आजादी में सबसे बड़ा जो हथियार बनाया था, वह इन्हीं लोगों के पेशे को बनाया था। इसकी पालिसी बनाने में हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारा विभाग भी चिन्तित है, लेकिन इतनी वेरायटी और विभिन्न तरह के धंधे इसमें है कि इसके लिए पालिसी बनाने में समय लगेगा। इनके साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इनका फाइनेंस कैसे हो, इन्हें मार्केट कैसे मिले, इनका आर्गनाइजेशन कैसे बने, इनकी इतनी व्यापक दिक्कते हैं, इसलिए इनकी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। हिन्दुस्तान में सदियों से गांवों की आधी आबादी दस्तकारों की है, होम वर्कर्स की है—चाहे बारबर हो, तेल बनाने वाला, ब्लैक स्मिथ या सुनार हो या बढ़ई हो, इन्हें बाजार में कभी आना ही नहीं पड़ता। हमें इसे मजबूत और ताकतवर करना है।

मैं यह मानता हूं कि हिन्दुस्तान को इकोनोमिकली ताकतवर करना है तो होम बेस्ड वर्कर्स के मामले में पालिसी बनाना जरूरी है। सबसे बड़ा संकट यह है कि इस पर बहुत डिबेट और चर्चा होगी। जितने एनजीओज और दूसरे लोग हैं उनके साथ इन्हें संगठित करने का सबसे बड़ा संकट है। जितने पार्टी के लोग हैं- चाहे इधर के हों या उधर के हों, पार्टियों ने आर्गनाइज वर्कर्स को निश्चित तौर पर संगठित किया है लेकिन हिन्दुस्तान का लारजेस्ट सैक्शन, जो एग्रीकल्चर, बीड़ी और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है, पत्ती, बीड़ी, आंवला, चिरौंजी से लेकर कितने तरह के धंधे इस पेशे से जुड़े हुए हैं, निश्चित तौर पर कुछ गरीबों की जो पार्टियां हैं उन्होंने इसमें जरूर कुछ प्रयास किए हैं। एनजीओज ने जरूर कुछ प्रयास किए हैं लेकिन वे प्रयास अधूरे हैं। आज भी उन्हें संगठित करने की बड़ी जरूरत है। मैं सरोजा जी की बात से सहमत हूं कि हिन्दुस्तान का जो बेरोजगार है ये अपने आप सरकार के पास रोजगार मांगने नहीं जाता है। हिन्दुस्तान में ये इतने महत्वपूर्ण लोग हैं कि इनके मामले में पालिसी बनाना हिन्दुस्तान को बढ़ाने और मजबूत करने का काम है। मैं इस विभाग में नया आया हूं। मैं एनजीओज से, तमाम पार्टी के लोगों से तथा इससे संबंधित जो लोग हैं उनसे व्यापक तरीके से बात कर रहा हूं। इसके लिए एक ऐसा अम्बरेला होना चाहिए जिसके अंतर्गत इस पालिसी के चलते यह धंधा चौपट न हो जाए और इस धंधे में मजबूती आए।

अध्यक्ष महोदय: इस संबंध में सरकार क्या कोई कमीशन नियुक्त कर रही है?

श्री शरद यादव: कमीशन बनाने का तो अभी कोई विचार नहीं है, बहस जारी है और निश्चित तौर पर यह बड़ा काम है। इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं कि जो लोग धंधे में लगे हैं उनको और दिक्कत में डाल दें।

[अनुवाद]

डा. वी. सरोजा: माननीय अध्यक्ष महोदय, सामाजिक सुरक्षा को इसके व्यापक अर्थ में भारत के संविधान के अंतर्गत राज्य की नीति के निदेशक तत्व के रूप में परिकल्पित किया गया है। अनुच्छेद 39(क), 41 और 43 तथा असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कामगारों की सामाजिक सुरक्षा से संबंधित अनुच्छेदों के अंतर्गत इसकी परिकल्पना की गई है। यहां सामाजिक सुरक्षा का अर्थ न केवल मजदूरी की समस्या का निपटान करना है बल्कि इसमें चिकित्सा सुविधा, बीमारी भत्ता, नि:शक्तता भत्ता, सेवा लाभ इत्यादि भी शामिल होते हैं। राज्य सरकारों और भारत सरकार ने भी इस संबंध में स्कीमें बनाई हैं और कानून बनाए हैं।

मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इस बात पर जोर देगी या राज्य सरकार को निर्देश देगी कि संबंधित जिला रोजगार केन्द्रों में विशेष प्रकोष्ठों की स्थापना की जाए ताकि स्थानीय क्षेत्रों के असंगठित क्षेत्र के लोग न केवल सामाजिक सुरक्षा की समस्या को सुलझा सकें बल्कि रोजगार के उद्देश्यों को भी पूरा कर सकें। दूसरा, क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि क्या सरकार इन घरेलू कामगारों को न्यूनतम मजदूरी नियम के अंतर्गत लाने पर विचार करती है ताकि वित्तीय शोषण को कम या समाप्त किया जा सके?

[हिन्दी]

श्री शरद यादव: जैसा मैंने शुरू में ही आपसे निवेदन किया कि इसमें ऐसा नहीं है। टैक्सटाइल, रूरल डैवलेपमेंट और फाइनेंस मिनिस्टरी है में कई तरह की इन होम-बेस्ड वर्कर्स के लिए स्कीमें बनी हुई हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि इससे कई गुना वर्कर्स हैं जिनको सोशल सिक्योरिटी देने की जरूरत है। यह बहुत गंभीर मामला है और इसमें हम अपनी तरह से लगे हुए हैं और पूरी सरकार की चिंता इसमें है। कुछ होम-बेस्ड वर्कर्स जो हैं वे टैक्सटाइल में, रूरल डैवलेपमेंट में और फाइनेंस मिनिस्टरी की स्कीमों में कवर होते हैं लेकिन उनका संकट जमीन का है और मैं आपकी बात से सहमत हूं कि जो दूसरे वर्कर्स हैं जो इनके अलावा छूट गये हैं उनके लिए काम की बहुत गुंजाइश है।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव: अध्यक्ष जी, मैं सरकार से दो बातें जानना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि क्या सरकार के पास इन होम-बेस्ड वर्कर्स का कोई स्टेटिस्टिक मौजूद है। दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि वैश्वीकरण के कारण जो व्यापार खुला है उसके कारण हमारे देश के परम्परागत व्यवसाय चौपट होते जा रहे हैं। जैसे कुम्हार के बर्तन बनाने का उद्योग चौपट होता जा रहा है। इनके रोजगार चलते रहें, इनको बाजार मिलता रहे, इस बात की गारंटी के लिए सरकार क्या कर रही है?

श्री शरद यादव: माननीय यादव जी ने अच्छी बात पूछी है। सरकार के द्वारा जो सर्वे हुआ है उसमें होम-बेस्ड वर्कर्स जो हैं उनमें 45 लाख बीड़ी वर्कर्स हैं, 65 लाख हैंडलूम वर्कर्स हैं, 48 लाख आर्टिजन्स हैं, 3 लाख फूड-प्रोसैसिंग के काम में हैं। ये आंकड़े लगभग 3 करोड़ हैं। लेकिन मैं इस सर्वे से सहमत नहीं हूं। होम-बेस्ड वर्कर्स 7 करोड़ से कम नहीं होने चाहिए और निश्चित रूप से इनकी संख्या ज्यादा है। पुराने सर्वे को हम अपडेट करना चाहते हैं। उसमें और खोज करके उनकी विस्तृत फिगर्स देना चाहते हैं। माननीय सदस्य ने जो पूछा उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि उनके धंधे पर आज से नहीं जब से हिन्दुस्तान आजाद हुआ, सबसे ज्यादा डाका डाला गया। इससे कोई सरकार बरी नहीं है चाहे उधर के लोग हों या हम लोग हों। हिन्दुस्तान की परम्परा के बारे में महात्मा गांधी जी ने कहा था कि 50 साल पीछे चलो तो अगले 50 साल में सौ साल आगे हो जाओगे। इन्हीं लोगों को देख कर उन्होंने कहा था। निश्चित तौर पर इनके धंधे बरबाद हुए हैं और गांवों में ये लोग बेकार हुए हैं। शहरों में बड़ी तादाद में जो आबादी बढ़ रही है। वह इन्हीं वर्कर्स की वजह से बढ़ रही है। जो परम्परागत पेशे में लगे हैं चाहे लोहे का काम करने वाले थे, चाहे लकड़ी का काम करने वाले थे, कुम्हार का काम करने वाले थे, बड़े कारखानों के हाथ में इनके धंधे और रोजगार आ गए हैं। इससे उनकी दिक्कतें बढ़ी हैं, ऐसा मैं मानता हूं।

[अनुवाद]

श्री मधुसूदन मिस्त्री: मैं मंत्री जी के गोल-मोल उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं, विशेषकर जब उन्होंने नीतिगत मामले के संबंध में विशेष समय सीमा के अंतर्गत सरकार के इरादे के संबंध में उत्तर दिया। मैं उनके इस वाक्य से भी संतुष्ट नहीं हूं क्योंकि सरकार हमेशा कहती है,

[हिन्दी]

''पालिसी लाने में थोड़ा समय लगेगा'' मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि

[अनुवाद]

कामगारों का लगभग 92 प्रतिशत असंगठित क्षेत्र में है।

[हिन्दी]

वह अपने पसीने और मेहनत से उसे सींचते हैं। उनके सरकार का कोई प्रोटैक्शन नहीं मिला है।

[अनुवाद]

वास्तव में उन्हें सामाजिक सुरक्षा के अलावा बजटीय आवंटनों के प्रावधानों के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता। असंगठित क्षेत्र में कोई नियम नहीं होते और अगर होते भी हैं तो उनको बहुत कम ही लागू किया जाता है। उन्हें अपना भला खुद देखना होगा। ऐसा कोई तंत्र नहीं होता जो उनके लाभ के लिए कार्य करता हो।

सरकार ने एक स्वरोजगार आयोग का गठन किया था और श्रम शक्ति नामक इसका एक प्रतिवेदन सरकार के पास है। मैं यह देख कर हैरान हूं कि इस प्रतिवेदन के बावजूद सरकार ने असंगठित मजदूरों और स्वरोजगार में लगे लोगों के लिए अभी तक कोई नीति नहीं बनाई है। मैं क्रमबद्ध रूप से जानना चाहूंगा कि क्या मंत्री महोदय यह बता सकते हैं कि सरकार इस संबंध में कोई नीति कब लाना चाहती है। सरकार के पास सारी जानकारी उपलब्ध है। यह केवल विभाग और तंत्र के रवैये का प्रश्न है। मैं नहीं समझता कि यह काम उतना कठिन है। मैं यह भी नहीं मानता कि सरकार के पास गैर-सरकारी संगठनों और अन्य संगठनों के संबंध में आंकड़े नहीं हैं। सरकार निश्चय ही बैठकों का आयोजन कर सकती है और उनके साथ परामर्श कर सकती है। अत:, मैं मंत्री महोदय से क्रमबद्ध रूप से जानना चाहता हूं कि सरकार इस संबंध में कोई नीति कब तक लाना चाहती है।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव: अध्यक्ष महोदय, पालिसी के मामले में जून, 2000 में कैबिनेट में...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य पक्का आश्वासन चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव: मैंने साफ कहा है कि ऐसी बात नहीं है कि इनके प्रोटैक्शन के लिए कानून नहीं है। बहुत से कानून बने हैं यानी एम्पलायमैंट एश्योरेंस स्कीम है, नेशनल सोशल स्टेट पालिसी है।

श्री मधुसूदन मिस्त्री: वह कानून नहीं है, वह स्कीम है।

[अनुवाद]

मंत्री जी को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि सरकार कब अर्थात् छह महीनों में, तीन महीनों में, एक वर्ष में या कितने समय में कोई समयबद्ध नीति लाने वाली है।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव: आप पालिसी के बारे में कह रहे हैं। आप कानून की बात नहीं कर रहे हैं। निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि सिनसियरली आपकी भावना से सहमत हूं। जितनी जल्दी हो सकेगा, हमारी कोशिश होगी...*(व्यवधान)*

श्री मधुसूदन मिस्त्री: भावना का सवाल नहीं है। मैंने रिक्वैस्ट किया था...*(व्यवधान)*

श्री शरद यादव: इसमें अनर्थ हो जाएगा यदि मैं कोई तिथि मुकर्रर करके बताऊंगा क्योंकि फिर मैं गलत साबित होऊंगा। मैं इतना कह सकता हूं कि फर्स्ट प्रायरिटी में अनआर्गेनाइज्ड लेबर के मामले में हमारी चिन्ता रही है। हम कानून लाएंगे लेकिन मैं कैटेगारिकली नहीं कह सकता हूं कि आज लाने वाला हूं या कल लाने वाला हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी कृपया जो कुछ माननीय सदस्य ने कहा है उसे यथाशीघ्र पूरा करने की कोशिश करें।

श्री शरद यादव: जी, हां।

श्री रूपचन्द पाल: कुछ राज्यों ने, विशेषकर पश्चिम बंगाल ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों, रिक्शा चालकों तथा रोजगार क्षेत्र के कुछ कामगारों सहित 30 लाख मजदूरों के लिए एक लोकप्रिय भविष्य निधि स्कीम पहले ही शुरू कर दी है। क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूं कि केन्द्र सरकार ऐसी स्कीमों के लिए ऐसे राज्यों को किस प्रकार की सहायता देने के लिए तैयार है?

[हिन्दी]

श्री शरद यादव: अध्यक्ष महोदय, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक ने बहुत अच्छी स्कीम्स चलाई हैं। माननीय सदस्य कह रहे हैं तो निश्चित तौर पर वह स्कीम पश्चिम बंगाल में लागू है। उसे हमने बुला लिया है। कर्नाटक की भी अच्छी स्कीम है। इसलिये हम इन दोनों राज्यों की स्कीमों का आधार देखकर नेशनल पालिसी बनाने का काम करेंगे। जहां तक पैसे का सवाल और असिस्टैंस की बात है, अभी फाइनेंस मिनिस्टर यहां नहीं हैं, अगर यहां होते तो मैं निश्चित तौर पर उनसे निवेदन करता कि इनके लिये कुछ इंतजाम किया जाये।

[अनुवाद]

श्री ई. पोन्नुस्वामी: संविधान में छह से चौदह वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। परंतु इसी आयु में गरीब परिवारों के बच्चे घरेलू नौकर बन जाते हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या देश भर में विशेषकर तमिलनाडु में ऐसे बच्चों के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है। उनकी पीड़ा को समाप्त करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं? शिक्षा पाने की बजाए वे घरेलू नौकरों के रूप में काम कर रहे हैं। सरकार द्वारा इस संबंध में क्या परिणामात्मक कार्रवाई की जा रही है।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव: अध्यक्ष महोदय, अभी डोमैस्टिक सर्वैंट्स के बारे में कोई सर्वे नहीं हुआ है लेकिन जहां तक होम वर्कर्स के बारे में सर्वे हुआ है, मेरा मन सहमत नहीं कि यह पूरा हुआ है। यह इतना काम होगा और अगर इसको डोमैस्टिक सर्वैंट्स में लायेंगे तो वह तादाद बढ़ जायेगी। मेरा यह भी मानना है कि इसका सर्वे करना कठिन काम है। डोमैस्टिक सर्वैंट्स की बात तो बाद में आये, उसके पहले जो कमाने वाला है, उत्पादन करने वाला है और जिससे हमारा फारेन एक्सचेंज बढ़ता है, इसकी चिन्ता पूरा सदन और सरकार करे तो ज्यादा बेहतर होगा।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब संगठित मजदूरों के संबंध में दिया है, मैं जानना चाहता हूं कि इस मामले की जांच हो रही है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री ई. पोन्नुस्वामी: मंत्री जी का उत्तर संतोषजनक नहीं है। मंत्री जी को बताना चाहिए कि इन बच्चों की पीड़ा को कम करने के लिए वे क्या कदम उठा रहे हैं।...*(व्यवधान)* यह हमारा मौलिक अधिकार है। संविधान में बच्चों की अनिवार्य शिक्षा के लिए प्रावधान किया गया है।

अध्यक्ष महोदय: वे पहले ही उत्तर दे चुके।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं सीधा सवाल यह जानना चाहता हूं कि ग्रुप आफ मिनिस्टर्स में जो जांच हो रही है और खासकर असगंठित मजदूरों के बारे में कहा गया है, क्या उसमें खेतिहर मजदूर भी हैं? आज हजारों-हजार मजदूरों का रोजगार के अभाव में एक राज्य से दूसरे राज्यों में बड़े पैमाने पर पलायन हो रहा है, इसके लिये लेबर कमीशन भी बना हुआ है लेकिन उसके परिणाम सामने नहीं आये हैं। क्या खेतिहर मजदूरों का पलायन रोकने के लिये उस राज्य में कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, क्या उस दिशा में इस एजेंडा पर ग्रुप आफ मिनिस्टर्स में कोई काम हो रहा है?

श्री शरद यादव: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने ग्रुप आफ मिनिस्टर्स के बारे में प्रश्न पूछा है तो मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि यह नहीं बना हुआ। लेकिन खेतिहर मजदूरों के बारे में माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है तो मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि पूरे देश में सबसे ज्यादा तादाद असंगठित मजदूरों की है और अनआर्गनाइज्ड सैक्टर में यह संख्या 60-62 प्रतिशत के लगभग है। इनके बारे में पालिसी बनी हुई है लेकिन जमीनी तौर पर इस पर काम नहीं हो रहा है।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: इसमें भूमिहीन मजदूर भी हैं।

श्री शरद यादव: अध्यक्ष जी, इसमें भूमिहीन मजदूर तो हैं ही लेकिन खेतिहर मजदूर भी हैं। इस सवाल पर सरकार ने अपने तरीके से, एग्रीकल्चर में जो अनआर्गनाइज्ड लेबर लगी हुई है, उसके लिये स्कीम बना रखी है। इसके लिये जमीनी सर्वे करा रखा है। इसमें चाहे बीड़ी वर्कर्स हों, एग्रीकल्चर लेबर हो, पनिहार हों या डेली वेजेज हों। उनके बारे में जो भी योजनाएं बनी हैं, और जो योजनाएं बनाई जा रही हैं, वह जमीन पर कैसे जाएं यह सबसे बड़ा सवाल है और उनको सोशल सिक्यूरिटी नेट में कैसे लाया जाए यह सबसे बड़ा टास्क है।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: जो पलायन कर रहे हैं, बिहार से बाहर भाग रहे हैं?

श्री शरद यादव: अध्यक्ष जी, वह मेरे हाथ में नहीं है।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार संगठित क्षेत्र के सभी लाभ उठा रही है और किसी असंगठित क्षेत्र को अनुमति नहीं दे रही है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप मंत्री जी को उत्तर नहीं देने दे रहे हैं।

इंडियन एयरलाइन्स और एअर इंडिया द्वारा नए विमानों की खरीद

*102. डा.+ विजय कुमार मल्होत्रा:
श्री कोडीकुनील सुरेश:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय वायु यातायात में प्रयोग में लाए जा रहे बहुत पुराने यात्री विमानों के बारे में कोई सर्वेक्षण और आकस्मिक जांच की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इंडियन एयरलाइन्स और एअर इंडिया द्वारा वर्षवार खरीदे गए नए विमानों का ब्यौरा क्या है और किस प्रकार के विमान खरीदे गए और उन्हें किस-किस कंपनियों से खरीदा गया; और

(घ) उपरोक्त खरीदों के लिए कुल कितनी धनराशि आवंटित और जारी की गई और इस हेतु कुल कितना वार्षिक व्यय किया गया?

[हिन्दी]

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) हवाई जहाज इतनी देर ही आपरेशन में रहते हैं जितनी देर, हवाई जहाज निर्माताओं द्वारा निर्धारित तथा नागर विमानन महानिदेशालय (डी.जी.सी.ए.) द्वारा अनुमोदित रख-रखाव संबंधी क्रियाविधियों और मानकों के अनुसार, एयरवर्दी कंडीशन में उनका रख-रखाव किया जाता है। तथापि, प्रत्येक हवाई जहाज का उसके प्रयोग के अनुसार आर्थिक डिजाइन जीवन है और उसके बाद रख-रखाव की लागत बढ़ना आरंभ हो जाती है। ज्यों-ज्यों

किसी हवाई जहाज की आयु बढ़ती जाती है, निर्माताओं और डी.जी.सी.ए. द्वारा और अधिक गहन और लगातार जांच की जाती है। विभिन्न एयरलाइनों के हवाई जहाजों, जिसमें उनके रख-रखाव प्रणालियां आदि शामिल होती हैं, की नियमित निगरानी और औचक चैकिंग डी.जी.सी.ए. के अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है ताकि डी.जी.सी.ए. और निर्माताओं द्वारा निर्धारित अपेक्षाओं (रिक्वायरमेंट्स) का अनुपालन हो सके। जब और जैसे ही इन उपेक्षाओं का उल्लंघन होता प्रतीत होता है, विहित नियमों एवं विनियमों के मुताबिक जवाबदेह व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। उल्लेखनीय है कि अभी तक विभिन्न जांच समितियों द्वारा की गई जांच से यह पता चलता है कि किसी भी हवाई जहाज की आयु की वजह से दुर्घटना नहीं हुई है।

(ग) कोई भी नया हवाई जहाज पिछले तीन वर्षों के दौरान इंडियन एयरलाइन्स अथवा एअर-इंडिया द्वारा नहीं खरीदा गया है। तथापि, इंडियन एयरलाइन्स ने मई/जून, 1998 में मैसर्स जनरल इलेक्ट्रिक कैपिटल एविएशन सर्विसेज (जी.ई.सी.ए.एस.) यू.एस.ए. से दो ए-300 हवाई जहाज और अप्रैल/मई, 2001 में मैसर्स औरिक्स, यू.के. से दो ए-320 हवाई जहाज ड्राई लीज पर लिए हैं। इसके अलावा मैसर्स, यू.के. से ड्राई लीज पर 4 और ए-320 हवाई जहाज लेने संबंधी कार्रवाई चल रही है। इसी तरह, एअर इंडिया ने वर्ष 2000 में चार ए-310 हवाई जहाज ड्राई लीज पर लिये हैं जिनमें से दो सिंगापुर एयरलाइन्स से और दो हवाई जहाज मैसर्स जेकास (जी.ई.सी.ए.एस.), यू.एस.ए. से लिए हैं। इसके अलावा, एअर इंडिया की दो बी-747-400 हवाई जहाज तथा तीन ए-310-300 हवाई जहाज ड्राई लीज पर लेने की भी योजना है। विनिवेश प्रक्रिया को देखते हुए, यह वांछनीय पाया गया कि पूंजी निवेश और हवाई जहाज खरीदने संबंधी निर्णय नई मैनेजमेंट द्वारा लिया जाना चाहिए। तथापि, चूंकि विनिवेश प्रक्रिया में देरी हो रही है, इसलिए इंडियन एयरलाइन्स को हाल ही में नए हवाई जहाज खरीदने के बारे में एक विशेष प्रस्ताव तैयार करने और उसे सरकार के अनुमोदन के लिए भेजने के संबंध में सलाह दी गई है।

(घ) इंडियन एयरलाइन्स तथा एअर इंडिया के लिए प्रत्येक वर्ष हवाई जहाजों की खरीद के संबंध में बजट में एक टोकन प्रावधान किया जाता है। चूंकि इन एयरलाइनों द्वारा कोई नया हवाई जहाज नहीं खरीदा गया, इसलिए पिछले तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजन के लिए कोई राशि खर्च नहीं की गई। तो भी, वर्ष 1999-2000 से इंडियन एयरलाइन्स द्वारा हवाई जहाज लीज पर लेने की एवज में 65.82 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। दूसरी तरफ, एयर इंडिया ने पिछले तीन वर्षों के दौरान लीज पर हवाई जहाज लेने की एवज में 26.86 करोड़ रुपए खर्च किए।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष जी, जब इंडियन एयरलाइन्स या एयर इंडिया का डिसइनवैस्टमेंट हो रहा है, उस समय नए विमान खरीदने और उन नए विमानों पर खर्च करना क्या यह सिद्ध करता है कि कोई डिसइनवैस्टमेंट नहीं होगा और अगर होने वाला है तो फिर यह नया खर्च करने के सुझाव क्यों आ रहे हैं?

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: अध्यक्ष जी, इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया के डिसइनवैस्टमेंट की प्रक्रिया शुरू हुई थी और इंडियन एयरलाइन्स के अंदर दो बिडर थे, जो अयोग्य करार दे दिये गये। क्योंकि इंडियन एयरलाइन्स को चलाना है और डिसइनवैस्टमेंट की प्रक्रिया भी जारी है लेकिन क्योंकि हमारी जरूरत के हिसाब से फ्लीट बढ़ाना जरूरी है, इसलिए वित्त मंत्रालय ने जो फ्रीज किया हुआ था कि आप नए जहाज नहीं खरीद सकते, इसलिए 1994 के बाद कोई नए जहाज नहीं खरीदे गए। अब वित्त मंत्रालय ने हमें पत्र के जरिये अवगत कराया है कि आप नए जहाज खरीद सकते हैं।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष जी, जो जहाज बहुत पुराने हो गए हैं और जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उनकी जांच बहुत ज्यादा तेजी से की जा रही है, इन पुराने जहाजों को अनइकोनामिक रूट्स पर लगाने के बजाय क्या उन सब खतरनाक जहाजों को रीप्लेस करने का सरकार का इरादा है?

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: अध्यक्ष जी, जहाज की कोई एज नहीं होती है। वह इकोनामिक...*(व्यवधान)* जहाज की इकोनामिक एज होती है।...*(व्यवधान)* मुझे अपनी बात को पूरा करने दिया जाए। मैंने एक पंक्ति भी पूरी नहीं की है।...*(व्यवधान)* मैंने क्या कहा है, अगर ये बताएं तो मैं वह शब्द वापस लेता हूं। मैंने कुछ कहा ही नहीं है। अध्यक्ष जी, मैंने अपनी बात को शुरू ही नहीं किया कि पहले ही एतराजात शुरू हो गए हैं। मैं कह रहा हूं कि उनकी इकोनामिक एज होती है और जो हमारे जहाज हैं, उनकी जांच बराबर होती रहती है। हमारे यहां जो जहाज हैं- बोइंग 747 और बोइंग 737, एयरबस 300वी2, एयरबस ए-300, एयरबस ए-310 और एयरबस ए-320—ये जहाज चल रहे हैं। इन जहाजों में इनका जो इकोनामिक डिजाइन है, उसकी एक सीमा है। जैसे 747 में 60000 घंटे या उड़ान चक्र - एक टेक आफ, एक लैंडिंग - 20000 या उनकी एज 20 साल। बोइंग 737 में 51000 घंटे और उनका उड़ान चक्र 75000, एयरबस के अंदर 60000 उड़ान घंटे और उड़ान चक्र 48000, एयरबस ए-300 में 60000 घंटे या उड़ान चक्र 37000 है और एयरबस ए-310 में 60000 घंटे और उड़ान चक्र 35000 तथा एयरबस ए-320 में 60000 उड़ान घंटे या 48000 उड़ान चक्र।

अध्यक्ष जी, इस तरह के हमारे जहाज हैं और मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं ताकि माननीय संसद के ध्यान में पूरी बात आ जाए। हमारे जो पुराने बी-737 जहाज हैं, वैसे सारी दुनिया में 929 हैं और इंडियन एयरलाइंस के पास 11 हैं जो 20 वर्ष से अधिक पुराने हैं। ऐसे पुराने जहाज जो अभी भी उड़ान भर रहे हैं वैसे पूरी दुनिया में 500 हैं जिनमें से भारत में 7 जहाज हैं जो पुराने एयरक्राफ्ट की समयावधि में आते हैं वे हमारे यहां 21 साल से चल रहे हैं। पूरी दुनिया में ऐसे जहाज 330 हैं जिनकी आयु 21.3 वर्ष है।...*(व्यवधान)*

श्री अधीर चौधरी: 14 वर्ष है।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: अध्यक्ष जी, जो मैं बता रहा हूं, वह सही है। आपको मालूम होगा कि एयरक्राफ्ट के जो अधिकतम उड़ान घंटे हैं वे दुनिया में 92,671 हैं और जो एयरक्राफ्ट उड़ रहे हैं और हमारे यहां भारत में 47,986 उड़ान घंटे हैं और अधिकतम उड़ान चक्र 737 विमानों के लिए 96,536 है और भारत में यह एवरेज 55,559 है। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि बोइंग 737 अमरीका और कनाडा, जो विकसित राष्ट्र माने जाते हैं, वहां 175 उड़ रहे हैं जिनकी उम्र हमारे यहां एलाइंस एयर में उड़ रहे बोइंग जहाजों से ज्यादा है।

[अनुवाद]

श्री एम.ओ.एच. फारूक: सरकार की निजीकरण की नीति के मद्देनजर क्या माननीय मंत्री हमें बताना चाहेंगे क्या वे एयर इण्डिया और इण्डियन एयरलाइन्स का आधुनिकीकरण करने जा रहे हैं और यदि हां तो किस सीमा तक? इस प्रयोजन के लिए आप कितना धन आवंटित करने जा रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय: यह प्रश्न नए विमान खरीदने के बारे में है।

श्री एम.ओ.एच. फारूक: महोदय, आधुनिकीकरण में नए विमान की खरीद भी सम्मिलित होती है?

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: अध्यक्ष जी, मैंने पहले भी कहा है कि सरकार की तरफ से कुछ भी बजिटरी सपोर्ट इंडियन एयरलाइंस या एयर इंडिया को नहीं दिया जाता है। चूंकि डिसइनवेस्टमेंट की प्रक्रिया जारी थी और जब इंडियन एयरलाइंस के अंदर 1994 में एयरबस-320 जहाज खरीदे गए, जिनकी प्रक्रिया 1990 से प्रारंभ हुई और 1994 तक चली। उसमें से एक एयरबस-320 बंगलौर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उसके बाद से इस किस्म के सभी जहाज ग्राउंड कर दिए गए और नौ महीने तक ग्राउंड रहे जिसके कारण काफी नुकसान उठाना पड़ा था।

उसके बाद एक केलकर कमेटी बनी। उसने अपनी एक रिकमेंडेशन दी जिसके अनुसार 325 करोड़ रुपए इंडियन एयरलाइंस को देने की बात की थी। जब इंडियन एयरलाइंस ने प्रक्रिया शुरू की और मिनिस्ट्री आफ सिविल एविएशन ने वह पैसा मांगा, तो यह कहा गया कि जब नए जहाज खरीदे जाएंगे, तब आपको यह पैसा दे दिया जाएगा। चूंकि डिसइनवेस्टमेंट की प्रक्रिया जारी थी इसलिए नए जहाज तब नहीं खरीदे गए क्योंकि नए जहाज खरीदने पर रोक लगी हुई थी। इसलिए तब 325 करोड़ रुपए को देने का कोई मतलब नहीं था।

इस संबंध में मैंने वित्त मंत्री, डिसइनवेस्टमेंट मंत्री महोदय से बात की और हम तीनों की एक बैठक वित्त मंत्री जी के चैम्बर में हुई और चूंकि हमें इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया को चलाना है और जहाज न होने से कठिनाई हो रही है इसलिए नए जहाज खरीदने के लिए वित्त मंत्री महोदय ने स्वीकृति दी और इस प्रक्रिया को शुरू कर दिया है।

मैं यह भी बताना चाहता हूं कि जहाजों की मेंटिनेंस में कहीं कोई कम्प्रोमाइज नहीं किया जाता है और जो हमारे जहाज हैं वे बहुत अच्छे हैं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: यदि जहाज अच्छे हैं, तो पटना में कैसे गिर गया?

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: हमारे जहाजों की मैंटिनेंस बहुत अच्छी है और सारे जहाजों को बराबर थौरो चैक किया जाता है।

[अनुवाद]

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति: कोई नया विमान नहीं खरीदा है। कोई नया कार्यक्रम नहीं है। वहां कोई नया कार्य नहीं है और वहां कोई नया निवेश नहीं है। हम केवल विनिवेश के बारे में बात करते हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: और फिर भी आप उनका समर्थन कर रहे हैं।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति: तो यह देश किस प्रकार चलेगा? मंत्री महोदय विनिवेश चाहते हैं वे विनिवेश के बारे में बात कर रहे हैं और इसीलिए वे कोई नया विमान नहीं खरीद रहे हैं। और इसीलिए कोई नया कारोबार नहीं है। कल, हैदराबाद से उड़ान यहां नहीं आई। इस समय ऐसी स्थिति यहां विद्यमान है। इसका विनिवेश से क्या तात्पर्य है? क्या वह हवाई मार्ग बेचना चाहते हैं अथवा केवल पुराने विमान ही बेचना चाहते हैं?...*(व्यवधान)* अन्ततः यह देश किस प्रकार चल रहा है? हवाई यातायात देश में निवेश

आकर्षित करने के लिए महत्वपूर्ण है। हम निवेश के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हमने इस कारोबार को बेचने का निर्णय किया है। और इसीलिए हम कोई भी नया विमान नहीं खरीद रहे हैं अत: हमें अब रोलगाड़ी से यात्रा करनी पड़ेगी। वे रेलवे का भी विनिवेश करना चाहते हैं। महोदय, यह सच नहीं है। आप केवल इंडियन एयरलाइंस और एअर इंडिया के विमान बेचना चाहते हैं न कि हवाई मार्ग। आप कृपया इन मार्गों पर अन्य निजी कम्पनियों को काम करने दीजिए ताकि देश को नुकसान न हो। महोदय, यह तरीका सही नहीं है। महोदय, मंत्री महोदय यातायात की समस्या का किस प्रकार हल करने जा रहे हैं? जोकि अगले कुछ वर्षों में देश के विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है?

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: अध्यक्ष जी, यह सही है कि नए जहाज खरीदे नहीं गए हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि नए जहाज आए नहीं हैं। जहाज आए हैं, हमने लीज पर जहाज लिए हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति: केवल दो विमान हैं जो पर्याप्त नहीं हैं। आप नए विमान नहीं उड़ा रहे है। उदाहरण के लिए, विशाखापत्तनम में कार्यक्रम सातों दिनों का होना चाहिए लेकिन अभी केवल चार दिन ही उड़ता है। हमें टिकट नहीं मिल रहे हैं। कुछ दिन पहले श्री जनार्दन रेड्डी और मुझे प्रतीक्षा सूची में रखा गया। यह उड़ान सप्ताह में सातों दिन हुआ करती थी और अब यह केवल चार दिन ही होती है। महोदय, क्या यह उड़ान सातों दिन चलाई जाएगी या नहीं? उन्हें इस बात का जवाब देने दीजिए। इसे कम करके चार दिन क्यों किया गया? विशाखापत्तनम महत्वपूर्ण स्थान है यह एक औद्योगिक शहर है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह प्रश्न काल है। मंत्री महोदय को जवाब देने दीजिए।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति: क्या मन्त्री महोदय मुझे आश्वासन देंगे कि वह विशाखापत्तनम मार्ग पर सभी सातों दिन उड़ान को पुन: चलवाएंगे? कृपया इन्हें इस बात का उत्तर पहले देने दीजिए।

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: अध्यक्ष जी, सदन को मालूम है कि नए जहाज क्यों नहीं खरीदे गए। एयर बस 320 के खरीदने पर काफी इन्क्वारी चली और सी.बी.आई. अभी तक जांच कर रही है। जो सरकारें 1994 में रही हैं, हमारी सरकार 1998 से काम कर रही है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति: आप भारत के कारोबार को रोक नहीं सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: अध्यक्ष जी, वे जहाज उस वक्त नहीं खरीदे गए लेकिन जब हमारी सरकार आई तो 1998 के बाद डिसइनवैस्टमेंट की प्रक्रिया जारी रही। नए जहाज आए हैं। हमने छ: एयर बस 320 लिए हैं जो ड्राई लीज पर आए हैं। उसके बाद जो जहाज आ रहे हैं। मुझे सदन को बताते हुए खुशी हो रही है कि एक नया जहाज ड्राई लीज पर आज ही आया है। इस तरह हमने और भी ऐग्रीमैंट किए हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि 11 सितम्बर के बाद लीज के रेट्स थोड़े कम हुए हैं जिससे हमें काफी लाभ हुआ है। जो 3 लाख, 15 हजार डालर मासिक था, वह 2 लाख 44 हजार डालर पर लीज किया है। उसमें 72 करोड़ के करीब रुपये, वैसे तो 11 सितम्बर के बाद पूरी दुनिया को नुकसान हुआ है, पूरी दुनिया की एविएशन इंडस्ट्री बहुत प्रौबल्म में है लेकिन उसका दूसरा पहलू यह है कि वे जहाज थोड़े सस्ते हो गए हैं। जो जहाज 3 लाख 15 हजार डालर में मिल रहे थे, वही 2 लाख 44 हजार डालर में लिए हैं। जो पहले से तय था कि जहाज आने वाले हैं, हमने कम रेट्स पर लिए हैं। चार विमान और 2 लाख, 44 हजार डालर की लीज पर लेने जा रहे हैं। मुझे सदन को बताते हुए खुशी होती है, जैसे आपने कहा कि जहाज नहीं आ रहे हैं, हम खरीद नहीं रहे थे लेकिन ड्राई लीज पर चार जहाज अभी आ रहे हैं। पहला जहाज आ चुका है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति: आप विशाखापत्तनम के लिए सातों दिनों के लिए उड़ानें कब पुन: चलाने जा रहे हैं? आपने इस बात का जवाब नहीं दिया है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: अध्यक्ष जी, यह जो शैड्यूल का सवाल है कि सी फ्लाइट कितने बजे चलती है, आप हमें सैपरेटली बता दें तो हम आपकी फ्लाइट को ठीक करने का प्रयास करेंगे।

श्री मदन लाल खुराना: सीधा सा प्रश्न है कि अगर डिसइनवेस्टमेंट का तय कर लिया है तो नये जहाज, अगर मान लीजिए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने परमीशन दे दी तो भी खरीदेंगे क्या? क्या हम उसको लीज पर या किसी और तरीके से नहीं ले सकते?

साल भर में या छः महीने में इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होने वाला है, इतने सौ करोड़ रुपये नये जहाज पर खर्च कर देंगे। मेरा निवेदन यह है कि जो मूल सवाल विजय कुमार जी ने पूछा था कि अगर डिसइनवेस्टमेंट का तय हो गया है, अब यह केवल समय का सवाल है कि दो महीने में होता है, चार महीने में होता है या छः महीने में होता है तो क्या हम 2-4 या छः महीने के लिए इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं क्या? दूसरी तरफ यह बात है कि और जो रूट्स हैं, उन रूट्स के ऊपर हम जहाज कैसे दें। योजना यह बननी चाहिए कि इन रूट्स के ऊपर जहाज आप लीज पर लायें, प्राइवेट को चलायें, कैसे चलायें, क्या आपने ऐसी कोई योजना बनाई है?

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: सरकार की पालिसी बहुत साफ है, डिसइनवेस्टमेंट प्रक्रिया का जवाब हमारे मित्र अरुण शौरी जी, जो डिसइन्वेस्टमेंट के मंत्री हैं, वे उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे, लेकिन मैं इसके बारे में...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, इनके डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, इसकी जानकारी इनको नहीं है, इसका जवाब वे देंगे।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: आप मेरा जवाब ही नहीं सुन रहे और आप कह रहे हैं कि जानकारी नहीं है। मेरी दिक्कत यह है कि जब मैं बोलने के लिए खड़ा होता हूं तो उसके पहले ही ये मन बना लेते हैं कि जवाब ही नहीं सुनना है और पहले ही कह देना है कि इनको जानकारी नहीं है। मैं पूरी जानकारी दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, तब आपको जवाब देना होगा।

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: मेरी जुबान से जवाब निकलता नहीं है, पहले ही हमारे बारे में राय बना ली जाती है। अध्यक्ष जी, बहुत बढ़िया जवाब है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, जवाब देते हुए आपको भी कुछ संयम बरतना होगा।

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: अध्यक्ष जी, सरकार की नई पालिसी यह है कि नये रूट्स को हमने किसी भी प्राइवेट एयरलाइंस को कभी मना नहीं किया है। जो भी जितने जहाज चलाना चाहते हैं, हम उनको इजाजत दे रहे हैं और जैसा कि इन्होंने पूछा है कि इन जहाजों के बारे में सरकार की जो पालिसी डिसइन्वेस्टमेंट की है, वह डिसइन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया जारी है। लेकिन एयरलाइंस को चलाना है और अगर नया फ्लीट नहीं लाएंगे तो पूरी एयरलाइंस एक बार बैठ जायेगी, उसकी कीमत ही खत्म हो जायेगी। इसलिए जब डिसइन्वेस्टमेंट होगा तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी। अगर हम नये जहाज खरीद लेंगे तो उसकी वैल्यू बढ़ जायेगी और जब डिसइन्वेस्टमेंट होगा तो उसके ज्यादा पैसे उस वक्त के हिसाब से मिलेंगे। इस हिसाब से यह प्रक्रिया जारी है।

[अनुवाद]

श्री विजय हान्दिक: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने अपने जवाब में बताया है कि इण्डियन एयरलाइन्स को हाल ही में नए हवाई जहाज खरीदने के बारे में विशेष प्रस्ताव तैयार करने की सलाह दी गई है। मैं सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र विमानों की कमी के कारण काफी लम्बे समय से परेशानी झेल रहा है। सरकार एक दशक से भी अधिक समय से इस पर मौन बैठी है और इस क्षेत्र में हवाई यातायात सुविधाओं में सुधार करने के लिए उसने कुछ भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया है।

क्या मैं सरकार से पूछ सकता हूं क्या इस क्षेत्र के सभी विद्यमान हवाई अड्डों को गुवाहाटी से जोड़ने के लिए पूर्वोत्तर को अधिक विमान प्रदान करने को प्राथमिकता दी जाएगी जो देश के शेष भागों से जुड़ सके और गुवाहाटी को इन नये हवाई जहाजों के आने-जाने में केन्द्रीय स्थल बनाया जा सके।

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: अध्यक्ष जी, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने नार्थ ईस्ट के बारे में काफी चिन्ता की है। जो नार्थ ईस्ट के डिपार्टमेंट के मंत्री अरुण शौरी जी के साथ हमारी बैठक हुई थी, हम छः 50 सीटर ए.टी.आर. लीज पर लाने जा रहे हैं, जिनमें से चार ए.टी.आर. का उपयोग नार्थ ईस्ट की सेवा को ज्यादा व्यापक बनाने के लिए किया जायेगा।

[अनुवाद]

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय: यह प्रश्न विमान यात्रियों की सुरक्षा से सम्बन्धित है। हम चिन्तित हैं। कभी हम इंडियन एयरलाइन्स के विनिवेश के प्रस्तावों के बारे में सुन रहे हैं और कभी हमें पता चलता है कि उस निर्णय को छोड़ा जाएगा। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार कुछ दुविधा की स्थिति में है। ए-300, ए-310 अथवा ए-320 उड़ानों के बारे में यद्यपि मंत्री महोदय कह रहे हैं

कि उन्होंने घंटों के माध्यम से जवाब दिया है, साधारणतया यात्री जो जानना चाहते हैं वह यह है कि हवाई जहाज कितने वर्ष पुराने हैं। मैं एक अथवा दो विशेष प्रश्न पूछना चाहता हूं। जैसाकि बोइंग 737 के बारे में मंत्री महोदय ने बताया है कि ऐसे केवल सात ही हवाई जहाज हैं जो साधारणतया एलायंस एयरलाइन्सों में उड़ते हैं। ए-300, ए-310 और ए-320 श्रेणियों के मामले में भी उन्हें जवाब देना चाहिए कि वहां कितने हवाई जहाज हैं और इन हवाई जहाजों को पिछली बार अन्त में कब खरीद गया था। क्या विमानों का अधिक पुराना होना हवाई यात्रियों की सुरक्षा और संरक्षा को खतरा है?

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: अध्यक्ष जी, मैंने पहले भी बताया है कि इंडियन एयरलाइंस के पास कुल 54 विमान हैं। इनकी औसत आयु 14.1 साल है। इंडियन एयरलाइंस के पास ए-300 के छ: विमान हैं, दो विमान ड्राई लीज पर हैं। इनकी औसत आयु 21.2 साल है। इनकी कैपेसिटी 248 सीट की होती है। इसी तरह इंडियन एयरलाइंस के पास ए-320 के 32 विमान हैं, जिसमें से दो ड्राई लीज पर हैं। इनकी औसत आयु 10.2 साल है और इनमें 146 सीट्स हैं। बोइंग 737 के 11 विमान इंडियन एयरलाइंस के पास हैं। इनकी औसत आयु 20 साल है। छोटे डैकोटा विमान 228 जो हैं, वे इंडियन एयरलाइंस के पास तीन हैं। इनकी औसत आयु 16 साल है। इस तरह कुल 54 विमानों में से चार ड्राई लीज पर हैं और 50 इंडियन एयरलाइंस के पास हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य उनकी हालत के बारे में पूछ रहे हैं। वह जानना चाहते हैं कि क्या वह सुरक्षा की दृष्टि से उड़ान भरने के लिए उपयुक्त हैं या नहीं।

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: वे सेफ्टी के हिसाब से काफी अच्छे हैं। उनकी कंडीशन भी बहुत अच्छी है। उनकी बराबर जांच होती है।

[अनुवाद]

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय: महोदय, सामान्यत: 20 वर्षों के बाद हवाई जहाज उड़ान भरने लायक नहीं रहते हैं और इसी प्रकार के खतरे का हम सामना कर रहे हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, मैं नए मन्त्री महोदय को शुभ कामनाएं देता हूं। वह मेरे पड़ोसी हैं क्योंकि उनका निर्वाचन क्षेत्र मेरे क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ है।

माननीय मंत्री महोदय ने अपने जवाब में इस प्रकार बताया है, मैं उद्धृत करता हूं:

> ''विनिवेश प्रक्रिया को देखते हुए यह वांछनीय पाया गया है कि पूंजी निवेश और हवाई जहाज खरीदने सम्बन्धी निर्णय नई मैनेजमेंट द्वारा लिया जाना चाहिए। तथापि, चूंकि इसमें देरी है।''

अध्यक्ष महोदय, कुछ दिन पहले ही मुम्बई में संसद की एक समिति ने इंडियन एयरलाइन्स और एअर इंडिया के साथ गहन विचार-विमर्श किया था। मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि इण्डियन एयरलाइन्स और एअर इंडिया के वर्तमान प्रबन्धन ने पिछले डेढ़ वर्ष में उनकी अर्थ क्षमता, स्थायित्व और लाभप्रदता के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है। यही समय है जब संसद को नए मार्गों का पता लगाने और अन्य बातों के लिए इन दोनों प्रबन्धनों को पूरा समर्थन देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, चूंकि मंत्री महोदय ने 11 सितम्बर की घटनाओं की चर्चा की है मैं बताना चाहूंगा कि मैंने स्वयं इसका पूरा अध्ययन किया है और समिति को बता दिया है कि 11 सितम्बर की घटना के बाद उप महाद्वीप और पूरे विश्व में चुनी गई एयरलाइन्स एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स है। यही समय है जब मंत्री महोदय ''ड्राई लीज' के माध्यम से अथवा नई खरीद के माध्यम से हवाई जहाज प्राप्त कर सकते हैं और नए मार्गों का पता लगा सकते हैं। विनिवेश का प्रश्न कभी नहीं उठेगा और यदि वह उठता भी है तो मूल्य इतने अच्छ होंगे कि हम इन्हें आलू की तरह बेचने के बजाय मोल-तोल करने की बेहतर स्थिति में होंगे। अत: मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहूंगा चूंकि वह वित्त मंत्री से सहमति प्राप्त कर चुके हैं नए मार्गों का पता लगाने के लिए विमान प्राप्त करने हेतु समय-सीमा क्या है। यही मेरा प्रश्न है।

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: अध्यक्ष जी, विमान खरीद की प्रक्रिया में काफी सावधानी बरतनी पड़ती है। पहले इंडियन एयरलाइन्स का बोर्ड बैठेगा, वह पी.आई.बी. को भेजेगा। वहां से फुल केबिनेट में जाएगा।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: तब तक बहुत डिले हो जाएगा। आप अपने दम पर खड़े होने की तैयारी करें।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: मैं बताना चाहता हूं कि मेरी अरुण शौरी जी और वित्त मंत्री जी के साथ बैठक हुई थी। उस बैठक में यह निर्णय लिया गया है। नये विमानों को खरीदने की इजाजत उन्होंने दी है और हम लोगों ने मिलकर बात की है। इसमें

जल्द से जल्द इनको लाने का काम किया जाएगा। टाइम मैं नहीं बता सकता लेकिन इनको लाने की प्रक्रिया को तेज किया जाएगा।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष जी, सरकार ने परसों फैसला किया है जो कल ही अखबार में आया है कि एयर इंडिया के लिए 9000 करोड़ रुपए के हवाई जहाज खरीदेंगे, क्या यह बात सही है और क्या यह सरकार की जानकारी में है?...*(व्यवधान)* एक तरफ डिसइंवेस्टमेंट की प्रक्रिया चल रही है और एक तरफ 9000 करोड़ रुपये के जहाज खरीदेंगे। इन दोनों में देश को घाटा होगा या लाभ होगा, सरकार यह बताने की कृपा करे।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: अध्यक्ष जी, रघुवंश बाबू ने जो सवाल पूछा है, पहले उसका जवाब दिया जा चुका है।...*(व्यवधान)* 40 के करीब फ्लीट हैं जो पहले से इंडियन एयरलाइन्स का प्रस्ताव है क्योंकि एक दिन में इन्हें नहीं खरीदा जाएगा, पांच साल के अंदर इतने जहाज आएंगे और 9000 करोड़ रुपये का इंवेस्टमेंट होगा। मैंने पहले भी कहा है कि डिसइंवेस्टमेंट की प्रक्रिया से उसमें कोई रुकावट नहीं आने वाली है। जहाज की कीमत और बढ़ेगी और नये जहाज आएंगे तभी तो इनको लेने वाला कोई तैयार होगा।

[अनुवाद]

श्रम सुधार

*103. **श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:***
श्री सनत कुमार मंडल:

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वर्तमान श्रम कानूनों में सुधार के लिए उनमें संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभिन्न सामाजिक मंचों की ओर से इसका कड़ा विरोध किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने प्रस्तावित श्रम सुधारों की प्रक्रिया की निगरानी के लिए मंत्रियों/सचिवों का एक दल बनाने का निर्णय किया है; और

(ङ) यदि हां, तो प्रस्तावित श्रम सुधारों की प्रमुख बातें क्या हैं और मंत्रियों/सचिवों के दल के विचारार्थ विषय क्या हैं?

श्रम मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) श्रम सुधारों को मौजूदा स्थिति और उभरती आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से उनकी समीक्षा एवं अद्यतन किया जाना एक सतत् प्रक्रिया है। वर्ष 2001-2002 के लिए बजट प्रस्तुत करते समय औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 तथा ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 में संशोधन हेतु सरकार के आशय की घोषणा पहले ही की जा चुकी है। अन्य कानूनों में संशोधन जांच की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

(ग) केन्द्रीय व्यवसाय संघ संगठन प्राय: श्रम कानूनों में संशोधनों का विरोध करते रहे हैं जब तक कि उन्हें यह नहीं लग जाता है कि ये संशोधन कामकाजी वर्ग के हित में होंगे।

(घ) से (ङ) श्रम सुधारों पर मंत्रियों का एक दल इस मामले की जांच कर रहा है। चूंकि इन मामलों पर अभी भी चर्चा चल रही है, अत: इस संबंध में आगे कोई सूचना दे पाना समीचीन नहीं होगा।

[अनुवाद]

श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी: महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार से पूछना चाहता हूं तथा सरकार श्रम सुधारों की प्रक्रिया को आरम्भ करने में पहले महत्वपूर्ण व्यवसाय संघों के साथ परामर्श करेगी...*(व्यवधान)* मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि वे यह स्पष्ट करें कि श्रम सुधारों के बारे में कोई निर्णय लेने से पहले क्या वे श्रमिक संघों से बातचीत कर रहे हैं और क्या उन्हें विश्वास में लेंगे?

अध्यक्ष महोदय: ये जानना चाहते हैं कि क्या सरकार कोई निर्णय लेने से पूर्व श्रमिक संघों के साथ सार्थक बातचीत करने जा रही है?

[हिन्दी]

श्री शरद यादव: इस मामले में लेबर मिनिस्ट्री ने सारी ट्रेड यूनियन्स को बुलाया हुआ था और प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसको हैड किया था। यह कंसल्टेशन हो चुका है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी: विश्व व्यापार संगठन और वैश्वीकरण प्रक्रिया के संदर्भ में श्रमिक सुधारों के प्रयास को ध्यान में रखते हुए मैं चाहता हूं कि श्रमिक सुधार की प्रक्रिया आरम्भ करने से पहले सरकार व्यवसाय संघों की राय पर विचार करे। क्या सरकार इस सम्बन्ध में व्यवसाय संघों से परामर्श करेगी?

[हिन्दी]

श्री शरद यादव: अध्यक्ष जी, जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है और जो कांट्रैक्ट लेबर एक्ट है, देश में इसके ऊपर व्यापक बहस चली हुई है और माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है कि ट्रेड यूनियन्स से कंसल्टेशन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। मैं उनको बताना चाहता हूं कि उनसे कंसल्टेशन किया गया है और आगे भी किया जाएगा।

[अनुवाद]

श्री सनत कुमार मंडल: अध्यक्ष महोदय, प्रस्तावित श्रम सुधारों ने विवादों को उत्पन्न किया है। रिपोर्ट आई है कि माननीय मंत्री जी स्वयं इन सुधारों के खिलाफ हैं। इसको ध्यान में रखते हुए मैं पूछना चाहता हूं क्या मंत्री महोदय सदन को स्पष्ट रूप से आश्वस्त करेंगे कि जब तक सर्वसम्मति नहीं होगी, कोई ऐसा सुधार प्रस्तावित नहीं किया जाएगा और निर्णय लेने से पूर्व व्यवसाय संघों के साथ परामर्श किया जाएगा। मंत्री महोदय ने पहले ही उत्तर दे दिया है कि उन्होंने व्यवसाय संघों के साथ परामर्श किया है उनकी प्रतिक्रिया क्या है? मैं इसके बारे में पूछना चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंडल जी ने जो प्रश्न पूछा है, वह बहुत महत्वपूर्ण है। इस मामले पर बहुत दिनों से बहस हो रही है और इस पर विवाद भी है। प्राइम मिनिस्टर ने खुद ही कहा है कि लेबर रिफार्म्स पर सभी मुख्यमंत्रियों से कन्सल्ट करके आगे बढ़ने का काम करेंगे। निश्चित तौर पर जैसा कि माननीय सदस्य ने पूछा है, यूनियन्स चाहे इन्टक, सीटू, आइटक, एचएमएस, बीएमएस हों, इन सभी ने रिफार्म्स के बारे में अपना एचिटूड साफ किया है कि वे इसके हक में नहीं हैं। खिलाफ हैं। ग्रुप आफ मिनिस्टर बना हुआ है। दुनिया में भी बदलाव आ रहा है...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: आप भी इसके खिलाफ हैं।

श्री शरद यादव: आप अजीब बात कह रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ग्रुप आफ मिनिस्टर बना हुआ है। निश्चित तौर पर ग्रुप आफ मिनिस्टर फाइनल अथारिटी नहीं है। वह कैबिनेट में जाएगा और फिर माननीय सदन में आयेगा। बगैर आपकी सहमति से, बगैर आपकी इजाजत के लेबर रिफार्म्स आगे नहीं बढ़ेंगे आप लोग मालिक हैं,...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: आप एनडीए में हैं या नार्दर्न एलायंस में हैं, आप लड़ते रहिए।

श्री शरद यादव: न हम नार्दर्न एलायंस में हैं और न तालिबान में हैं। दोनों में कन्फ्यूजन हैं कि क्या बनेंगे। हम लोग खुद ही भ्रम में हैं कि कौन ठीक है और कौन ठीक नहीं है।

ग्रुप आफ मिनिस्टर में गहराई से विचार होगा। सारी दुनिया में लेबर लाज के बारे में बदलाव हो रहा है। निश्चित तौर पर इस कानून को बनाते समय ध्यान में रखेंगे, जो मजदूर हैं, जो इन्डस्ट्रीज हैं, ओवर-आल हितों को ध्यान में रखकर काम करेंगे। सर्वोपरि हमारा लक्ष्य है, मंशा है, हमारा मंत्रालय हितों को ध्यान में रखकर इसको करने का इरादा रखता है।

श्री तूफानी सरोज: अध्यक्ष महोदय, गोरखपुर में खाद का कारखाना बन्द पड़ा हुआ है। वहां मजदूरों को वीआरएस के अंतर्गत रिटायर किया जा रहा है, लेकिन बहुत से मजदूर हैं, जिनकी 10-20 साल की नौकरी बाकी है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, क्या ऐसे श्रमिकों के लिए स्थानान्तरण की व्यवस्था की गई है या उनको बेरोजगारी का सर्टिफिकेट देने की योजना है?

श्री शरद यादव: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सवाल पूछा है, न उसकी जानकारी मेरे पास है और न यह सवाल इस प्रश्न से उठता है।

कुमारी ममता बनर्जी: महोदय, देश में सबसे बड़ी श्रेणी है, तो वह मजदूरों की श्रेणी की है। कारखानों को फोर्सफुली बन्द किया जा रहा है। प्रस्तावित लेबर लाज को ट्रेड यूनियन्स से डिसएप्रुव कर दिया है। मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि क्या लेबर लाज को फाइनल करने से पहले कन्सैन्सस तैयार करने के लिए इन लोगों को कान्फिडेंस में लेंगे?

श्री शरद यादव: महोदय, मैंने पहले ही कहा है, इसके बाबत अकेले लेबर मिनिस्ट्री ही चिन्तित नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ने साफ-साफ कहा है, इस देश में सभी पार्टियों की सरकारें हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं। जैसा कि ममता जी ने कहा है, निश्चित तौर पर मैं उनकी चिन्ता से सहमत हूं। इसीलिए ग्रुप आफ मिनिस्टर बना हुआ है। सभी दलों से विचार किया जा रहा है। मैं इस पर मुकम्मिल राय नहीं दे सकता हूं। सारी बातें हम लोगों के दिमाग में हैं। बाद में यह कैबिनेट में जाएगा और कैबिनेट के बाद हम इस माननीय सदन में आयेंगे। जब यह सदन एप्रूव नहीं करेगा, बहस नहीं करेगा, तब तक इस मामले में आगे नहीं बढ़ेंगे। आपके अंतिम फैसले से ही आगे बढ़ने वाले हैं। सदन की इजाजत होगी, तब ही लेबर रिफार्म्स होगा।

श्री तरित बरण तोपदार: महोदय, लेबर्स का पैसा मालिकों ने भी और सरकार ने भी मारा हुआ है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसको रिट्रीव करने का कोई कानून लायेंगे?

श्री शरद यादव: अध्यक्ष जी, तोपदार जी ने जो बात कही है कि वह निश्चित तौर पर हमारे ध्यान में है। हमारा सबसे ज्यादा पैसा पब्लिक सैक्टर के पास है - पीएफ का हो या अन्य कोई हो। ये सारा पैसा सरकार की संस्थाओं पर ज्यादा है। आप जिनके बारे में कह रहे हैं, हालांकि इस सवाल से यह सवाल उठता नहीं है।

श्री शिवराज वि. पाटील: अध्यक्ष महोदय, ममता जी ने बहुत अहम् प्रश्न उठाया है। इतने महत्वपूर्ण कानून बनाने के पहले अगर सब पार्टियों के नेताओं और पार्टी के साथ बात की जाए तो अच्छा होगा। हम समझते हैं कि बिल लाने के बाद बात करने की बजाए, बिल लाने के पहले बात करें तो ठीक होगा। सरकार की इस पर क्या राय है?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह अच्छा सजेशन है।

श्री शरद यादव: अध्यक्ष जी, माननीय पाटील जी ने ऐसा सवाल किया है जिसका मेरे लिए अकेले जवाब देना मुश्किल है। ...*(व्यवधान)* अगर यहां प्राइम मिनिस्टर होते तो अच्छा होता आप उनसे पूछते।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह सवाल नहीं है, सजेशन है।

श्री शरद यादव: हम लोग जिस काम में लगे हैं, ये जो राय रख रहे हैं निश्चित तौर पर इस बात को प्राइम मिनिस्टर के पास कनवे कर दूंगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

महानगरों में प्रदूषण

***104. श्री रामदास आठवले:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में सर्वाधिक प्रदूषित शहरों के क्रम-वार नाम क्या हैं और विश्व के प्रदूषित शहरों की सूची में ये किस-किस स्थान पर हैं;

(ख) उक्त शहरों में से प्रत्येक शहर में प्रदूषण का वर्तमान स्तर क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में सरकार द्वारा कोई सर्वेक्षण किया गया है या किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा महानगरों, विशेषत: मुम्बई में बढ़ते प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) इस संबंध में विश्वसनीय आंकड़े देने वाला हाल ही का कोई तुलनात्मक अध्ययन उपलब्ध नहीं है।

(ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण समितियों द्वारा किए गए अध्ययनों के अनुसार चार महानगरों में प्रदूषण का मौजूदा स्तर निम्नानुसार है:-

नगर	सल्फर डायोक्साइड (एस ओ 2)	आक्साइड आफ नाइट्रोजन (एन ओ एक्स)	सस्पैंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एस पी एम)
	माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर (यूजी/एम 3)		
दिल्ली	17.0	31.0	370
कोलकाता	14.0	30.0	280
चेन्नई	8.5	16.0	105
मुम्बई	9.7	30.0	241

(ग) और (घ) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा केन्द्रशासित प्रदेशों में प्रदूषण नियंत्रण समितियां 24 राज्यों और 5 संघ राज्य क्षेत्र के 92 शहरों/नगरों में 290 केन्द्रों पर परिवेशी वायु गुणवत्ता की नियमित रूप से मानीटरिंग कर रही है। परिवेशी वायु गुणवत्ता की सल्फर डाई आक्साइड (एस ओ 2), नाइट्रोजन डायोक्साइड (एन ओ 2) सस्पैंडेड पर्टिकुलेट मैटर (एस पी एम) तथा रेस्पीरेबल सस्पैंडेड पर्टिकुलेट मैटर (आर एस पी एम) के संदर्भ में मानीटरी की जा रही है।

(ङ) महानगरों, विशेषकर मुम्बई में प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

- प्रदूषण उपशमन के लिए एक व्यापक नीति तैयार की गई है जिसमें प्रदूषण के नियंत्रण और निवारण, दोनों ही पहलुओं पर जोर दिया गया है।
- परिवेशी वायु (290) और जल गुणवत्ता मानीटरी स्टेशनों (507) का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है।
- महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा रेस्पीरेबल सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर (आर एस पी एम), सल्फरडाई

आक्साईड (एस ओ 2), आक्साइड्स आफ नाइट्रोजन एन ओ एक्स), कार्बन मोनोक्साइड (सी ओ) और हाइड्रोकार्बन्स (एच सी) के संदर्भ में परिवेशी वायु की सियोन और मुलुंद में मानीटरी की जा रही है। माहिम, अंधेरी और वडाला में ब्रिहन मुम्बई म्युनिसिपल कार्पोरेशन द्वारा परिवेशी वायु गुणवत्ता की मानीटरी की जा रही है।

- दिल्ली और मुम्बई में प्रदूषण नियंत्रण के लिए कार्य योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं और इसी तरह की योजनाएं चेन्नई और हैदराबाद के लिए भी तैयार की गई हैं।

- मुम्बई में 22 सी एन जी वितरण केन्द्रों का प्रचालन शुरू किया गया है।

- 1.2.2000 से सारे देश में सीसारहित पेट्रोल की सप्लाई की जाती है तथा डीजल, जिसमें सल्फर की अधिकतम मात्रा 0.25 प्रतिशत है, 1.1.2000 से सारे देश में सप्लाई किया जाता है। कम सल्फरयुक्त ईंधन (पैट्रोल और डीजल) जिसमें सल्फर की अधिकतम मात्रा 0.05 प्रतिशत है, भी दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता और चेन्नई में शुरू किया गया है।

- मुंबई में (ग्रेटर मुम्बई सहित) चार पहिया निजी वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए यूरो-2 के समकक्ष भारत स्टेज-2 मानकों को 1.1.2000 से लागू कर दिया गया था। ये मानक 31.10.2001 से ऐसे वाहनों के लिए भी लागू कर दिए गए हैं जिनमें जी वी डब्ल्यू 3500 कि.ग्रा. से अधिक के हैं।

- अत्यधिक प्रदूषण पैदा करने वाले उद्योगों की पहचान की गई है। दोषी उद्योगों को निर्देश दिए गए हैं कि समयबद्ध आधार पर आवश्यक प्रदूषण नियंत्रण उपकरण स्थापित करें और दोषी इकाइयों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है।

- मुम्बई महानगर क्षेत्र के जोन-1 में तथा ठाणे नगर निगम क्षेत्र में प्रतिबंधित औद्योगिक स्थल नीति लागू की गई है। अतिरिक्त प्रदूषण उत्सर्जन संबंधी किसी तरह की गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाती है।

- देश के विभिन्न भागों में प्रदूषण के प्रभाव का आकलन करने के लिए पर्यावरणीय महामारी संबंधी अध्ययन शुरू किए गए हैं।

- प्रदूषण नियंत्रण के लिए उद्योगों के मामले में पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत बहि:स्राव एवं उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए गए हैं।

- लघु स्तर के उद्योग समूहों से होने वाले जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 89 बहि:स्राव शोधन संयंत्रों के मामले में आर्थिक रियायत (सब्सिडी) दी गई है। तारापुर, थाणे-बेलापुर, डोम्बीवाली और अम्बेरनाथ औद्योगिक एस्टेटों में साझा बहि:स्राव शोधन संयंत्र लगाए गए हैं।

- पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 1994 लागू हो गई है जिसके अनुसार विकासात्मक परियोजनाओं की 30 विशिष्ट श्रेणियों के पर्यावरणीय मूल्यांकन को संचालित किया जाता है।

- सड़कों पर चल रहे वाहनों के लिए उत्सर्जन मानक और नए वाहनों के लिए व्यापक उत्सर्जन मानक मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अंतर्गत अधिसूचित किए गए हैं और इन्हें राज्य सरकारों के परिवहन विभागों द्वारा लागू किया गया है।

- विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न ध्वनि प्रदूषण को स्थानीय प्राधिकारियों की मदद से नियंत्रित करने की एक अधिसूचना फरवरी, 2000 में अधिसूचित की गई है।

- जनवरी, 1999 में स्टेशनरी डीजल सैटों (15-500 के वी ए) के लिए ध्वनि मानक अधिसूचित किए गए हैं।

- पटाखों आदि के लिए ध्वनि मानक अक्तूबर, 1999 में अधिसूचित किए गए थे।

- पेट्रोल और केरोसीन से चलित पोर्टेबल जेनरेटर सैटों के संबंध में ध्वनि सीमा सितम्बर, 2000 में अधिसूचित की गई हैं।

- वाहनों से संबंधित ध्वनि सीमाओं में संशधन किया गया है और सितम्बर, 2000 में अधिसूचित किया गया है। यह अधिसूचना 1 जनवरी, 2003 से लागू होगी।

- 24 अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों की पहचान की गई है। इन क्षेत्रों में पर्यावरणीय गुणवत्ता की बहाली के लिए कार्य योजनाएं तैयार की गई हैं।

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना

*105. **श्री बहादुर सिंह:**
श्री रामचन्द्र वीरप्पा:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 2001-2002 के रबी मौसम से एक राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के अंतर्गत शामिल की गई खाद्यान्न और वाणिज्यिक, दोनों फसलों, के नाम क्या हैं;

(घ) इसके अंतर्गत राज्य-वार कितने किसानों को शामिल किया गया है;

(ङ) क्या हरियाणा सहित कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से निवेदन किया है कि उनके राज्यों में उक्त योजना को क्रियान्वित किया जाए और इसके लिए उन्होंने कुछ सुझाव भी भेजे हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार का विचार राजस्थान में धौलपुर, बयाना और भरतपुर के किसानों के लिए उक्त योजना का विस्तार करने का है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है।

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का कार्यान्वयन देश में रबी 1999-2000 मौसम से किया गया है। ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) इसमें कवर की गई फसलों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) इस स्कीम में कवर किए गए किसानों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(ङ) और (च) राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का कार्यान्वयन न करने वाले राज्यों ने, जिनमें हरियाणा शामिल है, अपने राज्यों में इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए अनुरोध नहीं किया है। तथापि, इन राज्यों ने कार्यान्वयन करने वाले राज्यों की वित्तीय देयताओं को घटाने, संग्रह निधियों के राज्य-वार रख-रखाव, छोटे और मार्जिनल किसानों को प्रीमियम संबंधी राजसहायता जारी रखने, बारहमासी फसलों की कवरेज आदि सुझाव दिए हैं।

(छ) राजस्थान राज्य सरकार ने राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के कार्यान्वयन के पक्ष में विकल्प नहीं दिया है।

(ज) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण-I

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की मुख्य विशेषताएं

भारत सरकार ने भूतपूर्व व्यापक फसल बीमा योजना (सी.सी.आई.एस.) के स्थान पर रबी 1999-2000 मौसम से राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की है:-

- यह योजना सभी किसानों-ऋणी तथा गैर-ऋणी दोनों के लिए उपलब्ध है, चाहे उनकी जोत का आकार कुछ भी हो।
- यह ऋणी किसानों के लिए अनिवार्य तथा गैर-ऋणी किसानों के लिए ऐच्छिक है।
- यह स्कीम राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के लिए स्वैच्छिक किस्म की है।
- बीमित राशि बीमित क्षेत्र की न्यूनतम निर्धारित उपज के मूल्य तक हो सकती है।
- इसमें उन सभी खाद्य फसलों (अनाज, कदन्न व दलहन), तिलहनों तथा वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलों को कवर किया जाता है जिनके पिछले पर्याप्त वर्षों के उपज संबंधी आंकड़े उपलब्ध हों।
- वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलों में वर्तमान में ग्यारह फसलों तथा कपास, गन्ना, आलू, मिर्च, अदरक, प्याज, हल्दी, पटसन, टैपियोका, वार्षिक केला और अनन्नास को शामिल किया गया है।
- मूलत: सभी जोखिम बीमा की स्कीम जिसमें प्राकृतिक, न रोके जा सकने वाले जोखिमों के कारण उपज संबंधी सभी हानियां शामिल हैं।
- प्रीमियम दरें बाजरा तथा तिलहनों के लिए 3.5% तथा अन्य खरीफ फसलों के लिए 2.5%, गेहूं के लिए 1.5% तथा अन्य रबी फसलों के लिए 2% हैं। यदि बीमांकिक आंकड़ों के आधार पर परिकलित दरें निर्धारित प्रीमियम दर से कम हों, तो कम दर लागू होगी।
- वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलों के मामले में बीमांकिक दरें ही प्रभारित की जाती हैं।

- छोटे और सीमान्त किसानों को उनसे प्रभारित प्रीमियम पर 50% सब्सीडी दी जाती है। सब्सीडी 5 वर्ष की अवधि में घटते क्रम के आधार पर समाप्त की जाएगी।
- तीन वर्षों के भीतर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, बीमे की निचली इकाई अर्थात् ग्राम पंचायत पर कार्यान्वित करना।
- राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के कार्यान्वयन के लिए एक अलग एजेंसी स्थापित करने का प्रस्ताव है।

विवरण-II

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत अधिसूचित फसलों (अनाज तथा वाणिज्यिक/बागवानी फसलें दोनों) का ब्यौरा

अनाज	दलहन	तिलहन	वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलें
धान	तुर/अरहर	मूंगफली	कपास
गेहूं	सफेद चना	सूरजमुखी	आलू
मक्का	उड़द	कुसुम	गन्ना
ज्वार	मूंग	अलसी	प्याज
बाजरा	कुलथी	तिल	मिर्च
कोररा	मसूर	एरण्ड	अदरक
रागी	मटर	तोरिया	हल्दी
जौ	मोठ आदि	सरसों	पटसन
कोदो कदन्न		रामतिल	टैपियोका
कुटकी आदि		सोयाबीन आदि	वार्षिक केला
			अनन्नास

विवरण-III

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत कवर किए गए किसानों की संख्या का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	रबी 1999-2000	खरीफ 2000	रबी 2000-01
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	क्रियान्वित नहीं किया गया	1771500	214908
2.	असम	1401	1000	1189
3.	बिहार	क्रियान्वित नहीं किया गया	166356	41845
4.	छत्तीसगढ़	(म.प्र. का हिस्सा)	(म.प्र. का हिस्सा)	5984
5.	गोवा	79	953	213
6.	गुजरात	14832	1113435	32241
7.	हिमाचल प्रदेश	217	286	1159

1	2	3	4	5
8.	झारखंड	क्रियान्वित नहीं किया गया	(बिहार का हिस्सा)	1741
9.	कर्नाटक	क्रियान्वित नहीं किया गया	313340	40739
10.	केरल	22786	15573	21450
11.	मध्य प्रदेश	186910	1531590	381598
12.	महाराष्ट्र	120543	33310	408353
13.	मेघालय	क्रियान्वित नहीं किया गया	675	1738
14.	उड़ीसा	232836	627465	124202
15.	तमिलनाडु	क्रियान्वित नहीं किया गया	16071	94137
16.	उत्तर प्रदेश	क्रियान्वित नहीं किया गया	469430	510032
17.	पश्चिम बंगाल	क्रियान्वित नहीं किया गया	क्रियान्वित नहीं किया गया	196362
18.	पांडिचेरी	336	373	1218
19.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	क्रियान्वित नहीं किया गया	193	क्रियान्वित नहीं किया गया
	योग	579940	8561530	2079109

चारे की कमी

*106. **श्री अम्बरीश:**
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में विशेषकर दक्षिणी राज्यों में, सूखे की गंभीर स्थिति के कारण चारे की अत्यधिक कमी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा देश में चारा बैंक को सुदृढ़ बनाने और चारा बीज उत्पादन में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उपरोक्ता राज्यों को किए गए कुल आवंटन में से राज्यवार कितनी धनराशि जारी की गई?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के दक्षिणी राज्यों सहित कुछ राज्यों ने सूखे की स्थिति के बारे में बताया है। तथापि, चारे की भारी कमी के बारे में रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ख) और (ग) महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों को इस बात की अनुमति दे दी गई है कि चालू वर्ष में चारे की राज्य से बाहर आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया जाए। सूखे के बारे में आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों से चालू वर्ष के दौरान चार ज्ञापन प्राप्त हुए हैं। इन राज्यों को चालू वर्ष के दौरान आपात राहत कोष के केन्द्रीय हिस्सेदारी के रूप में उपलब्ध करायी गई सहायता इस प्रकार हैं: आंध्र प्रदेश 155.97 करोड़ रुपए, बिहार 26.37 करोड़ रुपए, कर्नाटक - 58.72 करोड़ रुपए और महाराष्ट्र 123.80 करोड़ रुपए। कर्नाटक राज्य को गोपशु आहार के रूप में इस्तेमाल करने के अलावा दो लाख मीटरी टन आहार ग्रेड अनाज उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा भारत सरकार ''चारा विकास के लिए राज्यों को सहायता'' नामक योजना भी क्रियान्वित करती है जिसके अंतर्गत पंजीकृत बीज उत्पादकों के जरिए 75:25 प्रतिशत केन्द्रीय : राज्य हिस्सेदारी के आधार पर चारा बैंकों और चारा बीज उत्पादन के लिए अनुदान सहायता दी जाती है। विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान जारी की गई राशि संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

चारा बैंकों तथा चारा बीज उत्पादन के लिए विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान जारी की गई वास्तविक राशि

(लाख रुपए में)

राज्य	चारा बैंक तथा चारा बीज उत्पादन			
	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02
कर्नाटक	21.00	–	10.50	–
आंध्र प्रदेश	–	–	–	–

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम

*107. **श्री प्रबोध पण्डा:**
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम में कुछ परिवर्तन करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परिवर्तनों को कब तक शामिल किए जाने की संभावना है?

श्रम मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (ग) कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के कार्यक्षेत्र का विस्तार करने और इस अधिनियम के उपबंधों का कार्यान्वयन सरल और कारगर बनाने के उद्देश्य से इस अधिनियम में कुछ परिवर्तन करने का विचार है। इन प्रस्तावों को त्रिपक्षीय विचार-विमर्श हेतु केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि के लिए संदर्भित कर दिया गया है।

ऐसी अवस्था में संशोधन करने हेतु कोई भी समय सीमा बता पाना संभव नहीं है।

पशुधन स्वास्थ्य योजनाएं

*108. **श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संकर प्रजातियां पैदा होने और वैज्ञानिक विकास के कारण पशु संक्रमण और गैर-संक्रमण रोगों सहित विभिन्न रोगों से और अधिक ग्रस्त रहने लग गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा पशुधन स्वास्थ्य योजना लागू नहीं किए जाने के कारण पशुओं में बीमारी और मृत्यु की दर बढ़ गई है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में कौन-कौन से सुधारात्मक कदम उठाये गये हैं;

(घ) क्या इस प्रयोजन के लिए आबंटित निधियों का पूर्ण उपयोग नहीं किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा आबंटित निधियों का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) जी, हां। संकर नस्ल और विदेशी नस्ल के पशुधन में सामान्यतया देशी पशुओं की तुलना में विभिन्न संसर्गजन्य और असंसर्गजन्य बीमारियों के होने की संभावना अधिक होती है।

(ख) और (ग) यह सही नहीं है कि कुछ वर्षों से पशुधन में विभिन्न रोगों के कारण अस्वस्थता दर तथा मृत्यु दर में वृद्धि हुई है। विभाग के पास उपलब्ध रोग-विज्ञान आंकड़ों के अनुसार, प्रमुख रोगों की घटनाओं की संख्या में काफी कमी हुई है। यह इस कारण हुआ है कि रोग नियंत्रण के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों की प्रतिपूर्ति केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत, जिन्हें सभी राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों में क्रियान्वित किया जा रहा है, वित्तीय सहायता देकर की जाती है।

(घ) और (ङ) पशुधन स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं के लिए आवंटित धनराशि राज्य सरकारों को योजना की स्वीकृत पद्धति तथा दिशानिर्देशों के अनुसार उनकी मांग के आधार पर उपलब्ध कराई जाती है। आवंटित धनराशि का कम उपयोग किए जाने का मुख्य कारण यह है कि राज्य अपनी समान हिस्सेदारी उपलब्ध नहीं कराते। केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए, राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे पर्याप्त बजट प्रावधान करें तथा अपनी समान हिस्सेदारी दें।

पर्यटन विकास हेतु परियोजनाएं

*109. **श्री पी.डी. एलानगोवन:**
श्री मोहन रावले:

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन संबंधी बुनियादी ढांचे में सुधार लाने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए हैं;

(ख) वर्ष 2001-2002 के दौरान देश में इस हेतु आबंटित और वितरित निधियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने घरेलू पर्यटकों के उपयोग के लिए सुविधाओं के सुधार हेतु राज्यों को कोई दिशा-निर्देश जारी किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन पर राज्यों की राज्य-वार प्रतिक्रिया क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) पर्यटन विभाग, भारत सरकार की देश में पर्यटन की आधारभूत अवसंरचना के विकास और संवर्धन के लिए प्राथमिकता प्रदत्त विभिन्न परियोजनाओं हेतु राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को उनसे विचार-विमर्श करके केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करने की एक योजना है।

(ख) वर्ष 2001-2002 के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र राज्यों सहित सभी राज्यों की पर्यटन अवसंरचना हेतु आवंटन 54.65 करोड़ रुपए हैं। राज्य सरकारों को 12.07 करोड़ रुपए की राशि रिलीज की गई है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से परियोजाएं प्राप्त होने की प्रक्रिया में है।

(ग) और (घ) जी, हां। पर्यटन विभाग, भारत सरकार ने स्वदेशी और विदेशी पर्यटकों के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं में सुधार हेतु केन्द्रीय वित्तीय सहायता की मंजूरी के लिए पहले ही दिशा-निर्देश तैयार कर लिए हैं और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को भिजवा दिए गए हैं, तथा वे इन दिशा-निर्देशों के अनुसार, पर्यटन विभाग को प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हैं। पर्यटक बंगलों के निर्माण, पर्यटक लाजों, यात्री निवासों, मार्गस्थ सुविधाओं, ध्वनि और प्रकाश प्रदर्शनों आदि जैसी योजनाओं के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता दी जाती है।

[हिन्दी]

वायु और जल प्रदूषण के मामले

*110. **श्री बीर सिंह महतो:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा वायु और जल प्रदूषण के संबंध में दायर मामलों में से पचास प्रतिशत से अधिक मामलों के बारे में निर्णय बोर्ड के विरुद्ध दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई समीक्षा की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा (वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत 529 मामलों में निर्णय दिया गया था जिनमें से 278 निर्णय प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के पक्ष में तथा शेष 251 मामलों में बोर्डों के विरुद्ध फैसला सुनाया गया था।

(ग) और (घ) केन्द्र सरकार विभिन्न पर्यावरणीय कानूनों के प्रवर्तन की आवधिक तौर पर पुनरीक्षा करती है। इस संबंध में मंत्री स्तर की पिछली बैठक 29-30 जनवरी, 2001 को कोयम्बटूर में हुई थी तथा अधिकारी स्तर की बैठक हाल ही में 12 नवम्बर, 2001 को दिल्ली में आयोजित की गई थी।

पक्षियों और पशुओं की प्रजातियों का लुप्त होना

*111. **श्री थावरचन्द गेहलोत:**
श्री वाई.जी. महाजन:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय पक्षियों और पशुओं की गणना के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में इस समय पक्षियों और पशुओं की कौन-कौन सी प्रजातियां विद्यमान हैं;

(ग) गत पांच वर्षों के दौरान पक्षियों और पशुओं की उन प्रजातियों का ब्यौरा क्या है जो लुप्त होने के कगार पर हैं; और

(घ) देश में पक्षियों और पशुओं की दुर्लभ प्रजातियों को बचाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) पक्षियों और पशुओं की संख्या का अनुमान निम्नलिखित विधियों से किया जाता है:-

1. प्रत्यक्षतया देखकर गिनती करना।
2. ड्रापिंग्स, पद-चिन्ह, आवाजों की संख्या तथा मारे गए पशु-पक्षियों की संख्या आदि प्रमाणों की व्याख्या करना।
3. फोटो ट्रैप विधि।

4. पकड़ना, छोड़ना और फिर पकड़ना।

5. रेडियो टेलीमीटरी।

(ख) ऐसा अनुमान लगाया गया है कि देश में पक्षियों समेत पशुओं की 81,000 से अधिक प्रजातियां विद्यमान हैं। इन सभी प्रजातियों को नाम देना संभव नहीं है। तथापि, पशुओं और पक्षियों की महत्वपूर्ण प्रजातियों के नामों को वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूचियों में सूचीबद्ध किया गया है।

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान कोई भी प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर नहीं पहुंची है। लेकिन इस अवधि में देश में गिद्धों की संख्या में अत्यधिक कमी आई है।

(घ) देश में दुर्लभ प्रजाति के पक्षियों और पशुओं को बचाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

1. वन्यजीवन (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत सभी तरह के वन्य पशुओं और पक्षियों के शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया है।

2. वन्य पशुओं और पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों के महत्वपूर्ण वासस्थलों को राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के रूप में अधिसूचित किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण नमभूमियों को भी रामसर क्षेत्र और विश्व प्राकृतिक धरोहर क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है।

3. वन्य पशुओं और इनके उत्पादों के अवैध शिकार और गैर-कानूनी व्यापार को रोकने के लिए क्षेत्र की नियमित रूप से निगरानी की जाती है। इस संबंध में अन्य प्रवर्तन एजेंसियों और अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों का सहयोग भी लिया जाता है।

4. वन्य जीवों की बेहतरी के लिए वन्य जीवों के वासस्थलों का वैज्ञानिक पद्धति से प्रबन्धन किया जाता है।

5. राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के प्रभावी प्रबंधन के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता दी जाती है।

6. विभिन्न प्रजातियों की संख्या की स्थिति की मानीटरिंग के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान तथा विभिन्न प्रजातियों के स्वस्थानें और स्थान बाह्य संरक्षण के लिए रणनीति तैयार करना।

7. वन्य जीव प्रबन्धन प्रौद्योगिकी को प्रशिक्षण और कार्यशालाओं के माध्यम से फील्ड मैनेजरों को हस्तांतरित करना।

8. वन्य जीव संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना।

9. गिद्धों पर अन्तर्राष्ट्रीय कार्यशाला की सिफारिशों के क्रियान्वयन के लिए कार्रवाई शुरू की गई है।

10. वन्यजीव संरक्षण संबंधी समस्याओं को कम करने के लिए पर्यावरण और वन राज्य मंत्रियों के 29 और 30 जनवरी, 2001 को कोयम्बतूर में आयोजित सम्मेलन में लिए गए कोयम्बतूर चार्टर का क्रियान्वयन।

[अनुवाद]

नई कृषि नीति

***112. श्री जे.एस. बराड़:**
श्री जी.एस. बसवराज:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई कृषि नीति तैयार की जा रही है;

(ख) यदि नहीं, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) किसानों को विश्व व्यापार संगठन के साथ किए गए करार के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने इसके कार्यान्वयन के लिए कोई विस्तृत कार्य योजना तैयार की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या विस्तृत कार्य योजना तैयार करने से पहले राज्य सरकारों के साथ परामर्श किया गया है; और

(छ) यदि नहीं, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं कि राज्यों की आवश्यकताओं का ध्यान रखा जा रहा है?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा जुलाई, 2000 में की गई थी। कृषि संबंधी राष्ट्रीय कृषि नीति भारतीय कृषि की ऐसी विशाल वृद्धि क्षमता का पूरा लाभ प्राप्त करने का प्रयास करती है जिसका दोहन नहीं किया गया है, तीव्र कृषि विकास के सहायतार्थ ग्रामीण बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाती है, मूल्य वर्धन को बढ़ावा देती है, कृषि व्यापार की वृद्धि को तेज करती है, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजित करती है, किसानों तथा कृषि मजदूरों और उनके परिवारों के लिए जीवन-यापन का एक अच्छा स्तर मुहैया करती है, शहरी क्षेत्रों की ओर

पलायन को हतोत्साहित करती है और आर्थिक उदारीकरण तथा सार्वभौमीकरण से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करती है।

(ग) राष्ट्रीय कृषि नीति में विश्व व्यापार संगठन के कृषि संबंधी करार के किसी कुप्रभाव के प्रति पर्याप्त सुरक्षात्मक उपायों तथा मात्रापरक प्रतिबंधों को हटाने हेतु प्रावधान है। उत्पादकता और गुणवत्ता को सुधारने पर जोर दिया गया है ताकि हमारी जिंसों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ सके। इस नीति में अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों की सतत् मानिटरिंग और टैरिफ संरक्षण के उचित उपायों द्वारा किसानों को विश्व मंडी में मूल्य गिरावट से बचाने के लिए जिंसवार कार्यनीतियां और व्यवस्थाएं प्रतिपादित हैं। इसमें उत्पादन और विपणन बढ़ाकर निर्यात को बढ़ावा देने की कार्यनीति रेखांकित की गई है।

(घ) और (ङ) चल रही विभिन्न केन्द्रीय और केन्द्रीय प्रयोजित स्कीमों के अलावा सरकार ने राष्ट्रीय कृषि नीति को कार्यान्वित करने के लिए कई पहलें की हैं। सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए आयात शुल्क में भी वृद्धि की है और निर्यात-आयात नीति में अल्प और दीर्घकालिक उपाय शुरू किए हैं जिनमें आयात की अबाध वृद्धि रोकने के लिए तथा निर्यात को बढ़ावा देने हेतु अनिवार्य विनियमन/प्रतिबंध सम्मिलित हैं।

(च) जी, हां।

(छ) यह प्रश्न नहीं उठता।

खाद्य उत्पादन में वृद्धि

*113. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दस वर्षों में खाद्य उत्पादन को दुगुना करने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके अंतर्गत किन-किन फसलों की पहचान की गई है;

(घ) इस योजना के अंतर्गत किसानों को कौन-कौन से वित्तीय प्रोत्साहन और अन्य राजसहायताएं दिए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या इस प्रयोजनार्थ किन्हीं विशेष क्षेत्र का चयन किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) से (ग) जी, हां। योजना आयोग ने 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक और कार्य योजना वर्ष अर्थात् 2007-08 तक खाद्यान्न उत्पादन को दुगुने स्तर तक लाने का लक्ष्य रखा है। तथापि, खाद्यान्न उत्पादन से अभिप्राय मात्र अनाज का खाद्यान्न से ही नहीं है बल्कि इसमें फल व सब्जियां, दूध, अण्डे, मछली आदि जैसी मदें भी शामिल हैं। इस बारे में योजना आयोग ने निम्न लक्ष्यों के लिए सुझाव दिया है:-

खाद्य मद	उत्पादन लक्ष्य (मिलियन टन)		
	9वीं योजना (2001-02)	10वीं योजान (2006-07)	कार्य योजना (2007-08)
चावल	99.0	124.2	130.0
गेहूं	83.0	104.1	109.0
मोटे अनाज	35.5	40.0	41.0
दलहन	16.5	19.4	20.0
कुल खाद्यान्न	234.0	287.7	300.0
तिलहन	30.0	42.7	45.0
गन्ना	336.0	435.2	495.0
फल व सब्जियां	179.0	307.2	342.0
दूध	87.0	121.5	130.0
अण्डे (मिलियन सं.)	3500.0	4928.6	5300.0
मछली	6.9	9.1	9.6

(घ) राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों के प्रयासों को पूरा कराने के लिए केन्द्र सरकार कई केन्द्रीय और केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं के अंतर्गत किसानों को बीज एवं उपकरण जैसे महत्वपूर्ण आदानों पर सब्सीडी देकर वित्तीय सहायता पहुंचायी जाती है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए नौवीं पंचवर्षीय योजना आयोग ने कृषि मंत्रालय को निम्नानुसार आवंटन किया था:-

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	बजट सहायता
1.	कृषि एवं सहकारिता	9153.82
2.	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	3376.95
3.	पशुपालन एवं डेयरी	2345.64
	योग	14876.41

(ङ) जी, नहीं।

(च) यह प्रश्न नहीं उठता।

घाटे में चल रहे विमानपत्तन

***114. श्री सवशीभाई मकवाना:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में घाटे में चल रहे विमानपत्तनों के राज्य-वार नाम क्या हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार इन विमानपत्तनों को राज्य सरकारों को सौंपने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) घाटे में चल रहे हवाई अड्डों का राज्य-वार ब्यौरा नीचे प्रस्तुत है:-

अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	—	पोर्ट ब्लेयर (सिविल एन्क्लेव) (सी.ई.)
आन्ध्र प्रदेश	—	राजामुंदरी, कुडप्पा, दोनाकोन्डा, नार्दिगुल, तिरूपति, विजयवाड़ा, विशाखापत्तनम, वारंगल।
अरुणाचल प्रदेश	—	अलांग (सी.ई.), डापोरिजो (सी.ई.), पासीघाट, तेजु (सी.ई.), जीरो (सी.ई.),
असम	—	डिब्रूगढ़, मोहनबाड़ी, गुवाहाटी, जोरहाट (सी.ई.), उत्तर लखीमपुर (लीलाबाड़ी), रूपसी, शैला, सिल्चर (सी.ई.), (कुम्बीग्राम), तेजपुर (सी.ई.)
बिहार	—	गया, जोगबानी, मुजफ्फरपुर, पटना, रक्सौल
छत्तीसगढ़	—	बिलासपुर, रायपुर
चण्डीगढ़	—	चण्डीगढ़ (सी.ई.)
दिल्ली	—	सफदरजंग
गुजरात	—	अहमदाबाद, भावनगर, दीसा (पालमपुर), जामनगर (सी.ई.), काण्डला, केशोद (जूनागढ़), पोरबन्दर, राजकोट, वड़ोदरा (वड़ोदरा)
हिमाचल प्रदेश	—	कांगडा (गग्गल), कूल्लू (भुंतर), शिमला
झारखंड	—	चकूलिया, रांची
जम्मू व कश्मीर	—	जम्मू (सी.ई.), लेह (सी.ई.), श्रीनगर (सी.ई.)
कर्नाटक	—	बेलगांव, हसन, हुबली, मंगलौर, मैसूर
केरल	—	त्रिवेन्द्रम
लक्षद्वीप	—	अगाती
मध्य प्रदेश	—	भोपाल, ग्वालियर (सी.ई.), इंदौर, जबलपुर, खजुराहो, खंडवा, पन्ना, सतना
महाराष्ट्र	—	अकोला, औरंगाबाद हडप्पसर, नागपुर (सोनेगांव), शोल्हापुर, कोल्हापुर
मणिपुर	—	इम्फाल
मेघालय	—	शिलांग (उमरोई/बड़ापानी)
मिजोरम	—	लेंगपुई, (आईजॉल)
नागालैंड	—	दीमापुर
उड़ीसा	—	भुवनेश्वर, झारसुगुड़ा
पांडिचेरी	—	पांडिचेरी
पंजाब	—	अमृतसर, लुधियाना
राजस्थान	—	जयपुर, जैसलमेर (सी.ई.), जोधपुर (सी.ई.), कोटा (सी.ई.), नाल (बीकानेर) (सी.ई.), उदयपुर
तमिलनाडु	—	कोयम्बटूर, मदुराई, सलेम, तिरूचिरापल्ली, तूतीकोरीन, वेल्लूर
त्रिपुरा	—	अगरतला, कैलाशहर, कमालपुर, खोवाई
उत्तर प्रदेश	—	आगरा (सी.ई.), इलाहाबाद (सी.ई.), गोरखपुर (सी.ई.), झांसी, कानपुर, (सी.ई.), चकेई, ललितपुर, लखनऊ, वाराणसी
उत्तरांचल	—	देहरादून, पंतनगर
पश्चिम बंगाल	—	बागडोगरा (सी.ई.), बेलूरघाट, बेहाला, कूच बिहार, मालदा, आसनसोल

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एयरपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चरल सर्विसेज उपलब्ध कराने में तकनीकी और प्रचालनात्मक दृष्टि से अधिक बेहतर है।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का निजीकरण

*115. **श्री ए. वेंकटेश नायक:**
श्री रामशेठ ठाकुर:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) का निजीकरण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण सिविल रडारों से प्राप्त सूचनाओं को रक्षा प्राधिकारियों को उपलब्ध कराने का इच्छुक नहीं है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सिविल रडारों से प्राप्त सूचना रक्षा प्राधिकारियों को उपलब्ध कराने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को निदेश जारी करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) और (ख) यद्यपि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के प्राइवेट करने संबंधी कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, जब कभी उपयुक्त होगा दीर्घावधिक पट्टे की मार्फत भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के हवाई अड्डों की पुन: संरचना करने की बाबत निर्णय लिया गया है। इस समय, दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई तथा कोलकाता के हवाई अड्डों को इस कवायद के अनुसार हाथ में ले लिया गया है। इस कवायद के मुख्य कारणों से इन्टरनेशनल मानकों के बराबर सेवाओं के स्टैंडर्ड में सुधार लाना; मैनेजमेंट कल्चर, दक्षता और उत्पादकता में पूरी तरह से सुधार लाना; सुव्यवस्थित हवाई अड्डों से होने वाले आर्थिक लाभ की संभावनाओं को खोलना; और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करना आदि शामिल हैं।

(ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की भारतीय वायु सेना से संबद्ध सिविल राडारों से प्राप्त सूचना में हिस्सेदारी है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

पर्यटन संवर्धन हेतु विदेशी दौरे

*116. **श्री राम मोहन गाड्डे:**
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत की ओर पर्यटकों को आकर्षित करने के प्रयोजन को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने अभी हाल ही में चीन की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनकी उक्त यात्रा के क्या परिणाम निकले; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान उन्होंने अन्य किन-किन देशों का दौरा किया और इन दौरों के दौरान किए गए समझौतों का ब्यौरा क्या है और इनसे देश को क्या-क्या लाभ प्राप्त हुए?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) जी, हां।

(ख) चीन का दौरा चीन में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेले में भाग लेने के लिए चीन के राष्ट्रीय पर्यटन प्रशासन के आमंत्रण पर किया गया। इस दौरे का उद्देश्य दोनों देशों के परस्पर हित के लिए यात्रा एवं पर्यटन का संवर्धन करना था।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र.सं.	मंत्री का नाम	शहर/देश	व्यय (रुपयों में)	दौरे की तिथि	दौरे का उद्देश्य तथा देश को लाभ
1	2	3	4	5	6
1.	श्री अनन्त कुमार, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री	पेरिस (फ्रांस) और बर्लिन (जर्मनी)	87,419/-रु.	31 अक्तूबर-5 नवम्बर, 1999 तक	विश्व भर में संस्कृति और रचनात्मक विषय पर संस्कृति मंत्रियों का गोलमेज सम्मेलन-पेरिस (फ्रांस) शारीरिक शिक्षा पर विश्व शिखर सम्मेलन, बर्लिन
2.	सुश्री उमा भारती पर्यटन राज्य मंत्री	लंदन (यूके)	1,78,821/-रु.	16-19 नवम्बर 1999	यह दौरा लंदन में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले महत्वपूर्ण वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट में भाग लेने के लिए किया गया था जिसमें राष्ट्रीय

1	2	3	4	5	6
					सरकारों, पर्यटन व्यवसाय, होटल, एयरलाइन्स आदि के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। पर्यटन उद्योग को बल प्रदान करने की दृष्टि से तथा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन समुदाय से परस्पर तालमेल हेतु रखने के लिए यह आयोजन महत्वपूर्ण है।
3.	श्री अनन्त कुमार पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री	बर्लिन (जर्मनी)	1,25,130/-रु.	10-13 मार्च 2000	यह दौरा प्रति वर्ष मार्च में बर्लिन में आयोजित होने वाले विश्व के सबसे बड़े पर्यटन संवर्धक मेले इंटरनेशनल ट्रूरिज्म बार्स (आईटीबी) में भाग लेने के लिए किया गया था। इस आयोजन में कई पर्यटक गंतव्य स्थलों के पर्यटक उत्पादों का प्रचार प्रसार विश्व भर के यात्रा व्यवसायियों तथा प्रचार माध्यमों के मध्य किया जाता है। इस प्रदर्शनी में विश्व भर के कई यात्रा व्यवसायी, प्रमुख पर्यटक सृजक देशों, निजी एयरलाइनों, होटलों, कम्पनियों आदि के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। यह आयोजन सफल रहा है तथा यात्रा व्यवसाय, प्रचार माध्यम तथा आम जनता से भारी संख्या में लोग इस आयोजन की ओर आकृष्ट हो रहे हैं।
4.	श्री अनन्त कुमार पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री	असगाबाद तुर्कमेनिस्तान	30,764/-रु.	3-5 सितम्बर 2000	तुर्कमेनिस्तान में भारतीय संस्कृति दिवस का उद्घाटन।
5.	श्री अनन्त कुमार पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री	सिंगापुर	उपलब्ध नहीं	9-13 नवम्बर 2000	राष्ट्रपति के साथ का दौरा (संस्कृति मंत्रालय से संबंधित)।
6.	श्री अनन्त कुमार पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री	लंदन (यूके)	2,23,006-रु.	15-20 नवम्बर 2000	वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट, 2000 में भागीदारी। यह दौरा वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट में भाग लेने के संबंध में किया गया था जोकि अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन संबंधी एक महत्वपूर्ण वार्षिक आयोजन है। इस आयोजन में कई देशों के सरकारी, पर्यटन-व्यवसाय, होटल, एयरलाइन्स आदि के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में भाग लेते हैं।
7.	श्री अनन्त कुमार पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री	पैरिस (फ्रांस)	1,29,137/-रु.	10-12 दिसम्बर 2000	सांस्कृतिक विविधता 2000-2010 विषय पर संस्कृति मंत्रियों का गोलमेज सम्मेलन।
8.	श्री अनन्त कुमार पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री	कुआलालुम्पुर मलेशिया और सिंगापुर	1,02,938/-रु.	9-13 अप्रैल 2001	यह दौरा एशिया प्रशांत यात्रा संघ के वार्षिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए किया गया था। यह संघ एशिया प्रशांत क्षेत्र में यात्रा तथा पर्यटन संबंधी मान्यता प्राप्त प्राधिकरण है। इस संघ के सदस्यों ने लगभग 100 देश, राज्य तथा नगर पर्यटन निकाय, 65 एयरलाइन और क्रूज लाइन, लगभग 200 कम्पनियां तथा संगठन हजारों व्यक्ति तथा विश्वभर में स्थित एशिया प्रशांत यात्रा संघ के 80 चैप्टर शामिल हैं। इस विभाग द्वारा सम्मेलन में "इंडिया इवनिंग" आयोजित की गई ताकि अप्रैल, 2002 में भारत में होने वाले एशिया प्रशांत यात्रा संघ के वार्षिक सम्मेलन के आयोजन को सुगम बनाया जा सके।

1	2	3	4	5	6
9.	श्री जगमोहन पर्यटन, संस्कृति एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री	ओसाका जापान	85,425/-रु.	28 सितम्बर से 1 अक्तूबर 2001 तक	यह दौरा विश्व पर्यटन संगठन की महासभा के 14वें सत्र में भाग लेने के लिए किया गया था। इस अवसर पर भारत को विश्व पर्यटन संगठन के कार्यकारी परिषद तथा कमेटी आन मार्केटिंग एंटिलिजेंस एण्ड प्रोमोशन एंड प्रोग्राम कमेटी का सदस्य भी चुना गया। विश्व पर्यटन संगठन की बैठक में भारतीय पर्यटन पर विस्तार से चर्चा हुई इसलिए इस बैठक में उच्च स्तरीय भागीदारी आवश्यक है।
10.	श्री जगमोहन पर्यटन, संस्कृति एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री	कुन्मिंग (बीजिंग)	1,80,000/-रु.	6-9 नवम्बर 2001	यह दौरा चाइना इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट में भाग लेने तथा भारत के एक "चुनिंदा पर्यटक गंतव्य स्थल" मानने के लिए चीन को प्रेरित करने और चीन से बाहर जाने वाले पर्यटकों को भारत की ओर आकृष्ट करने के उद्देश्य से किया गया था इस बैठक में आम सहमति यह हुई थी कि भारत और चीन पर्यटन संबंधी एक विस्तृत समझौते पर हस्ताक्षर करें जिसमें भारत के मान्यता प्राप्त पर्यटक स्थलों का समावेश हो। तीर्थ यात्रा तथा दोनों के बीच उड़ान सम्पर्क विषय पर भी परस्पर चर्चा हुई।
11.	श्री जगमोहन पर्यटन, संस्कृति एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री	लंदन (यूके)	1,81,400/-रु.	12-15 नवम्बर 2001	यह दौरा लंदन में वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट में भाग लेने के लिए किया गया था। यह आयोजन लंदन में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला पर्यटन संबंधी प्रसिद्ध आयोजन है जिसमें कई देशों, सरकारी, पर्यटन व्यवसाय, होटल, एयरलाइन्स आदि के प्रतिनिधि भाग लेते हैं।

विमान अपहरण

***117. मोहम्मद शहाबुद्दीन:**
श्री सुन्दर लाल तिवारी:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में चालू वर्ष के दौरान यात्री विमानों के अपहरण के कितने मामले हुए;

(ख) अपहरण के प्रत्येक ऐसे मामले के कारणों का पता लगाने के लिए गठित जांच समितियों के क्या निष्कर्ष हैं;

(ग) क्या एलयांस एयर के कुछ कर्मचारी भी इनमें लिप्त पाए गए थे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) इस प्रकार की आकस्मिक घटनाओं के लिए पायलट और चालक दल के सदस्यों को आवश्यक निदेश जारी करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) से (ङ) यद्यपि, चालू वर्ष के दौरान यात्री हवाई जहाज के हाईजैकिंग का कोई मामला नहीं रहा है तथापि, दिनांक 3.10.2001 को मुम्बई-दिल्ली सैक्टर पर उड़ने वाली एलयांस एयर फ्लाइट संख्या सीडी: 7444 के हाईजैकिंग का एक फॉल्स अलार्म था।

बम्बई से दिल्ली के लिए दिनांक 3.10.2001 को उड़े हवाई जहाज संख्या सीडी: 7444 के अपहरण से संबंधित गुमनाम टेलीफोन कॉल आने से उत्पन्न हुई बहुत से घटनाओं से संबंधित स्थिति की पूरी तरह से जांच के लिए गृह मंत्रालय से विशेष सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया।

समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सिफारिशें की हैं:-

(1) फ्लाइट क्रू तथा स्थल कर्मियों के बीच की दूरी को समाप्त करने के लिए कान्टिजेन्सी प्लान संबंधित मैनुअलों तथा दिशा-निर्देशों में सुधार,

(2) अस्पष्टता से बचने के लिए मानकीकृत शब्दों और वाक्यों का विकास किया जाए,

(3) फ्लाइट क्रू एवं केबिन क्रू की ब्रीफिंग तथा उसके प्रशिक्षण के लिए उचित प्रणाली को विकसित किया जाए,

(4) कॉकपिट/यात्री केबिन में सही स्थान पर क्लोज सर्किट टी वी कैमरों को लगाया जाए,

(5) रिकार्डिंग सिस्टम के साथ-साथ कॉलर आइडेंटिफिकेशन उपलब्ध कराया जाए।

समिति ने यह भी सिफारिश कि की नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो, तथा नागर विमानन महानिदेशक हवाई जहाज निर्माताओं तथा इकाओ द्वारा विचाराधीन नए संरक्षा एवं सुरक्षा उपायों को लागू करे।

एलयांस एयर को आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देश दिए गए हैं। साथ-साथ ही रिपोर्ट की एक प्रति सिफारिशों सहित डी.जी.सी.ए., बी.सी.ए.एस., तथा इंडियन एयरलाइन्स तथा एलायंस एयर को उनकी एजेंसियों से संबंधित सभी विषयों, जो कि रिपोर्ट में उठाए गए हैं, पर कार्रवाई के लिए तथा समिति द्वारा की गई सिफारिशों को लागू करने के लिए भेज दिए गए हैं।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण (सेल) में घाटा

***118. श्री वाई.वी. राव:**
श्री अजय सिंह चौटाला:

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही के दौरान भारतीय इस्पात प्राधिकरण (सेल) को गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 35.58 प्रतिशत अधिक सकल नुकसान हुआ है;

(ख) यदि हां, तो सेल को दिए गए बड़े सहायता पैकेज के बावजूद इस घाटे के क्या कारण हैं; और

(ग) सेल को इस घाटे से उबारने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) चालू वित्तीय वर्ष की प्रथम छमाही के दौरान स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड (सेल) को 704.44 करोड़ रुपए की हानि हुई जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 520.11 करोड़ रुपए की हानि हुई थी। इस प्रकार हानि में 35.4% की वृद्धि हुई।

(ख) सेल को निम्नलिखित कारणों से हानि हो रही है:-

— अर्थव्यवस्था में सामान्य मंदी के कारण इस्पात की मांग में लगातार स्थिरता।

— बाजार में अधिक आपूर्ति होने के कारण बिक्री से कम प्राप्ति।

— विदेशों में पाटन-रोधी कार्रवाई के कारण निर्यात में मंदी।

— आधुनिकीकरण परियोजनाओं में अधिक पूंजी निवेश के कारण ब्याज और मूल्यह्रास पर वर्धित मूल्य।

— श्रमशक्ति की अधिक लागत, तथा

— घाटे में चल रही सहायक कंपनियों अर्थात् इस्को और एम ई एल को वित्तीय सहायता।

(ग) सेल को घाटे से उबारने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

(1) सेल के लिए एक वित्तीय एवं कारोबार पुनर्संरचना पैकेज मंजूर किया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:-

— इस्पात विकास निधि (एस.डी.एफ.) से लिए गए 5073 करोड़ रुपए और भारत सरकार से लिए गए 381 करोड़ रुपए के ऋण को माफ करना।

— स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वी.आर.एस.) के कार्यान्वयन के लिए सेल द्वारा जुटाए जाने वाले 1500 करोड़ रुपए और 1999-2000 के विगत ऋण को लौटाने के लिए 1500 करोड़ रुपए के ऋण के लिए 50% ब्याज सहायता सहित भारत सरकार की गारंटी देना।

(2) पुनरुद्धार पैकेज के कारोबार-पुनर्संरचना पैकेज घटक के अंतर्गत सेल को केवल महत्वपूर्ण कारोबार पर ध्यान केन्द्रित करना है जिससे निम्नलिखित गैर-महत्वपूर्ण/अव्यवहार्य परिसंपत्तियों/इकाइयों के लिए संयुक्त उद्यम भागीदारी की जा सके;

— भिलाई इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र और राउरकेला इस्पात संयंत्र के निजी विद्युत संयंत्र-2, बोकारो इस्पात संयंत्र के निजी विद्युत संयंत्र-1 और संयंत्र-2

— भिलाई इस्पात संयंत्र का आक्सीजन संयंत्र-2

— राउरकेला इस्पात संयंत्र का उर्वरक संयंत्र

— सेल की न्यूनतम शेयरधारिता सहित इस्को का संयुक्त उद्यम में परिवर्तन

— सेलम इस्पात संयंत्र, मिश्र इस्पात संयंत्र और विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड।

(3) सेल की लाभप्रदता में सुधार करने के लिए निम्नलिखित अन्य उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं:

— सघन लागत नियंत्रण अभियान जिसमें महत्वपूर्ण प्रौद्योगिक-आर्थिक प्राचलों में सुधार की परिकल्पना की गई है।

— फरवरी, 2001 में एक नई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वी.आर.एस.) शुरू की गई है जिसके तहत 6510 कर्मचारी पृथक किए गए हैं।

— ग्राहक-संतुष्टि, बिक्री नेटवर्क बढ़ाने पर बल देने सहित बाजारोन्मुखी उत्पाद-मिश्र तथा गुणवत्ता में सुधार करने पर ध्यान केन्द्रित करना।

वन्य प्राणियों के प्रति अपराधों में वृद्धि

*119. **श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में वन्य प्राणियों के प्रति अपराधों में वृद्धि हो रही है और केन्द्र और राज्य सरकारें इन्हें रोकने में विफल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और यदि नहीं, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान वन्य प्राणियों के प्रति अपराधों पर नियंत्रण पाने में कितनी सफलता मिली है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार देश में एक वन्य प्राणी अपराध आसूचना प्रकोष्ठ स्थापित करने पर सक्रियता से विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो प्रस्तावित प्रकोष्ठ की कार्य प्रणाली क्या है; और

(ङ) इससे वन्य प्राणियों के प्रति अपराधों पर किस सीमा तक रोक लगाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और गैर सरकारी संगठनों द्वारा वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए किए गए समन्वयक प्रयासों और वन्यजीव अपराध की समस्या से निपटने के लिए विशेष ध्यान देने के कारण हाल के वर्षों में वन्यजीव उत्पादों का पता लगाने और जब्तियों के मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है। इस संबंध में प्रमुख जब्तियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) केन्द्र सरकार ने मंत्रालय के अंतर्गत ही एक लघु प्रकोष्ठ स्थापित करने का निर्णय किया है जो वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों के अधीन विभिन्न प्रवर्तन अभिकरणों के साथ सूचना एकत्रीकरण, सहायता और समन्वय करने का कार्य करेगा।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान की गई मुख्य जब्तियों का ब्यौरा

क्र.सं.	मद	मात्रा/संख्या 1998	1999	2000
1	2	3	4	5
1.	बाघ की खाल/पूरा शरीर	14	38	39
2.	तेंदुए की खाल/पूरा शरीर	28	80	201
3.	तेंदुए और बाघ की हड्डियां	–	–	176 किग्रा.
4.	बाघ की खोपड़ी	–	–	–
5.	बेंगोलिन स्किन	–	3	–
6.	ओटर स्किन	–	–	101

1	2	3	4	5
7.	ब्लैक बक स्किन	–	–	221
8.	शहतूश शाल	–	35	63
9.	सर्प की खाल और वस्तुएं	1	47	2000
10.	मगरमच्छ की खाल/वस्तुएं	–	1	5
11.	मानीटर लिजर्ड स्किन	–	11001	3
12.	पक्षी	4408	172	8692
13.	तितलियां/पतंगे	–	1.97 कि.ग्रा.	–

वातावरणीय वायु में प्रदूषण के कारण मौतें

***120. श्री टी.टी.वी. दिनाकरण:** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान वातावरणीय वायु प्रदूषण के कारण भारत में प्रतिवर्ष 7 लाख 50 हजार मौतों से संबंधित विश्व बैंक रिपोर्ट की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा वायु प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) विश्व बैंक द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार उन्हें कोई ऐसा दस्तावेज नहीं मिला है जो वायु प्रदूषण की वजह से हुई मौतों संबंधी उपरोक्त आंकड़े दर्शाता हो।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई की गई है:-

1. अत्यधिक प्रदूषण उद्योगों की 17 श्रेणियों से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए कदम उठाए गए हैं।
2. 24 अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों की पहचान की गई है तथा सभी 24 क्षेत्रों के लिए कार्य योजनाएं तैयार कर ली गई हैं जिन्हें केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पर्यवेक्षण में विभिन्न राज्य प्रदूषण बोर्डों द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है।
3. उद्योगों के स्थल निर्धारण तथा संचालन के संबंध में पर्यावरणीय दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं।
4. पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रिया के महत्वपूर्ण घटक के रूप में लोक सुनवाई/गैर-सरकारी संगठन सहभागिता वाली विकासात्मक गतिविधियों की 30 श्रेणियों के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति अनिवार्य कर दी गई है।
5. सभी प्रदूषक उद्योगों के लिए पर्यावरणीय विवरण के रूप में पर्यावरणी लेखा परीक्षा को अनिवार्य बनाया गया है।
6. मानव स्वास्थ्य पर प्रदूषक के प्रभावों के आकलन तथा उसे कम करने संबंधी उपाय सुझाने के उद्देश्य से देश के विभिन्न भागों में पर्यावरणीय महामारी विज्ञान अध्ययन शुरू किए गए हैं।
7. आटोमोबाइल्स से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए कठोर उत्सर्जन मानक, प्रमुख शहरों में सीसारहित पैट्रोल की शुरूआत, कैटेलिटिक कन्वर्टस लगाया जाना, निम्न सल्फर वाले ईंधन की शुरूआत तथा ईंधन गुणवत्ता में सुधार किया गया है।
8. उद्योगों के लिए पर्यावरणीय पहलुओं को ध्यान में रखते हुए स्थल निर्धारण हेतु देश के विभिन्न जिलों में ''जोनिंग एटलस'' तैयार करने संबंधी कार्य शुरू किया गया है।
9. देश भर में परिवेशी आयु (290) और जल (507) गुणवत्ता स्टेशनों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है।

10. उद्योगों की लगभग सभी श्रेणियों के लिए पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम के तहत बहिस्राव एवं उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त परिवेशी वायु और जल गुणवत्ता के लिए भी मानक अधिसूचित किए गए हैं।

11. वाहन जनित प्रदूषण को कम करने के लिए उत्सर्जन मानक और ईंधन गुणवत्ता मानक अधिसूचित किए गए हैं। विनिर्माताओं द्वारा अब अपने विज्ञापन में ये उल्लेख किया जाना अपेक्षित है कि उनके वाहन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार निर्धारित उत्सर्जन मानकों की पूर्ति करते हैं।

12. पिट-हैड से 1000 कि.मी. से अधिक की दूरी पर स्थित विद्युत संयंत्रों (कोयला आधारित) द्वारा 1.6.2002 से राख की कम मात्रा वाले कोयले (34% से अधिक नहीं) का प्रयोग किया जाना आवश्यक है। संवेदनशील क्षेत्रों में स्थित विद्युत संयंत्रों द्वारा भी, चाहे पिट-हैड से उनकी दूरी कितनी भी हो, राख की कम मात्रा वाले कोयले का प्रयोग किया जाना भी आवश्यक है।

13. दिल्ली और मुम्बई में प्रदूषण पर, इसके नियंत्रण हेतु कार्य योजना सहित, एक स्थिति-पत्र तैयार किया गया है तथा इसे क्रियान्वित किया जा रहा है।

14. पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम के तहत राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण सहित 6 पर्यावरण प्राधिकरण गठित किए गए हैं।

15. मंत्रालय पर्यावरणीय निष्पादन में निरन्तर सुधार के उद्देश्य से उद्योगों द्वारा पर्यावरणीय प्रबन्धन प्रणाली (ई.एम.एस.) अपनाए जाने को बढ़ावा दे रहा है तथा मानकों के स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित कर रहा है। भारत में 250 से अधिक कम्पनियों ने आईएसओ 14001 प्रमाणन प्राप्त किया है।

[हिन्दी]

शीतगृहों का निर्माण

1151. श्री हरिभाई चौधरी:
राजकुमारी रत्ना सिंह:
श्री बीर सिंह महतो:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के प्रत्येक प्रखंड में विशेषकर पश्चिम बंगाल में प्रतापगढ़ और पुरूलिया क्षेत्रों में और गुजरात के बनासकांठा क्षेत्र में शीतगृहों के निर्माण का है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) सरकार शीत भंडारों का निर्माण नहीं करती। वैसे, कृषि और सहकारिता विभाग के अधीन एक स्वशासी निकाय राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक तथा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के माध्यम से बागवानी उत्पादकों के लिए शीत भंडारों और भंडारों के निर्माण/विस्तार आधुनिकीकरण के लिए पूंजीनिवेश राजसहायता स्कीम "नामक स्कीम के तहत सीमित (बैंक एण्डेड) पूंजी निवेश राजसहायता के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है जो परियोजना लागत के 25%, 50 लाख रुपए प्रति परियोजना से अनाधिक, तथा पूर्वोत्तर राज्यों के लिए परियोजना लागत के 33.33, 60.00 लाख रुपए प्रति परियोजना की सीमा तक होती है। यह स्कीम मांग पर आधारित है और परियोजना के प्रस्ताव पात्र संगठनों से आने होते हैं। उक्त स्कीम देश भर में लागू है और किसी इलाका/क्षेत्र विशेष के लिए सीमित नहीं है।

औद्योगिक कचरे को भारतीय समुद्र में डालना

1152. श्री सुरेश चन्देल: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्य देशों का औद्योगिक कचरा भारतीय समुद्र में डाला जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन देशों ने अपना औद्योगिक कचरा भारतीय समुद्र में डाला है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किये जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) अन्य देशों द्वारा औद्योगिक अपशिष्टों को भारतीय समुद्रों में डालने की कोई घटना सरकार के ध्यान में नहीं आई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राज्यों में समुद्र तटीय भू-क्षरण के लिये सहायता

1153. श्री टी. गोविन्दन: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों से गत तीन वर्षों के दौरान राज्यों में समुद्रतटीय भू-क्षरण को रोकने हेतु वित्तीय सहायता के लिये कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकारों को इस उद्देश्य के लिये उक्त अवधि के दौरान कितनी सहायता राशि दी गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) जी, हां।

(ख) यद्यपि, गत तीन वर्षों के दौरान इस मंत्रालय द्वारा समुद्री-कटाव को नियंत्रित करने के लिए किसी प्रकार की केन्द्रीय सहायता, तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को नहीं दी गई है। तथापि, तमिलनाडु सरकार के अनुरोध पर वर्ष 2000-01 के दौरान उत्तरी चेन्नई में तटीय कटाव को रोकने के उद्देश्य से योजना आयोग ने 1.00 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता अनुमोदित की है।

भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान

1154. श्री महबूब जहेदी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (आई.वी. आर.आई.) की स्थिति क्या है और इसके अंतर्गत क्या काम होता है;

(ख) क्या आई.वी.आर.आई. ने रोगनियंत्रण के लिए 'टिस्यू कल्चर रिन्डरपेस्ट' टीका विकसित किया है और जरूरत के अनुसार व्यवहार्य टीके का भी उत्पादन किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या रिन्डरपेस्ट से महामारी और जानलेवा रोगों का अस्थायी रूप से उन्मूलन हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार आई.वी.आर.आई. को बायोटेक्नोलॉजी संस्थान में बदलने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान एक प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान है तथा इसे विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है। यह संस्थान विभिन्न प्रभागों/अनुभागों/परिसरों/क्षेत्रीय केन्द्रों के जरिए पशु स्वास्थ्य और प्रजनन सम्बन्धी विषयों में अनुसंधान, प्रशिक्षण तथा विस्तार शिक्षा के कार्य में लगा है।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, हां।

(घ) टीकाकरण कार्यक्रम के साथ-साथ 'सीरा मानीटरन' और सीरो निगरानी रोगों के उन्मूलन में उपयोगी थे तथा आफिस इन्टरनेशनल ऐपिजूटिक, (ओ.आई.ई.) ने इस रोग से अस्थाई मुक्ति दिलाई है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

मस्किनाला और मुल्लामारी सिंचाई परियोजनाएं

1155. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक में मस्किलाना और लोअर मुल्लामारी सिंचाई परियोजनाओं को लागू करने के मार्ग में कौन सी बाधाएं आ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं के लिए कितनी सहायता दिये जाने की संभावना है; और

(घ) उक्त परियोजनाओं को कब तक पूरा किये जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) मस्कीनाला और निचली मुल्लामारी सिंचाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन में आने वाली बाधा, नहर प्रणाली के लिए भूमि अधिग्रहण करना है।

(ग) और (घ) मस्कीनाला परियोजना की नवीनतम अनुमानित लागत 41.30 करोड़ रुपये है और 3/2001 तक 35.75 करोड़ रुपये व्यय हुए हैं। 5.46 करोड़ रुपये की नाबार्ड सहायता मुहैया कराई गई है।

मुल्लामारी परियोजना की नवीनतम अनुमानित लागत 115 करोड़ रुपये है। नाबार्ड ने अब तक 32.20 करोड़ रुपये की सहायता मुहैया की है। शेष लागत 18.79 करोड़ रुपये है।

राज्य सरकार द्वारा इस परियोजना को पूरा किया जाना शेष लागत को पूरा करने के लिए पर्याप्त परिव्ययों के प्रावधान पर आधारित है।

[हिन्दी]

बिहार और पश्चिम बंगाल में कृषि मजदूर

1156. डा. मदन प्रसाद जायसवाल:
श्री बीर सिंह महतो:

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार और पश्चिम बंगाल में कृषि मजदूरों की संख्या कितनी है और वे कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत हैं;

(ख) सरकार द्वारा उनके कल्याण के लिये राज्य और केन्द्र स्तर पर अलग-अलग कौन से कदम उठाये गये हैं; और

(ग) इस संबंध में गत दो वर्षों के दौरान किस सीमा तक कार्य किया गया है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

उपमार्गीय सुरंग

1157. श्री पी. राजेन्द्रन: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उपमार्गीय सुरंग के निर्माण के बाद गुजरात और राजस्थान में नर्मदा परियोजना की सिंचाई हेतु जल की आपूर्ति प्राप्त होने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो राज्यों को इससे कितनी मात्रा में पानी छोड़े जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) नर्मदा परियोजना (सरदार सरोवर परियोजना) से गुजरात और राजस्थान को सिंचाई प्रयोजनों के लिए जल की आपूर्ति बांध का निर्माण 110.64 मी. (363 फीट) के स्तर तक हो जाने पर ही की जा सकेगी जोकि न्यूनतम ड्रा डाउन स्तर है। नर्मदा मुख्य नहर में सिंचाई प्रयोजनों के लिए जल की आपूर्ति केवल नहर के मुख्य विद्युत गृह के जरिए ही का जानी है। जब नहर का मुख्य विद्युत गृह गुजरात और राजस्थान की सिंचाई मांगों को पूरा नहीं कर सकता है तभी सरदार सरोवर जलाशय से सिंचाई बाई-पास सुरंग (आई.वी.पी.टी.) के जरिए जल निकाला जायेगा। तद्नुसार आई.वी.पी.टी. के जरिए निकाले गये जल की मात्रा घटती-बढ़ती रहेगी।

बी.सी.सी.एल. में अनुकम्पा के आधार पर रोजगार

1158. श्री रामजी मांझी: क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बी.सी.सी.एल.) के मृत कर्मचारियों के बहुत से आश्रितों की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति नहीं की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) बी.सी.सी.एल. में इस संबंध में कितने आवेदन लंबित पड़े हैं;

(घ) इन आवेदन-पत्रों को कब तक निपटा दिए जाने की संभावना है; और

(ङ) इस संबंध में बी.सी.सी.एल. की क्या नीति है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) जी, नहीं। पात्रता प्राप्त उम्मीदवारों को रोजगार से वंचित नहीं किया जा रहा है। सी.आई.एल. से प्राप्त सूचना के अनुसार, अप्रैल, 2001 से अक्तूबर, 2001 के बीच मृतकों के 596 आश्रितों को रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 31 अक्तूबर, 2001 की स्थिति के अनुसार बी.सी.सी.एल. में अनुकम्पा आधार पर रोजगार दिए जाने हेतु कुल 230 मामलों पर कार्रवाई की जा रही है।

(घ) जैसे ही आश्रितों द्वारा पूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे, मामलों पर कार्रवाई करके उन्हें निपटा दिया जाएगा।

(ङ) कम्पनी की नीति सभी अपेक्षित दस्तावेजों की प्राप्ति होते ही पात्रता प्राप्त मामलों को तत्काल निपटाए जाने की है।

[हिन्दी]

कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केन्द्र

1159. राजकुमारी रत्ना सिंह:
श्री राम टहल चौधरी:
श्री लक्ष्मण गिलुवा:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश तथा झारखण्ड में राज्यवार किन-किन स्थानों में कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केन्द्र स्थापित किए गए हैं;

(ख) केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा इन केन्द्रों पर राज्यवार कितनी राशि व्यय की गई है; और

(ग) इन केन्द्रों द्वारा चलाए जा रहे उन कार्यकलापों का ब्यौरा क्या है जिनसे किसान आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में सूचना प्राप्त कर सकें?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने 40 कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केन्द्रों की स्थापना करने के लिए स्वीकृति प्रदान की है, जिसमें तीन केन्द्र उत्तर प्रदेश के चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद और भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर तथा एक झारखण्ड के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची, शामिल है। इन केन्द्रों का राज्यवार आवंटन संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) इस उद्देश्य के लिए परिषद् द्वारा 15.15 करोड़ रुपये रिलीज किए गए हैं। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) करीब 1.49 लाख किसानों ने इन केन्द्रों का दौरा किया है। इन केन्द्रों के क्रियाकलापों में शामिल हैं: 26,522 किसानों को नैदानिक सेवाएं, 11,324 क्विंटल सुधरी किस्मों के बीज, 6.55 लाख सब्जियों, फलों के नर्सरी पौध, 22.07 क्विंटल जैव-उर्वरक, 2.59 क्विंटल जैव-कीटनाशी और 9,354 कृषि उपकरणों को प्रदान करना। कम्प्यूटर पर आधारित सूचना के अतिरिक्त 1.15 लाख पुस्तिकाएं, 360 आडियो/विडियो कैसेट सूचना सामग्री के अधीन प्रदान किए गए हैं।

विवरण

कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केन्द्रों को रिलीज की गई निधि

(रुपये लाख में)

क्रम सं.	राज्य		केन्द्र	कृ.प्रौ.सू.के.	
				कुल	कुल योग
1	2		3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश		आचार्य एन.जी. रंगा कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद	39.42	39.42
2.	असम		असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहाट	39.42	39.42
3.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह		केन्द्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पोर्ट ब्लेयर	36.39	36.39
4.	बिहार		राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, समस्तीपुर	39.42	39.42
5.	छत्तीसगढ़		इन्दिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर	36.39	36.39
6.	दिल्ली		भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली	39.42	39.42
7.	गुजरात		गुजरात कृषि विश्वविद्यालय, बनासकांठा	39.42	39.42
8.	हरियाणा	8.1	राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल	39.47	
		8.2	चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार	39.42	78.89
9.	हिमाचल प्रदेश	9.1	चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर	39.42	
		9.2	डा. वाई.एस. परमार बागवानी एवं पानिकी विश्वविद्यालय, सोलन	39.42	115.23
		9.3	केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला	36.39	

1	2		3	4	5
10.	जम्मू एवं कश्मीर		शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, श्रीनगर	36.39	36.39
11.	झारखण्ड		बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची	35.59	35.59
12.	केरल	12.1	केरल कृषि विश्वविद्यालय, त्रिचूर	39.47	
		12.2	भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, कालिकट	39.42	151.67
		12.3	केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, एरणाकुलम	36.39	
		12.4	केन्द्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान, कासरगोड	36.39	
13.	कर्नाटक	13.1	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलौर	36.39	
		13.2	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़	39.42	115.23
		13.3	भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलौर	39.42	
14.	मध्य प्रदेश		जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर	36.39	36.39
15.	महाराष्ट्र	15.1	मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय, परभणी	36.39	
		15.2	महात्मा फूले कृषि विश्वविद्यालय, राहरी, अहमदनगर	36.39	
		15.3	पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय, अकोला	36.39	186.03
		15.4	केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, नागपुर	36.39	
		15.5	कोंकण कृषि विश्वविद्यालय, डपोली, रत्नागिरी	40.47	
16.	उड़ीसा	16.1	केन्द्रीय ताजा जलजीव पालन संस्थान, भुवनेश्वर	36.39	71.98
		16.2	उड़ीसा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर	35.59	
17.	पंजाब		पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना	39.42	39.42
18.	राजस्थान	18.1	केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर	36.39	
		18.2	राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर	39.42	111.40
		18.3	महाराणा प्रताप कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, उदयपुर	35.59	
19.	तमिलनाडु	19.1	तमिलनाडु पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, चेन्नई	36.39	75.81
		19.2	तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर	39.42	
20.	उत्तर प्रदेश	20.1	चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर	36.39	
		20.2	नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद	39.47	115.33
		20.3	भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर	39.47	
21.	उत्तरांचल		गोविन्द वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर	39.47	39.47
22.	पश्चिम बंगाल		विधान चन्द कृषि विश्वविद्यालय, नाडिया	36.39	36.39
	कुल			1515.10	1515.0

[अनुवाद]

अमौसी और बाबतपुर विमानपत्तनों का उन्नयन

1160. श्री पी. मोहन: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अमौसी और बाबतपुर विमानपत्तनों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के समान लाने के लिए उनके उन्नयन का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर कितना अनुमानित व्यय होने की संभावना है; और

(ग) इस कार्य के कब तक शुरू होने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) लखनऊ के अमौसी हवाई अड्डे के उन्नयन कार्य पर 27 करोड़ रु. का खर्च होने का अनुमान है। हवाई पट्टी (रनवे) का 9000 फुट तक विस्तार करने और पुन: पट्टी लेपन का कार्य तथा श्रेणी-2 प्रकाश व्यवस्था को लगाने का काम दिनांक 27.9.01 तक पूरा कर दिया गया है। वाराणसी के बाबतपुर हवाई अड्डे के संबंध में अनुमानित व्यय 75 करोड़ रु. है। हवाई पट्टी (रनवे) का 9000 फुट तक विस्तार किए जाने तथा पुन: पट्टी लेपन का कार्य तथा नए टर्मिनल भवन का निर्माण कार्य क्रमश: मार्च 2002 तथा जनवरी, 2002 तक पूरा होने की आशा है।

[हिन्दी]

केन्द्र प्रायोजित योजनायें

1161. श्री रतन लाल कटारिया: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेषकर हरियाणा में गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार लागू की गई केन्द्र प्रायोजित कृषि विकास योजनाओं के कार्य-निष्पादन का योजनावार ब्यौरा क्या है; और

(ख) राज्यों को उक्त अवधि के दौरान आबंटित और उपयोग में लाई गई धनराशि का राज्य-वार और योजनावार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान कृषि तथा सहकारिता विभाग द्वारा विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के तहत हरियाणा सरकार को निर्मुक्त की गई और उपयोग में लाई गई धनराशियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के तहत निर्मुक्त की गई और उपयोग में लाई गई धनराशियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में है।

राज्य में क्रियान्वित स्कीमों का निष्पादन कृषि फसलों के उत्पादन तथा उत्पादकता के रूप में परिलक्षित होता है। वर्ष 1997-98 से 1999-2000 के दौरान हरियाणा राज्य में कुल खाद्यान्नों के क्षेत्र, उत्पादन तथा उत्पादकता का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

वर्ष	क्षेत्र (हजार हैक्टे.)	उत्पादन (हजार मी. टन)	पैदावार (किग्रा/हैक्टे.)
1997-98	4180.00	11347.7	2715
1998-99	4490.10	12123.2	2700
1999-2000	4287.8	13066.5	3047

विवरण-I

हरियाणा में गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के तहत निर्मुक्त की गई धनराशि तथा होने वाले व्यय का ब्यौरा

(रुपए लाख में)

		1998-99		1999-2000		2000-2001	
		आवंटन निर्मुक्तियां	व्यय	आवंटन निर्मुक्तियां	व्यय	आवंटन निर्मुक्तियां	व्यय अनन्तिम
		1	2	3	4	5	6
I.	फसल	416.87	504.51	666.13	641.44	170.06	296.28
1.	चावल आधारित फसल प्रणाली वाले क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम (आई.सी. डी.पी.-चावल)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		1	2	3	4	5	6
2.	गेहूं आधारित फसल प्रणाली वाले क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम (आई.सी. डी.पी.-गेहूं)	279.10	398.15	485.57	515.15	118.91	176.08
3.	मोटे अनाज आधारित फसल प्रणाली वाले क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम (आई.सी.डी.पी.-मोटे अनाज)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000
4.	गन्ना आधारित फसल प्रणाली वाले क्षेत्रों का सतत विकास (एस.यू.बी.ए.सी.एस.)	71.00	48.49	33 00	59.29	6.15	0.00
5.	विशेष पटसन विकास कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	कपास पर प्रौद्योगिकी मिशन	66.77	57.87	147.56	67.00	45.00	120.20
II.	टी.एन.ओ.पी.	315.00	225.00	396.65	282.11	219.00	324.03
7.	तिलहन उत्पादन कार्यक्रम (ओ.पी.पी.)	280.00	200.00	328.65	282.11	170.00	293.43
8.	राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना (एन.पी.डी.पी.)	35.00	25.00	68.00	0.00	49.00	30.60
9.	त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	आयल पाम विकास कार्यक्रम (ओ.पी.डी.पी.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	बागवानी	342.06	245.93	262.88	233.57	97.38	225.72
11.	उष्णकटिबंधी शुष्क एवं शीतोष्ण कटिबंधी फलों का समेकित विकास	75.00	34.71	40.00	69.22	17.32	27.64
12.	सब्जी के बीजों का उत्पादन एवं सप्लाई	5.99	4.50	13.50	11.99	0.00	3.00
13.	मूल एवं कंद वाली फसलों का विकास	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	वाणिज्यिक पुष्पकृषि का विकास	79.50	79.50	53.35	43.89	10.00	22.48
15.	औषधीय एवं सुगंधी वाले पौधों का विकास	2.25	2.25	3.25	3.25	0.28	0.28
16.	काजू/कोको सहित का विकास	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	समेकित मसाला विकास कार्यक्रम	70.90	38.97	85.78	56.98	21.65	84.62
18.	खुम्बी का विकास	3.00	3.87	6.00	0.00	3.00	6.41
19.	कृषि में प्लास्टिक का उपयोग	105.42	82.13	61.00	48.24	45.13	81.29
20.	मधुमक्खी पालन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		1	2	3	4	5	6
IV.	बीज	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1.51
21.	सब्जी वाली फसलों के आधारी एवं प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए स्कीम	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1.51
V.	उर्वरक	0.00	0.00	0.00	13.64	0.00	7.70
22.	उर्वरकों का संतुलित एवं समेकित उपयोग	0.00	0.00	0.00	13.64	0.00	7.70
VI.	कृषि मशीनरी	52.50	52.50	45.30	42.90	6.00	6.00
23.	छोटे किसानों के बीच कृषि यंत्रीकरण का संवर्धन	52.50	52.50	45.30	42.90	6.00	6.00
VII.	आर.एफ.एस.	220.00	138.67	35.00	115.64	25.00	16.84
24.	वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना (एन.डब्ल्यू.डी.पी.आर.ए.)	220.00	138.67	35.00	115.64	25.00	16.84
VIII.	एन.आर.एम. (एस.डब्ल्यू.सी.)	261.20	214.27	215.19	249.93	133.67	95.61
25.	नदी घाटी परियोजनाओं और मृदा प्रवण नदियों के स्रवण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण	218.00	124.36	80.00	160.77	60.00	16.91
26.	क्षारीय (ऊसर) मृदा का सुधार एवं विकास	27.77	85.19	130.00	88.50	70.00	70.00
27.	राज्य भूमि उपयोग बोर्डों का सुदृढ़ीकरण	15.43	4.72	5.19	0.66	3.67	8.70
IX.	ऋण	0.00	100.00	0.00	1.39	226.00	226.00
28.	अल्प विकसित राज्यों एवं विशेष क्षेत्रों में सहकारी ऋण संस्थाओं को सहायता (गैर अति देय)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29.	कृषि ऋण स्थिरीकरण कोष	0.00	100.00	0.00	0.00	226.00	226.00
30.	अनु. जातियों और जनजातियों के लिए विशेष स्कीम	0.00	0.00	0.00	1.39	0.00	0.00
X.	सहकारिता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	कमजोर वर्गों की सहकारी समितियों को सहायता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	महिलाओं की सहकारी समितियों को सहायता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XI.	अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय	13.52	19.52	17.00	20.60	22.00	10.14
33.	समय पर सूचना देने संबंधी स्कीम (टी.आर.एस.)	7.00	10.16	9.00	9.75	12.00	4.86
34.	आंकड़ों की सूचना देने के लिए एजेंसी की स्थापना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	फसल संबंधी आंकड़ों का सुधार (आई.सी.एस.)	6.52	9.36	8.00	10.85	10.00	5.28
XII.	नीति और योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	916.28	802.40
36.	वृहत प्रबंधन	0.00	0.00	0.00	0.00	916.28	802.40
XIII.	कृषि संगणना	13.00	20.30	10.65	10.01	18.35	10.87
37.	कृषि संगणना	13.00	20.30	10.65	10.01	18.35	10.87
	कुल	1634.97	1520.70	1648.80	1611.23	1833.74	2023.10

विवरण-II

राज्यों में गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के तहत निर्मुक्त की गई धनराशि तथा होने वाले व्यय का ब्यौरा

(रुपए लाख में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	1998-99		1999-2000		2000-2001	
		आबंटन निर्मुक्तियां	व्यय	आबंटन निर्मुक्तियां	व्यय	आबंटन निर्मुक्तियां	व्यय अनंतिम
1.	आंध्र प्रदेश	6334.92	6327.03	6175.51	5312.24	3914.84	5260.57
2.	अरुणाचल प्रदेश	473.63	355.46	475.05	243.63	761.31	794.35
3.	असम	540.19	189.04	386.91	456.97	1099.27	192.67
4.	बिहार	352.53	333.02	240.70	179.27	419.59	17.61
5.	गोवा	233.92	179.23	202.06	60.46	49.12	156.13
6.	गुजरात	4533.67	3433.78	4789.31	4575.21	4713.47	3692.61
7.	हरियाणा	1634.97	1520.70	1648.80	1611.23	1833.74	2023.10
8.	हिमाचल प्रदेश	1322.19	1264.02	1116.09	1326.06	1338.17	1269.07
9.	जम्मू व कश्मीर	1054.35	939.18	1060.35	1018.90	917.87	434.45
10.	कर्नाटक	8476.45	8915.82	8159.30	6514.77	7180.52	5705.63
11.	केरल	4071.73	2027.87	2571.59	2058.06	3724.72	538.71
12.	मध्य प्रदेश	7692.98	6436.23	7696.70	8900.25	5506.69	6440.38
13.	महाराष्ट्र	12378.62	9883.62	8324.33	8841.11	10633.31	8352.73
14.	मणिपुर	571.95	613.26	984.03	686.41	935.68	716.32
15.	मेघालय	431.65	421.26	598.02	56.22	724.74	293.75
16.	मिजोरम	961.45	796.16	894.94	740.23	1088.99	1010.77
17.	नागालैंड	1142.08	1102.11	1223.07	990.76	1489.72	1416.60
18.	उड़ीसा	3622.31	3546.21	4594.78	2562.70	1680.81	2664.25
19.	पंजाब	1295.49	1014.93	1206.84	329.45	849.49	437.53
20.	राजस्थान	9268.88	8583.88	8470.36	7346.15	8133.23	8037.73
21.	सिक्किम	475.81	492.26	541.89	330.36	825.29	755.17
22.	तमिलनाडु	5740.11	5737.76	5513.83	4430.36	5665.59	4323.58
23.	त्रिपुरा	570.09	565.84	951.07	779.39	817.25	1002.11
24.	उत्तर प्रदेश	8322.90	8594.61	7603.00	10122.21	7068.83	7436.80
25.	पश्चिम बंगाल	1285.97	959.21	1534.60	1255.56	1537.09	2094.72
	कुल	82788.84	74232.49	76963.13	70727.96	72909.33	65067.34

मध्य प्रदेश में शारदा परियोजना

1162. श्री प्रहलाद सिंह पटेल: क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में शारदा परियोजना को चालू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार कुछ अन्य नई कोयला खानों को भी चालू करने का है;

(घ) यदि हां, तो इन खानों को कब तक चालू किए जाने की संभावना है;

(ङ) मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में कोयला भंडारों का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या इन सभी खानों को सुरक्षित समझा जाता है; और

(छ) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) और (ख) शारदा भूमिगत परियोजना को चालू नहीं किया जा सका क्योंकि परियोजना रिपोर्ट को आयोजन स्तर एर ही वित्तीय रूप से व्यवहार्य नहीं पाया गया था।

(ग) और (घ) जी, हां। दसवीं योजना अवधि के दौरान मध्य प्रदेश राज्य में 5 नई परियोजनाओं को प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है। इनमें से कुछ परियोजनाओं में जहां दसवीं योजना अवधि के दौरान ही उत्पादन प्रारम्भ हो जाने की आशा है वहां अन्य में दसवीं योजना अवधि के दौरान उत्पादन प्रारम्भ होने की संभावना है।

(ङ) मध्य प्रदेश के जिलों में कोयला खानों में भंडारों का विवरण निम्नवत है:-

	जिला		भंडार (मि.ट.)
1.	बेतुल	-	40.19
2.	छिन्दवाड़ा	-	102.98
3.	उमरिया	-	52.03
4.	शहडोल	-	268.94
5.	सीधी	-	1255.80

(च) इन खानों में खान अधिनियम तथा अन्य सांविधिक प्रावधानों के अनुसार सभी सुरक्षा उपाय किए जा रहे हैं।

(छ) उपर्युक्त भाग (च) में दिए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

बिहार और महाराष्ट्र से नागर विमानन परियोजनाएं

1163. श्री उत्तमराव पाटील:
श्री राजो सिंह:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र और बिहार से प्राप्त नागर विमानन संबंधी कई परियोजनाएं स्वीकृति हेतु केन्द्र के पास लंबित पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त ऐसी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) उसमें से अब तक कितनी परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया है;

(घ) कितनी परियोजनाएं स्वीकृति हेतु लंबित पड़ी हैं और उनके विलंब के क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृत कर दिए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) से (ङ) महाराष्ट्र राज्य सरकार, नवी मुम्बई स्थित हवाई अड्डे को दूसरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है। शहरी एवं औद्योगिक विकास निगम (सिडको), महाराष्ट्र ने इस बारे में एक तकनीकी आर्थिक साध्यता रिपोर्ट तैयार की है जिसकी जांच की जा रही है। सरकार के पास बिहार सरकार का कोई भी प्रस्ताव क्लियरेंस के लिए लंबित नहीं है।

[अनुवाद]

प्रवासी पक्षी

1164. डा. एन. वेंकटस्वामी: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अफगान युद्ध के कारण प्रवासी पक्षियों की संख्या में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त पक्षियों को भारत की ओर आकर्षित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) अफगान युद्ध के परिणामस्वरूप भारत आने वाले प्रवासी पक्षियों की संख्या में कमी आने की कोई सूचना नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

प्लास्टिक उद्योग के कामगारों का पुनर्वास

1165. श्री शिवाजी माने:
श्री अनंत गंगाराम गीते:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को प्लास्टिक थैलों के प्रयोग पर प्रतिबंध के विरुद्ध भारत के प्लास्टिक विनिर्माताओं की ओर से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या प्लास्टिक उद्योग पर प्रस्तावित प्रतिबंध के परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में कामगारों के बेरोजगार होने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा प्लास्टिक उद्योग के कामगारों के पुनर्वास के लिये क्या उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) ''आल इण्डिया प्लास्टिक मेन्यूफेक्चरिंग एसोसिएशन'' ने प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग पर इस समय जो रोक लगाई गई है उसके स्थान पर उसके विनिर्माण, विक्रय और उपयोग पर पूर्ण रूप से रोक लगाने के संबंध में 6.8.2001 को एक ज्ञापन दिया था। श्री रंगनाथ मिश्र, संसद सदस्य और उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है जो प्लास्टिक अपशिष्टों के निपटान और इनसे संबंधित अन्य मामलों के निपटान की जांच करेगी। इस समय प्लास्टिक की थैलियों के विनिर्माण, विक्रय और उपयोग पर पूर्ण रोक लगाने का कोई विचार नहीं है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का विकास

1166. श्री प्रियरंजन दासमुंशी: क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में विशेषकर केला, सेब, आम, अनानास आदि की खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों के विकास के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. चमन लाल गुप्त): (क) और (ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की योजना स्कीम के तहत खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उपक्रमों, गैर-सरकारी संगठनों, सहकारिताओं, मानव संसाधन विकास और अनुसंधान तथा विकास संस्थानों आदि को वित्तीय सहायता दी जाती है। सहायता, परियोजना विशेष है न कि राज्य विशेष। मंत्रालय स्वयं किसी खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना नहीं करता पर योजना आयोग द्वारा परिभाषित कठिन क्षेत्रों में स्थित इकाइयों को अधिक मात्रा में सहायता के रूप में प्राथमिकता दी जाती है। मंत्रालय की योजना स्कीमों के अंतर्गत स्थानीय बागवानी और कृषि उपज के प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के अनुरोध पर बहुत से राज्यों जिनमें पश्चिम बंगाल, जम्मू-कश्मीर, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश शामिल हैं, में फूड पार्कों के लिए मंजूरी दी गई है।

[हिन्दी]

बिहार में सिंचाई परियोजनायें

1167. श्री राजो सिंह: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार की कई सिंचाई परियोजनायें केन्द्र सरकार के पास लंबित पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं को कब तक मंजूरी दिये जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) पुनर्गठित बिहार की चार वृहद सिंचाई परियोजनाएं केन्द्रीय जल आयोग को तकनीकी-आर्थिक

मूल्यांकन के वास्ते प्राप्त हुई हैं। इनमें से पुनपुन बराज एवं तिल्लैया धादर कुछ शर्तों के अधीन सलाहकार समिति को प्राप्त हुई हैं। इन शर्तों को अभी राज्य सरकार द्वारा पूरा नहीं किया गया है। कदवान जलाशय तथा अपर महानन्दा परियोजनाओं पर पत्राचार चल रहा है।

(ग) इन परियोजनाओं की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न मूल्यांकन अभिकरणों के सर्वेक्षणों की तत्काल अनुपालना करने पर निर्भर करती है।

[अनुवाद]

सतपुड़ा मैकल क्षेत्र की जैव-विविधता का संरक्षण

1168. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि सतपुड़ा मैकल क्षेत्र एशिया के सर्वाधिक सक्रिय परिदृश्यों वाले क्षेत्रों में से एक है जिसमें वनस्पति और जीव-जगत की वृहत् विविधता शामिल हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस क्षेत्र की जैव-विविधता और पनधाराओं का संरक्षण करने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सतपुरा मैकल क्षेत्र में आने वाले वन्य जीव अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य सरकारों द्वारा किए जा रहे प्रयासों के अतिरिक्त राष्ट्रीय जैव विविधता प्रणाली और कार्य योजना परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के लिए क्षेत्र की जैवविविधता के संरक्षण के लिए कार्य योजनाएं तैयार की जा रही हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

खान मजदूरों को तपेदिक

1169. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में तपेदिक से पीड़ित खान मजदूर कितने प्रतिशत हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने उन खान मजदूरों के जीवन की रक्षा के लिए कोई उपाय किये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) खान सुरक्षा महानिदेशालय, धनबाद को खान अधिनियम, 1952 की धारा 25 के अंतर्गत खानों में अधिसूचित बीमारियों के घटने के बारे में सूचना प्राप्त होती है। उक्त अधिनियम के अंतर्गत तपेदिक अधिसूचित बीमारी नहीं है। खान सुरक्षा महानिदेशालय तपेदिक के पीड़ित खनिकों के बारे में आंकड़े नहीं रखता है।

(ख) और (ग) खान नियम, 1955 में धूल, जोखिमों से कर्मकारों को होने वाली स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का प्रत्येक 5 वर्षों में जांच करके अधिसूचित बीमारियों का जल्दी पता लगाने एवं नियंत्रण करने के लिए उपायों की व्यवस्था है।

कोयला खान विनियम, 1957 तथा धात्विक खान विनियम, 1961 में भी कार्यस्थल पर निम्नलिखित नियंत्रण उपायों की व्यवस्था है:-

(क) धातु खानों में वेट ड्रिलिंग और धूल कर्षकों का उपयोग;

(ख) कोयला खानों में वेट ड्रिलिंग एवं धूलकर्षकों का उपयोग;

(ग) निम्नलिखित के लिए कार्य माहौल का आवधिक अनुवीक्षण:-

(1) धूल को अनुमेय श्वसनीय सीमा तक नियंत्रित रखने के उपाय

(2) नियमित प्रतिदर्शन एवं विश्लेषण के माध्यम से वायुजनित धूल का अनुवीक्षण

(3) उन स्थानों पर नियंत्रण उपायों को अपनाना जहां स्वीकार्य सीमाएं बढ़ जाती हैं;

(4) जहां स्वीकार्य सीमा के भीतर धूल कणों की गहनता तकनीकी रूप से कम करना संभव न हो वहां दूर से कार्य करने अथवा क्रमिक रूप से बदल कर कार्य करना;

(5) जहां क्रमिक रूप से बदलाव/दूर से कार्य संचालन संभव न हो वहां संरक्षात्मक उपकरण (डस्ट रेसिप्रेटर) का उपयोग।

लंबित देवरी नल्ला सिंचाई परियोजना

1170. डा. जसवंतसिंह यादव: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देवरी नल्ला सिंचाई परियोजना पिछले कई वर्षों से केन्द्र सरकार के पास लंबित है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितने गांव प्रभावित हुये हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (घ) देवरी नल्ला सिंचाई परियोजना संबंधी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के लिए केन्द्रीय जल आयोग को प्राप्त नहीं हुई है।

जल राज्य का विषय होने के कारण सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं की आयोजना, अन्वेषण, उनकी वित्तीय व्यवस्था तथा कार्यान्वयन के साथ-साथ कार्यों एवं स्थापना के लिए आवश्यक वित्तीय व्यवस्था के प्रावधान का दायित्व मूलत: राज्य सरकार का है।

[अनुवाद]

सरकारी विभागों में अपव्यय

1171. श्री ब्रह्मानन्द मंडल: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उनके मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न विभागों में गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कितने अपव्यय का पता चला है; और

(ख) उनके मंत्रालय के द्वारा भविष्य में ऐसे अपव्यय को नियंत्रित करने/रोकने हेतु अब तक क्या कदम उठाये गये हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) इस्पात मंत्रालय द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई फिजूलखर्ची नहीं की गई।

(ख) उपरोक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विकलांग/अशक्त व्यक्तियों हेतु आरक्षण

1172. श्री अमर राय प्रधान: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उनके मंत्रालय और अधीनस्थ विभागों में अशक्त/शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए कितने पद आरक्षित हैं;

(ख) 31 अक्तूबर, 2001 की स्थिति के अनुसार कितने आरक्षित पद रिक्त पड़े हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान ऐसे पदों पर कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया गया; और

(घ) इन पदों को कब तक भर दिए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) से (घ) आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

मछुआरों के लिए कल्याण योजनाएं

1173. श्री पी.सी. थामस: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मछुआरों के कल्याण के लिए शुरू की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) समुद्र और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने में लगे मछुआरों की सुरक्षा हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) गहरे समुद्र में मछली पकड़ने और ट्राली के प्रयोग के संबंध में सरकार की क्या नीति है;

(घ) क्या ट्राली की अनुमति देते समय सामान्य मछुआरों के हितों पर ध्यान दिया जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) इस समय क्रियान्वयनाधीन राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना में निम्नलिखित बातें हैं:-

(1) मछुआरा गृह योजना के लिए प्रति लाभार्थी 40,000 रुपए की अधिकतम राजसहायता केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा बराबर-बराबर वहन की जाती है। संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में 100 प्रतिशत सहायता केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की जाती है;

(2) पेयजल की व्यवस्था के लिए प्रति 20 घर पर 1 ट्यूबवैल की दर से 35,000 रुपए की अधिकतम

राजसहायता केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा बराबर-बराबर वहन की जाती हैं। संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में 100 प्रतिशत सहायता केन्द्र सरकार द्वारा दी जाती है;

(3) कम से कम 75 घरों वाले गांव के लिए एक सामुदायिक भवन;

(4) सक्रिय मछुआरों के लिए मछली पकड़ने के दौरान मृत्यु अथवा स्थायी विकलांगता के लिए 50,000 रुपए और आंशिक अपंगता के लिए 25,000 रुपए के बीमा कवर के लिए एक सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना। बीमे का प्रीमियम केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा बराबर-बराबर वहन किया जाता है जबकि संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में पूरी लागत केन्द्र सरकार द्वारा ही वहन की जाती है।

(5) समुद्री और अंतर्देशीय दोनों मछुआरों के लिए चलाई जाने वाली बचत-सह-राहत योजना जिसमें समुद्री मछुआरों के मामले में लाभार्थी का अंशदान 600 रुपए होता है और इसके बराबर का अंशदान केन्द्र तथा राज्य सरकारें दोनों मिलकर करती हैं और यह धनराशि कमी के महीनों में चार किश्तों में मछुआरों को वितरित की जाती है। अंतर्देशीय मछुआरों के मामले में लाभार्थी का अंशदान 450 रुपए होता है जिसमें केन्द्र और राज्य सरकारें मिलकर बराबर का अंशदान करती हैं और यह धनराशि कमी के 3 महीनों में बराबर-बराबर वितरित की जाती है। संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में उनका हिस्सा भी केन्द्र सरकार ही वहन करती है।

(ख) रेडियो प्रसारण/टेलीविजन प्रसारण के जरिए मौसम के विषय चेतावनी देकर समुद्र के तटवर्ती मछुआरों की सुरक्षा बढ़ाई गई है। इसके अतिरिक्त तटवर्ती राज्यों में सरकार द्वारा तट से जहाज तक संचार नेटवर्क चलाया जाता है। गहरे समुद्र मत्स्यन में लगे हुए 20 मीटर लम्बाई से ऊपर के यानों को इंडियन मर्चेण्ट शिपिंग एक्ट (1958) में निहित व्यवस्थाओं का पालन करना अपेक्षित होता है। इसका अनुपालन महानिदेशक, नौवहन, नौवहन मंत्रालय के अधीन विभिन्न पत्तनों पर कार्यरत मर्केन्टाइल मैरीन विभागों के जरिए सुनिश्चित किया जाता है।

(ग) इस समय सरकार की लागू नीति के अनुसार विदेशी मत्स्यन यानों के लिए कोई नया मत्स्यन परमिट नहीं दिया जा सकता तथा मौजूदा परमिटों का नवीनीकरण भी नहीं किया जा सकता। ट्रालियों के प्रयोग के संबंध में कोई नीति नहीं है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

कोयले पर रॉयल्टी

1174. श्रीमती प्रेनीत कौर: क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अन्य मुख्य कोयला उत्पादक देशों की तुलना में खान के मुहाने पर कोयले के मूल्य का कोई तुलनात्मक अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस विश्लेषण के क्या निष्कर्ष निकले;

(ग) क्या भारत में रॉयल्टी दर सबसे अधिक है; और

(घ) यदि हां, तो इसे सुचारू बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) और (ख) भारतीय कोयले का औसत पिट-हैड विक्रय मूल्य, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में सी.आई.एफ. मूल्य के साथ तुलना करने पर, रुपये में प्रति टन आधार पर सबसे कम है। तथापि, भारतीय कोयले का वितरण मूल्य जिसमें परिवहन लागत भी शामिल है, दूर-दराज की विभिन्न खपत वाली जगहों पर परिवहन किये जाने पर काफी अधिक होता है। राख तत्व तथा यूनिट तापमान की दृष्टि से विदेशी कोयला बढ़िया होता है। इसलिए भारतीय कोयला कुछेक तटवर्ती स्थानों में प्रति थर्म आधार पर महंगा हो सकता है।

(ग) और (घ) भारत में रायल्टी दर बिक्री मूल्य का औसतन 12% है तथा विश्व के दूसरे कोयला उत्पादक देशों में भारत का स्थान नीचे दिया गया है:-

देश	दर
1	2
आस्ट्रेलिया (एन.एस.डब्ल्यू.)	1.70 आस्ट्रेलियन डालर प्रति टन (10% से भी कम के समतुल्य)
आस्ट्रेलिया (क्वीन्सलैंड)	खान मुहाना मूल्य का 7%
कनाडा (बी.सी.)	खान मुहाना मूल्य का 1% जमा निवल राजस्व पर 13%
चीन	बिक्री का 13%
भारत	बिक्री मूल्य का औसत 12%

1	2
इंडोनेशिया	पराक्रम्य सकल बिक्री पर अधिकतम 13.5%
पोलैंड	बिक्री मूल्य का 2%
रूस	1-2% जमा सकल बिक्री पर 5% रिजर्व प्रतिस्थापन कर
दक्षिण अफ्रीका	खनिज अधिकार के स्वामियों के साथ बातचीत द्वारा
यू.एस.ए. फैडरल लैण्डस	कोई नहीं
यू.एस.ए. स्टेट लैण्डस	बिक्री मूल्य पर 13%

कोयले पर रायल्टी की दरें, उपभोक्ताओं, कोयला उत्पादक राज्यों के हितों तथा समग्र तौर पर अर्थव्यवस्था के हितों को ध्यान में रखते हुए, केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है और ये किसी दूसरे देश द्वारा निर्धारित रायल्टी दरों के स्तर पर किसी विचार के स्वतन्त्र रूप से निर्धारित की जाती हैं और इसलिए रायल्टी दरों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर स्ट्रीमलाइन करने का प्रश्न संगत नहीं है।

तटीय क्षेत्र में भूमि कटाव हेतु सहायता

1175. श्री विनय कुमार सोराके: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने तटीय क्षेत्र में भूमि कटाव नियंत्रण के लिए राज्य सरकारों को कोई सहायता उपलब्ध कराई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कर्नाटक में दक्षिण कन्नड जिला भूमि कटाव के खतरे का सामना कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इसे नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान तटवर्ती राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इस मंत्रालय द्वारा मृदा कटाव नियंत्रण के लिए कोई केन्द्रीय सहायता प्रदान नहीं की गई है। तथापि, तमिलनाडु सरकार के अनुरोध पर वर्ष 2000-01 के दौरान उत्तर चेन्नई में तटीय-कटाव को रोकने के लिए योजना आयोग ने 1.00 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता अनुमोदित की है।

(ग) और (घ) कर्नाटक के दक्षिण कन्नड जिला में मंगलौर, उडूपी और कुन्दापुर ताल्लुक समुद्री कटाव से प्रभावित हैं। कर्नाटक सरकार ने "तटीय और गंगा बेसिन से भिन्न राज्यों में महत्वपूर्ण कटावरोधी कार्यों" नामक केन्द्र प्रायोजित स्कीम में शामिल करने के लिए 10.53 करोड़ रुपये की लागत की 7 स्कीमें प्रस्तुत की थी। इसके अलावा कर्नाटक सरकार ने राष्ट्रीय तटीय सुरक्षा परियोजना में शामिल करने के लिए 176.207 करोड़ रुपए के संशोधित प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया है जिसमें दक्षिण कन्नड जिला में 23.875 कि.मी. की नई समुद्री दीवार का निर्माण करने और अनेक मंगलौर, उडूपी और कुन्दापुर ताल्लुकों के गंभीर स्थलों पर 11.005 कि.मी. की पुरानी क्षतिग्रस्त दीवार की मरम्मत करने तथा उत्तर कन्नड जिला में 25.00 कि.मी. नई समुद्री दीवार का निर्माण करने और इसके भटकल, होनावर, कुन्ता, अंकोला और करवार ताल्लुकों के संगटग्रस्त स्थलों पर 6.60 कि.मी. पुरानी क्षतिग्रस्त समुद्री दीवार की मरम्मत करने की योजना है। उपर्युक्त स्कीमों की केन्द्रीय जल आयोग में जांच की गई है और केन्द्रीय जल आयोग के प्रेक्षणों पर राज्य सरकार से अभी टिप्पणियां प्राप्त होनी हैं।

[हिन्दी]

वर्षा जल का उपयोग

1176. श्री रामदास रूपला गावीत: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भवनों की छतों पर जल संचयन के पश्चात् वर्षा जल के उपयोग के बारे में लोगों को जागरूक बनाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप जल की समस्या को किस सीमा तक हल किए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (ग) सरकार, छत पर गिरने वाले वर्षा जल-संचयन सहित वर्षा जल के उपयोग को बढ़ावा दे रही है एवं भवनों के छतों पर वर्षा जल संचयन की उपयोगिता के लिए लोगों में काफी जागरूकता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एवं चेन्नई में नए भवनों में छत पर गिरने वाले वर्षा जल के संचयन का प्रावधान अनिवार्य कर दिया गया है। केन्द्रीय भूजल बोर्ड ने छत पर गिरने वाले वर्षा जल के संचयन के बारे में जन-जागरूकता पैदा करने की दृष्टि से दिल्ली, कोलकाता, भोपाल, जयपुर, भुवनेश्वर, तिरूवनन्तपुरम, बंगलौर, चेन्नई, फरीदाबाद एवं गुड़गांव में प्रशिक्षण

कार्यक्रम आयोजित किया। यह तकनीक भूजल स्तर को बढ़ाने में काफी कारगर है तथा इससे जल उपलब्धता में सुधार हुआ है।

[अनुवाद]

एल्युमीना और एल्युमीनियम का उत्पादन

1177. श्री त्रिलोचन कानूनगो: क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में एल्युमीना और एल्युमीनियम के उत्पादन का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार और राष्ट्रीय एल्युमीनियम निगम लिमिटेड द्वारा उक्त उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) देश में, एल्युमीनियम के प्राथमिक उत्पादकों का, पिछले तीन वर्षों के दौरान, एलुमिना एवं एल्युमीनियम के उत्पादन का ब्यौरा निम्नवत है:

(मीट्रिक टन में)

वर्ष	एलुमिना	एल्युमीनियम
1998-1999	1919405	545705
1999-2000	1970510	617999
2000-2001	2082208	641253

(ख) सरकार ने, एलुमिना एवं एल्युमीनियम का उत्पादन बढ़ाने के लिए, एल्युमीनियम क्षेत्र को अनिवार्य लाईसैंसिंग के प्रावधान से छूट दी है। नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड (नालको) अपनी एलुमिना शोधनशाला की क्षमता 0.8 मिलियन टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 1.575 मिलियन टन प्रतिवर्ष करने तथा अपनी प्रगालक क्षमता को मौजूदा 2,30,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 3,45,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष करने के लिए विस्तार कार्यक्रम को क्रियान्वित कर रही है।

उच्च पदों पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व

1178. श्री ए. नरेन्द्र: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में 01.01.1998 की स्थिति के अनुसार प्रथम श्रेणी (समूह 'क') में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों का प्रतिशत केवल 10.68 है (अनुसूचित जातियां 08.41 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियां 2.27 प्रतिशत) और द्वितीय श्रेणी (समूह 'ख') में यह केवल 13.20 प्रतिशत है (अनुसूचित जातियां 09.68 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियां 3.50 प्रतिशत) हैं जबकि उनके लिए निर्धारित आरक्षण कोटा 22.5 प्रतिशत (अ.जा. के लिए 15 प्रतिशत और अ.ज.जा. के लिए 7.5 प्रतिशत है);

(ख) यदि हां, तो इनके मंत्रालय के सभी (1) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों/उद्यमों (2) सांविधिक संगठनों/निगमों (3) स्वायत्तशासी संगठनों, संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में (1) प्रथम श्रेणी (समूह 'क') और (2) द्वितीय श्रेणी (समूह 'ख') और इनके समकक्ष के कुल कितने पद हैं; और

(ग) इन पदों पर (1) सामान्य, (2) अनुसूचित जातियों, (3) अनुसूचित जनजातियों, और (4) अन्य पिछड़े वर्गों के कितने व्यक्ति कार्यरत हैं और ऐसे कुल पदों की तुलना में इनका प्रतिशत कितना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सहकारी क्षेत्र के लिए शीर्ष निकाय

1179. श्री दिनशा पटेल: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सहकारी क्षेत्र के निरीक्षण और पर्यवेक्षण के लिए एक शीर्ष पर्यवेक्षणी निकाय गठित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

व्यवसाय संघ अधिनियम में संशोधन

1180. श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को व्यवसाय संघ अधिनियम में कुछ संशोधन करने हेतु आंध्र प्रदेश से कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में अब तक कोई निर्णय लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस मामले में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) से (ङ) आंध्र प्रदेश सरकार से व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 की धारा 22, में संशोधन के बारे में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था जो पदाधिकारियों के अनुपात को उद्योग से जोड़े जाने से संबंधित है। श्रम मंत्रालय, भारत सरकार ने इस प्रस्ताव के बारे में अपनी अनापत्ति दिनांक 15.10.2001 को आंध्र प्रदेश सरकार को प्रेषित कर दी है।

रंगीन वर्षा

1181. श्री सईदुज्जमा: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 5 नवम्बर, 2001 के 'टाइम्स आफ इंडिया' में 'केरल में रंगीन वर्षा जो एल्जाइमर संक्रमण की संभावना को दर्शाती है' के संबंध में प्रकाशित रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दीवाली के दौरान ऐसी वर्षा राजधानी में होने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो क्या रंगीन वर्षा के विषैलेपन अथवा सुरक्षा के संबंध में कोई विश्लेषण किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) जी, हां। भू-विज्ञान अध्ययन केन्द्र, तिरूवनंतपुरम ने केरल में हुई रंगीन वर्षा पर अध्ययन किया है तथा मत दिया है कि वर्षा का लाल रंग संभवत: आकाशीय धूल की वजह से था तथा एकत्र किए गए नमूने दर्शाते हैं कि पदार्थ मुख्यता: जैवीय है तथा इसकी पहचान फंगल स्पोरज के रूप में की गई है। भू-विज्ञान केन्द्र ने मामले की विस्तृत जांच शुरू की है।

(ग) और (घ) सरकार के ध्यान में ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है।

उड़ानों में प्रथामिक चिकित्सा सुविधाएं

1182. श्री के. येरननायडू: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स के विमानों में उड़ान के दौरान यात्रियों की मृत्यु के कुछ मामलों की सूचना मिली है;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान ऐसे कितने मामलों की सूचना मिली है; और

(ग) प्राथमिक उपचार के तरीकों के संबंध में विमान परिचारिकाओं को प्रशिक्षण देने तथा हृदय और दमा के रोगियों की देखभाल के लिए प्रत्येक उड़ान में पर्याप्त प्राथमिक चिकित्सा बाक्स उपलब्ध कराने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) जी, हां।

(ख) अक्तूबर, 2000 से अक्तूबर, 2001 के बीच इंडियन एयरलाइंस के हवाई जहाजों की उड़ानों के दौरान यात्रियों की मृत्यु के मामलों की संख्या चार हैं। ये मृत्यु के मामले किसी दुर्घटना अथवा हवाई जहाज में घटना की वजह से नहीं थे।

(ग) केबिन कर्मीदल (परिचारिकाएं/फ्लाइट स्टेवार्डस) चिकित्सा संबंधी आपातस्थितियों से निपटने के वास्ते डी.जी.सी.ए. द्वारा अनुमोदित प्रशिक्षण मैनुअलों में उल्लिखित अपेक्षाओं के अनुसार प्राथमिक चिकित्सा प्रबंध-व्यवस्था के बारे में प्रशिक्षित हैं। इस प्रकार का प्रशिक्षण सेवा में शामिल होने के प्रारंभिक समय में और नियमित सावधिक पुनश्चर्या कोर्सों के जरिए भी दिया जाता है। केबिन कर्मीदल हृदय और अस्थमा मरीजों की देखरेख के बारे में भी प्रशिक्षित होते हैं।

प्रत्येक हवाई जहाज में प्राथमिक चिकित्सा बाक्स और फिजिशियन किट (जिनका प्रयोग विमान में किसी भी अर्हताप्राप्त डाक्टर द्वारा किया जा सकता है) निर्धारित संख्या में उपलब्ध होते हैं। प्राथमिक चिकित्सा बाक्सों और फिजिशियन किट में डी.जी.सी.ए. द्वारा जारी अनुदेशों के अनुपालनार्थ अधिकांश जीवन रक्षक दवाईयां उपलब्ध होती हैं।

[हिन्दी]

नई मुआवजा नीति

1183. श्री अशोक ना. मोहोल:
श्री ए. वेंकटेश नायक:
श्री रामशेठ ठाकुर:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार किसानों के लिए नई मुआवजा नीति बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकारों से सुझाव मांगे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है और नई मुआवजा नीति को कब तक बनाए जाने और लागू किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, अभी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पर्यटक स्थलों का रख-रखाव

1184. श्री ए.के. मूर्ति: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सम्पूर्ण देश में बिना बुनियादी सुविधाओं वाले पर्यटक स्थलों के खराब रख-रखाव की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए इन पर्यटन स्थलों को धनराशि आबंटित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) और (ख) देश के पर्यटक स्थलों का बेहतर रख-रखाव आवश्यक है यह जिम्मेदारी मुख्यत: राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। तथापि, केन्द्रीय पर्यटन विभाग राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को प्रतिवर्ष पर्यटक स्थलों पर अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए उनके साथ विचार-विमर्श करके केन्द्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। धनराशि पर्यटक बंगलों, पर्यटक लाजों, यात्री निवासों तथा मार्गस्थ सुविधाओं आदि जैसी आधारभूत सुविधाओं के लिए उपलब्ध करायी जाती है।

आई.टी.डी.सी. के होटलों का स्तर बढ़ाना

1185. श्री माणिकराव होडल्या गावीत: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत दो वर्षों के दौरान आई.टी.डी.सी. के होटलों के स्तर को बढ़ा कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए काफी धनराशि खर्च की है;

(ख) यदि हां, तो होटल-वार इन होटलों पर खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन पर धनराशि खर्च करने के पश्चात्, ये होटल अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बन गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) और (ख) पिछले दो वर्षों के दौरान, भारत पर्यटन विकास निगम ने अपने मौजूदा होटलों के नवीकरण/सुधार पर 16.91 करोड़ रुपए का कुल योजनागत व्यय किया है। व्यय का होटल-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) भारत पर्यटन विकास निगम का यह प्रयास रहा है कि होटलों को प्रतिस्पर्धात्मक और अपेक्षित स्तर का रखा जा सके।

विवरण

वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान मौजूदा एककों में वृद्धि, परिवर्तन और सुधार पर हुए योजनागत व्यय का विवरण

एकक का नाम	1999-2000	2000-2001 (लाख रुपयों में)
1	2	3
मौजूदा होटलों में नवीकरण/सुधार:		
अशोक होटल	313.77	66.54
इन्द्रप्रस्थ (अशोक यात्री निवास)	35.96	21.02
जनपथ	30.98	17.05

1	2	3
कनिष्क	174.55	75.94
लोधी	0.00	9.00
कुतुब	111.27	19.15
रणजीत	30.35	3.60
सम्राट	90.00	27.91
एयरपोर्ट अशोक, कलकता	60.70	38.06
औरंगाबाद अशोक	1.22	2.09
बोधगया अशोक	7.43	0.01
कलिंग अशोक, भुवनेश्वर	12.51	21.30
पाटलिपुत्र अशोक, पटना	6.21	12.66
वाराणसी अशोक	8.47	7.51
आगरा अशोक	6.58	0.97
जयपुर अशोक	47.79	5.88
जम्मू अशोक	10.19	8.75
खजुराहो अशोक	13.67	0.39
लक्ष्मी विलास पैलेस, उदयपुर	82.10	60.66
मनाली अशोक	0.00	2.25
कोसी रेस्तरां	0.00	1.30
भरतपुर फारेस्ट लाज	8.49	1.40
अशोक बंगलौर	39.56	10.95
हसन अशोक	0.00	10.12
कोवलम अशोक बीच रिजार्ट	23.40	21.90
ललित महल पैलेस होटल, मैसूर	4.88	0.92
मदुरै अशोक	48.31	10.36
टेम्पल बे अशोक बीच रिजार्ट	47.32	17.23
जोड़	1215.71	474.92

[हिन्दी]

सरदार सरोवर बांध

1186. श्री ताराचन्द भगोरा: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरदार सरोवर बांध के लिए सभी विस्थापित व्यक्तियों को उनकी भूमि के अधिग्रहण के एवज में मुआवजा देने हेतु हाल ही में कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरदार सरोवर बांध के लिए किसानों की भूमि के अधिग्रहण के एवज में आज तक ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिन्हें किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया गया है; और

(घ) इस पर अनुमानित कितनी धनराशि खर्च की जाएगी और इस संबंध में केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के हिस्से का अनुपात कितना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) नर्मदा जल विवाद अधिकरण (एन.डब्ल्यू.डी.टी.) द्वारा सभी विस्थापित लोगों को उनकी भूमि के अधिग्रहण के एवज में मुआवजा देने से संबंधित मुद्दे पर विचार किया गया। इस अधिकरण ने 1979 को अपने अंतिम आदेश में यह निर्धारित किया कि "प्रत्येक ऐसा विस्थापित परिवार जिसकी भूमि में से 25% से अधिक भूमि का अधिग्रहण किया गया हो, वह परिवार संबंधित राज्य में निर्धारित सीमा के अधीन अधिग्रहीत की गई भूमि के बराबर सिंचाई योग्य भूमि पाने का हकदार होगा और यह उसे आवंटित की जाएगी यह प्रति परिवार न्यूनतम 2 हेक्टेयर (5 एकड़) होगी तथा सिंचाई सुविधा उस राज्य द्वारा प्रदान की जाएगी जिसके क्षेत्र में यह भूमि स्थित होगी। यह भूमि सहमत होने पर विस्थापित परिवार को हस्तांतरित कर दी जाएगी। इसका मूल्य गुजरात और संबंधित राज्य के बीच सहमति के अनुसार होगा। भूमि के लिए भुगतान किए जाने वाले मूल्य में से विस्थापित परिवार से अधिग्रहीत की गई भूमि के लिए उस परिवार को दिए जाने वाले मुआवजे के 50% के बराबर राशि को भुगतान की प्रारम्भिक किस्त के रूप में निर्धारित किया जाएगा। आवंटित भूमि की शेष लागत आवंटिती से ब्याजमुक्त 20 वार्षिक किस्तों में वसूल की जाएगी। जिन मामलों में भूमि मध्य प्रदेश अथवा महाराष्ट्र में आबंटित की गई हो वहां आवंटित भूमि के लिए सभी वसूलियां गुजरात को दी जाएंगी।"

गुजरात सरकार ने उपरोक्त मुआवजे पैकेज में और भी छूट दी है। इसके अनुसार, "भूमि प्राप्त करने वाले विस्थापित/भूमि पर कब्जा करने वाले, जिसने कि भूमि के लिए मुआवजा प्राप्त कर लिया हो, उनके पास आबंटित भूमि की लागत के लिए प्रारम्भिक

किस्त के रूप में उसके मुआवजे के 50% का अंशदान करने और भूमि की शेष लागत को ब्याजमुक्त 20 वार्षिक किस्तों में चुकाने का विकल्प होगा। यदि विस्थापित, आवंटित भूमि की लागत के लिए मुआवजे का 100% अंशदान कर देता है तो आवंटित भूमि के मूल्य और मुआवजे के बीच के अंतर को अनुग्रह-राशि माना जाएगा।''

महाराष्ट्र सरकार ने भी मुआवजा पैकेज को उदार बनाया है और अब विस्थापित को भूमि नि:शुल्क दी जा रही है।

(ग) अभी तक, 90 मीटर की ऊंचाई तक सरदार सरोवर बांध के निर्माण के कारण प्रभावित होने वाले सभी विस्थापितों को उदार पैकेजों के अनुसार मुआवजा दे दिया गया है।

(घ) सरदार सरोवर परियोजना की लागत में केन्द्र सरकार का कोई हिस्सा नहीं है। अनुमानित लागत तथा राज्य सरकारों द्वारा पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना और अब तक व्यय की गई राशि नीचे दी गई है:-

(करोड़ रुपये में)

राज्य	वर्ष 1986-87 के मूल्य स्तर के अनुसार अनुमानित लागत (परियोजना रिपोर्ट में प्रावधान)	वर्ष 1995 के मूल्य स्तर पर अनुमानित लागत	सितम्बर, 2001 को संचयी व्यय
मध्य प्रदेश	264.84	520.00	164.47
महाराष्ट्र	24.11	53.09	116.49
गुजरात	27.46	297.00	290.66
कुल	316.41	870.09	571.62

मुम्बई विमानपत्तन पर अनधिकृत ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसियां

1187. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुम्बई में छत्रपति शिवाजी विमानपत्तन के घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनलों पर अनधिकृत ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसियां कार्य कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो कर्मचारियों की सांठगांठ से इन अनधिकृत ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसियों को नियमित पास जारी कर रहा है; और

(ग) यदि हां, तो विशेषकर काठमांडू में विमान अपहरण की घटना को ध्यान में रखते हुए ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) से (ग) मुम्बई के छत्रपति शिवाजी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एयरलाइनों द्वारा स्वयं हैंडलिंग व्यवस्था के तहत निजी एजेंसियों को ग्राउंड हैंडलिंग कार्य सौंपा गया है। इस मामले की समीक्षा की गई है और यह निर्णय लिया गया है कि जब तक नए ग्राउंड हैंडलिंग विनियम अधिसूचित नहीं किए जाते तब तक उन एजेंसियं को ये सेवायें उपलब्ध कराने की अनुमति दी जाए जो भारती विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करती हैं। फोट पहचान पत्रों (पी.आई.सी.) को पी.आई.सी. समिति के अनुमोद के पश्चात् भारतीय विमानपत्तन तथा एयरलाइनों की सिफारिश प समुचित जांच-पड़ताल के बाद जारी किया जाता है। पी.आई.सं समिति ने हवाई अड्डा निदेशक, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण पुलिस उपायुक्त, हवाई अड्डा पुलिस यूनिट, क्षेत्रीय निदेशक, सुरक्ष आयुक्त, नगर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के प्रतिनिधि शामिल हैं। भारती विमानपत्तन प्राधिकरण (जनरल मैनेजमेंट ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं हेतु प्रवेश) नए विनियम, 2000 अधिसूचित किए गए हैं। इ विनियमों के अनुसार एक आपरेटर या कैरियर हवाई अड्डे प ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसिज स्वयं चला सकता है या (1) भारती विमानपत्तन प्राधिकरण, (2) दोनों राष्ट्रीय वाहक एअर इंडिया औ इंडियन एयरलाइन्स, और (3) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वा लाइसेंस प्राप्त किसी अन्य एजेंसी से ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज ले सकता है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने अन्तर्राष्ट्रीय हवा अड्डों पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने हेतु निजी कंपनि का चयन करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है।

[अनुवाद]

निजी कम्पनियों द्वारा कोयले की खोज

1188. श्री गुनीपाटी रामैया: क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड में कोयले की खोज हेतु निजी क्षेत्र की कम्पनियों से कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) इनमें से कितने आवेदन-पत्रों को अब तक स्वीकृति दी गई है और कितने लम्बित पड़े हैं;

(ग) इनके लम्बित पड़े होने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इन आवेदन-पत्रों को स्वीकृति देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पर्यटक स्थल के रूप में अंडमान और निकोबार का विकास

1189. डा. मन्दा जगन्नाथ:
श्री जी. गंगा रेड्डी:

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विदेशी और भारतीय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप का अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पर्यटक स्थलों के रूप में विकास करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) जी, हां।

(ख) विदेशी तथा स्वदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पर्यटन का विकास एवं संवर्धन करना एक निरंतर प्रक्रिया है। केन्द्रीय पर्यटन विभाग विदेश में अपने 18 कार्यालयों तथा भारत में अपने 21 कार्यालयों के माध्यम से प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया में विज्ञापन देकर, यात्रा मेलों में भाग लेकर, मीडिया एवं यात्रा एजेंटों को आमंत्रित करके तथा पर्यटन संवर्धन में सूचना प्रौद्योगिकी का व्यापक प्रयोग करके अण्डमान एवं निकोबार तथा लक्षद्वीप द्वीपसमूह में पर्यटक रुचि के स्थलों का संवर्धन कर रहा है।

इससे अलग, केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम/विश्व पर्यटन संगठन (यू.एन.डी.पी./डब्ल्यू.टी.ओ.) के सहयोग से "अण्डमान में पर्यावरण की दृष्टि से निरंतर पर्यटन हेतु रणनीति का विकास" पर एक अध्ययन किया। अण्डमान में प्रमुख महत्व की दो परिसम्पत्तियां हैं, अर्थात् बहुत उच्च स्तर के रिजार्ट विकास हेतु उपयुक्त अनेक अति मनोहर समुद्रतट तथा स्कूबा डाइविंग के लिए अच्छे अवसर। रिपोर्ट में पर्यटन के विकास हेतु 5 अंचलों को अभिनिर्धारित किया गया। होटलों एवं रिजार्टों के निर्माण हेतु निजी क्षेत्र की भागीदारी पर बल दिया जा रहा है। योजना का मूल उद्देश्य, द्वीपसमूह को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करना है।

इसी प्रकार लक्षद्वीप का एक प्रमुख पर्यटक गंतव्य के रूप में समर्थन करने के उद्देश्य से, केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने द्वीप में पर्यटन के विकास हेतु व्यापक कार्य योजना तैयार करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है। लक्षद्वीप संघ क्षेत्र प्रशासन पर्यटन हेतु अवसंरचना स्थापित करने के लिए नए द्वीप प्रारम्भ करने के लिए निजी निवेश प्राप्त करने पर भी विचार कर रहा है, क्योंकि द्वीपसमूह में विश्व स्तर की जल क्रीड़ाओं एवं सावकाश पर्यटक गंतव्य के रूप में उभरने की व्यापक संभावना है।

इसके अतिरिक्त, पर्यटन विभाग राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों को, पर्यटक केन्द्रों/स्थलों के विकास हेतु उनके परामर्श से प्रत्येक वर्ष प्राथमिकता प्रदत्त परियोजनाओं के आधार पर अनुदान सहायता प्रदान करता है।

वर्ष 2001-2002 के लिए, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप के लिए 137.00 लाख रुपयों की केन्द्रीय वित्तीय सहायता के साथ 4 परियोजनाओं को प्राथमिकता प्रदान की गई है और लक्षद्वीप के लिए 92.00 लाख रुपयों की 4 परियोजनाओं को प्राथमिकता प्रदान की गई है।

छोटे किसानों को प्रशिक्षण

1190. श्री एन.टी. षणमुगम: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में विभिन्न जलवायु की स्थिति में सफेद खुम्बी का उत्पादन करने के लिए उद्यमियों और छोटे किसानों को प्रशिक्षण देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (ग) भारत सरकार ने अक्तूबर, 2000 तक खुम्बी खेती संबंधी केन्द्रीय क्षेत्रीय स्कीम का कार्यान्वयन कर दिया था। स्कीम में गुणवत्ता वाले स्पान, पास्चरीकृत कम्पोस्ट और रख-रखाव सुविधाओं की आपूर्ति के लिए प्रावधान किया गया। स्कीम का महत्वपूर्ण घटक के रूप में देश की विभिन्न कृषि जलवायुवीय स्थितियों के अंतर्गत सफेद खुम्बियां सहित खुम्बी खेती में किसानों और उद्यमियों को प्रशिक्षण देना था। स्कीम में प्रति प्रशिक्षणार्थी 1500.00 रुपए की सहायता दी जाती थी। इस स्कीम को अब ''कार्य योजनाओं के द्वारा राज्यों के प्रयासों के कृषि संपूरण/अनुपूरण में बृहत् प्रबंधन'' केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम में सम्मिलित कर लिया गया है। इस स्कीम के द्वारा राज्य अपनी आवश्यकताओं के अनुसार प्राथमिकता निर्धारित कर सकते हैं। राज्य इस स्कीम के अंतर्गत सफेद खुम्बी सहित खुम्बी की खेती कर सकते हैं।

सरकार ''सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में समेकित बागवानी विकास के लिए प्रौद्योगिकी मिशन'' संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम भी कार्यान्वित कर रही है। समेकित खुम्बी एकक की स्थापना और खुम्बी का विकास इस स्कीम का अंग है जिसमें खुम्बी खेती के नवीनतम तकनीकियों में किसानों और उद्यमियों को प्रशिक्षण भी दिया जाता है।

इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय खुम्बी अनुसंधान केन्द्र (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्), सोलन (हिमाचल प्रदेश) विभिन्न राज्यों के उद्यमियों और छोटे किसानों के लिए नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत विभिन्न जलवायुवीय स्थितियों में सफेद खुम्बी की खेती प्रौद्योगिकी पर प्रशिक्षण दिया जाता है।

[हिन्दी]

नेपाल से आने वाला वर्षा जल

1191. **कुंवर अखिलेश सिंह:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में नेपाल से आने वाला वर्षा जल पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में बाढ़ का मुख्य कारण है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संकट से निपटने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसे कब तक तैयार कर लिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (घ) अनेक भारतीय नदियां मूल रूप से नेपाल में निकलती हैं और मानसून के दौरान उत्तर प्रदेश और बिहार के गांगेय मैदानों में बहुत सा अपवाह ले आती हैं जिससे बहुत बड़ा क्षेत्र जलमग्न हो जाता है। जल संसाधन मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, नेपाल से देश में आने वाले पानी के कारण बाढ़ आने से उत्पन्न समस्या से निपटने में राज्य सरकारों की सहायता के केन्द्रीय सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(1) गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग ने जिसकी स्थापना केन्द्रीय सरकार द्वारा 1972 में की गयी थी अब तक 23 उप-घाटियों के लिए बाढ़ नियंत्रण हेतु मास्टर प्लान तैयार किए हैं। यह प्लान कार्यान्वयन के लिए राज्यों को सौंप दिए गए हैं।

(2) नेपाल में कोसी, बागमती, कमला बलान पर भंडारण जलाशय मुहैया करने के लिए नेपाल सरकार के साथ कार्यवाही की गयी है।

(3) नेपाल को सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत, नेपाल में आने वाली नदियों पर तटबंध निर्मित करना प्राथमिकता का कार्य बना हुआ है। लालबकैया नदी पर तटबंध के निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है। लाबबकैया, कमला खांडो और बागमती नदियों पर तटबंध का निर्माण का नेपाली और भारतीय पक्षों द्वारा मिलकर किया जा रहा है।

(4) भारत और नेपाल की साझी नदियों पर ''बाढ़ संबंधी पूर्वसूचना और चेतावनी प्रणालियों'' नामक सेवा के अधीन जल मौसम वैज्ञानिक स्टेशन स्थापित करने का काम भी शुरू किया गया है।

(5) महाकाली और कोसी नदियों पर उपर्युक्त परियोजनाओं के लिए अन्तर-देशीय परामर्श भी नियोजन की काफी आगे की अवस्था में है।

(6) सही समय पर कार्यवाही करने के लिए भारत-नेपाल सीमा पर जल भराव की समस्याओं से निपटने के लिए एक स्थायी समिति का तंत्र मौजूद है।

[अनुवाद]

कमजोर वर्गों के लिए नौकरी में कोटा

1192. श्री जी.जे. जावीया: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश के कमजोर वर्गों के लिए नौकरी में कोटा उपलब्ध करा रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

कीटनाशकों से अधिक मात्रा में अवशिष्ट पदार्थों का बचना

1193. श्री सुबोध मोहिते: क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कीटनाशकों से अधिक मात्रा में अवशिष्ट पदार्थ बचने से प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों और कृषि उत्पादों का निर्यात प्रभावित हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के लिए जांच सुविधाएं स्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का विकास सुनिश्चित करने हेतु क्या उपाय किए जाएंगे?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. चमन लाल गुप्त): (क) और (ख) विशेष रूप से यूरोपीय संघ से कुछ विदेशी क्रेताओं ने कीटनाशक अवशिष्टों की अधिक मात्रा के कारण भारत के कुछ खाद्य प्रेषणों को अस्वीकार करने संबंधी सूचना दी है। कीटनाशक अवशिष्ट का स्वीकार्य स्तर विवाद का मामला है क्योंकि भारत, यूरोपीय संघ, कोडेक्स, अमेरिका तथा अन्य देशों द्वारा निर्दिष्ट स्तरों में अंतर है।

(ग) और (घ) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद पहले ही विभिन्न राज्यों में निर्यात निरीक्षण एजेंसियों की स्थापना कर चुकी है। निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम, 1963 के तहत मछली और मछली उत्पादों, दूध उत्पादों, अंडा उत्पादों तथा पशु आवरणों के निर्यातकों के लिए निर्यात से पूर्व प्री-शिपमेंट निरीक्षण एवं सर्टिफिकेशन प्राप्त करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (मपीडा) कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), काफी बोर्ड, मसाला बोर्ड, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय प्रसंस्कृत खाद्य के गुणवत्ता/सुरक्षा मानदंडों पर निगरानी रखते हैं।

(ङ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय देश में बुनियादी व्यवस्था समेत खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास और संवर्धन के वास्ते वित्तीय सहायता प्रदान करता है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, मसाला बोर्ड, काफी बोर्ड आदि जैसी अन्य एजेंसियां भी विभिन्न क्षेत्रों में खाद्य उद्योगों के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है इसके अतिरिक्त खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने के वास्ते राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण नीति के प्रारूप में विभिन्न उपाय प्रस्तावित किए हैं।

[हिन्दी]

आपदा प्रबंधन समिति

1194. श्री पी.आर. खूंटे: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आपदा प्रबंधन समिति संतोषजनक कार्य कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इसके कार्य निष्पादन की समीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (ङ) सरकार ने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आपदा-प्रबंध पर राष्ट्रीय समिति गठित की है जिसके उपाध्यक्ष श्री शरद पवार हैं। यह भी निर्णय लिया गया है कि आपदा प्रबंध योजनाओं के लिए पहले गठित की गई उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एच.पी.सी.) राष्ट्रीय समिति के कार्यकारी दल के रूप में काम करेगी। राष्ट्रीय समिति द्वारा प्राकृतिक आपदा के प्रबंध के लिए आवश्यक संस्थागत और दीर्घावधिक उपाय किए जाने की आवश्यकता है। यह कार्य प्रगति पर है।

[अनुवाद]

एन्थ्रेक्स के मामले

1195. श्री अबुल हसनत खां: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश के विभिन्न भागों में पशुओं में एन्थ्रेक्स रोग फैलने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस रोग के कारण राज्यवार कितने पशु मरे; और

(ग) इस रोग को रोकने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) पशुओं में एंथ्रेक्स की सूचना भारत में स्थानिक क्षेत्रों में कभी-कभी मिलती है। सरकार देश में पशुधन में इस रोग की उपस्थिति के बारे में पूरी तरह सजग है।

(ख) 1998, 1999 और 2000 के दौरान एंथ्रेक्स के कारण मारे गए गोपशुओं की कुल संख्या क्रमश: 144, 172 और 163 है।

(ग) अन्य देशों में एंथ्रेक्स की हाल ही की घटनाओं की रोशनी में, राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे अधिक सतर्क रहें तथा इसके नियंत्रण के लिए आवश्यक उपचारात्मक कदम उठाएं।

[हिन्दी]

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत प्रवेश द्वार शापिंग काम्प्लेक्स का निर्माण

1196. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी: क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत प्रवेश द्वार शापिंग काम्प्लेक्स का निर्माण और एम्बुलेंस सेवा शुरू करने हेतु सिफारिश को संबंधित जिला समाहर्ता रद्द कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा स्थिति का समाधान करने हेतु क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) से (ग) वर्तमान दिशा निर्देशों के अनुसार, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत शापिंग काम्प्लेक्स तथा प्रवेश द्वार के निर्माण की अनुमति नहीं है। सांसदों से प्राप्त प्रस्ताव जो स्वीकार्य नहीं होते हैं, को रियायत के लिए संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की लोकसभा एवं राज्य सभा समितियों को भेजा जाता है। माननीय सांसद, श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी से संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के लिए शापिंग केन्द्रों के निर्माण तथा प्रवेश द्वार की मरम्मत/रख-रखाव संबंधी प्रस्ताव प्राप्त होने पर उसे संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की लोक सभा एवं राज्य सभा समितियों के विचारार्थ प्रस्तुत कर दिया गया था।

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत एंबुलेंस के क्रय की अनुमति केवल सरकारी अस्पतालों तथा रेड क्रॉस रामकृष्ण मिशन आदि जैसे प्रतिष्ठित संगठनों के लिए ही है।

[अनुवाद]

बुनियादी क्षेत्रों में चल रही परियोजनाएं

1197. श्री शंकर सिंह वाघेला: क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष के दौरान आज तक बुनियादी क्षेत्रों में क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए और चल रही परियोजनाओं द्वारा कितनी वास्तविक और वित्तीय उपलब्धियां हासिल की गई;

(ख) इन परियोजनाओं के संबंध में उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार एवं वर्ष-वार कितनी धनराशि मंजूर की गई, जारी की गई एवं उपयोग की गई; और

(ग) इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) और (ख) 1 जुलाई, 2001 को केन्द्रीय क्षेत्र की 470 चालू अधिसंरचनात्मक परियोजनाओं, जिनकी प्रत्येक की लागत 20 करोड़ रुपए तथा अधिक है, के कार्यान्वयन की स्थिति, पिछले तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान परियोजनाओं के पूर्ण होने, निधियों के आबंटन तथा उपयोग के राज्यवार व वर्षवार ब्यौरे के साथ संलग्न विवरण में दी गई है

(ग) इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए किए गए उपाय निम्न हैं:-

(1) सरकार द्वारा परियोजनाओं की मासिक तथा त्रैमासिक समीक्षा;

(2) परियोजना प्राधिकारियों तथा प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा प्रगति की गहन आलोचनात्मक समीक्षा तथा विलंब को कम करने के लिए राज्य सरकारों से (भूमि अधिग्रहण तथा आधारी संरचना सुविधाओं जैसे जल एवं विद्युत का प्रावधान करने, परियोजना कार्यस्थलों पर कानून एवं व्यवस्था सुनिश्चित करने इत्यादि के लिए) परामर्शदाताओं तथा अन्य संबंधित अभिकरणों के साथ अनुवर्तन;

(3) समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों में शक्ति प्रदत्त समितियों का गठन;

(4) अंतर-मंत्रालयी प्रकृति की समस्याओं के समाधान के लिए अंतर-मंत्रालयी समन्वय;

(5) कार्यान्वयन की उन्नत अवस्था वाली परियोजनाओं को समय पर अद्यतन लागत के अनुसार वार्षिक आधार पर पर्याप्त निधियां उपलब्ध कराना;

(6) प्रभारी मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा समीक्षा।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कार्या. के अधीन परि. की कुल सं. (1.7.2001 की स्थिति के अनुसार)	पूरी की गई परि. की सं.				परिव्यय एवं व्यय (करोड़ रुपए)						2001-2002 (1.7.2001 की स्थिति के अनुसार)	
			1998-1999	1999-2000	2000-2001	2001-2002	1998-99		1999-2000		2000-2001			
							परिव्यय	व्यय	परिव्यय	व्यय	परिव्यय	व्यय	परिव्यय	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	आंध्र प्रदेश	39	6	3	7	1	1288.25	1173.18	1345.86	816.00	1261.19	1089.08	1607.68	296.60
2.	अरुणाचल प्रदेश	2	-	-	-	-	160.00	113.54	163.00	165.07	193.88	208.63	184.42	42.60
3.	असम	13	6	2	2	1	1119.90	736.07	557.86	659.68	609.00	558.46	681.85	206.97
4.	बिहार	24	5	1	4	-	507.09	314.67	681.00	492.49	592.01	630.74	585.09	132.71
5.	गोवा	5	-	-	-	-	0.70	0.69	19.50	10.85	15.85	7.51	17.16	1.60
6.	गुजरात	24	3	8	6	1	1500.43	1364.50	619.51	954.46	677.23	389.77	329.73	244.39
7.	हरियाणा	3	2	1	2	-	582.71	409.04	376.29	306.71	921.00	52.37	974.95	14.20
8.	हिमाचल प्रदेश	2	-	-	-	-	1018.00	671.86	1115.33	956.46	1315.00	1059.46	1229.88	207.17
9.	जम्मू एवं कश्मीर	4	-	1	-	-	609.30	375.97	445.78	373.47	454.95	476.24	573.58	98.86
10.	कर्नाटक	14	2	4	3	-	378.84	277.62	384.82	260.11	154.44	118.87	185.43	16.07
11.	केरल	5	1	5	3	1	918.29	871.18	351.68	350.59	68.00	107.23	140.00	11.03
12.	मध्य प्रदेश	24	3	4	8	1	1490.40	1139.05	1397.87	1197.87	504.37	403.85	537.78	27.69
13.	महाराष्ट्र	63	11	19	11	1	2347.17	2098.57	1420.95	1205.12	1627.44	1075.07	1472.64	234.85
14.	मणिपुर	2	-	-	-	-	-	-	1.00	2.22	25.00	6.06	20.00	1.07
15.	मेघालय	1	-	-	-	-	-	-	-	-	15.00	17.61	29.00	0.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16.	मिजोरम	1	–	–	–	–	42.00	2.85	59.00	4.48	90.00	14.20	60.00	1.83
17.	नगालैंड	–	–	–	1	–	90.00	100.27	110.00	131.53	–	–	–	–
18.	उड़ीसा	27	1	4	1	1	888.28	624.00	1422.38	1265.77	1999.29	1318.89	992.73	451.44
19.	पंजाब	7	–	–	–	1	66.00	75.51	84.28	61.89	39.00	19.54	83.77	27.89
20.	राजस्थान	8	1	–	1	–	350.50	341.81	328.69	245.75	45.45	44.70	47.40	10.60
21.	सिक्किम	1	–	1	–	–	94.32	69.20	–	–	30.00	126.66	189.90	29.02
22.	तमिलनाडु	39	4	4	2	–	1133.77	1395.01	1534.03	1216.48	1424.78	1519.73	1846.16	372.95
23.	त्रिपुरा	2	1	–	1	–	27.59	14.76	43.15	20.84	40.00	46.51	45.00	6.29
24.	उत्तर प्रदेश	25	2	6	5	–	1467.57	1391.35	529.65	445.73	284.06	232.00	188.88	48.81
25.	पश्चिम बंगाल	39	2	4	–	3	591.88	417.61	431.53	346.98	753.37	694.81	561.92	150.72
26.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	1	–	–	–	–	8.00	3.58	9.50	7.40	18.33	14.58	18.30	0.00
27.	दिल्ली	11	–	2	1	–	404.44	141.26	482.54	231.99	812.77	224.98	1676.35	283.54
28.	छत्तीसगढ़		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.17
29.	झारखण्ड	7	–	–	1	–	75.95	52.20	98.36	48.48	75.04	77.08	19.50	28.42
30.	उत्तरांचल	4	–	–	–	–	429.62	344.26	745.00	585.59	1269.04	732.12	1880.76	56.46
31.	बहुराज्यीय	72	13	9	6	5	2357.77	1437.36	2719.71	2311.41	2087.25	2235.15	3361.18	545.34
	अखिल भारतीय	470	63	78	65	16	19948.77	15956.99	17478.27	14675.42	17402.74	13501.90	19541.04	3549.50

राष्ट्रीय सहकारिता विकास अधिनियम

1198. श्री ए. कृष्णास्वामी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय सहकारिता विकास अधिनियम में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 1995 जो राज्य सभा में लम्बित है, में उल्लिखित किए गए अनुसार राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम, 1962 में संशोधन करने का निर्णय लिया है।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के सापेक्ष सहकारिता क्षेत्र के निम्नलिखित दो प्रमुख मांगों को पूरा करने के लिए संशोधन का प्रस्ताव किया गया है:-

(1) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा सहकारी समितियों को सरकार की गारंटी के बिना ही प्रत्यक्ष ऋण प्रदान करना; और

(2) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा सहायता के उद्देश्य से पशुधन, मात्स्यिकी, औद्योगिक, माल सस्य-वानिकी रेशम कीट पालन और संबद्ध क्रियाकलापों को शामिल करना।

राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम

1199. श्री के.ई. कृष्णमूर्ति: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम के कार्यकरण के बारे में कोई विश्लेषण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे;

(ग) क्या सरकार की जमा प्रतिभूति योजना या जमा बीमा योजना शुरू करने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इस संबंध में कोई निवेदन प्राप्त हुआ है; और

(च) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की कार्य-प्रणाली पर दो अध्ययन कराये गये हैं।

संगठन तथा प्रबंध से संबंधित पहला अध्ययन भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद द्वारा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को आई.डी.ए. (अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी) ऋण के लिये विश्व बैंक की अपेक्षा पूरी करने के लिये 1994 में कराया गया था।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के पुनरुद्धार के लिये भारत सरकार द्वारा नियुक्त किये गये विशेषज्ञ समूह द्वारा दूसरा अध्ययन 1998 में कराया गया था। इन अध्ययनों के निष्कर्ष प्रस्तावों के निरूपण और मूल्यांकन परियोजनाओं की समीक्षा तथा प्रबोधन राज्य मध्यस्थता बनाम प्रत्यक्ष ऋण, कोष के स्रोत, सूचना प्रणाली, मानव संसाधन प्रबंधन, संगठनात्मक संरचना और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के पुनरुद्धार से संबंधित है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) जमा पूंजी बीमा तथा ऋण गारंटी निगम के कार्याधिकार क्षेत्र के तहत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की कार्य प्रणाली/कार्य प्रक्रिया का नहीं होना इसका कारण है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

बासमती के उत्पादन हेतु मानदंड

1200. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नए मानक/दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं कि बासमती केवल पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के निर्धारित क्षेत्रों में ही कानूनी रूप से उगाई जा सकती है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा निर्धारित नए मानक मानदंडों से अन्य क्षेत्रों को छोड़ने के क्या कारण हैं और इससे क्या लाभ हैं;

(ग) नई नीति पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने वाले अन्य राज्यों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार अन्य राज्यों में किसानों के हितों की रक्षा करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

मंत्री द्वारा विदेश दौरा

1201. श्री उत्तमराव पाटील: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान मंत्री ने कितने देशों का दौरा किया और किए गए समझौतों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) विदेश दौरों पर कितनी राशि व्यय की गई और इससे देश को क्या लाभ हुआ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) 1.4.1999 से 1.3.2001 तक की अवधि की सूचना नीचे दी गई है:-

क्रम सं.	मंत्री का नाम और दौरे की अवधि	जिस देश का दौरा किया उसका नाम	दौरे का कुल व्यय	दौरे का उद्देश्य तथा उससे देश को हुए लाभ, इत्यादि
1.	डा. सी.पी. ठाकुर जल संसाधन मंत्री 19-22 मार्च, 2000	हेग, नीदरलैंड	लगभग 2.01 लाख रुपए	डच सरकार के आमंत्रण पर मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लिया तथा विश्व जल संकल्पना और कार्रवाई के फ्रेमवर्क पर भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जोकि जल के महत्व और घोषणा के मसौदे पर इसके भावी विकास और विचार-विमर्श पर प्रकाश डालता है। सम्मेलन के अंत में मंत्रियों की एक घोषणा जारी की गई और किसी भी समझौते पर हस्ताक्षर करने की योजना नहीं थी।
2.	श्रीमती विजया चक्रवर्ती, जल संसाधन राज्य मंत्री 17-19 मार्च 2000	हेग, नीदरलैंड	लगभग 2.22 लाख रुपए	द्वितीय विश्व जल मंच बैठकों के दौरान लिंग (जेन्डर) मुद्दों और जल उपयोग प्रबन्धन संबंधी विचार-विमर्श में भाग लिया। भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया और राजनैतिक स्तर पर सूचना का आदान-प्रदान किया।
3.	डा. सी.पी. ठाकुर जल संसाधन मंत्री 26-29 मार्च, 2000	जेनेवा स्विट्जरलैंड	सम्पूर्ण व्यय आयोजक द्वारा वहन किया गया।	विश्व स्वास्थ्य संगठन की पी.डी.टी. बैठक में भाग लेने के लिए अपने स्तर से गए।
4.	श्रीमती विजया चक्रवर्ती, जल संसाधन राज्य मंत्री 25-29 सितम्बर 2000	बंगलादेश	लगभग 72,000/- रुपए	बंग्लादेश के प्रधानमंत्री और बंग्लादेश के जल संसाधन मंत्री से औपचारिक भेंट के अतिरिक्त ब्रह्मपुत्र डेल्टा, बंग्लादेश में आर्सेनिक से प्रभावित क्षेत्रों और ब्रह्मपुत्र पर जमुना सेतु के भ्रमण के लिए बंग्लादेश सरकार के आमंत्रण पर बंग्लादेश का सद्भावना दौरा। यह दौरा देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करने की दिशा में एक सफल मिशन था।
5.	श्री अर्जुन चरण सेठी, जल संसाधन मंत्री 10-14 जनवरी 2001	बंगलादेश	लगभग 72,000/- रुपए	दोनों देशों के बीच दिनांक 24.11.1972 के समझौते के अनुसरण में भारतीय शिष्टमण्डल के नेता के रूप में ढाका में भारत-बंगलादेश संयुक्त नदी आयोग की 34वीं बैठक में भाग लेने के लिए। गंगा नदी के जल के बंटवारे, तीस्ता नदी के जल के बंटवारे सीमावर्ती नदियों की समस्याओं, बंगलादेश में गंगा बैराज के निर्माण और आर्सेनिक समस्या इत्यादि पर विचार-विमर्श हुए।

गुजरात में राहत कार्य

1202. श्री राधा मोहन सिंह:
श्री हरिभाई चौधरी:
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात के भूकम्प प्रभावित प्रत्येक गांव में राहत कार्य समुचित रूप से शुरू किया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(घ) राज्य सरकार के पुनर्वास कार्य पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या बचाऊ के निकट श्यामा ख्याली गांव के आसपास के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में कोई पुनर्वास योजना शुरू की गई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार ने राज्य में प्रत्येक दिन लगातार महसूस किए जा रहे भूकंप के झटकों से सुरक्षा प्रदान करने हेतु उपाय किए हैं;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (च) भूकंप सहित इस प्राकृतिक आपदा की स्थिति में राहत और पुनर्वास संबंधी उपाय करने की सर्वप्रथम जिम्मेदारी गुजरात सरकार की है। भूकंप से प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए इस राज्य सरकार ने विभिन्न उपाय किये हैं जिनमें अंजर, बचाऊ, भुज और रापड़ कस्बों में दिए गए पैकेजेस, स्वरोजगार में संलग्न कारीगरों, व्यापार, सेवा क्षेत्रों और औद्योगिक इकाईयों के लिए दिए जाने वाले पैकेजेज, विरासत और पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण भवनों के जीर्णोद्धार, पिंजरापोल्स और गौशालाओं, स्थायी शैडों के निर्माण और शैक्षणिक संस्थानों के पुनर्निर्माण जैसे कार्य शामिल हैं। सूचना मिली है कि राज्य सरकार ने आपदा शमन योजना तैयार करने का निर्णय लिया है ताकि भविष्य में प्राकृतिक आपदाओं से कारगर ढंग से निपटा जा सके।

(छ) से (झ) इस संबंध में गुजरात सरकार द्वारा आवश्यक कदम उठाये जाने हैं।

[अनुवाद]

कोपरा की खरीद

1203. श्री के. मुरलीधरन:
श्री रमेश चेन्नितला:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नैफेड) को नारियल उत्पादक किसानों से कोपरा खरीदने हेतु केरल सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि मंजूर की गई हैं;

(ङ) क्या केरल सरकार कोपरा भंडारण हेतु गोदाम सुविधाएं प्रदान कर रही हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) जी, हां। केरल सरकार ने केरल में किसानों से मूल्य समर्थन स्कीम के अंतर्गत कोपरे की खरीद करने का अनुरोध किया है।

(ग) और (घ) मूल्य समर्थन स्कीम के अंतर्गत कोपरे खरीद संबंधी प्रचालनों को शुरू करने के लिए भारत सरकार ने आवश्यकतानुसार भारतीय स्टेट बैंक को सरकारी गारन्टी दी है और वर्तमान वर्ष के दौरान 292.10 करोड़ रुपए की राशि भी निर्मुक्त की है। नैफेड ने खरीद संबंधी कार्य करने के लिए राज्य की नामित एजेन्सियों को पहले ही निर्देश दे दिए हैं।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

कर्नाटक में सिंचाई परियोजनाएं

1204. श्री आर.एस. पाटिल:
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक सरकार द्वारा प्राथमिकता के आधार पर शुरू की गई सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस पर कुल कितना अनुमानित व्यय होने की संभावना है;

(ग) इसमें केन्द्र का कितना हिस्सा है;

(घ) इसके अंतर्गत कुल कितने भूमि क्षेत्र को शामिल किए जाने की संभावना है; और

(ङ) इन परियोजनाओं को कब तक शुरू कर दिये जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) कर्नाटक ऊपरी कृष्णा चरण-1, चरण-2, मलप्रभा, हिरेहल्ला, घटप्रभा, करंजा और गंडोरीनाला नामक 7 वृहद और मध्यम परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.वी.पी.) में शामिल किया गया है।

(ख) इन 7 परियोजनाओं की नवीनतम अनुमानित लागत 10861.22 करोड़ रुपये है।

(ग) ए.आई.वी.पी. के तहत केन्द्रीय ऋण सहायता (सी.एल.ए.) 2:1 (केन्द्र:राज्य) के अनुपात में मुहैया कराई जाती है।

(घ) इन परियोजनाओं की चरण क्षमता 1070 हजार हेक्टे. है।

(ङ) इन परियोजनाओं का पूरा होना राज्य योजना परिव्यय में पर्याप्त बजट के प्रावधान पर आधारित है।

[हिन्दी]

बिहार में जानवरों के लिए चारा और औषधियां

1205. श्रीमती रेनु कुमारी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार सरकार ने जानवरों के लिए चारा और औषधियों हेतु केन्द्रीय सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) से (ग) बिहार सरकार ने पशुओं के लिए चारा और औषधियों हेतु केन्द्रीय सहायता के लिए कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है। तदनुसार, इसके लिए बिहार सरकार को कोई सहायता नहीं दी गई है। तथापि, खुरपका तथा मुंहपका रोग के टीके की खरीद के लिए बिहार सरकार को 2001-2002 के दौरान 25 लाख रुपए की राशि का पुनर्वैधीकरण किया गया है।

एस.ई.सी.एल. द्वारा अस्पतालों का निर्माण

1206. श्री पुन्नू लाल मोहले: क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एस.ई.सी.एल.) द्वारा बिलासपुर में निर्मित अस्पताल अपोलो द्वारा चलाया जाता है और इसे एक रुपए प्रति वर्ष की दर से किराए पर अपोलो संस्थान को दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में हस्ताक्षर किए गए अनुबंध का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोयला खानों द्वारा की जा रही पर्यावरणीय क्षति के शिकार इस क्षेत्र के लोगों को इस अस्पताल में चिकित्सा सुविधा हेतु कोई रियायत नहीं दी जा रही है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं कि स्थानीय लोगों को इस अस्पताल में रियायती दर पर चिकित्सा प्रदान की जाए?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) और (ख) जैसाकि साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (एस.ई.सी.एल.) (अनुज्ञप्तिदाता) ने सूचित किया है, एस.ई.सी.एल. द्वारा बिलासपुर में निर्मित "मल्टी-स्पेशियलिटी" अस्पताल को चलाने के लिए मेसर्स अपोलो हास्पिटल्स इन्टरप्राइजेज लिमिटेड (अनुज्ञप्तिधारी) के साथ कुछ शर्तों और अनुबंधों पर जो निम्नानुसार है, एक समझौता किया है:-

1. अनुज्ञप्तिदाता को पहले तीन वर्षों के लिए लाइसेंस फीस के रूप में 1/- रु. प्रतिमाह टोकन राशि के तौर पर अदा करना अथवा यदि पहले 3 वर्षों के भीतर

अनुज्ञप्तिधारी के इस प्रभाग को संचयी शुद्ध लाभ होता है तो अनुज्ञप्तिदाता को पहले तीन वर्षों के शुद्ध लाभ का 1/3 भाग लाइसेंस फीस के रूप में अदा करना।

2. अनुज्ञप्तिदाता को चौथे वर्ष के लिए अस्पताल के भवन के लाइसैंस फीस के रूप में 21.52 प्रति वर्ग मीटर अर्थात् (2 रु. प्रति वर्ग फुट) प्रति माह की दर से अथवा अनुज्ञप्तिधारी को अस्पताल के इस प्रभाग के प्रचालन से प्राप्त शुद्ध लाभ का 1/3 भाग, जो भी अधिक हो, अदा करना।

3. अनुज्ञप्तिदाता को पांचवें वर्ष के लिए अस्पताल के भवन में लाइसेंस फीस के रूप में 32.28 रु. प्रति वर्ग मीटर (अर्थात् 3 रु. प्रति वर्ग फुट) प्रति माह की दर से अथवा अनुज्ञप्तिधारी को अस्पताल के इस प्रभाग के प्रचालन से प्राप्त शुद्ध लाभ का 1/3 भाग, जो भी अधिक हो, अदा करना।

4. अनुज्ञप्तिदाता को 6ठे वर्ष और उससे आगे अस्पताल के भवन में लाइसेंस फीस के रूप में 43.04 रु. प्रति वर्ग मीटर (अर्थात् 4 रु. प्रति वर्ग फुट) प्रति माह की दर से अथवा अनुज्ञप्तिधारी को अस्पताल के इस प्रभाग के प्रचालन से प्राप्त शुद्ध लाभ का 1/3 भाग, जो भी अधिक हो, अदा करना।

5. ऊपर (1) से (4) तक में यथासंगणित राशि के अलावा, अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्तिदाता को पहले वर्ष तथा उससे आगे अर्थात् प्रभावी तारीख से उक्त भूमि 5142.47 वर्ग मीटर (अर्थात् 55,333 वर्ग फुट) पर निर्मित आवासीय क्षेत्र के लिए 21.52 रु. प्रति वर्ग मीटर (अर्थात् 2 रु. प्रति वर्ग फुट) प्रतिमाह की दर से संगणित राशि की भी अदायगी करेगा।

6. लाइसेंस फीस की अदायगी के अतिरिक्त अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दूसरे रोगियों से समय-समय पर वास्तव में वसूली गई राशि पर 22.5% की छूट भी देगा जिसमें सभी निदानात्मक सेवाएं शामिल होंगी तथा कमरों का किराया दूसरे पेशेवर/परामर्शी सेवाओं के प्रभार पर जो आमतौर पर अन्य रोगियों से वसूले जाते हैं 10% की छूट देगा, तथापि दवाइयों, सामग्रियों और उपभोज्य पदार्थों पर कोई छूट नहीं दी जाएगी।

7. उपर्युक्त छूट सभी स्थायी कर्मचारियों और उनके आश्रितों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों तथा उनके पति/पत्नी को, जिन्हें अनुज्ञप्तिदाता के चिकित्सा सेवाओं के प्रमुख अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा भेजा जाता हो, प्राप्त होगी।

8. ऐसी छूट कोल इंडिया लि. और दूसरी सहायक कम्पनियों के चिकित्सा सेवाओं के प्रमुख अथवा उसके प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा भेजे गए मामलों में भी सीधे भुगतान पर उपलब्ध होगी।

(ग) से (ङ) लाइसेंस समझौते में क्षेत्र के लोगों के चिकित्सा उपचार में कोई रियायत देने का कोई दूसरा प्रावधान नहीं है।

[अनुवाद]

मक्के की खेती

1207. श्री वीरेन्द्र कुमार: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मक्के की खेती के लिए क्षेत्र विस्तार करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और क्या योजना बनाई गई हैं; और

(ग) इसके लिए कितनी केन्द्रीय सहायता निर्धारित की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) भारत सरकार मक्का के अंतर्गत क्षेत्र कवरेज के लक्ष्य निर्धारित नहीं करती। तद्नुसार, 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मक्का की खेती के तहत क्षेत्र में वृद्धि का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, 10वीं योजना अवधि में प्रस्तावित मक्का उत्पादन का लक्ष्य, राज्य-वार तथा वर्ष-वार संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में मक्का विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए 120.00 करोड़ रुपये की राशि का प्रस्ताव किया गया है। तथापि, इस पर अभी स्वीकृति/अन्तिम निर्णय लिया जाना है।

विवरण

10वीं पंचवर्षीय योजना के लिए मक्का उत्पादन के राज्यवार और वर्षवार लक्ष्य

(मक्का उत्पादन में लक्ष्य लाख मी. टन में)

		2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
1.	आंध्र प्रदेश	13.845	14.399	14.975	15.649	16.431
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.485	0.500	0.510	0.515	0.520
3.	असम	0.151	0.158	0.164	0.171	0.180
4.	बिहार	11.268	11.515	11.857	12.424	12.937
5.	छत्तीसगढ़	4.126	4.291	4.463	4.664	4.897
6.	गुजरात	6.782	7.053	7.335	7.665	8.048
7.	हरियाणा	0.433	0.450	0.468	0.489	0.513
8.	हिमाचल प्रदेश	7.571	7.874	8.189	8.558	8.985
9.	जम्मू एवं कश्मीर	5.408	5.624	5.849	6.113	6.418
10.	झारखण्ड	4.900	5.300	5.630	5.850	6.250
11.	मध्य प्रदेश	7.663	7.97	8.289	8.661	9.095
12.	कर्नाटक	15.683	16.311	16.963	17.726	18.612
13.	महाराष्ट्र	5.246	5.456	5.674	5.929	6.226
14.	मणिपुर	0.270	0.281	0.292	0.306	0.321
15.	मेघालय	0.216	0.225	0.234	0.244	0.257
16.	मिजोरम	0.110	0.114	0.119	0.124	0.131
17.	नागालैंड	0.325	0.338	0.351	0.367	0.385
18.	उड़ीसा	0.854	0.888	0.924	0.966	1.015
19.	पंजाब	3.677	3.825	3.978	4.156	4.364
20.	राजस्थान	10.059	10.461	10.880	11.369	11.938
21.	सिक्किम	0.617	0.641	0.667	0.697	0.732
22.	तमिलनाडु	2.109	2.193	2.281	2.384	2.503
23.	त्रिपुरा	0.022	0.022	0.023	0.024	0.026
24.	उत्तर प्रदेश	13.520	13.985	14.491	15.140	15.768
25.	उत्तरांचल	2.500	2.680	2.850	3.000	3.300
26.	पश्चिम बंगाल	1.136	1.181	1.228	1.284	1.348
	अखिल भारत	118.976	123.735	128.684	134.475	141.200

अधिकतम जीविकोपार्जन प्रदान करने वाले उद्योगों की पहचान

1208. श्री दिनेश चन्द्र यादव:
श्री रामजीलाल सुमन:

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में अधिकतम लोगों को जीविकोपार्जन प्रदान करने वाले पांच उद्योगों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक उद्योग में कार्यरत कर्मचारियों का प्रतिशत क्या है; और

(घ) वे कौन-से उद्योग हैं जहां नौवें दशक में कर्मचारियों की संख्या में गिरावट आई है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) से (ग) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा रोजगार एवं बेरोजगारी पर 1993-94 तथा 1999-2000 के दौरान किए गए सर्वेक्षणों के अनुसार सामान्य प्रमुख एवं गौण स्थिति दृष्टिकोण (यूपीएसएस) के अनुसार कामगारों का उद्योगवार वितरण (कामगारों की संख्या तथा योग को प्रतिशतता के संदर्भ में) संलग्न विवरण में दिया गया है। सर्वेक्षण के परिणामों से पता चलता है कि कृषि विनिर्माण, व्यापार एवं समुदाय, सामाजिक एवं व्यक्तिगत सेवाएं ऐसे क्षेत्र हैं जो देश की जनता को पर्याप्त रोजगार उपलब्ध कराते हैं।

(घ) वर्ष 1994-2000 के दौरान जिन क्षेत्रों में रोजगार अवसरों में गिरावट दर्ज की गई, वें हैं कृषि, खनन एवं उत्खनन, विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति एवं सामुदायिक, सामाजिक व व्यक्तिगत सेवा क्षेत्र।

विवरण

उद्योग	नियोजित कामगार* 1993-94		नियोजित कामगार* 1999-2000	
	(मिलियन)	योग की प्रतिशतता	(मिलियन)	योग की प्रतिशतता
कृषि	242.64	64.8	237.56	59.8
खनन एवं उत्खनन	2.62	0.7	2.27	0.6
विनिर्माण	39.32	10.5	48.01	12.1
विद्युत, गैस एवं जल आपूर्ति	1.5	0.4	1.28	0.3
निर्माण	11.61	3.1	17.62	4.4
व्यापार	27.71	7.4	37.32	9.4
परिवहन, भंडारण एवं संचार	10.48	2.8	14.69	3.7
वित्तीय सेवाएं	3.37	0.9	0.05	1.3
सामुदायिक, सामाजिक एवं व्यक्तिगत सेवाएं	35.2	9.4	33.2	8.4
कुल रोजगार	374.45	100	397	100

*सामान्य, प्रमुख एवं गौण स्थिति दृष्टिकोण (यूपीएसएस) के अनुसार।

नागर विमानन सुरक्षा सप्ताह का मनाया जाना

1209. डा. विजय कुमार मल्होत्रा: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में 30 अक्तूबर से 4 नवम्बर, 2001 तक नागर विमानन सुरक्षा सप्ताह मनाया गया; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भारतीय विमानों में यात्रा करने वाले यात्रियों की सुरक्षा हेतु क्या सुरक्षा उपाय अपनाये जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) और (ख) दिनांक 29 अक्तूबर से 2 नवम्बर, 2001 तक नागर विमानन सुरक्षा सप्ताह मनाया गया जिससे कर्मचारियों और यात्रियों में अपनी भूमिका को ठीक तरह से निभाने और अपना हरसंभव सहयोग देने के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाए और साथ ही साथ सभी अभिकरणों के लिए नागर विमानन सुरक्षा को मजबूत और पूरी तरह सुरक्षित बनाने के लिए समयबद्ध कार्य योजनाएं बनाई जा सकें।

और बातों के साथ-साथ हवाई अड्डों पर सुरक्षा को और भी ज्यादा सुदृढ़ करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं-

(1) सूचीबद्ध घरेलू उड़ानों के सभी मार्गों (रूटों) पर आवश्यकता अनुसार स्काई मार्शलों को नियुक्त करना,

(2) सभी प्रचालनात्मक हवाई अड्डों पर समयबद्ध रूप में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल नियुक्त करना,

(3) प्रमुख हवाई अड्डों पर तीव्र प्रतिक्रिया टीमों की नियुक्ति करना, और

(4) यात्रियों और उनके हाथ वाले सामान की सीढ़ियों पर चढ़ते समय सुरक्षा जांच अनिवार्य करना।

[हिन्दी]

सतना हवाई अड्डे के निकट अतिक्रमण

1210. श्री रामानन्द सिंह: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने सतना हवाई अड्डे के निकट बाई-पास निर्माण हेतु मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग को अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सतना हवाई अड्डे के कुल क्षेत्र को दो भागों में बांट दिया गया है और हवाई अड्डे की भूमि पर भी अतिक्रमण जारी है;

(घ) सतना हवाई अड्डे का कुल क्षेत्रफल कितना है और अब तक कितने क्षेत्र पर अतिक्रमण हुआ है; और

(ङ) इस प्रस्तावित बाई-पास द्वारा हवाई अड्डे के कुल कितने क्षेत्र को शामिल किया जाना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) से (ङ) मध्य प्रदेश सरकार ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से कोई अनुमति प्राप्त किए बिना ही भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की जमीन पर से रनवे पट्टी के परे रनवे 29 के पास से एक बाई पास सड़क का निर्माण शुरू कर दिया था। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के हस्तक्षेप के बाद सड़क का निर्माण कार्य रोक दिया गया है। राज्य सरकार चाहती थी कि उनको सतना हवाई अड्डा सौंप दिया जाए। भा.वि.प्रा. ने राज्य सरकार को हवाई अड्डा को सौंपे जाने संबंधी शर्तें बताते हुए एक पत्र लिख दिया है। सतना हवाई अड्डे का कुल क्षेत्रफल 451.93 एकड़ का है और अतिक्रमण की गई भूमि 150 एकड़ है। बाई पास के अधीन आने वाला क्षेत्र 17 एकड़ है।

[अनुवाद]

पर्यटन विकास हेतु धनराशि

1211. श्री किरीट सोमैया:
श्री राम सिंह कस्वां:
योगी आदित्यनाथ:
श्री बीर सिंह महतो:
श्री अब्दुल रशीद शाहीन:

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौवीं योजनावधि के दौरान विभिन्न राज्यों में विशेषकर राजस्थान, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और जम्मू और कश्मीर में पर्यटन स्थलों के विकास हेतु राज्य-वार और पर्यटन स्थल-वार आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त योजनावधि के दौरान राज्य-वार क्या उपलब्धियां रहीं और प्रत्येक परियोजना पर कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ग) इन राज्यों द्वारा प्रस्तुत पर्यटन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और वर्ष 2000 और 2001 के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा कितनी परियोजनाएं स्वीकृति की गई और उनके लिए राज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित एवं चल रही पर्यटन परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) प्रत्येक परियोजना को कब तक पूरा कर लिए जाने की सम्भावना है और इस पर अनुमानत: कितनी राशि व्यय होगी?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) और (ख) पर्यटन विभाग, भारत सरकार देश में अवसंरचना का विकास और पर्यटन का संवर्धन करने के लिए प्रति वर्ष विभिन्न परियोजनाओं हेतु राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को उनसे विचार-विमर्श करके केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है। नौवीं योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान 309.43 करोड़ रुपए राशि की 1359 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई तथा 116.84 करोड़ रुपए रिलीज किए गए। नौवीं योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान राजस्थान, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, जम्मू और कश्मीर सहित राज्य-वार स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या, स्वीकृत राशि को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) पर्यटन विभाग, भारत सरकार ने संलग्न विवरण में दिए गए ब्यौरों के अनुसार वर्ष 2000-2001 के दौरान 77.10 करोड़ रुपए राशि की 338 परियोजनाएं स्वीकृत की हैं।

(घ) और (ङ) उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 2000-2001 के दौरान स्वीकृत परियोजनाएं पूर्णता के विभिन्न चरणों में हैं। परियोजनाएं केन्द्रीय वित्तीय सहायता के दिशा-निर्देशों के अनुसार, 30 महीनों की अनुबंधित समयावधि के अन्दर राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा पूरी की जानी चाहिए।

विवरण

वर्ष 1997-98, 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं, स्वीकृत तथा रिलीज राशि को दर्शाने वाला विवरण (मेले और उत्सवों सहित सभी परियोजनाएं)

(लाख रुपयों में)

क्र. सं.	राज्य	1997-98			1998-99			1999-2000			2000-2001*		
		स्वीकृत परियोजनाओं की सं.	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि	स्वीकृत परियोजनाओं की सं.	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि	स्वीकृत परियोजनाओं की सं.	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि	स्वीकृत परियोजनाओं की सं.	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	12	206.70	69.70	10	244.08	87.85	14	222.22	60.48	7	141.00	42.30
2.	असम	14	288.88	94.20	15	457.95	146.14	17	357.28	92.76	12	298.35	101.27
3.	अरुणाचल प्रदेश	9	271.00	82.50	6	216.31	65.55	11	239.28	70.20	8	90.00	26.94
4.	बिहार	11	234.07	88.37	11	237.29	96.19	5	89.71	21.00	10	314.96	94.47
5.	छत्तीसगढ़	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	115.28	36.75
6.	गोवा	8	144.62	56.76	14	324.98	147.67	11	279.82	70.08	9	89.54	27.91
7.	गुजरात	7	111.84	41.90	15	439.57	125.84	19	327.64	102.42	19	510.85	122.96
8.	हरियाणा	6	98.62	66.27	13	348.15	196.45	9	238.33	136.90	6	112.63	46.86
9.	हिमाचल प्रदेश	5	119.00	65.50	10	318.00	174.50	17	691.79	353.55	16	340.54	107.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10.	जम्मू एवं कश्मीर	10	293.35	198.45	6	192.85	108.00	16	306.43	176.38	11	419.93	161.8
11.	झारखण्ड	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	206.49	161.8
12.	कर्नाटक	13	407.48	168.74	38	890.70	335.02	19	489.30	147.37	19	489.30	147.3
13.	केरल	11	282.00	150.00	13	653.05	187.95	19	772.28	240.31	7	407.85	122.6
14.	मध्य प्रदेश	9	131.85	55.37	18	471.01	244.29	16	431.08	156.54	12	243.21	76.2
15.	महाराष्ट्र	12	169.84	50.14	18	496.27	208.50	30	1003.69	212.98	8	185.43	70.8
16.	मणिपुर	5	186.10	56.35	8	140.49	41.40	10	229.00	70.10	18	782.77	235.8
17.	मेघालय	5	97.70	30.55	5	120.48	37.50	6	80.72	20.26	5	105.59	36.1
18.	मिजोरम	6	142.45	82.72	8	203.74	137.95	13	297.23	157.08	13	309.19	95.2
19.	नागालैंड	3	113.90	93.36	11	230.54	97.60	16	302.90	179.89	8	156.53	53.0
20.	उड़ीसा	28	552.05	180.00	6	178.60	56.30	19	301.90	88.44	5	201.94	60.5
21.	पंजाब	6	52.87	15.72	7	241.29	220.15	8	175.00	57.50	6	203.50	59.0
22.	राजस्थान	14	137.33	77.25	22	436.28	151.70	12	131.22	36.59	22	455.00	143.4
23.	सिक्किम	11	73.20	42.70	15	136.03	61.42	13	118.98	43.57	33	376.49	127.4
24.	तमिलनाडु	7	59.74	22.86	17	316.20	163.85	27	531.95	141.87	8	113.83	37.3
25.	त्रिपुरा	8	126.68	83.04	9	169.21	105.50	7	340.76	117.31	13	333.23	104.2
26.	उत्तरांचल	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7	70.19	29.7
27.	उत्तर प्रदेश	13	221.10	81.07	33	789.55	423.61	36	749.58	222.56	16	149.21	44.7
28.	पश्चिम बंगाल	7	125.76	35.00	12	211.13	108.12	6	194.08	12.72	20	412.68	115.4
29.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1	60.00	60.00	4	162.50	49.50	1	32.37	16.18	1	1.78	0.9
30.	चंडीगढ़	–	–	–	3	54.23	50.82	4	68.44	15.37	5	22.13	6.5
31.	दादर व नगर हवेली	1	520	2.7	2	20.00	6.00	1	30.00	9.00	1	8.00	2.4
32.	दिल्ली	8	229.86	150.86	13	223.89	104.43	5	24.50	12.20	1	16.28	8.1
33.	दमन व दीव	4	60.17	17.25	–	–	–	–	–	–	–	–	
34.	लक्षद्वीप	1	5.00	2.50	1	29.00	13.80	–	–	–	–	–	
35.	पांडिचेरी	4	35.64	12.83	2	15.00	12.00	10	163.89	53.45	3	26.18	9.2
	जोड़	259	5044.00	2234.56	365	8967.97	3935.60	397	9221.37	3094.99	338	7709.88	2419.2

स्वीकृत परियोजनाओं की सं. – 1359

स्वीकृत राशि – 30943.22 लाख रुपए

अवमुक्त राशि – 11684.21 लाख रुपए

भूमिहीन किसान

1212. डा. रामकृष्ण कुसमरिया:
श्रीमती जयश्री बैनर्जी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार देश में भूमिहीन किसानों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने इन भूमिहीन किसानों के हितों की रक्षा हेतु कोई योजना बनाई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त योजना को कब तक क्रियान्वित कर दिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) कृषि संगणना 1990-91 के अनुसार भूमिहीन किसानों (पूर्णतया पट्टे पर दी गई भूमि पर खेती करने वाले प्रचालन जोत धारक और पूर्णतया अन्यथा प्रचालित भूमि) की राज्यवार संख्या दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) सरकार कई रोजगार सृजन स्कीमें जैसे सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना और पनधारा विकास कार्यक्रम जैसे एकीकृत पनधारा विकास परियोजना, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरूभमि विकास कार्यक्रम कार्यान्वित करती है, जो भूमिहीन किसानों सहित ग्रामीण गरीबों के लाभ के लिए तैयार किए गए हैं।

विवरण

कृषि संगणना, 1990-91 के अनुसार देश में भूमिहीन कृषकों की राज्यवार संख्या

(आंकड़े हजार में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पूर्णतया पट्टे पर दी गई जोत (संख्या)	पूर्णतया अन्यथा प्रचालित जोत (संख्या)	कुल (कालम (3)+(4)) (संख्या)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	4	18	22
2.	असम	67	27	94
3.	बिहार*	18	23	41
4.	गुजरात	2	4	6
5.	हरियाणा	46	6	52
6.	हिमाचल प्रदेश	14	2	16
7.	जम्मू एवं कश्मीर	12	149	161
8.	कर्नाटक	–	नगण्य	नगण्य
9.	केरल	2	25	27
10.	मध्य प्रदेश@	14	160	174
11.	महाराष्ट्र	8	15	23
12.	मणिपुर	8	नगण्य	8

1	2	3	4	5
13.	मेघालय	9	9	18
14.	नागालैंड	3	–	3
15.	उड़ीसा	10	22	32
16.	पंजाब	10	–	10
17.	राजस्थान	7	44	51
18.	सिक्किम	7	नगण्य	7
19.	तमिलनाडु	33	11	44
20.	त्रिपुरा	3	64	67
21.	उत्तर प्रदेश#	56	44	100
22.	पश्चिम बंगाल	105	36	141
23.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	नगण्य	नगण्य	नगण्य
24.	अरुणाचल प्रदेश	नगण्य	–	नगण्य
25.	चण्डीगढ़	नगण्य	नगण्य	नगण्य
26.	दादर व नगर हवेली	–	–	–
27.	दिल्ली	–	–	–
28.	गोवा	23	4	27
29.	लक्षद्वीप	–	–	–
30.	मिजोरम	–	–	–
31.	पाण्डिचेरी	3	नगण्य	3
32.	दमन व दीव	नगण्य	नगण्य	नगण्य
	योग	465	663	1128

पूर्णांक बनाने के कारण योग न मिलने की संभावना है।

* झारखण्ड शामिल है।

@ छत्तीसगढ़ शामिल है।

\# उत्तरांचल शामिल है।

हवाई अड्डों से यात्रियों को ले जाने हेतु ठेका

1213. श्री गंता श्रीनिवास राव:
श्री गुनीपाटी रामैया:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यात्रियों को उनके संबंधित गंतव्य तक ले जाने हेतु कुछ हवाई अड्डों से वाहनों का प्रबंध किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य हेतु ठेका किसी निजी कंपनी को दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) यात्रियों को उनके गंतव्य स्थान तक ले जाने के लिए कोई वाहन नहीं प्रदान किया जाता। तथापि, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए ए आई) द्वारा दिल्ली एवं मुम्बई हवाई अड्डों से कुछ सीमित गंतव्य स्थानों के लिए कोच सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

(ख) और (ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने निम्नलिखित हवाई अड्डों पर कोच सेवाएं प्रदान करने के लिए ठेका दिया है।

मुम्बई एयरपोर्ट:—मैसर्स इंटर सिटी कोच सर्विसिज, मैसर्स अकबर ट्रैवल्स तथा मां ट्रैवल्स को ठेका दिया गया है।

दिल्ली हवाई अड्डा:—मैसर्स इंदो केनेडियन ट्रांसपोर्ट कंपनी को ठेका दिया गया।

इसके अतिरिक्त, मुम्बई एवं दिल्ली में इंडियन एयरलाइन्स एवं जेट एयरवेज द्वारा प्रदत्त सुविधाओं के अतिरिक्त यात्रियों को अंतर टर्मिनल कोच सेवाएं नि:शुल्क प्रदान की जाती हैं। दिल्ली हवाई अड्डा से आई.एस.बी.टी. एवं कनाट प्लेस के लिए तथा कोलकाता एयरपोर्ट से सिटी के लिए सिटी कोच सेवाएं भी ई ए टी एस एवं निजी प्रचालकों के साथ ठेके के माध्यम से प्रदान की जाती है।

ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं को पट्टे पर दिया जाना

1214. **श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:**
श्री के.पी. सिंह देव:
श्री चन्द्रनाथ सिंह:
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:
श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार:
श्री थावरचन्द गेहलोत:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश के कुछ अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों को कुछ निजी पार्टियों को आधुनिकीकरण/उन्नयन और ग्राउण्ड हैंडलिंग सेवाओं के लिए पट्टे पर देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ चयनित विमानपत्तन कौन-कौन से हैं; और

(ग) उन्हें पट्टे पर दिए जाने की शर्तों का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) और (ख) यह निर्णय लिया गया है कि जैसे ही उपयुक्त पाया जाएगा, त्योंहि दीर्घकालिक पट्टे के माध्यम से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए.ए.आई.) के हवाई अड्डों की पुनर्संरचना की जाएगी। इस समय, दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई और कोलकाता स्थित हवाई अड्डों को इस उद्देश्य के लिए चुना गया है। वे सेवाएं जिन्हें भावी पट्टेधारियों को सौंपा जाना है, इनमें एयर ट्रैफिक सर्विसेज भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पास ही रहेंगी और सीमा शुल्क, इमीग्रेशन सुरक्षा, लोक स्वास्थ्य सेवाएं इत्यादि भी सरकार के अंतर्गत कार्य करती रहेंगी।

(ग) लीजिंग प्रक्रिया के लिए नियुक्त किए गए वित्तीय एवं कानूनी सलाहकारों के परामर्श से ही लीजिंग प्रक्रिया के विस्तृत नियमों एवं शर्तों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

[हिन्दी]

पशुधन विकास के लिए प्रौद्योगिकी मिशन

1215. **श्री कांतिलाल भूरिया:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार आदिवासी क्षेत्रों में पशुधन के विकास के लिए प्रौद्योगिकी मिशन आरंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के कितने जिले शामिल किए गए हैं;

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी निधियां आवंटित की गई हैं; और

(घ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) पशुधन विकास के लिए राज्य सरकार के प्रयासों को पूरा करने के लिए पुशपालन और डेयरी विभाग अनेक केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं चलाता है। ऐसी योजनाओं में राज्य सरकारें भाग ले सकती हैं ताकि संबंधित राज्यों की आदिवासी जनता को लाभ पहुंच सके।

[अनुवाद]

गन्ना अनुसंधान केन्द्र

1216. **श्रीमती जयश्री बैनर्जी:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में गन्ना अनुसंधान केन्द्रों का स्थानवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा इन केन्द्रों के लिए कितना आवंटन किया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने गन्ने से संबंधित अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के तहत मध्य प्रदेश में सिहोर में एक केन्द्र उपलब्ध कराया है।

(ख) सिहोर केन्द्र को वर्ष 1998-99 से 2000-2001 के दौरान किए गए आवंटन का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(रुपये लाख में)

1998-99	1999-2000	2000-01
6.96	9.90	18.87

नाकोदा कोयला खान

1217. श्री नरेश पुगलिया: क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. के प्रबन्धन द्वारा चन्द्रपुर (महाराष्ट्र) जिले के वानी क्षेत्र की नाकोदा कोयला खान को अचानक बन्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. का प्रबन्धन कोयले की चोरी मे संलिप्त है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस मामले की जांच को कोल इंडिया लिमिटेड के अलावा किसी अन्य स्वतंत्र एजेन्सी से करवाने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) और (ख) वानी क्षेत्र की नकोडा भूमिगत कोयला खान को अचानक बन्द नहीं किया गया है। नकोडा यू.जी. खान के खदान क्षेत्र फॉल्ट, डाइक के बहुत पास तक पहुंच गए थे और फॉल्ट के दूसरी ओर पानी से भरी खदानों से खतरा प्रतीत हो रहा था। खनन क्षेत्र, अंततः भू-खनन परिस्थितियों के कारण खाली हो गया था और खान अत्यन्त घाटे में चल रही थी। इसे बन्द किए जाने पर अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व इस मामले पर वानी क्षेत्र तथा कम्पनी मुख्यालय में विभिन्न मंचों पर चर्चा हुई थी।

नकोडा इन्कलाइन के सभी कामगारों को उसी क्षेत्र/समीपवर्ती क्षेत्रों की अन्य खानों में लाभकारी रूप में पुनर्नियोजित कर दिया गया है। उन्हें अन्य कल्याणकारी सुविधाओं जैसे स्कूलिंग, चिकित्सा आदि के साथ-साथ अपने विद्यमान रिहायशी मकानों में ही रहने की अनुमति दी गई है। अपने नए कार्य स्थल पर जाने के लिए उन्हें परिवहन सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) से (च) प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

बाढ़ और चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण संबंधी कार्य

1218. श्री प्रभात सामन्तराय:
श्री के.पी. सिंह देव:
श्रीमती कुमुदिनी पटनायक:
श्री अनन्त नायक:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चक्रवात, सूखा और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में विशेषकर उड़ीसा में पुनर्निर्माण और पुनर्वास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो प्रभावित परिवारों का पुनर्वास करने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1999-2000 और 2000-01 के दौरान इन क्षेत्रों में इस कार्य पर कितनी राशि व्यय की गई है;

(घ) क्या केन्द्रीय दल ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है और अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(च) प्रभावित परिवारों का पर्याप्त रूप से पुनर्वास कब तक किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (च) उड़ीसा में बाढ़ों और चक्रवातों (प्रचण्ड चक्रवात सहित) से प्रभावित क्षेत्रों में अन्तर-मंत्रालयीय केन्द्रीय दल ने दिसम्बर, 1999 में दौरा किया। केन्द्रीय दल की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए राज्य को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से 828.15 करोड़ रुपए की सहायता निर्मुक्त की गई। यह राशि वर्ष 1999-2000 के लिए आपदा राहत कोष (सी.आर.एफ.) की केन्द्रीय अंशपूंजी से निर्मुक्त 42.50 करोड़ रुपए की राशि से अतिरिक्त थी।

मूल स्तर पर राहत सामग्री का वितरण करने और आवश्यक राहत एवं पुनर्वास उपाय करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। उपलब्ध सूचना के अनुसार राज्य सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में पुनर्वास उपाय किए हैं जिसमें क्षतिग्रस्त स्कूल भवनों का पुन: निर्माण, क्षतिग्रस्त मकानों का पुनर्निर्माण, बहु-उद्देश्यी चक्रवात आश्रय स्थलों का निर्माण, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का सुधार, सड़कों का निर्माण और जल आपूर्ति स्कीम का विकास करना शामिल है।

राज्य सरकार द्वारा 1999-2000 और 2000-2001 में हुए व्यय के विवरण और संभावित समय, जिसमें पुनर्वास प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, नहीं दर्शाया गया है।

[हिन्दी]

कृषि विज्ञान केन्द्र

1219. **श्री विजय कुमार खंडेलवाल:**
श्री शिवराज सिंह चौहान:
श्रीमती शीला गौतम:
श्री जयभान सिंह पवैया:
श्री राजैया मल्याला:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार वर्ष 2001-2002 और 2002-2003 के दौरान और कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार वर्तमान कृषि विज्ञान केन्द्रों के सुचारू कार्यकरण को सुनिश्चित करने के मद्देनजर राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है;

(घ) यदि हां, तो उक्त प्रयोजनार्थ निधियों के आबंटन के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार और वर्षवार स्वीकृत/आवंटित और वास्तविक रूप से जारी की गई राशि का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने वर्ष 2001-2002 से 2002-2003 के दौरान और अधिक कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने के लिए 66 जिलों की पहचान की है। इनका ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) और (घ) परिषद् राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (एस.ए.यू.), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के संस्थानों, गैर-सरकारी संगठनों, अन्य शैक्षिक संस्थाओं के अलावा कुछ राज्य सरकारों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अंतर्गत स्थापित वर्तमान कृषि विज्ञान केन्द्रों को पूरी वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

इस प्रकार की सहायता के मापदण्ड में विकास की अवस्था, किये गए कार्यकलापों और लेखा परीक्षा उपयोग प्रमाण-पत्र का प्रस्तुतीकरण शामिल है।

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान (1998-99 से 2000-2001) कृषि विज्ञान केन्द्रों को 145.49 करोड़ रुपये रिलीज किए गए। इसका ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

नये कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने के लिए पहचाने गए जिलों की सूची

राज्य	जिले
1	2
असम	1. डिब्रूगढ़ 2. बारपेटा 3. नलबाड़ी 4. सिबसागर 5. बोंगईगांव 6. उत्तरी कछार पहाड़ियां
आंध्र प्रदेश	7. कृष्णा
अरुणाचल प्रदेश	8. निचली सुबानसिरी 9. पश्चिमी कमांग 10. लोहित 11. तिराप
बिहार	12. मधेपुरा 13. सारण 14. गोपालगंज 15. रोहतास 16. खगड़िया
छत्तीसगढ़	17. कवरडाह 18. जशपुर

1	2
दादर व नगर हवेली	19. सिल्वासा
हरियाणा	20. सिरसा 21. भिवानी 22. महेन्द्रगढ़ 23. रोहतक 24. पंचकुला 25. झज्जर 26. फतेहाबाद
हिमाचल प्रदेश	27. कांगड़ा
जम्मू एवं कश्मीर	28. बड़गाम 29. श्रीनगर 30. राजौरी 31. डोडा
झारखंड	32. पलामू
मध्य प्रदेश	33. बेतूल 34. धार 35. पन्ना 36. सिहोरे 37. नीमच 38. नरसिंहपुर
महाराष्ट्र	39. हिंगोली 40. नंदरूबार 41. बांद्रा
मणिपुर	42. बिशनुपुर 43. सेनापति
मेघालय	44. पश्चिमी खासी पहाड़ियां 45. पूर्वी खासी पहाड़ियां 46. पूर्वी गारो पहाड़ियां 47. जयन्तिया पहाड़ियां 48. रि-भोई
मिजोरम	49. चिम्तुईपूई
नागालैण्ड	50. फेक 51. मोकोकचुंग
उड़ीसा	52. झाड़सुगुड़ा 53. देवगढ़ 54. जाजपुर
सिक्किम	55. उत्तर 56. दक्षिण 57. पश्चिमी
तमिलनाडु	58. पेराम्बलूर 59. तिरूवरूर
त्रिपुरा	60. उत्तरी त्रिपुरा 61. धलाई
उत्तर प्रदेश	62. बागपत 63. बुलन्दशहर 64. गाजीपुर 65. प्रतापगढ़ 66. उन्नाव

विवरण-II

पिछले तीन सालों के दौरान कृषि विज्ञान केन्द्रों को आबंटित/रिलीज की गई राशि

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कृ.वि. केन्द्रों की सं.	1998-99	1999-2000	2000-2001	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	1	27.29	30.90	32.55	90.74
2.	आंध्र प्रदेश	16	220.68	282.86	312.41	815.95
3.	अरुणाचल प्रदेश	1	32.00	15.40	20.20	67.60
4.	असम	4	160.00	89.60	131.60	381.20
5.	बिहार	16	183.17	210.37	300.24	693.78
6.	छत्तीसगढ़	4	40.08	67.64	61.35	169.07
7.	दिल्ली	1	24.42	27.85	25.34	77.61
8.	गोवा	1	19.16	19.38	17.10	55.64
9.	गुजरात	10	144.25	164.47	151.35	460.07

1	2	3	4	5	6	7
10.	हरियाणा	12	235.06	296.30	267.80	799.16
11.	हिमाचल प्रदेश	8	209.12	265.15	211.89	686.16
12.	जम्मू एवं कश्मीर	4	71.73	91.11	70.12	232.96
13.	झारखंड	5	71.67	69.81	87.08	228.56
14.	कर्नाटक	11	176.43	167.68	175.59	519.70
15.	केरल	9	144.29	138.56	147.65	430.50
16.	लक्षद्वीप	1	7.32	12.99	11.50	31.81
17.	मध्य प्रदेश	16	199.62	248.64	304.07	752.33
18.	महाराष्ट्र	23	442.19	373.48	381.86	1197.53
19.	मणिपुर	1	36.00	43.40	41.10	120.50
20.	मेघालय	1	36.00	39.30	56.20	131.50
21.	मिजोरम	2	68.00	22.65	55.40	146.05
22.	नागालैंड	1	32.00	22.40	29.10	83.50
23.	उड़ीसा	12	180.10	214.36	205.195	599.655
24.	पाण्डिचेरी	2	21.16	24.50	26.25	71.91
25.	पंजाब	10	218.24	229.99	212.51	660.74
26.	राजस्थान	31	562.90	623.63	667.48	1854.01
27.	सिक्किम	1	32.00	47.40	56.10	135.50
28.	तमिलनाडु	16	201.40	203.00	232.87	637.27
29.	त्रिपुरा	2	75.00	73.85	59.80	208.65
30.	उत्तर प्रदेश	28	458.42	444.66	586.11	1489.19
31.	उत्तरांचल	2	34.24	23.10	45.90	103.24
32.	पश्चिम बंगाल	9	208.78	182.88	225.75	617.41
	कुल	261	4572.72	4767.31	5209.465	14549.495

[अनुवाद]

निजी और सरकारी कोयला खानें

1220. श्री प्रहलाद सिंह पटेल: क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में निजी और सरकारी क्षेत्र की अलग-अलग कितनी कोयला खानें कार्यरत हैं;

(ख) क्या निजी स्वामित्व के अंतर्गत और कोल इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत खानों के सुरक्षा नियमों में भिन्नताएं हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त राज्यों की निजी कोयला खानों से परिवहन और सुरक्षा के संबंध में शिकायतें मिली हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश में पृथक रूप से वर्तमान में कार्यरत निजी तथा सार्वजनिक कोयला खानों की संख्या नीचे दी गई है:-

राज्य	सार्वजनिक क्षेत्र की कोयला कंपनियां/सी.आई.एल. की खानें	निजी कोयला खानें
मध्य प्रदेश	76	-
छत्तीसगढ़	56	1

निजी क्षेत्र में, जिन्दल स्टील एण्ड पावर लिमिटेड ने छत्तीसगढ़ में मांड रायगढ़ कोयला क्षेत्र के गारे पालमा 4/1 कोयला ब्लाक में कोयला खान आरम्भ किया था। यद्यपि छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश में अनुमोदित अंतिम उपयोगों के लिए गृहीत खनन हेतु कई पार्टियों को कोयला ब्लाक आवंटित किए गए थे, परन्तु खानें अभी तक कार्यशील नहीं हुई हैं क्योंकि कुछ मामलों में अंतिम उपयोग संयंत्रों को अभी स्थापित किया जाना है और कुछ अन्य में खनन पट्टे प्राप्त किए जाने हेतु कंपनियों/पार्टियों के साथ प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं को भी अभी पूरा किया जाना है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। कोयला खनन में सुरक्षा से सम्बन्धित सभी नियम सार्वजनिक क्षेत्र की कोयला खानों तथा निजी क्षेत्र की कोयला खानों में समान रूप से लागू होते हैं।

(घ) उपर्युक्त राज्यों की निजी कोयला खानों से परिवहन तथा सुरक्षा के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) और (च) भाग (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के लिए निधियां जारी करना

1221. श्री के. बलराम कृष्णमूर्ति:
श्री के.ई. कृष्णमूर्ति:
श्री जी.एस. बसवराज:
श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:
श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने आंध्र प्रदेश और कर्नाटक को इन राज्यों में सूखे की स्थिति के मद्देनजर निधियां जारी कर दी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने कर्नाटक को इस बात से अवगत करा दिया है कि जब तक सूखा राहत कार्यों के लिए प्रदान की गई सहायता की पहली किस्त का पूरा उपयोग नहीं किया जाता है तब तक अगली किस्त जारी नहीं की जाएगी;

(घ) यदि हां, तो पहली किस्त में कितनी सहायता प्रदान की गई है;

(ङ) क्या कर्नाटक सरकार ने उपयोगिता प्रमाण-पत्र को पहले ही प्रस्तुत कर दिया है;

(च) यदि हां, तो दूसरी किस्त को कब तक जारी किए जाने की संभावना है;

(छ) क्या दोनों ही राज्य सरकारों ने प्रभावित लोगों के लिए अतिरिक्त चावल के आबंटन की मांग की है;

(ज) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(झ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आंध्र प्रदेश का महबूबनगर जिला पिछले दो वर्षों से गम्भीर सूखे का सामना कर रहा है; और

(ञ) यदि हां, तो उन्हें पम्प सेट आदि जैसी कौन-कौन सी सुविधाएं प्रदान की गई हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) वर्ष 2001-2002 में आपदा राहत कोष में से सम्पूर्ण केन्द्रीय अंश के रूप में 155.97 करोड़ रुपये आंध्र प्रदेश को और 58.72 करोड़ रुपये कर्नाटक को जारी कर दिये गये हैं ताकि सूखे सहित किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं के आने पर तत्काल राहत कार्य शुरू किये जा सकें।

(ग) और (घ) सूखे की स्थिति में आपदा राहत कोष से सहायता दिये जाने के लिए कर्नाटक सरकार से प्राप्त अनुरोध पर विचार किया गया और आपदा राहत कोष में से दी गयी राशि का कुछ अंश उक्त राज्य सरकार के पास बची रहने के कारण यह निर्णय लिया गया कि सबसे पहले आपदा राहत कोष में बची राशि का उपयोग किया जायेगा तत्पश्चात् स्थिति पर पुन: विचार किया जायेगा। राज्य सरकार को यथोचित सूचना दे दी गयी।

(ङ) और (च) वर्ष 2001-2002 में आपदा राहत कोष में से केन्द्रीय अंश की द्वितीय किस्त 29.36 करोड़ रुपये की राशि सूखे को देखते हुए राज्य सरकार को अग्रिम तौर से जारी कर दी गयी थी।

(छ) और (ज) ''काम के बदले अनाज'' कार्यक्रम के अंतर्गत आंध्र प्रदेश को 6 लाख मीटरी टन और कर्नाटक को 1 लाख मीटरी टन खाद्यान्न का मुफ्त आवंटन किया गया है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के लिए प्रतिमाह 2.45 लाख मीटरी टन चावल को बी.पी.एल. दर पर आबंटित किया गया है।

(झ) और (ञ) आंध्र प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि 1999-2000 और 2001-02 के दौरान महबूबनगर के 64 मण्डलों को सूखा प्रभावित घोषित किया गया था। राज्य सरकार के अनुसार कई राहत कार्य किये गये थे जिसके तहत किसानों के लिए पंपसेट्स भी लगाये गये थे।

नहरों को नदियों से जोड़ना

1222. श्री सुशील कुमार शिंदे:
श्री के.पी. सिंह देव:
श्रीमती रेणूका चौधरी:
श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास नहरों को नदियों से जोड़ने और देश की कतिपय नदियों को आपस में जोड़ने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कृष्णा और महानदी को, गोदावरी और कावेरी को वैगई से जोड़ने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) इस प्रयोजनार्थ क्या विशिष्ट कार्यक्रम तैयार किया गया है और इस पर अनुमानत: कितना व्यय होने की संभावना है; और

(घ) इस कार्य को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (घ) सिंचाई मंत्रालय (अब जल संसाधन मंत्रालय) और केन्द्रीय जल आयोग ने जल संसाधनों के विकास की एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की है जिसमें जल संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए इस समय अधिशेष जल के रूप में आंके गए बेसिनों से जल की कमी वाले बेसिनों में जल का हस्तांतरण करने के लिए विभिन्न प्रायद्वीपीय नदियों और हिमालयी नदियों को परस्पर जोड़ने की योजना है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के जल-संतुलन और अन्य अध्ययन करने के लिए जुलाई, 1982 में राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की एक स्वायत्त सोसायटी के रूप में स्थापना की है। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के प्राय द्वीपीय घटक के अंतर्गत, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और वेगई नदियों को परस्पर जोड़ने की योजना है। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने सभी संपर्क प्रस्तावों के जल संतुलन और व्यवहार्यता पूर्व अध्ययन पूरे कर लिए हैं और व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए 30 संपर्क अभिज्ञात किए हैं। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के प्रस्तावित अभिज्ञात संपर्कों की अनन्तिम अनुमानित लागत (1995-96 के मूल्य स्तर पर) 3,30,000 करोड़ रुपये है। ऐसे जल हस्तांतरण संपर्क प्रस्तावों का कार्यान्वयन बेसिन राज्यों के बीच प्रस्तावित हस्तांतरण, विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करने और निधियों की उपलब्धता संबंधी विभिन्न तत्वों के संबंध में आम सहमति होने पर निर्भर करता है।

[हिन्दी]

सरसों का उत्पादन

1223. श्रीमती जस कौर मीणा: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में सरसों के तेल का राज्यवार कुल उत्पादन और वार्षिक खपत कितनी रही;

(ख) क्या पिछले कुछ महीनों से सरसों के तेल के उत्पादन में वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) सरसों का तेल मुख्यत: निष्कासक (एक्सपैलर) पद्धति द्वारा निकाला जाता है और सरसों के बीज की पेराई लघु कुटीर क्षेत्रों के लिए आरक्षित है। देश में पिछले तीन वर्षों में सरसों के तेल का राज्यवार कुल उत्पादन संलग्न विवरण में दिया गया है। सरसों के तेल के राज्यवार खपत के आंकड़े नहीं रखे गए हैं।

(ख) और (ग) सरसों के तेल सहित खाद्य तेलों का उत्पादन देश में विभिन्न वार्षिक तिलहनों के उत्पादन पर निर्भर करता है। वर्ष 1999-2000 में तोरिया सरसों का उत्पादन 5958.2 हजार मी. टन हुआ था और उस वर्ष इसकी इस मात्रा से 18.12 लाख मीट्रिक टन सरसों का तेल निकाला गया। उत्पादन वार्षिक आधार पर आकलित किया जाता है। पिछले कुछ महीनों से सरसों के तेल के उत्पादन में वृद्धि और कमी के बारे में विश्वसनीय आकलन निकालना कठिन है।

विवरण

सरसों के तेल का राज्यवार वार्षिक उत्पादन

(लाख मी. टन)

राज्य	1997-98	1998-99	1999-2000
राजस्थान	6.79	7.69	8.22
उत्तर प्रदेश	2.20	2.73	3.38
मध्य प्रदेश	1.30	1.77	2.08
हरियाणा	1.15	1.86	1.83
गुजरात	1.09	1.46	0.93
पश्चिम बंगाल	0.78	0.78	0.78
असम	0.47	0.43	0.40
बिहार	0.28	0.31	0.31
पंजाब	0.19	0.22	0.19
कुल	14.25	17.25	18.12

[अनुवाद]

राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक कोष

1224. श्री कालवा श्रीनिवासुलु:
कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी:
श्री मोहन रावले:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल के वर्षों में आपदा राहत कोष और आपदा राहत के लिए राष्ट्रीय कोष से हजारों करोड़ रुपये का व्यय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे वांछित उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या अधिकतर राज्यों ने आपदा राहत कोष की स्थापना नहीं की है और इस योजना के अंतर्गत परिकल्पित संस्थागत व्यवस्था की स्थापना न करने के कारण उन्होंने केन्द्र सरकार से प्राप्त निधियों को अपने राजस्व में जमा कर दिया है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार राज्य सरकारों द्वारा आपदा राहत कोष के प्रयोग और इसकी निगरानी के लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या आंध्र प्रदेश ने सूखा राहत उपायों के लिए राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक कोष से वित्तीय सहायता के लिए निवेदन किया है;

(ज) यदि हां, तो कितनी राशि जारी की गई है;

(झ) राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक कोष को शासित करने वाले मार्गनिर्देश क्या हैं; और

(ञ) चालू वर्ष में इस कोष से जिन-जिन राज्यों को सहायता प्रदान की गई उनका ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) कुछ राज्यों ने आवश्यकता के अनुसार आपदा राहत कोष की स्थापना नहीं की है।

(ङ) और (च) सरकार ऐसे राज्यों के साथ मामले का अनुसरण कर रही है। तथापि, आपदा राहत कोष/राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष से सहायता के लिए व्यय की मदें तथा प्रतिमान विनिर्दिष्ट किये गये हैं।

(छ) और (ज) सूखे की स्थिति में एन.सी.सी.एफ. से सहायता के लिये आंध्र प्रदेश सरकार के अनुरोध पर विचार किया गया था और आपदा राहत कोष के तहत राज्य सरकार को उपलब्ध शेष धनराशि को ध्यान में रखते हुये यह निर्णय लिया गया कि शुरूआत में आपदा राहत कोष के तहत कोष का उपयोग किया जाये और स्थिति की समीक्षा बाद में की जाये। राज्य सरकार को उचित तरीके से सूचित किया गया था। एतद्पश्चात्, राज्य सरकार ने 77.985 करोड़ रु. की केन्द्रीय अंश की दूसरी किश्त की अग्रिम निर्मुक्ति का अनुरोध किया और इसे निर्मुक्त कर दिया गया।

(झ) वर्ष 2000-05 की अवधि के लिए राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष के गठन और प्रशासन संबंधी स्कीम को शासित करने वाले दिशानिर्देश 15 दिसम्बर, 2002 को जारी किये गये थे।

(ञ) वर्ष 2001-02 के दौरान (अब तक) एन.सी.सी.एफ. से जारी की गई सहायता का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

(रुपये करोड़ में)

आंध्र प्रदेश	10.00
छत्तीसगढ़	42.88
गुजरात	994.37
जम्मू एवं कश्मीर	23.20
हिमाचल प्रदेश	43.98
मध्य प्रदेश	22.72
उड़ीसा	114.62
राजस्थान	28.97

[हिन्दी]

बासमती चावल की नई किस्म का विकास

1225. डा. बलिराम: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली ने शंकर बासमती चावल की नई किस्म का विकास किया है; और

(ख) यदि हां, तो किसानों को कब तक और किन-किन स्थानों में उक्त किस्म के बीज उपलब्ध करवाए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी हां। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली ने पूसा आर.एच.-10 नामक बासमती चावल की एक नई शंकर किस्म विकसित की है।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का अधिदेश प्रजनक बीज का उत्पादन करना है। यह कार्य पहले से ही चल रहा है। प्रजनक बीज का इस्तेमाल 'फाउंडेशन सीड'' के उत्पादन के लिए किया जाता है जोकि किसानों को वाणिज्यिक खेती के लिए उपलब्ध कराने से पहले प्रमाणिक बीज के उत्पादन के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। आशा है कि बीज उत्पादन करने वाली सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र की एजेंसियों द्वारा किसानों को उपलब्ध कराने से पहले प्रजनक बीज का उपयोग 'फाउंडेशन सीड' के उत्पादन के लिए किया जाएगा। आशा है कि वर्ष 2003-04 में यह बीज व्यापक स्तर पर खेती के लिए किसानों को उपलब्ध होंगे।

[अनुवाद]

भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान

1226. श्री तरित बरण तोपदार: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंचवर्षीय समीक्षा दल द्वारा 1987 से भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर के कार्यनिष्पादन की समीक्षा नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या संस्थान द्वारा पंचवर्षीय समीक्षा दल की सिफारिशों और भारतीय और कृषि अनुसंधान परिषद् के निदेशों के विपरीत पशमीना उत्पादन और भैंस सुधार से संबंधित दो परियोजनाओं को करोड़ों रुपये के अपव्यय के बावजूद भी चलाया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन दोनों मुद्दों पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी नहीं, वर्ष 1988 से भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के कार्यनिष्पादन की समीक्षा करने के लिए पंचवर्षीय समीक्षा दल का पहले ही गठन किया जा चुका है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) पंचवर्षीय समीक्षा दल द्वारा कार्यनिष्पादन की समीक्षा की जा चुकी है तथा प्रारूप रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए पशमीना बकरियों का राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना में उपयोग किया जा रहा है तथा भैंसों के झुण्ड का भी भैंसों के नेटवर्क में उपयोग किया जा रहा है।

[हिन्दी]

कृषि उत्पाद का समर्थन मूल्य

1227. श्री नंदकुमार सिंह चौहान: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) समर्थन मूल्य पर कृषि उत्पाद की खरीद की क्या प्रक्रिया है;

(ख) कृषि उत्पाद खरीद की प्रक्रिया में सरकार और राज्य सरकारों को कितना घाटा हुआ; और

(ग) उन राज्यों में क्या कदम उठाये गये हैं जहां राज्य सरकारें नियमित रूप से समर्थन मूल्य पर कृषि उत्पादों की खरीद नहीं करती हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) सरकार प्रत्येक मौसम में अच्छी औसत किस्म की मुख्य कृषि जिंसों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा करती है और भारतीय खाद्य निगम, भारतीय कपास निगम, भारतीय पटसन निगम, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और तम्बाकू बोर्ड जैसी सार्वजनिक और सहकारी एजेन्सियों तथा इसके अलावा राज्य सरकारों द्वारा नामजद अन्य एजेन्सियों के माध्यम से क्रय कार्य करती है।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) मंडी मूल्यों के सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्यों से नीचे गिरने पर केन्द्रीय नामजद एजेन्सियों को मूल्य समर्थन कार्य करने के लिए मंडी में हस्तक्षेप करना होता है। सरकार अनाजों की खरीद के लिए विकेन्द्रीकृत खरीद स्कीम अपनाने के लिए राज्य सरकारों को बढ़ावा भी दे रही है ताकि स्थानीय किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना सुनिश्चित हो सके।

[अनुवाद]

नेशनल एल्यूमीनियम कम्पनी की उपलब्धियां

1228. श्री के.पी. सिंह देव: क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान नेशनल एल्यूमीनियम कम्पनी की उपलब्धियों का वास्तविक और वित्तीय, रूप में ब्यौरा क्या है और

(ख) उक्त अवधि के दौरान नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी द्वारा विभिन्न निजी और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को बेची गई धातु का ब्यौरा क्या है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) विगत तीन वर्षों के दौरान नालको के कार्य-निष्पादन का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्रम सं.	मद	इकाई	1998-1999	1999-2000	2000-2001
I. उत्पादन					
1.	बॉक्साइट	एम टी	2806288	2822464	2834189
2.	एल्यूमिना	एम टी	894500	886000	939000
3.	एल्यूमिनियम	एम टी	146206	212663	230516
II. वित्त					
1.	बिक्री कारोबार	करोड़ रु.	1506.65	2142.32	2408.60
2.	पी बी टी	करोड़ रु.	337.22	681.00	843.37
3.	शुद्ध लाभ (पी ए टी)	करोड़ रु.	248.25	511.53	655.83

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

विवरण-I

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में धातु की बिक्री और पार्टियों की सूची

ग्राहक-वार शिपमेंट्स (धातु-निर्यात)

मात्रा-मीट्रिक टन में

क्रम सं.	ग्राहक	1998-99	1999-2000	2000-2001
1.	एम जी/एनरॉन	760.772	6004.703	21968.600
2.	मेटल एक्सचेंज	4083.819	2283.082	2286.590
3.	पी डब्ल्यू टी	3475.192	13225.714	–
4.	जेराल्ड मेटल्स	758.764	5715.341	1517.360
5.	मित्सुई	209.937	2277.654	1817.347
6.	सुमीटोमो	4992.204	5491.688	1511.109
7.	ट्रांसवर्ल्ड	3775.105	14266.473	12549.969
8.	ग्लेनकोर	12320.046	9170.850	6574.820
9.	हाइड्रो	2610.509	13872.862	17744.167
10.	एल्यूसुइस्सी	6878.734	9812.306	14319.749
11.	मार्क रिच	–	11154.199	21283.396
12.	मित्सुबिशी	–	1212.840	–
13.	ए आई एस बी	–	697.170	–
14.	एल जी इंटरनेशनल	–	–	6068.449
15.	नोबल	–	–	5346.884
16.	हंटर डगलास	–	–	4065.439
17.	टोयॉटा	–	–	1814.624
	जोड़	39865.072	95184.882	118868.503

विवरण-II

घरेलू बाजार में धातु की बिक्री और उन पार्टियों की सूची, जिन्होंने 1000 मीट्रिक टन से अधिक धातु खरीदी

मात्रा-मीट्रिक टन में

क्रम सं.	पार्टी का नाम	1998-1999	1999-2000	2000-2001
1	2	3	4	5
1.	मै. जिंदल एल्यूमिनियम लि.	11269	28049	25237
2.	मै. इंडिया फॉइल्स लि.	5653	7926	2825

1	2	3	4	5
3.	मै. ऋषभ इलेक्ट्रीकल्स लि.	2862	5942	10017
4.	मै. अपर इंडस्ट्रीज लि.	2676	2137	5829
5.	मै. इण्डियन एल्यूमिनियम कंपनी लि.	2547	–	–
6.	मै. राऊरकेला स्टील प्लांट*	1955	2248	–
7.	मै. टाटा आयरन एण्ड स्टील कं. लि.	1876	–	–
8.	मै. हिरेन एल्यूमिनियम लि.	1672	1064	1165
9.	मै. सेन्चुरि एक्सट्रजंस लि.	1396	–	–
10.	मै. बजाज ऑटो लि., पुणे	1338	2863	1297
11.	मै. बजाज ऑटो लि., औरंगाबाद	1276	1045	–
12.	मै. भोरूका एल्यूमिनियम लि.	1220	1336	1554
13.	मै. राष्ट्रीय इस्पात निगम लि.*	1034	–	1106
14.	मै. ए.पी.एस. इंटरप्राइजिस	1003	–	–
15.	मै. स्टरलाइट इंडस्ट्रीज लि.	–	3107	1204
16.	मै. मेटल पावडर कंपनी लि.	–	2424	2074
17.	मै. डायमंड केबल्स लि., बड़ौदा	–	2130	–
18.	मै. इंडियन पिस्टंस लि.	–	1740	–
19.	मै. पंकज मेटल्स प्रा. लि.	–	1289	–
20.	मै. पंकज एल्यूमिनियम प्रा.लि.	–	1238	–
21.	मै. गंगा जमुना मेटल्स	–	1165	–
22.	मै. एन.एस.आई.सी. दिल्ली*	–	–	5209
23.	मै. एन.एस.आई.सी. जयपुर*	–	–	1990
24.	मै. एन.एस.आई.सी. गुड़गांव*	–	–	1771
25.	मै. बोकारो स्टील प्लांट*	–	–	1514
26.	मै. डायमंड केबल्स लि., सिलवासा	–	–	1314
27.	मै. मैन इंडस्ट्रीज लि.	–	–	1093
28.	मै. महाराष्ट्र मेटल पावडर	–	–	1021

सकल घरेलू बिक्री (सभी ग्राहक)

1998-1999 – 98573 मीट्रिक टन

1999-2000 – 120171 मीट्रिक टन

2000-2001 – 114082 मीट्रिक टन

*सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम

मत्स्य पालन शिक्षा पर पंचवर्षीय समीक्षा दल द्वारा सिफारिशें

1229. श्री विकास चौधरी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पंचवर्षीय समीक्षा दल द्वारा 1993 में केन्द्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान, (सैन्ट्रल इन्स्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन) मुम्बई को एक उत्कृष्ट और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का केन्द्र बनाने के लिए की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त सिफारिशों को अब तक कार्यान्वित न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन सिफारिशों को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) वर्ष 1993 में केन्द्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान के पंचवर्षीय समीक्षा दल ने सिफारिश की कि "निकट भविष्य में केन्द्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान का प्रमुख उद्देश्य मत्स्य विज्ञान के समस्त विषयों में उत्कृष्ट केन्द्र बनाना तथा अंतर्राष्ट्रीय सुयोग्यता बनाए रखना है। इस संबंध में एम.एफ.एस.सी. तथा पी.एचडी. कार्यक्रमों में समुचित विकास एक आधारभूत पहली-प्राथमिकता है। केन्द्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपलब्ध सर्वोत्तम प्रतिभा को आकर्षित करना चाहिए।"

(ख) सिफारिशों को कार्यान्वित कर दिया गया है।

(ग) उपरोक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

हज यात्रियों को हवाई जहाज द्वारा ले जाना

1230. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह:
श्री चन्द्रनाथ सिंह:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कितने भारतीय मुसलमानों द्वारा हज यात्रा की जाती है;

(ख) क्या उनके मंत्रालय द्वारा एअर इंडिया को औसत 70,000 हाजियों में से मात्र 40,000 हाजियों को ले जाने का निदेश दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा देश से ऐसे सभी यात्रियों को हवाई जहाज द्वारा ले जाने के लिए क्या अन्य प्रबंध किए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) हज 2001 के दौरान 71,215 हज तीर्थ यात्रियों ने हज यात्रा की।

(ख) और (ग) यह आशा की जाती है कि हज 2002 के दौरान, 70,500 तीर्थयात्री हज तीर्थ यात्रा करेंगे। 70,500 हज यात्रियों में से, एअर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस द्वारा भारत से जेद्दा तक लगभग 40,000 तीर्थ यात्रियों को ले जाने की संभावना है तथा 30,500 तीर्थ यात्रियों को सऊदी अरबियन एयरलाइंस द्वारा ले जाने की संभावना है।

सैन्ट्रल इन्स्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजूकेशन

1231. श्री सुरेश कुरूप: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान (सैन्ट्रल इन्स्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजूकेशन) मुम्बई ने अप्रैल, 1995 से 3 मार्च, 2000 तक 44 अन्तर्गृह अनुसंधान योजनाओं में से मात्र 12 परियोजनाओं को ही पूरा किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (ग) केन्द्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान, मुम्बई ने 44 'इन हाउस' परियोजनाओं के अलावा 12 परियोजनाएं सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली हैं तथा इनकी उपलब्धियां विभिन्न रिपोर्टों में उपलब्ध हैं। केन्द्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान के अनुसंधान तथा शिक्षण कार्यक्रमों को प्राथमिकताबद्ध किया है तथा संसाधनों के एकत्रीकरण तथा पुनरावृत्ति को ध्यान में रखते हुए संबद्ध-उद्देश्यों वाली परियोजनाओं को पुन:वर्गीकृत किया गया है। शेष परियोजनाएं चल रही हैं। 'इन-हाउस' अनुसंधान परियोजनाओं की अनुसंधान सलाहकार समिति तथा स्टाफ अनुसंधान परिषद् द्वारा समीक्षा की जाती है तथा इनकी सिफारिशों के आधार पर अनुसंधान परियोजनाओं की पुन: स्थिति निर्धारित की जाती है।

श्रम संबंधी विवादों का निपटान

1232. श्री वरकला राधाकृष्णन: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने श्रम संबंधी विवादों के निपटान में औद्योगिक न्यायाधिकरणों और श्रम न्यायालयों द्वारा विलम्ब का कोई मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): जी, हां।

(ख) और (ग) 1. श्रम मंत्रालय समय-समय पर लम्बित मामलों की संख्या को कम करने की आवश्यकता को केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारियों के ध्यान में लाता रहा है। हाल ही में श्रम मंत्रालय में मई, 2001 में आयोजित समीक्षा बैठक में पीठासीन अधिकारियों से पुन: लम्बित मामलों की संख्या को कम करने की आवश्यकता और बार-बार स्थगन आदेश न देने के बारे में अनुरोध किया गया था, क्योंकि ऐसे स्थगन आदेशों से मामलों के निपटान में देरी होती है।

2. लम्बित मामलों की संख्या में कमी करने के प्रभावी उपाय के रूप में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालय नई दिल्ली में दिनांक 9.11.01 को एक लोक अदालत का आयोजन किया गया जिसमें 69 मामलों के संबंध में निर्णय दिया गया।

ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के अंतर्गत कोयला खदानें

1233. श्री बसुदेव आचार्य: क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले दो वर्षों के दौरान ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के अंतर्गत कई कोयला खानें बंद कर दी गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कोयला उत्पादन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) और (ख) गत दो वर्षों के दौरान ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (ई.सी.एल.) तथा भारत कोकिंग कोल लि. (बीसीसीएल) के अंतर्गत बंद की गई कोयला खानें नीचे दी गई हैं:

कम्पनी	अवधि	खान	बन्द करने के कारण
ई.सी.एल.	1999-2000	सिरीपुर	सुरक्षा तथा तकनीकी - आर्थिक आधार
		टोपोसी	भंडार का समापन
		कंकरटाला	तकनीकी - आर्थिक आधार
	2000-01	अडजॉय-2 यूजी	भंडार का समापन
		खूदिया ओ.सी.	कार्यशील सीम में भंडार का समापन
	1999-2000	केडुआडीह	तकनीकी - आर्थिक आधार
		तेतुरिया	तकनीकी - आर्थिक आधार

उपर्युक्त बन्द खानों के सभी आदानों को ऐसी खानों के बन्द होने के कारण हुई उत्पादन में कमी की आपूर्ति हेतु अन्य खानों में पुनर्नियोजित कर दिया गया है।

ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड में अतिरिक्त श्रमिक

1234. श्री अनादि साहू: क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड में अतिरिक्त श्रमिक हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनकी छंटनी करने/उन्हें खपाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) जी, हां।

(ख) जैसा कि सी.आई.एल. द्वारा सूचना दी गई है 01.04.200[illegible] को ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. में अतिरिक्त श्रमशक्ति 8566 है

जिसके ब्यौरे निम्नवत हैं:-

1.	कार्य के आधार पर	2538
2.	दैनिक आधार पर	3446
3.	मासिक आधार पर	2582
	कुल	8566

ई.सी.एल. नैसर्गिक दुर्बलता तथा स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति के द्वारा श्रमिकों में कटौती का लाभ उठा रही है। अतिरिक्त श्रमिकों को अन्य अनुषंगियों में कंपनी के भीतर तथा बाहर खानों/क्षेत्रों में भर्ती के स्थान पर पुन: तैनाती/स्थानांतरित किया जा रहा है।

कोयला माफिया का सफाया

1235. **श्री अधीर चौधरी:**
श्रीमती श्यामा सिंह:

क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के कोयला क्षेत्रों में बड़ी संख्या में कोयला माफिया समानान्तर प्रशासन चला रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा कोयला माफिया को इस प्रकार सामानान्तर प्रशासन चलाने से रोकने हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और इसकी अनुषंगी इकाइयों के अधिकारियों और कर्मचारियों की कोयला माफिया के साथ सांठगांठ है और वह उन्हें आवश्यक सहायता देते हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ङ) इन कोयला माफियाओं के सफाए के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) से (ङ) जब भी अनियमितताओं के बारे में रिपोर्ट प्राप्त होती हैं, कोयला कम्पनियां आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाती हैं।

अनियमितताओं को रोकने के लिए कोयला कंपनियों द्वारा उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:-

(1) अनियमितता के विशिष्ट मामलों की सीआईएल तथा इसकी अनुषंगियों के सतर्कता विभागों द्वारा जांच की जाती है। जहां अनियमितता का आरोप सिद्ध होता है वहां दोषी अधिकारियों के विरुद्ध उचित विभागीय कार्यवाहियां आरम्भ की जाती हैं तथा दण्ड लगाया जाता है।

(2) सीबीआई, जहां अनियमितता के गम्भीर मामले उनकी जानकारी में आते हैं उनमें स्वयं भी जांच प्रारम्भ करती है। उनकी जांच के आधार पर, या तो अभियोजन चलाए जाते हैं, या विभागीय कार्यवाहियां आरम्भ की जाती हैं।

(3) राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित नॉन-कोर क्षेत्र में लिंक्ड उपभोक्ताओं के पूर्ववृत्त का सत्यापन करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों की मदद से एक अभियान शुरू किया गया है।

(4) कोयले के परिवहन में लगी भूतपूर्व सैनिकों की परिवहन कंपनियों की कार्यप्रणाली को सरल बनाने के लिए कदम उठाये गये हैं।

(5) राज्य प्राधिकारियों के साथ परामर्श करके डिलिवरी आर्डर के दुरूपयोग तथा बहु-प्रयोग को रोकने के उपाय किये जा रहे हैं।

कोयला माफिया और इसकी गतिविधियों को रोकने के लिए कोयला कम्पनियों द्वारा लगातार निम्नलिखित कदम उठाये जाते हैं:-

(1) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल तथा कोयला कंपनियों के सुरक्षा कार्मिकों द्वारा गहन पेट्रोलिंग करना।

(2) राज्य/जिला प्राधिकारियों के साथ निकट सम्पर्क बनाये रखना।

(3) अवैध कोयला डिपो पर सी.आई.एस.एफ. तथा स्थानीय पुलिस द्वारा छापे मारना।

(4) सुरक्षा कार्मिकों द्वारा अचानक जांच करना/छापे मारना।

(5) बदमाशों को स्थानीय पुलिस के हवाले करना और एफ.आई.आर. दर्ज करवाना।

[हिन्दी]

विभिन्न क्षेत्रों में श्रमिकों का प्रतिशत

1236. श्री नवल किशोर राय:
श्री रामजीलाल सुमन:

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में कृषि औद्योगिक और सेवा क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों के प्रतिशत का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो आज की तिथि के अनुसार इनका क्षेत्र-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इनके द्वारा वार्षिक रूप से अलग-अलग कितनी आय अर्जित की जा रही है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) राष्ट्रीय प्रतिदर्श संगठन द्वारा कराये गए रोजगार एवं बेरोजगारी सर्वेक्षण 1999-2000 के अनुसार कृषि, औद्योगिक तथा सेवा क्षेत्रों में नियोजित कर्मकारों की प्रतिशतता नीचे दी गई है:

क्षेत्र	प्रतिशतता
कृषि	59.8
उद्योग	13.0
सेवाएं	27.2
योग	100.0

(ख) उपर्युक्त प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के सर्वेक्षण 1999-2000 से तैयार किए गए अनुसार ग्रामीण और शहरी जनसंख्या के राज्यवार तथा क्षेत्रवार आंकड़ों संबंधी ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) उपर्युक्त राष्ट्रीय संगठन सर्वेक्षण के 1999-2000 के सर्वेक्षण के अनुसार उद्योग समूह-वार तथा ग्रामीण/शहरी नियमित मजदूरी/वेतन भोगी कर्मचारियों द्वारा प्रतिदिन अर्जित औसत मजदूरी/वेतन संबंधी ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए ब्राड इन्डस्ट्री डिवीजन द्वारा एक साथ ली गई प्रधान स्थिति और अनुषज्ञी स्थिति में सामान्य तौर पर कार्य कर रहे व्यक्तियों का प्रतिशतता विवरण

	ग्रामीण			शहरी		
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कृषि	उद्योग	सेवा	कृषि	उद्योग	सेवा
1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश	78.8	6.5	14.7	9.5	20.7	69.8
अरुणाचल प्रदेश	83.4	3.1	13.5	8.7	2.2	89.1
असम	67.7	4.4	27.9	6.0	8.3	85.7
बिहार	80.6	6.7	12.7	10.9	23.4	65.7
गोवा	28.1	17.5	54.4	1.8	18.1	80.1
गुजरात	79.8	7.5	12.7	9.4	25.6	65.0
हरियाणा	68.5	8.6	22.9	9.1	23.0	67.9

1	2	3	4	5	6	7
हिमाचल प्रदेश	73.6	5.1	21.3	11.0	11.7	77.3
जम्मू एवं कश्मीर	76.3	4.6	19.1	13.2	9.7	77.1
कर्नाटक	82.1	6.2	11.7	10.8	24.6	64.6
केरल	48.3	14.5	37.2	9.5	21.0	69.5
मध्य प्रदेश	87.1	4.5	8.4	15.4	20.4	64.2
महाराष्ट्र	82.6	5.2	12.2	5.7	24.4	69.9
मणिपुर	75.3	8.0	16.7	28.3	11.4	60.3
मेघालय	86.5	1.4	12.1	1.3	4.1	94.6
मिजोरम	85.5	1.3	13.2	30.3	5.3	64.4
नागालैंड	79.7	1.4	18.9	8.4	6.9	84.7
उड़ीसा	78.2	8.7	13.1	13.0	21.9	65.1
पंजाब	72.6	6.7	20.7	8.7	23.7	67.6
राजस्थान	77.7	5.9	16.4	12.9	24.0	63.1
सिक्किम	60.8	6.1	33.1	2.1	10.7	87.2
तमिलनाडु	67.9	14.6	17.5	8.9	29.3	61.8
त्रिपुरा	45.7	4.0	50.3	2.7	3.9	93.4
उत्तर प्रदेश	76.2	8.0	15.8	9.0	25.9	65.1
पश्चिम बंगाल	63.6	17.1	19.4	3.0	27.7	69.3
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	65.0	4.3	30.7	15.3	14.1	70.6
चंडीगढ़	66.1	10.2	23.7	1.6	19.0	79.4
दादर व नगर हवेली	55.2	19.8	25.0	8.1	54.1	37.8
दिल्ली	7.5	26.4	66.1	1.7	24.7	73.6
लक्षद्वीप	53.6	4.1	42.3	24.5	6.2	69.3
पांडिचेरी	59.9	16.0	24.1	5.4	33.7	60.9
दमन व दीव	34.2	42.3	23.5	11.9	15.0	73.1
अखिल भारत	76.3	8.1	15.6	8.8	24.2	67.0

विवरण-II

नियमित मजदूरी कर्मचारियों/वेतनभोगी कर्मचारियों को सेक्टरवार प्राप्त औसत दैनिक वेतन/वेतन आय

उद्योग/प्रभाग/ग्रुप	शहरी	ग्रामीण
	(रुपये प्रति दिन)	
कृषि	137.90	65.88
खनन एवं उत्खनन	257.16	140.16
विनिर्माण	96.58	77.66
विनिर्माण	165.40	96.41
विद्युत गैस व जल	246.86	197.54
निर्माण	133.59	104.66
व्यापार	100.27	64.90
परिवहन, स्टोरेज आदि	162.04	112.29
सेवाएं	263.87	155.69
सेवाएं	206.43	177.18
नियोजित व्यक्तियों के साथ निजी घरेलू कार्य	49.38	49.25
अन्य	998.61	320.00
समस्त	165.05	125.31

[अनुवाद]

अरुणाचल प्रदेश में आरा मशीनों के लाइसेंस रद्द करना

1237. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोनाराम चौधरी: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या माननीय उच्चतम न्यायालय ने 15 जनवरी, 1998 के अपने आदेश में अवैध रूप से गिराये गए/जब्त किए गए लकड़ी के लठ्ठों की बिक्री/निलामी की अनुमति दी है जिसकी वस्तु सूची अरुणाचल प्रदेश सरकार ने तैयार की और एच.पी.सी. ने जिसको स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या वन विभाग ने नीलामी द्वारा बिक्री पूर्व ऐसी लकड़ी का प्रसंस्करण करने हेतु कुछ आरा मशीनें और परत चढ़ाने वाली मिलें किराये पर ली थीं और उनकी निगरानी में यह कार्य किया गया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(घ) क्या किराये पर ली गई इन आरा मशीनों को दि लाइसेंस और स्वीकृति रद्द कर दी गई है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस स्थिति को सुधारने हेतु सरकार द्वारा क्या कद उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) : (ग) रिट याचिका (सिविल) सं. 202/95 में सर्वोच्च न्यायाल द्वारा दिए गए आदेशानुसार अरुणाचल प्रदेश वन विभाग ने इस द्वारा जब्त की गई अवैध इमारती लकड़ी का निपटान कर दि था। रिट याचिका (सिविल) सं. 202/95 में सर्वोच्च न्यायालय दिनांक 15.1.1998 के आदेश के पैरा 7(ग) के विलंबित अनुपाल के अनुसरण में इस प्रकार की इमारती लकड़ी को उच्चाधिक प्राप्त समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई विशिष्ट काष्ठ आधारि इकाइयों में परिवर्तित करने की अनुमति दी गई थी।

(घ) से (च) पूर्वोत्तर क्षेत्रों से वैध इमारती लकड़ी के न में अवैध इमारती लकड़ी के परिवहन की सूचना प्राप्त होने इमारती लकड़ी से भरे 200 वेगनों की फिजिकल वेरीफिकेशन ह गई। फिजिकल वेरीफिकेशन और बाद की छानबीन के दौ अत्यधिक अनियमितताएं और अवैधताएं पायी गई। कारण बता नोटिस जारी करने, व्यक्तिगत सुनवाई और आवश्यक छानबीन पश्चात् उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा काष्ठ आधारित इकाइयों प्रदान की गई स्वीकृति उन इकाइयों से वापस ले ली गई अवैध इमारती लकड़ी की प्रेषक पाई गई। पूर्वोत्तर राज्यों से इमार लकड़ी और इमारती लकड़ी उत्पादों की आवाजाही को विनियमि किए जाने के संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश जारी कर दिए गए

अधिग्रहीत भूमि लौटाना

1238. श्री चन्द्र भूषण सिंह: क्या **कोयला और खान** मं यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने खनन कार्य पूरा हो जाने के पश्चात् अधिग्रहीत भूमि को उनके मूल भूस्वामियों को लौटाने निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार विस्थापित लोगों को उ पुनर्वास स्थल पर सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) और (ख) राज्य सरकार द्वारा सावंजनिक प्रयोजन के लिए भूमि का अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के अधीन किया जाता है और खनन कार्य हेतु भूमि अधिग्रहण करने के लिए खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत् कोई प्रावधान नहीं है। खनन पट्टा धारी के पास खनन कार्य करने हेतु या तो सतही अधिकार (सरफेस राइट) होते हैं या फिर वह यह कार्य करने के लिए भूमि के मालिक की सहमति प्राप्त करता है। खनिज रियायत नियमावली, 1960 में खनन पट्टा धारी द्वारा सतही अधिकार आदि के स्वामी को क्षतिपूर्ति के भुगतान का प्रावधान किया गया है।

(ग) और (घ) उपरोक्त (क) और (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

नैफेड द्वारा खोपरे की खरीद

1239. **श्री एन.एन. कृष्णदास:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नैफेड द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान देश में राज्य-वार कितनी मात्रा में खोपरे की खरीद की गई;

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान नैफेड को आवंटित की गई धनराशि में से खोपरे की खरीद के लिए कुल कितनी धनराशि दी गई है;

(ग) नैफेड को इस कार्य हेतु बकाया राशि कब तक दे दिए जाने का विचार है; और

(घ) चालू वर्ष में नैफेड द्वारा खोपरे की खरीद के लिए अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) गत तीन वर्षों के दौरान नैफेड द्वारा की गई खरीद का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) भारत सरकार ने गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान खोपरे की खरीद सहित मूल्य समर्थन योजना/बाजार हस्तक्षेप योजना के लिए नैफेड को निम्नलिखित राशि निमुक्त की है:-

वर्ष	निर्मुक्त की गई राशि (करोड़ रुपये में)
1998-1999	10.90
1999-2000	0.94
2000-2001	26.00
2001-2002	292.10

(ग) खोपरे की खरीद के लिए जब कभी भी जरूरत हो नैफेड को पर्याप्त निधि उपलब्ध कराने के लिए भारतीय स्टेट बैंक/ भारतीय रिजर्व बैंक के साथ प्रबंध व्यवस्था की जा रही है।

(घ) नैफेड ने मूल्य समर्थन स्कीम के अंतर्गत खोपरे की खरीद के लिए सभी प्रबंध कर लिए हैं और खरीद कार्य करने के लिए राज्य की नामित एजेन्सियों को निर्देश दे दिए हैं।

विवरण

नैफेड द्वारा खोपरे की खरीद

राज्य	1999-2000	2000-2001	2001-2002
केरल	2849	80232	2329
तमिलनाडु	40	111932	–
आंध्र प्रदेश	–	16173	–
कर्नाटक	–	4720	1613
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	–	7979	4434
गोवा	–	593	598
लक्षद्वीप	66	2921	2884
योग	2955	224550	11858

[हिन्दी]

कोयला कम्पनियों द्वारा दिये गये श्रम ठेके

1240. **श्री लक्ष्मण गिलुवा:** क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोयला कम्पनियों द्वारा 900 करोड़ रुपये के श्रम ठेके दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या कोयला कम्पनियों के अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत से अधिक श्रमिक दिखाकर इन कम्पनियों को धोखा दिया जा रहा है;

(ग) अभी तक कम्पनी-वार ऐसे कितने मामले पकड़े गए हैं;

(घ) क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और इसमें ऐसे कितने ठेकेदार लिप्त पाए गए जिनके रिश्तेदार कोयला कम्पनियों में अधिकारी है; और

(च) इस संबंध में क्या सुधारात्मक कार्यवाही की गई/की जा रही है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

नदियों को जोड़ना

1241. श्री रघुनाथ झा:
श्री अरुणा कुमार:
श्री टी.एम. सेल्वागनपति:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय ने देश की विभिन्न मुख्य नदियों को जोड़कर उनके अतिरिक्त जल को जल की कमी वाले बेसिनों की ओर मोड़ने संबंधी एक भावी राष्ट्रीय योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो अभी तक इसमें कितनी प्रगति हुई है और इस पर कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ग) क्या इस योजना पर संबंधित राज्यों में आम राय न बन पाने के कारण यह योजना पूर्णतया असफल सिद्ध हुई है;

(घ) यदि हां, तो इस योजना को लागू करने हेतु सरकार का नया प्रस्ताव क्या है और किन-किन स्रोतों से धनराशि जुटाए जाने का विचार है; और

(ङ) इससे कितने लोगों के लाभान्वित होने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क), (ख) और (ङ) सिंचाई मंत्रालय (अब जल संसाधन मंत्रालय) और केन्द्रीय जल आयोग ने जल संसाधनों के विकास की राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की है जिसमें जल संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए इस समय अधिशेष जल के रूप में आंके गए अधिशेष बेसिनों से जल की कमी वाले बेसिनों में स्थानान्तरित करने के लिए विभिन्न प्रायद्वीपीय नदियों और हिमालयी नदियों को परस्पर जोड़ने की योजना है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के जल संतुलन और अन्य अध्ययन करने के लिए जुलाई, 1982 में राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की एक स्वायत्त सोसायटी के रूप में स्थापना की है। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने बेसिन/उप-बेसिनों के 137 जल संतुलन अध्ययन, डायवर्जन स्थलों पर 71 जल संतुलन अध्ययन भण्डारण जलाशयों के 74 टोपोशीट अध्ययन, सम्पर्क संरेखण के 37 टोपोशीट अध्ययन और 31 सम्पर्कों के व्यवहार्यता पूर्व अध्ययन पूरे कर लिए हैं जिसमें से व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए 30 सम्पर्क अभिज्ञात किए गए हैं। पांच सम्पर्कों की व्यवहार्यता रिपोर्टें पूरी हो गई हैं। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण को आज तक जारी की गई कुल अनुदान-सहायता 10488.42 लाख रुपये है। सम्पर्क प्रस्तावों में 35 मिलियन हेक्टेयर का अतिरिक्त सिंचाई लाभ प्राप्त होने की योजना है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के केवल दो राज्यों को शामिल करते हुए कुछ छोटे सम्पर्कों का पहले ही पता लगा लिया है जिनकी व्यवहार्यता रिपोर्ट पूरी हो गई है और क्रमबद्ध ढंग से उनका कार्यान्वयन शुरू किया जा सकता है। ऐसे जल हस्तांतरण सम्पर्क प्रस्तावों का कार्यान्वयन बेसिन राज्यों के बीच प्रस्तावित हस्तांतरण, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने तथा निधियों की उपलब्धता आदि विभिन्न तत्वों के सम्बन्ध में आम सहमति होने पर निर्भर करेगा।

[हिन्दी]

बाल श्रमिक

1242. श्री अब्दुल रशीद शाहीन: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्तमान श्रम ब्यूरो और योजना आयोग द्वारा लगाए गए अनुमान के अनुसार वर्ष 2000 के अंत तक बाल श्रमिकों की संख्या तिगुनी हो चुकी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) जी नहीं।

(ख) बाल श्रम संबधी प्रामाणिक आंकड़े दस वार्षिक जनगणना और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा तैयार किए जाते हैं। 1991 की जनगणना के अनुसार बाल श्रमिकों की संख्या 1.12 करोड़ है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा रोजगार और

बेरोजगारी पर 1999-2000 (55वां दौर) में कराए गए सर्वेक्षण में बाल श्रमिकों की अनुमानित संख्या 1.04 करोड़ आंकी गई है। योजना आयोग भी उपर्युक्त आंकड़ों का उपयोग करता है।

श्रम ब्यूरो ने 2000 के अंत तक बाल श्रमिकों की संख्या तिगुनी हो जाने का कोई आंकलन नहीं किया है।

[अनुवाद]

फर्जी औद्योगिक इकाईयों को कोयले की आपूर्ति

1243. **श्रीमती श्यामा सिंह:**
श्री एन. जनार्दन रेड्डी:

क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कोल इंडिया लिमिटेड (सी.आई.एल.) और इसकी अनुषंगी इकाईयां देश में फर्जी औद्योगिक इकाईयों को कोयले की आपूर्ति कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी अनुषंगी इकाईयों के कार्यकरण की जांच के आदेश दिए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे घोटालों की जिम्मेदारी निर्धारित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) से (घ) कोल इंडिया लि. (सी.आई.एल.) की सहायक कंपनियां राज्य सरकार के प्राधिकरणों या प्रायोजिक अभिकरणों के द्वारा दिए गए लिंकेजों तथा प्रायोजनों के आधार पर नॉन-कोर क्षेत्र को कोयले की आपूर्ति करती है। सी.आई.एल. की सहायक कंपनियों ने राज्य सरकारों को नॉन-कोर क्षेत्र के लिंकड उपभोक्ताओं की मौजूदगी का सत्यापन करने के लिए लिखा है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य

1244. **श्री एच.जी. रामुलु:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि देश में विशेषकर कर्नाटक में कृषि उत्पादों का मूल्य इसके न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी नीचे चला गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का कृषि उत्पादों पर मात्रात्मक प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) कर्नाटक समेत देश के कुछ चुनिंदा केन्द्रों पर कुछ कृषि जिंसों का थोक मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे रह रहा था।

(ख) और (ग) यद्यपि मात्रात्मक प्रतिबंध लगाये जाने का कोई विचार नहीं है फिर भी सरकार ने कृषि वस्तुओं के आयात की मानीटरिंग करने के लिए एक उपयुक्त तंत्र स्थापित किया है और वह स्वदेशी किसानों को विश्व व्यापार संगठन के तहत उपलब्ध विभिन्न अनुकूल उपायों का उपयोग करके अंधाधुंध आयात से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। इन उपायों में निर्धारित स्तर तक तटकर को बढ़ाना, एण्टी डंपिंग और काउण्टर वेलिंग ड्यूटी लगाना, और विशिष्ट परिस्थितियों में सुरक्षात्मक कार्यवाही करना शामिल हैं।

किसानों को कृषि में प्रयुक्त होने वाले उच्च कोटि के उत्पाद उपलब्ध कराना

1245. **श्री प्रकाश वी. पाटील:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसानों को समय पर और पर्याप्त मात्रा में उचित मूल्य पर उच्च कोटि के कृषि में प्रयुक्त होने वाले उत्पाद उपलब्ध कराने के सरकार के प्रयासों को पूर्व में सफलता नहीं मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार किसानों को समय पर और उचित मूल्य पर बीज, उर्वरक आदि उपलब्ध कराने हेतु ठोस उपाय करने का है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, नहीं। विभिन्न अधिनियमों तथा नियंत्रण आदेशों के तहत पर्याप्त प्रावधान उपलब्ध हैं जो किसानों को अच्छे गुण स्तर के आदानों की पूर्ति को विनियमित करने हेतु राज्यों द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता!

(ग) जी, हां, विभिन्न फसल विकास कार्यक्रमों के अधीन आदानों की पूर्ति हेतु सहायता दी जा रही है। भारत सरकार प्रत्येक बुवाई मौसम से पहले सभी आदानों की आवश्यकता का जायदा लेती है तथा उपलब्धता को मॉनिटर करती है ताकि पर्याप्त और उचित समय पर पूर्ति सुनिश्चित हो सके।

विमान सौदों की जांच

1246. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार 1986 में एयर बस इंडस्ट्रीज के साथ हस्ताक्षरित विमान सौदों की जांच कर रही है;

(ख) यदि हां, तो जांच की वर्तमान स्थिति क्या है और इसके कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(ग) यदि जांच पूरी हो गई है, तो उसका क्या परिणाम निकला और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) से (ग) भारत में एयर बस ए-320 प्रकार के हवाई जहाजों की खरीद के संबंध में भारत में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की जा रही जांच प्रगति पर है और सी.बी.आई. संबंधित विदेशों में भी इसी पद्धति का अनुसरण कर रही है। इस मामले में विदेशों में व्यापक जांच पड़ताल की जानी है जिसकी प्रक्रिया बहुत लंबी और इसमें काफी समय लगने की संभावना है, और यह अन्वेषण एजेंसी के नियंत्रण से परे है। सी.बी.आई. द्वारा इसकी जांच में कितना समय लगेगा, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है।

नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो द्वारा जारी किये गये पास

1247. श्री श्रीनिवास पाटील: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो का विमानपत्तनों विशेषकर आई.जी.आई., ए.ए.आई. की सुरक्षा को ध्यान रखते हुए अधिकारियों और हैंडलिंग एजेंटों को जारी किए गए पासों की संख्या में भारी कमी करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो सुरक्षा संबंधी खतरे से निबटने के लिए प्रत्याशित जांच के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) निरन्तर चल रही इस प्रक्रिया के एक भाग के रूप में, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो एयरलाइनों/हैंडलिंग एजेंटों इत्यादि को जारी किए गए हवाई अड्डा पासों की लगातार छानबीन करता रहता है जिससे उन्हें कम से कम किया जा सके।

(ख) नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो ने कुछ उन एयरलाइनों के संबंध में इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे दिल्ली में अब तक 262 पासों को रद्द कर दिया है जिन एयरलाइनों ने दिल्ली हवाई अड्डे से अपने प्रचालन बन्द कर दिए हैं।

खनिज भंडार

1248. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल में झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल राज्यों में खनिज भंडारों की खोज हेतु कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और खनिज-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन नवगठित राज्यों में क्रमश: खनिज संसाधनों की खोज और जैविक संतुलन बनाए रखने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार को अंतर्राष्ट्रीय खनन कंपनियों से झारखंड में खनिजों का पता लगाने और उनका दोहन करने संबंधी प्रस्ताव मिले/स्वीकृत किए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) राज्य को इससे कितनी विदेशी मुद्रा की आय होने की संभावना है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी.एस.आई.) नये बने राज्यों झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं उत्तरांचल में खनिजों हेतु निरंतर सर्वेक्षण कर रहा है।

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने, 1.1.2001 को, झारखंड में 69.2 बिलियन टन तथा छत्तीसगढ़ में 29.6 बिलियन टन कोयला निक्षेपों का अनुमान लगाया है। 1.4.1995 को प्राप्य निक्षेप निम्नवत् हैं:-

झारखंड:- 2657 मिलियन टन (एम.टी.) इल्मेनाइट, 5 मिलियन टन मैग्नेटाइट, 2363 मिलियन टन मैग्नीज अयस्क, 0.334 मिलियन टन क्रोमाइट, 108.69 मिलियन टन ताम्र अयस्क, 0.0072 मिलियन

टन स्वर्ण अयस्क, 3.07 मिलियन टन ऐंपेटाइट, 0.04 मिलियन टन एम्बेस्टोस, 66.022 मिलियन टन बाक्साइट, 21.864 मिलियन टन डोलोमाइट, 0.39 मिलियन टन ग्रेफाइट, 511.102 मिलियन टन चूना पत्थर, 50.457 मिलियन टन फायरक्ले, 131.688 मिलियन टन क्वार्टज-सिलिका बालू एवं 0.0014 मिलियन टन अभ्रक।

छत्तीसगढ़:- 1925 मिलियन टन हेमेटाइट, 0.567 मिलियन टन स्वर्ण अयस्क, 28.895 मिलियन टन टिन अयस्क, 54.706 मिलियन टन बाक्साइट, 612.21 मिलियन टन डोलोमाइट, 4941.447 मिलियन टन चूनापत्थर, 10.895 मिलियन टन फायरक्ले तथा 0.625 मिलियन टन क्वार्टज-सिलिका बालू।

उत्तरांचल:- 1.20 मिलियन टन सीसा-जस्ता अयस्क, 1.12 मिलियन टन ताम्र अयस्क, 15.529 मिलियन टन रॉक् फास्फेट, 0.0002 मिलियन टन एम्बेस्टोस, 160.337 मिलियन टन डोलोमाइट, 1.164 मिलियन टन जिप्सम, 1068.104 मिलियन टन चूना पत्थर एवं 185.747 मिलियन टन मैग्नेसाइट।

(ग) उत्तरांचल राज्य के चमोली जिले के घिमटोली क्षेत्र में ताम्र, जस्ता एवं स्वर्ण का विस्तृत भूरासायनिक मूल्यांकन, हाल ही में, पूरा हुआ है। भारतीय वैज्ञानिक सर्वेक्षण, फील्ड सत्र अक्टूबर, 2001-सितम्बर, 2002 के दौरान, छत्तीसगढ़ में स्वर्ण हेतु दो अन्वेषण तथा हीरे हेतु दो अन्वेषण तथा झारखंड में स्वर्ण हेतु तीन अन्वेषण करने का प्रस्ताव रखता है।

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने पारिस्थितिकी संतुलन के रूप में झारखंड में भूपर्यावरणात्मक अध्ययन की निम्नलिखित दो मदों का कार्यक्रम बनाया है:-

(1) सुवर्णरेखा घाटी में खनन गतिविधियों का प्रभाव आकलन।

(2) झारखंड के हजारी बाग जिले के हजारीबाग एवं समीपस्थ क्षेत्रों की शहरी विस्तार नियोजना को सुगम बनाने हेतु प्रारंभिक भूपर्यावरणात्मक आकलन।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पर्यटन विकास निधि

1249. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:
श्री राजो सिंह:
श्री ब्रह्मानन्द मंडल:

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार समेत किन-किन राज्यों के लिए योजना आयोग ने पर्यटन विकास निधि बनाने को कहा है;

(ख) बिहार के मुंगेर जिले के श्रृंगी ऋषि आश्रम, ऋषि कुण्ड, सीता कुंड, सीता चरण, कष्ट हरणी घाट, भीम बांध और चण्डीस्थान की क्या स्थिति है;

(ग) क्या सरकार इन स्थानों का नवीकरण व पुनरुद्धार करके इन्हें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केन्द्रों के रूप में परिवर्तित करने के लिए इस संबंध में योजना बनाना चाहती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) पर्यटन विभाग, भारत सरकार ने देश में पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए धन सृजन तथा अवसंरचनात्मक कमी पूरा करने के उद्देश्य से पर्यटन विकास कोष गठित करने की एक योजना तैयार की है। कुल 50 करोड़ रुपयों के अधिकृत परिव्यय वाला पर्यटन विकास कोष गठित करने का प्रस्ताव है। प्रस्ताव योजना आयोग के विचाराधीन है।

(ख) से (ङ) पर्यटक रुचि के स्थलों पर अवसंरचना विकास के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता मंजूर किए जाने की योजना पर्यटन विभाग, भारत सरकार में है। केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रतिवर्ष राज्य सरकार/संघ शासित राज्य प्रशासनों के साथ विचार-विमर्श कर प्रदान की जाती है। भीम बांध पर 49.28 लाख रुपए राशि के पर्यटक परिसर के निर्माण के एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी है तथा वर्ष 2000-2001 के दौरान इसके लिए 14.78 लाख रुपयों की प्रथम किश्त भी दे दी गयी है। पर्यटक सुविधाओं के विकास तथा इनके नवीकरण और सुन्दरीकरण की भी एक योजना पर्यटन विभाग में है। तथापि, पर्यटक स्थलों को विकसित करने की प्रथम जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ शासित राज्य प्रशासनों की है। भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय वित्तीय सहायता योजना के तहत धनराशि उपलब्ध करायी जाती है।

[अनुवाद]

मध्य प्रदेश में भारतीय भू-गर्भ सर्वेक्षण विभाग का सर्वेक्षण

1250. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय: क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय भू-गर्भ सर्वेक्षण विभाग ने मध्य प्रदेश में खानों का पता लगाने हेतु कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इनकी खोज/खनन हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) जी हां। खान विभाग को प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) मध्य प्रदेश में खनिज संसाधनों का पता लगाने के लिए अंवेषण कर रहा है।

(ख) जीएसआई ने सिद्धी, कटनी, बेतूल और झाबुआ जिलों में स्वर्ण, तांबा, आधार धातु के लिए अंवेषण करना जारी रखा हुआ है। सिओनी, बालाघाट, जबलपुर मांडला और शाहडोल जिलों में आयामी पत्थरों के संभावित पूर्वेक्षण स्थलों (प्रोसपेक्ट) का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया गया है।

(ग) खनिज संसाधन एक बार प्रमाणित होने के बाद अपनी आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर वे निष्कर्षण के लिए एक खनन परियोजना हो सकते हैं। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 3क की उप-धारा (1) में यथा परिभाषित कोई भी भारतीय नागरिक या कम्पनी खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार खनन पट्टा प्राप्त करने के बाद खनिज निक्षेपों का विदोहन करने के लिए स्वतंत्र हैं।

[हिन्दी]

कोयला परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक की सहायता

1251. श्री चिन्मयानन्द स्वामी: क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विश्व बैंक की सहायता से अनेकों कोयला परियोजनाएं चल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त परियोजनाओं के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है; और

(घ) प्रत्येक परियोजना के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) जी, हां। कोल इंडिया लि. में विश्व बैंक की सहायता वाली 2 परियोजनाएं हैं: (1) कोयला क्षेत्र पुनर्वास परियोजना (2) कोयला क्षेत्र पर्यावरणीय तथा सामाजिक न्यूनीकरण परियोजना (सी.एस.ई.एस.एम.पी.)।

(ख) सी.एस.आर.पी. में कोल इंडिया लि. की 5 सहायक कंपनियों अर्थात् सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. (सी.सी.एल.), महानदी कोलफील्ड्स लि. (एम.सी.एल.), वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (डब्ल्यू.सी.एल.), साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (एस.ई.सी.एल.) तथा नार्दर्न कोलफील्ड्स लि. (एन.सी.एल.) के अंतर्गत 24 लाभप्रद कोयला खनन उप-परियोजनाएं शामिल हैं।

सी.एस.आर.पी. को विश्व बैंक (आई.बी.आर.डी.) तथा जापान बैंक फॉर इन्टरनेशनल कोआपरेशन (जे.बी.आई.सी.) द्वारा 50:50 के अनुपात पर सह-वित्त-पोषित किया जा रहा है।

सी.एस.आर.पी. का मुख्य उद्देश्य कोल इंडिया लि. को वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य तथा स्व-सम्पोषित बनाना तथा देश में ऊर्जा की भावी मांग को पूरा करने के लिए कोयला उत्पादन में वृद्धि करना है।

कोयला क्षेत्र पर्यावरणीय तथा सामाजिक न्यूनीकरण परियोजना (सी.एस.ई.एस.एम.पी.) में 25 कोयला खनन उप परियोजनाएं शामिल हैं जोकि सी.एस.आर.पी. के समान हैं। केवल एक अतिरिक्त योजना है, जो एस.ई.सी.एल. की बिसरामपुर, ओ.सी.पी. है। सी.एस.ई.एस.एम.पी. को बजट के माध्यम से आई.डी.ए. क्रेडिट द्वारा वित्त-पोषित किया है।

सी.एस.ई.एस.एम.पी. का उद्देश्य पर्यावरणीय कार्य योजनाएं (ई.ए.पी.), पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास कार्रवाई योजनाओं (आर.ए.पी.) तथा देशीय लोक विकास योजनाओं (आई.पी.डी.पी.) के कार्यान्वयन के माध्यम से पर्यावरण तथा सामाजिक मुद्दों को साथ और प्रभावी ढंग से निपटने की कोल इंडिया लि. की क्षमता को सुदृढ़ करना तथा कोयला उत्पादन को पर्यावरणीय तथा सामाजिक रूप से सम्पोषित करना भी है।

(ग) सी.एस.ई.एस.एम.पी. का जून, 2002 तक पूरा हो जाने नियत है। सी.एस.आर.पी. परियोजना का जून 30, 2003 तक पूरा होना निर्धारित है।

(घ)	(1)	सी.एस.आर.पी. हेतु आरंभ में आवंटित राशि	– 1030 मिलियन अमरीकी डालर
		अभ्यर्पित राशि (सी.एस.आर.पी.)	– 507.40 मिलियन अमरीकी डालर
		सी.एस.आर.पी. हेतु आवंटित निवल राशि	– 522.60 मिलियन अमरीकी डालर
	(2)	सी.एस.ई.एस.एम.पी. हेतु आवंटित राशि	– 47.96 मिलियन अमरीकी डालर

[अनुवाद]

विमानपत्तनों का उन्नयन

1252. श्री दिलीप संघाणी:
डा. एन. वेंकटस्वामी:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विमानपत्तनों के आधुनिकीकरण की कोई योजना है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2000-2001 के दौरान जिन-जिन विमानपत्तनों का आधुनिकीकरण किया गया है उनके ब्यौरे सहित प्रत्येक राज्य विशेषकर गुजरात और आन्ध्र प्रदेश में उन्नयन/आधुनिकीकरण हेतु चुने गये विमानपत्तनों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस कार्य हेतु कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई इसका ब्यौरा क्या है और इसके परिणामस्वरूप वायु यातायात में कितनी कमी आई/कमी आने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) से (घ) हवाई अड्डों का विकास और आधुनिकीकरण कार्य एक सतत् प्रक्रिया है और यह सब यातायात आवश्यकताओं, निधि की उपलब्धता, इस प्रयोजनार्थ अपेक्षित भू-अर्जन इत्यादि पर निर्भर करता है। यह कार्य चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है विभिन्न हवाई अड्डों पर 775.50 करोड़ रुपए की लागत से वर्ष 2000-2001 के दौरान रनवे/टैक्सीपथ का विस्तार/सुदृढ़ीकरण, टर्मिनल भवनों, एप्रन का निर्माण और विस्तार/निर्माण और संवर्धन, टर्मिनल भवन तथा एप्रन का आधुनिकीकरण इत्यादि जैसे प्रमुख कार्यों को पूरा किया गया है। आंध्र प्रदेश में हैदराबाद, राजामुंद्री तथा विशाखापट्टनम, बिहार में गया, पूर्णिया तथा पटना, असम में डिब्रूगढ़, गुहावाटी तथा सिल्चर, दिल्ली में दिल्ली, गुजरात में अहमदाबाद, भावनगर तथा राजकोट, हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा (गग्गल) तथा कुल्लू (भुन्तर), जम्मू-कश्मीर में जम्मू तथा श्रीनगर, गोवा में गोवा, कर्नाटक में हुबली तथा मंगलोर, केरल में कालीकट, महाराष्ट्र में औरंगाबाद, मुम्बई, नागपुर तथा पुणे, मध्य प्रदेश में भोपाल तथा खजुराहो, राजस्थान में जैसलमेर, जोधपुर तथा उदयपुर, तमिलनाडु में चेन्नई, कोयम्बतूर तथा मदुरै, उत्तर प्रदेश में लखनऊ तथा वाराणसी, उत्तरांचल में देहरादून, पश्चिम बंगाल में कोलकाता स्थित हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण चरणबद्ध तरीके से करने हेतु 1452 करोड़ रुपए की लागत से प्रमुख कार्य निष्पादित करने की भी योजना है।

सफदरजंग विमानपत्तन को बंद करना

1253. श्री शीशराम सिंह रवि:
श्री सुरेश रामराव जाधव:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल के आतंकवादी हमलों को ध्यान में रखते हुए सरकार सफदरजंग विमानपत्तन, दिल्ली को बंद करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अमरीकी दूतावास ने भी सफदरजंग विमानपत्तन की विमान पट्टी से चाणक्य पुरी स्थित रूजवेल्ट हाउस की ओर उड़ान भरने वाले विमानों का मार्ग बदलने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो इस निवेदन पर सरकार की प्रतिक्रिया सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने ऐसे खतरे से सरकारी/निजी इमारतों, परमाणु प्रतिष्ठानों आदि की सुरक्षा करने हेतु कोई कदम उठाए हैं; और

(च) यदि हां, तो ऐसे प्रतिष्ठानों का ब्यौरा क्या है और इस पर कितनी धनराशि व्यय की गई है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) अमेरिका में हाल की घटनाओं को देखते हुए, सफदरजंग हवाई अड्डे के सर्किट को परिवर्धित करने के लिए अनुदेश जारी किये गये हैं जिससे इस हवाई अड्डे से उड़ने वाले विमान राजनयिक क्षेत्रों के ऊपर से होकर न उड़ें।

(ङ) किसी निश्चित हवाई क्षेत्र से होकर उड़ान न भरने के प्रतिबन्ध (मनाही) संबंधी आदेश पहले ही विद्यमान हैं।

(च) इन बातों का खुला करना जनता के हित में नहीं कहा जा सकता।

कृषि विकास के लक्ष्य

1254. श्री टी.एम. सेल्वागनपति: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दसवीं योजना में कृषि क्षेत्र में 4 प्रतिशत के विकास का लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने नौवीं योजना अवधि की तुलना में दसवीं योजना में कृषि के लिए कम धनराशि आवंटित की है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) से (घ) दसवीं योजना के प्रस्ताव पत्र में 2002-07 तक की अवधि के लिए 8 प्रतिशत जी.डी.पी. विकास का निर्देशात्मक लक्ष्य रखा गया है। दसवीं योजना के लिए कृषि एवं अन्य क्षेत्रों के लिए क्षेत्र-वार विकास दर और राशियों के आवंटन को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

[हिन्दी]

बीज फसल बीमा योजना

1255. श्री रामशकल:
प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बीज उपयोग के विकास हेतु फसल बीमा संबंधी प्रायोगिक योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के अंतर्गत शामिल की गई फसलों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्रत्येक फसल के लिए कितनी धनराशि का बीमा किया गया और इसके अंतर्गत राज्य-वार कितने किसानों को शामिल किया गया?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने रबी 1999-2000 में बीज फसलबीमा संबंधी एक पायलट स्कीम शुरू की है जिसके उद्देश्य इस प्रकार हैं:-

- बीज फसल के नष्ट हो जाने की स्थिति में प्रजनक बीज उत्पादक को वित्तीय सुरक्षा और आय स्थिरता प्रदान करना,
- नई निर्मुक्त संकर/उन्नत किस्मों के बीज उत्पादन कार्यक्रम शुरू करने के लिए विद्यमान बीज प्रजनक/उत्पादक में विश्वास को सुदृढ़ करना और नए प्रजनकों/उत्पादकों को प्रोत्साहित करना,
- राज्य के स्वामित्व वाले बीज निगमों/राज्य फार्मों द्वारा स्थापित अवसंरचना के लिए स्थिरता प्रदान करना, और
- आधुनिक बीज उद्योग को आगे बढ़ाना तथा इसे वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांतों के तहत लाना।

यह स्कीम भारतीय साधारण बीमा निगम द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।

(ग) धान, गेहूं, बाजरा, ज्वार, मक्का, अरहर, चना, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी और कपास की बीज फसल इस स्कीम के अंतर्गत शामिल है।

(घ) प्रत्येक फसल के लिए बीमित राशि और उसके अंतर्गत कवर किए गए किसानों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

राज्यवार/फसल-वार कवर किए गए किसानों की संख्या और बीज फसल संबंधी पायलट बीमा स्कीम के अंतर्गत बीमित राशि का ब्यौरा

रबी 1999-2000

राज्य	फसल	किसानों की संख्या	बीमित राशि (रु.)
हरियाणा	चना	13	1171440
कर्नाटक	सूरजमुखी	2	96000
उड़ीसा	धान	27+2 फार्म	671364
राजस्थान	चना	केवल फार्म	4449875
उत्तर प्रदेश	गेहूं	242	7300000
योग		274+सरकारी फार्म	13688679

खरीफ 2000

राज्य	फसल	किसानों की संख्या	बीमित राशि (रु.)
उड़ीसा	धान	76+सरकारी फार्म	2655288
गुजरात	मूंगफली	17	1724526
योग		93+सरकारी फार्म	4379814

रबी 2000-01

राज्य	फसल	किसानों की संख्या	बीमित राशि (रु.)
कर्नाटक	ज्वार-संकर	15	469050
योग		15	469050

छोटे विमानों के लिए समीक्षा समिति

1256. **डा. अशोक पटेल:**
श्री किरीट सोमैया:
श्री अशोक ना. मोहोल:
श्री ए. वेंकटेश नायक:
श्री रामशेठ ठाकुर:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने छोटे विमानों में किये गऐ सुरक्षा उपायों के संबंध में कोई समीक्षा/जांच समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष रहे; और

(ङ) इन निष्कर्षों पर सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने छोटे विमानों की खरीद, रख-रखाव तथा प्रचालन संबंधी प्रणालियों और क्रियाविधियों की व्यापक समीक्षा करने के उद्देश्य से दिनांक 1 अक्तूबर, 2001 को एक समिति का गठन किया था।

(ग) से (ङ) यह रिपोर्ट दिनांक 3.11.2001 को मिल गई थी अब इस पर नागर विमानन मंत्रालय में विचार किया जा रहा है।

[अनुवाद]

डिजास्टर मिटिगेशन इन्स्टीट्यूट

1257. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डिजास्टर मिटिगेशन इन्स्टीट्यूट, अहमदाबाद द्वारा कुछ समय पहले राष्ट्रीय आयोग के गठन की सिफारिश की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय आयोग गठित कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इस आयोग के उद्देश्य और कृत्य क्या हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) से (घ) आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में विभिन्न संगठनों से देश में आपदा प्रबंधन पद्धति को सुदृढ़ करने के लिए समय-समय पर सुझाव मिलते रहते हैं। तथापि, सरकार ने प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन संबंधी राष्ट्रीय समिति का गठन किया है। राष्ट्रीय समिति सांस्थानिक और वैधानिक ढांचे सहित प्राकृतिक आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन के लिए आवश्यकतानुरूप दीर्घावधि उपायों पर विचार-विमर्श करेगी।

कोयला खानों का बंद किया जाना

1258. श्री लक्ष्मण सेठ: क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में कुछ कोयला खानों को बंद करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) और (ख) मामले की सरकार द्वारा जांच की जा रही है।

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अधिकार

1259. श्री अरुण कुमार: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना के 25 वर्ष बीत जाने के बावजूद हमारे देश में जल और वायु दूषित हैं, स्वास्थ्य परिचर्या की लागत अत्यधिक है और लोगों के साथ-साथ न्यायालय भी पर्यावरण के बारे में चिंतित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी) में तकनीकी सदस्यों का वर्चस्व है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) यदि नहीं, तो क्या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों पर लगाए गए व्यय संबंधी प्रतिबंध के कारण इनके पास अधिक राजस्व होने के बावजूद भी यह पूंजीगत व्यय नहीं कर पा रहे हैं; और

(च) यदि हां, तो इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (ख) जी, नहीं। केन्द्रीय एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के गठन के पश्चात् औद्योगिक प्रदूषण पर नियंत्रण, विभिन्न स्रोतों आदि से होने वाले जल एवं वायु प्रदूषण के निवारण के लिए कदम उठाए गए हैं। केन्द्रीय एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के हस्तक्षेप की वजह से प्रदूषक श्रेणी के रूप में पहचान किए गए उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाए हैं। वाहन-जनित प्रदूषण को कम करने के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। प्रदूषण को कम करने/उपशमन के उद्देश्य से उठाए गए अन्य महत्वपूर्ण कदमों में ताप विद्युत संयंत्रों में "बेनेफिसिएटिड कोल" का प्रयोग, उद्योगों के स्थल निर्धारण के संबंध में दिशा-निर्देश तय करना, अपशिष्ट न्यूनीकरण संबंधी संकल्पना की शुरूआत, स्थानीय निकायों द्वारा

मलजल एवं ठोस अपशिष्टों में सुधार के लिए मनाना, परिसंकटमय अपशिष्टों और अन्यों का प्रबंधन शामिल है।

(ग) और (घ) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों में जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत निर्धारित रचना के अनुसार सदस्य हैं।

(ङ) और (च) केन्द्र सरकार ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों पर पूंजी खर्च करने संबंधी कोई प्रतिबंध नहीं लगाए हैं। तथापि, केन्द्र सरकार द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को की गई जल उपकर की अदायगी को जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 17 के प्रावधानों के अनुसार प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण के लिए उपयोग किया जाना है। बशर्ते कि कार्यालय संचालन तथा स्थापना पर किया गया खर्च जारी की गई धनराशि के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना संबंधी नीति

1260. **श्री वी. वेत्रिसेलवन:**
श्री चन्द्रनाथ सिंह:
श्री राजो सिंह:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने संबंधी कोई नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की संख्या कितनी है जिन्हें गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा राज्यवार वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. चमन लाल गुप्त): (क) और (ख) सरकार खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की उन्नति के लिए समय-समय पर कई नीतिगत पहल कर रही है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र के विकास हेतु गैर सरकारी संगठनों, सहकारिताओं, निजी उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, मानव संसाधन विकास एवं अनुसंधान और विकास संस्थाओं आदि को वित्तीय सहायता देता है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण नीति तैयार करने के लिए कार्यवाही शुरू की है और इस उद्देश्य से नीति का प्रारूप तैयार किया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अनुकूल माहौल तैयार करना, बुनियादी सुविधाओं का विकास, खेत स्तर पर लिंकेज की स्थापना आदि शामिल है।

(ग) ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष 1998-99 से 2000-2001 के दौरान विभिन्न राज्यों में खाद्य प्रसंस्करण तथा प्रशिक्षण केन्द्रों समेत खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए योजना स्कीमों के तहत दी गई वित्तीय सहायता

(राशि लाख रु. में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	यूनिटों की संख्या	1998-99	यूनिटों की संख्या	1999-2000	यूनिटों की संख्या	2000-01
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	3	40.50	11	241.39	5	320.55
कर्नाटक	5	86.90	9	194.10	4	67.69
केरल	6	298.68	4	344.10	7	233.10
तमिलनाडु	11	127.93	18	182.45	8	86.40
उड़ीसा	21	140.80	14	110.01	3	43.50

1	2	3	4	5	6	7
बिहार	4	19.00	6	9.78	4	23
पश्चिम बंगाल	16	497.95	8	252.96	4	186
उत्तर प्रदेश	14	132.57	13	204.73	8	560
पंजाब	3	173.15	1	25.00	4	352
हरियाणा	–	–	2	57.50	2	65
दिल्ली	2	8.00	2	1.07	1	1
हिमाचल प्रदेश	2	41.15	1	15.75	–	
जम्मू-कश्मीर	1	7.50	3	82.57	1	200
गुजरात	2	35.00	7	218.58	3	92
मध्य प्रदेश	3	73.00	2	44.57	2	243
महाराष्ट्र	12	180.65	17	264.65	10	356
गोवा	–	–	1	1.25	–	
असम	6	217.00	8	247.56	5	278
मेघालय	–	–	1	44.30	–	
त्रिपुरा	1	9.05	–	–	3	231
मणिपुर	4	34.41	4	59.68	16	334
नागालैंड	2	99.00	2	104.72	1	97
अंडमान तथा निकोबार	1	6.90	–	–	–	

[हिन्दी]

हिमालयन नेशनल पार्क, हिमाचल प्रदेश का मुख्यालय

1261. श्री महेश्वर सिंह: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गत पांच वर्षों के दौरान ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क का मुख्यालय कुल्लू से सेंट्रल पार्क एरिया में स्थानांतरित करने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या अंतिम निर्णय लिया गया?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क (ग) राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों का प्रबंध संबंधि सरकारों में विहित है। हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने किया है कि कुल्लू स्थित ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क का मुख्यालय प्रबंध की दृष्टि से अधिक उपयुक्त है। राज्य द्वारा बेहतर प्रबंध के लिए उपनिवेशक का कार्यालय ला पहले ही स्थापित किया जा चुका है।

[अनुवाद]

भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड द्वारा भविष्य निधि की का निजी फर्मों में निवेश

1262. श्री आर.एल. जालप्पा: क्या **कोयला और मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड प्रबंधन ने अपने कर्मचारियों की भविष्य निधि (पीएफ) की राशि का निजी फर्मों में निवेश किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त फर्मों में कुल कितनी राशि का निवेश किया गया है;

(ग) क्या कर्मचारी भविष्य निधि की राशि की वापसी मांग कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो कर्मचारियों की भविष्यनिधि की राशि को लौटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड के इम्पलाईज प्रोविडेंट फंड ट्रस्टीज (ई.पी.एफ.) ने 2.50 करोड़ रु. की प्रोविडेंट फंड राशि का एक निजी फर्म नामत: मैसर्स एस.एन. फाइनेन्स लिमिटेड में निवेश किया है।

(ग) और (घ) कर्मचारीगण इम्पलाईज प्रोविडेंट फंड (ई.पी.एफ.) राशि में से अन्तिम भुगतान नहीं मांग रहे हैं। कम्पनी के कर्मचारियों के, शादी, स्वास्थ्य चिकित्सा, गृह निर्माण आदि हेतु प्रोविडेंट फंड से अस्थायी आहरण के किसी भी अनुरोध का, कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड के निर्धारित नियमों के अनुसार निपटान किया जाता है क्योंकि ऐसी मांगों को पूरा करने के लिए कर्मचारी प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट के पास पर्याप्त धन उपलब्ध है।

कर्नाटक में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को ब्याज में छूट

1263. श्री कोलूर बसवनागौड़: क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को ब्याज में छूट प्रदान करने हेतु 5 करोड़ रु. की मांग की है:

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव किस तिथि को भेजा गया:

(ग) कर्नाटक में कितने खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को ब्याज में छूट देने का प्रस्ताव है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. चमन लाल गुप्त): (क) से (घ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के पास खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को ब्याज में छूट प्रदान करने संबंधी कोई स्कीम नहीं है। इस मंत्रालय को कर्नाटक सरकार से इस संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

नेशनल पार्कों में सुरक्षा व्यवस्था

1264. श्री रामजीवन सिंह
श्री दिनेश चन्द्र यादव:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कार्बेट नेशनल पार्क में इस हद तक अवैध शिकार आबाध रूप से चल रहा है कि अगस्त, 2001 के अंतिम सप्ताह में अवैध शिकारियों ने एक डिप्टी रेंजर को मार डाला और कुछ वन रक्षकों को घायल कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश के विभिन्न भागों में पशुओं की सुरक्षा के लिए अब तक की गई सुरक्षा व्यवस्था में विफलता के कारणों की जांच की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ङ) सरकार का देश में संरक्षित पशुओं के बढ़ते हुए अवैध शिकार से किस प्रकार दृढ़तापूर्वक निपटने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) उत्तरांचल सरकार ने 21 दिसम्बर, 2000 तथा 10 फरवरी, 2001 के बीच हाथियों के चोरी-छिपे शिकार की छह घटनाओं की सूचना दी है। हाथियों के मारे जाने के फलस्वरूप, अवसंरचना बढ़ा दी गई है और वनों की व्यापक छानबीन की गई है। इस प्रकार की एक घटना उप रेंजर श्री बिपिन चन्द्र पाण्डे के साथ 28 अगस्त, 2001 को घटी जिसमें बदमाशों के साथ हुई एक मुठभेड़ में उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी और 3 अन्य वन कर्मचारी घायल हो गए।

(ग) और (घ) हाथी, बाघ तथा पैंथर के अंगों और उत्पादों तथा मस्क पाड्स, बीयर बाइल की हमारी सीमाओं के पार और कई विकसित देशों के काले बाजार में बहुत अधिक कीमत है। उच्च लाभ प्राप्त होने के कारण देश से बाहर एक बड़े संगठित माफिया का एक बड़ा नेटवर्क बन गया है। वन विभाग में सीमित कर्मचारियों और पर्याप्त गतिशीलता, प्रभावी संचार तंत्र का अभाव, चोरी-छिपे शिकार के मामलों का पता लगाने के लिए आसूचना एकत्र करने में तकनीकी क्षमता का अभाव तथा न्यायालयों में अभियोजना चलाने में हुआ विलम्ब, चोरी-छिपे शिकार एवं अवैध

व्यापार में बढ़ती हुई चुनौती का सामना करने में वन अधिकारियों के समक्ष प्रमुख समस्याएं हैं।

(ङ) देश में बाघों और वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित प्रयास किए गए हैं:

1. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के उपबंधों के अंतर्गत शिकार एवं वाणिज्यिक दोहन के विरुद्ध बाघों सहित वन्यजीवों को कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई है।

2. वन्यजीवों को प्रभावी सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्षमता और अवसंरचना बढ़ाने के लिए केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत राज्य को वित्तीय और तकनीकी सहायता दी जा रही है।

3. वन्यजीव अपराधियों को पकड़ने और उन पर अभियोजन चलाने के लिए वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी.आई.) को शक्तियां प्रदान की गई हैं।

4. गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को वन्यजीवों के चोरी-छिपे शिकार और अवैध व्यापार को रोकने के लिए सहायता देने के संबंध में सभी राज्य सरकारों को लिखा है।

5. वन्यजीवों के चोरी-छिपे शिकार और अवैध व्यापार के नियंत्रण के लिए सचिव (पर्यावरण एवं वन), भारत सरकार की अध्यक्षता में एक विशेष समन्वय और प्रवर्तन समिति गठित की गई है।

अवैध खनन के कारण वनों का विनाश

1265. श्री अनन्त नायक: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा के क्योंझर, मयूर भंज, सुंदर गढ़ और अविभाजित के बी के जिलों में खनन कार्यकलापों में लगी प्रत्येक सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कम्पनी द्वारा गत पांच वर्षों के दौरान पर्यावरण और वन संसाधनों को कुल कितनी क्षति पहुंचायी गई;

(ख) क्या इन कंपनियों द्वारा खनन के पश्चात् छोड़े गए खड्डों में कोई वृक्षारोपण किया गया हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और घास, विनाश और प्रदूषण रहित पर्यावरण में असंतुलन फैलाने वाली इन कम्पनियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा अनुसंधान कार्य

1266. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चावल और कपास को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों से सुरक्षा हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आई.सी.ए.आर.) द्वारा किए गए अनुसंधानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा राष्ट्रीय कृषि परियोजनाओं के अंतर्गत शुरू की गई अन्य परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जेनेटिक इंजीनियरी द्वारा संवर्धित कपास और चावल किसानों को उपलब्ध कराए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अपने प्रारंभ से ही कपास और चावल के अनेक रोगों तथा कीट-व्याधियों की प्रतिरोधी किस्मों का विकास करने तथा नाशीजीवनाशकों/जैव नाशीजीवनाशकों और अन्य सस्य विज्ञान सम्बन्धी परिचालनों के प्रयोग के माध्यम से उनके नियंत्रण के उपायों पर ध्यन केन्द्रित किया है। इसके साथ-साथ चावल और कपास के प्रमुख नाशीजीवों के नियंत्रण के लिए आसानी से अनुकूलनीयता तथा आर्थिक रूप से जीवनक्षम आई.पी.एम. की नीतियों का विकास भी किया गया है।

(ख) राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना की वित्तीय सहायता के तहत शुरू की गई परियोजनाओं की जानकारी संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) और (घ) महिको द्वारा विकसित पराजीनी बी.टी. कपास का वर्ष 2001-2002 के फसली मौसम के दौरान छः राज्यों में अखिल भारतीय समन्वित कपास अनुसंधान परियोजना के तहत मूल्यांकन किया जा रहा है। व्यापारिक खेती करने के लिए इसकी उपयुक्तता का जैव-प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा चलाए जा रहे परीक्षणों के अतिरिक्त इन परीक्षणों के परिणाम प्राप्त होने के बाद पता चलेगा। जहां तक आनुवंशिक रूप से संवर्धित चावल की फसल का संबंध है, पराजीनी विज्ञान विकास और मूल्यांकन की प्रारम्भिक अवस्थाओं में है।

विवरण

राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजनाओं के अंतर्गत भा.कृ.अ.प. परियोजनाएं

क्रम सं.	परियोजना का नाम	कार्य स्थान
1.	चावल तथा कपास पारिस्थितिकी प्रणालियों में समेकित नाशीजीव प्रबन्ध-प्रौद्योगिकी सुधार, अनुसमर्थन तथा स्थानान्तरण	टी.एन.ए.यू., मदुरई
2.	चावल तथा चावल पर आधारित फसल प्रणालियों में नाशीजीव प्रबन्ध में नीम की जैव-क्षमता तथा स्थायित्व में सुधार लाना।	टी.एन.आर.आर.आई., तंजावुर
3.	कवक नाशीजीव नाशक-कपास के प्रमुख कीट नाशीजीवों के प्रबन्धन के लिए उत्पादन में सुधार लाना तथा प्रौद्योगिकियां तैयार करना।	ए.यू., विशाखापट्टनम
4.	टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने के लिए चावल-गेहूं कृषि पारिस्थितिकी प्रणाली में पोषक खनिजन में माइक्रोबाइवोरस सूत्रकृमियों की भूमिका।	आई.ए.आर.आई., नई दिल्ली
5.	असम में चावल के नाशीजीवों के प्रबन्धन के लिए वानस्पतिक तथा कवक कीटनाशक	ए.ए.यू., जोरहाट
6.	चावल-चावल फसल प्रणाली के अंतर्गत शीथ अंगमारी रोग के लिए समेकित रोग प्रबन्ध रणनीतियों का विकास।	ए.ए.यू., आर.आर.एस., तीताबार
7.	प्रतिदीप्त (फलूरोसेंट) स्यूडोमोनास से गौण उपापचयज (मेटाबोलाइट्स) का पृथक्कीकरण तथा चावल के रोगाणुओं के विरुद्ध उनकी जैव क्षमता।	एन.ए.आर.डी.आई., सिकंदराबाद
8.	चावल पर आधारित बारानी उत्पादन प्रणालियों में समेकित नाशीजीव प्रबन्धन के लिए नए दृष्टिकोण।	चावल अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद
9.	चावल-गेहूं फसल प्रणालियों में अपनाए जा सकने वाले समेकित नाशीजीव प्रबन्ध का विकास।	एन.सी.आई.पी.एम., नई दिल्ली
10.	चावल में मृदा-बायोटा तथा अलक्षित जीवों पर नाशीजीव नाशकों का प्रभाव।	बी.एच.यू., वाराणसी-221005 (उ.प्र.)
11.	कपास में पत्ती मुड़न रोग पर नियन्त्रण तथा परभक्षियों, परजीवियों तथा कीट रोगों के व्यापक बहुगुणीकरण के लिए प्रोटोकालों का विकास।	सी.आई.सी.आर., नागपुर-440010 (महाराष्ट्र)
12.	फसल नाशीजीवों तथा रोगों के लिए मौसम पर आधारित पूर्वानुमान प्रणाली का विकास।	सी.आर.आर.आई., कटक

[हिन्दी]

श्रम मंत्रियों का सम्मेलन

1267. श्री जयभान सिंह पवैया: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में नई दिल्ली में श्रम मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसमें किन मुद्दों पर चर्चा की गई;

(ग) इसमें लिए गए निर्णयों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण

1268. सरदार बूटा सिंह: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डी.ओ.पी.टी. के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/2/96-स्थापना (आरक्षण) दिनांक 2 जुलाई, 1997 के व्याख्यात्मक टिप्पण पैरा 11 के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लोग जो योग्यता के आधार पर चयनित हुए हैं, उन्हें इन समुदायों की रिक्तियों/आरक्षित पदों को कोटे के विरुद्ध नहीं दर्शाया जा सकता;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न वर्गों की सेवाओं में योग्यता के आधार पर चयनित भर्ती/पदोन्नत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के ऐसे लोगों की संख्या कितनी है जिन्हें उनके मंत्रालय द्वारा पिछले पांच वर्षों के दौरान इन समुदायों के लिए रिक्तियों/पदों के आरक्षित कोटे में नहीं शामिल किया गया; और

(ग) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के ऐसे आवेदकों की संख्या कितनी है जिनका योग्यता के आधार पर चयन किया गया है लेकिन उनके समुदायों के आरक्षित रिक्तियों/पदों के विरुद्ध उनको दर्शाया गया था और इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

भारतीय कामगारों का कल्याण

1269. श्री बृज भूषण शरण सिंह: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश के दृष्टिगत भारतीय कामगारों के हितों की सुरक्षा हेतु किए गए अद्यतन उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार इस संबंध में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के दबाव का सामना कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान कामगारों के दमन/शोषण की घटनाओं का ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) कर्मकारों के हितों की रक्षा करने के लिए वर्तमान श्रम कानूनों में पर्याप्त प्रावधान हैं। ये श्रम कानून भारत में काम कर रही बहुराष्ट्रीय कम्पनियों पर भी समान रूप से लागू हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) कर्मकारों से, कुछ बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा उनसे जबरन त्याग-पत्र लिए जाने, छंटनी किये जाने, तथा जबरन "अच्छे आचरण" का वचन-पत्र लिए जाने के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

[अनुवाद]

बकाया आरक्षित पद

1270. श्री रमेश सी. जीगाजीनागी: क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संविधान के अनुच्छेद 16(4) ख के तहत की गई व्यवस्था के अनुसार किसी वर्ष में आरक्षित रिक्त पदों की 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा से बचाने के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित पिछले बकाया/अग्रेनीत रिक्त पदों को एक अलग और विशेष समूह के रूप में माना जाना अपेक्षित है;

(ख) यदि हां, तो 29 अगस्त, 1997 की स्थिति के अनुसार, अर्थात्, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के रिक्त पदों को भरे जाने वाले विशेष अभियान, आदि को रोक दिया गया और कोयला और खान मंत्रालय में डीओपीटी के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/2/96 स्था. (आरक्षण) दिनांक

जुलाई, 1997 के पैरा 5 के अनुसार समूह क, ख, ग और घ श्रेणियों में निर्धारित बकाया आरक्षित रिक्त पदों का ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक वर्ष के दौरान भरी गई और अग्रेनीत रिक्तियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत चार वर्षों के दौरान 'रोस्टर आधारित पद' के अनुसार पदों की सभी श्रेणियों में आरक्षित वर्गों के लिए सृजित की रिक्तियों/पदों का क्या ब्यौरा है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

समूह "क" और "ख" सेवाओं में अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के पद

1271. **श्री शमशेर सिंह दूलो**: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के अंतर्गत 1 जनवरी, 1998 की स्थिति के अनुसार प्रथम श्रेणी (समूह क) सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व केवल 13.59 प्रतिशत है (अनुसूचित जातियां-10.38 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियां-3.21 प्रतिशत) और द्वितीय श्रेणी (समूह "ख") में यह प्रतिनिधित्व केवल 14.41 प्रतिशत है (अनुसूचित जातियां-11.73 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियां-2.68 प्रतिशत) जबकि उनके लिए निर्धारित आरक्षण कोटा 22.5 प्रतिशत (अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5 प्रतिशत है;

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय के अधीन (1) प्रथम श्रेणी (समूह क), और (2) द्वितीय श्रेणी (समूह ख) और उनके समकक्ष कुल कितने पद हैं; और

(ग) ऐसे पदों पर (1) सामान्य, (2) अनुसूचित जाति, (3) अनुसूचित जनजाति, और (4) अन्य पिछड़े वर्गों की श्रेणी में कितने व्यक्ति कार्यरत हैं और कुल पदों की तुलना में उनकी प्रतिशतता कितनी है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

डेयरी विकास और पशुपालन

1272. **श्री चरनजीत सिंह**: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) डेयरी विकास प्रौद्योगिकी मिशन (डीडीटीएम) के अंतर्गत डेयरी विकास और पशुपालन के लिए किसानों और डेयरी मालिकों को उपलब्ध करायी गई सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त मिशन के अंतर्गत कितनी नई योजनाओं और कार्यक्रमों को शुरू किया गया;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत प्रत्येक राज्य को कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई और इसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) आगामी दो वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य को इस मिशन के अंतर्गत कितनी राशि आबंटित किए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) डेयरी विकास संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन के तहत, किसानों तथा डेयरी स्वामियों को सुविधाएं देने के लिए निम्नलिखित गतिविधियां शुरू की गई थीं:-

(1) संचालननात्मक लिंकेज कार्यक्रम: स्वास्थ्य देखभाल, प्रजनन सेवाओं तथा पशुपालन विस्तार, आदि जैसी लागत प्रभावी सेवाओं को उपलब्ध कराने तथा राज्य सरकारों और राज्य अन्य एजेंसियों के पास उपलब्ध संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करने के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया था।

(2) हिमित वीर्य केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण: कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रमों के लिए वीर्य की भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से हिमित वीर्य उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए, सरकारी क्षेत्र तथा गैर-सरकारी संगठन क्षेत्र में चुनिन्दा हिमित वीर्य केन्द्रों को सुदृढ़ किया गया है।

3. तरल नाइट्रोजन डिलीवरी प्रणाली: कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम के लिए तरल नाइट्रोजन को सस्ती दर पर उपलब्ध कराने के लिए गुजरात और कर्नाटक में तरल नाइट्रोजन डिलीवरी प्रणाली स्थापित की गई है।

(4) चारा बीज उत्पादन कार्यक्रम: इस मिशन ने डेयरी किसानों को उचित मूल्य के उच्च गुणवत्ता वाले चारा बीजों को उपलब्ध कराने में मदद की।

(ख) डेयरी विकास संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन का कार्यकाल मार्च, 1999 में समाप्त हो गया। विगत तीन वर्षों के दौरान कोई नई योजना तथा कार्यक्रम शुरू नहीं किया गया है।

(ग) विगत तीन वर्षों में डेयरी विकास संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन के तहत उपलब्ध कराई गई राज्यवार वित्तीय सहायता संलग्न विवरण में दी गई है। इस मिशन द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से निम्नलिखित परिणाम सामने आए हैं:-

(1) पशु स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध करने के लिए 5374 डेयरी सहकारी समितियों तथा कृत्रिम गर्भाधान, टीकाकरण, आदि के लिए 2079 डेयरी सहकारी समितियों की अतिरिक्त कवरेज।

(2) जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों ने डेयरी तथा पशुपालन विकास के प्रति ध्यान देना शुरू कर दिया है तथा मौजूदा दुग्ध मार्गों में बुनियादी सुविधाओं के सृजन तथा दुधारू पशुओं के वितरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है।

(3) हिमित वीर्य उत्पादन प्रतिवर्ष 108 लाख खुराक से बढ़कर 241 लाख खुराक हो गया।

(4) कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम के लिए तरल नाइट्रोजन की थोक खरीद, भंडारण तथा डिलीवरी के लिए माडल प्रणाली की स्थापना।

(5) राज्य पशुपालन विभागों के 380 अतिरिक्त अधिकारियों तथा 29 जिला मजिस्ट्रेटों/कलेक्टरों का उन्मुखीकरण।

(6) 9538 मीट्रिक टन उच्च गुणवत्ता वाले चारा बीज का अतिरिक्त उत्पादन।

(घ) चूंकि डेयरी विकास संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन का कार्यक्रम पहले ही पूरा हो चुका है, अत: किसी भी राज्य को कोई राशि आबंटित करने का प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

विगत तीन वर्षों के दौरान डेयरी विकास संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन के तहत उपलब्ध कराई गई राज्यवार वित्तीय सहायता

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	वर्ष		
		1998-99	1999-2000	2000-2001*
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	31.78	27.29	–
2.	बिहार	149.21	5.56	–
3.	गोवा	0.00	13.76	–
4.	गुजरात	119.01	72.48	–
5.	हरियाणा	0.41	0.00	–
6.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	–
7.	कर्नाटक	22.11	38.68	–
8.	केरल	1.72	2.71	–
9.	मध्य प्रदेश	13.41	38.89	–
10.	महाराष्ट्र	0.69	33.55	–
11.	उड़ीसा	57.99	7.93	–
12.	पांडिचेरी	0.00	0.00	–
13.	पंजाब	30.76	11.13	–
14.	राजस्थान	9.04	10.14	–
15.	तमिलनाडु	2.50	0.01	–
16.	उत्तर प्रदेश	34.83	20.86	–
17.	पश्चिम बंगाल	4.33	5.96	–

*डेयरी विकास संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन योजना मार्च, 1999 में समाप्त हो गई है। वर्ष 2000-2001 के दौरान इस योजना के तहत कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गई।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

1273. श्री राजैया मल्याला:
श्री रामशकल:
श्री भीम दाहाल:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना हेतु राज्यों में उपलब्ध करायी जा रही वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सिक्किम सहित विभिन्न राज्यों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना हेतु उनके मंत्रालय के समक्ष कोई प्रस्ताव लम्बित है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसे कब तक स्वीकृत किये जाने की संभावना है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. चमन लाल गुप्त): (क) से (घ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय अपनी योजना स्कीमों के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सहकारिताओं, संयुक्त एवं सहायता प्राप्त क्षेत्र, निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संगठनों, मानव संसाधन विकास, अनुसंधान और विकास संस्थानों आदि को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही स्कीमें परियोजना विशेष हैं न कि राज्य विशेष। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के वास्ते सिक्किम समेत किसी राज्य सरकार से कोई आवेदन मंत्रालय में प्राप्त नहीं हुआ है।

अधिगृहीत भूमि का एन.एल.सी. द्वारा मुआवजा

1274. श्री एम. दुराई: क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन (एन.एल.सी.) द्वारा अधिगृहीत भूमि के भूस्वामियों के परिजनों को मुआवजा लाभ/रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने मामले लम्बित हैं और ऐसे कितने मामले हैं जिनमें मुआवजे का भुगतान किया गया है;

(ग) क्या एन.एल.सी. को उक्त व्यक्तियों को रोजगार देने में किसी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) अधिग्रहीत भूमियों के लिए मुआवजा भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार दिया जा रहा है। अधिनियम के अंतर्गत, प्रभावित परिवारों को अभ्यर्पित भूमि की विभिन्न श्रेणियों के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित मौद्रिक मुआवजे का भुगतान किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, एन.एल.सी. के पास एक अनुमोदित पुनर्वास कार्रवाई योजना है जिसमें अपने आवासों का अभ्यर्पण करने वालों के लिए एक भौतिक पुनर्वास पैकेज शामिल है और भू-वंचितों के लिए एक आर्थिक पुनर्वास पैकेज है जिसमें स्व-रोजगार संबंधी प्रशिक्षण, अस्थायी रोजगार, ठेके पर कार्य दिया जाना, आदि शामिल हैं।

(ख) जब भी निजी स्वामियों से भूमि अधिग्रहीत की जाती है तो भूमि तथा उस पर बनी अचल सम्पत्ति के लिए मुआवजा राज्य राजस्व प्राधिकरणों को अदा किया जाता है ताकि भू-स्वामियों में वितरित किया जा सके। वर्ष 1977 से 23,598 अवार्डीस हेतु मुआवजा सरकारी प्राधिकरणों को भेजा जा चुका है। उपर्युक्त 23,598 अवार्डीस में से, 9954 अवार्डीस मुआवजा बढ़ाए जाने हेतु अदालतों में चले गए हैं। 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार, इस प्रकार के 8368 मामलों को निपटाया जा चुका है और बढ़े हुए मुआवजे का भुगतान किया गया।

(ग) और (घ) जी, हां। उपलब्ध रोजगार अवसरों की तुलना में रोजगार की मांग करने वालों की संख्या अधिक है, विशेष रूप से इसलिए, क्योंकि विस्थापित व्यक्तियों की शैक्षिक पृष्ठभूमि कार्य-कुशल श्रमशक्ति की आवश्यकता से मेल नहीं खाती। इसके अतिरिक्त, नेयवेली को निम्नलिखित क्षेत्रों में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है:-

- वे मामले, जिनमें पहले ही 2 से अधिक व्यक्ति एन.एल.सी. में नियोजित हैं और "एक परिवार में एक" नियम के अनुसार पात्रता प्राप्त नहीं है।
- परिवार की सम्पत्ति का बंटवारा हो जाना और परिवार के प्रत्येक सदस्य द्वारा इन बंटे हुए हिस्सों के आधार पर रोजगार की मांग करना, जबकि नियम केवल मुख्य अवार्डी के लिए ही है।
- आश्रितों के अलावा, अन्य व्यक्तियों द्वारा रोजगार की मांग करना, यद्यपि वे नियमानुसार पात्र नहीं हैं।
- भूमि के छोटे-छोटे हिस्सों के लिए दावे।

विमानपत्तनों पर एम्बूलिफ्ट

1275. श्रीमती प्रभा राव: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में ऐसे कितने विमानपत्तन हैं जहां एम्बूलिफ्ट की सुविधा है;

(ख) क्या सरकार का विचार प्रत्येक विमानपत्तन पर एम्बूलिफ्ट सुविधा उपलब्ध कराने का है;

(ग) यदि हां, तो ऐसी सुविधा कब तक उपलब्ध कराये जाने की संभावना है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मुम्बई में विमानपत्तन प्राधिकरण के पास एक ऐसी एम्बूलिफ्ट है जोकि

यात्रियों द्वारा आवश्यकता पड़ने पर उन्हें विमान से आगमन हाल तक नहीं ले जा पाती है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने मुम्बई, चेन्नई, कोयम्बतूर, गुवाहाटी, गोवा, अहमदाबाद तथा कालीकट स्थित प्रत्येक हवाई अड्डे पर एक-एक एम्बूलिफ्ट उपलब्ध कराई है।

इंडियन एयरलाइंस ने दिल्ली स्थित हवाई अड्डे पर दो एम्बूलिफ्ट तथा कोलकाता, बंगलोर एवं त्रिवेन्द्रम स्थित हवाई अड्डों पर प्रत्येक पर एक-एक एम्बूलिफ्ट उपलब्ध कराई हैं। एअर इंडिया ने मुम्बई स्थित हवाई अड्डे पर तीन एम्बूलिफ्ट तथा कोचीन हवाई अड्डे पर एक एम्बूलिफ्ट उपलब्ध कराई है।

(ख) से (घ) जी, नहीं। सामान्यत: एयरलाइनें प्रचालन अपेक्षाओं के आधार पर ही कुछ हवाई अड्डों पर यात्री सुविधाओं के लिए एम्बूलिफ्ट उपलब्ध कराती है।

(ङ) और (च) जब और जैसे ही जरूरत होती है, मुम्बई हवाई अड्डे पर उपलब्ध एम्बूलिफ्ट की सुविधा यात्रियों को मुहैया कराई जाती है।

कोयला खानों में अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के पद

1276. श्री रामजीलाल सुमन: क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के अंतर्गत 1 जनवरी, 1998 की स्थिति के अनुसार प्रथम श्रेणी (समूह क) सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व केवल 10.68 प्रतिशत है (अनुसूचित जातियां-08.41 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियां-2.27 प्रतिशत) है और द्वितीय श्रेणी (समूह ख) में यह प्रतिनिधित्वत केवल 13.20 प्रतिशत है (अनुसूचित जातियां-09.68 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियां-3.52 प्रतिशत) जबकि उनके लिए निर्धारित आरक्षण कोटा 22.5 प्रतिशत (अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5 प्रतिशत) है;

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय के अधीन (1) सभी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों/उद्यमों (2) सांविधिक संगठनों/नियमों (3) स्वायत्त संगठनों और अधीनस्थ कार्यालयों के अंतर्गत (1) प्रथम श्रेणी (समूह क) और (2) द्वितीय श्रेणी (समूह ख) और उनके समकक्ष कुल कितने पद हैं; और

(ग) कुले पदों में ऐसे पदों पर (1) सामान्य (2) अनुसूचित जातियों (3) अनुसूचित जनजातियों (4) अन्य पिछड़े वर्गों के कितने व्यक्ति कार्यरत हैं और इन पदों पर उनका प्रतिशत क्या है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) लोक उद्यम विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 1.1.2000 को सभी केन्द्र सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में समूह क और समूह ख की सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत निम्नवत् हैं:-

समूह	अनुसूचित जातियों का प्रतिशत	अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत
समूह क	10.35	2.97
समूह ख	11.05	4.18

(ख) और (ग) कोयला और खान मंत्रालय के खान विभाग में भारत गोल्ड माइन्स लि. को छोड़कर, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में समूह क तथा समूह ख के कुल पद और आरक्षित श्रेणियों को नीचे दर्शाया गया है:-

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	कुल	सामान्य	प्रतिशत	अनुसूचित जाति	प्रतिशत	अनुसूचित जनजाति	प्रतिशत	अन्य पिछड़े वर्ग	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
समूह क									
हिन्दुस्तान जिंक लि.	1272	1163	91.43	88	6.92	21	1.65	0	0

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लि.	1217	949	77.98	137	11.26	52	4.27	79	6.49
खनिज अन्वेषण निगम लि.	469	353	75.26	71	15.14	21	4.48	24	5.12
हिन्दुस्तान कॉपर लि.	1479	1274	86.14	111	7.50	31	2.10	63	4.26
समूह ख									
हिन्दुस्तान जिंक लि.	1274	1148	90.10	95	7.46	31	2.44	0	0
नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लि.	1014	681	67.16	139	13.71	96	9.47	98	9.66
खनिज अन्वेषण निगम लि.	40	34	85	4	10	01	2.5	01	2.5
हिन्दुस्तान कॉपर लि.	528	350	66.28	64	12.12	22	4.17	92	17.43

भारत गोल्ड माइन्स लि. को कर्नाटक उच्च न्यायालय, जहां मामला न्यायाधीन है, के निर्णय के अधीन, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अनुच्छेद, 25 (ओ) के तहत्, 1.3.2001 से बंद कर दिया गया है।

कोयला विभाग के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है तथा उसे सदन के पटल पर रखा जाएगा।

अधिकारियों को प्रशिक्षण

1277. **श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विभिन्न क्षेत्रों और विषयों में अधिकारियों की शैक्षिक, प्रबंधकीय तकनीकी और प्रशासनिक क्षमताओं में सुधार करने हेतु प्रशिक्षण देने के लिए उन्हें प्रतिष्ठित विदेशी संस्थाओं के लिए प्रतिनियुक्त करता है जहां कुछ मामलों में ऐसे प्रशिक्षण की लागत द्विपक्षीय/अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों के तहत प्रायोजक देशों/अभिकरणों द्वारा वहन की जाती है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान उनके मंत्रालय के कितने व्यक्तियों ने वर्षवार ऐसे अल्पकालिक/दीर्घकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरे किए;

(ग) उनमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्ति कितने थे और उनका प्रतिशत कितना है;

(घ) संविधान के अनुच्छेद 46 के तहत यथा प्रदत्त ऐसे अवसरों का लाभ उठाने के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए किए गए विशेष प्रावधान का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उक्त संवैधानिक निदेश की अनदेखी करने के क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विमानपत्तनों पर टीसीएडब्ल्यूएस की संस्थापना

1278. श्री सी. श्रीनिवासन:
श्री गुनीपाटी रामैया:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चरखी दादरी में विमान के हवा में टकराये जाने के बाद देश में टीसीएडब्ल्यूएस शुरू करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भविष्य में ऐसी विमान टक्करों को टालने के लिए डीसीएडब्ल्यूएस की स्थापना कर दी गई है;

(ग) यदि हां, तो विमानपत्तन-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) और (ख) जी, हां। 1.1.1999 से उन सभी हवाई जहाजों में जिनमें 30 से ज्यादा सीटें हैं और जिसका कुल भार 5700 किलोग्राम से अधिक है, उन सभी हवाई जहाजों में हवाई ट्रैफिक भिड़ंत बचाव चेतावनी प्रणाली लगाना जरूरी कर दिया है ताकि आकाश में हवाई जहाजों के बीच टक्कर होने के खतरे को कम किया जा सके। इस समय इस श्रेणी में आने वाले सभी हवाई जहाजों में यह प्रणाली लगा दी गई है।

(ग) हवाई ट्रैफिक भिड़ंत बचाव चेतावनी प्रणाली हवाई अड्डों पर नहीं लगाई जाती, बल्कि यह हवाई जहाजों में लगाई जाती है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

तीर्थ यात्री पर्यटन बोर्ड की स्थापना

1279. श्री पदमसेन चौधरी:
श्री रामपाल सिंह:

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने तीर्थ यात्री पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए तीर्थ यात्री पर्यटन बोर्ड स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बोर्ड की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

राष्ट्रीय श्रम आयोग

1280. श्री चन्द्रनाथ सिंह:
डा. जसवंतसिंह यादव:
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:
श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:
श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्री जी.एस. बसवराज:
श्री राम प्रसाद सिंह:
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह:

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दूसरे श्रम आयोग की अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) आयोग द्वारा की गई सिफारिशों और सरकार द्वारा कार्यान्वयन हेतु अब तक स्वीकार की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) अन्तिम रिपोर्ट के कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) जी, हां।

(ख) आयोग का कार्य फिलहाल विभिन्न आकंड़ों के संकलन, समेकन तथा निर्वाचन की निर्णायक स्थिति में है। आयोग को अभी अपने द्वारा गठित किए गए विभिन्न समूहों की रिपोर्टों के साथ-साथ अलग-अलग वर्गों से प्रश्नावलियों के प्रत्युत्तर में प्राप्त ज्ञापनों और साक्ष्यों का भी अध्ययन करना है। अत: इसी को देखते हुए आयोग के कार्यकाल को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

(ग) आयोग ने अभी तक कोई सिफारिशें पेश नहीं की है।

(घ) 15.02.2002 तक आयोग की अन्तिम रिपोर्ट अपेक्षित है।

कुमुदिनी और कमल पुष्पों का वाणिज्यिकरण

1281. श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने श्रीलंका की तर्ज पर कुमुदिनी और कमल के वाणिज्यिकरण हेतु कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार के पास परम्परागत पुष्पों, कट फ्लावर ड्राईफ्लावर कट फोलिएज, पाटफोलिएज पादपों आदि जैसे पुष्पकृषि उद्योग के विभिन्न पक्षों का समन्वयन करने के लिए ''पुष्पकृषि मिशन'' शुरू करने हेतु कोई योजना है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (च) भारत सरकार ने 8वीं और 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अक्तूबर, 2000 तक वाणिज्यिक पुष्प कृषि पर एक केन्द्रीय क्षेत्रीय स्कीम कार्यान्वित की। इन स्कीम में आदर्श पुष्प कृषि केन्द्रों और नर्सरियों के जरिये अच्छे गुणस्तर की रोपण सामग्री सुलभ कराने, उद्यमियों के प्रशिक्षण, ग्रीन गृहों, खेतों पर रख-रखाव के यूनिटों और क्षेत्र विस्तार का प्रावधान था। अब यह योजना ''कृषि में वृहद प्रबंध-कार्ययोजनाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों के अनुपूरण/संपूरण'' नामक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम में सम्मिलित कर दी गयी है। यह स्कीम राज्यों को अपनी जरूरतों की प्राथमिकता तय करने में अधिक छूट देती है। राज्य कुमुदनी और कमल के वाणिज्यिकरण संबंधी कार्यक्रम इस स्कीम के अंतर्गत चला सकते हैं।

भारत सरकार ने भी पुष्प कृषि पर खाद्य और कृषि संगठन की सहायता प्राप्त परियोजना (1998-2000) कार्यान्वित की है जिसमें विशेषकर शीतोष्ण-क्षेत्रीय कुमुदनी पर ध्यान केन्द्रित किया गया था।

इस समय ''पुष्प कृषि मिशन'' चलाने की कोई योजना नहीं है। सरकार के विभिन्न कार्यकलापों के माध्यम से परंपरागत फूलों, तराशे जाने वाले फूलों, शुष्क फूलों और तराशी गयी पत्तियों तथा गमलों में बनाए जाने वाले पौधों जैसे पुष्प कृषि उद्योग के विभिन्न पहलुओं की ओर ध्यान दिया जा रहा है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड अपने ''उत्पादन और कटाई उपरांत प्रबंध के जरिए वाणिज्यिक बागवानी के विकास'' नामक कार्यक्रमों के अंतर्गत 25.00 लाख रु. की अधिकतम सीमा तक कुल परियोजना लागत के 20 प्रतिशत के बराबर सीमित पूंजीगत राजसहायता देता है। इसके अलावा कृषि उत्पाद-निर्यात विकास प्राधिकरण (अपेडा) पुष्प कृषि उद्योग के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहा है। इसने बंगलौर में एक पुष्प नीलामी केन्द्र स्थापित करने के लिए पहल भी की है। अपेडा द्वारा मुम्बई और नोएडा (उ.प्र.) के लिए ऐसे ही केन्द्रों पर विचार कर रहा है जिससे फूलों के निर्यात् और पुष्प कृषि उद्योग की वृद्धि में मदद मिलेगी। अपेडा ने ऐमस्टरडम, हालैंड में एक पुष्प विपणन केन्द्र भी स्थापित किया है ताकि अधिक मूल्य वसूली के लिए पूर्ति में सहायता बनाए रखी जा सके।

[हिन्दी]

देशी फलों की गुणवत्ता

1282. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशी फलों की गुणवत्ता के कारण इनकी बढ़ती मांग को देखते हुए सरकार का विचार स्वदेशी फलों की गुणवत्ता में सुधार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो वे विदेशी फल कौन-कौन से है जिनकी बाजार में अधिक मांग है और स्वदेशी फल बाजार की संरक्षा करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) भारत में विदेशी फलों की मांग के बारे में कोई सर्वेक्षण नहीं कराया गया है हालांकि, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् सभी प्रकार के वाणिज्यिक और स्वदेशी फलों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए नियमित रूप से अनुसंधान कार्यक्रम चला रहा है। इसके अलावा, समय-समय पर फलों के आयात पर शुल्क में बढ़ोत्तरी की जाती रहती है जिससे कि स्वदेशी फल बाजार का बचाव किया जा सके।

[अनुवाद]

पशुओं का आयात

1283. श्री भर्तृहरि महताब: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष देशवार आयात किए पशुओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश में पशुओं के मांस का निर्यात किया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान किन-किन देशों में पशुओं के मांस का निर्यात किया गया है और इससे कितनी धनराशि का मुनाफा अर्जित किया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण याद

(क) विगत दो वर्षों के दौरान गोपशुओं के आयात का संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी, नहीं। मौजूदा निर्यात आयात नीति के अ गोपशु मांस (गाय का मांस) के निर्यात पर प्रतिबंध है।

(ग) उपरोक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वर्ष 1999-2000 तथा 2000-2001 के दौरान देशवार और गोपशुवार गोपशु के आयात को दर्शाने वाला विवरण

वर्ष 1999-2000

क्र.सं.	विवरण	देश	गोपशु संख्या
1.	हीफर और सांड (प्रजनन के लिए)	आस्ट्रेलिया	21
2.	हीफर और सांड (प्रजनन के लिए)	डेनमार्क	28
3.	सांड, शुद्ध प्रजनन नस्ल के अलावा अन्य वयस्क	नेपाल	22
4.	शुद्ध प्रजनन नस्ल के अलावा अन्य (सांडों और भैंसों को छोड़कर)	नेपाल	153
			कुल: 224

वर्ष 2000-2001

क्र.सं.	विवरण	देश	गोपशु संख्या
1.	सांड, शुद्ध प्रजनन नस्ल के अलावा अन्य वयस्क	नेपाल	427
2.	शुद्ध प्रजनन नस्ल के अलावा अन्य (सांडों और भैंसों को छोड़कर)	नेपाल	626
			कुल: 1053

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में कृषि विद्यापीठ का दूसरा नाम रखना

1284. श्री हरीभाऊ शंकर महाले: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कृषि क्षेत्र में बसंतराव नायक के महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए मराठवाड़ा कृषि विद्य का नाम बदलकर बसंतराव जी नायक मराठवाड़ा कृषि विद्य रखने का है;

(ख) यदि हां, तो उक्त विद्यापीठ का नाम कब तक बदले जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, नहीं। परिषद में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) उपरोक्त "क" को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) लागू नहीं।

[अनुवाद]

आई.टी.डी.सी. की बकाया धनराशि

1285. श्री एस. अजय कुमार: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आई.टी.डी.सी. की विभिन्न सरकारी विभागों पर एक बड़ी धनराशि बकाया है;

(ख) यदि हां, तो उन विभागों के नाम क्या हैं और इनमें से प्रत्येक विभाग पर अलग-अलग कितनी धनराशि बकाया है और इस धनराशि को वसूल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) और (ख) 30 जून, 2001 को विभिन्न केन्द्र और राज्य सरकारों/विभागों पर 15.62 करोड़ रुपए की राशि बकाया है। मंत्रालय/विभागवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I, II और III में दिया गया है।

बकाया की वसूली एक सतत् प्रक्रिया है। बकाया की वसूली के लिए किए गए/किए जा रहे उपायों में निम्न शामिल हैं:-

1. वैयक्तिक सम्पर्क और आवधिक अनुस्मारक।
2. एकक और निगम दोनों स्तरों पर आवधिक संवीक्षा।
3. प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा सहायता।
4. दोषी पार्टियों के लिए उधार सुविधा रोकना।
5. जहां कहीं आवश्यक हो, कानूनी कार्रवाई करना।

विवरण-I

30.6.2001 को बकाया की मंत्रालय और विभाग-वार स्थिति

(लाख रुपयों में)

क्रम सं.	विवरण	राशि
1	2	3
1.	कृषि मंत्रालय	21.01
2.	परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष मंत्रालय	2.09
3.	नागर विमानन मंत्रालय	9.92
4.	रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय	1.01
5.	वाणिज्य मंत्रालय	3.70
6.	संस्कृति मंत्रालय	134.35
7.	संचार मंत्रालय	2.13
8.	रक्षा मंत्रालय	74.57
9.	ऊर्जा एवं वन मंत्रालय	2.22
10.	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	59.08
11.	विदेश मंत्रालय	182.75
12.	वित्त मंत्रालय	37.09
13.	खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रालय	13.95
14.	परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य मंत्रालय	23.48
15.	गृह मंत्रालय	62.77
16.	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	101.87
17.	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	33.92
18.	उद्योग मंत्रालय	13.92
19.	श्रम मंत्रालय	15.53
20.	न्याय एवं कानून मंत्रालय	6.82
21.	महासागर विकास मंत्रालय	7.87
22.	संसदीय कार्य मंत्रालय	64.13
23.	कार्मिक एवं प्रशिक्षण तथा पेंशन मंत्रालय	1.92

1	2	3
24.	पैट्रोलियम मंत्रालय	0.27
25.	ऊर्जा मंत्रालय	0.71
26.	रेल मंत्रालय	5.90
27.	समाज कल्याण मंत्रालय	0.21
28.	जहाजरानी मंत्रालय	0.09
29.	विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय	92.97
30.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	1.11
31.	खेल मंत्रालय	2.39
32.	लघु उद्योग मंत्रालय	0.02
33.	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	0.68
34.	इस्पात मंत्रालय	18.37
35.	भूतल परिवहन मंत्रालय	4.14
36.	दूरसंचार मंत्रालय	3.09
37.	वस्त्र मंत्रालय	29.94
38.	पर्यटन मंत्रालय	210.28
39.	जनजातीय कार्य मंत्रालय	0.62
40.	शहरी एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय	33.35
41.	जल संसाधन मंत्रालय	3.60
	जोड़	1283.84

विवरण-II

30.6.2001 को बकाया की अन्य विभागों-वार (केन्द्र सरकार) स्थिति

स्वायत्त निकायों सहित अन्य विभाग (लाख रुपयों में)

क्रम सं.	विवरण	राशि
1	2	3
1.	भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण	0.77
2.	ए ई आर ओ इंडिया	1.54
3.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक	0.19
4.	कालेज कम्बेट मऊ	1.31
5.	प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया	0.06
6.	राष्ट्रपति सचिवालय	0.18
7.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान	0.25
8.	भारत का चुनाव आयोग	16.08
9.	नेशनल इंस्टिट्यूट आफ नेचुरल हिस्ट्री	1.60
10.	जवाहर नेहरू मेमोरियल फंड	0.64
11.	लाल बहादुर शास्त्री अकादमी	0.04
12.	डी जी एफ टी	0.36
13.	एल आर डी ई	0.42
14.	भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण	0.04
15.	प्रधान मंत्री निवास	14.12
16.	उच्चतम न्यायालय	0.02
17.	एससी/एसटी कमीशन	0.04
18.	सिरी फोर्ट गांव	4.04
19.	टी आई एफ आर	0.51
20.	संघ लोक सेवा आयोग	0.52
21.	डब्ल्यू ई सी इंस्टिट्यूट	39.12
22.	उप राष्ट्रपति निवास	5.11
23.	यूनाइटिड न्यूज आफ इंडिया	0.03
24.	जियोलोजिकल सर्वे आफ इंडिया	1.28
25.	राष्ट्रीय हिन्दी अकादमी	1.28
26.	विभिन्न सरकारी विभाग (बंद एकक)	5.87
27.	महिला रोजगार समिति	0.10
28.	पूर्वी कमान मुख्यालय	0.08
29.	नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्	0.07
	कुल जोड़	95.67

विवरण-III

दिनांक 30.6.2001 को राज्य सरकारवार बकाया की स्थिति

राज्य सरकारें

(लाख रुपयों में)

क्रम सं.	विवरण	राशि
1	2	3
1.	झारखण्ड सरकार	4.82
2.	महाराष्ट्र सरकार	2.51
3.	मध्य प्रदेश सरकार	8.31
4.	उत्तर प्रदेश सरकार	28.21
5.	असम सरकार	0.45
6.	आन्ध्र प्रदेश सरकार	0.50
7.	अण्डमान निकोबार सरकार	6.84
8.	गुजरात सरकार	0.01
9.	हरियाणा सरकार	0.04
10.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	7.34
11.	कर्नाटक सरकार	36.45
12.	केरल सरकार	14.65
13.	उड़ीसा सरकार	0.93
14.	पंजाब सरकार	0.03
15.	राजस्थान सरकार	16.87
16.	जम्मू एवं कश्मीर सरकार	5.20
17.	हिमाचल प्रदेश सरकार	4.92
18.	दमन एवं दीव सरकार	0.98
19.	अरुणाचल प्रदेश सरकार	0.12
20.	राजस्थान राज्य सरकार मोटर गैरेज, जयपुर	0.14
21.	राजस्थान विधान सभा	0.62
22.	चेन्नई सरकार	3.45
23.	पश्चिम बंगाल सरकार	16.89
24.	बिहार सरकार	21.59
25.	गोवा सरकार	0.42
26.	मिजोरम सरकार	0.19
27.	नागालैंड सरकार	0.03
28.	सिक्किम सरकार	0.01
29.	मणिपुर सरकार	0.09
	जोड़	182.61

पर्यटन विभाग द्वारा आय

1286. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पर्यटन विभाग द्वारा कितना मुनाफा अर्जित किया गया;

(ख) पर्यटन से जुड़ी नौकरी में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कितने व्यक्ति लगे हुए हैं;

(ग) क्या सुसम्पन्न सांस्कृतिक विरासत विदेशी पर्यटकों के लिए एक बड़ा आकर्षण रही है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सांस्कृतिक विरासत को प्रोत्साहन देने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ङ) वर्ष 2000-2001 के दौरान पर्यटन अवसंरचना का उन्नयन करने के लिए कितनी परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) पर्यटन विभाग, भारत सरकार पर्यटन के विकास और संवर्धन के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों और पर्यटन उद्योग के स्टेक होल्डरों के लिए केवल मददगार और समन्वयक के रूप में कार्य करता है। तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान पर्यटन से देश के लिए अर्जित विदेशी मुद्रा आय नीचे दी गई है:-

वर्ष	रु. करोड़ में
1998	12150.00
1999	12951.00
2000	14238.00

(ख) वर्ष 2000-2001 में पर्यटन उद्योग में अनुमानित प्रत्यक्ष रोजगार 17.31 मिलियन व्यक्ति था और अप्रत्यक्ष रोजगार 23.54 मिलियन व्यक्ति था।

(ग) जी, हां।

(घ) भारत का सांस्कृतिक विरासत गंतव्य स्थल के रूप में संवर्धन करने के लिए पर्यटन विभाग निम्नलिखित मापदण्ड अपनाता है:-

(1) मेले और उत्सवों, सेमिनारों, भारतीय शामों, वार्तालापों आदि का आयोजन करना।

(2) साहित्य, फिल्मों, सी डी रोमो, आडियो-विजुअल प्रस्तुतियों का उत्पादन।

(3) यात्रा एजेंटों और यात्रा प्रचालकों के साथ संयुक्त विज्ञापन।

(4) संवर्धन के लिए सूचना तकनीक का उपयोग।

(5) स्मारकों के सौंदर्यकरण सहित पर्यटक स्थलों/अवसंरचना के विकास के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।

(ङ) वर्ष 2000-2001 के दौरान पर्यटन और संरचना के विकास के लिए 77.10 करोड़ रुपए राशि की 338 परियोजनाएं स्वीकृत की गई थी।

नदी की ग्रिडों का खोला जाना

1287. श्री सवशीभाई मकवाना: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न राज्यों में पानी के बहाव के लिए बाढ़ वाले क्षेत्रों में नदी की ग्रिडों को खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या उत्तर से दक्षिण तक ऐसा प्रबंध किए जाने की भी संभावना है ताकि गंगा और अन्य नदियों का जल दक्षिण की ओर बह सके; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (ग) केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 1980 में तैयार की गई जल संसाधनों के विकास की राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना में जल संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए इस समय अधिशेष जल के रूप में आंके गए बेसिनों जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र से कृष्णा, कावेरी जैसे जल की कमी वाले बेसिनों में स्थानान्तरित करने हेतु विभिन्न प्राय: द्वीपीय नदियों और हिमालयी नदियों के बीच परस्पर जोड़ने की योजना है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के जल-संतुलन और अन्य अध्ययन करने के लिए जुलाई, 1982 में राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने सभी संपर्क प्रस्तावों के जल संतुलन और व्यवहार्यतापूर्व अध्ययन पूरे कर लिए हैं। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए 30 संपर्क अभिज्ञात किए हैं। ऐसे जल अन्तरण संपर्क प्रस्तावों का कार्यान्वयन बेसिन राज्यों के बीच प्रस्तावित अन्तरण, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने तथा निधियों की उपलब्धता आदि विभिन्न तत्वों के संबंधों में आम सहमति होने पर निर्भर करेगा।

केरल की विद्युत परियोजनाओं को स्वीकृति देना

1288. श्री कोडीकुनील सुरेश: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल की कुछ विद्युत परियोजनाएं पर्यावरण और वन विभाग की स्वीकृति हेतु लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो परियोजना-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन लंबित परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (ग) केरल की कोई विद्युत परियोजना वन अथवा पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए लंबित नहीं है सिवाए कक्काडु पन-बिजली परियोजना के जिसमें राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित सूचना न भिजवाने के कारण निर्णय नहीं लिया जा सका और मामले को बन्द कर दिया गया। पहले ही अस्वीकृत दो प्रस्तावों नामत: कुरियरकुट्टी-कराप्परा बहु-उद्देशीय परियोजना और पूयामकुट्टी पन-बिजली परियोजना पर पुनर्विचार के लिए अनुरोध भी प्राप्त हुए हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों में उत्पादन

1289. श्री जे.एस. बराड़: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों में क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे और इनमें कितना वास्तविक इस्पात उत्पादन दर्ज किया गया;

(ख) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात संयंत्र अधिकतम दक्षता स्तर पर चल रहे हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और उनकी प्रचालनात्मक दक्षता में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) इस्पात मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों का पिछले तीन वर्ष का उत्पादन निष्पादन संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) सेल संयंत्रों की प्रचालन दक्षता में सुधार हो रहा है। तथापि, दबावयुक्त बाजार-परिस्थितियों के चलने उत्पादन के विनियमन ने सेल के इस्पात संयंत्रों के इष्टतम प्रचालन को प्रभावित किया है। आधुनिक दक्ष तरीकों से उत्पादन को अधिकतम करके तथा बाजार परिस्थितियों के अनुरूप उत्पादन करके सेल संयंत्रों की प्रचालनात्मक दक्षता में सुधार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र अपनी दक्षता के इष्टतम स्तर पर प्रचालन कर रहा है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान सेल संयंत्रों का उत्पादन-निष्पादन

(हजार टन)

सरकारी क्षेत्र का उपक्रम	वर्ष	तप्त धातु				अपरिष्कृत इस्पात				विक्रेय इस्पात			
		क्षमता	लक्ष्य	वास्तविक	%(प्राप्ति)	क्षमता	लक्ष्य	वास्तविक	%(प्राप्ति)	क्षमता	लक्ष्य	वास्तविक	%(प्राप्ति)
सेल	1998-99	13694	12675	12075	95	12281	11602	10375	89	9870	10424	8887	85
	1999-00	13719	11820	11820	99	12616	10406	10280	99	10868	9742	9780	100
	2000-01	13719	12945	12093	93	12696	11575	10867	94	10931	10520	9980	95

पिछले तीन वर्षों के दौरान विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र का उत्पादन-निष्पादन

(हजार टन)

सरकारी क्षेत्र का उपक्रम	वर्ष	तप्त धातु				अपरिष्कृत इस्पात				विक्रेय इस्पात			
		क्षमता	लक्ष्य	वास्तविक	%(प्राप्ति)	क्षमता	लक्ष्य	वास्तविक	%(प्राप्ति)	क्षमता	लक्ष्य	वास्तविक	%(प्राप्ति)
आरआईएनएल	1998-99	3400	3400	2510	73.82	3000	2920	2225	76.19	2656	2580	1933	74.92
(वीएसपी)	1999-00	3400	3400	2943	86.55	3000	2650	2656	100.22	2656	2305	2382	103.34
	2000-01	3400	3120	3165	101.44	3000	2530	2909	115	2656	2217	2507	113

[हिन्दी]

हड़तालें और तालाबंदियां

1290. श्री रामदास आठवले: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष राज्य-वार सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में, विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में कितनी हड़तालें और तालाबंदियां की गई;

(ख) इसके परिणामस्वरूप, विशेषकर गुजरात में कितने कार्य दिवसों का नुकसान हुआ;

(ग) उक्तावधि के दौरान विशेषकर गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों में और अन्य राज्यों में कितने श्रमिक/कामगार बेरोजगार हुए; और

(घ) सरकार द्वारा औद्योगिक कामगारों के साथ संबंध सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) वर्ष 1998, 1999 या 2000 में हड़तालों व तालाबंदियों की संख्या संबंधी सूचना संलग्न विवरण-I में दी गई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी और निजी क्षेत्रों में राज्यवार विशेषकर जन-जातीय क्षेत्रों में सूचित हड़तालों/तालाबंदियों की संख्या संबंधी सूचना केन्द्रीय रूप में नहीं रखी जाती है।

(ख) हानि हुए श्रम दिवसों की संख्या संबंधी सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती है। तथापि, हानि हुए श्रम दिवसों के बारे में सूचना संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ग) हड़तालों एवं तालाबंदियों के परिणामस्वरूप उपर्युक्त अवधि के दौरान गुजरात तथा अन्य राज्यों, विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों में बेरोजगार हुए श्रमिकों/कर्मकारों की संख्या संबंधी सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती।

(घ) समुचित सरकारें अपने संबंधित संसाधन तन्त्रों के माध्यम से औद्योगिक कर्मकारों के साथ संबंध सुधारने और औद्योगिक विवादों को रोकने के लिए कदम उठाती रही है।

विवरण-I

वर्ष 1998-2000 के दौरान हड़तालों एवं तालाबंदियों की संख्याओं से संबंधित विवरण

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के नाम	वर्ष 1998 में हुई हड़तालों की सं.	वर्ष 1998 में हुई ताला बंदियों की सं.	वर्ष 1999 (अनन्तिम) हड़तालों की सं.	वर्ष 1999 (अनन्तिम) तालाबंदियों की सं.	वर्ष 2000 (अनन्तिम) हड़तालों की सं.	वर्ष 2000 (अनन्तिम) तालाबंदियों की सं.
1.	आंध्र प्रदेश	60	151	32	91	27	46
2.	बिहार	22	7	14	10	10	6
3.	दिल्ली	2	11	1	8	1	5
4.	गोवा, दमन व दीव	6	0	4	2	8	0
5.	गुजरात	114	18	103	11	67	8
6.	हरियाणा	49	1	32	6	13	1
7.	कर्नाटक	36	7	26	27	33	10
8.	केरल	17	17	27	1	16	28
9.	मध्य प्रदेश	26	0	16	–	15	0
10.	महाराष्ट्र	23	12	13	8	26	6
11.	उड़ीसा	14	3	15	2	21	5
12.	पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0
13.	पंजाब	17	5	14	5	15	5
14.	राजस्थान	25	5	29	7	15	12
15.	तमिलनाडु	156	42	149	33	109	40
16.	उत्तर प्रदेश	24	26	12	19	13	14
17.	पश्चिम बंगाल	21	116	29	150	22	155
18.	अन्य	23	8	24	6	27	2
	योग	665	432	540	387	435	342

(अ) – अनंतिम

श्रम ब्यूरो द्वारा, शिमला

विवरण-II

वर्ष 1998-2000 के दौरान हुई श्रमदिवसों की हानि (हजारों में) दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/संशा. क्षेत्र का नाम	वर्ष 1998			वर्ष 1999 (अ)			वर्ष 2000 (अ)		
		हड़ताल	तालाबंदी	योग	हड़ताल	तालाबंदी	योग	हड़ताल	तालाबंदी	योग
1.	आंध्र प्रदेश	2463	3510	5973	230	1140	1370	1113	3272	4385
2.	बिहार	296	124	420	243	165	408	2039	40	2079
3.	दिल्ली	0	7	7	12	50	62	145	15	160
4.	गोवा, दमन व दीव	31	0	31	3	2	5	51	0	51
5.	गुजरात	986	230	1216	259	133	392	532	82	614
6.	हरियाणा	510	12	522	125	176	301	46	160	206
7.	कर्नाटक	709	129	838	446	80	526	360	144	504
8.	केरल	171	380	551	1901	323	2224	692	806	1498
9.	मध्य प्रदेश	162	0	162	145	255	400	621	0	621
10.	महाराष्ट्र	460	474	934	333	662	995	345	579	924
11.	उड़ीसा	46	6	52	20	10	30	42	70	112
12.	पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	पंजाब	135	110	245	379	44	423	88	63	151
14.	राजस्थान	609	356	965	674	82	756	422	319	741
15.	तमिलनाडु	2007	1150	3157	1545	1086	2631	1062	753	1815
16.	उत्तर प्रदेश	191	633	824	124	505	629	875	902	1777
17.	पश्चिम बंगाल	502	5470	5972	4020	11391	15411	1075	902	10477
18.	अन्य	69	123	192	156	65	221	688	47	735

(हड़तालों की वजह से श्रम दिवसों की हानि)

(तालाबंदियों की वजह से श्रम दिवसों की हानि)

(कुल श्रम दिवसों की हानि)

(अनंतिम)

स्रोत : - श्रम ब्यूरो, शिमला

[अनुवाद]

पशु आनुवांशिकी का पुनरुद्धार

1291. श्री महबूब जहेदी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पशु आनुवांशिकी और प्रजनन क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन करके इसमें सुधार करने हेतु पर्याप्त धनराशि प्रदान करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हां। नौवीं योजना के दौरान पशुधन के आनुवांशिक उन्नयन की पहचान प्रमुख बलित क्षेत्र के रूप में की गई थी।

(ख) ''राष्ट्रीय गोपशु एवं भैंस प्रजनन परियोजना'' नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना 250.00 करोड़ रुपए के नौवीं योजना आबंटन के साथ नौवीं योजना के दौरान शुरू की गई थी जबकि आठवीं योजनावधि के दौरान गोपशु एवं भैंस प्रजनन संबंधी केंद्रीय प्रायोजित परियोजना में 40.00 करोड़ रुपए से भी कम का आबंटन किया गया था। 1997-98, 1998-99, 1999-2000 तथा 2000-2001 के दौरान गोपशु एवं भैंस प्रजनन के लिए राज्यों को जारी की गई वास्तविक धनराशि क्रमश: 31.71 करोड़ रुपए, 6.18 करोड़ रुपए, 33.06 करोड़ रुपए तथा 24.92 करोड़ रुपए थी। राष्ट्रीय गोपशु एवं भैंस प्रजनन परियोजना में गुणवत्ता जर्मप्लाज्म के उत्पादन तथा वितरण पर बल दिया जाता है।

भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान परिषद्

1292. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान परिषद की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए किस स्थान की पहचान की गई है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) सरकार को भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान परिषद की स्थापना के लिए संसद सदस्यों, मुख्यमंत्रियों तथा अन्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ख) और (ग) इस प्रस्ताव पर कृषि मंत्रालय में विचार किया गया था परन्तु फिलहाल इसे उपयुक्त नहीं पाया गया है।

पाम प्रसंस्करण मिल

1293. श्री जी.एस. बसवराज:
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:
श्री इकबाल अहमद सरडगी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक के मैसूर जिले में कबीनी में पाम आयल प्रसंस्करण मिल का उन्नयन करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या मिल के विस्तार हेतु 35 लाख रुपये की अनुमानित लागत का एक विस्तृत प्रस्ताव भारत सरकार को प्रस्तुत कर दिया गया है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (ग) जी, हां। कर्नाटक सरकार के कबीनी मैसूर, कमटक में 35 लाख रुपये की पाम ऑयल प्रसंस्करण मिल का उन्नयन करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। चूंकि ऐसे प्रस्तावों के लिए वित्त पोषण करने की कोई स्कीम नहीं है इसलिए, भारत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता देना संभव नहीं था। कर्नाटक सरकार को तदनुसार इस विषय में सूचित कर दिया गया था।

गहरे समुद्र में मछली पकड़ना

1294. डा. एन. वेंकटस्वामी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले ''ट्रालरों'' को ''ट्यूना फिल्टरों'' में परिवर्तित करने हेतु आंध्र प्रदेश से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या जापान में इस संबंध में मछुआरों के प्रशिक्षण हेतु कोई कार्यक्रम है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) जी, नहीं। सरकार को गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले ट्रालरों को ट्यूना फिल्टरों में परिवर्तित करने हेतु आंध्र प्रदेश से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

बीज विकास निगम में भ्रष्टाचार

1295. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि आंध्र प्रदेश तेल परिसंघ और आंध्र प्रदेश राज्य बीज विकास निगम ने व्यापारियों से कम गुणवत्ता वाले बीज खरीदे हैं और उन्हें किसानों को वितरित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सतर्कता और प्रवर्तन विभाग द्वारा की गई जांचों से पता चला है कि अधिकारियों ने कृषि वैज्ञानिकों की सलाह के विरुद्ध खतरनाक रोग से ग्रसित बीजों का वितरण किया है; और

(ग) किसानों को बेहतर बीज प्रदान करने और इसके लिए जिम्मेदार पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) और (ख) आंध्र प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि तथाकथित निम्न गुणवत्ता वाले बीजों के वितरण किए जाने की जानकारी उसको नहीं है।

(ग) सरकार इस वर्ष से चरणबद्ध तरीके से टैग-24 और के-134 जैसी मटर में स्टेम नेक्रोसिस रोग के प्रति सहनशील बीजों की किस्मों के उत्पादन तथा आपूर्ति का प्रस्ताव करती है शुरूआत में आंध्र प्रदेश राज्य बीज विकास निगम द्वारा के-134 के आधारी बीज का 300 क्विंटल और टैग-34 का 200 क्विंटल बीज दो चरणों में बीज बहुलीकरण के लिए वितरित किए गए थे। बीज ग्राम कार्यक्रम के तहत आंध्र प्रदेश राज्य बीज विकास निगम तथा आंध्र प्रदेश तेल संघ अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए आधारी बीज का प्रमाणित बीज में बहुलीकरण करने के लिए किसानों में आधारी बीज का वितरण करेंगे।

पश्च जल पर्यटन

1296. श्री टी. गोविन्दन: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राज्य सरकारों से राज्यों में पश्च जल पर्यटन का विकास करने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुए है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) जी, हां।

(ख) केरल राज्य सरकार ने केरल में पश्च जल पर्यटन हेतु अवसंरचना विकास के लिए 154.67 करोड़ रुपयों की लागत का एक मल्टी डिसिप्लीनरी प्रोजेक्ट प्रोफाइल प्रस्तुत किया है।

(ग) तथापि संसाधनों की कमी के विचार से पर्यटन मंत्रालय द्वारा इसकी पर्यटन अवंसरचना विकास योजना के अधीन धनराशि हेतु इस पर विचार नहीं किया जा सका केरल सरकार को परामर्श दिया गया है कि वे इक्विटी स्कीम के अधीन एक परियोजना और भारत सरकार में बहु-विभागीय बैठक के लिए एक पृष्ठभूमि नोट प्रस्तुत करें।

केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने केरल में पश्च जल पर्यटन के विकास के लिए नौवीं योजनावधि के प्रथम चार वर्षों के दौरान प्रस्तुत किए गए 15 प्रस्तावों के लिए 698.00 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। इसके अतिरिक्त, योजना आयोग, भारत सरकार ने 1.00 करोड़ रुपए की कुल लागत से बैकवाटर्स के एकीकृत विकास हेतु मास्टल प्लान तैयार करने के लिए एक योजना स्वीकृत की है।

वर्ष 2001-2002 के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता हेतु बैकवाटर शोर कोच्चि के साथ-साथ बाकवे के विकास और कोच्चि बैकवाटर्स में जेट्टियों के विकास की दो परियोजनाओं को प्रत्येक के लिए 125.00 लाख रुपए हेतु प्राथमिकता प्रदान की गई है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में अनुशासनिक मामले

1297. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्/डी.ए.आर.ई. में सतर्कता/अनुशासनिक मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने मामलों की जांच शुरू की गई/उन्हें निपटाया गया और इस समय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद/डी.ए.आर.ई. में अलग-अलग कितने मामले लम्बित है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने ऐसा मामलों के शीघ्र निपटान हेतु कोई अनुदेश परिचालित किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार ऐसे मामलों के शीघ्र निपटान हेतु इन विभागों के लिए सतर्कता प्रकोष्ठ की स्थापना करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) जी नहीं। पिछले लम्बित मामलों के अलावा पिछले तीन वर्षों के दौरान 45 सतर्कता/अनुशासनिक मामले आरम्भ किए गए तथा 50 मामलों का निपटारा किया गया। वर्तमान में 55 मामले लम्बित हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। सतर्कता प्रशासन में सुधार के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा दिनांक 3.3.1999 तथा 6.9.1999 को जारी परिपत्र में दिए गए निदेशों तथा दिशानिर्देशों को परिषद् द्वारा दिनांक 10.3.2000 के परिपत्र द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के समस्त संस्थानों के बीच अनुपालन हेतु जारी कर दिया गया है।

(ङ) और (च) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

महिला सहकारी समितियों को सहायता

1298. श्री राजो सिंह: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार सरकार ने वर्ष 2001-2002 के दौरान केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना के अतंर्गत महिला सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए चयनित महिला सहकारी समितियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

पर्यटन में अपव्यय

1299. श्री ब्रह्मानन्द मंडल: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय ने अपने विभिन्न विभागों में अपव्यय को न्यूनतम करने के लिए कदम उठाये हैं और उनमें सर्वाधिक अपव्यय वाले कतिपय क्षेत्रों की पहले ही पहचान कर ली है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है और गत वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इनमें कितने अपव्यय का पता लगाया गया है; और

(ग) इस प्रकार के अपव्यय को कम करने/रोकने के लिए अब तक क्या सुधारात्मक कदम उठाए गये हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) से (ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि अपव्यय न हो, इस विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करने के लिए नियमित रूप से कदम उठाए जाते हैं।

व्यय सुधार आयोग

1300. श्री अमर राय प्रधान: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय और इसके विभागों में होने वाले मौजूदा अपव्यय को कम करने के लिए अपनी सिफारिशें देने के लिए उनके मंत्रालयों में किसी व्यय सुधार आयोग की स्थापना की गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी संरचना क्या है;

(ग) इस आयोग द्वारा की गयी अब तक की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) उन सिफारिशों का ब्यौरा क्या है जिन्हें उनके मंत्रालय अथवा विभागों द्वारा कार्यान्वित किया जाना शेष है और आज की तिथि तक उन्हें कार्यान्वित न करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इन सिफारिशों को उनकी मूल भावना के साथ कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (ङ) कृषि मंत्रालय ने किसी व्यय सुधार आयोग की स्थापना नहीं की है। हालांकि वित्त मंत्रालय ने एक व्यय सुधार आयोग का गठन किया है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने व्यय सुधार की रिपोर्ट पहले भाग की एक प्रति प्रेषित की है जो कि कृषि एवं सहकारिता विभाग के प्रकार्य, गतिविधि और संरचना को तर्क संगत बनाने के बारे में है। इस रिपोर्ट में 385 पदों को समाप्त करने, तकनीकी अधिकारियों के पदों में कटौती करने की सिफारिश की गयी है और इस विभाग के कार्यकलाप की पुनर्संरचना करने के लिए सुझाव दिया गया है। व्यय सुधार आयोग की सिफारिशों पर कृषि एवं सहकारिता विभाग में विचार किया है और कृषि एवं सहकारिता विभाग की टिप्पणी को वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के पास भेज दिया गया है। कृषि एवं सहकारिता विभाग ने अपने विभिन्न प्रभागों और निदेशालयों के आकार को उनके कार्यों और जिम्मेदारियों के अनुरूप ठीक करने के लिए पहले ही कदम उठाए हैं। व्यय वित्त आयोग ने जो 385 पदों को समाप्त करने की सिफारिश की है उसमें से 200 पद इस विभाग में पहले ही समाप्त किए जा चुके हैं। विभाग की 10वीं योजना के प्रस्तावों में इसकी गतिविधियों और कार्यक्रमों को पुन: तैयार करने और उनके तर्क संगत बनाने के मुद्दे पर विचार किया गया है।

असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के लिए कल्याणकारी उपाय

1301. श्री पी.सी. थामस:
श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी:

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार असंगठित क्षेत्र में निर्माण कार्य में जुड़े मजदूरों और श्रमिकों के लिए कोई कल्याणकारी उपाय करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन मजदूरों के कल्याण के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) से (ग) सरकार ने पहले ही, असंगठित क्षेत्र में निर्माण कामगारों और श्रमिकों के कल्याण के लिए भवन और अन्य निर्माण कामगार (रोजगार का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996, भवन और अन्य निर्माण कामगार, कल्याण उपकर अधिनियम, 1996, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, बीड़ी और सिगार कामगार (रोजगार की दशाएं) अधिनियम, 1966, ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970, उपदान संदाय अधिनियम, 1972, समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976, बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976, बीड़ी कामगार कल्याण निधि अधिनियम, 1976, अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (रोजगार का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979 अधिनियमित कर चुकी है। लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क, क्रोम अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट और माइका खानों, सिनेमा उद्योग और बीड़ी उद्योग में कार्यरत कामगारों को भी संबंधित कल्याण निधियों के अंतर्गत चलाए जाने वाले विभिन्न कल्याण कार्यक्रमों में शामिल किया जाता है। सरकार ने कृषि कामगारों के लिए "कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना-2001" नामक एक सामाजिक सुरक्षा स्कीम आरम्भ की है जिसमें जीवन-सह-दुर्घटना बीमा, धन-वापसी, पेंशन और अधिवर्षिता लाभ शामिल हैं।

सरकार देश में ग्रामीण असंगठित श्रमिकों के कल्याण और उनकी दशाओं में सुधार लाए जाने के लिए अनेक योजनाएं भी क्रियान्वित कर रही है जैसे प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना, रोजगार आश्वासन योजना इत्यादि।

इसके अलावा, सरकार ने द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन किया है। आयोग के विचारार्थ विषयों में से एक विषय अन्य बातों के साथ-साथ असंगठित क्षेत्र में कामगारों को संरक्षण का एक न्यूनतम स्तर सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक विधान का परामर्श देना है।

हीरा खानें

1302. श्रीमती प्रेनीत कौर: क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में हीराकुड क्षेत्र में मौजूद प्राचीन हीरा खानों में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय ने उक्त क्षेत्र में वाणिज्यिक खनन की संभावना का पता लगाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) से (घ) जी, नहीं। उड़ीसा के हीराकुड क्षेत्र में किसी प्राचीन हीरा खानों की मौजूदगी के बारे में कोई सूचना नहीं है।

कर्नाटक में राक गार्डन का विकास

1303. श्री विनय कुमार सोराके:
श्री जी.एस. बसवराज:
श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को कर्नाटक सरकार से चंडीगढ़ के राक-गार्डन और हैदराबाद के शिल्पारमण की भांति एक राक-गार्डन का विकास करने से संबंधित कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

वेदानथंगल पक्षी अभ्यारण्य का उन्नयन

1304. श्री ए.के. मूर्ति: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिलनाडु में विदेशी पर्यटकों को लुभाने के लिए ''वेदानथंगल पक्षी अभ्यारण्य'' का उन्नयन किए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त पक्षी अभ्यारण्य का उन्नयन करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (ग) यद्यपि विशेषरूप से विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु वेदानथंगल पक्षी अभ्यारण्य का उन्नयन करने का कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है, तथापि, तमिलनाडु सरकार ने पक्षी अभ्यारण्य में आवास सुविधा का उन्नयन करने के लिए चालू वित्त वर्ष में 15 लाख रु. मंजूर किए हैं।

देवनहल्ली विमानपत्तन का निर्माण

1305. श्री ए. वेंकटेश नायक: क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक में देवनहल्ली में अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन के निर्माण के लिए भूमि अधिगृहीत की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या उपरोक्त विमानपत्तन का निर्माण-कार्य आरंभ किया जा चुका है;

(ग) यदि हां, तो इसकी अनुमानित लागत क्या है;

(घ) इसके निर्माण कार्य को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) राज्य सरकार द्वारा कर्नाटक के देवनहाली में हवाई अड्डे के निर्माण के लिए भूमि ली जा रही है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। परियोजना को तकनीकी एवं वित्तीय रूप से पूरा करने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए औपचारिक रूप से वरीय बिडर के ज्वाइंट वैन्चर पार्टनर के रूप में चयन होने के पश्चात् शेयर होल्डर अनुबंध, एयरपोर्ट विकास अनुबंध पर हस्ताक्षरों के पश्चात् तथा ब्यौरे-वार इंजीनियरिंग कार्य को पूरा करने के पश्चात् हवाई अड्डे के निर्माण का कार्य आरंभ किया जाएगा। परियोजना की अनुमानित लागत, जो कि प्रत्याभूत (गारंटिड) अधिकतम मूल्य के रूप में दर्शाई गई है, जो 1,15 करोड़ रुपए है। विस्तृत इंजीनियरिंग कार्य के पश्चात् ही अंतिम लागत का पता लग पाएगा।

(घ) परियोजना के वित्तीय समापन को प्राप्त करने के बाद निर्माण कार्य को पूरा करने का संभावित समय 30 माह का है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

जल संसाधनों का उपयोग

1306. श्री अजय सिंह चौटाला: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सिंचाई उद्देश्यों के लिए प्राकृतिक संसाधनों से पानी प्राप्त करने के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष के दौरान आज की तिथि तक क्या कदम उठाये गये हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) राष्ट्रीय जल नीति (1987) में जल को विकास की आयोजना में अति महत्वपूर्ण तत्व स्वीकार किया गया है। इसमें देश के जल संसाधनों की स्थायी आधार पर आयोजना और प्रबन्धन की व्यवस्था है। इस नीति में जल संसाधनों के विकास के लिए जलनिकास बेसिन को आयोजना की मूल इकाई के रूप में स्वीकार किया गया है और इस संसाधन के इष्टतम उपयोग के लिए उपयुक्त उपाय करने की आवश्यकता है। सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण, राज्यों के भीतर जल संसाधनों का उपयोग करने के लिए बाढ़ नियंत्रण और जल निकास सहित सभी प्रकार की जल संसाधन परियोजनाओं के सर्वेक्षण और अन्वेषण, आयोजना, वित्त पोषण, क्रियान्वयन और प्रबन्धन करने की जिम्मेदारी मुख्यत: संबंधित राज्य सरकार द्वारा उनकी प्राथमिकताओं और उनके स्वयं के योजना संसाधनों में से करने का है।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से देश में जल संसाधनों के विकास से खाद्यान्न उत्पादन लगभग 50 प्रतिशत टन से बढ़कर वर्ष 1999 में 200 मिलियन टन तक हो गया है। वर्ष 1995 तक बड़े बांधों के निर्माण द्वारा 177 मिलियन घन मीटर की सक्रिय भण्डारण क्षमता के सृजन से ही ऐसा सम्भव हुआ है। इस सृजित भण्डारणों तथा अन्य लघु सिंचाई स्कीमों की सहायता से देश में 139.9 मि. हेक्टेयर की चरम सिंचाई क्षमता से आठवीं योजना के अंत तक 90 मिलियन हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित की गई है।

प्राकृतिक संसाधनों से जल को काम में लाने तथा सिंचाई क्षमता का सृजन तीव्र करने के लिए राज्य सरकारों को उनके प्रयासों में सहायता करने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 1996-97 से त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत चल रही परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से पूरा करने के लिए राज्य सरकारों की सहायता करने के लिए उन्हें अदायगी ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है ताकि उनसे शीघ्र लाभ प्राप्त किए जा सकें। तथापि, मार्च, 2001 के अंत तक गत तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों को ए आई वी पी के तहत 4425.857 करोड़ रुपये की केन्द्रीय ऋण सहायता प्रदान की गई है और ए आई बी पी के तहत केन्द्रीय ऋण सहायता के 2000 करोड़ रुपये के कुल बजट परिव्यय में से चालू वर्ष के दौरान 808.845 करोड़ रुपये भी जारी किए गए हैं। वर्ष 1999-2000 के अंत तक ए आई बी पी के तहत 706.342 हजार हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित की गई है। सृजित क्षमता और उपयोग की गई क्षमता के बीच के अन्तर को दूर करने के लिए राज्य सरकारों को कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम (सीएडी) के तहत भी सहायता प्रदान की जा रही है। मार्च, 2001 के अंत तक गत तीन वर्षों के दौरान सी ए डी कार्यक्रम के तहत 486.20 करोड़ रुपये व्यय किए गये हैं और वर्ष 2001-2002 के लिए 187.19 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है। भारत सरकार जल विभाजक प्रबंधन कार्यक्रम के जरिए वर्षा जल संचयन को भी बढ़ाकर दे रही है जिसके लिए राज्य सरकारों और अन्य कार्यान्वयन अभिकरणों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड ने भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए प्रायोगिक अध्ययन भी शुरू किए हैं।

[हिन्दी]

राजस्थान में फसलों की क्षति

1307. डा. जसवंतसिंह यादव: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान में नरमा और कपास की फसलों की क्षति हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार किसानों को सहायता प्रदान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो किसानों को यह सहायता कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) जी हां। खरीफ 2001 के दौरान राजस्थान के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर जिलों में अमेरिकी 'बोल वार्म' के आक्रमण से कपास की फसलों को नुकसान हुआ है। 60-85 प्रतिशत देशी कपास और 55-75 प्रतिशत अमेरिकन कपास

के नुकसान होने की जानकारी राज्य सरकार ने दी है। अमेरिकी 'बोल वार्म' के इतने बड़े पैमाने पर आक्रमण होने के निम्नलिखित कारण हैं:-

1. कपास की बुआई में विलम्ब होना तथा कीटों में कीटनाशियों के प्रति रोधकता पैदा हो जाना।
2. वर्षा और नमी की अधिकता होना जो कि कीटों के प्रजनन के लिए अनुकूल परिस्थिति होती है।
3. कीट रोगों की घटनाओं का निरंतर होते रहना।

(ग) और (घ) इस प्रकार की हानियों के लिए, किसानों को राष्ट्रीय बीमा योजना के अंतर्गत मुआवजा मिलता है और जिन किसानों ने अपनी फसलों की बीमा कराया होता है उनको निर्धारित मानक के अनुसार मुआवजा मिलता है। फिर भी इस योजना में राजस्थान राज्य को कवर नहीं किया गया है क्योंकि कि इस राज्य ने इस बीमा योजना को नहीं अपनाया है।

[अनुवाद]

फ्लोरीन युक्त जल

1308. श्री अम्बरीश: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जल में फ्लोरीन तत्व मौजूद होने के कारण देस के कई भागों में जल से उत्पन्न होने वाले रोगों ने तबाही मचा दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार और जिलावार ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस समस्या पर काबू पाने के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, देश में विभिन्न जिलों के कुछ हिस्सों में भूजल में फ्लोराइड का उच्च स्तर पाया गया है। फ्लोराइड से दूषित भूजल वाले राज्यों और जिलों के नाम दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) पेय जल आपूर्ति का प्रावधान राज्य सरकारों का दायित्व है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत ग्रामीण आबादी की सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति की व्यवस्था करने में राज्यों तथा फ्लोराइड जैसी गंभीर भूजल गुणवत्ता समस्याओं वाले क्षेत्रों में काम कर रहे विशिष्ट उप-मिशनों की सहायता कर रहा है और इन्हें दिशा-निर्देशन देता रहा है। ऐसे गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में जहां कि भूजल पीने के लिए अनुपयुक्त है, वहां सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति या तो वैकल्पिक स्रोतों द्वारा सतही जल को उपयोग में लाकर अथवा जल को फ्लोराइड रहित करने जैसे सुधारात्मक उपायों को शुरू करके अन्य साधनों द्वारा की जाती है। शहरी क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल के प्रावधान के लिए शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय राज्यों की सहायता करता है।

विवरण

जिलों के राज्य-वार नाम, जहां भूमि जल में फ्लोराइड पाए गए हैं

राज्य	जिले
1	2
आंध्र प्रदेश	प्रकाशम, नेल्लोर, अनंतपुर, नालगोंडा, रंगारेड्डी, अदिलाबाद
असम	करबी, अंगलौंग, नावगांव
बिहार (झारखंड सहित)	गिरिडीह, जमुई, धनबाद
गुजरात	कच्छ, सुरेन्द्रनगर, राजकोट, अहमदाबाद, मेहसाना, बनासकांठा, सबरकांठा, पंचमहल, खेड़ा
हरियाणा	रोहतक, जींद, हिसार, भिवानी, महेन्द्रगढ़, फरीदाबाद
कर्नाटक	तुमकुर, कोलार, बंगलौर, गुलबर्गा, बेल्लारी, रायचुर
केरल	पालघाट
मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़)	भींड, मोरेना, गुना, झाबुआ, छिंदवाड़ा, सेवनी, मांडला, रायपुर, विदिसा
महाराष्ट्र	भंडारा, चन्द्रपुर, नांदेड़, औरंगाबाद
उड़ीसा	बोलंगीर
पंजाब	लुधियाना, फरीदकोट, भटिंडा, संगरूर, जालंधर, अमृतसर

1	2
राजस्थान	बाढ़मेर, बीकानेर, गंगानगर, जालोर, नागौर, पाली, सिरोही
तमिलनाडु	धरमपुरी, सेलम, उत्तरी आर्कट, विल्लुपुर, तिरूचिरापल्ली, पुटुकोट्टई
उत्तर प्रदेश	बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा उन्नाव, रायबरेली
पश्चिम बंगाल	बीरभूम
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	सिटी, शाहदरा एवं महरौली ब्लाक

दिल्ली में नया विमानपत्तन

1309. श्री वाई.वी. राव:
श्री रामपाल सिंह:
श्री पदमसेन चौधरी:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में निकट भविष्य में एक अन्य विमानपत्तन की स्थापना का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर कितनी धनराशि व्यय होने की संभावना है; और

(घ) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय ले लिये जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) से (घ) इस समय दिल्ली में कोई दूसरे हवाई अड्डे के विकास के संबंध में कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है।

शीतागार सुविधा

1310. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:
श्री सुन्दर लाल तिवारी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा भंडारण गोदामों और शीतागारों के निर्माण के लिए निजी पार्टियों को कितनी रियायत दी जा रही है;

(ख) क्या सरकार का विचार इन निजी पार्टियों को और अधिक छूट देने और इस उद्देश्य के लिए उद्यमियों को राजसहायता प्रदान करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा गेहूं उत्पादक राज्यों में भंडारण क्षमता में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (ग) सरकार ने भंडार गोदामों और शीतभंडारों के निर्माण के लिए निजी पार्टियों को निम्नलिखित रियायतें मुहैया की हैं:-

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने एक स्कीम घोषित की है जिसके अधीन भारतीय खाद्य निगम द्वारा निजी पार्टियों को चयनित स्थानों पर निर्माण-स्वामित्व-संचालन आधार पर परंपरागत भंडार गोदामों के निर्माण के लिए 7 वर्ष की गारंटी दी जा रही है। कृषि और सहकारिता विभाग राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के माध्यम से ''बागवानी उत्पादों के लिए शीत भंडारों और भंडारों के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए पूंजीनिवेश राजसहायता स्कीम'' के नाम से एक योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) तथा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के माध्यम से शीत भंडारों के निर्माण के सीमित (बैक एन्डेड) पूंजीनिवेश राजसहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है जो प्रति परियोजना 50 लाख रु. की सीमा तक परियोजना लागत का 25 प्रतिशत के बराबर और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 60 लाख रु. प्रति परियोजना की सीमा तक परियोजना लागत के 33.33 प्रतिशत के बराबर होती है। इस स्कीम के अंतर्गत पात्र उद्यमियों में गैर सरकारी संगठन, उत्पादक संघ, भागीदारी/स्वामित्व वाली फर्में, कंपनियां, निगम, सहकारी संस्थाएं, कृषि उत्पाद विपणन समितियां, विपणन बोर्ड/समितियां तथा कृषि उद्योग निगमें सम्मिलित हैं।

(घ) गेहूं उत्पादक राज्यों में भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए भारतीय खाद्य निगम अतिरिक्त भंडारण क्षमता के निर्माण हेतु राज्यीय एजेंसियों को दीर्घकालिक गारंटी दे रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत मार्च, 2002 तक निर्मित करने हेतु प्रस्तावित राज्यवार भंडारण क्षमता इस प्रकार है:-

	राज्य का नाम	क्षमता (लाख मीटरी टन में)
1.	पंजाब	41.60 (14 लाख मी. टन क्षमता पहले ही उपलब्ध करायी जा चुकी है)
2.	हरियाणा	10.00
3.	उत्तर प्रदेश	8.53
4.	उत्तरांचल	1.00
	योग	61.13

[हिन्दी]

गुजरात में द्वारका का पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास

1311. श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्र सरकार से द्वारका को एक पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिए सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो निर्णय कब तक ले लिये जाने की संभावना है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) जी हां।

(ख) और (ग) पर्यटक केन्द्रों/स्थलों के विकास एवं संवर्धन की प्रमुख जिम्मेदारी राज्य सरकार/संघ शासित राज्य प्रशासन की है। केन्द्रीय पर्यटन विभाग, वार्षिक आधार पर उनके साथ विचार-विमर्श कर प्राथमिकता के लिए निर्धारित परियोजनाओं को धन उपलब्ध कराता है। वर्ष 2001-2002 के दौरान द्वारका को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायतार्थ किसी भी परियोजना को प्राथमिकता प्रदान नहीं की गयी है। तथापि, जामनगर जिले के बेट द्वारका में 20 लाख रुपयों की एक पारिस्थितिकी-पर्यटन परियोजना को प्राथमिकता दी गयी है।

इससे पहले, वर्ष 1998-99 में द्वारका (चरण-1) के विकास हेतु 47.80 लाख रुपयों की एक परियोजना तथा वर्ष 1999-2000 के दौरान द्वारका (चरण-2) के विकास हेतु 41.11 लाख रुपयों की एक परियोजना को मंजूरी प्रदान की गयी थी।

सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि करने के लिए योजनाएं

1312. डा. मदन प्रसाद जायसवाल:
श्री राम टहल चौधरी:

क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्य देशों की तुलना में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि करने की योजनाओं को प्रभावी रूप से कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) भारत में सकल घरेलू उत्पादन में तेजी से वृद्धि करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) जी, नहीं। विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित विश्व विकास रिपोर्ट, 2000-2001 के अनुसार, 1990 के दशक (1990 से 1999 तक) के दौरान भारत के जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) की वार्षिक वृद्धि दर, निम्न आय के देशों के 2.4 प्रतिशत, मध्य आय के देशों के 3.5 प्रतिशत, उच्च आय के देशों के 2.4 प्रतिशत और विश्व औसत के 2.5 प्रतिशत की तुलना में 6.1 प्रतिशत थी।

(ख) उपर्युक्त के मद्देनजर, प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्ताव पत्र, जैसा कि राष्ट्रीय परिषद् द्वारा अनुमोदित किया गया है, में प्रस्ताव रखा गया है की दसवीं पंचवर्षीय योजना का निश्चित लक्ष्य, 2002-2007 की अवधि के लिए सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिवर्ष 8 प्रतिशत की वृद्धि का होना चाहिए। यह वृद्धि दर जो नौवीं पंचवर्षीय योजना में प्रति वर्ष 6.5 प्रतिशत की लक्ष्य वृद्धि दर से काफी अधिक है, को बचत तथा निवेश दर को बढ़ा कर तथा व्यष्टिगत स्तर और क्षेत्र स्तर दोनों में दक्षता बढ़ाने वाली नीतियों का अनुकरण करके ही लक्षित की गई है।

[अनुवाद]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र में निवेश

1313. श्री त्रिलोचन कानूनगो: क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र में भारी मात्रा में निवेश करने का है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2001-2002 के लिए इस संबंध में किये गये प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है;

(ग) निवेश कब तक किये जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) इसे उद्देश्य के लिए कौन-कौन से क्षेत्रों की पहचान की गयी है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. चमन लाल गुप्त): (क) से (घ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय अपनी योजना स्कीमों के तहत गैर सरकारी संगठनों, सहकारिताओं, निजी उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, मानव संसाधन विकास एवं अनुसंधान आर विकास संस्थाओं आदि को प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र के विकास हेतु वित्तीय सहायता देता है। मंत्रालय स्वयं किसी यूनिट की स्थापना नहीं करता।

वैसे अनुमान लगाया गया है कि प्रसंस्करण स्तर को बढ़ाने के लिए पूरी खाद्य श्रृंखला में अगले 10 साल की अवधि में 1,40,000 करोड़ रु. के निवेश की जरूरत होगी। मंत्रालय ने नीति प्रारूप भी तैयार है जिसमें इतने बड़े निवेश को आकर्षित करने के वास्ते अनुकूल वातावरण सृजित करने का उल्लेख किया गया है। यह निवेश निजी क्षेत्र, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, वित्तीय संस्थानों आदि से सृजित करना होगा। इस निवेश की फल और सब्जी प्रसंस्करण, मांस तथा पाल्ट्री प्रसंस्करण, मछली प्रसंस्करण, खाद्यान्न प्रसंस्करण क्षेत्र आदि में खास तौर पर बुनियादी सुविधाओं जिसमें कोल्ड चेन शामिल है, के सृजन अनुसंधान तथा विकास कार्यों, मानव संसाधन विकास के वास्ते जरूरत होगी।

समाचार पत्र प्रतिष्ठान के बोझ में कमी

1314. डा. मन्दा जगन्नाथ: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी समाचार पत्र प्रतिष्ठानों का बोझ कम करने के लिए वेतन बोर्ड को समाप्त करने की मांग कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) जी, हां।

(ख) चूंकि मणिसाना वेतन बोर्डों की सिफारिशों को हाल ही में स्वीकार किया गया है अत: ये अगले वेतन बोर्ड की सिफारिशें आने तक लागू रहेंगी। इसलिए अगले वेतन बोर्ड का गठन इस समय विचारणीय मामला नहीं है।

महाराष्ट्र को सिंचाई के लिए सहायता

1315. श्री दानवे रावसाहेब पाटील: क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र ने केन्द्र सरकार से सिंचाई क्षेत्र के लिए कोई सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य में विशेषकर जालना जिले में इससे कुल कितने भू-क्षेत्र की सिंचाई किये जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (ग) महाराष्ट्र सरकार ने सिंचाई क्षेत्र के लिए संघ सरकार से कोई सहायता नहीं मांगी है। तथापि, संघ सरकार, महाराष्ट्र की दस सिंचाई परियोजनाओं अर्थात् गोसीखुर्द, सूर्या, वाधूर भीमा, अपर तापी, अपर वरधा, वान जायकवाड़ी, विष्णुपरी और बाहुला के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए आई बी पी) के तहत केन्द्र ऋण सहायता प्रदान कर रही है। मार्च, 2001 तक इन परियोजनाओं के लिए 266.755 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। गोसीखुर्द, और जायकवाड़ी नामक दो परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार ने कम खर्च किया है, इसलिए चालू वर्ष के दौरान 10.35 करोड़ रुपये की केन्द्रीय ऋण सहायता की पहली किश्त जारी की गई।

इन परियोजनाओं द्वारा लगभग 790 हजार हेक्टे. सिंचाई क्षमता सृजित किए जाने की संभावना है जिसमें जालना जिला (जायकवाड़ी परियोजना द्वारा) शामिल है।

सी.जी.आई.टी. सह श्रम अदालतों की स्थापना

1316. डा. वी. सरोजा: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को तमिलनाडु में मदुरै और कोयम्बटूर में सी.जी.आई.टी. सह श्रम अदालतों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

वनों का विकास

1317. श्री बहादुर सिंह: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2001-2002 के दौरान पर्यावरण और वनों के विकास और संरक्षण के लिए राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित की गयी है;

(ख) क्या विशेषकर राजस्थान में उक्त धनराशि के दुरूप्रयोग से संबंधित कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गयी है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) वर्ष 2001-2002 के दौरान पर्यावरण और वनों के विकास और संरक्षण के लिए आबंटित राशियां, राज्य-वार/परियोजनावार, संलग्न विवरण में दे दी गई हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

(लाख रुपये)

क्र.सं.	स्कीम का नाम	राज्य	आवंटित/जारी की गई धनराशि
1	2	3	4
1.	आधुनिक वन दावानल नियंत्रण और प्रबंधन	आंध्र प्रदेश	64.50
		बिहार	24.40
		छत्तीसगढ़	69.00
		गोवा	14.30
		गुजरात	74.50
		हरियाणा	37.91
		हिमाचल प्रदेश	101.30
		जम्मू और कश्मीर	59.00
		झारखंड	64.65
		कर्नाटक	50.58
		केरल	38.60
		मध्य प्रदेश	74.50
		महाराष्ट्र	61.00
		उड़ीसा	49.22
		पंजाब	57.60

1	2	3	4
		राजस्थान	32.50
		तमिलनाडु	60.50
		उत्तर प्रदेश	36.50
		उत्तरांचल	74.50
2.	लाभों की समान हिस्सेदारी के आधार पर अवक्रमित वनों के पुनरुद्धार में अनुसूचित जनजातियों और निर्धन ग्रामीणों का सहयोग	पश्चिम बंगाल	57.80
		आंध्र प्रदेश	33.00
		अरुणाचल प्रदेश	32.82
		छत्तीसगढ़	21.17
		गुजरात	12.23
		झारखंड	44.95
		जम्मू और कश्मीर	23.98
		कर्नाटक	43.05
		मध्य प्रदेश	49.86
		महाराष्ट्र	10.00
		मणिपुर	10.00
		मिजोरम	10.00
		राजस्थान	20.00
		सिक्किम	30.00
		त्रिपुरा	12.90
		पश्चिम बंगाल	4.09
3.	नमभूमि का संरक्षण और प्रबंधन	हिमाचल प्रदेश	48.20
		उड़ीसा	102.84
		जम्मू और कश्मीर	31.90
		पंजाब	61.46

1	2	3	4
4.	कच्छ वनस्पति का संरक्षण और प्रबंधन	आंध्र प्रदेश	57.18
		गोवा	8.63
		कर्नाटक	10.56
		उड़ीसा	41.42
		तमिलनाडु	88.15
		अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	11.10
5.	जीवमंडल रिजर्व	कर्नाटक	30.00
		मध्य प्रदेश	49.10
		मेघालय	7.20
		सिक्किम	20.00
		तमिलनाडु	17.41
		उत्तरांचल	28.00
		पश्चिम बंगाल	21.82
6.	हाथी परियोजना	आंध्र प्रदेश	51.44
		अरुणाचल प्रदेश	84.16
		असम	94.50
		झारखंड	22.68
		कर्नाटक	92.45
		केरल	95.91
		मेघालय	49.98
		नागालैण्ड	66.92
		उड़ीसा	117.03
		तमिलनाडु	58.66
		उत्तरांचल	140.85
		पश्चिम बंगाल	109.87

1	2	3	4
7.	बाघ परियोजना	आन्ध्र प्रदेश	21.00
		अरुणाचल प्रदेश	35.00
		असम	46.00
		बिहार	50.00
		छत्तीसगढ़	35.00
		कर्नाटक	146.44
		केरल	50.00
		झारखंड	50.00
		मध्य प्रदेश	274.53
		महाराष्ट्र	167.50
		मिजोरम	10.00
		उड़ीसा	126.81
		राजस्थान	70.00
		तमिलनाडु	16.00
		उत्तरांचल	149.85
		उत्तर प्रदेश	50.00
		पश्चिम बंगाल	80.00
	पारि विकास परियोजना	आन्ध्र प्रदेश	69.59
		अरुणाचल प्रदेश	41.05
		असम	43.81
		बिहार	7.00
		छत्तीसगढ़	24.70
		गुजरात	37.26
		हिमाचल प्रदेश	101.26
		झारखंड	5.05
		कर्नाटक	202.74
		केरल	66.90

—

1	2	3	4
		मध्य प्रदेश	136.67
		महाराष्ट्र	37.50
		मिजोरम	154.44
		नागालैण्ड	28.45
		उड़ीसा	46.60
		पंजाब	12.27
		राजस्थान	30.00
		सिक्किम	26.22
		तमिलनाडु	6.38
		त्रिपुरा	34.00
		उत्तरांचल	75.00
		उत्तर प्रदेश	132.78
		पश्चिम बंगाल	82.68
9.	जनजातीय विकास के लिए लाभोन्मुखी स्कीम	कर्नाटक	100.00
		मध्य प्रदेश	300.00
10.	भारतीय पारि विकास परियोजना	मध्य प्रदेश	203.29
		राजस्थान	227.50
		गुजरात	300.00
		केरल	515.07
		झारखंड	325.67
		कर्नाटक	473.90
		पश्चिम बंगाल	498.00
11.	एकीकृत वनीकरण और पारि विकास परियोजना	आन्ध्र प्रदेश	212.81
		अरुणाचल प्रदेश	66.34
		असम	26.05
		छत्तीसगढ़	21.32

2	3	4
	झारखंड	4.50
	गुजरात	163.67
	हिमाचल प्रदेश	64.00
	जम्मू और कश्मीर	378.48
	कर्नाटक	105.92
	केरल	239.18
	मध्य प्रदेश	109.95
	महाराष्ट्र	89.05
	मणिपुर	197.22
	मिजोरम	53.07
	नागालैण्ड	29.23
	उड़ीसा	211.00
	राजस्थान	291.34
	सिक्किम	98.00
	त्रिपुरा	21.33
	उत्तर प्रदेश	4.89
	उत्तरांचल	276.59
	पश्चिम बंगाल	172.25
12. क्षेत्रोन्मुखी जलावन लकड़ी और चारा परियोजना	आंध्र प्रदेश	134.08
	अरुणाचल प्रदेश	9.40
	असम	160.79
	बिहार	152.37
	गोवा	8.91
	गुजरात	206.47
	हरियाणा	336.85
	हिमाचल प्रदेश	133.16

1	2	3	4
		जम्मू और कश्मीर	177.46
		कर्नाटक	193.54
		केरल	104.70
		मध्य प्रदेश	330.40
		महाराष्ट्र	107.89
		मणिपुर	150.54
		मेघालय	21.95
		मिजोरम	63.25
		नागालैण्ड	23.40
		उड़ीसा	70.77
		पंजाब	248.82
		राजस्थान	61.79
		सिक्किम	71.54
		तमिलनाडु	116.58
		त्रिपुरा	79.77
		उत्तर प्रदेश	151.72
		उत्तरांचल	68.70
		पश्चिम बंगाल	171.87
13.	गैर इमारती वन उत्पाद	आंध्र प्रदेश	318.87
		अरुणाचल प्रदेश	20.00
		असम	53.30
		गोवा	18.47
		गुजरात	139.97
		हरियाणा	59.33
		हिमाचल प्रदेश	55.00
		जम्मू और कश्मीर	80.91
		कर्नाटक	64.12

1	2	3	4
		केरल	40.00
		मध्य प्रदेश	83.66
		महाराष्ट्र	66.00
		मेघालय	11.00
		मिजोरम	45.00
		नागालैण्ड	30.00
		उड़ीसा	86.37
		पंजाब	20.00
		राजस्थान	106.34
		सिक्किम	167.53
		तमिलनाडु	19.00
		त्रिपुरा	8.16
		उत्तर प्रदेश	17.87
		पश्चिम बंगाल	61.45
14.	वन विकास एजेंसी	हरियाणा	461.17
		मध्य प्रदेश	472.26
		महाराष्ट्र	79.63
		राजस्थान	128.50
		उत्तर प्रदेश	325.60
15.	प्रदूषण उपशमन के लिए सहायता	अरुणाचल प्रदेश	1.00
		बिहार	15.00
		जम्मू और कश्मीर	5.00
		राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सरकार	3.70
16.	ताज सुरक्षा मिशन	उत्तर प्रदेश	1500.00
17.	राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य विकास	आंध्र प्रदेश	88.59
		अरुणाचल प्रदेश	160.46

1	2	3	4
		असम	35.55
		बिहार	4.52
		छत्तीसगढ़	31.14
		गोवा	78.13
		गुजरात	127.20
		हरियाणा	15.64
		हिमाचल प्रदेश	97.48
		जम्मू और कश्मीर	26.00
		कर्नाटक	288.26
		केरल	81.50
		मध्य प्रदेश	99.38
		महाराष्ट्र	144.21
		मणिपुर	26.81
		मेघालय	27.94
		मिजोरम	94.96
		नागालैण्ड	25.72
		उड़ीसा	70.26
		पंजाब	26.60
		राजस्थान	73.00
		सिक्किम	20.00
		तमिलनाडु	75.23
		त्रिपुरा	46.40
		उत्तर प्रदेश	79.81
		उत्तरांचल	38.13
		पश्चिम बंगाल	87.00
		अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	25.59
		चंडीगढ़	18.40

1	2	3	4
		दादर व नगर हवेली	6.01
18.	राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना	दिल्ली	2200.00
		हरियाणा	1700.00
		केरल	3.00
		महाराष्ट्र	502.00
		उड़ीसा	300.00
		पंजाब	1507.00
		तमिलनाडु	3685.00
		उत्तर प्रदेश	4581.00
		उत्तरांचल	120.00
		पश्चिम बंगाल	1641.00
19.	राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम	महाराष्ट्र	400.00
		तमिलनाडु	1.00
20.	केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण	आंध्र प्रदेश	104.47
		बिहार	53.13
		गुजरात	9.95
		हरियाणा	3.45
		कर्नाटक	140.55
		मध्य प्रदेश	171.50
		महाराष्ट्र	21.31
		सिक्किम	27.75
		तमिलनाडु	13.90
		उत्तरांचल	11.50
		उत्तर प्रदेश	31.09

निजी विमान कंपनियों के कार्यकरण की समीक्षा

1318. श्री प्रबोध पण्डा:
श्री अजय चक्रवर्ती:
श्री विलास मुत्तेमवार:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने किराये पर छोटे विमान प्रदान करने वाली निजी विमान कंपनियों के कार्यकरण की समीक्षा करने के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कार्य में कितनी विमान कंपनियां कार्यरत हैं;

(ग) इस समिति के निष्कर्ष क्या हैं; और

(घ) इस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गयी है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने छोटे विमानों की खरीद-रखरखाव तथा प्रचालन संबंधी प्रणालियों और क्रियाविधियों की व्यापक समीक्षा करने के उद्देश्य से दिनांक 1 अक्तूबर, 2001 को एक समिति का गठन किया था। इस समय 34 नॉन शड्यूल आपरेटर किराए पर अपेक्षाकृत छोटे विमान मुहैया करा रहे हैं।

(ग) और (घ) यह रिपोर्ट दिनांक 3.11.2001 को मिल गई है और अब इस पर नागर विमानन मंत्रालय में विचार किया जा रहा है।

राज्यों में जल उपलब्धता का सर्वेक्षण

1319. श्री पी.डी. एलानगोवन:
श्री मोहन रावले:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में जल की कुल उपलब्धता का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार निष्कर्ष क्या निकले हैं;

(ग) सर्वेक्षण कार्य में अपनाए गए तरीके और सिद्धांतों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या गत पांच वर्षों में जल उपलब्धता की तुलना में इसमें कोई गिरावट आई है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत गत पांच वर्षों के दौरान जल स्तर को ऊंचा उठाने के लिए कुल कितना धन आवंटित किया गया है और कितनी धनराशि का भुगतान किया गया और शीर्षवार कुल कितना वार्षिक खर्च आया?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (ङ) केन्द्रीय जल आयोग ने वर्ष 1993 में देश में जल की उपलब्धता का आकलन किया है। जल की उपलब्धता का आकलन करने के लिए, केन्द्रीय जल आयोग द्वारा देश में सभी प्रमुख अन्तर्राज्यीय नदियों पर जल प्रवाहों का सर्वेक्षण (अर्थात् प्रेक्षण) करने के लिए एक जलवैज्ञानिक प्रेक्षण केन्द्रों के नेटवर्क का रख-रखाव किया जा रहा है। विभिन्न उपयोगों के लिए ऊपरी धारा के उपयोग के साथ प्रत्येक बेसिन के अंतिम छोर पर दीर्घ कालिक प्रेक्षित प्रवाह आंकड़ों और उस स्थल पर स्वाभाविक प्रवाहों पर पहुंचने वाले पश्च जल प्रवाहों, पर आधारित नदी बेसिन-वार सतही जल उपलब्धता का आकलन किया जाता है। इस आकलन के अनुसार, देश की नदी प्रणालियों में 1869 बिलियन घन मीटर औसत वार्षिक प्रवाह का आकलन किया है। केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड ने नहरों, सिंचाई क्षेत्रों और टैंकों बहने वाली नदियों से अंतर्वाह आदि से होने वाले रिसाव के कारण पुनर्भरण को ध्यान में रखकर वर्षा अंत:भरण (इनफिल्ट्रेशन) विधि के आधार पर वर्ष 1995 में 432 बी.सी.एम. वार्षिक पुनर्भरणीय भूमि जल का आकलन किया है। बेसिन-वार औसत वार्षिक प्रवाह और पुनर्भरणीय भूजल का ब्यौरा संलग्न विवरण-I पर दिया गया है। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता 2209 घन मीटर प्रति वर्ष थी। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता 1829 घन मीटर प्रति वर्ष है।

(च) वर्ष 1995 तक बड़े बांधों के निर्माण द्वारा 177 बी.सी.एम. की कुल भंडारण क्षमता के सृजन से योजना अवधियों में विविध प्रयोजनों के लिए जल के उपयोग की उपलब्धता बढ़ी है। वृहद्, मध्यम और लघु सिंचाई तथा कमान क्षेत्र विकास स्कीमों पर वर्ष 1995 से वर्ष 2000 तक किया गया व्यय संलग्न विवरण-II में दिया गया है। भारत सरकार ने, जल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए वर्ष 1996-97 से त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, राज्य सरकारों को समयबद्ध ढंग से चल रही सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने में उनकी सहायता के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है ताकि यथाशीघ्र लाभ प्राप्त हो सके।

मार्च, 2001 के अंत तक विगत पांच वर्षों के दौरान राज्य सरकारों को त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत 6686.892 करोड़ रुपये की केन्द्रीय ऋण सहायता मुहैया कराई गई है और ए.आई.बी.पी. के तहत केन्द्रीय ऋण सहायता के लिए 2000 करोड़ रुपये का परिव्यय भी रखा गया है। वर्ष 1999-2000 के अंत तक ए.आई.बी.पी. के तहत 706.342 हजार हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया है। सृजित और प्रयुक्त क्षमता के बीच अंतर को पाटने के लिए कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत राज्य सरकारों को सहायता में भी वृद्धि की जा रही है।

केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड ने कृत्रिम भूजल पुनर्भरण के लिए प्रायोगिक अध्ययन भी किए हैं। नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार ने इस स्कीम के लिए 25.00 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की है। भारत सरकार जल विभाजक प्रबंधन कार्यक्रम के जरिये छत पर वर्षा जल संचयन को भी बढ़ावा दे रही है। इसके लिए राज्य सरकारों और अन्य कार्यान्वयन अभिकरणों को तकनीकी और वित्तीय सहायता दी जाती है।

भारत सरकार ने 1982 में राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की स्थापना की जो जल की कमी वाले क्षेत्रों को जल का हस्तांतरण करने के लिए प्रायद्वीपीय तथा हिमालयी नदी विकास घटकों में विभिन्न नदियों को जोड़ने संबंधी व्यवहार्यतापूर्व/व्यावहारिकता स्तर के अध्ययन कर रही है।

विवरण-I

क्र.सं.	नदी बेसिन	नदी बेसिनवार जल उपलब्धता औसत वार्षिक सतही जल उपलब्धता	बिलियन क्यूबिक मीटर कुल पुनर्भरणीय भूजल संसाधन
1	2	3	4
1.	सिंधु	73.31	26.50
2.	गंगा-ब्रह्मपुत्र-बराक		
	क. गंगा	525.02	171.57
	ख. ब्रह्मपुत्र एवं बराक	585.60	35.07
3.	गोदावरी	110.54	40.60
4.	कृष्णा	78.12	26.40
5.	कावेरी	21.36	12.30
6.	पेन्नार	6.32	4.93
7.	महानदी और पेन्नार के बीच पूरब को बहने वाली नदियां	22.52	9.00
8.	पेन्नार और कन्याकुमारी के बीच पूरब को बहने वाली नदियां	16.46	9.20
9.	महानदी	66.88	16.50
10.	ब्रह्मानी और बैतरणी	28.48	4.05
11.	सुबनरेखा	12.37	1.80

1	2	3	4
12.	साबरमती	3.81	3.00
13.	माही	11.02	4.20
14.	लुनी सहित कच्छ, सौराष्ट्र की पश्चिम को बहने वाली नदियां	15.10	11.20
15.	नर्मदा	45.64	10.80
16.	तापी पश्चिम को बहने वाली नदियां	14.88	8.27
17.	तापी से ताद्री तक पश्चिम को बहने वाली नदियां	87.41	8.70
18.	ताद्री से कन्याकुमारी तक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां	113.53	9.00
19.	राजस्थान-मरूस्थल में अंतर्देशीय जल निकास का क्षेत्र	नगण्य	नगण्य
20.	बंगलादेश और म्यांमार में लघु नदी बेसिन जल निकास	31.00	18.80
	कुल	1869.35	431.89

नोट: आंकड़ों को पूर्णांक बनाने के कारण कुल योग में अंतर हो सकता है।

विवरण-II

वर्ष 1995-2000 के दौरान राज्य योजनाओं में सिंचाई और कमान क्षेत्र विकास के लिए मदवार किया गया व्यय/परिव्यय

वर्ष		करोड़ रुपये में व्यय/परिव्यय			
		एम एण्ड एम	एम आई	कैड	कुल
1995-1996	(वास्तविक व्यय)	4999.02	1408.08	489.30	6896.40
1996-1997	(वास्तविक व्यय)	5891.30	1599.68	524.04	8015.02
1997-1998	(वास्तविक व्यय)	7559.88	1499.33	432.69	9491.90
1998-1999	(अनन्तिम व्यय)	9322.15	1795.10	478.50	11595.75
1999-2000	(परिव्यय)	12284.61	2173.20	492.39	14950.20

एम एण्ड एम - बृहद् एवं मध्यम सिंचाई
एम आई - लघु सिंचाई
कैड - कमान क्षेत्र विकास

[हिन्दी]

कृषि भूमि पर बारिश

1320. श्री बीर सिंह महतो: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश की दो-तिहाई कृषि भूमि सिंचाई हेतु वर्षा पर आधारित होती है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने ऐसी भूमि पर औसतन वर्षा का कोई आकलन कराया है;

(ग) यदि हां, तो न्यूनतम, औसतन और अधिकतम वर्षा वाले अलग-अलग क्षेत्र कौन-कौन से हैं;

(घ) क्या सरकार ने विभिन्न वर्षा वाले क्षेत्रों में वर्षा जल के अधिकतम उपयोग के लिए कोई कार्य योजना तैयार की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) देश में कुल क्षेत्र 142.00 मिलियन हैक्टेयर का 62 प्रतिशत अर्थात् 87.5 मिलियन हैक्टेयर वर्षा सिंचित कृषि के अंतर्गत है।

(ख) और (ग) भारत मौसम विभाग के वर्गीकरण के अनुसार हुई वर्षा की मात्रा के आधार पर देश को चार समूहों में बांटा गया है जिसे संलग्न विवरण में देखा जा सकता है। समग्र रूप से देश की औसतन वार्षिक वर्षा 116.3 से.मी. है।

(घ) और (ङ) सरकार ने देश में वर्षा सिंचित कृषि भूमि के विकास को अत्यधिक प्राथमिकता दी है। वर्षा सिंचित कृषि भूमि की उत्पादन और उत्पादकता में सुधार के लिए वर्षा के अत्यधिक मात्रा में उपयोग और फसल के लिए भारत सरकार तृतीय पंचवर्षीय योजना से ही ग्रामीण विकास मंत्रालय और कृषि मंत्रालय में कई समेकित पनधारा विकास परियोजनाएं चला रही है। इनमें निम्नलिखित परियोजनाएं/स्कीमें शामिल हैं:-

(1) वर्षासिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना,

(2) नदी घाटी परियोजनाओं और बाढ़ प्रवण नदियों के अपवाहों में मृदा संरक्षण,

(3) झूम खेती क्षेत्रों में पनधारा विकास परियोजनाएं,

(4) सूखा प्रवण क्षेत्रों में कार्यक्रम,

(5) मरूस्थल विकास कार्यक्रम,

(6) समेकित परती भूमि विकास परियोजना।

विवरण

देश में विभिन्न स्तरों वाले वार्षिक वर्षा के क्षेत्र

औसत वार्षिक वर्ष	क्षेत्र का नाम	देश का प्रतिशत क्षेत्र
40 से.मी. से कम	पश्चिम राजस्थान	6 प्रतिशत
41-100 से.मी.	पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग, हरियाणा चण्डीगढ़ एवं दिल्ली, पंजाब, जम्मू व कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात क्षेत्र, सौराष्ट्र एवं कच्छ, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, आंध्र प्रदेश के तटीय भाग, तेलंगाना, रायलसीमा, तमिलनाडु व पाण्डिचेरी, उत्तरी सुदूर कर्नाटक	43 प्रतिशत
101-250 से.मी.	नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एवं त्रिपुरा, पश्चिमी बंगाल का गांगेय प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, दक्षिणी सुदूर कर्नाटक, लक्षद्वीप।	41 प्रतिशत
250 से.मी. से अधिक	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह, अरुणाचल प्रदेश, असम एवं मेघालय, उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल एवं सिक्किम, कोकंण एवं गोवा, तटीय कर्नाटक, केरल	10 प्रतिशत

समग्र रूप से देश की वार्षिक औसतन वर्षा 116.3 से.मी. है।

खानों में उत्पादन की नई तकनीक

1321. श्री थावरचन्द गेहलोत: क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने खानों में उत्पादन बढ़ाने और खनन कार्य में लगे कामगारों की सुरक्षा के लिए कोई नई तकनीक शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त तकनीक कब शुरू की गई और इसकी शुरूआत के लिए किन स्थानों का चयन किया गया; और

(घ) इससे क्या फायदा हुआ है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) जी, नहीं। तथापि, सरकार, विस्फोट मानदंडों के डिजाइन एवं इष्टतमीकरण को और अधिक विकसित करने, स्टोप मानदंडों के इष्टतमीकरण, सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कोयला खानों में बैरियरों की सघनता का मानचित्रण, बेहतर सुरक्षा के लिए केबल बोल्टिंग हेतु ग्राउटिंग प्रणाली का इष्टतमीकरण, रिकवरी को सुधारने के लिए दिशानिर्देशों का विकास, विस्फोटकों की प्रोपर्टीज का स्वस्थानिक मूल्यांकन करने की शुरूआत, सुरक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए कोयला खानों की ऊपरी सतह की स्थिति की जांच के लिए यंत्रों के विकास हेतु, विभिन्न अनुसंधान एवं शैक्षिक संस्थानों को प्रायोजित परियोजनाओं के माध्यम से, खनन गतिविधि के सभी चरणों में, खनिकों की सुरक्षा और उत्पादकता में सुधार के प्रयास कर रही है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल में पर्यटक स्थल

1322. श्री सनत कुमार मंडल: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास पश्चिम बंगाल के सुन्दरवन क्षेत्र को अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल के रूप में घोषित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन क्षेत्रों के विकास के लिए कोई वित्तीय पैकेज स्वीकृत किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) किसी स्थान को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल के रूप में घोषित करने की कोई प्रथा नहीं है।

भीमा और मंजरा नदियों पर बैराज का निर्माण

1323. श्री आर.एस. पाटिल:
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक में भीमा और मंजरा नदियों पर बैराजों के निर्माण के लिए सर्वेक्षण का काम पूरा हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो इन बैराजों के निर्माण कार्य के कब तक चालू किए जाने की संभावना है; और

(ग) इन पर कुल कितना खर्च आने का अनुमान है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (ग) कर्नाटक सरकार ने क्रमश: 185.18 करोड़ रुपये तथा 27.51 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से नौवीं योजना में भीमा फ्लो तथा मंजारा लिफ्ट स्कीम का प्रस्ताव किया है। इन स्कीमों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के लिए केन्द्रीय जल आयोग को प्राप्त नहीं हुई है।

[हिन्दी]

बिहार में नहरों के रख-रखाव के लिए सहायता

1324. श्रीमती रेनु कुमारी: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार सरकार ने बड़े और मझौले आकार की विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं की मरम्मत और रख-रखाव के लिए किसी सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य में पर्याप्त सिंचाई सुविधाओं का कोई अभाव है; और

(घ) यदि हां, तो वहां की सिंचाई व्यवस्था में सुधार लाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कारगर कदम उठाए जाने पर विचार किया जा रहा है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (घ) जल राज्य का विषय होने के कारण, नहरों की मरम्मत सहित, सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, वित्तपोषण, निष्पादन एवं उनका रख-रखाव राज्य सरकार द्वारा अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है।

बृहद्, मध्यम एवं लघु स्कीमों से बिहार (झारखंड सहित) की चरम सिंचाई क्षमता 13.35 मि. हेक्टे. आंकी गई है जिसमें से मार्च, 2000 तक 8.12 मि. हेक्टे. क्षमता सृजित की गई है।

विदेशी पर्यटकों के साथ ठगबाजी

1325. श्री राम मोहन गाड्डे:
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:
श्री शिवाजी माने:
श्री भालचन्द्र यादव:

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस वर्ष विदेशी पर्यटकों को उत्पीड़ित करने और उन्हें ठगे जाने के मामले में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में किसी जांच का आदेश दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम सामने आए हैं; और

(ङ) इसमें दोषी पाए गए व्यक्तियों/कम्पनियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) से (ङ) कानून एवं व्यवस्था मुख्यतया राज्य का विषय है। तथापि, केन्द्रीय पर्यटन विभाग, आने वाले पर्यटकों को मन में विश्वास पैदा करने के उद्देश्य से रिपोर्ट किए गए मामलों पर नियमित रूप से राज्य सरकारों तथा अन्य स्थानीय प्राधिकरणों के साथ उच्च प्राथमिकता पर चर्चा करता है। केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से यह भी अनुरोध किया है कि वे पर्यटकों के हितों की रक्षा के लिए निरोधक पर्यटन विधान बनाएं और पर्यटक पुलिस स्थापित करें। जम्मू-कश्मीर, राजस्थान, केरल, हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों ने पहले ही पर्यटक पुलिस बल स्थापित कर लिए है। कुछ अन्य राज्य सरकारें ऐसे विधान प्रारंभ करने पर विचार कर रही हैं। दोषी पाए जाने वाले लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

[अनुवाद]

खरीफ फसल का उत्पादन

1326. श्री वीरेन्द्र कुमार:
श्री वाई.वी. राव:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष के दौरान रबी/खरीफ फसलों के उत्पादन के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) वर्ष 2000-2001 में प्राप्त रबी/खरीफ फसल के उत्पादन और इनके निर्यात का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में खाद्यान्नों की पर्याप्त खरीद के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) चालू वर्ष में रबी/खरीफ के उत्पादन के लिए निर्धारित लक्ष्य और 2000-01 में हुए कृषि उत्पादन और कृषि उत्पादों के निर्यात का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। राज्यवार आंकड़े तैयार नहीं किये गये हैं।

(ग) विनिर्दिष्ट केन्द्रीय नोडल एजेन्सियों से अपेक्षा रहती है कि वे जहां भी कीमतें सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे रहती हैं वहां वे हस्तक्षेप और खरीद कार्य करेंगी। प्रत्येक मौसम के शुरू होने से पहले ही राज्य सरकारों और भारतीय खाद्य निगम द्वारा आपसी सहमति से निर्धारित स्थानों पर खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति के बारे में भारतीय खाद्य निगम द्वारा लगाये जाने वाले अनुमानों के आधार पर्याप्त संख्या में खरीद केन्द्र खोले जाते हैं ताकि किसानों को मजबूरी में बिक्री न करनी पड़े और उनको किसी प्रकार की कठिनाईयों का सामना न करना पड़े। राज्य सरकारों/केन्द्र शासित क्षेत्रों और अन्य अधिप्राप्ति एजेन्सियों से रोजाना की खरीद संबंधी आंकड़ों को एकत्रित करने और उनको संकलित करने के लिये भारतीय खाद्य निगम ने अपने मुख्यालय में तथा अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों में विशेष नियंत्रण कक्ष स्थापित किये हैं। खरीददारी की चरम अवधि में यह नियंत्रण कक्ष रात-दिन काम करते हैं।

विवरण

क्र.सं.	फसल	लक्ष्य 2001-2002 (मिलियन मीटरी टन/गांठें)			उपलब्धि (पी) 2000-2001 (मिलियन टन/गांठें)			कृषि उत्पादों का निर्यात 2000-2001 (पी) (000 टन/करोड़ रुपये में)	
		खरीफ	रबी	योग	खरीफ	रबी	योग	मात्रा (000 टन)	मूल्य (करोड़ रु. में)
1.	चावल	77.98	14.02	92.00	74.41	11.89	86.30	1532.11	2926.10
2.	गेहूं	-	78.00	78.00	-	68.46	68.46	879.48	444.23
3.	मोटे अनाज	26.15	3.85	30.00	24.02	6.23	30.25	45.25	39.08
4.	दलहन	6.00	9.00	15.00	4.68	6.38	11.06	242.94	537.10
	कुल खाद्यान्न	110.13	107.87	218.00	103.11	92.96	196.07	-	-
5.	तिलहन	16.50	11.50	28.00	11.58	6.62	18.20	3048.30***	3911.17***
6.	गन्ना	-	-	325.00	-	-	300.32	331.18@	427.74@
7.	कपास*	-	-	14.50	-	-	9.39	30.14	223.95
8.	जूट एवं मेस्ता**	-	-	11.00	-	-	103.70	96.51	311.96

पी अनन्तिम

@ चीनी

** प्रत्येक 180 कि.ग्रा. की मिलियन गांठें।

* प्रत्येक 170 कि.ग्रा. की मिलियन गांठें।

*** सीसम और रामतिल, मूंगफली एरण्ड तेल आयल-मील

[हिन्दी]

श्रम उत्पादकता

1327. श्री दिनेश चन्द्र यादव:
श्री नवल किशोर राय:
डा. एस. वेणुगोपाल:

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हमारे देश की श्रम उत्पादकता विकसित देशों की उत्पादकता से कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने हमारे देश की श्रम उत्पादकता को अंतर्राष्ट्रीय मानदंड के समतुल्य लाने के लिए संभावनाओं का पता लगाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस सपने को साकार करने के लिए सरकार द्वारा क्या योजना तैयार की गई है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) और (ख) वर्ल्ड कम्पीटीटिवनेस, इयरबुक, 2001 के अनुसार अमेरिकी डालर में खरीद शक्ति समतुल्यता के लिए समायोजित सकल घरेलू उत्पाद के रूप में भारत और कुछ विकसित देशों में श्रम उत्पादकता दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। तथापि, भारत की और अन्य विकसित देशों की श्रम उत्पादकता में तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि अपनायी गयी अवधारणा और कार्यपद्धतियों में महत्वपूर्ण विविधताएं हैं।

(ग) से (ङ) भारत की योजना प्रक्रिया का लक्ष्य प्रशिक्षण व्यवस्था, कौशल उन्नयन और औजार, उपकरण और उत्पादन तकनीक

में सुधार के माध्यम से श्रम उत्पादकता में सुधार की स्थितियां उत्पन्न करना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योजना कार्यक्रमों के माध्यम से संसाधनों का उपयोग किया जाता है।

विवरण

सकल घरेलू उत्पाद प्रति नियोजित व्यक्ति प्रति घंटा

देश	श्रम उत्पादकता (अमेरिकी डालर में)
फ्रांस	37.72
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका	36.08
आस्ट्रेलिया	30.97
नीदरलैंड्स	30.45
कनाडा	29.75
स्विटजरलैंड	27.73
जापान	26.69
ब्रिटेन	26.63
हांगकांग	23.37
सिंगापुर	21.66
भारत	2.42

[अनुवाद]

निजी विमान को लाइसेंस

1328. श्रीमती श्यामा सिंह: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार निजी विमानों को लाइसेंस प्रदान करने और उनकी मरम्मत तथा रख-रखाव का पर्यवेक्षण करने के लिए प्रक्रिया की समीक्षा करने पर सक्रियता से विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो विद्यमान प्रक्रिया में पाई गई कमियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रक्रिया की समीक्षा से निजी विमानों में होने वाली दुर्घटनाओं को किस सीमा तक कम किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) से (ग) जी, हां। सरकार ने छोटे विमानों की खरीद, रख-रखाव तथा प्रचालन संबंधी प्रणालियों और क्रियाविधियों की व्यापक समीक्षा करने के उद्देश्य से दिनांक 1 अक्तूबर, 2001 को एक समिति का गठन किया था। उसकी रिपोर्ट पर 3 नवम्बर, 2001 को मिल गई थी और अब इस पर नागर विमानन मंत्रालय में विचार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

अवैध कोयला खनन

1329. श्री किरीट सोमैया: क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रकाश में आए अवैध खनन और कोयला खनन के मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अवैध खनन का कार्य खनन अधिकारियों की सांठगांठ से किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है और भविष्य में ऐसे प्रयास को रोकने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पर्यटन विकास के लिए प्रधान मंत्री की घोषणा

1330. श्री सुन्दर लाल तिवारी: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत पर्यटन विकास के बजट में भारी कटौती की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसमें कितनी धनराशि की कटौती की गई है; और

(ग) लाल किले की प्रचीर से हाल में की गई देश में पर्यटन को बढ़ावा देने संबंधी प्रधान मंत्री की घोषणा पर इसके क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) और (ख) पर्यटन विभाग की 10वीं पंचवर्षीय योजना के लिए बजट आवंटन की प्रक्रिया को योजना आयोग द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विमान पट्टियां

1331. **श्री गंता श्रीनिवास राव:**
श्री गुनीपाटी रामैया:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के विभिन्न भागों में विमान पट्टियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस समय काम में न आने वाली कितनी विमानपट्टियां हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा देश में प्रबंधित हवाई अड्डे **आंध्र प्रदेश** में कुड्डापाह, दोनाकोण्डा, हैदराबाद, नादिरगुल, राजामुन्दरी, तिरूपति, विजयवाड़ा विशाखापत्तनम्, (सिविल एन्क्लेव) और वारंगल, **अरुणाचल प्रदेश** में एलांग (सिविल एक्लेव) पासीघाट, तेजु (सिविल एन्क्लेव), जेरो (सिविल एन्क्लेव), और डपारिजो (सिविल एन्क्लेव), **असम** में डिब्रूगढ़ (मोहनबाडी), गुवाहाटी, जोरहाट (सिविल एन्क्लेव), उत्तरी लखिमपुर (लीलाबाड़ी), रूपसी, सिल्चर (सिविल एन्क्लेव), तेजपुर (सिविल एन्क्लेव) और शेल्ला, **बिहार** में गया, जोगबानी, मुजफ्फरपुर, पटना और रक्सौल, **झारखंड** में चाकुलिया और रांची, **गोवा** में गोवा (सिविल एन्क्लेव), **गुजरात** में अहमदाबाद, भुज (सिविल एन्क्लेव), भावनगर, दिसा (पालमपुर), जामनगर (सिविल एन्क्लेव), कांडला, केशोद, पोरबंदर, राजकोट, बड़ोदरा, **हिमाचल प्रदेश** में कांगडा, कुल्लू और मनाली और शिमला, **जम्मू और कश्मीर** में जम्मू (सिविल एन्क्लेव), लेह (सिविल एन्क्लेव), श्रीनगर (सिविल एन्क्लेव) **कर्नाटक** में बंगलौर (सिविल एन्क्लेव), बेलगॉम, हसन, हुबली, मंगलौर और मैसूर, **केरल** में कालीकट, कोचीन (सिविल एन्क्लेव) और त्रिवेन्द्रम **मध्य प्रदेश** में भोपाल, ग्वालियर (सिविल एन्क्लेव), इन्दौर, जबलपुर, खजुराहो, खाण्डवा, सतना और पन्ना, **छत्तीसगढ़** में बिलासपुर और रायपुर, **महाराष्ट्र** में अकोला, औरंगाबाद, मुम्बई, हडप्सर, जूहू (मुम्बई), कोल्हापुर, नागपुर, शोलापुर और पुणे (सिविल एन्क्लेव), **मणिपुर** में इम्फाल **मेघालय** में शिलांग, **मिजोरम** में एजवाल (तूरियल), **नागालैंड** में दीमापुर, **उड़ीसा** में भुवनेश्वर और झारसुगुडा, **पंजाब** में अमृतसर और लुधियाना, **राजस्थान** में बीकानेर (सिविल एन्क्लेव), जयपुर, जैसलमेर (सिविल एन्क्लेव), जोधपुर (सिविल एन्क्लेव), कोटा और उदयपुर, **तमिलनाडु** में कोयम्बतूर, चेन्नई, मदुरै, सेलम, तिरूचिरापल्ली, तूतीकोरिन और वेल्लौर, **त्रिपुरा** में अगरतला, कैलाशहर, कमालपुर और खोवाई, **उत्तर प्रदेश** में आगरा (सिविल एन्क्लेव), इलाहाबाद (सिविल एन्क्लेव), गोरखपुर (सिविल एन्क्लेव), कानपुर (सिविल एन्क्लेव), कानपुर चकेरी (सिविल एन्क्लेव), ललितपुर, लखनऊ, वाराणसी और झांसी, **उत्तरांचल** में देहरादून और पन्तनगर, **पश्चिम बंगाल** में बागडोगरा (सिविल एन्क्लेव), बेलूरघाट, बेहाला, **कोलकाता,** कूच बिहार, मालदा और आसनसोल, **दिल्ली** में इंदिरागांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, पालम और सफदरजंग हवाई अड्डा, **अण्डमान और निकोबार** में पोर्ट ब्लेयर (सिविल एन्क्लेव), **चण्डीगढ़** में चंडीगढ़ (सिविल एन्क्लेव), **लक्षद्वीप** में अगत्ती और **पांडिचेरी** में पांडिचेरी हैं।

(ख) इस समय 35 गैर-प्रचालनात्मक हवाई अड्डे हैं। यातायात की गैर-उपलब्धता के कारण किसी भी एयरलाइन ने इन हवाई अड्डों से होकर प्रचालन करने में अपनी रूचि नहीं दिखाई है।

(ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को इन गैर-प्रचालनात्मक हवाई अड्डों को संबंधित राज्य सरकारों को विकास और प्रचालन के लिए सौंपने का प्रस्ताव है। यद्यपि किसी भी राज्य सरकार ने इन प्रस्तावों के प्रति अनुकूल रूख नहीं दिखाया है। जबकि कोल्हापुर और शोलापुर हवाई अड्डों को फरवरी, 1997 से 15 वर्षों की अवधि के लिए सहमत शर्तों के आधार पर महाराष्ट्र राज्य सरकार को सौंपा जा चुका है।

अवैध कोयला व्यापार

1332. **श्री सुबोध मोहिते:** क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कोयले के अवैध व्यापार से सरकारी कोष को करोड़ों रुपए का घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारों का भी कोयले की काला बाजारी में संलिप्त होने का पता चला है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) और (ख) नॉन-कोर क्षेत्र को कोयले की बिक्री कोल इंडिया लि. (सी.आई.एल.) द्वारा लिंकेज तथा प्रायोजनों अथवा खुली बिक्री योजना के अंतर्गत की जाती है। सी.आई.एल. की सहायक कंपनियों ने संबंधित राज्य सरकारों से लिंकेजों और प्रायोजनों की सत्यापन करने को कहा है।

(ग) सरकार की जानकारी में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

जल संबंधी पर्यावरणीय प्रौद्योगिकी

1333. श्री एन.टी. षणमुगम: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में अवजलशोधन में जल संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए पर्यावरणीय प्रौद्योगिकी में स्वीडन से सहयोग की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि तेजी से बढ़ती आबादी के कारण सिंचाई के लिए जल संसाधनों में तेजी से कमी आ रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस संकट को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) देश में अवशिष्ट जल के उपचार में जल से संबंधित समस्याओं का समाधान करने के लिए जल संसाधन मंत्रालय, शहरी विकास और पर्यावरण और वन मंत्रालयों, भारत सरकार द्वारा पर्यावरणीय प्रौद्योगिकी में स्वीडन का सहयोग नहीं मांगा है। भारत में शहरों के सुधार के लिए स्वीडन अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण (एस.आई.डी.ए.) की सहायता मांगी गई है।

(ग) जी, हां। आबादी में तीव्र वृद्धि होने के कारण जल की घरेलू और औद्योगिक प्रयोजनों के लिए मांग बढ़ गई है। इस प्रकार सिंचाई के लिए उपलब्ध जल का प्रतिशत कम हुआ है।

(घ) स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से देश में जल संसाधनों के विकास से खाद्यान्न उत्पादन लगभग 50 मिलियन टन से बढ़कर वर्ष 1999 में 200 मिलियन टन हो गया है। वर्ष 1995 तक बड़े बांधों के निर्माण से 177 बिलियन घन मीटर की सक्रिय भंडारण क्षमता के सृजन से ही ऐसा संभव हुआ है। इन सृजित भंडारणों तथा अन्य लघु सिंचाई स्कीमों की सहायता से देश में 139.9 मि. हेक्टेयर की चरम सिंचाई क्षमता से आठवीं योजना के अंत तक 90 मिलियन हेक्टे. सिंचाई क्षमता सृजित की गई है।

सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण राज्यों के भीतर जल संसाधनों का उपयोग करने के लिए बाढ़ नियंत्रण और जल निकास सहित सभी प्रकार की जल संसाधन परियोजनाओं के सर्वेक्षण और अन्वेषण, आयोजना, वित्तपोषण, क्रियान्वयन और प्रबंधन की जिम्मेदारी मुख्यत: राज्य सरकार द्वारा उनकी प्राथमिकताओं और उनके स्वयं के योजना संसाधनों में से करने की है। देश में जल की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए लगभग 75 बी.सी.एम. की अतिरिक्त भंडारण क्षमता बढ़ाने की परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं और 132 बी.सी.एम. अतिरिक्त क्षमता की योजना बनाई जा रही है। इससे भावी मांगों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित की जा सकेगी। इसके अलावा, प्राकृतिक संसाधनों से जल को काम में लाने के लिए राज्य सरकारों को उनके प्रयासों में सहायता करने के लिए, भारत सरकार ने वर्ष 1996-97 से त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) शुरू किया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत चल रही परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से पूरा करने के लिए राज्य सरकारों की सहायता करने के वास्ते उन्हें अदायगी ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है ताकि, उनसे शीघ्र लाभ प्राप्त किए जा सकें। सृजित क्षमता और उपयोग की गई क्षमता के बीच के अंतर को दूर करने के लिए राज्य सरकारों को कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम (सी.ए.डी.) के तहत सहायता भी दी जा रही है। भारत सरकार जल विभाजक प्रबंधन कार्यक्रम के जरिए वर्षा जल संचयन को भी बढ़ावा दे रही है जिसके लिए राज्य सरकारों और अन्य कार्यान्वयन अभिकरणों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए प्रायोगिक अध्ययन भी शुरू किए हैं।

खाद्य प्रसंस्करण की जागरूकता के लिए फिल्में

1334. श्री रामजी मांझी:
श्री प्रभुनाथ सिंह:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जून 1999 में खाद्य प्रसंस्करण की जनमानस में जागरूकता लाने के लिए बनाई गई ढेर सारी फिल्मों को नहीं दिखाया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं और इसके क्या कारण हैं:

(ग) क्या इस मामले की जांच कराई गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ङ) क्या फिल्म निर्माताओं की सहमति से इन फिल्मों को पूरा किये जाने की कोई समय-सीमा तय की गई है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. चमन लाल गुप्त): (क) जी हां।

(ख) से (घ) मूल रूप से इन फिल्मों का प्रदर्शन दूरदर्शन के कृषि दर्शन कार्यक्रम में करने की योजना थी। पर दूरदर्शन ने इन फिल्मों को वाणिज्य (कामर्शियल) बताया जिनका निर्धारित दरों पर भुगतान करना होता है। अंत में मंत्रालय दूरदर्शन के ज्ञान दर्शन चैनल पर इन फिल्मों को दिखाने में सफल हुआ है।

(ङ) जी नहीं।

(च) चूंकि मंत्रालय पहली बार फिल्मों का निर्माण कर रहा था, दूरदर्शन के मॉडल अनुबंध को स्वीकार किया गया जिसमें फिल्मों को पूरा करने की कोई समय-सीमा तय नहीं की गई थी।

इंडियन एयरलाइन्स द्वारा उड़ानें रद्द करना

1335. श्री नरेश पुगलिया: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इंडियन एयरलाइन्स की गैर-किफायती मानी जाने वाली कुछ उड़ानें रद्द कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इंडियन एयरलाइन्स मासिक आधार पर अपनी उड़ान सारणी की निगरानी करती है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) से (घ) इंडियन एयरलाइन्स बाजार से आपूर्ति तथा यात्रियों की मांगों की विभिन्नताओं की प्रचालनात्मक अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर अपनी समय सारणी में समायोजन करती रहती है। यात्रियों की संख्या में कमी होने के कारण इंडियन एयरलाइंस ने कुछ सेवाओं में अस्थायी तौर पर परिवर्तन किया है। विवरण का विस्तृत ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

इंडियन एयरलाइंस और एलायंस एयर लि.

वापस ली गई उड़ानें (घरेलू)

28 अक्तूबर, 2001 से

आईसी 867/868 (दिल्ली-गोवा-दिल्ली)-सप्ताह के 1, 2, 3, 5, 6 और 7 दिवसों को

सीडी 7261/7262 (कोलकाता-भुवनेश्वर-कोलकाता)-सप्ताह के 1, 3, 5 और 7 दिवसों को

सीडी 7541/7542 (चेन्नई-विजाग-कोलकाता) और इसके विपरीत सप्ताह के 4 दिवस को

सीडी 7269 (कोलकाता-जयपुर-अहमदाबाद-कोलकाता) सप्ताह के 5 दिवस को

सीडी 7267 (कोलकाता-अहमदाबाद-जयपुर-कोलकाता) सप्ताह के 2 दिवस को

सीडी 7559/7560 (चेन्नई-मंगलोर-चेन्नई) और (बंगलौर-मंगलोर-बंगलोर सेक्टर) सप्ताह के 2, 4, और 6 दिवसों को

सीडी 7587/7588 (बंगलोर-कोयम्बटूर-बंगलोर) और (चेन्नई-कोयम्बटूर-चेन्नई) सैक्टर्स सप्ताह के 2, 4 और 6 दिवसों को

सीडी 7689/7690 (मुम्बई-बड़ोदरा-मुम्बई) प्रति दिन

सीडी 7891/7892 (दिल्ली-गुहावाटी-दिल्ली) सप्ताह के 2 और 5 दिवसों को

28 अक्तूबर से 17 नवम्बर, 2001 तक

आईसी 669/670 (मुम्बई-पुट्टापार्थी-मुम्बई) सप्ताह के 3 और 4 दिवसों को

7 और 9 नवम्बर, 2001 से

सीडी 7271/7472 (कोलकाता-नागपुर-हैदराबाद और इसके विपरीत) सप्ताह के 3/5 दिवस को

सीडी 7277/7278 (कोलकाता-भुवनेश्वर-हैदराबाद) सप्ताह के 6/2 दिवस को

सीडी 7409/7410 (दिल्ली-लखनऊ-पटना और इसके विपरीत) सप्ताह के 1, 3 और 5 दिवस को

28 अक्तूबर, 2001 से मार्ग-परिवर्तन

सीडी 7431/7432 (दिल्ली-लेह-दिल्ली) और सीडी 7484/7483 (लेह-चंडीगढ़-लेह) की जगह दिल्ली-चंडीगढ़-लेह और इसके विपरीत का प्रचालन-सप्ताह के 3 दिवस को

7/9 नवम्बर, 2001 से मार्ग-परिवर्तन

सीडी 7145य7146 (मुम्बई-राजकोट-मुम्बई) और सीडी 7147 (मुम्बई-जामनगर-भुज-मुम्बई) की जगह मुम्बई-राजकोट-जामनगर-मुम्बई-दिल्ली का प्रचालन-प्रतिदिन

सीडी (7459 (दिल्ली-रायपुर-जबलपुर-दिल्ली) और सीडी 7465/7466 (दिल्ली-नागपुर-दिल्ली) की जगह दिल्ली-रायपुर-नागपुर-दिल्ली का प्रचालन-सप्ताह के 4 दिवस को

आईसी 821/822 (दिल्ली-जम्मू-श्रीनगर और इसके विपरीत)-दैनिक, सीडी 7431/7432 (दिल्ली-लेह-दिल्ली)-सप्ताह में एक दिन और सीडी 7430/7429 (लेह-श्रीनगर-लेह)-सप्ताह में एक दिन-की जगह निम्नलिखित का प्रचालन होगा-

(दिल्ली-जम्मू-श्रीनगर-दिल्ली) सप्ताह में तीन दिन, (दिल्ली-श्रीनगर-जम्मू-दिल्ली)-सप्ताह में तीन दिन और (दिल्ली-जम्मू-श्रीनगर-लेह और इसके विपरीत)- सप्ताह में एक दिन

बंद की गई उड़ानें (अंतर्राष्ट्रीय)

28 अक्तूबर से 15 नवम्बर, 2001 तक

आईसी 957/958 (बंगलोर-सिंगापुर-बंगलोर)-सप्ताह के 2 और 4 दिवस को

28 अक्तूबर 2001 से

आईसी 723/724 (कोलकाता-ढाका-कोलकाता)-सप्ताह के 4 और 7 दिवस को

आईसी 631/632 (मुम्बई-करांची-मुम्बई)-सप्ताह के 2 और 6 दिवस को

आईसी 752/751 (वाराणसी-काठमांडू-वाराणसी)-सप्ताह के 1, 3 और 5 दिवस को

आईसी 991/992 (हैदराबाद-कोचीन-दोहा और इसके विपरीत)-सप्ताह के 2 और 7 दिवस को

आईसी 907/908 (त्रिवेन्द्रम-कोलंबो-त्रिवेन्द्रम)-सप्ताह के 1 और 5 दिवस को

7 नवम्बर से 20 नवम्बर, 2001 तक

आईसी 723/724 (कोलकाता-ढाका-कोलकाता)-सप्ताह को 1, 3 और 5 दिवस को

7 नवम्बर, 2001 से

आईसी 731/732 (कोलकाता-बैंकॉक-कोलकाता)-सप्ताह में 6 दिवस को

[हिन्दी]

अभ्रक का उत्पादन

1336. **श्री विजय कुमार खंडेलवाल:**
श्री शिवराज सिंह चौहान:
श्रीमती शीला गौतम:
श्री जयभान सिंह पवैया:

क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में आज की तिथि तक देश में अभ्रक का कितना उत्पादन हुआ है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान निर्यात किए गए अभ्रक की प्रतिशतता क्या है; और

(ग) इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) से (ग) कोयला और खान मंत्रालय, खान विभाग के एक अधीनस्थ कार्यालय भारतीय खान ब्यूरो (आई.बी.एम.) के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अभ्रक का उत्पादन नीचे दिया गया है:-

(मात्रा टन में)

मद	1998-99	1999-2000	2000-2001	अप्रैल से अगस्त, 2001 (अनन्तिम)
उत्पादन				
अभ्रक (क्रूड)	1484	1807*	1111	451
अभ्रक (वेस्ट और स्क्रैप)	1067	1579*	1267	1122

*पहले अभ्रक (क्रूड) के लिए 1273 टन और अभ्रक (वेस्ट और स्क्रैप) के लिए 1039 टन का अनुमान लगाया गया था।

रिपोर्टिंग खानों द्वारा भेजी गई सूचना के आधार पर भारतीय खान ब्यूरो (आई.बी.एम.) द्वारा अभ्रक के उत्पादन के अनुमान लगाए जाते हैं। तथापि, गौण स्रोतों और पछोड़नों से भी अभ्रक की प्राप्ति होती है परन्तु इसका ब्यौरा नहीं रखा जाता है। अभ्रक के निर्यात के आंकड़ों में अभ्रक का सभी रूप में निर्यात शामिल है। अत: निर्यात किए गए अभ्रक की प्रतिशतता और अभ्रक के कुल उत्पादन के बीच संबंध स्थापित करना व्यवहार्य नहीं है। तथापि, महानिदेशक, वाणिज्य आसूचना और सांख्यिकी (डी.जी.सी.आई.एस.) द्वारा रखी जा रही सूचना, जो आई.बी.एम. द्वारा भेजी गई है, के अनुसार अभ्रक के निर्यात से 1998-99 में 7019 लाख रु. 1999-2000 में 6354 लाख रु. और 2000-2001 में 8813 लाख रु. की कुल विदेशी मुद्रा अर्जित की गई। अप्रैल से अगस्त, 2001 के दौरान अर्जित विदेशी मुद्रा के संबंध में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

[अनुवाद]

तमिलनाडु में पर्यटन विकास के लिए धनराशि

1337. **श्री टी.टी.वी. दिनाकरन:**
श्री वी. वेत्रिसेलवन:
श्री ए. कृष्णामूर्ति:
श्री ए.के. मूर्ति:

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु में चेंगलेपुट जिले और अन्य जिलों के पर्यटन केन्द्रों में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान तमिलनाडु में आये विदेशी और भारतीय पर्यटकों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान तमिलनाडु में पर्यटन उद्योग में सुधार लाने के लिए कितना धन आवंटित किया गया है।

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) पर्यटक स्थलों को विकसित एवं संवर्धित करने की जिम्मेदारी तमिलनाडु राज्य सरकार की है। तथापि, केन्द्रीय पर्यटन विभाग उनके साथ प्रतिवर्ष विचार-विमर्श कर प्राथमिकता प्रदत्त परियोजनाओं के आधार पर धनराशि उपलब्ध कराता है। वर्ष 1998-99 के दौरान चेंगलपेट स्थित कुलावल झील में साहसिक जलक्रीड़ा केन्द्र की स्थापना के लिए 15 लाख रुपए स्वीकृति किए गए थे। वर्ष 2001-2002 के दौरान चेंगलपेट में पर्यटक स्थल के विकास के किसी परियोजना प्रस्ताव को प्राथमिकता प्रदान नहीं की गयी है।

(ख) सूचना इस प्रकार है-

वर्ष	पर्यटक आगमन	
	घरेलू	विदेशी
1996	18207666	613982
1997	18975881	636640
1998	20452971	636430
1999	21079141	722442
2000	22981882	786165

(ग) तमिलनाडु राज्य सरकार के साथ विचार-विमर्श कर चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 519.00 लाख रुपयों की केन्द्रीय वित्तीय सहायता के लिए 30 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

[हिन्दी]

प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव के बारे में जागरूकता

1338. **श्री हरिभाई चौधरी:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आम लोगों में जागरूकता पैदा करने के कोई प्रयास किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (ग) प्राकृतिक आपदाओं के समय प्रभावित लोगों को राहत मुहैया कराना तथा जागरूकता कार्यक्रम चलाना राज्य सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी हैं। तथापि, इस योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार जन जागरूकता उत्पन्न करने में राज्य सरकारों और गैर-सरकारी संगठनों के प्रयासों को प्रतिपूरित करती हैं। इन क्रियाकलापों में कार्यशाला/सेमिनार, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, निबंध और चित्रकला प्रतियोगिता, स्लोगन कान्टेस्ट (नारा प्रतियोगिता), प्रचार सामग्री आदि शामिल हैं। पिछले वर्ष आपदा न्यूनीकरण के लिए विषय ''जन जागरूकता और सामुदायिक भागीदारी'' था और इस वर्ष के लिए विषय है ''स्वयं सहायता सर्वोत्तम सहायता''।

कोयले का उत्पादन

1339. श्रीमती जस कौर मीणा:
श्री चिन्मयानन्द स्वामी:
श्रीमती निवेदिता माने:

क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में कोयला उत्पादन, इसकी खपत और निर्यात का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कोयला उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) क्या देश में कोयला उत्पादन में निर्धारित लक्ष्य की तुलना में कोई गिरावट आई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) इस गिरावट को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) इस समय सरकार के नियंत्रण वाली कोयला खानों का निजीकरण करने की सरकार की योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान कोयले के लक्ष्य, उत्पादन, उठान तथा निर्यात का विवरण निम्नानुसार है:-

(आंकड़े मिलियन टन में)

वर्ष	लक्ष्य	उत्पादन	उठान	निर्यात
1998-1999	306.50	292.27	287.60	0.82
1999-2000	298.90	300.04	304.39	1.16
2000-2001	308.07	309.63	313.49	1.29

(ग) से (ङ) 1998-99 में, कोयला कंपनियों ने, उपभोक्ताओं की मांग में मंदी आने तथा कम उठान होने के कारण अपने उत्पादन को नियंत्रित किया।

(च) सरकार की, कोल इंडिया लि. तथा इसकी सहायक कंपनियों की वर्तमान कोयला खानों का निजीकरण करने की कोई योजना नहीं है।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में विमानपत्तनों का उन्नयन

1340. श्री कालवा श्रीनिवासुलु: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आंध्र प्रदेश में विमानपत्तनों के उन्नयन के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है और कितनी जारी की गई है;

(ख) अब तक कितनी धनराशि व्यय की गई और किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है; और

(ग) अब तक इस प्रयोजनार्थ केन्द्र सरकार तथा सरकार द्वारा अलग-अलग कितनी-कितनी धनराशि दी गई है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) आंध्र प्रदेश में विभिन्न स्वीकृत परियोजनाओं के लिए निर्धारित राशि 90.57 करोड़ रुपए है। इन परियोजनाओं के संबंध में 2001-2002 के लिए वार्षिक योजना में किया गया प्रावधान 9.24 करोड़ रुपए है।

(ख) इन परियोजनाओं पर अब व्यय की गई राशि 56.22 करोड़ रुपए है। हैदराबाद हवाई अड्डे पर एक नये टर्मिनल

भवन का निर्माण किया गया है और वर्तमान टर्मिनल भवन का परिवर्धन किया गया है। टैक्सी-ट्रैक प्रोफाइल सहित हवाईपट्टी का सुधार किया गया है, एप्रन का विस्तार किया गया है और आइसोलेशनबे का निर्माण किया गया है। विजयवाड़ा हवाई अड्डे पर वर्तमान हवाईपट्टी का सुदृढ़ीकरण किया गया है और एक नये एप्रन का निर्माण किया गया है। राजामुन्दरी हवाई अड्डे पर, हवाईपट्टी का सुदृढ़ीकरण किया गया है और एक नये टैक्सी-ट्रैक का निर्माण किया गया है।

(ग) आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने विजयवाड़ा हवाई अड्डे के विकास के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के लिए 4 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। शेष राशि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा मुहैया करवाई गई है।

उड़ीसा में खनन उद्योग

1341. श्री के.पी. सिंह देव: क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में खनन उद्योग से संबंधित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन उपक्रमों ने राज्य में खान के आस-पास के विकास और सामाजिक ढ़ांचा विकास में कोई योगदान दिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) से (ग) खान विभाग के एक अधीनस्थ कार्यालय, भारतीय खान ब्यूरो (आई.बी.एम.) द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार उड़ीसा में खनन उद्योग से संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है। इन खनन कंपनियों द्वारा खान के आस-पास के विकास और सामाजिक ढांचा विकास में दिए गए योगदान के संबंध में केन्द्र द्वारा सूचना नहीं रखी जाती है।

विवरण

जिला	खनिज	खान का नाम	स्वामी
1	2	3	4
अंगुल	फायरक्ले	तेलेसिंघा	इंडस्ट्रियल प्रोमोशन एण्ड इनवेस्ट कारपोरेशन लि.
बड़गढ़	चूनापत्थर	बेहड़ा-बांजीपाली	इंडस्ट्रियल डेव. कार्पो. ऑफ उड़ीसा लि.
		डूंगरी	इंडस्ट्रियल डेव. कार्पो. ऑफ उड़ीसा लि.
धेनकनाल	क्रोमाइट	बीरासल	उड़ीसा माइनिंग कार्पो. लि.
		कथपाल (ओ एम सी)	उड़ीसा माइनिंग कार्पो. लि.
गंजम	सिल्लीमेनाइट	ऑस्काम (उड़ीसा सैण्ड्स कॉम्पलेक्स)	इण्डियन रेयर अर्थस लि.
जाजपुर	क्रोमाइट	कालारंगी	उड़ीसा माइनिंग कार्पो. लि.
		दक्षिण कालियापानी	उड़ीसा माइनिंग कार्पो. लि.
		तलंगी	इंडस्ट्रियल डेव. कार्पो. ऑफ उड़ीसा लि.
		सुकरंगी	उड़ीसा माइनिंग कार्पो. लि.
		कालियापानी (ओएमसी)	उड़ीसा माइनिंग कार्पो. लि.
झाड़सुगुड़ा	फायरक्ले	बेलापहाड़	उड़ीसा माइनिंग कार्पो. लि.
कालाहांडी	रूबी	जिल्लींगघर	उड़ीसा माइनिंग कार्पो. लि.
क्योंझर	क्रोमाइट	बंगूर (ओ एम सी)	उड़ीसा माइनिंग कार्पो. लि.
		बौला	उड़ीसा माइनिंग कार्पो. लि.
	लौह अयस्क	बल्दा पाल्सा जाजंग	उड़ीसा माइनिंग कार्पो. लि.

1	2	3	4
		बरपदा कासिया	उड़ीसा माइनिंग कार्पो. लि.
		बेलकुंडी	उड़ीसा मिनरल डेवलपमेंट क. लि.
		भद्रासई	भारत प्रॉसेस एंड मेकेनिकल इंज. लि.
		भद्रासई	उड़ीसा मिनरल डेवलपमेंट क.लि.
		बोलानी	स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लि.
		दैतारी	उड़ीसा माइनिंग कार्पो. लि.
		गंधमर्दन बी ब्लाक	उड़ीसा माइनिंग कार्पो. लि.
		खांडबंध	उड़ीसा माइनिंग कार्पो. लि.
		रोइदा	उड़ीसा माइनिंग कार्पो. लि.
		एस.जी.बी.के. खान	उड़ीसा माइनिंग कार्पो. लि.
		गंधमर्दन ए ब्लाक	उड़ीसा माइनिंग कार्पो. लि.
		बगाएबुरू एम/ब्लाक	उड़ीसा मिनरल डेवलपमेंट क. लि.
		सकराधी	उड़ीसा माइनिंग कार्पो. लि.
		रोइदा सी	उड़ीसा माइनिंग कार्पो. लि.
		ठाकुरानी	भारत प्रोसेस एण्ड मेकेनिकल इंज. लि.
क्योंझर	मैंगनीज-अयस्क	भद्रासई (7.11 ए.सी.)	भारत प्रोसेस एण्ड मेकेनिकल इंज. लि.
		डालकी	उड़ीसा माइनिंग कार्पो. लि.
		भद्रासई	उड़ीसा मिनरल डेवलपमेंट क. लि.
		बेलकुंडी	उड़ीसा मिनरल डेवलपमेंट क. लि.
		दुबना	उड़ीसा माइनिंग कार्पो. लि.
		के.एस. ग्रुप	भारत प्रोसेस एण्ड मेकेनिकल इंज. लि.
		रोइदा	उड़ीसा माइनिंग कार्पो. लि.
		एस.जी.बी.के. खान	उड़ीसा माइनिंग कार्पो. लि.
		सेरेमदा भद्राशाही	उड़ीसा माइनिंग कार्पो. लि.
		ठाकुरानी	भारत प्रोसेस एण्ड मेकेनिकल इंज. लि.
कोरापुट	बॉक्साइट	पंचपटमाली	नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लि.
	चूनापत्थर	उम्पवल्ली (बैंड 32)	उड़ीसा माइनिंग कार्पो. लि.
		उम्पावेली	इंडस्ट्रियल डेव. कार्पो. ऑफ उड़ीसा लि.
नवापाड़ा	चूनापत्थर	दामापाला	इंडस्ट्रियल डेव. कार्पो. ऑफ उड़ीसा लि.
		रोहनपडार	इंडस्ट्रियल डेव. कार्पो. ऑफ उड़ीसा लि.
		चंदापाला	इंडस्ट्रियल डेव. कार्पो. ऑफ उड़ीसा लि.
रेगडा	मैंगनीज-अयस्क	निशीखल	उड़ीसा माइनिंग कार्पो. लि.
सुन्दरगढ़	लौह अयस्क	काल्टा	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि.
		बरसूआ	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि.
		खंदाधर	उड़ीसा माइनिंग कार्पो. लि.
	सीसा एवं जस्ता अयस्क	सर्गीपल्ली	हिन्दुस्तान जिंक लि.
	चूनापत्थर	पूर्णापानी	स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लि.
		कप्लास	द बिस्रा स्टोन लाइम कं. लि.

सी आई एफ ई में वैज्ञानिकों की कमी

1342. श्री सुरेश कुरूप: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट आफ फिशरीज ऐजुकेशन मुम्बई के कार्यकलाप वैज्ञानिकों की भारी कमी के कारण बाधित हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो आज की स्थिति के अनुसार ऐसे रिक्त पदों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या 1986 में योजना बनाये गए मानित विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य अभी तक आरम्भ नहीं हुआ है और 200 मत्स्य वैज्ञानिकों की वार्षिक मांग की तुलना में 1995 से 2000 तक केवल 221 वैज्ञानिक ही उत्तीर्ण हुए;

(घ) यदि हां, तो इन विफलताओं के कारण क्या हैं; और

(ङ) इन कमियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) फिलहाल केन्द्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान, मुम्बई में विभिन्न वर्गों में 37 वैज्ञानिकों के पद खाली पड़े हैं। इससे संस्थान की गतिविधियां प्रभावित नहीं हुई हैं, क्योंकि अध्यापन कार्यक्रम 'गेस्ट फैक्लटी' तथा अन्य संगठनों से आमंत्रित व्याख्यानों की मदद से विधिवत रूप से चलाए जा रहे हैं। इन खाली पदों को भरने के लिए कार्रवाई शुरू की जा चुकी है।

(ग) समकक्ष विश्वविद्यालयों के निर्माण की गतिविधियां पहले ही शुरू की जा चुकी है। प्रतिवर्ष 200 मात्स्यिकी वैज्ञानिकों की अनुमानित आवश्यकता राष्ट्रीय आधार पर आंकी गई है। राष्ट्रीय आवश्यकता में से 25 प्रतिशत आवश्यकता को केन्द्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान, मुम्बई से पूरा किया जा रहा है तथा शेष आवश्यकता राज्य कृषि विश्वविद्यालय प्रणाली के तहत 12 मात्स्यिकी कृषि महाविद्यालयों के जरिए पूरी की जा रही है।

(घ) और (ङ) उपरोक्त (क), (ख) एवं (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

कोयला खानों में सुरक्षा संबंधी लेखा परीक्षा

1343. श्री बसुदेव आचार्य: क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सभी कोयला खानों में सुरक्षा संबंधी लेखा परीक्षा नहीं कराई जाती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में कौन से उपचारात्मक कदम उठाये जा रहे हैं?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) सभी कोयला खानों में सुरक्षा संबंधी लेखा परीक्षा आवधिक रूप से किया जा रहा है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के ऊपर विमान उड़ाने संबंधी दिशा-निर्देश

1344. श्री चन्द्र भूषण सिंह:
श्री के. येरननायडू:
श्री पी.डी. एलानगोवन:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमेरिका में बमवर्षक विमान के हमलों के परिप्रेक्ष्य में सरकार ने आतंकवादी गतिविधि को शस्त्र के रूप में विमानन के प्रहार में महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों और ऐतिहासिक ढांचों के ऊपर विमान उड़ाने प्रतिबंधित करने हेतु नए निर्देश जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा वैमानिक आतंकवाद के माध्यम से लक्ष्य बनाए जाने वाले अत्यधिक सामरिक महत्व के प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या राज्य सरकारों से कुछ महत्वपूर्ण स्मारकों और तीर्थ केन्द्रों के ऊपर से वायु यातायात को बंद करने की मांग की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) और (ख) कोई नये दिशा-निर्देश जारी नहीं किए गए हैं।

(ग) अपहरण तथा नागर विमानन के साथ गैर-कानूनी हस्तक्षेप की घटनाओं से निपटने के लिए आपातकालीन योजना में एक आवश्यक कम्पोनेंट (घटक) को जोड़ा जा रहा है।

(घ) और (ङ) तिरूमाला मन्दिर के ऊपर के हवाई क्षेत्र को सभी उड़ान वर्जित क्षेत्र किए जाने के लिए आंध्र प्रदेश राज्य सरकार से एक अनुरोध प्राप्त हुआ है। मामला विचाराधीन है।

भू-जल के निकर्षण के लिए क्षेत्रों की पहचान

1345. श्री के.ई. कृष्णमूर्ति: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय भू-जल बोर्ड ने आंध्र प्रदेश में भू-जल के निकर्षण के लिए किन्हीं क्षेत्रों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आवंटित की गई और कितनी जारी की गई?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (ग) केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सी जी डब्ल्यू बी) वैज्ञानिक आंकड़ों को एकत्र करने के उद्देश्य से देश में अन्वेषणात्मक कुंओं की खुदाई करता है। इस कार्यक्रम के तहत वर्ष 2001-2002 के दौरान आंध्र प्रदेश में केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड का 48 अन्वेषणात्मक कुंए खोदने का लक्ष्य है। इस राज्य में अन्वेषणात्मक कुंए खोदने का राज्य-वार ब्यौरा इस प्रकार हैं:-

जिले का नाम	अन्वेषणात्मक कुंओं की संख्या
नेल्लोर	6
निजामाबाद	6
विजयनगरम	12
महबूब नगर	12
हैदराबाद	12
कुल	48

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 31 अक्तूबर, 2001 तक आंध्र प्रदेश राज्य में इस स्कीम के तहत केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड ने 45.73 लाख रुपये व्यय (बुक्ड) किए हैं।

अन्तर-राज्य नदी जल विवाद

1346. श्री एन.एन. कृष्णदास: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्तर-राज्य नदी जल विवाद को समवर्ती सूची में शामिल किए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उसके कारण क्या हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

मत्स्य पालन और जलचर पालन का विकास

1347. श्री जी.जे. जावीया: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मत्स्य पालन और जलचर पालन के विकास के लिए केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन योजनाओं के लिए प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गई और उनके द्वारा वर्ष 2000-2001 के दौरान कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) मात्स्यिकी तथा जलकृषि विकास के लिए निम्नलिखित केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं: समुद्री मात्स्यिकी का विकास-पारंपरिक नौकाओं का मोटरीकरण तथा एच एस डी तेल पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति; ताजा जल जलकृषि का विकास; समेकित तटवर्ती जलकृषि; राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण, और बड़े तथा छोटे पत्तनों पर मत्स्यन बंदरगाह।

(ख) इन योजनाओं के लिए प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र को उपलब्ध कराई गई धनराशि तथा 2000-2001 के दौरान उनके द्वारा उपयोग की गई राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

2000-2001 के दौरान मात्स्यिकी तथा जलकृषि विकास के लिए केन्द्रीय अंश के लिए राज्यों द्वारा जारी/उपयोग धनराशि

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी धनराशि	उपयोग की गई धनराशि
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	139.40	54.59
2.	अरुणाचल प्रदेश	25.00	8.00
3.	बिहार	0.00	15.00
4.	गुजरात	649.22	648.31
5.	गोवा	44.22	45.39
6.	हिमाचल प्रदेश	22.73	–
7.	जम्मू एवं कश्मीर	0.00	26.25
8.	कर्नाटक	188.76	290.08
9.	केरल	573.92	23.60
10.	मध्य प्रदेश	87.00	43.39
11.	महाराष्ट्र	579.67	398.88
12.	मणिपुर	43.47	–
13.	मेघालय	0.00	0.54
14.	मिजोरम	30.00	–
15.	नागालैंड	134.39	68.76
16.	उड़ीसा	381.12	288.99
17.	पंजाब	50.00	34.00
18.	राजस्थान	1.50	1.50
19.	सिक्किम	5.86	1.66
20.	तमिलनाडु	856.70	180.05
21.	त्रिपुरा	56.12	39.59
22.	उत्तर प्रदेश	483.50	356.17
23.	पश्चिम बंगाल	902.93	316.40
24.	पांडिचेरी	227.32	262.72
25.	छत्तीसगढ़	35.00	9.54
26.	उत्तरांचल	27.07	–
27.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	17.91	0.97
28.	दमन एवं दीव	64.80	64.80
29.	लक्षद्वीप	1.75	1.75

नोट: उपयोग की गई धनराशि के आंकड़ों में पिछले वर्षों में जारी वह धनराशि शामिल हैं जो 2000-2001 में उपयोग की गई थी तथा जिसके लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र हुए हैं।

–उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं।

बेरोजगारी दूर करने के लिए श्रम आधारित प्रौद्योगिकी

1348. श्री ए. नरेन्द्र: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का बेरोजगारी दूर करने के लिए श्रम आधारित प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) और (ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना में पर्याप्त उत्पादक रोजगार सृजन तथा गरीबी उन्मूलन को ध्यान में रखते हुए कृषि एवं ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी गई थी। योजना में बेरोजगारी तथा अल्प-रोजगार की उच्च दरों वाली प्रवृत्ति वाले क्षेत्रों, उप-क्षेत्रों तथा प्रौद्योगिकियों पर बल दिया गया था।

कृषि तथा सम्बद्ध कार्य-कलाप, खाद्य प्रसंस्करण, लघु उद्योग, सेवा क्षेत्र, यात्रा एवं पर्यटन, सूचना प्रौद्योगिकी, आवास तथा वास्तविक संपदा विकास तथा निर्माण, सड़क परिवहन, वितरण व्यवसाय, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं तथा नए उभरते हुए सेवा क्षेत्र रोजगार अवसरों पर गठित टास्क फोर्स द्वारा निर्धारित पर्याप्त रोजगार संभावनाओं वाले प्रमुख क्षेत्र हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

कोपरे बांध, महाराष्ट्र

1349. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अहमदनगर, महाराष्ट्र में कोपरे बांध का निर्माण कार्य आरंभ हो गया है;

(ख) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकार को कोई निर्देश जारी किये हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस पर राज्य सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) महाराष्ट्र सरकार की ओर से कोपरे बांध संबंधी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के लिए केन्द्रीय जल आयोग को प्राप्त नहीं हुई है। जल राज्य का विषय होने के कारण, सिंचाई, खाद्य और जल निकास परियोजनाओं की आयोजना, अन्वेषण, वित्तीय व्यवस्था तथा उनका कार्यान्वयन के साथ-साथ कार्यों और स्थापना के लिए अपेक्षित निधियों का प्रावधान करना मूलत: राज्य सरकारों का दायित्व है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मेनेजमेंट के कार्यालय

1350. श्री वाई.जी. महाजन: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मेनेजमेंट के कार्यालय/केन्द्र देश के विभिन्न भागों में कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे केन्द्र/कार्यालय खोलने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किये गए हैं;

(ग) क्या सरकार अजन्ता एल्लोरा आने वाले पर्यटकों की सुविधा हेतु उक्त इंस्टीट्यूट के केन्द्र/कार्यालय महाराष्ट्र के जलगांव जिले में खोलने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो उपरोक्त कार्यालय/केन्द्र कब तक आरंभ हो जायेंगे; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) जी, हां। ग्वालियर में भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंध संस्थान के मुख्य केन्द्र के अतिरिक्त भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंध संस्थान की एक शाखा भुवनेश्वर में कार्य कर रही है।

(ख) संस्थान के केन्द्र/कार्यालय खोलने के लिए कोई मानदंड निर्धारित नहीं हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) फिलहाल, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

बंद प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाइयों के कामगारों को मुआवजा

1351. श्री अब्दुल रशीद शाहीन: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसी न्यायालय ने न केवल प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाइयों को बंद करने का सुझाव दिया है बल्कि प्रभावित कामगारों को मुआवजा देने का सुझाव भी दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) जी, हां। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली में 168 इकाइयों के स्थानांतरण/बंद किए जाने के संबंध में 1985 की रिट याचिका (सिविल) सं. 4677 में आदेश पारित करते समय यह इच्छा व्यक्त की थी कि इन 168 औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत कर्मचारी कुछ अधिकारों और लाभों के पात्र होंगे। इनमें उद्योग को नए स्थान पर स्थापित करने की दशा में रोजगार को बनाए रखना तथा स्थानांतरण बोनस के रूप में एक वर्ष का वेतन आदि शामिल हैं। उन उद्योगों में कार्यरत कर्मचारियों, जो पुन: स्थापित होने में असफल होंगे, को अतिरिक्त क्षतिपूर्ति के रूप में छ: वर्ष के वेतन का भुगतान किया जाएगा।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

नागर विमानन अधिनियम में संशोधन

1352. श्रीमती श्यामा सिंह:
श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी:
श्री किरीट सोमैया:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का नागर विमानन अधिनियम में संशोधन करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो कानूनी दर्जा प्राप्त करने पर और अधिक शक्तियां प्राप्त करेगा;

(घ) यदि हां, तो इसके अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त अधिनियम को कब तक संशोधित किए जाने तथा क्रियान्वित किए जाने की संभावना है तथा इससे विभिन्न विमानपत्तनों पर सुरक्षा चूकों को किस सीमा तक रोक पाना संभव होगा?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) से (ङ) एक नये नागर विमानन सुरक्षा अधिनियम के ब्यौरों (तथ्यों) का आंकलन करने के लिए कार्यवाही चल रही है।

[हिन्दी]

बागवानी का विकास

1353. श्री सुरेश चन्देल: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में विशेषकर हिमाचल प्रदेश में बागवानी के विकास के लिए कोई कार्य योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) और (ख) जी, हां। सरकार कृषि में वृहत् प्रबन्ध संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम-कार्य योजनाओं के माध्यम से राज्य के प्रयासों का अनुपूरक/प्रतिपूरण के तहत बागवानी फसलों सहित कृषि के विकास के लिये राज्य सरकारों को सहायता प्रदान कर रही है। इस स्कीम के तहत राज्य सरकारों को अपनी आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के अनुसार अपने कार्यक्रमों की प्राथमिकता निर्धारित करने का विकल्प है। वर्ष 2001-02 के दौरान इस स्कीम के तहत हिमाचल प्रदेश के लिये 1800.00 लाख रु. का परिव्यय निर्धारित किया गया है जिसमें से 578.00 लाख रु. राज्य में बागवानी के विकास के लिये हैं। इसके अलावा, बागवानी में मानव संसाधन विकास संबंधी केन्द्रीय क्षेत्रीय स्कीम के तहत डा. वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन को 14.00 लाख रु. की सहायता निर्मुक्त की गई है।

[अनुवाद]

संकर चावल

1354. श्री एच.जी. रामुलु: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि कर्नाटक में देश के उत्तम किस्म के संकर चावल का सफलतापूर्वक विकास किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कर्नाटक सरकार ने धान के बीजों के निर्यात से प्रतिबंध उठाने की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) और (ख) कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलौर द्वारा विकसित कर्नाटक संकर चावल-2 (के.आर.एच. 2) किस्म लोकप्रिय हो रही है। भारत सरकार के दिनांक 15.5.1998 के का.आ.सं. 401 (ङ) द्वारा वर्ष 1998 में इसे अधिसूचित किया गया। यह रोग के प्रकोप के प्रति सामान्य रूप से सह्य है, इसकी फसल 135 दिन में तैयार हो जाती है, इसकी चारा संबंधी उपज अच्छी है और यह प्रति एकड़ लगभग 35-40 क्विंटल अनाज की उपज देती है। अच्छे प्रबन्धन से और अधिक उपज प्राप्त की जा सकती है।

(ग) धान की बीजों के निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

कोयले पर रायल्टी

1355. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नए सृजित झारखंड राज्य के लिए कोयले पर रायल्टी की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त राज्य की स्थापना के बाद से इसे रायल्टी की कितनी धनराशि दी गई है;

(घ) रायल्टी के पुनरीक्षण के संबंध में सरकारिया आयोग की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त आयोग की सिफारिशों की अवहेलना करने के क्या कारण है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) और (ख) केन्द्र सरकार द्वारा कोयले पर अधिसूचित रायल्टी की दरें, जब तक किसी विशिष्ट राज्य या राज्यों के समूह के संबंध में विशिष्ट दरें निर्धारित न की गई हों, देश के सभी राज्यों पर लागू होती है। केन्द्र सरकार द्वारा कोयले पर रायल्टी की दरें पिछली बार 11.10.1994 को निर्धारित की गई थी। चूंकि झारखंड राज्य के लिए कोई पृथक रायल्टी दर निर्धारित नहीं की गई है, इसलिए जब तक रायल्टी दरों में और आगे संशोधन नहीं किया जाता। पश्चिम बंगाल तथा मेघालय को छोड़कर, केन्द्र सरकार द्वारा 11.10.1994 को अन्य राज्यों के लिए निर्धारित कोयला पर रायल्टी की दरें, झारखंड राज्य पर भी इसके गठन के पश्चात् समान रूप से लागू होंगी।

(ग) झारखंड सरकार को, इसके गठन होने से अक्तूबर, 2001 तक सीआईएल द्वारा कोयले पर अदा की गई रायल्टी की राशि 464.82 करोड़ रु. है।

(घ) और (ङ) सरकारिया आयोग ने गृह मंत्रालय को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में खान तथा खनिज पर अध्याय-13 के पैरा 13.7.01 में निम्नलिखित सिफारिश की है:

> "एमएमडीआर अधिनियम की धारा-9 के परन्तुक को रायल्टी की दरों में संशोधन करने के लिए विनिर्दिष्ट अवधि को 4 वर्ष से घटाकर दो वर्ष करने के लिए संशोधित किया जाना चाहिए।"

अन्तर-राज्य परिषद् की स्थायी समिति ने, जिसने सरकारिया आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन को मॉनिटर किया था, 1.9.2000 को हुई अपनी 18वीं बैठक, आयोग की सिफारिशों पर विचार-विमर्श किया गया था जिसमें पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब, असम, मध्य प्रदेश सरकारों तथा भारत सरकार के खान विभाग के प्रतिनिधियों ने अपने मत व्यक्त किए थे। विचार-विमर्श के पश्चात् स्थायी समिति ने आम सहमति से सिफारिश को निम्न प्रकार से संशोधित करने का निर्णय लिया:

> "सरकार रायल्टी को हर तीसरे वर्ष संशोधित करने का प्रयास करेगी ताकि उसमें एमएमडीआर अधिनियम, 1957 के विद्यमान प्रावधानों के अनुसार एक पूर्णत: मूल्यानुसार आधारित रायल्टी प्रणाली की ओर उत्तरोत्तर परिवर्तन हो।"

कोयला विभाग में कोयले पर रायल्टी के निर्धारण हेतु मूल्यानुसार आधार को अपनाने के मुद्दे तथा पिछली बार 1994 में निर्धारित रायल्टी दरों के संशोधन से संबंधित मामलों की जांच हेतु अपर सचिव (कोयला) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। समिति अपनी रिपोर्ट शीघ्र ही प्रस्तुत करेगी। समिति ने राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों/संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ 4.10.2001 को अंतिम दौर का विचार-विमर्श किया। समिति अब अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप दे रही है तथा रिपोर्ट के शीघ्र ही प्रस्तुत किए जाने की आशा है।

विमान दुर्घटना के पीड़ितों को क्षतिपूर्ति के लिए मानदंड

1356. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विमान दुर्घटना के पीड़ितों को क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए वर्तमान मानदंड क्या हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार उन मानदंडों को संशोधित करने का है ताकि उन्हें विश्व की कुछ अन्य विमान कंपनियों के समतुल्य किया जा सके; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) विमान दुर्घटना के शिकार हुए व्यक्तियों को देय क्षति-पूर्ति राशि का निर्णय वायुयान अधिनियम, 1972 द्वारा किए गए उपबंध के अनुसार किया जाता है, यह हेग, प्रोटोकोल, 1955 द्वारा यथासंशोधित अधिनियम वारसा कन्वैंसन 1929 में किए गए उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए किया गया था। अन्तर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए, प्रत्येक यात्री हेतु 20,000 अमेरिकी डालर की क्षतिपूर्ति की जाती है। अन्तर्देशीय यात्री के मामले में वयस्क के लिए 7.5 लाख रुपए और बच्चे के मामले में 3.75 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति की जाती है।

(ख) और (ग) इस समय सरकार विमान दुर्घटना में घायल/मृत व्यक्तियों को देय हर्जाने की मौजूदा दर को बढ़ाए जाने संबंधी किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है क्योंकि भारत में अभी तक नागर विमानन संगठन द्वारा अंगीकृत मोन्ट्रीयल कन्वैंसन-1999, जिसमें ऐसे मामलों में देय राशि को बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है को स्वीकार नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

खाद्य तेलों का आयात

1357. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व व्यापार समझौते के पश्चात् कृषि उत्पाद के मूल्यों में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का खाद्य तेलों के आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का विचार है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार लाल मिर्च, प्याज और लहसुन के निर्यात का है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) देश तिलहनों/खाद्य तेलों के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं है और इसलिए, खाद्य तेलों का आयात होता है। वर्तमान निर्यात-आयात नीति के अनुसार, खाद्य तेल का आयात खुले साधारण लाइसेंस के अधीन है और कोई भी अपेक्षित सीमा शुल्क का भुगतान करके खाद्य तेल का आयात कर सकता है।

(ङ) और (च) वर्तमान निर्यात-आयात नीति के अंतर्गत लाल मिर्च और लहसुन का निर्यात निर्बाध रूप से अनुमत है। प्याज का निर्यात समय-समय पर सरकार द्वारा जारी किए गए कोटे के अधीन कुछेक नामजद राज्य व्यापार उद्यमों के जरिए अनुमत है।

सूक्ष्म जीवों के लिए पेटेंट

1358. श्री पी.आर. खूंटे: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पेटेंट के प्रयोजनार्थ सूक्ष्म जीवों को भारतीय प्रयोगशालाओं में सुरक्षित रखा जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी सूक्ष्म जीव का पेटेंट किया जा सकता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी हां, यदि पेटेन्ट का आवेदन एक भारतीय पेटेन्ट के लिए है।

(ख) पेटेन्ट प्रक्रिया के लिए सूक्ष्मजीव को एक अन्तर्राष्ट्रीय न्यासधारी प्राधिकरण में जमा कराना होता है। इस पर बुडापेस्ट संधि लागू होती है। भारत ने बुडापेस्ट संधि के अनुरूप दिनांक 17 सितम्बर, 2001 को विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन, जिनेवा को इसे सहमति दस्तावेज हेतु प्रस्तुत किया। यह 17 दिसम्बर, 2001 से लागू होगा।

दिनांक 17 दिसम्बर, 2001 से भारत में किसी भी सूक्ष्मजीव को शामिल करके पेटेन्ट करने के लिए सूक्ष्मजीव को किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय न्यासधारी प्राधिकरण में जमा किया जा सकता है तथा भारतीय पेटेन्ट आवेदन में इसका खुलासा किया जा सकता है।

(ग) जी नहीं, सूक्ष्मजीवों का इस समय प्रचलित भारतीय पेटेन्ट्स अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पेटेन्ट नहीं किया जा सकता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विमानपत्तनों पर उपग्रह आधारित संचार

1359. श्री रामशकल:
डा. अशोक पटेल:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार हवाई यातायात प्रबंधन के लिए हवाई संचालन के संबंध में उपग्रह आधारित संचार और निगरानी प्रणाली हेतु कोई योजना तैयार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें कुल कितनी लागत आयेगी?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, रिमोट कंट्रोल एयर-ग्राउंड वीएचएफ के माध्यम से बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के ऊपर अति उच्च आवृत्ति के विस्तार की कवरेज के लिए पहले ही उपग्रह आधारित संचार का प्रयोग कर रही है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की 58 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से विमान यातायात सेवाओं की सभी प्रचालनात्मक संचार आवश्यकताओं (अपेक्षाओं) की सहायता के लिए देश में 80 हवाई अड्डों को आपस में जोड़ने के लिए समर्पित उपग्रह संचार नेटवर्क के कार्यान्वयन की योजनाएं हैं।

[अनुवाद]

बासमती के निर्यात में गिरावट

1360. श्री के. येरननायडू: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के बासमती निर्यात बाजार में गिरावट आयी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) बासमती का निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं/उठाये जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात किए गए बासमती चावल की कुल मात्रा तथा मूल्य इस प्रकार हैं:-

वर्ष	मात्रा (मीटरी टन में)	मूल्य (करोड़ रु. में)
1998-99	597793	1876.91
1999-2000	638382	1780.34
2000-01	848919	2141.94

(स्रोत: डी.जी.सी.आई. एण्ड एस. कोलकाता)

(ग) बासमती चावल के निर्यात में वृद्धि करने के लिये उठाए गए कुछ कदमों में प्रचार अभियान चलाना, विदेशों में प्रतिनिधिमंडल भेजना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में शामिल होना, सम्भवित खरीददारों को आमंत्रित करना और क्वालिटी, पैकेजिंग उत्पादों के ब्रांड-संवर्धन तथा मंडी सर्वेक्षण करने के लिए निर्यातकों को वित्तीय सहायता देना सम्मिलित है।

विमानों की देखरेख के लिए कर्मचारियों की भर्ती

1361. श्री गुनीपाटी रामैया:
श्री जे.एस बराड़:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विमानों की देखरेख करने और एक विमान को उड़ाने के लिए एअर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइन्स के कर्मचारियों की औसत संख्या क्या है;

(ख) क्या यह संख्या विश्व की अन्य विमान कंपनियो की तुलना में अधिक है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय विमान कंपनियों के समकक्ष आने के लिए संबंधित प्रक्रियाओं के सरलीकरण हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) से (ग) एअर इंडिया ने 27 विमानों और इंडियन एयरलाइन्स के 54 विमानों की विमान-बेड़े क्षमता के आधार पर, 1 नवम्बर, 2001 की स्थिति के अनुसार प्रति विमान कर्मचारियों की संख्या क्रमश: 626 और 388 है। एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स में विमानों में मुकाबले में कर्मचारियों की संख्या विश्व के अन्य एयरलाइनों की तुलना में अधिक है चूंकि इनमें कोई ठेके अथवा नेमी व्यवसाय अथवा सेवा सब्सिडरी नहीं होती है जैसाकि अन्य एयरलाइनों में एक सामान्य कार्यविधि है और विमान-बेड़ा वृद्धि भी नहीं की गयी है।

(घ) एअर इंडिया ने जनशक्ति की युक्तिकरण के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं जिससे उन्हें साध्य (सक्षम) बनाया जा सके:-

(1) गैर-प्रचालनात्मक श्रेणी में बाहरी भर्ती पर रोक (2) विदेशों में स्थित भारतीय मूल के विभिन्न पदों को समाप्त कर दिया गया है (3) दो स्वैच्छिक योजनाओं को अधिसूचित किया गया है अर्थात् कम कार्यशील सप्ताह योजना और दो वर्षों की अवधि के लिए जिसे पांच वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है बिना वेतन/भत्तों के छुट्टी योजना (4) सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से

घटाकर 58 वर्ष कर दी गई है (5) गैर-प्रचालन क्षेत्र से कर्मचारियों को प्रचालन क्षेत्रों में पुन: तैनाती करना (6) पट्टे के आधार पर और अधिक विमानों को सेवा में लगाना।

इस दिशा में इंडियन एयरलाइन्स द्वारा जो कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने हैं वे इस प्रकार है:

(1) सेवानिवृत्ति की आयु 60 से घटाकर 58 वर्ष करना, (2) गैर-प्रचालनात्मक पदों को न भरना, (3) पट्टे पर और अधिक हवाई जहाज लेना।

इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर एक्स-रे मशीन

1362. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन टर्मिनल-1 पर एक्स-रे मशीनों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित कोई प्रस्ताव सरकार के पास लंबित है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव को स्वीकृति देने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन के टर्मिनल-1 के आगन्तुक कक्ष में एक्स-रे मशीनों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि टर्मिनल-1 पर पहुंचने पर सामानों की 100 प्रतिशत जांच सुनिश्चित की जा सके?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) आने वाले सामान की जांच-पड़ताल के लिए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन-1 के आगमन कक्ष में एक्स-रे मशीनें उपलब्ध करवाने की कोई जरूरत नहीं है।

[हिन्दी]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना

1363. श्री महेश्वर सिंह: क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री 30 अगस्त, 2001 के तारांकित प्रश्न संख्या 544 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग ने देश के विभिन्न भागों, विशेषरूप से हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, मंडी और सोलन जिलों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना करने के लिए मसौदा नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. चमन लाल गुप्त): (क) और (ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने राष्ट्रीय नीति तैयार करने के लिए कार्रवाई शुरू की है और इस उद्देश्य से नीति का प्रारूप तैयार किया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अनुकूल वातावरण तैयार करना, बुनियादी सुविधाओं का विकास, खेत स्तर पर लिन्केज की स्थापना आदि शामिल है। प्रस्तावित नीति के प्रारूप में मंत्रालय द्वारा खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना का प्रावधान नहीं है।

(ग) अनुसरण की जाने वाली विभिन्न क्रियाविधियों के मद्देनजर, नीति को अन्तिम रूप देने में लगने वाली निश्चित समय-सीमा का उल्लेख करना कठिन है।

[अनुवाद]

बेल्लारी के रमनादुर्ग लौह अयस्क भण्डार

1364. श्री कोलूर बसवनागौड़: क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुद्रेमुख लौह अयस्क कंपनी लिमिटेड ने बेल्लारी के रमनादुर्ग में लौह अयस्क के भण्डारों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो वहां अनुमानत: लौह अयस्क की कितनी मात्रा उपलब्ध हो सकती है;

(ग) क्या कुद्रेमुख लौह अयस्क कंपनी को खनन कार्य करने के लिए अनुमति प्रदान कर दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) जी, हां।

(ख) रमनादुर्ग में उपलब्ध लौह अयस्क भण्डार की अनुमानित मात्रा 2200 लाख टन है।

(ग) और (घ) कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लि. (के आई ओ सी एल) ने रमनादुर्ग निक्षेप का संदोहन करने के लिए खनन-पट्टे की मंजूरी हेतु कर्नाटक सरकार के खान एवं भू-विज्ञान विभाग को आवेदन किया है।

विमानपत्तनों पर हाई-टेक कटेगरी-III प्रणाली की अधिष्ठापना

1365. श्री रघुनाथ झा: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हमारे अधिकांश घरेलू विमानचालक कटेगरी-II प्रणाली का संचालन करने में सक्षम नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर अधिष्ठापित अधिकांश हाई-टेक कटेगरी-III (ए) प्रणाली कार्यशील नहीं है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने विमान चालकों को कटेगरी-III के अंतर्गत उतरने के लिए प्रशिक्षण देने हेतु कोई प्रबंध किए हैं ताकि तदनुसार विमानों का उन्नयन किया जा सके; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) से (ङ) नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने उपस्कर अवतरण प्रणाली (आई एल एस) श्रेणी-II तथा श्रेणी-III मौसम परिस्थितियों में हवाई जहाज उतारने के लिए पायलेटों को विशेष प्रशिक्षण दिलाने संबंधी व्यवस्था की हुई है। यहां तक, एअर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस और जेट एयरवेज ने आई एल एस श्रेणी-II आपरेशनों, जो डीजीसीए द्वारा अनुमोदित कर दिए हैं, के संबंध क्रमश: 189, 130 और 40 पायलेटों को प्रशिक्षण दे दिया है। किसी भी प्रचालक ने अपने पायलटों के अनुमोदन के लिए डीजीसीए से श्रेणी-III ए प्रचालनों हेतु अनुरोध नहीं किया है। इस समय दिल्ली के आईजीआई हवाई अड्डे पर आई एल एस प्रणाली श्रेणी-II के रूप में कार्य कर रही है। इस प्रणाली को उड़ान हेतु इस माह श्रेणी-III ए प्रचालनों के लिए सफलतापूर्वक अनुसंशोधित कर दिया गया है। इस प्रणाली को डीजीसीए के परामर्श से श्रेणी-III ए के रूप में चालू कर दिया जाएगा।

[हिन्दी]

उड़ीसा में वन आधारित उद्योगों को स्वीकृति दिया जाना

1366. श्री प्रभात सामन्तराय: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा के के.बी.के. जिलों में कुछेक वन आधारित उद्योगों की स्थापना करने के लिए कतिपय प्रस्ताव उनके मंत्रालय के पास स्वकृति हेतु लम्बित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या और उन पर क्या निर्णय लिए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने उन उद्योगों का वहां के क्षेत्रों के पर्यावरण पर पड़ने वाले संभावित प्रतिकूल प्रभावों की जांच की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा उक्त क्षेत्रों की पर्यावरण सुरक्षा के लिए क्या कार्यवाही की गई है/की जा रही है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (ङ) राज्य सरकार से सूचना मांगी गई है और सूचना प्राप्त होने पर इसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

मध्य प्रदेश में वन्य जीव पर्यटक केन्द्रों का विकास

1367. श्री जयभान सिंह पवैया: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के राज्यों, विशेषरूप से मध्य प्रदेश में वन्य जीव पर्यटक केन्द्रों का विकास करने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार, विशेषरूप से मध्य प्रदेश के संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना को किसी तिथि से प्रभावी बनाए जाने की संभावना है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने "पारिस्थितिकी पर्यटन नीति एवं दिशा-निर्देश" तैयार किए हैं, जिसे कार्यान्वयन हेतु सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को पृष्ठांकित किया गया है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से प्राथमिकता प्रदत्त पारिस्थितिकी मैत्रीय पर्यटन परियोजनाओं को केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। मध्य प्रदेश सरकार ने पर्यटन के इस रूप का निजी भागीदारी के माध्यम से संवर्धन करने के लिए पारिस्थितिकी एवं साहसिक पर्यटन नीति तैयार और घोषित की है।

(ख) मध्य प्रदेश में पारिस्थितिकी एवं साहसिक पर्यटन से संबंधित कुल 13 कार्यकलापों को अभिनिर्धारित किया गया है और निजी निवेशकों द्वारा इन कार्यकलापों को हाथ में लेने के लिए 31 स्थानों को चिन्हित भी किया गया है। सरकारी भूमि और सरकारी विश्राम गृहों को 30 वर्षों की अवधि के लिए लीज पर दिया जाएगा। प्रीमियम और लीज किराया की दरें भी नियत हैं और परिवहन करों एवं उत्पाद शुल्क लाइसेंस फीस में विशेष रियायत दी जाएगी।

(ग) दिनांक 1.5.2001 से मध्य प्रदेश राज्य में पारिस्थितिकी एवं साहसिक पर्यटन नीति लागू है।

[अनुवाद]

''हाट रोल्ड कायल'' के आयात पर शुल्क

1368. श्री अशोक ना. मोहोल:
श्री ए. वेंकटेश नायक:
श्री रामशेठ ठाकुर:

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीकी प्रशासन पाटनरोधी शुल्क और भारत से ''हॉट रोल्ड कॉयल'' के आयात पर ''काउंटर वेलिंग'' शुल्क निलंबित करने पर सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में किसी समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपरोक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

योग्यता के आधार पर अनु. जातियों/ अनु. जनजातियों का चयन

1369. सरदार बूटा सिंह: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डी.ओ.पी.टी. का कार्यालय ज्ञापन संख्या 26012/ 2/96-स्थापना (आरक्षण) दिनांक 2 जुलाई, 1997 के व्याख्यात्मक टिप्पण के पैरा 11 के अनुसार, अनु. जातियों, अनु. जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के जिन लोगों का चयन योग्यता के आधार पर होता है उन्हें उनके समुदायों के लिए आरक्षित रिक्तियों/पदों के कोटे के अंतर्गत शामिल किए जाने की आवश्यकता नहीं होती है;

(ख) यदि हां, तो गत पांच वर्षों के दौरान उनके मंत्रालय की विभिन्न श्रेणियों की सेवाओं में योग्यता के आधार पर चुने गए/भर्ती किए गए/पदोन्नति प्रदान किए गए अनु. जातियों/अनु. जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के उन लोगों की कुल संख्या कितनी है जिन्हें उनके समुदायों के लिए आरक्षित रिक्तियों/पदों के कोटे में शामिल नहीं किया गया; और

(ग) ऐसे दृष्टान्तों का ब्यौरा क्या है जब अनु. जातियों/अनु. जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों का चयन योग्यता के आधार पर हुआ किन्तु उनकी संख्या को उनके समुदाय के लिए आरक्षित रिक्तियों/पदों के कोटे में दिखाया गया/समायोजित किया गया, इसके कारण क्या हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) उन समुदायों के व्यक्तियों को, जिनके लिए आरक्षण किया गया है किन्तु जिनकी नियुक्ति योग्यता के आधार पर होती है न कि आरक्षण के कारण, उन्हें आरक्षण बिन्दुओं के सामने नहीं दर्शाया जाता। उन्हें अनारक्षित बिन्दुओं पर रखा जाता है।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

शीर्ष पदों पर अनु. जातियों/अनु. जनजातियों का प्रतिनिधित्व

1370. डा. बलिराम: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्य अनु. जाति/अनु. जनजतियों से संबंधित संसद सदस्यों के सम्मेलन ने दिसम्बर, 1999 में उन सभी चयन समितियों/बोर्डों में अनु. जाति/अनु. जनजाति के एक सदस्य को शामिल करने की मांग की थी जो निदेशक बोर्ड, सरकारी उद्यमों, सांविधिक/स्वायत्तशासी संगठनों, निगमों के प्रबंध निदेशकों/अध्यक्षों तथा भारत सरकार के संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के पदों के लिए अभ्यर्थियों का चयन करते हैं और भर्ती प्रक्रिया को देखते हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त चयन बोर्ड/समितियों में अनु. जातियों/ अनु. जनजातियों के लोगों को शामिल करने की दृष्टि से उसकी संरचना से संबंधित मौजूदा अनुदेशों/प्रणालियों में किए गए ढांचागत संगठनात्मक परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उनके मंत्रालय के अंतर्गत पांच वर्षों के दौरान ऊपर उल्लिखित पदों पर वर्षवार कितने व्यक्तियों की नियुक्ति की गई; और

(घ) उनमें से अनु. जाति/अनु. जनजातियों के लोगों की संख्या कितनी थी तथा कुल संख्या के मुकाबले उनका प्रतिशत कितना था?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

वर्षा सिंचित क्षेत्र

1371. श्री चरनजीत सिंह: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने खाद्य और चारा आवश्यकताओं की चुनौतियों को पूरा करने के लिए शुष्क भूमि की मौजूदा प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में वृद्धि करने हेतु पंचायत राज संस्थानों को प्रभावी ढंग से शामिल करने की दृष्टि से वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए कोई अनुसंधान रणनीति तैयार करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (ग) जी हां। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् केन्द्रीय वारानी कृषि अनुसंधान संस्थान हैदराबाद और अखिल भारतीय वारानी कृषि समन्वित अनुसंधान परियोजना (24 सहकारी केन्द्र) के अलावा अन्य संस्थानों तथा तदर्थ अनुसंधान परियोजनाओं के माध्यम से अनुसंधान और अग्रणी विस्तार कार्य कर रहा है। इन संस्थानों ने नमी संरक्षण, वर्षा जल आधारित कृषि, भू-जल रिचार्ज, उपयुक्त फसलों और किस्मों के चयन, उन्नत सस्य वैज्ञानिक तरीकों, वैकल्पिक भू उपयोग प्रणाली, जिसमें कृषि वानिकी एवं शुष्क बागवानी शामिल हैं, वारानी खेती हेतु उपयुक्त उपकरण, वर्षा निर्भर परिस्थितियों में पशुधन प्रबंध, पनधारा प्रबंधन और सामाजिक आर्थिक तथा नीतिगत विषयों के बारे में उपयुक्त रणनीति तैयार करने में सफलता पायी है जिससे वर्षा निर्भर क्षेत्रों की उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है। इन प्रौद्योगिकियों और उन्नत विधियों का प्रचालन अनुसंधान परियोजनाओं, प्रदर्शनों, क्षमता निर्माण कार्यक्रमों, और मुद्रण तथा इलेक्ट्रानिक माध्यम में साहित्यों के प्रकाशनों के माध्यम से अंतरण किया जा रहा है। इनमें से अधिकांश क्रियाकलाप राज्य सरकारों और पंचायती राज संस्थानों को शामिल करके पूरा किये जाते हैं ताकि इन प्रौद्योगिकियों का तेजी से तथा कारगर ढंग से अंतरण हो सके। इन सभी अनुसंधान और विस्तार क्रियाकलापों से देश के विभिन्न भागों में वर्षा आधारित फसलों के उत्पादन और उत्पादकता में महत्वपूर्ण सुधार लाने में सफलता मिली है।

विदेशी संस्थानों में अनु. जातियों/अनु. जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व

1372. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अधिकारियों की विभिन्न क्षेत्रों में शैक्षिक, प्रबंधकीय, तकनीकी और प्रशासनिक क्षमताओं में सुधार करने के लिए प्रतिष्ठित विदेशी संस्थानों में प्रशिक्षण हेतु उनका चयन/तैनाती करती है जहां कुछेक मामलों में द्विपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के अंतर्गत उनके प्रशिक्षण का खर्च प्रायोजक देशों/एजेंसियों द्वारा वहन किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष उनके मंत्रालय से कितने व्यक्तियों ने उक्त अल्पकालीन/दीर्घकालीन प्रशिक्षण प्राप्त किया;

(ग) उनमें से अनु. जातियों/अनु. जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों की संख्या कितनी थी तथा उनका प्रतिशत कितना था; और

(घ) संविधान के अनुच्छेद 46 के अंतर्गत की गई व्यवस्था के अनुसार, ऐसे अवसरों का लाभ उठाने के लिए अनु. जाति/अनु. जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए क्या 'विशेष प्रावधान' किए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

उफनती नदियों द्वारा विनाश

1373. श्री रामजीलाल सुमन:
श्री दिनेश चन्द्र यादव:
श्री नवल किशोर राय:
डा. सुशील कुमार इन्दौरा:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मानसून के दौरान पड़ोसी देशों से बहने वाली नदियां देश के विभिन्न भागों में जान और माल का भारी नुकसान करती हैं;

(ख) यदि हां, तो उन नदियों और देशों के नाम क्या हैं जहां से वे बहती हैं तथा वे क्षेत्र कौन से हैं जहां वे विनाश करती हैं;

(ग) इन नदियों द्वारा देश में बहाकर लाए जाने वाले अतिरिक्त जल की औसत मात्रा कितनी है;

(घ) इसके परिणामस्वरूप वार्षिक औसत नुकसान कितना होता है;

(ङ) क्या सरकार ने इस संबंध में पड़ोसी देशों के साथ बातचीत की है और इन नदियों से आने वाली बाढ़ को नियंत्रित करने हेतु कोई योजना बनाई है; और

(च) यदि हां, तो उक्त योजना पर कब तक काम शुरू होने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) नेपाल, भूटान और चीन से निकलने वाली घाघरा, राप्ती, गंडक, बूंढ़ी गंडक, नदियों का अधवारा समूह, कमला वलान, बागमती, कोसी, महानन्दा, तोरसा, रैडक संकोश, गौरांग, पुथिमारी, बेकी-मानस-एई, पगलदिया, सुबनसिरी, लोहित, सियांग और सतलज नामक बड़ी नदियां मानसून के दौरान उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में बाढ़ लाती हैं जिसके परिणामस्वरूप जान माल की हानि होती है।

(ग) इन नदियों द्वारा लाए जाने वाले जल की मात्रा का विस्तृत आकलन का कार्य अभी तक नहीं किया गया है।

(घ) राज्यों की सभी नदियों द्वारा उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश राज्यों में आने वाली बाढ़ों (वर्ष 1953 से वर्ष 2000 तक की अवधि में) से होने वाली अनुमानित वार्षिक हानि नीचे दिए गए अनुसार है:-

क्र. सं.	राज्य का नाम	अनुमानित प्रभावित क्षेत्र (मि. हेक्टे)	अनुमानित मृतक संख्या (संख्या)	फसलों, घरों और सार्वजनिक उपयोग की वस्तुओं की कुल अनुमानित हानि (करोड़ रुपए में)
1.	उत्तर प्रदेश	2.057	296	260.378
2.	बिहार	1.346	126	117.474
3.	पश्चिम बंगाल	0.842	169	132.538
4.	असम	0.911	40	70.498
5.	अरुणाचल प्रदेश	0.005	3	7.453
6.	हिमाचल प्रदेश	0.080	39	79.679

(ङ) और (च) नेपाल, भूटान और चीन से आने वाली नदियों द्वारा उत्पन्न बाढ़ों की समस्या को कम करने के लिए इन देशों के साथ विचार-विमर्श चल रहा है तथापि, भारत सरकार और नेपाल सरकार द्वारा महाकाली नदी (भारत में सारदा) पर पंचेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना के लिए संयुक्त विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को तैयार करने का कार्य प्रगति पर है।

[अनुवाद]

कृषि शिक्षा में नए परिवर्तन

1374. श्री चन्द्रनाथ सिंह:
श्री भर्तृहरि महताब:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में एक मजबूत विश्वविद्यालय उद्योग संबंध स्थापित करने के लिए कृषि शिक्षा में नए परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा विश्वविद्यालय उद्योग संबंध बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) जी, हां। देश में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के तरीके सुझाने के लिए परिषद् द्वारा डा. एम.एस. स्वामीनाथन समिति का गठन किया गया था। विभिन्न प्रमुख सिफारिशों के अलावा समिति ने राज्य कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के साथ अपने सम्पर्क को मजबूत बनाने की भी सिफारिश की थी।

उद्योगों के राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के साथ सम्पर्क सुदृढ़ करने के लिए उठाए गए कदमों में शामिल हैं:-

* विभिन्न औद्योगिक घरानों के साथ परामर्श के बाद कृषि विज्ञान के सभी विषयों के पाठ्यक्रम में संशोधन।
* ग्रामीण जागरूकता कार्य अनुभव (आर.ए.डब्ल्यू.)/उद्योग/भंडारों/फार्मों इत्यादि में व्यावहारिक प्रशिक्षण के अंतर्गत कौशल पर आधारित प्रयोगात्मक प्रशिक्षण प्रदान करना।
* परिसर में ही साक्षात्कारों का आयोजन करने के लिए विश्वविद्यालयों में 'प्लेसमेंट सेल' का निर्माण।
* विश्वविद्यालयों की शैक्षिक प्रबंधन समितियों के सदस्यों के रूप में उद्योगों के विशेषज्ञों को शामिल करना।

(ग) उपरोक्त (क) और (ख) के मद्देनजर लागू नहीं होता।

कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी

1375. श्री पुट्टास्वामी गौड़ा: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक में कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड (के आई ओ सी एल) की समझौता अवधि समाप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो राज्य में कंपनी के खनन कार्यों को जारी रखने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या खनन कार्य को जारी रखने के खिलाफ कई बार विरोध किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) और (ख) कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लि. (के आई ओ सी एल) के मूल खनन पट्टे की अवधि 24 जुलाई, 1999 को समाप्त हो गई है। कंपनी अपना खनन प्रचालन जारी रखे हुए हैं क्योंकि कर्नाटक सरकार द्वारा इसे जुलाई, 1999 और जुलाई, 2000 में एक-एक वर्ष के लिए अल्पकालिक अस्थाई अनुमति दी गई है। इसके बाद कर्नाटक सरकार द्वारा कंपनी की कार्य अवधि 25 जुलाई, 2001 से तीन माह के लिए बढ़ाई गई थी और तत्पश्चात् इसे अक्तूबर, 2001 से और एक वर्ष के लिए अनुमति दी गई थी।

(ग) और (घ) कुछ गैर-सरकारी संगठन के आई ओ सी एल द्वारा पश्चिमी घाटों में खनन प्रचालन जारी रखने का विरोध करते रहे हैं। इस संबंध में उच्चतम न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गई थी। यह मामला न्यायाधीन है।

[हिन्दी]

कृषि मजदूरों के लिए कानून

1376. श्री मानसिंह पटेल:
डा. ए.डी.के. जयशीलन:

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि मजदूरों के कल्याण के लिए कानून बनाने का कोई प्रस्ताव लंबे समय से लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके संसद में कब तक पुर:स्थापित किये जाने की संभावना है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) से (ग) कृषि श्रमिकों के कल्याण के लिए एक कानून अधिनियमित करने के प्रस्ताव की संबंधित मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके जांच कर ली गई है। राज्य सरकारों में इस प्रस्ताव पर आम सहमति न होने के कारण इस समय इसके लिए निश्चित समय-सीमा बता पाना सम्भव नहीं है।

तिलहन का उत्पादन

1377. श्री विष्णु पद राय: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तिलहन का वर्षवार कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जहां तिलहन का उत्पादन किया गया था;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तिलहन के उत्पादन में कमी आई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) तिलहन उत्पादन में आई कमी को रोकने और इसका उत्पादन बढ़ाने तथा इस प्रयोजनार्थ खेती योग्य भूमि में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में तिलहनों का उत्पादन नगण्य है और रिपोर्टिंग पद्धति में शामिल नहीं किया जाता है। तथापि अण्डमान और निकोबार सरकार द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले तीन वर्षों में तिलहनों का कुल उत्पादन निम्न प्रकार से है:-

वर्ष	उत्पादन (मी. टन)
1998-99	153
1999-2000	73
2000-2001	55

(ख) वर्ष 2000-01 के दौरान अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में उन क्षेत्रों का विवरण जहां तिलहनों का उत्पादन किया जाता है, इस प्रकार है:-

दक्षिणी अण्डमान	13.20 हैक्टेयर
रंगत	23.55 हैक्टेयर
मध्य अण्डमान	21.51 हैक्टेयर
डिगलीपुर	70.90 हैक्टेयर
लघु अण्डमान	4.00 हैक्टेयर
कुल	133.16 हैक्टेयर

(ग) जी, हां।

(घ) अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में तिलहन उत्पादन में कमी के लिए उत्तरदायी घटक निम्नलिखित हैं:

1. किसान सब्जी की खेती की ओर अधिक प्रवृत्त हुए हैं क्योंकि उन्हें इससे अधिक लाभ मिलता है।
2. सिंचाई सुविधाओं की कमी।
3. प्रतिकूल मौसम की स्थिति।
4. प्रसंस्करण एवं विपणन ढांचे की कमी।
5. आवारा जानवर।
6. अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का उपलब्ध न होना।

(ङ) अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के कृषि विभाग ने राष्ट्रीय तिलहन एवं वनस्पति तेल विकास बोर्ड (नोबोड) को तिलहनों के विकास के लिए प्रस्ताव भेजा है। अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए किसानों के प्रशिक्षण और मूंगफली, सरसों और सूरजमुखी के प्रदर्शन का कार्यक्रम स्वीकृत किया गया था।

[अनुवाद]

अनाज बैंक

1378. श्री सईदुज्जमा: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश भर में अनाज बैंकों की स्थापना करने अनाज भण्डारण प्रणाली का विकेन्द्रीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन भंडारों में आलू प्याज जैसे जल्दी से नष्ट न होने वाले खाद्यान्नों तथा सब्जियों तथा अन्य उन मोटे अनाजों को जो आजकल बहुत कम मिलते हैं सम्मिलित किये जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो क्या समस्त देश में प्रत्येक जिला मुख्यालय में ऐसे बैंकों और खुदरा बिक्री केन्द्रों की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव है ताकि किसानों और उपभोक्ताओं के लिए उचित कीमत नियंत्रण तंत्र सुनिश्चित किया जा सके तथा बिचौलिये के लाभ की अतृप्त भूख को रोका जा सके?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) केन्द्रीय योजना समिति द्वारा अभिज्ञात किये गये 13 राज्यों में चयनित सुदूर तथा पिछड़े जनजातीय क्षेत्र में बच्चों की मौतों के मामले में सुरक्षात्मक उपाय करने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय 1996-97 से जनजातीय गांवों में अनाज बैंक संबंधी केन्द्रीय क्षेत्रीय स्कीम क्रियान्वित करता रहा है। इस स्कीम के तहत जनजातीय कार्य मंत्रालय पारम्परिक प्रकार की भण्डारण सुविधाओं की स्थापना, बाट और पैमाने की खरीद तथा बैंक के आरम्भिक स्टॉक के लिये प्रति सदस्य परिवार के लिये एक क्विंटल की दर पर स्थानीय रूप से वरीयता प्राप्त किस्म के खाद्यान्न की खरीद के लिये एक मुश्त अनुदान प्रदान करता है। अभाव की अवधि में सदस्य परिवार किस्तों में खाद्यान्न का ऋण प्राप्त कर सकते हैं और अगली सफल फसल कटाई के समय नाममात्र के ब्याज पर इसका पुनर्भुगतान कर सकते हैं। अनाज बैंकों का प्रबंधन स्वयं लाभानुभोगियों द्वारा चयनित कार्यकारी समितियों द्वारा किया जाता है। संबंधित गांव में सभी जनजातीय परिवार तथा गरीबी रेखा के नीचे आने वाले अनुसूचित जाति के इच्छुक परिवार इस स्कीम के तहत किसी अनाज बैंक विशेष के सदस्य हो सकते हैं। मंत्रालय द्वारा भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राईफेड) जो कि इस स्कीम के तहत माध्यमिक एजेंसी है, के द्वारा राज्य सरकारों को कोष निर्मुक्त किये जाते हैं।

(ग) और (घ) हाल ही में, खाद्य प्रबंध तथा कृषि निर्यात विषयक केन्द्रीय मंत्रियों और मुख्य मंत्रियों की स्थायी समिति ने जनजातीय कार्य मंत्रालय की ग्रामीण अनाज बैंक स्कीम का इसमें कुछ संशोधन करते हुये जनजातीय आबादी की बहुलता वाले सभी स्थान-प्रवण और प्रवास प्रवण क्षेत्रों में तथा पहले चरण में अन्य जनजातीय क्षेत्रों में भी, विस्तार करने की सिफारिश की है। यदि बाद की स्थिति में आवश्यकता होती है तो गैर-जनजातीय क्षेत्रों में इस स्कीम का विस्तार करने का भी प्रस्ताव किया गया है।

संशोधित स्कीम का उद्देश्य 1066.00 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से पहले चरण में समूचे देश में 1.14 लाख जनजातीय गांवों को शामिल करना है। इस स्कीम के तहत कैश घटक भण्डारण पात्र, खाद्यान्न आदि की उठाई पर व्यय आदि के लिये राज्यों में 66.00 करोड़ रुपये का वितरण किया जाना है। राज्यों को उनकी मांग पर भारतीय खाद्य निगम के द्वारा खाद्यान्नों की आपूर्ति की जानी है तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय भारतीय खाद्य निगम के इस धनराशि की प्रतिपूर्ति करेगा। संशोधित स्कीम को सरकार द्वारा अभी अनुमोदित किया जाना है।

घरेलू राज-सहायता

1379. श्रीमती निवेदिता माने: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व व्यापार संगठन के पीछे कृषि उत्पादनों के व्यापार की बाधाओं को दूर करने, घरेलू राजसहायता कम करने तथा विकासशील देशों को उत्पादों के नए बाजारों की खोज करने में सक्षम बनाने का विचार था;

(ख) क्या विकासशील देशों ने अपने कृषि उत्पादों पर राज-सहायता बढ़ा दी है जो कि भारत जैसे विकासशील देशों के लिए हानिकारक है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) भारतीय कृषकों के हितों की रक्षा के लिए भारत सरकार ने क्या कदम उठाये हैं; और

(ङ) विश्व व्यापार संगठन के संबंध में भारत सरकार की नई नीति क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) विश्व व्यापार संगठन समझौते का उद्देश्य खुली, साम्य एवं नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापारिक व्यवस्था के माध्यम से व्यापार में उदारीकरण लाना था।

(ख) से (ङ) आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओ.ई.सी.डी.) की रिपोर्ट के अनुसार ओ.ई.सी.डी. के देशों में कृषि क्षेत्र को दिया जाने वाला समर्थन 1986-88 के 308 बिलियन अमेरिकी डालर से बढ़कर 1999 में 361 बिलियन अमेरिकी डालर हो गया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए भारत ने कृषि संबंधी विश्व व्यापार संगठन समझौते के अंतर्गत चालू वार्तालाप के प्रस्तावों में यह मांग की है कि टोटल एग्रीगेट मेजरमेण्ट आफ सपोर्ट (ए.एम.एस.) की गणना में उन सभी घरेलू सहायता उपायों को शामिल किया जाये जिनसे व्यापार में विसंगतियां पैदा हो रही हैं जिन्हें वचनबद्धता तक निर्धारित न्यूनतम स्तर तक सीमित किया जाना चाहिए। भारतीय किसानों के हितों की रक्षा के लिए सरकार ने संवेदनशील वस्तुओं के आयात की मानीटरिंग करने के लिए एक उपयुक्त तंत्र स्थापित किया है और विश्व व्यापार संगठन के तहत उपलब्ध विभिन्न अनुकूल उपायों को अपनाकर घरेलू उत्पादकों को पर्याप्त संरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है। इन उपायों में निर्धारित सीमा तक तटकर लगाना, एण्टी डंपिंग और काउण्टरवेलिंग ड्यूटी लगाना और विशिष्ट परिस्थितियों में सुरक्षात्मक कार्यवाही करना शामिल है।

नारियल और कोपरा के लिए समर्थन मूल्य

1380. श्री आर.एल. जालप्पा: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा कर्नाटक में कोपरा के लिए निर्धारित समर्थन मूल्य का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य में कोपरा और नारियल का कितना अनुमानित उत्पादन हुआ;

(ग) किसानों से ''नैफेड'' द्वारा अब तक कितनी मात्रा में कोपरा और नारियल की खरीद की गई है;

(घ) क्या सरकार का विचार किसानों द्वारा औने-पौने दामों में बिक्री को रोकने के लिए कनार्टक से और अधिक मात्रा में कोपरा और नारियल की खरीद करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) सरकार ने 2001 मौसम के लिये उचित औसत गुणवत्ता के मिलिंग कोपरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3300 रुपये प्रति क्विंटल और बाल कोपरा का 3350 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। कर्नाटक के लिये अलग से न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं हैं क्योंकि सरकार द्वारा निर्धारित किये गये न्यूनतम समर्थन मूल्य संघ शासित प्रदेशों सहित सभी राज्यों के लिए लागू हैं।

(ख) कर्नाटक राज्य में पिछले तीन वर्षों के दौरान कोपरा और नारियल का अनुमानित उत्पादन निम्नलिखित है:-

वर्ष	उत्पादन	
	कोपरा (हजार मी. टन)	नारियल (मिलियन गिरी)
1997-98	94.10	1550.4
1998-99	97.81	1611.5
1999-2000	101.38	1670.3

(ग) से (ङ) नारियल मूल्य समर्थन स्कीम के तहत शामिल नहीं है। वर्ष 2000-01 के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लि. (नैफेड) ने कर्नाटक में मूल्य समर्थन स्कीम के तहत कुल 6188 मी. टन कोपरा की खरीद की। वर्तमान वर्ष (2001-02, अक्तूबर तक) के दौरान नैफेड ने राज्य में पहले ही 145 मी. टन बाल कोपरा की खरीद की है। खरीद की प्रक्रिया जारी है।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं-

(1) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 1 की उपधारा (3) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 746, जो 7 अप्रैल, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित 3 स्थापनाओं को कवर करना विनिर्दिष्ट किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4473/2001]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं-

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) कर्नाटक काजू विकास निगम लिमिटेड के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कर्नाटक काजू विकास निगम लिमिटेड का वर्ष 2000-2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4474/2001]

(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का.आ. 1078 (अ) जो 2 नवम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा ग्यारह सदस्यों वाली केन्द्रीय उर्वरक समिति का गठन किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 4475/2001]

अपराह्न 12.01 बजे

कार्य मंत्रणा समिति के अट्ठाईसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा 23 नवम्बर, 2001 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के अट्ठाईसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा 23 नवम्बर, 2001 को सभा में प्रस्तुत कार्यमंत्रणा समिति के अट्ठाइसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.03 बजे

सरकारी विधेयक—*पुर:स्थापित*

(1) संविधान (बानवेवां संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद 16 का संशोधन)

[अनुवाद]

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): इस मद को शून्य काल के बाद लिया जाए अभी नहीं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह विधेयक को मात्र पुर:स्थापित करना है।

...(व्यवधान)

*भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II खंड-2, दिनांक 26.11.2001 में प्रकाशित।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: हम शून्य काल से पहले कैसे विधेयक को पुर:स्थापित और विधायी कार्य शुरू करने दे सकते हैं?...*(व्यवधान)* आपने यही सुझाव दिया है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हम कुछ समय से ऐसा कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती वसुन्धरा राजे: मैं विधेयक पुर:स्थापित करती हूं।

अध्यक्ष महोदय: मद सं. 7—डा. मुरली मनोहर जोशी।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): मंत्री जी सभा में उपस्थित नहीं हैं।

...(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): यही कारण है कि मैं उनकी ओर से इस विधेयक को पुर:स्थापित करना चाहता था।...*(व्यवधान)* मेरे साथ भी वही समस्या है जो श्री दासमुंसी के साथ थी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: चूंकि संबंधित मंत्री उपस्थित नहीं हैं इसलिए हम अगली मद लेंगे।

अपराह्न 12.04 बजे

(2) आवश्यक सेवा (बनाए रखना) अध्यादेश निरसन विधेयक*

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): श्री लालकृष्ण आडवाणी की ओर से, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

*भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II खंड-2, दिनांक 26.11.2001 में प्रकाशित।

आवश्यक सेवा (बनाए रखना) अध्यादेश 1941 का निरसन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि आवश्यक सेवा (बनाए रखना) अध्यादेश, 1941 का निरसन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सीएच. विद्यासागर राव: मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: सभा में अब शून्य काल की कार्यवाही शुरू होगी।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): उपाध्यक्ष महोदय, हमने कभी भी प्रधानमंत्री के विवेक पर प्रश्न नहीं किया किंतु प्रधानमंत्री ने जिस तरह से पाक-साफ कह दिया है जब कि वेंकटसामी आयोग कार्यरत हैं और उसका कार्यकाल बढ़ाया जाना भी स्वीकार्य नहीं है। इसलिए इस पर चर्चा करने के लिए प्रस्ताव लाना उचित है। इस प्रस्ताव का क्या हुआ यह अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है।

अध्यक्ष महोदय: श्री दासमुंशी, आपने एक सूचना दी है और उस पर मैं विचार कर रहा हूं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: कल कार्यमंत्रणा समिति की बैठक होगी हम अपनी कार्यवाही का स्वरूप तभी बना सकते हैं यदि आप इस पर कल तक निर्णय दे दें।

महोदय, यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। हम हर दिन चुप नहीं बैठ सकते।

अध्यक्ष महोदय: श्री दासमुंशी, आपने सूचना दी, मैं इस पर विचार कर रहा हूं।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): मैंने भी एक अत्यन्त ही महत्वपूर्ण विषय पर सूचना दी है।*...(व्यवधान)* मैंने यह सूचना शुक्रवार को दी थी*...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं बाद में आपसे बात करूंगा। अब श्री सुरेश कुरूप।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सईदुज्जमा (मुजफ्फरनगर): अध्यक्ष जी, मैंने भी नोटिस किया है, मेरी बात भी आप सुनिए। हजारों लोग जेलों में हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइये, आपको भी बुलाएंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: तीस सदस्यों ने सूचना दी है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आज शून्य काल के दौरान हम क्रम संख्या का अनुसरण करेंगे। मेरे पास 30 सूचनाएं हैं। पहली सूचना श्री सुरेश कुरूप की है।

अपराह्न 12.06 बजे

इतिहास की पाठ्य पुस्तकों से कतिपय अंशों को हटाने के एन.सी.ई.आर.टी. के कथित निर्णय के बारे में

[अनुवाद]

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम): महोदय, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एक परिपत्र द्वारा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद् को हमारे देश में विद्यालयों में पढ़ाई जा रही इतिहास की पाठ्यपुस्तकों से कतिपय अंशों को हटाने के लिए निदेश दिया गया है। यह सम्प्रदायवाद से प्रेरित है तथा भारतीय इतिहास के तथ्यों को तोड़ने-मरोड़ने के लिए है।*...(व्यवधान)* ऐतिहासिक तथ्य जो भी हों, संघ परिवार के द्वारा एक जहरीला विचार प्रचारित किया जा रहा है। हमारे देश में पढ़ाई जा रही पाठ्यपुस्तकों में से इसे सुनियोजित तरीके से हटाया जा रहा है। इसकी भर्त्सना की जानी चाहिए।*...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दिल्ली सदर): पिछले दस सालों से यह इतिहास पढ़ाया जाता रहा, तब तो आपने कुछ नहीं कहा*...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): अध्यक्ष जी, एजूकेशन में गोल-माल हो रहा है, यह नहीं चलेगा।*...(व्यवधान)* यह देश सेक्यूलर ढंग से चलेगा।

श्री मदन लाल खुराना: गुरु तेग बहादुर जी को लुटेरा कहना, क्या यह सेक्यूलर ढंग है।*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री खुराना, मैंने श्री सुरेश कुरूप का नाम पुकारा है।

...(व्यवधान)

श्री सुरेश कुरूप: क्या आप मुझे बोलने देंगे?*...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री चिन्मयानन्द स्वामी (जौनपुर): इतिहास को अपनी मर्जी से इंटरप्रेट करने का आपको अधिकार नहीं है।*...(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): यह विड्रा होगा, नहीं तो सरकार को जाना पड़ेगा।*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री कुरूप के भाषण को छोड़कर कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: मैंने श्री कुरूप का नाम पुकारा है।

श्री सुरेश कुरूप: यह सरकार इस देश की धर्म निरपेक्ष शिक्षा और बुनियाद को नष्ट करना चाहती है।*...(व्यवधान)*

महोदय, हर विचारधारा के कट्रपंथी—चाहे वे किसी भी देश के हों या किसी भी धर्म के हों, एक ही भाषा बोलते हैं। चाहे यह अफगानिस्तान में तालिबान हो या भारत में संघ परिवार, वे एक ही हैं। वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसलिए, मैं इस सरकार के धर्मनिरपेक्ष सहयोगियों से अनुरोध करता हूं कि वे इस स्थिति में आगे आएं। उन्हें इस देश में ऐसा नहीं होना देना चाहिए।*...(व्यवधान)* पूरी सभा को इसकी निंदा करनी चाहिए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आचार्य जी, मैं आपको बुलाऊंगा, आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सुरेश कुरूप: इस परिपत्र को तुरन्त वापस ले लेना चाहिए।*...(व्यवधान)* इस समय, मंत्री जी आए हैं।*...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री कुरूप, मुझे एक ही विषय पर तीन सूचनाएं मिली हैं। श्री साहिब सिंह वर्मा और श्री बसुदेव आचार्य ने भी इसी विषय पर सूचनाएं दी हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: इस समय मुझे श्री साहिब सिंह वर्मा का नाम पुकारना है। फिर, मैं श्री आचार्य का नाम भी पुकारूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने भी उसी विषय पर सूचना दी है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मुझे इसी विषय पर तीन सूचनाएं मिली हैं, एक श्री सुरेश कुरूप से, एक श्री साहिब सिंह वर्मा से और एक श्री बसुदेव आचार्य से। मुझे पहले उन पर ध्यान देना है।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: ठीक है महोदय, पहले उन्हें बोलने दीजिए भी फिर माननीय मंत्री उत्तर दें सकते हैं*...(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, यह ऐसा विषय है जिस पर यहां चर्चा नहीं की जा सकती है।*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): परिपत्र तत्काल वापिस लिया जाना चाहिए*...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री साहिब सिंह (बाहरी दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, सी.बी.एस.ई. ने जो सर्कुलर निकाला है, उसके बारे में वर्षों से लगातार देश के लोगों की यह मांग रही थी कि टैक्स्ट बुक्स में जो बहुत गलत बातें पढ़ाई जाती हैं, उन्हें निकाला जाए। उसे लेकर देश के विभिन्न वर्गों के अन्दर बहुत खलबली मची थी। इससे उनकी बेइज्जती हो रही थी। गुरु तेगबहादुर के बारे में कहना कि उन्होंने रेप करवाया, उन्होंने गुंडागर्दी की, उन्होंने लूट-खसोट की,

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री साहिब सिंह]

लिखना गलत होगा।...*(व्यवधान)* मेरे पास यह किताब है। छठी क्लास की किताब में ऐसा कहा गया है।...*(व्यवधान)* इसमें ये सब है। यदि सी.बी.एस.ई. ने ऐसा सर्कुलर निकाला है कि टैक्स्ट बुक्स में से यह चीज निकाल दी जाए, उससे अच्छा कदम और क्या हो सकता है। सारे सदन को इसका स्वागत करना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने उनका नाम पुकारा है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने श्री साहिब सिंह वर्मा को बोलने के लिए कहा है। कृपया उन्हें बोलने दें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री वर्मा के भाषण को छोड़कर कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री साहिब सिंह: जाटों ने कारगिल की लड़ाई में 90 परसैंट शहादत दी। आजादी की लड़ाई के लिए जितनी जंग हुई और देश की आजादी को बचाने के लिए जाटों ने जो काम किया, वह एक मिसाल है। उनके बारे में कहा जाए कि जाट गुंडागर्दी करते हैं, लूट-खसोट करते हैं तो यह गलत बात होगी। अगर जाटों के बारे में इतिहास की किताब में यह बात पढ़ायी जाती है तो इससे गलत बात और क्या हो सकती है।...*(व्यवधान)* आप खड़े होकर इस तरह की बातें करते हैं और कहते हैं कि गलत काम किया गया है। इससे गलत बात और क्या हो सकती है। उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो यह कहते हैं कि सी.बी.एस.ई. को यह सर्कुलर विदड्रा करना चाहिए।...*(व्यवधान)* आप गुरु तेगबहादुर के बारे में, जाटों के बारे में, देश के इतिहास के बारे में ऐसी बात करेंगे तो इससे बड़ी शर्म की बात कोई नहीं हो सकती है। सी.बी.एस.ई. ने बहुत अच्छा काम किया है। शिक्षा मंत्री ने अच्छा काम किया है। सारे सदन को सी.बी.एस.ई. के उस सर्कुलर का स्वागत करना चाहिए। जो भी इस दिशा में काम किया गया है, आप सब इसका स्वागत करें और शाबाशी दें कि सी.बी.एस.ई. ने अच्छा काम किया है। अच्छी-अच्छी बातें इतिहास में और भी हैं। गलत बातें बच्चों को पढ़ाना और छोटे-छोटे बच्चों को इस तरह की किताबें बढ़ाना, इससे गलत बात और कोई नहीं हो सकती। जो सदस्य इसका विरोध करते हैं उन्होंने निश्चित तौर पर ठीक नहीं किया है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री वर्मा, अब कृपया अपनी बात समाप्त करें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री साहिब सिंह: आप इतिहास के बारे में नहीं जानते। जिन लोगों ने सैक्रिफाइज किया, आप उसका विरोध करते हैं। दिल्ली सरकार ने भी कहा है कि जाटों के बारे में ठीक लिखा गया है जबकि दिल्ली सरकार जाटों के कारण यहां राज कर रही है। आप जाटों का विरोध करते हैं। उन्हें गुंडा बताते हैं, बदमाश बताते हैं। इससे बड़ी शर्म की बात कोई दूसरी नहीं हो सकती है। सारे सदन को सी.बी.एस.ई. के कदम का स्वागत करना चाहिए और उन्हें बधाई देनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस देश के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। प्रधान मंत्री जी ने परसों मानव संसाधन विकास मंत्री, डा. मुरली मनोहर जोशी के निदेश पर एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा किए गए कार्य के औचित्य को सही ठहराया था...*(व्यवधान)* महोदय, इतिहास की पाठ्यपुस्तक के कुछ अंश (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप कृपया बैठ जाएं। मैंने श्री बसुदेव आचार्य का नाम लिया है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: संसदीय कार्य मंत्री यहां उपस्थित हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाये।

...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: श्री बसुदेव आचार्य।

श्री बसुदेव आचार्य: एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा इन अंशों को हटाये जाने संबंधी आदेश जारी करने से पूर्व विख्यात इतिहासविदों से परामर्श नहीं किया गया...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री खारबेल स्वाइं, मैंने श्री बसुदेव आचार्य का नाम लिया है। आप कृपया बैठ जाएं।

श्री बसुदेव आचार्य: यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के प्रधान मंत्री ने अभी-अभी इन पाठ्यपुस्तकों के कुछ अंश को हटाये जाने का उल्लेख करते हुए यह भी कहा है कि अब और अंश नहीं हटाए जायेंगे। यह हमारी शिक्षा का तालिबानीकरण और भगवाकरण है। वे हमारे देश के धर्मनिरपेक्ष अस्तित्व को समाप्त करना चाहते हैं। उन्होंने शिक्षा के पाठ्यक्रम में परिवर्तन कर दिया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री बसुदेव आचार्य के भाषण को छोड़कर कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: उन्होंने इतिहास पुस्तकों के कुछ अंश, जिन्हें कई वर्षों से पढ़ाया जा रहा था, हटा दिया है। इन पुस्तकों को हमारे देश के प्रख्यात इतिहासविदों द्वारा लिखा गया है। इन अंशों को हटाए जाने से पूर्व इनके लेखकों से परामर्श नहीं किया गया। अत: हमारी मांग है कि एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा सी.बी.एस.ई. मान्यताप्राप्त सभी विद्यालयों को जारी परिपत्र को वापिस लिया जाए।...*(व्यवधान)* सरकार शिक्षा के तालीबानीकरण को समाप्त करे और हमारे देश के धर्मनिरपेक्ष अस्तित्व को समाप्त नहीं किया जाना चाहिए...*(व्यवधान)* वे क्या कर रहे हैं?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: क्या सरकार की ओर से कोई वक्तव्य है?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, कृपया यह समझने की कोशिश करें कि कल सभा में अनुशासन और शिष्टता के संबंध में केन्द्रीय कक्ष में एक बैठक हुई थी। आज हम सभा में क्या कर रहे हैं?

...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, माननीय मंत्री महोदय सभा से जा चुके हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: संसदीय कार्य मंत्री यहां उपस्थित हैं। वे उत्तर दे सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कल श्री शिवराज पाटील ने एक बहुत ही अच्छा सुझाव दिया था। मैं समझता हूं कि समस्या "शून्य काल" में ही शुरू होती है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: अगर ऐसे सब लोग बोलेंगे तो कैसा चलेगा? मुलायम सिंह जी, क्या आप इसी पाइंट पर बोलना चाहते हैं?

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): अध्यक्ष महोदय, जी हां। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): आप इतिहास नहीं बदल सकते हैं...*(व्यवधान)*, आप इतिहास को पुन: नहीं लिख सकते हैं।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए। अभी मुलायम सिंह जी को बोलने दें।

...*(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): हम बोलेंगे तो सब खड़े हो जाएंगे और मुलायम सिंह जी बोलेंगे तो हम चुप कर जाएं?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

आप भी बोलिए लेकिन हमें भी बोलने दीजिए।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव: अध्यक्ष जी, आप मल्होत्रा जी को भी बोलने का मौका दें।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मल्होत्रा जी, आपको भी मौका मिलेगा। कभी-कभी लीडर्स को भी मौका देना चाहिए।

...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, यह मामला गंभीर है और इसलिए है कि जब पूरी दुनिया में आतंकवाद की चर्चा

[श्री मुलायम सिंह यादव]

है तो इस तरह की शिक्षा देने के बारे में जो टिप्पणी आई है वह गंभीर विषय है। यह हमारा अकेले का सवाल नहीं है, आप सबका है। राजस्थान में जो एक किताब पढ़ाई जा रही है जिसका पाठ्यक्रम अखबारों में छपा है, उसमें लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों और कांग्रेस की बुराइयों के बारे में। वहां सरकार कांग्रेस की है, इसको कैसे स्वीकार किया मुझे पता नहीं, लेकिन अखबारों में साफ आया है। शिवराज पाटिल जी उसको नेता विपक्ष को दिखा दें क्योंकि आपकी सरकार है राजस्थान में। वहां यह पढ़ाया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां क्या हैं?...*(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: आप किसकी बात कर रहे हैं? कौन सी एन.सी.ई.आर.टी. की बुक में है?

श्री मुलायम सिंह यादव: यही तो मैं कह रहा हूं। कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस का इतिहास न बताकर लिखा गया है कि बीजेपी की सरकार अच्छी है।...*(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): मुलायम सिंह जी यह कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार कहती है कि बीजेपी की सरकार अच्छी है। ...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: कांग्रेस का इतिहास बताते हुए लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के मूवमेंट का विरोध किया। अगर छात्रों को इस तरह से पढ़ाया जाएगा तो मैं पूछना चाहता हूं कि आप किस आधार पर तालिबान का विरोध कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आपको कोई नैतिक अधिकार नहीं है तालिबान का विरोध करने का। जो काम तालिबान ने किया, वही काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जब आपने मस्जिद तोड़ी तो तालिबान बुद्ध की प्रतिमाओं को तोड़ रहा है। दोनों एक ही तरह के काम हैं।...*(व्यवधान)* उन्होंने बौद्ध स्तूपों को तुड़वाया है। आप तालिबान का कैसे विरोध कर सकते हैं? जो काम तालिबान ने किया है वही काम आपने भी किया है।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष जी, अभी तक मेरी समझ में बात नहीं आई और मैं बताऊं कि एक वाक्य किसी एन.सी.ई.आर.टी. की किताब में नहीं जोड़ा गया। मैं पूछना चाहता हूं कि कोई सदस्य यह बताए कि एन.सी.ई.आर.टी. की किसी किताब में कुछ जोड़ा गया हो। इसलिए मुलायम सिंह जी जो कह रहे हैं, वह बिल्कुल गलत बात है। पांच वाक्य निकाले गए हैं। एक वाक्य जो निकाला गया।

[अनुवाद]

कृपया मुझे कहने दें।

"गुरु तेग बहादुर को 1675 में गिरफ्तार किया गया और उन्हें फांसी दे दी गई। इस संबंध में आधिकारिक वक्तव्य यह है कि असम से लौटने के पश्चात् हाफीज आदम के साथ गुरु तेग बहादुर लूट-पाट और बलात्कार करने लगे जिससे पूरा पंजाब सूबा बर्बाद हो गया।"

[हिन्दी]

क्या यह नहीं निकालना चाहिए। क्या यह वाक्य नहीं निकालना चाहिए कि गुरु तेग बहादुर जी ने एक हाफिज के साथ मिलकर लूटपाट मचाई और रेप किया। कोई सदस्य कहे कि ये वाक्य पढ़ाए जाने चाहिए बच्चों को? एक सदस्य भी ऐसा नहीं मिलेगा ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय, दूसरा वाक्य निकाला गया है कि

[अनुवाद]

"जाटों ने भरतपुर में अपना राज्य स्थापित किया और उन्होंने वहीं से आस-पास के क्षेत्र में लूटपाट शुरू की।"

[हिन्दी]

यह क्लास 8 में पढ़ाया जा रहा था। क्या सारे हिन्दुस्तान के बच्चों को पढ़ाया जाए कि जाट लूटपाट करते थे, लूटपाट मचाते थे? कौन कहता है खड़े होकर कि जाटों ने यह काम किया है? एक वाक्य और निकाला गया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय, तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज): अध्यक्ष महोदय, ये इतना शोर कर रहे हैं। क्या यही कोड आफ कंडक्ट है? माननीय मुलायम सिंह जी कुछ कहना चाहते हैं, उन्हें सुना जाए।...*(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि तीसरा वाक्य यह निकाला गया है कि यहां लोग गोमांस खाते थे और जब कोई आता था, तो उसे बछड़े का मांस परोसा जाता था। क्या यह सही है कि सारे हिन्दुस्तान के लोग गोमांस खाते थे?...*(व्यवधान)* चौथी बात मैं जैनियों के बारे में कहना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: आपने गाय और सूअर का मांस मंगाने के लिए पूरे हिन्दुस्तान के होटलों में छूट दे दी है। ...*(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: मुलायम सिंह जी, मुझे अपनी बात समाप्त करने दीजिए। आप जाटों के बहुत हमदर्द बनते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि इन किताबों में यह लिखा था कि जाट लूट-मार करते थे। क्या आप देश के बच्चों को यही पढ़ाना चाहते हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय, 20,000 पुस्तकों के पेजेज में से 5-6 निकाले गए हैं और उनके बारे में यहां हल्ला मचाया जा रहा है और इसे तालिबान की संज्ञा दी जा रही है। उसे तालिबान के साथ जोड़ा जा रहा है और कहा जा रहा है कि तालिबान का समर्थन हो रहा है।...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: आप बोल रहे हैं, उतना सही हो सकता है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उसके बाद भी और बहुत सी बातें हैं जो बदली गई हैं।...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील (लातूर): अध्यक्ष महोदय, मैं दो-तीन मुद्दों पर अपनी पार्टी और हम लोगों का जो नजरिया है वह आपके सामने रख रहा हूं। पहला मुद्दा तो यह है कि राजस्थान में ऐसी किताबें कैसे आईं। इस बारे में कहना चाहता हूं कि वे किताबें हमारे जमाने की नहीं हैं। उससे पहले की सरकार के जमाने की बनी हुई थीं और उन किताबों में जो आब्जैक्शनेबल मैटर था, उसे निकालने के लिए एक कमेटी बैठाई गई और उसकी रिकमेंडेशन पर आब्जैक्शनेबल मैटर्स को निकालने के आदेश दिए गए। उसके बावजूद पब्लीशर ने किताब को एक दूसरा कवर लगाकर पब्लिश किया। ऐसा करने के कारण पब्लीशर के खिलाफ कार्रवाई की गई और वह किताब जो उन्होंने निकाली है, उसे भी सर्कुलेशन में नहीं रखा है। इसमें कांग्रेस सरकार का कोई दोष नहीं है।...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: सवाल यह नहीं है कि क्या निकाला है, बल्कि सवाल यह है कि इन्होंने बदला है।...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील: ठीक है, यदि आप ऐसा कह रहे हैं, तो हमें कोई आब्जैक्शन नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यह है कि हमारे देश के किसी नेता या महापुरुष के खिलाफ यदि कोई गलत बात लिखी है, तो उसे निकालने में कोई दोष नहीं है। मगर उसका एक तरीका होना चाहिए और उस कार्य को सोच-समझ कर करना चाहिए न कि हमारे समाज में फूट डालने के लिए। यदि समाज में फूट डालने के लिए ऐसा किया जा रहा है, तो वह गलत है।

अध्यक्ष महोदय, तीसरी और आखिरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हिस्ट्री को किस प्रकार से यहां बदलने का प्रयास किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि

[अनुवाद]

''आर्टिक आर्यों का मूल निवास था।''

[हिन्दी]

यह पुस्तक श्री तिलक ने लिखी थी और इसकी वजह हिस्ट्री है और हमारे हिस्टोरियन को यह बताया जा रहा है कि

[अनुवाद]

''आर्टिक आर्यों का मूल निवास नहीं था।''

[हिन्दी]

आर्यन्स यहां से चले गए। इस प्रकार से हिस्ट्री बदलकर देश में फूट डालने का प्रयास हो रहा है। इसका असर सारे संसार में भी होने वाला है। इस प्रकार से यदि हिस्ट्री बदली जाती है, तो उसका अच्छा असर हमारे देश के बच्चों पर नहीं होता है। इसलिए इस प्रकार का प्रयास नहीं होना चाहिए। यदि कोई इस प्रकार का प्रयास कर रहा है, तो हमारा उसे यहां उठाने का अधिकार है और हम उठाते रहेंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी: अध्यक्ष महोदय, इसे केवल सामान्य मामला अथवा आम बात नहीं समझा जाना चाहिए। यह जानबूझकर किया गया है। यह हमारे देशी इतिहास के साथ फेरबदल करने का क्रूरतापूर्ण प्रयास है। यह भगवाधारी व्यक्तियों की खतरनाक भावना है। वे क्या करना चाहते हैं? वे जगह-जगह पर फेरबदल कर रहे हैं मानों इतिहास पुन: लिखा जा रहा हो। यह एक खतरनाक बात है। यह कभी नहीं हुआ है। बगैर किसी विशेषज्ञता अथवा योग्यता के कोई इतिहास कैसे लिख सकता है। आप केवल अपने उद्देश्य हेतु इतिहास लिखना चाहते हैं। आप केवल अपनी अवधारणा के आधार पर यत्र-तत्र वाक्य हटा कर इसे बच्चों पर नहीं थोप सकते हैं। यह अचानक हुआ है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री साहिब सिंह: जो निकाला गया है, उसके बारे में बताइए कि क्या गलती है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी: इससे एक विशिष्ट मानसिकता का पता चलता है। वे भारत के लोगों को अस्पष्ट और रूढ़िवादी आधार पर बांटना चाहते हैं। इसे कभी बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।

महोदय, एन.सी.ई.आर.टी. इतिहास को नए सिरे से नहीं लिख सकती है। वहां तैनात सभी व्यक्ति ऐसा जानबूझकर कर रहे हैं। यह शिक्षा का भगवाकरण किए जाने का प्रयास है। इसकी निंदा की जानी चाहिए। यह हमारे इतिहास पर एक हास्यास्पद हमला है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शीशराम सिंह रवि (बिजनौर): मान्यवर, आप क्या चाहते हैं?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी: हम इस मामले का पूरी तरह विरोध करते हैं...*(व्यवधान)* यह एक गंभीर मामला है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: इतिहास की तस्वीरों को सरकार जब चाहे बदलने का काम किसलिए कर रही है।...*(व्यवधान)* इतिहासकारों ने जो लिखा है उसकी सहमति से किया जाना चाहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपका नाम नहीं पुकारा है।

...(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी ने भी इसका समर्थन किया है। यह कहना अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, ऐसी स्थिति में जब कई पार्टियां इसका विरोध कर रही हों। नेतागण और शिक्षाविद अपने-अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। माननीय प्रधान मंत्री जी ने बिना किसी से विचार-विमर्श किए उन्हें निर्दोष घोषित कर दिया है। उनके निष्कर्ष का क्या आधार है? भारत के प्रधानमंत्री के इस निष्कर्ष का क्या आधार है जब वह स्वयं निर्णय करते हों देश में पढ़ा जाने वाला इतिहास कैसा हो।

महोदय, हम इसका घोर विरोध करते हैं और निंदा करते हैं। हम इस परिपत्र को पूरी तरह वापिस लिए जाने की मांग करते हैं अन्यथा इससे आंदोलन होगा। हम संदिग्ध और रूढ़िवादी आधार पर देश को बांटने की अनुमति नहीं दे सकते हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर (बलिया, उ.प्र.): अध्यक्ष महोदय, मेरे जैसा आदमी हिस्ट्री के बारे में जरा नासमझ है। इतनी देर से जो बहस हो रही है, मैं नहीं समझ पाया कि यह बहस किस मुद्दे पर हो रही है, सिवाए श्री शिवराज पाटील और मुलायम सिंह जी ने जो एक सवाल उठाया, उसमें कुछ तथ्य रखे गए, जिस पर राय देना संभव है लेकिन अन्य बातों पर राय देना बहुत मुश्किल है क्योंकि यह मान लेना कि इतिहासकार ने कुछ लिख दिया, वह शाश्वत सत्य हो गया, मैंने इतिहास के बारे में यह धारणा न कभी पढ़ी है, न इतिहास की यह धारणा है। जो इतिहास लिखने वाले लोग हैं, वे भी समय-समय पर अपनी परिस्थितियों और समझ के अनुसार लिखते हैं। एन.सी.ई.आर.टी. की जो किताब है, मैं और किताबों को नहीं जानता, उस किताब को मुझे उसके एक अधिकारी ने दिखाया और मैंने उस किताब के पन्नों को उलट-पलट कर देखा। उसमें अधिकांश जो चीजें जोड़ी गई हैं, वे एस.बी. चव्हाण कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जो है, वही ज्यों का त्यों उद्धृत किया गया है। श्री एस.बी. चव्हाण सैफरनाइजेशन के फेवर में तो नहीं हो सकते, इतना मैं मानता हूं।

जहां तक राजस्थान का मामला है, वह जरूर एक गंभीर मामला है। संसदीय कार्य मंत्री से कहेंगे कि वहां के लोगों से बात करें। अगर उनके लोग पुरानी बातों पर अड़े हुए हैं, तो यह बात गलत है।

श्री विजय कुमार मल्होत्रा ने जो 4-5 साल सवाल कहे, यह बात बहस की हो सकती है कि क्या उस जमाने में जब वे जंगलों में घूमते थे, गौ मांस खाते थे या नहीं। यह बात इतिहासकार लिख

सकता है, उस पर विश्लेषण कर सकता है लेकिन यह आठवीं दर्जे के लड़के को पढ़ाने के लिए नहीं है और अगर आज की परिस्थिति में पढ़ाया जाएगा तो इससे देश में अनावश्यक विवाद उठेगा।

यह मत समझिये कि मानसिकता, जज्बात एक ही तरफ है, जज्बात दूसरी तरफ भी है। सोमनाथ जी, इसलिए मैं कहता हूं, उनकी किताब को किसी ने बैन नहीं किया है, लेकिन उसके आधार पर आठवीं दर्जे के बच्चों को पढ़ाना किसी मायने में उचित नहीं हो सकता। शिक्षा मंत्री का यह अधिकार नहीं है कि किसी अन्वेषण, किसी शोध कार्य को बदल दे, लेकिन शिक्षा मंत्री का यह अधिकार है कि ऐसी बातें, जिससे तनाव पैदा हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, जिससे लोगों के मन पर एक धक्का लग सकता है, चाहे वह तनाव एक वर्ग में पैदा हो, चाहे तनाव दूसरे वर्ग में पैदा हो, दोनों को समान महत्व देना चाहिए। अगर यह विवाद है तो आप 3-4 लोगों को, जो इतिहास के ज्ञाता लोग इस सदन में हैं, उनको बैठा दीजिए, दोनों पक्ष अपनी-अपनी बातें रख दें और उसके बाद आप निर्णय कर दें। लेकिन जहां तक एक साधारण नागरिक के नाते मैं समझता हूं, जो कुछ शोध कार्यों में है, वहीं सातवें और चौथे दर्जे के लड़के को पढ़ाया जाये तो इस समाज को टूटने से कोई बचा नहीं सकता।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब मैंने माननीय संसदीय कार्य मंत्री का नाम पुकारा है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव: यह जो सुझाव है, आब्जैक्शंस पर बात करके मिलकर इस तरह से कोई समाधान किया जा सकता है। अकेले मंत्री जी इसका उचित फैसला नहीं कर सकते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप गंभीर मामले उठा रहे हैं और मंत्री महोदय को इसका उत्तर नहीं देने दे रहे हैं। अब मैंने माननीय मंत्री महोदय का नाम पुकारा है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य): अध्यक्ष जी, मुझे दो मिनट दीजिए, आपने हर पार्टी को मौका दिया है, हम भी अपनी पार्टी की राय रखना चाहता हैं। आदरणीय शिवराज जी पाटिल बोल रहे हैं कि अगर गलत बात है तो उसे निकालना चाहिए, हम इससे सहमत हैं।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, राष्ट्रीय चेतना संगठन ने एक परिपत्र जारी किया है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब मैंने माननीय मंत्री महोदय का नाम पुकारा है।

...(व्यवधान)

श्री प्रमोद महाजन: वे आपकी बात कभी भी नहीं सुनेंगे*...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, राष्ट्रीय चेतना मंच ने एक परिपत्र जारी किया है जिसमें महात्मा गांधी, पंडित नेहरू और कांग्रेस दल को हिंदुओं का विरोधी होने का आरोप लगाया गया है*...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यदि आप इसी प्रकार बोलते रहे तो अन्य प्राप्त हुई सूचनाओं का क्या होगा। मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूं। अन्य दल भी समय की मांग करेंगे।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, इसका एक अन्य परिपत्र और कुछ प्रपत्र के साथ श्री अशोक सिंघल और श्री तलरेजा द्वारा समर्थन किया गया है*...(व्यवधान)* इससे हमारी धर्मनिरपेक्ष सौहार्दता को खतरा हो रहा है।*...(व्यवधान)* सरकार इसका क्यों संज्ञान नहीं ले रही है*...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब सरकार की ओर से उत्तर दिया जा रहा है।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, यह परिपत्र राष्ट्रीय चेतना संगठन द्वारा जारी किया गया है...*(व्यवधान)* और इसका श्री अशोक सिंघल द्वारा समर्थन किया गया है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाये।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: अब मंत्री महोदय उत्तर देने जा रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यहां समस्या यह है कि यहां सभी दलों के नेताओं को कैसे अवसर दिया जाए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कुमारी ममता बनर्जी के भाषण को छोड़कर कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाये।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण): मैं पहले चन्द्रशेखर जी और कांग्रेस के डिप्टी लीडर शिवराज पाटिल जी ने जो बात कही है, उसका समर्थन करती हूं। विजय कुमार मल्होत्रा जी ने भी तेगबहादुर जी की बात कही है, यह बात भी सच है, जिसको शिवराज पाटिल ने सपोर्ट किया है, पूर्व प्रधानमंत्री चन्द्रशेखर जी ने सपोर्ट किया है। मुझे एक चीज का आब्जैक्शन है, जो शिक्षा को लेकर यहां पार्लियामेंट के अन्दर तालिबानाइजेशन का वर्ड प्रयोग करता है, मैं इसके खिलाफ हूं। इसलिए कि तालिबानाइजेशन और नोर्दर्न एलाइंस कहने का कोई स्थान यहां नहीं है। हमारा देश स्वतंत्र देश है। हमारे यहां सेक्युलरिज्म है। जो लोग तालिबान के समर्थन में कोलकाता में जुलूस निकालते हैं, उनके मुंह से यह शोभा नहीं देता है।...*(व्यवधान)* हम भगवाकरण नहीं चाहते, लेकिन हम लालीकरण भी नहीं चाहते, जैसा कि बंगाल में हो रहा है...*(व्यवधान)* हम लोग धर्मनिरपेक्ष भारत चाहते हैं। माननीय शिवराज पाटिल और माननीय चन्द्रशेखर ने जो कुछ कहा है, उससे कुछ कंफ्युजन पैदा हुआ है, एन.सी.ई.आर.टी. की किताबों से तीन चीजें निकालने पर, तो मैं सरकार से अपील करूंगी कि वह शिक्षा मंत्री जी को कहकर इस पर फुल डिसकशन कराएं। हमारे मन में जो है, तब हम अपने विचार व्यक्त करेंगे। शिक्षा मंत्री जी भी सारी बातों पर स्पष्टीकरण देंगे और यह प्राब्लम साल्व हो जाएगी। आप शिक्षा का राजनीतिकरण नहीं कर सकते।

श्री मोहन रावले: अध्यक्ष जी, हमें भी कुछ बोलना है।

[अनुवाद]

श्री प्रमोद महाजन: मुझे इस संक्षिप्त चर्चा पर उत्तर देने दें। हम इस पर बाद में विस्तार से चर्चा कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले: हम अपनी पार्टी की राय रखना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय: इस तरह से तो हाउस चलाने में दिक्कत आएगी। मंत्री जी जवाब दे रहे हैं।

श्री मोहन रावले: अगर आप अलाऊ करेंगे तो हम बोलेंगे।

अध्यक्ष महोदय: आपका सब्मिशन क्या है।

श्री मोहन रावले: अध्यक्ष महोदय, आदरणीय शिवराज पाटिल और चन्द्रशेखर जी ने जो कहा है, उसमें गलत कुछ भी नहीं है। विजय कुमार मल्होत्रा जी ने जो कहा उसमें भी कुछ गलत नहीं है। जिन लोगों ने राष्ट्र प्रेम से प्रेरित होकर देश के लिए कुर्बानी दी, उनका आदर करना हमारा कर्त्तव्य है।...*(व्यवधान)* इन लोगों को उनके बारे में कुछ कहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि चाइना के साथ वार के समय ये उसके साथ थे। यह इतिहास बदला गया है। अगर इतिहास में गलत लिखा हुआ है, तो वह बदला जाएगा। उसमें किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। इसीलिए जो गलत लिखा गया है, हम उसे बदलना चाहते हैं। चन्द्रशेखर जी ने ठीक कहा कि जिससे माहौल खराब हो सकता है, उस बात को बदल कर सही करना चाहिए। जब भी सरकार कुछ अच्छा करना चाहती है तो इन लोगों को इसमें भगवाकरण की बू आती है। विजय कुमार मल्होत्रा जी ने जो कहा, मैं उसका समर्थन करता हूं।...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री प्रमोद महाजन: अध्यक्ष जी, मैं बहुत विस्तार से तो नहीं बोलूंगा, लेकिन थोड़ा समय जरूर चाहूंगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप भी समय ले सकते हैं। कोई समस्या नहीं है।

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन: आदरणीय शिवराज पाटिल जी ने अपना भाषण शुरू करते हुए कहा कि राजस्थान में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो उन्होंने कुछ इतिहास की किताब में गलत बातें लिखी थीं या कोई गलत बात लिखी हुई इतिहास की किताब पढ़ाने के लिए कहा था। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार वहां आई, तो उसने इसकी जांच के लिए एक समिति का गठन किया। उस समिति ने इसका अध्ययन किया और यह पाया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो पहले सिखा रही थी, वह किताब ठीक नहीं थी। इसलिए इस सरकार ने कहा कि वह किताब न पढ़ाए जाए। इसका तात्पर्य मैं इतना ही निकाल सकता हूं कि अगर किसी कक्षा में कोई गलत बात सिखाई जाती हो, तो वह नहीं सिखानी चाहिए। ऐसा आदेश देने का अधिकार सरकार को है।

श्री बसुदेव आचार्य: किस कमेटी का अधिकार है?...*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन: कितनी बार आप बीच में बोलेंगे?...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: किस कमेटी को रैफर किया गया है?...*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन: इसका अर्थ तो यह हुआ कि इसके दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। एक सरकार एक समिति बिठाकर, अध्ययन करके इतिहास की कुछ बातें अगर गलत पढ़ाई जा रही हैं तो उसको हटा सकती है। स्वाभाविक रूप से यदि दूसरा व्यक्ति यह करे तो सिद्धांत रूप से इस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ...*(व्यवधान)* इसमें सिद्धांत रूप में मैं शिवराज पाटील जी से सहमत हूं। निश्चित रूप से, मैं सोमनाथ दादा जी से भी सहमत हूं।

[अनुवाद]

इतिहास के साथ कोई फेर-बदल नहीं कर सकता है और इसे कोई नए सिरे से नहीं लिख सकता है...*(व्यवधान)* श्री आचार्य यदि आप उत्तर नहीं चाहते हैं तो मैं बैठ जाता हूं। मुझे इसके लिए खेद है। मैं गलत हो सकता हूं लेकिन मुझे अपनी बात कहने दें।

साथ ही साथ, यहां उपस्थित सभी व्यक्ति उनके बारे में जानते थे। हम सभी पढ़े-लिखे व्यक्ति हैं। इतिहास एक अत्यंत ही विवादास्पद विषय है। इतिहास में कई ऐसी बातें हैं जिसका अभी तक कोई अंतिम उत्तर नहीं दिया जा सका है। उदाहरणस्वरूप आर्य कहां से आये। तिलक जी भी इसका निश्चित उत्तर नहीं दे पाये क्योंकि हम लगभग 2000 अथवा 5000 वर्ष पूर्व हुई घटनाओं पर विचार व्यक्त कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से इस प्रकार की बातें होंगी...*(व्यवधान)* क्या मुझे आपकी बात को मानना होगा।

श्री शिवराज वि. पाटील: मैं खड़ा नहीं हो रहा हूं। मैं आपकी बात ध्यान से सुन रहा हूं।

श्री प्रमोद महाजन: धन्यवाद। मैं आपका आभारी हूं, यह कभी-कभी होता है।

अत:, इतिहास में कई ऐसी बाते हैं जिसके बारे में मेरे सहित किसी व्यक्ति का कोई निश्चित मत नहीं हो सकता है।...*(व्यवधान)* फिर यह 'बंगाली लक्षण' क्या है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं।

[हिन्दी]

बसुदेव जी चुप होते हैं तो प्रियरंजन जी शुरू हो जाते हैं।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मैं केवल मदद करने की कोशिश कर रहा था।

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन: आप जैसे दोस्त हों तो दुश्मनों की जरूरत क्या है?...*(व्यवधान)* इसलिए इतिहास की कुछ बातें ऐसी हैं जिन पर किसी ने अंतिम शब्द नहीं किया है और हर किताब के दो-दो चार-चार वर्सन्स होते हैं, कौन राइट है, कौन रांग है, इस बात को दो-चार सदस्य भी बैठकर और वे चाहे कितने बड़े विद्वान हों, तब भी तय नहीं कर सकते और इसलिए मैं शिवराज जी से सहमत हूं। अब कभी-कभार इतिहास में किसी क्षण, कोई किताब हम बच्चों को पढ़ाने को देते हैं। बच्चों को पढ़ाने को देते हैं तो स्वाभाविक रूप से, जैसे चन्द्रशेखर जी ने कहा कि एम.ए. का बच्चा पढ़ रहा है और एक तीसरी कक्षा का बच्चा पढ़ रहा है, जिस कक्षा में जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, उस विद्यार्थी की समझ

[श्री प्रमोद महाजन]

के अनुसार उसको पढ़ाना चाहिए। जिस विवाद पर हम बात कर रहे हैं, अगर सिद्धांत रूप में गलत बातें इतिहास की आई हैं तो उनको हटाना चाहिए। अगर सिद्धांत रूप से किन्हीं महापुरुषों के बारे में गलत बातें लिखी हों तो लिखा नहीं होना चाहिए।

बहुत बार हम लोगों ने किताबों को बैन करने की बात की है और हमने ही की है। हमने ही कहा है कि सलमान रूशदी की फलानी किताब बैन होनी चाहिए। अब वह पढ़ाई तो नहीं जा रही थी लेकिन जो पढ़ेगा, उसी को पता चलेगा लेकिन बहुत बार हमने ही और मैं कहता हूं कि हमने का मतलब एक पार्टी पर मैं आरोप नहीं कर रहा हूं, जैसी सुविधा हो, उसके अनुसार हिन्दुस्तान की सभी राजनीतिक पार्टीज ने कभी न कभी, किसी न किसी किताब पर, किसी न किसी फिल्म पर पाबंदी लगाने की बात की है और हमारी आजादी, हमारा व्यवहार, उसमें हमेशा ही, ''सच यह है कि आप जेरूसलम की किस ओर हैं'' जैसे जेरूसलम की जिस साइड में हम खड़े हैं, उसी साइड में इसका ट्रुथ है, यह डिसाइड करना मुश्किल है। अब ऐसी स्थिति में जिस किताब पर आज हम विवाद कर रहे हैं, सम्मानित सदस्य कह रहे हैं कि यह सर्कुलर विदड्रा करो।...*(व्यवधान)* यह आपका अधिकार है। जैसे राजस्थान सरकार ने कोई समिति बिठाई, अच्छी समिति होगी। वैसे ही शिक्षा मंत्रालय ने भी समिति बिठाई क्योंकि किताबें पढ़ाई जाती हैं और किताबों में कहीं-कहीं दो-चार वाक्य इधर-उधर गलत लिखे रहते हैं तो यह लगता है कि ये गलत लिखे गये हैं और वे लोग सरकार के पास आते हैं। जैसे अगर किताबों में लिखा गया कि जाट तो लुटेरे थे तो स्वाभाविक रूप से बहुत सारी जाट संस्थाएं हैं, उन्होंने आकर कहा कि जाटों को आप लुटेरा कह रहे हैं तो यह गलत है।...*(व्यवधान)*

श्री अवतार सिंह भडाना (मेरठ): हमने भी लिखकर दिया है। गूजरों पर भी लिखा गया है। क्या गूजरों के बारे में जो लिखा गया है, क्या वह भी आप निकालेंगे?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया उन्हें अपनी बात समाप्त करने दें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन: आप मेरी बात सुनेंगे नहीं।...*(व्यवधान)*

श्री अवतार सिंह भडाना: क्या आपने जाटों को निकालने का काम किया है?...*(व्यवधान)*

श्री सुन्दर लाल तिवारी (रीवा): यह तन्त्र-मन्त्र क्या है?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने अभी उत्तर पूरा नहीं किया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाये।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने अपना उत्तर पूरा नहीं किया है। आप कृपया धीरज रखें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन: अध्यक्ष महोदय, आपने बिल्कुल ठीक कहा है, किसी किताब में गुजरों के बारे में कुछ लिखा होगा, मराठों के बारे में लिखा होगा या किसी और के बारे में लिखा होगा कि ये लुटेरे थे, इस बारे में किताबों में नहीं रहना चाहिए और किताबों में से निकालना चाहिए, मैं आपकी इस बात से दो सौ प्रतिशत सहमत हूं। मैं इतना ही कह रहा हूं...*(व्यवधान)* आपने सदन में खड़े होकर मांग की कि गुजरों के बारे में लुटेरे लिखा है, तो उसको किताब में से निकालना चाहिए। यहां खड़े होकर कहता हूं कि बिल्कुल निकालना चाहिए। अगर एनसीईआरटी सर्कुलर निकालती है कि गुजरों के बारे में गलत लिखा है, निकाल दो। यहां खड़े होकर कहा जाए कि हिस्ट्री को चेंज किया है, टैम्पर किया है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि हिस्ट्री में क्या चेंज किया है, क्या टैम्पर किया है?...*(व्यवधान)* आप जिस सर्कुलर की बात कह रहे हैं कि उसको विदड्रा किया जाए, तो उसका अर्थ यह होगा...*(व्यवधान)* दिल्ली की विधान सभा में एक प्रस्ताव पारित करके...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री बसुदेव आचार्य जी।

श्री प्रमोद महाजन: यह मेरे साथ अन्याय है। आपको मेरी बात सुननी होगी। यदि माननीय अध्यक्ष आपको बोलने की अनुमति देते हैं तो आप मेरे बाद बोल सकते हैं लेकिन आपको मेरी बात सुननी होगी।...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

मैं राजनीति में नहीं जा रहा हूं। दिल्ली की विधान सभा ने एक मत से प्रस्ताव पारित करके कहा कि गुरु तेग बहादुर, जिनकी शहादत के कारण आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, को लुटेरा कहते हैं, तो वह किताब से निकाल देना चाहिए। मैं आपसे पूछता हूं, अगर आपकी सुनूं और सर्कुलर वापिस ले लूं, तो कल से बच्चों को यह पढ़ाया जाएगा कि गुरु तेग बहादुर एक हत्यारा और लुटेरा था। क्या आप यह चाहते हैं, हम बच्चों को यह पढ़ायें कि गुरु तेग बहादुर एक लुटेरा था और हत्यारा था। जैसा आप चाहते हैं कि सर्कुलर को विदड्रा करूं, तो इसका अर्थ यह हो जाएगा कि जो जाट थे, वे लुटेरे थे। अगर आप चाहते हैं कि मैं सर्कूलर विदड्रा करूं, तो कहा जाएगा कि जाट लुटेरे थे।

[अनुवाद]

हमने इतिहास के साथ फेर-बदल नहीं किया है। हमने इतिहास को नये सिरे से नहीं लिखा है। हमने केवल उन्हीं अंशों को बाहर निकाला है जिससे भावनाओं को ठेस पहुंचती है। इस परिपत्र को वापिस किए जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी: हम विरोधस्वरूप सभा का बहिर्गमन कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.54 बजे

इस समय, श्री सोमनाथ चटर्जी, श्री मुलायम सिंह यादव और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

श्री शिवराज वि. पाटील: मंत्री महोदय द्वारा मेरा नाम लिया गया है...*(व्यवधान)* मेरा उल्लेख किया गया है...*(व्यवधान)* मैं केवल यही कह रहा हूं कि धर्म और इतिहास देश को विभाजित न करे। हम देश को विभाजित करने और समाज को विभाजित करने के ध्येय पर आपत्ति व्यक्त कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन: आप मुझे इस प्रकार की एक भी पंक्ति दिखा सकते हैं...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील: यही कारण है कि महोदय हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं, यह मुद्दा ऐसा है जिस पर इस सभा में चर्चा किए जाने की आवश्यकता है। हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए।

श्री प्रमोद महाजन: महोदय, वे मंशा को ही चुनौती दे रहे हैं। पहले उन्हें तथ्यों के बारे में बात करनी चाहिए और उसके बाद उन्हें मंशा के बारे में बात करनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, हम संसदीय कार्य मंत्री के उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं। इसलिए, हम भी विरोध में बहिर्गमन कर रहे हैं।

अपराह्न 12.55 बजे

(इस समय, श्रीमती सोनिया गांधी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।)

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले: महोदय, इन्होंने गुरु तेग बहादुर का अपमान किया है।...*(व्यवधान)* हमें इन महापुरुषों से राष्ट्रीय प्रेरणा मिलती है।...*(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा: कांग्रेस की दोहरी चाल साबित हो गई। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रमोद महाजन: अध्यक्ष महोदय, जब मैंने माननीय विपक्ष के नेताओं को तथ्यों के संबंध में चुनौती दी तो वे एक लाइन भी मुझे नहीं बता सके जिससे इस मंशा का पता चलता हो कि सरकार इतिहास को पुन: लिख रही है अथवा सरकार इतिहास बदल रही है।

अब यह 'गोएबल्स' के समान है। इतिहास बदलने का एक भी सबूत दिए बिना, वे आरोप लगा रहे हैं। महोदय, यद्यपि विपक्ष को बहिर्गमन करने का अधिकार है किंतु यदि यह राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के परिपत्र के विरोध में है, तो मैं सोचता हूं कि यह अत्यन्त ही दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि इस परिपत्र से गुरु तेगबहादुर की महानता पुनर्स्थापित होती हैं और इसमें पुन: जाटों को देशभक्त कहा गया है। यदि इस प्रकार के परिपत्रों के विरुद्ध बहिर्गमन किया जाता है तो मैं समझता हूं कि जनता यह फैसला करेगी कि वे किसके हिमायती हैं।

श्री चन्द्रशेखर: अध्यक्ष महोदय, आप इस विषय में मेरा विचार जानते हैं। किन्तु उनके द्वारा 'तालिबानीकरण' शब्द का उपयोग उतना ही आपत्तिजनक है जितना कि संसदीय कार्य मंत्री द्वारा 'गोएबल्स' शब्द का उपयोग हो सकता है। यह गोयबेलियन रणनीति नहीं है। वे शालीन व्यवहार नहीं कर रहे होंगे। यह

[श्री चन्द्रशेखर]

बिल्कुल अलग है। किन्तु यह बात संसदीय कार्य मंत्री की ओर से नहीं आनी चाहिए। इससे इस सभा में सौहार्दपूर्ण माहौल नहीं बनता है क्योंकि वे यहां नहीं हैं और वह कह रहे हैं कि वे गोएबेल्स की भांति व्यवहार कर रहे हैं। इस देश में कोई भी गोएबल्स नहीं हो सकता है और कोई भी तालिबान नहीं हो सकता है। इस देश का हजारों वर्षों का सांस्कृतिक इतिहास रहा है और ऐसे गोएबल्स और ऐसे तालिबान आएंगे और चले जाएंगे किन्तु यह देश अपनी राह पर चलता जाएगा।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, 8 सितम्बर की रात को सेना ने आगरा में 20 क्वार्टर नई आबादी, नौलखा घोसी मोहल्ले में, जहां लगभग 40 वर्ष से बाल्मीकि एवं बघेल लोग बसे हुए थे, उन्हें उजाड़ने का काम किया। हजारों महिलाएं, पुरुष और बच्चे खुले आसमान के नीचे पड़े हैं। ये सब अनुसूचित जाति के बाल्मीकि लोग हैं। न सिर्फ 20 क्वार्टर नई आबादी, नौलखा घोसी मोहल्ले में, अपितु सात मोहल्ले और ऐसे हैं जहां 40-50 हजार की आबादी है। 509 आदमी बेस वर्कशॉप के पीछे दलित बस्ती में, 15 क्वार्टर नई आबादी नौलखा, पांच क्वार्टर बीच का बाजार, लाल कुर्ती बालूगंज, नई बस्ती, रविदास नगर, मोहल्ला चावली और नगला अफोए, ये सब मोहल्ले ऐसे हैं, जिन्हें आईडेंटीफाई कर रखा है, सेना उन्हें भी उजाड़ सकती है।

अपराह्न 12.59 बजे

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

इन लोगों के पास राशन कार्ड थे, मतदाता सूची में इनका नाम था। विद्युत और टेलीफोन कनैक्शन थे और लम्बे अर्से से, तीन-चार दशक से ये बाल्मीकि लोग इन मोहल्लों में निवास करते थे। सेना ने बगैर किसी पूर्व सूचना के इन लोगों को उजाड़ने का काम किया।

अपराह्न 13.00 बजे

उस मौहल्ले में महात्मा गांधी जी और बाल्मीकी की प्रतिमा को तोड़ा और बाल्मीकी बस्ती में रहने वाले लोगों के मकानों को तोड़कर लोगों को उजाड़ दिया गया। यह सब दिल्ली के करीब आगरा में हुआ है। वे लोग खुले आकाश के नीचे शरण लेने के लिए मजबूर हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के नगर-विकास मंत्री श्री लालजी टंडन जी ने कहा था कि बाल्मीकी आश्रम योजना के तहत इन लोगों को बसाने का काम किया जाएगा। लेकिन सरकार की इन लोगों को बसाने में दिलचस्पी नहीं है। एक लम्बे समय विभिन्न बाल्मीकी बस्तियों में जो लोग रह रहे हैं जिनके पास आवास की कोई व्यवस्था नहीं है, उनको उजाड़ने का कुचक्र चलाया जा रहा है। ये जो मौहल्ले उजाड़े गये हैं, अब सरकार की जिम्मेदारी है कि उन लोगों को बसाने और आसरा देने का काम करे। यही निवेदन मुझे करना था।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): उपाध्यक्ष जी, केन्द्र सरकार के सरफेस-ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा हर राज्य में कुछ न कुछ एन.एच. के अंतर्गत सड़कें ली गयी हैं। बिहार में भी एन.एच. के अंतर्गत कई सड़कों को लिया गया है। छपरा से गोपालगंज, छपरा से मोहम्मदपुर वाया जलालपुर, बनियापुर मलमलैया।

उपाध्यक्ष जी, बिहार में विगत दिनों में काफी बाढ़ आई थी। बिहार की आर्थिक स्थिति से आप भी वाकिफ हैं और पूरा सदन भी वाकिफ है। बाढ़ के चलते सारी सड़कें क्षतिग्रस्त हो गयी हैं। छपरा से मोहम्मदपुर वाया बनियापुर जहां पर आवागमन भी अवरुद्ध हो चुका है। लेकिन एन.एच. के अंतर्गत सड़कों के जाने के कारण राज्य सरकार इनके रख-रखाव और मरम्मत पर पैसा खर्च नहीं कर रही है। साथ ही केन्द्र सरकार एन.एच. हो जाने के बाद भी उसके रख-रखाव के लिए पैसा नहीं भेज रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि उस पथ को जो छपरा से मोहम्मद पुर वाया बनियापुर, भगवानपुर है और बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त है, केन्द्र सरकार शीघ्र पैसा मुहैया करवाकर मरम्मत करवाये ताकि लोगों को आवागमन की सुविधा मिल सके।

अपराह्न 1.04 बजे

बांग्लादेश से शरणार्थियों के कथित आगमन के बारे में

[अनुवाद]

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट): महोदय, मैंने सूचना दी थी।

उपाध्यक्ष महोदय: यदि आप बार-बार यह बोलते रहेंगे तो आपके नाम पुकारे जाने की संभावना कम हो जाएगी। आपकी सूचना यहां है, मैं आपका नाम पुकारूंगा।

श्री अधीर चौधरी (बहरामपुर, पश्चिम बंगाल): मैं इस सभा का ध्यान बांग्लादेश की उस घटना की ओर दिलाना चाहता हूं जिससे भारत में शरणार्थियों की लगातार घुसपैठ हो रही है।

वर्तमान सरकार के अधीन बांग्लादेश में तालिबान के अनुयायी काफी दिनों तक भूमिगत रहने के बाद एक बार फिर उभरे हैं तथा उनकी कार्यसूची सब कुछ बांग्लादेश के धर्म निरपेक्ष तत्वों के विरुद्ध है जिसके परिणामस्वरूप अल्पसंख्यक भय और हताशा के कारण भाग रहे हैं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: प्रो. रासा सिंह रावत, कृपया व्यवधान मत डालिए। मैं नहीं चाहता हूं कि आप किसी के भाषण में व्यवधान डालें। कल ही हमने एक संकल्प पारित किया है।

श्री अधीर चौधरी: पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिलों में शरणार्थियों की लगातार घुसपैठ देखी गई है। किन्तु यह अत्यन्त उलझनपूर्ण है कि पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार और केन्द्र सरकार दोनों भारत में प्रवेश कर चुके शरणार्थियों की ठीक-ठीक संख्या नहीं बता रही है। इससे अफवाह को और हवा मिल रही है। यह अत्यधिक चिन्ता की बात है कि इस स्थिति में सीमा सुरक्षा बल के जवान सीमावर्ती क्षेत्रों में बल प्रयोग की नीति अपना रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया यह बताइये कि आप केन्द्र सरकार से क्या चाहते हैं।

श्री अधीर चौधरी: यह सिर्फ सभी कट्टरपंथियों जो सीमावर्ती क्षेत्र में सक्रिय हैं के हाथों को मजबूत कर रहा है।

महोदय, पहले ही कुछ निर्दोष व्यक्ति बिना उकसावे के गोली चलाने वाले सीमा सुरक्षा बल के जवानों की गोली के शिकार हो गए। मेरा इस सरकार को सुझाव है कि सीमा सुरक्षा बल कर्मियों की अत्याचारी प्रवृत्ति पर रोक लगानी चाहिए। दूसरे, बांग्लादेश सरकार के साथ शरणार्थियों के मामले को अत्यन्त गंभीरतापूर्वक और बार-बार उठाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय: इस विषय पर एक और सूचना कुमारी ममता बनर्जी ने दी है।

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण): महोदय, भारत और बांग्लादेश के दोस्ताना सांस्कृतिक और पारंपरिक सम्बन्ध रहे हैं। हम लोग स्वतंत्रता के बाद विभाजित हुए। किन्तु पहले हम एक थे। हाल ही में, राजनीतिक द्वंद्व के बाद और जब से नई सरकार आई है, लाखों अल्पसंख्यक विशेषकर भाषाई अल्पसंख्यक बांग्लादेश छोड़कर भारत के सीमावर्ती राज्यों पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम और मेघालय जाने को विवश हो गए। हमारे देश में उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है। वास्तव में, मैं अपने देश के प्रति कोई अपमान प्रदर्शित नहीं करना चाहती हूं क्योंकि मुझे अपने देश पर गर्व हैं किन्तु यह संदेश राज्य सरकारों तक पहुंचना चाहिए। यह विषय भारत सरकार और बांग्लादेश सरकार से संबंधित है। इसलिए मेरा इस महान सभा से आपके माध्यम से अनुरोध है कि सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए।

संयुक्त राज्य संकल्प 1951 कहता है कि यदि किसी को यातना दी जाती है, यदि उनके जान और माल की सुरक्षा नहीं है और यदि उन्हें उनके देश से जबरन पड़ोसी देश के सीमावर्ती जिलों में जाने के लिये वहां से निकाल दिया जाता है तो उन्हें शरणार्थी माना जाना चाहिए। बांग्लादेश से आने वाले लोग घुसपैठिए नहीं हैं अपितु शारणार्थी हैं, इसलिए सरकार को इस बात पर दबाव डालना चाहिए और राज्य सरकारों को अनुदेश देना चाहिए कि उन्हें शरणार्थी माना जाए तथा उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए। उन्हें कुछ शरणार्थी शिविर स्थापित करने चाहिए ताकि उन्हें सहायता और अन्य अपेक्षित वस्तुएं दी जा सकें। उनके पास सम्पत्ति है और वे वहां आजादी के समय से रह रहे हैं। किन्तु राजनीतिक समस्या के कारण उन्हें जबरन यहां आना पड़ा। चूंकि रमजान चल रहा है, हम बांग्लादेश सरकार को अपना आभार व्यक्त करना चाहते हैं और उनके साथ अच्छे सम्बन्ध स्थापित करना चाहते हैं। इसलिए मेरा दूसरा सुझाव है कि सरकार इस मुद्दे पर आग्रह करती रहे। विदेश मंत्रालय या गृह मंत्रालय या प्रधानमंत्री कार्यालय इस विषय को बांग्लादेश सरकार के साथ उठा सकती है ताकि यथाशीघ्र इसका समाधान किया जा सके।

तीसरे, हाल ही में सीमा सुरक्षा बल की गोलाबारी में एक लड़की की जान चली गई। यदि यह स्थिति जारी रही तो साम्प्रदायिक तनाव बढ़ेगा। यही कारण है कि मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह दलगत भावना से ऊपर उठे और दोनों सरकारों द्वारा इस समस्या का समाधान किया जाये। अन्यथा पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा यही समस्या झेलेंगे तथा बांग्लादेश में हमारे भाई और बहन भी यही समस्या झेलेंगे। हम बांग्लादेश सरकार को बधाई देना चाहते हैं और साथ ही बांग्लादेश और भारत को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। बांग्लादेश सरकार को यह संदेश जाना चाहिए।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदय, सरकार को कुमारी ममता बनर्जी द्वारा उठाए गए विषय का जवाब देना चाहिए।

अपराह्न 1.09 बजे

'द हिन्दू' समाचार-पत्र में प्रकाशित पैगम्बर मोहम्मद तथा हजरत अबू बकर सिद्दीक के कथित व्यंग्य-चित्र के बारे में

[हिन्दी]

श्री अली मोहम्मद नायक (अनंतनाग): जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, इस महीने की 26 तारीख को ''हिन्दू'' अखबार में हजरत मोहम्मद मुस्तफा (स.) और उनके साहबी हजरत अबू बकर सिद्दीक के कई फोटो छापे गए हैं। हालांकि यह अखबार एक मुतब्बर अखबार है। इससे मुसलमानों के जजबात बड़े जबर्दस्त मजरू हुए। कई मुसलमान इस चीज को पसन्द नहीं करते हैं। वह बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि उनके पैगम्बर और उनके साहबी के बारे में फोटो या कैरिकेचर अखबार में छाप दिए जाएं।

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हुकूमते सैंट्रल की नजरों में यह अखबार आया है, यदि आया है तो इस पर आपने क्या इतजामात किये हैं। यह सही है कि हिन्दुस्तान में अखबारों को लिखने की आजादी है लेकिन उस लिखने पर कोई इजाजत नहीं होनी चाहिये जिससे किसी भी मजहब को मानने वालों के जजबात मजरू हों। इसलिये मैं गवर्नमेंट से जानना चाहता हूं कि इस मामले में क्या एक्शन लिया है। अगर नहीं लिया है तो यह एक्शन कब लेने जा रहे हैं?

[अनुवाद]

यह अत्यन्त ही महत्वपूर्ण विषय है। मैं यह जानना चाहता हूं कि भारत सरकार क्या करना चाहती है।

[हिन्दी]

श्री सईदुज्जमा (मुजफ्फरनगर): जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, अखबारों में पैगम्बर हजरत मोहम्मद के बारे में इस तरह से आया है...*(व्यवधान)*

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो मामला उठाया है, उसे मैं संबंधित मंत्री तक पहुंचा दूंगा।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मंत्री जी, आप इस प्रश्न का जवाब दे रहे हैं या इससे पहले प्रश्न का।

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: जहां तक सुश्री ममता जी ने जो मामला उठाया है, वह भी संबंधित मंत्री तक पहुंचा देंगे।

श्री अली मोहम्मद नायक: डिप्टी स्पीकर साहब, हिन्दुस्तान में करोड़ों मुसलमान रहते हैं, उनके जजबात का एहतराम किया जाना चाहिये। इस बात से न सिर्फ हिन्दुस्तान के मुसलमानों बल्कि दुनिया के मुसलमानों के जजबात मजरू हुये हैं। इस पर गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, यह मैं जानना चाहता हूं।

[अनुवाद]

यह अत्यन्त ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। इससे पूरे भारत में कानून और व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि वह इस संबंध में क्या करना चाहती है।

جناب علی محمد نائک (اننت ناگ): جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، اس مہینے کی ۲۶ تاریخ کو "ہندو" اخبار میں حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اور ان کے صحابی حضرت ابوبکر صدیقؓ کے کئی خیالی فوٹو چھاپے ہیں۔ حالانکہ یہ اخبار ایک معتبر اخبار ہے۔ اس سے مسلمانوں کے جذبات بڑے زبردست مجروح ہوئے ہیں۔ کئی مسلمان اس چیز کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ وہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں کہ ان کے پیغمبر اور ان کے صحابی کے بارے فوٹو اخبار میں چھاپ دیئے جائیں۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا حکومت ہند کی نظروں میں یہ اخبار آیا ہے، اگر آیا ہے تو اس پر آپ نے کیا اقدامات کئے ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ ہندوستان میں اخباروں کو لکھنے کی آزادی ہے لیکن اس لکھنے پر کوئی اجازت نہیں ہونی چاہئے جس سے کسی بھی مذہب کو ماننے والوں کے جذبات مجروح ہوں۔ اسلئے میں گورنمنٹ سے جاننا چاہتا ہوں کہ اس معاملے میں کیا ایکشن لیا ہے۔ اگر نہیں لیا ہے تو یہ ایکشن کب لینے جا رہے ہیں؟

This is a very important matter. I would like to know that the Government of India wants to do

جناب سعید الزماں (مظفر نگر): جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، اخباروں میں پیغمبر حضرت محمد ﷺ کے بارے میں اس طرح سے آیا ہے...(مداخلت)

جناب سید شاہنواز حسین (شہری ہوابازی وزیر): جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، معزز ممبر نے جو معاملہ اٹھایا ہے، اسے میں متعلقہ وزیر تک پہنچا دونگا۔

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Minister, you are replying to this issue or the earlier one.

جناب سید شاہنواز حسین (شہری ہوابازی وزیر): جہاں تک ممتا جی نے جو معاملہ اٹھایا ہے، اسے بھی میں متعلقہ وزیر تک پہنچا دونگا۔

جناب علی محمد نائک (اننت ناگ): جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، ہندوستان میں کروڑوں مسلمان رہتے ہیں، ان کے جذبات کا احترام کیا جانا چاہئے۔ اس بات سے نہ صرف ہندوستان کے مسلمانوں بلکہ دنیا کے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ اس پر گورنمنٹ کیا کرنا چاہتی ہے۔ یہ میں جاننا چاہتا ہوں۔

It is very important issue. This will create law and order problems throughout India. I would like to know from the Government what they want to do in this regard.

उपाध्यक्ष महोदय: वह पहले ही कह चुके हैं कि वह संबंधित मंत्री को इसकी जानकारी दे देंगे।

श्री अली मोहम्मद नायक: मंत्री जी यह तो कह सकते थे कि वह इस विषय की पड़ताल करेंगे और उपयुक्त कार्रवाई करेंगे।

[हिन्दी]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): उपाध्यक्ष जी, अभी जो मामला अली साहब ने उठाया है, उस पर तुरंत टिप्पणी करना आवश्यक नहीं हो पाता। यदि संबंधित मंत्री यहां होते तो उनके संज्ञान में आ जाता। अब संबंधित मंत्री के संज्ञान में यह विषय ला दिया जायेगा। इससे पहले ममता जी ने जो विषय उठाया है, निश्चित रूप से संबंधित मंत्री के संज्ञान में लाकर कार्यवाही की जा सकेगी।

[अनुवाद]

श्री अली मोहम्मद नायक: मंत्री जी यह कह सकते थे कि वह इस विषय की जांच-पड़ताल करेंगे तथा उपयुक्त कार्रवाई करेंगे।

अपराह्न 1.12 बजे

'नेशनल जूट मिल्स लिमिटेड' के कर्मकारों द्वारा हड़ताल तथा जूट उद्योग का पुनरुद्धार किए जाने के बारे में

[अनुवाद]

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट): महोदय, इस देश में जूट उद्योग सबसे महत्वपूर्ण और पुराना उद्योग है। किन्तु जूट उद्योग की दशा अत्यन्त दयनीय है। अधिकांश जूट मिल और एन.जे.एम.सी. मिल बंद हो गयी हैं। जूट कर्मकार घोर विपत्ति में हैं। उन्हें अपूरणीय क्षति हो रही है। हजारों जूट कर्मकार राजधानी में इकट्ठे हो गए हैं। वे पूरे देश से राजधानी में आए हैं तथा धरने पर बैठे हैं। वे अपनी मांग पर जोर दे रहे हैं। वे आन्दोलित हैं। वे इस मामले को प्रधान मंत्री और देश के सर्वोच्च मंचों पर उठाना चाहते हैं।

इसलिए, मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि वह इस मामले पर गंभीरता से विचार करे तथा जूट उद्योग के पुनरुद्धार और जूट कर्मकारों की दयनीय दशा को सुधारने के लिए समुचित उपाय करे।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदय, स्व. प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने बिहार और बंगाल में जूट उत्पादों तथा जूट कर्मकारों की दशा देख कर सत्तर के दशक में कुछ मिलों का राष्ट्रीयकरण किया था और उन्हें एन.जे.एम.सी. के अंतर्गत लिया था। इंदिरा जी ने न सिर्फ जूट मिलों का राष्ट्रीयकरण किया था अपितु पूर्वी भारत में जूट उत्पादों के हितों की रक्षा के लिए भारतीय जूट निगम की भी स्थापना की थी। सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा जूट मिल हावड़ा में है।

यह बिहार में अन्य जूट मिलों उड़ीसा के एक जूट मिल तथा बंगाल की अधिकांश जूट मिलों द्वारा समर्थित है। विगत छह वर्षों में यह हुआ है कि जूट मिलों को स्थायित्व प्रदान करने के लिए अनेक पैकेज पेश किए गए हैं। किन्तु किसी भी समय सरकार ने पैकेज को लागू करने के लिए निधियां नहीं दी थी। उनके कुछ अधिकार ले लिए गए हैं। कर्मकार इस पर सहमत हो गए हैं। वे संख्या कम करने पर भी सहमत थे। कलकत्ता में केनीसन जूट मिल लगभग बंद है। बिहार में एक मिल लगभग बंद हैं। माननीय मंत्री जी किशनगढ़ के हैं। यहां बैठे हैं। वह मेरे इस विचार से भी सहमत होंगे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के 30 प्रतिशत ग्रामीण कर्मकार सिर्फ बंगाल के जूट मिलों के समर्थन पर आश्रित हैं। यदि पश्चिम बंगाल से पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांवों, बिहार के गांवों विशेषकर उत्तर बिहार और मध्य प्रदेश के भी ग्रामवासियों का धनादेश नहीं आता है तो वे रोते हैं।

अब स्थिति यह है कि बी.आई.एफ.आर. अपने निष्कर्षों से अपना निर्णय देकर सब कुछ बंद करने का प्रयास कर रही है। भारत सरकार मिलों के पुनरुद्धार के लिए आगे नहीं आ रही है। आज राजधानी में सभी जूट मिल कर्मकार आन्दोलनरत हैं। मुझे यह कहा गया कि माननीय प्रधानमंत्री आज हमारी बात सुनेंगे। यदि जल्द ही एक महीने में कुछ नहीं होता है तो न सिर्फ बंगाल में अपितु पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के एक हिस्से में भी कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती है। इसलिए मैं यह महसूस करता हूं कि यह विषय किसी भी राज्य का नहीं है। यह एक राष्ट्रीय मुद्दा है।

महोदय, मैंने आज सुबह संसदीय कार्य मंत्री से बात की थी तथा उनसे अनुरोध किया कि श्री काशीराम राणा को यहां उपस्थित रहने के लिए कहें। मैंने समय पर सूचना दी थी। संसद सदस्यों के लिए आचार संहिता पर हमने कई चीजों पर चर्चा की। किंतु सरकार किसी भी चीज को गंभीरता से नहीं लेती है। मैं माननीय मंत्री जी को यह बताना चाहता हूं कि कम से कम सरकार को इस सप्ताह हस्तक्षेप करना चाहिए। यदि इस सप्ताह यह नहीं होता है तो, मुझे भय है कि बी.आई.एफ.आर. इस तरह का कदम उठाएगा कि पूरा एन.जे.एम.सी. अस्त-व्यस्त हो जाएगा...*(व्यवधान)*

श्री प्रबोध पण्डा (मिदनापुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बोलने का मौका देने के लिए धन्यवाद करता हूं। मैं माननीय सदस्य श्री अजय चक्रवर्ती द्वारा उठाए गए मुद्दे का समर्थन करता हूं। मैं यहां यह उल्लेख करना चाहता हूं कि विभाजन के समय अधिकांश जूट मिलें हमारे देश के भाग में रही थी। यह सभी को पता है कि जूट मिलों में हजारों मजदूर काम करते हैं। परन्तु, इस समय, अधिकांश जूट मिलों को संकट का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए अधिकांश जूट मिलें अचानक ही बंद होने वाली हैं। कुछ दिनों पहले कलकत्ता के कन्वेंट रोड स्थित एक एन.जे.एम.सी. इकाई को अचानक ही बंद कर दिया गया था और इसके 1500 कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं।

इसलिए महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि सरकार को कामगारों की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए और इस मामले पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। आज देश के विभिन्न भागों से कामगार हजारों की संख्या में राजधानी में आकर प्रदर्शन कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका): उपाध्यक्ष महोदय, गुजरात में रेल लाइनों को मीटर गेज से ब्राड गेज में परिवर्तित करने का काम चल रहा है लेकिन वह काम जिस गति से चलना चाहिए वह उस गति से नहीं चल रहा है, बहुत धीमी गति से चल रहा है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: संबंधित मंत्री जी उपस्थित नहीं हैं। सरकार को इसका उत्तर देना चाहिए...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: वे इस पर गौर कर रहे हैं। मैं उन्हें मजबूर नहीं कर सकता।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: कल हमने यह तय किया था कि सरकार को अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले पर ध्यान देना चाहिए। यदि उस उत्तर को रिकार्ड किया गया है जिसके अंतर्गत यह कहा गया है कि वे संबंधित मंत्री से हस्तक्षेप के लिए कहेंगे तो यह काफी होगा। इससे माननीय सदस्य संतुष्ट हो जाएंगे। अगर हम हस्तक्षेप करते है तो इसे काफी खराब समझा जाता है। यह कामगारों का मामला है। माननीय मंत्री जी को उपस्थित होना चाहिए। मंत्री जी यहां उपस्थित नहीं हैं। हमने नोटिस दिया था। माननीय मंत्री जी इसके बारे में एक महीना पहले जानते थे। वे जानते हैं कि राजधानी में कामगार आ रहे हैं। क्या हो रहा है? मैं नहीं जानता।

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा: क्यों आप हर बात में गवर्नमेंट को कहते हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: गवर्नमेंट को इस पर कुछ कहना चाहिए।

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा: होना होता तो अब तक 50 सालों में बहुत कुछ हो गया होता। अभी हमारा नंबर है, हमें बोलने दें।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: आप जरूर बोलिये, लेकिन मिनिस्टर कुछ कहे तो दें।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): उपाध्यक्ष महोदय, यह जो मामला उठाया गया है, यह संबंधित मंत्री तक पहुंचा दिया जाएगा।

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण): इस पर फुल डिसकशन भी होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय: ममता जी, इस मैटर पर रिस्पान्स भी दिया है।

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा: उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि गुजरात राज्य में रेल लाइन बिछाने का जो कार्य हो रहा है वह बहुत धीमी गति से चल रहा है। मेरी आपके माध्यम से मांग है कि रेल लाइन का कार्य द्रुत गति से करना चाहिए। जितना फंड गुजरात में रेल लाइन बिछाने के लिए आबंटित होना चाहिए वह नहीं हो रहा है जिससे रेल लाइन का काम बहुत समय से लंबित पड़ा है और पिछड़ रहा है। वीरमगांव, मैहसाना, सूरत एवं भावनगर ब्राडगेज का काम जल्दी हो, इसके लिए हम बहुत समय से मांग करते चले आ रहे हैं, लेकिन वह नहीं हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे लोक सभा क्षेत्र के बावला, दौलका एवं धन्धुका और वीरमगांव से बहुत संख्या में व्यापारी लोग मुम्बई एवं अन्य नगरों को जाते हैं, लेकिन बहुत कम आरक्षण का कोटा होने के कारण वे वहां जाने में बहुत कठिनाई महसूस कर रहे हैं और

कोटा बढ़ाने के लिए हमने बार-बार मांग की है, लेकिन रिजर्वेशन का कोटा नहीं बढ़ाया जाता है। परिणामत: लोग बहुत मुसीबत में यात्रा करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिस प्रदेश के रेल मंत्री महोदय होते हैं, वे अपने ही प्रदेश में रेलवे की सुविधाएं बढ़ाते हैं। अभी तक का हमारा यही अनुभव रहा है। जहां और जिन प्रदेशों के रेल मंत्री नहीं होते हैं वे क्षेत्र रेलों के विकास के मामले में पिछड़ते चले जाते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि गुजरात के अंदर रेलवे का जो काम लंबित है उसे शीघ्र पूरा किया जाए।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में यह भी लाना चाहता हूं कि गुजरात सरकार ने भी कोंकण रेलवे की तरह, गुजरात सरकार और प्राइवेट भागीदारी में कार्पोरेशन बनाने का निर्णय लिया है। मेरा आग्रह है कि उसे मान्यता और सहायता प्रदान की जाए।

अपराह्न 1.21 बजे

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की न्यायपीठ की स्थापना किए जाने के बारे में

[हिन्दी]

श्री सईदुज्जमा (मुजफ्फरनगर): आनरेबल डिप्टी स्पीकर साहब, मैं बहुत अहम मुद्दे पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाइकोर्ट की बैंच स्थापित करने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 18 जिलों के वकील पिछले पांच महीने से मुकम्मल हड़ताल पर हैं। हजारों लोग जेलों में हैं। वकीलों की हड़ताल के कारण वे अपने मुकदमे कोर्ट में पेश करने की स्थिति में नहीं हैं और बहुत दिक्कत महसूस कर रहे हैं। वहां के लोगों की ओर से बहुत धरने और प्रार्थनापत्र दिए गए हैं, लेकिन इतने धरने और रिप्रजेंटेशन के बाद भी सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है।

उपाध्यक्ष महोदय, 1986 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने खुद सदन में प्रश्न उठाया था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बैंच स्थापित करना सरकार का अहम मकसद होना चाहिए और मान्यवर किसी भी समय भयंकर स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उनके सवाल के जवाब में तत्कालीन मंत्री महोदय ने कहा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाइकोर्ट की बैंच की स्थापना के मामले को हम नीतिगत रूप से स्वीकार करते हैं और हम महसूस करते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाइकोर्ट की बैंच होनी चाहिए। उसकी वहां बहुत आवश्यकता है और वहां हाइकोर्ट की बैंच की स्थापना हेतु जगह तलाश करने का काम सरकार पर छोड़ दिया गया, लेकिन उसके बाद आज तक इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई।

उपाध्यक्ष महोदय, आज स्थिति यह है कि 18 जिलों में पांच महीने से वकीलों की मुकम्मल हड़ताल हो रही और हजारों लोग जेलों में फंसे हुए हैं। आज स्थिति यह है कि जेलों में भी जगह नहीं रही है। यहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आने वाले माननीय मंत्री श्री गंगवार जी बैठे हैं। वे इस बात को जानते होंगे कि वहां कितनी गंभीर स्थिति है।...*(व्यवधान)*

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): हमारे बरेली मंडल में तो कोई हड़ताल नहीं है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों को भाषण देते समय अध्यक्षपीठ की ओर मुखातिब होना चाहिए और जब वे भाषण दे रहे हों तो मंत्रियों को भी सदस्यों को उत्तर नहीं देना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री सईदुज्जमा: मान्यवर, बहुत अहम बात है। इसलिए मैं मंत्री जी को मुखातिब कर रहा था। इनका यू.पी. से ही ताल्लुक है। यू.पी. के 72 डिस्ट्रिक्ट्स इलाहाबाद में और 12 डिस्ट्रिक्ट्स लखनऊ बैंच में कवर होते हैं। इलाहाबाद और लखनऊ दोनों बैंचें उधर ही हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई भी बैंच नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाइकोर्ट की बैंच के लिए 1955 से प्रयास हो रहा है। श्री सम्पूर्णानन्द जी ने स्वयं इस बात को लिखा था कि मेरठ में एक बैंच होनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद वहां कोई कार्रवाई नहीं हुई। सिर्फ 18 जिले पश्चिमी हाई कोर्ट में कवर होंगे और उसके बाद बाकी 54 जिले ऐसे रह जाएंगे जो इलाहाबाद बैंच में कवर होंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, 1976 में सुप्रीम कोर्ट की कांस्टीट्यूशन बैंच ने यह कहा था कि-

"इलाहाबाद का ही यह विशेषाधिकार नहीं है कि वहीं उच्च न्यायालय हो।"

[श्री सईदुज्जमा]

इसी बात को दुबारा जसवन्त कमीशन ने भी 1983 में रिकमेंड किया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाइकोर्ट की एक बैंच होनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप सरकार से क्या चाहते हैं, वह बताएं?

श्री सईदुज्जमा: उपाध्यक्ष महोदय, 18 जिले ऐसे हैं जहां से हाइकोर्ट की इलाहाबाद बैंच 600 किलोमीटर दूर पड़ती है।

हमारे आस-पास के राज्य जैसे शिमला, चंडीगढ़, जयपुर, जम्मू और कश्मीर, नैनीताल हमारे से करीब ढ़ाई सौ किलोमीटर की दूरी में पड़ते हैं जबकि वैस्टर्न यू.पी. के 18 जिले के लोगों को छः सौ किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। यह वैस्टर्न यू.पी. के साथ बहुत ज्यादती है जबकि यह बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमैंट में भी कही है कि हाई कोर्ट की बैंच जनता की सुविधा को देखते हुए होनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आपका केन्द्र सरकार से क्या आग्रह है?

श्री सईदुज्जमा: केन्द्र सरकार ने खुद इस बात की तसलीम की है और कानून बनाना केन्द्र सरकार का काम है, यह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का मामला नहीं है। केन्द्र सरकार ने यह तसलीम किया है कि यह पूर्ण रूप से हाई कोर्ट बैंच को मानते हैं और इसे तय करना सरकार का काम है और यह सरकार करेगी। अटल जी जब औपोजीशन में थे, राज्य सभा के मैम्बर थे तो उन्होंने 1986 में प्रश्न किया था और उस वक्त के मंत्री ने स्वीकार किया था कि बैंच होनी चाहिए। आज इतनी भयंकर स्थिति हो रही है कि 18 जिलों में हजारों वकील हड़ताल पर हैं और हजारों लोग जेल में हैं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: इसी विषय पर दो और लोगों के नाम भी हैं।

श्री सईदुज्जमा: 50 प्रतिशत केसेज अभी तक पैंडिंग हैं, जो वैस्टर्न यू.पी. के हैं। ऐसी गंभीर स्थिति में मैं चाहूंगा कि मेहरबानी करके आप सरकार से कहें कि वैस्टर्न यू.पी. बैंच की बात को गंभीरता से ले। यह बहुत गंभीर मामला है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: दो और माननीय सदस्य हैं जिन्होंने इसी विषय पर नोटिस दिया है। क्या उनके नाम नहीं बुलाने हैं?

श्री सईदुज्जमा: मैं चाहूंगा कि मंत्री जी हमारी भावना सरकार तक पहुंचा दें कि पांच महीने से वकील हड़ताल पर हैं, हजारों बेगुनाह लोग जेल में हैं, कम से कम इतना आदेश कर दें। ...*(व्यवधान)*

श्री संतोष कुमार गंगवार: यह विषय बहुत गंभीर है। हम भी पश्चिम उत्तर प्रदेश में आते हैं। संबंधित सभी जिलों के बार ऐसोसिएशन के लोग माननीय कानून मंत्री से मिल चुके हैं, मुख्य मंत्री से मिल चुके हैं, हमने भी मिलवाया है, सबसे आग्रह करवाया है कि हड़ताल खत्म की जाए, हड़ताल से बादकारों को नुकसान हो रहा है। अपनी बात उपयुक्त माध्यम से रखी जाए। यह सरकार के ऐक्टिव कंसीड्रेशन में है। मैं संबंधित मंत्री का ध्यान इसकी ओर दिलाऊंगा।...*(व्यवधान)*

अपराह्न 1.29 बजे

बिहार के आर्थिक रूप से पिछड़े जिलों के बारे में

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): उपाध्यक्ष महोदय, 1997-98 में देशभर में समिति बिठा कर सौ ऐसे जिलों का चयन किया गया जो आर्थिक मामलों में सबसे ज्यादा पिछड़े क्षेत्र हैं। सरकार ने रीजनल डिसपैरिटी और रीजनल इमबैलैंसेज को खत्म करने का फैसला किया लेकिन संयोग से कैलकुलेशन में देखा गया है कि सौ जिलों में से ज्यादा जिले बिहार के ही हैं और यह सरकार बिहार के साथ भेदभाव करती है, इसलिए उस योजना को ही ठप्प किए हुए हैं, लागू नहीं कर रही है। मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि किसी देश के एक हिस्से को ज्यादा जिले आ गए, उसके साथ भेदभाव, उपेक्षा और दुश्मनी वाला व्यहार करना, रीजनल इमबैलैंसेज पर आना, इससे देश को खतरा है। बिहार के साथ भेदभाव किया जा रहा है। सभी लोगों ने कहा कि पुनर्गठन के समय आर्थिक पैकेज देना चाहिए। लेकिन एक साल बीत गया, अभी तक एक पैसा नहीं दिया गया। फिर कहा गया कि कर्जा माफ होगा। सारे सांसदों ने प्रधान मंत्री जी के यहां ज्ञापन दिया, राज्य सरकार ने ज्ञापन दिया लेकिन न कर्जा माफ हुआ, न विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। सभी पार्टी के लोगों ने सर्वसम्मत फैसला किया कि एक लाख 79 हजार करोड़ रुपये आर्थिक पैकेज मिलेगा।

बिहार हर साल बाढ़, सुखाड़ से तबाह है। इस तरह से यह सरकार क्षेत्रीय विषमता बढ़ा रही है और भेदभाव कर रही है। हालांकि हमारे 56 सांसद हैं, ये सभी एक दिन तन जायें तो सरकार को ठीक कर सकते हैं, लेकिन एन.डी.ए. के जो सांसद और मंत्री हैं।*... जनता का कोई हित नहीं कर रहे हैं। इसलिए

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

सरकार को खड़े होकर बताना चाहिए कि प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया गया था और मंत्री ने सदन में बयान दिया था कि हम देंगे, क्षेत्रीय असंतुलन के लिए सैल बनाएंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ, 15 नवम्बर, 2000 को एक साल बीत गया।...*(व्यवधान)*

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): यह असंसदीय शब्द है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: इससे बिहार पीछे छूट जायेगा और 'हिन्दुस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। जान व्हिटल ने लिखा है:- बिहार भारत का दिल है।'

श्री सईदुज्जमा: ये कह रहे हैं कि...जो असंसदीय है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: और बिहार के साथ अन्याय हो रहा है, यह संसदीय है? कौन संसदीय शब्द को तय करने वाला है?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मैं उस शब्द पर विचार करूंगा और यदि यह असंसदीय है तो मैं इसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दूंगा।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, वहां प्रिक्योरमेंट नहीं हो रहा है। जहां-जहां एन.डी.ए. की हुकूमत है, वहां प्रिक्योरमेंट हो रहा है और बिहार से प्रिक्योरमेंट नहीं हो रहा है। बिहार के साथ इस तरह से अन्याय हो रहा है। बिहार के साथ झारखण्ड की 8.5 करोड़ जनता के साथ भी अन्याय हो रहा है। हम हिन्दुस्तान का दसवां हिस्सा हैं और इस तरह का अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये इसमें रैस्पोंड नहीं करेंगे और हमने कुछ कड़ा शब्द कह दिया तो इस पर खड़े हो गये, लेकिन हमने जो बिहार का सवाल उठाया है, बिहार को एक पैसा नहीं दिया गया, बिहार की उपेक्षा हो रही है, सारे सांसद बोले, हमने मिलकर प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया था, उस पर क्या हुआ? सरकार बताये कि क्या करने जा रही है और इनको क्या करना है। यह जो भेदभाव है, इस पर रैस्पोंड करने के लिए कोई मंत्री क्यों नहीं उठ रहा है? वे प्रधानमंत्री तक यह सवाल पहुंचाएंगे कि नहीं पहुंचाएंगे, यह बतायें? 60 सांसदों ने मिलकर ज्ञापन दिया है। यह तो कल ही फैसला हुआ है कि जैन्युइन सवाल हम उठा रहे हैं तो सरकार रैस्पोंड क्यों नहीं कर रही है। इसी पर हम लोग अड़ेंगे तो यह होगा कि सदन में हम लोग बाधा पहुंचाते हैं कि सरकार बाधा पहुंचाती है, यह फैसला होना चाहिए, नहीं तो इस तरह से जो चहेते लोग हैं, वे सवाल उठाते हैं तो धड़ से मंत्री खड़े हो जाते हैं, लेकिन हम सवाल उठाते हैं तो संसदीय कार्य मंत्री महोदय भाग गये।...*(व्यवधान)*

श्री राम टहल चौधरी (रांची): अब तो हमें बोलने दीजिए। ...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: आप सरकार के समर्थक हैं, सरकार को क्यों नहीं चेताते हैं। मैंने झारखण्ड का भी सवाल उठाया है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री राम टहल चौधरी, आपसे उनके उत्तर देने के लिए नहीं कहा गया है।

[हिन्दी]

श्री राम टहल चौधरी: यह अगर बोलना बन्द नहीं करेंगे तो हम कैसे बोलेंगे।...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: सरकार रैस्पोंड नहीं कर रही तो हम बैठ जायें क्या? सरकार को इस पर बोलना है कि नहीं सुनकर सरकार टुकर-टुकर ताक रही है। प्रधानमंत्री को हमने ज्ञापन दिया था, इस पर क्या रैस्पोंड हुआ, साल भर बीत गया?...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप कहिये, सम्बन्धित मिनिस्ट्री को भेज देंगे।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: बिहार के साथ अन्याय हो रहा है, इस पर आप लोगों को विचार नहीं करना है? आप लोगों को अच्छा लग रहा है, सरकार बिहार का अपमान कर रही है?...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाइं (बालासोर): आप ही का दुख है और किसी का दुख नहीं है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: इस पर सरकार रैस्पोंड करेगी कि नहीं? सरकार को निदेश दिया जाये, बिना निदेश के यह सरकार मानने वाली नहीं है, संवेदनशीलता खत्म है, संवेदनहीनता हो गई है और डिस्क्रिमिनेशन, पिक एण्ड चूज, उपेक्षा और अन्याय करने का काम यह सरकार कर रही है, क्षेत्रीय विषमता पैदा कर रही है, इसे देखा जाये। बिहार के साथ अन्याय होता है, इस तरह कैसे काम चलेगा और कैसे यहां पर न्याय होगा। यह सर्वोच्च सदन है, यहां न्याय नहीं होगा तो कहां न्याय होगा। आप तो हम लोगों के संरक्षक हैं, देखने वाले हैं, वे क्यों नहीं बोल रहे हैं?

[अनुवाद]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): महोदय, सबसे पहले मैं माननीय मंत्री से संसदीय भाषा बोलने का अनुरोध करूंगा। कल ही हमने प्रस्ताव पारित किया है।

उपाध्यक्ष महोदय: यह आपका दृष्टिकोण नहीं है। इसका फैसला करना मेरा काम है। कृपया ऐसा न करें। अगर यह असंसदीय है, तो मैं उनसे उन्हें वापस लेने के लिए कहूंगा।

श्री संतोष कुमार गंगवार: मुझे खेद है।

[हिन्दी]

मेरा आपसे आग्रह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को उन्होंने पत्र लिखा है। उस पत्र के संदर्भ में प्रक्रिया की जानकारी उनको अवगत है। इस बारे में मैं उनका ध्यान आकृष्ट करूंगा।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: इतना समय हो गया है, लेकिन कुछ हल नहीं निकला।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: डा. रघुवंश प्रसाद सिंह, अब आपको चुप रहना होगा।

[हिन्दी]

श्री राम टहल चौधरी (रांची): उपाध्यक्ष महोदय, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारत सरकार की इंजीनियरिंग परामर्शदाता संस्था मेकान लिमिटेड रांची में स्थित है। सरकार इस संस्था का निजीकरण करने की सोच रही है, जिसका मैं घोर विरोध करता हूं। इसका विरोध पूरे झारखंड क्षेत्र में वहां के अधिकारी और कर्मचारियों की तरफ से भी हो रहा है। मेकान 1978 तक स्टील अथोरिटी का एक भाग रहा है। यह खासतौर पर लौह और इस्पात के क्षेत्र में डिजाइन एवम् इंजीनियरिंग के कार्यकलापों को अंजाम देने के ख्याल से भारत सरकार द्वारा बनाया गया था। देश-विदेश में फैले अपने विशाल नेटवर्क, बौद्धिक क्षमता एवम् विलक्षण अभियांत्रिकी प्रतिभा से प्राप्त अपनी विशिष्ट उपलब्धियों द्वारा, मेकान ने तकनीकी निर्माण के क्षेत्र में राष्ट्र को गौरवान्वित एवं समृद्ध किया है। मगर आज खेद के साथ कहना पड़ता है कि यह संस्था जो बराबर लाभ में रही है, करोड़ों रुपए इससे भारत सरकार को मिलते रहे हैं, इसका निजीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। इस संस्था द्वारा सरकारी केन्द्र सरकार के अनेक अति संवेदनशील प्रोजेक्ट प्रतिरक्षा, अंतरिक्ष, परमाणु आदि क्षेत्रों में काम किया जाता रहा है और अभी भी यह कर रही है। इसके अलावा जितने भी सार्वजनिक संस्थाएं हैं जो जनहित में है, उनका भी कार्य इसने किया है। हम आज भी, इसरो के द्वितीय लंच पैड, जल सेना के सीवर्ड, परमाणु ऊर्जा विभाग के यूरेनियम आदि गोपनीय किस्म के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स को सरकारी क्षेत्र की इंजीनियरी कंसलटेंसी कम्पनी के अलावा निजी क्षेत्र की कम्पनीज के कराना खतरनाक एवं राष्ट्र हित के विरुद्ध साबित हो सकता है। यह संस्था पिछले दो सालों से नुकसान में चल रही है, लेकिन ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं जो नुकसान में जा रही हैं। यह संस्था झारखंड के निर्माण में लगी हुई है। वहां इसके द्वारा अनेक कार्य किए जा रहे हैं। इसके द्वारा नि:शुल्क शिक्षा एवम् सुविधा मुहैया कराने, आदिवासी क्षेत्रों में वहां से संबंधित प्रोजेक्ट जैसे ग्रामीण सड़कें, पुल, विद्युतीकरण, स्वास्थ्य आदि का काम भी यह कर रही है। यह झारखंड में, जो अभी नया राज्य बना है, अवस्थित है।

मैं सरकार से यही आग्रह करना चाहता हूं कि इस संस्था को कम से कम दो साल का समय दिया जाए। इस अवधि में यह अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी। इसलिए इसका निजीकरण करना उचित नहीं होगा। मैं इस संस्था के निजीकरण किए जाने का विरोध करता हूं। सरकार इस पर पुनर्विचार करे और निजीकरण न करे।

[अनुवाद]

श्री वी.एम. सुधीरन (अलेप्पी): महोदय, मैं केरल के संपूर्ण नारियल जटा क्षेत्र द्वारा सामना की जाने वाली अत्यंत गंभीर समस्या को उठाना चाहूंगा। पांच लाख नारियल जटा कामगार, 25,000 नारियल जटा फैक्टरी कामगार और 12,000 लघु उद्योग निर्माता अपनी ज्वलंत समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकारी हस्तक्षेप के लिए आंदोलन कर रहे हैं।

उनकी मुख्य मांगें हैं:

1. 13.5 करोड़ रुपये की रियायत संबंधी बकाया राशि का तुरंत भुगतान और नारियल जटा मैट और मैटिंग सहकारी समितियों, कोयर फेड जैसे लघु उद्योग के उत्पादकों और सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं को गंभीर कठिनाइयों से बचाने के लिए रियायत स्कीम को जारी रखना।

2. फ्लोर मूल्य को समाप्त करने के प्रतिकूल परिणाम को देखते हुए नारीयल जटा और नारीयल जटा उत्पादों के लिए पूर्व फ्लोर मूल्य अर्थात् एम.ई.पी. का पुनर्निर्धारण;

3. खरीद मूल्य का संशोधन;

4. कामगारों के वेतन और अन्य लाभों का संरक्षण; और

5. गुणवत्ता नियंत्रण की पुनर्बहाली।

मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस मुद्दे को आपस में सुलझा लें और नारीयल जटा उद्योग से जुड़े लोगों की समस्या सुलझाएं हैं।

नारीयल जटा क्षेत्र, जिसमें सभी मजदूर संघ शामिल हैं, की कार्यवाही परिषद ने 7 दिसम्बर से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करने का निर्णय लिया है। अत: मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इन समस्याओं को सुलझाने के लिए अविलम्ब कदम उठाएं ताकि हड़तालों को रोका जा सके।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, मैं भी इसका समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं आपको इस मुद्दे से जुड़ने की अनुमति देता हूं।

डा. नीतिश सेनगुप्ता (कोन्टाई): हमने अखबारों में बहुत ही विचलित करने वाला समाचार देखा है कि बी.आई.एफ.आर. बर्नपुर के इस्को को बंद करने का विचार कर रहा है। परंतु मुद्दा यह है कि इस्को को काफी समय से अनदेखा, अनिर्णय, गलत निर्णय और सही वरीयता की सराहना करने की अक्षमता का सामना करना पड़ा है। महोदय, इस्को भारतीय इस्पात उद्योग का गर्व था। उस समय भी जब इस्को का दुर्भाग्यवश राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, मैं दुर्भाग्यवश इसलिए कह रहा हूं कि मैं नहीं समझता कि 1971 में लिया गया यह कोई सही निर्णय था, इस्को उस समय भी लाभांश की घोषणा कर रहा था। यह एक ऐसा मामला है जहां राष्ट्रीयकरण के बाद एक अच्छी तरह चलने वाला निजी क्षेत्र का उपक्रम खराब से और खराब स्थिति में पहुंच गया और पूरी तरह बर्बाद हो गया। महोदय, अगर आप इस समय इस्को का दौरा करते हैं तो आपको वहां के इतने अधिक कुशल और निपुण व्यक्तियों को देखकर धक्का लगेगा कि वे किस तरह मिलकर काम करते हैं। अब आधुनिकीकरण का प्रस्ताव कई वर्षों से लंबित पड़ा हुआ है।

राजीव गांधी की सरकार के दौरान वर्ष 1989 में सारी बातों को, व्यावहारिक रूप से जापानी सहायता से, अंतिम रूप दे दिया गया था। परन्तु, जो सरकार 1989 के चुनाव के बाद सत्ता में आई उसने विभिन्न कारणों से अच्छे प्रस्ताव को ठुकरा दिया। अभी भी जापानियों के सहयोग से इस प्रस्ताव को फिर से लाने में ज्यादा देर नहीं हुई है। जापान काफी मंदी का सामना कर रहा है और उसे इसमें रुचि होनी चाहिए। रूस ने भी इसमें काफी रुचि दिखाई है। मैं स्वयं सोचता हूं कि पावर हाउस, आक्सीजन संयंत्र, मशीनरी के आधुनिकीकरण और सामान उपकरणों के होने से इस्को को बचाया जा सकता है। अन्यथा, यदि बिल्कुल नियमित दृष्टि को लिया जाए जैसा कि पिछले कई वर्षों से किया गया है और जिसके कारण आधुनिकीकरण का काम लम्बित रहा है, मैं समझता हूं कि यह घातक होगा। देश में इस्पात उद्योग के लिए अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी। इस प्रकार, इस्को, बर्नपुर पूरे उप महाद्वीप में एक समेकित इस्पात संयंत्र के लिए सर्वोत्तम स्थल है। इसलिए आधुनिकीकरण के प्रस्ताव में और अधिक विलम्ब नहीं करना चाहिए। सरकार को इस मामले को महत्वपूर्ण समझना चाहिए।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने शून्य प्रहर में यह विषय उठाने की अनुमति मुझे प्रदान की। इस वर्ष अगस्त माह के अंतिम सप्ताह और सितम्बर माह के प्रथम सप्ताह में पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में आई प्रलयंकारी बाढ़ ने लाखों परिवारों को बेघरबार कर दिया। इस वर्ष जब बाढ़ आई तो इस बाढ़ से बचाव के लिए और जो लोग बाढ़ से बर्बाद हुए थे, उनके पुनर्वास के लिए मैंने आदरणीय प्रधान मंत्री जी को पत्र लिखा था कि आप एक केन्द्रीय जांच दल भेजकर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के इलाके में जो बाढ़ से नुकसान हुआ है, उसका आप मूल्यांकन कराएं और मूल्यांकन कराके जो लोग बेघरबार हो गये हैं, उनके पुनर्वास की व्यवस्था करें लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि आदरणीय प्राइम मिनिस्टर साहब को एक नहीं बल्कि दो-दो पत्र लिखने के बावजूद भारत सरकार ने कोई भी केन्द्रीय जांच दल पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के दौरे पर नहीं भेजा जबकि इसी साल उड़ीसा के तटीय इलाके में तूफान आया था और प्रथम किश्त के रूप में सौ करोड़ रुपये और दूसरी किश्त के रूप में 300 करोड़ रुपये उड़ीसा के तूफान पीड़ित परिवारों की मदद के लिए केन्द्र से सहायता दी थी। हमारी यह मांग है कि उड़ीसा को और अधिक मदद मिलनी चाहिए लेकिन अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की उपेक्षा की जाएगी तो निश्चित रूप से इस देश के एक बहुत बड़े जन समुदाय की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की जाएगी।

[कुंवर अखिलेश सिंह]

मैं कहना चाहता हूं कि यू.पी. और बिहार को इस साल भारत सरकार ने एक रुपया भी बाढ़ की विभीषिका से निजात देने के लिए नहीं दिया। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति और क्या होगी कि आज भी लाखों लोग, लाखों परिवार बेघरबार हो गये हैं। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र महाराजगंज का उल्लेख करना चाहता हूं, साथ ही सिद्धार्थनगर और गोरखपुर का भी उल्लेख करना चाहता हूं। इन जमपदों में आज भी हजारों परिवार बेघरबार हैं और खुले आसमान के नीचे जिंदगी बसर करने के लिए मजबूर हैं। यू.पी. की सरकार ने भी मात्र 10,000 रुपये की सहायता कुछ परिवारों को देकर अपने कर्त्तव्य की इतिश्री कर ली है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में जो बाढ़ से नुकसान हुआ है, उस नुकसान की जांच करने के लिए केन्द्रीय जांच दल भेजा जाये और उन परिवारों को मुकम्मल तौर पर बसाने के लिए केन्द्रीय सरकार अधिक धन मुहैया करने की कृपा करे।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): उपाध्यक्ष महोदय, यह अत्यन्त आक्रोश का विषय है। अमरीका के जान-होपकिन्स विश्वविद्यालय के एक वैज्ञानिक ने अमरीकी सरकार या विश्वविद्यालय के अधिकारियों की आज्ञा के बिना, जानवरों पर परीक्षण किए बिना, केरल राज्य में रीजनल कैंसर सेन्टर में 26 मरीजों के ऊपर कैंसर की घातक दवाओं का परीक्षण पिछले वर्ष अप्रैल से लेकर इस वर्ष जुलाई तक किया। यह काम मानवता के विरुद्ध जघन्य अपराध और अन्यायपूर्ण कृत्य है तथा मानदंडों के विपरीत है। यह परीक्षण खोज विश्वविद्यालय के मानकों के अनुकूल नहीं था। क्या चूहों, बिल्लियों और अन्य जानवरों से भी हिन्दुस्तानी गए गुजरे हैं। अमरीका के अन्दर 11 सितम्बर, 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ, तो उन्होंने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। वह राष्ट्रीय स्वाभिमान का तकाजा था और हमारे हिन्दुस्तानियों का इतना भी महत्व नहीं और केरल में कैंसर की घातक दवाइयों का परीक्षण इनके ऊपर किया गया। यह परीक्षण पहले बिल्ली, चूहों और खरगोशों पर करना चाहिए था। यह एक स्थापित प्रक्रिया है। इस नियम का उल्लंघन करके, विश्वविद्यालय की आज्ञा के बिना और अमरीका की सरकार की आज्ञा के बिना केरल के अन्दर आरसीसी में 26 मरीजों के ऊपर परीक्षण किया गया। मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करूंगा कि इसकी जांच होनी चाहिए कि किस संस्था ने उस शोधकर्त्ता को आज्ञा दी। जांच में दोषी व्यक्तियों को दंडित किया जाए और अमरीका सरकार से कड़ा विरोध करके संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।

कुंवर अखिलेश सिंह: महोदय, मैं प्रो. रासासिंह रावत जी की बात का समर्थन करता हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अनादि साहू (बरहामपुर, उड़ीसा): उपाध्यक्ष महोदय, कल सुबह 5.30 बजे पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा जवाहर टनेल, बनीहाल, जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा पिकेट पर हमला किया गया था। इस हमले में, तीन सुरक्षा कार्मिक और एक नागरिक मारा गया था। सात दिन पहले, अम्बान में ऐसा ही हमला किया गया था जिसमें 13 सुरक्षाकर्मी मारे गए।

पाकिस्तान समर्थित आंतकवादियों द्वारा जम्मू-कश्मीर के बीच एक सम्पर्क समाप्त करने की एक गहरी साजिश दिखाई देती है। तालिबान का अफगानिस्तान में विघटन हो रहा है और पाकिस्तान का नैतिक दृष्टि से पतन हो रहा है। ऐसा लगता है कि जो लोग अफगानिस्तान में काम कर रहे थे उन्हें पाकिस्तान समर्थकों, जैसे लश्करे-ए-तोयबा, अल-बदर या जैश-ए-मुहम्मद द्वारा भारत में भेजा जा रहा है। क्या मैं भारत सरकार से अनुरोध कर सकता हूं कि नियंत्रण रेखा पार करने के लिए उपाय करे? मैं यह सुझाव दूंगा कि सरकार यह देखने के लिए उपाय करे कि वे व्यक्ति जो पाकिस्तान से आ रहे हैं उन्हें प्रभावी तरीके से रोका जा सके।

श्री वरकला राधाकृष्णन: हाल ही में त्रिवेन्द्रम के पास अम्बोदी में भूस्खलन हुआ था। जब कुछ लोग सगाई समारोह मना रहे थे तभी अचानक भूस्खलन से 40 लोगों की जानें चली गई। ये निरीह लोग अचानक वर्षा के आंतक से मर गए। अब यह बताया गया है कि केरल के पहाड़ी क्षेत्रों में किसी भी समय कहीं भी यह घटना घट सकती है और लोग काफी कठिन स्थिति में रह रहे हैं। अत: मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि वहां ऐसी स्थिति पैदा होने के कारण का अध्ययन करने के लिए भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण की अध्यक्षता में एक सर्वेक्षण क्योंकि वहां के लोग भूस्खलन के भय से ग्रस्त हैं। अत: उन क्षेत्रों में रह रहे सैंकड़ों लोगों के जीवन को बचाने के लिए निवारक उपाय करने चाहिए।

यह न केवल मानवीय समस्या है बल्कि कमोबेश यह एक पर्यावर्णीय मुद्दा भी है। अत: गंभीर स्थिति को देखते हुए मैं एक बार फिर सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि वित्तीय सहायता देने के लिए राज्य सरकार को मदद के लिए आगे आना चाहिए और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सभी संभव प्रयास करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर): महोदय, नये छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले के गुरु घासीदास विश्वविद्यालय को

केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाने की स्वीकृति प्रदान की जाए। बिलासपुर जिला गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में अनेक प्रकार की पढ़ाई चल रही है- जैसे बायो टैक्नोलाजी, औद्योगिक टैक्नोलाजी, बीएड, एमएड, कम्प्यूटर, मेडिकल कालेज आदि चल रहे हैं। बिलासपुर शहर में रेलवे जौन का मुख्यालय है। नया हाई कोर्ट मुख्यालय, दगोरी में स्पंज कारखाना, अकलतरा सीमेंट का कारखाना, एसीसीएल, कोयले का और कमिश्नर का मुख्यालय है। कोरबा में विद्युत तापगृह, नये छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर राजधानी में बिलासपुर दूसरे नम्बर का शहर है। यह क्षेत्र अनुसूचित जाति एवं जनजाति बाहुल्य है।

अत: केन्द्र सरकार से मांग है कि उक्त परिस्थितियों को देखते हुए गुरू घासीदास विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाने की और बिलासपुर में मेडीकल कालेज खोलने की स्वीकृति प्रदान की जाए।

[अनुवाद]

श्री टी. गोविन्दन (कासरगोड़): महोदय, मैं सरकार का ध्यान केरल के उत्तरी मालाबार क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग-17, विशेषकर कन्नौर और कासरगोड़ जिलों में जो कर्नाटक के काफी पास स्थित है की खराब स्थिति की ओर दिलाना चाहूंगा।

कर्नाटक में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास का कार्य तेजी से चल रहा है। उत्तरी मालाबार क्षेत्र में औद्योगिक और कृषि विकास की समग्र प्रगति राष्ट्रीय राजमार्गों की खराब स्थिति से प्रभावित होती है। सरकार द्वारा वर्षों पहले घोषित विकासात्मक गतिविधियां अभी तक तालीपराम्बा पायानुर, नीलेश्वर क्षेत्रों में शुरू नहीं की गई है। इसके अलावा कासरगोड़ जिले में पालीकारा और पदन्नकड़ में राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित पहले ही अनुमोदित मुख्य आर.ओ.बी. का प्रारम्भिक कार्य अभी तक शुरू नहीं किया गया है। इसके परिणामस्वरूप, इन लेवल क्रोसिंग्स पर सड़क यातायात घंटों तक बुरी तरह से प्रभावित होता है। कोंकण रेलवे शुरू होने के बाद और रेलवे द्वारा अधिक गाड़ियां चलाए जाने से दो रेलवे क्रोसिंग्स लगभग पूरे समय बंद ही रहते हैं। ऐसी परिस्थितियों में, मैं माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा कि दोनों आर.ओ.बी. का काम तुरंत शुरू किया जाए और तालीपराम्बा, पयानुर और नीलेश्वर क्षेत्र स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास के लिए पर्याप्त निधियां स्वीकृत करे।

[हिन्दी]

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। आज सुरक्षा व्यवस्था बहुत नाजुक परिस्थिति में है और कई प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। आर्मी का हैड क्वार्टर खाली दिल्ली में है, इनका उप-मुख्यालय दक्षिण भारत, विशेषत: महाराष्ट्र राज्य में औरंगाबाद या नासिक में महत्वपूर्ण जगह में होना आवश्यक है। नासिक में मिग विमान कारखाना, बड़ी मिलिट्री और कैंटोनमेंट बोर्ड है। वहां बहुत अच्छी सुविधा है।

मेरी आपके माध्यम से भारत सरकार के रक्षा मंत्री से विनती है कि यहां उप-मुख्यालय खोला जाए।

श्री मोइनुल हसन (मुर्शिदाबाद): महोदय, मैं यहां एक अत्यन्त गम्भीर घटना का उल्लेख करना चाहूंगा जो पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्र अर्थात मुर्शिदाबाद, माल्दा, कूचविहार, उत्तर 24 परगना में घटित हुई थी।

महोदय, उन स्थानों में सीमा सुरक्षा के नाम पर हमारे सीमा सुरक्षा बल के जवान सामान्य और निर्दोष लोगों पर लगातार गोलाबारी करते रहते हैं।

महोदय, 17 नवम्बर को शाम को लाल गोला थाना क्षेत्र में बी.एस.एफ. के लोगों ने 11 कक्षा के विद्यार्थी पर गोली चलाई जिसने पिछली सैकेंडरी परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त की थी।

महोदय, मैं यहां यह उल्लेख करना चाहूंगा कि सीमा की सुरक्षा के नाम पर बीएसएफ जवान दोपहर के भोजन के लिए स्कूलों को प्रदान किया गया चावल ले रहे हैं। मुझे इस माननीय सभा को सूचित करते हुए दु:ख हो रहा है कि वे उस क्षेत्र में पशु तक उठा रहे हैं जो क्षेत्र सीमा से काफी दूर है। मैं यह बताना चाहूंगा कि यहां साधारण लोग पश्चिम बंगाल और बंग्लादेश के सीमा क्षेत्रों में बीएसएफ जवानों की इस प्रकार की गतिविधियों से काफी कठिनाईयों का सामना कर रहे हैं। बीएसएफ जवान राज्य सरकार अथवा संसद सदस्य अथवा विधायक अथवा उस क्षेत्र के प्रधान द्वारा जारी किये गए लोगों के पहचान-पत्रों तक को मान्यता देने से इन्कार कर रहे हैं।

महोदय, मैं सरकार से केवल यह अनुरोध करना चाहूंगा कि हमें इस समस्या का उपयुक्त हल निकालना चाहिए। क्योंकि इस क्षेत्रों की स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। बी.एस.एफ. जवानों की इन गतिविधियों से इन क्षेत्रों में साम्प्रदायिक तनाव बढ़ रहा है।

महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय जो यहां उपस्थित हैं से अनुरोध करना चाहूंगा कि वह माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह

[श्री मोइनुल हसन]

मंत्री और अन्य उपयुक्त अधिकारियों को यह सन्देश दे दें ताकि इस समस्या का उचित हल ढूंढ़ा जा सके। सरकार को उस क्षेत्र और स्थानीय प्रशासन के स्थानीय प्रतिनिधियों के साथ बैठकर इस समस्या का हल ढूंढ़ना चाहिए और इस क्षेत्र के लोगों को परेशानियों से बचाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री रघुराज सिंह शाक्य (इटावा): माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारे संसदीय क्षेत्र इटावा के फफूंद रेलवे स्टेशन के पास एन.टी.पी.सी. और बी.एच.ई.एल. दो बड़े उपक्रम चल रहे हैं। लेकिन यहां के रेलवे स्टेशन पर कोई भी मेन एक्सप्रेस ट्रेन न रुकने के कारण यहां के कर्मचारियों और व्यापारियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए मैं रेल मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि यहां पर गोमती एक्सप्रेस और कालका एक्सप्रेस के ठहराव की व्यवस्था करवाई जाए। धन्यवाद।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा अपराह्न 3.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.57 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 3.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 3.02 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 3.02 बजे पुन: समवेत हुई।

[**श्री बसुदेव आचार्य** *पीठासीन हुए।*]

सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

(3) संविधान (तिरानवेवां संशोधन) विधेयक*

(नये अनुच्छेद 21क का अंत:स्थापन)

(अनुच्छेद 45 के स्थान पर नये अनुच्छेद का प्रतिस्थापन तथा अनुच्छेद 51क का संशोधन)

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 2, दिनांक 28.11.2001 में प्रकाशित।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब सभा आज की कार्यसूची की मद संख्या-7 पर चर्चा करेगी। डा. मुरली मनोहर जोशी।

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: श्री वरकला राधाकृष्णन—अनुपस्थित हैं।

प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: अब मंत्री महोदय विधेयक पुर:स्थापित करेंगे।

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी: मैं विधेयक पुर:स्थापित* करता हूं।

श्रीमान, यह बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। हम काफी दिनों की प्रतीक्षा के बाद इसे सदन में प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप इस विधेयक को सर्वसम्मति से पास करेंगे।

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, मैंने इसके पुर:स्थापन करने के लिए आपत्ति दर्ज की है।

सभापति महोदय: श्री राधाकृष्णन, मैंने आपका नाम पुकारा था, लेकिन आप सभा में उपस्थित नहीं थे। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री वरकला राधाकृष्णन: मैं यहां उपस्थित था।

सभापति महोदय: नहीं, आप यहां उपस्थित नहीं थे। आप अभी-अभी आए हैं। मंत्री महोदय, विधेयक पुर:स्थापित कर चुके हैं। अब विधेयक की पुर:स्थापना पर आपत्ति करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें। अब आप विधेयक पर चर्चा के समय अपने विचार प्रकट कर सकते हैं।

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

श्री वरकला राधाकृष्णन: यह उचित नहीं है। इसका प्रावधान नियमों के अधीन है। नियम 72 के अधीन मुझे बोलने का अधिकार है।

सभापति महोदय: मैंने आपका नाम पुकारा था और आप यहां नहीं थे।

श्री वरकला राधाकृष्णन: यह केवल कुछ सेकेन्डों का उत्तर है। मैंने अपनी सूचना पहले ही दी है।

सभापति महोदय: विधेयक पहले ही पुर:स्थापित किया जा चुका है और अब इसे पुन: पुर:स्थापित किये जाने का प्रश्न ही नहीं है आपको जो कुछ भी कहना है आप उसे विधेयक पर चर्चा किये जाने के समय कह सकते हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। जब आपका नाम पुकारा गया था तब आपको सभा में उपस्थित होना चाहिए था।

अपराह्न 3.04 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) उड़ीसा के कालाहांडी जिले में अपर इन्द्रावती परियोजना के लंबित प्रस्तावों को पर्यावरण संबंधी स्वीकृति शीघ्र दिए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री विक्रम केशरी देव (कालाहांडी) महोदय, कालाहांडी जिले में अपर इन्द्रावती परियोजना के सम्बन्ध में पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार के पास लम्बित पड़े सभी वन और पर्यावरण मंजूरी प्रस्तावों को शीघ्र मंजूरी दी जानी चाहिए क्योंकि यह अत्यन्त ही सूखाग्रस्त जिले में विकास की गतिविधियों में अड़चन लगातार आ रही है और नहर निर्माण कार्य रुक गए हैं।

(दो) राजस्थान में लंबित परियोजनाओं तथा आमान परिवर्तन के कार्य को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): सभापति जी, सरकार ने सारे देश में यूनिगेज सिस्टम अर्थात् एक ही गेज की सभी रेल लाइनों को ब्राडगेज में बदलने का निश्चय किया था परन्तु सरकार की नीति में बदलाव आ जाने के कारण राजस्थान में कई महत्वपूर्ण सर्वे की हुई तथा स्वीकृत ब्राडगेज परियोजनाओं को या तो छोड़ दिया गया है अथवा उन पर बहुत ही कम धनराशि रेल बजट में आबंटित की गई है। परिणामस्वरूप रेलवे की दृष्टि से ब्राडगेज परियोजनाओं के विस्तार और रेल लाइन बिछाने की दृष्टि से देश के अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान पिछड़ रहा है। इसका सबसे ज्यादा शिकार दक्षिणी राजस्थान को होना पड़ रहा है। आदिवासी बहुल उदयपुर संभाग रेल सेवाओं के लिहाज से आजादी के बाद से ही पिछड़ रहा है। बांसवाड़ा जिला तो रेल के दर्शन से ही वंचित है। अजमेर से भीलवाड़ा-चित्तौड़-उदयपुर मीटर गेज को ब्राडगेज में बदलने, अजमेर से पुष्कर स्वीकृत नयी ब्राडगेज लाइन बिछाने, रेवाड़ी-रींगस-फुलेरा मीटरगेज को ब्राडगेज में बदलने तथा शेखावाटी अंचल की मीटर गेज को ब्राडगेज में परिवर्तन करना, बांदीकुई-आगरा फोर्ट को वर्षों की प्रतीक्षा के बाद भी मीटरगेज से ब्राडगेज में परिवर्तित करने का कार्य पूरा नहीं हुआ है।

अत:, भारत सरकार से अनुरोध है कि राजस्थान की मीटर गेज से ब्राडगेज में परिवर्तित की जाने वाली स्वीकृत एवं लम्बित योजनाओं विशेषत: अजमेर-चित्तौड़-उदयपुर तथा अजमेर-पुष्कर एवं बांदीकुई-आगरा फोर्ट को अविलम्ब अधिक बजट प्रदान कर उन्हें शीघ्र पूरा किया जाये।

(तीन) उत्तर प्रदेश में गोरखपुर और गोंडा के बीच आमान परिवर्तन कार्य शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता

श्री रामपाल सिंह (डुमरियागंज): सभापति महोदय, हमारा संसदीय जनपद सिद्धार्थनगर बहुत पिछड़ा जनपद है क्योंकि इस जनपद में बड़ी लाइन न होने के कारण बाहर से कोयला, लोहा, सीमेंट सीधे नहीं आ पाता है और कोई बड़े उद्योग-धंधे नहीं लग पा रहे हैं। यहां पर गोरखपुर-गोंडा लूप लाइने का नौगढ़ स्टेशन स्थित जरूर है, परन्तु यहां से कोई सीधी ट्रेन लखनऊ, मुम्बई, दिल्ली के लिए उपलब्ध नहीं है। गोरखपुर, गोण्डा लूप लाइन के आमान परिवर्तन के लिये जब से मैं दसवीं लोक सभा में आया हूं, निरंतर प्रयास कर रहा हूं। बराबर यही उत्तर मिलता है कि इसका काम शीघ्र ही क्लीयरेंस प्राप्त होने के बाद प्रारम्भ किया जायेगा।

योजना आयोग ने इस लाइन का अमान परिवर्तन की स्वीकृति दे दी है। अब रेल मंत्री ने सूचित किया है कि वित्त मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति से स्वीकृति प्राप्त होने के बाद इस लाइन का काम प्रारम्भ कर दिया जायेगा। इस वर्ष बजट में इस लाइन के कार्य के लिये एक करोड़ रुपये का आबंटन है।

अत: मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि इस लाइन के अमान परिवर्तन वित्तीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति से स्वीकृति कराकर शीघ्र काम शुरू कराया जाये।

अपराह्न 3.07 बजे

संविधान (तिरानवेवां संशोधन) विधेयक—*जारी*

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, आप किस प्रकार मुझे मौका देने से मना कर सकते हैं। मंत्री महोदय सुबह उपस्थित नहीं थे...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अब आप इसे किस प्रकार उठा सकते हैं? विधेयक पुर:स्थापित हुआ था और मंत्री महोदय जा चुके हैं। अब आपत्ति उठाने का प्रश्न नहीं है। अब आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदय, आपका विनिर्णय बिल्कुल उचित है। लेकिन उनका कहना भी उचित है। उनका कहना है कि कार्यसूची के अनुसार यह सुबह सदन में उपस्थित थे जब विधेयक पुर:स्थापित किया जाना था। संयोगवश मंत्री महोदय उस समय उपस्थित नहीं थे और यह पुर:स्थापित नहीं किया जा सका। अब इन्होंने सोचा कि वह कुछ आराम से आ सकते हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: जब ये उपस्थित थे तो मंत्री महोदय उपस्थित नहीं थे और जब विधेयक पुर:स्थापित किया गया था तब ये उपस्थित नहीं थे।

...(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन: नहीं, यह प्रश्न नहीं है। विधेयक को सुबह पुर:स्थापित किया जाना था लेकिन मंत्री महोदय उपस्थित नहीं थे। अब मैं अपनी आपत्ति उठाना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री राधाकृष्णन, अब कुछ नहीं किया जा सकता। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन: आप किस प्रकार मेरे अधिकार को छीन सकते हैं। मंत्री महोदय को सुबह उपस्थित होना चाहिए था लेकिन वह उपस्थित नहीं थे, मैं सुबह उपस्थित था...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: लेकिन विधेयक का पुर:स्थापन स्थगित कर दिया गया था।

...(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन: लेकिन मेरी आपत्ति की सूचना आपके पास थी...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन: जब सुबह यह मुद्दा उठाया गया था तो मंत्री महोदय उपस्थित नहीं थे।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय: आपने विधेयक के पुर:स्थापन के विरोध के लिये सूचना दी थी। मैंने आपका नाम भी बुलाया था लेकिन आप सभा में उपस्थित नहीं थे। अत: मंत्री महोदय ने विधेयक पुर: स्थापित कर दिया।

...(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन: प्रश्न यह नहीं है। मंत्री महोदय सुबह उपस्थित नहीं थे।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अब आप विधेयक की पुर:स्थापना पर आपत्ति किस प्रकार प्रकट कर सकते हैं?

...(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन: जब सुबह विधेयक पुर:स्थापित किया जाना था तब मंत्री महोदय उपस्थित नहीं थे।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: उस समय विधेयक के पुर:स्थापन को स्थगित किया गया था।

...(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री वरकला राधाकृष्णन: लेकिन मैं तो उस समय उपस्थित था और मेरी आपत्ति वाली सूचना आपके सामने थी...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: जब आप उपस्थित थे तब मंत्री महोदय उपस्थित नहीं थे और जब मंत्री महोदय उपस्थित थे तब आप उपस्थित नहीं थे। उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): सभापति जी, सुबह मंत्री जी को उपलब्ध रहना चाहिये था लेकिन उस समय वह यहां नहीं थे और श्री राधाकृष्णन के लिये अब एतराज हो रहा है।

सभापति महोदय: ठीक है जब मिनिस्टर नहीं थे तो राधाकृष्णन जी मौजूद थे और जब बिल इंट्रोड्यूस हुआ तो राधाकृष्णन जी नहीं थे, तब क्या करेंगे?

श्री रामजीलाल सुमन: आपने राधाकृष्णन जी को ऐसे ही रोक दिया।

सभापति महोदय: मैंने तो उन्हें बुलाया था, लेकिन वे नहीं थे।

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व): सभापति जी, जब बिल पर डिसकशन हो तो राधाकृष्णन जी को डबल टाइम दीजियेगा।

सभापति महोदय: ओ.के.।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। कृपया सभा का समय बरबाद मत कीजिए। अब हम नियम 377 के अधीन मामलों को जारी रखेंगे।

अपराह्न 3.10 बजे

नियम 377 के अधीन मामले—*जारी*

(चार) मुम्बई में घाटकोपर से अतिरिक्त स्थानीय रेलगाड़ियां चलाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री किरीट सोमैया (मुंबई उत्तर-पूर्व): रेल मंत्री का ध्यान तेज गति की रेलगाड़ियों के मध्य रेलवे के मुम्बई सीएसटी में रात 9.00 बजे के पश्चात् मूलंद पर रोके जाने के प्रावधान की ओर आकृष्ट कराता हूं। घाटकोपर से अतिरिक्त स्थानीय रेलगाड़ियों को चलाने पर विचार किया जाए। नए रेलवे समयसारणी को शीघ्र घोषित करने की आवश्यकता है जो पहले से लम्बित पड़ा है।

(पांच) उत्तर बंगाल के चहुंमुखी विकास के लिए तत्काल कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): उत्तर बंगाल में विकास परिदृश्य सम्बन्धित शीर्षों में निधियों के उपयोग न होने और मूल उद्योग अवसंरचना सहित सड़कें, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी विकास के लिए आवश्यक निधियों के आवंटन न करने के कारण छठी योजनावधि से ही चिन्ता का विषय बना हुआ है। दसवीं योजना पर बहुत तेजी से काम किया जा रहा है और मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि उत्तर बंगाल जिले की समस्याओं पर ध्यान देने के लिए एक विशेष कार्यदल गठित करें ताकि बाढ़ प्रबंधन, सड़क अवसंरचना उद्योग और विद्युत अवसंरचना से सम्बन्धित तीन निर्णायक मामलों को भी सुलझाना है। अत्यधिक पिछेड़पन के कारण उत्तर माल्दा दक्षिण दीनाजपुर और उत्तर दीनाजपुर में आर्थिक असंतुलन व्याप्त है। जब तक योजनाबद्ध दृष्टिकोण से हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों को उनके सामाजिक उत्थान और आर्थिक अवसरों के लिए अपर्याप्त समर्थन दिये जाने के कारण इनसे सम्बन्धित मामलों के कारण उत्तर बंगाल में चिन्ता व्याप्त है। मैं केन्द्रीय सरकार से इस मामले पर ध्यान देने का अनुरोध करता हूं।

(छह) मध्य प्रदेश सरकार को सूखा राहत के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री सुन्दर लाल तिवारी (रीवा): महोदय, इस वर्ष मध्य प्रदेश के 32 जिलों के 22490 ग्राम सूखा प्रभावित हैं। वहां इस वर्ष भयानक सूखे की स्थिति है। लोग पलायन के लिए मजबूर हैं। सूखे से निपटने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अपेक्षित वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं कराई गई है, जिसके कारण सूखाग्रस्त क्षेत्र में रोजगार के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना संभव नहीं हो पा रहा है। इसके अतिरिक्त, पेयजल संकट की दृष्टि से मध्य प्रदेश के सभी 45 जिले समयस्याग्रस्त हैं। पेयजल संकट दिन-प्रतिदिन गंभीर होता जा रहा है।

अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि मध्य प्रदेश को सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पर्याप्त रोजगार के साधन उपलब्ध कराने तथा जल संकट के स्थायी समाधान के लिए मध्य प्रदेश शासन को अपेक्षित आर्थिक सहयोग प्रदान करें।

(सात) कानपुर में टाट मिल पर एक नये रेलवे पुल का शीघ्र निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर): महोदय, कानपुर महानगर की आबादी के बढ़ने के साथ वहां की यातायात समस्या काफी गंभीर हो गई है। टाट मिल चौराहा से दक्षिण कानपुर जाने के लिए केवल एक रेलवे पुल है जो काफी पुराना एवं संकरा है। इसकी वजह से वहां पर सुचारू यातायात का घोर संकट है। वहां पर पुराने रेल पुल के स्थान पर नए पुल के निर्माण के लिए मैं रेल मंत्रालय से निरंतर अनुरोध करता रहा हूं। यहां तक कि राज्य सरकार की ओर से दिये जाने वाले अंशदान को मैं सांसद स्थानीय विकास निधि के अपने कोष से भी दिए जाने का लिखित प्रस्ताव कर चुका हूं, किन्तु सरकार की ओर से इस विषय में कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। इससे वहां पर स्थिति काफी खराब होती जा रही है।

अत:, सरकार से मेरा पुन: निवेदन है कि कानपुर में टाट मिल वाले पुराने रेल पुल के स्थान पर नए पुल का निर्माण यथाशीघ्र कराया जाए जिससे वहां की यातायात समस्या का हल हो सके तथा इसके लिए राज्य सरकार की ओर से किए जाने वाले आर्थिक अंशदान का मैं अपनी सांसद निधि मे योगदान करने को तत्पर हूं।

(आठ) गंडक और कोसी परियोजना चरण-2 को पुन: प्रारम्भ करने के लिए बिहार सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, मैं नियम 377 के अधीन सरकार का ध्यान बिहार में दस लाख हैक्टेयर जमीन में जल जमाव की समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। जल जमाव से मुक्ति के लिए गंडक और कोसी के फेज-दो में प्रावधान था। पूर्व में जल जमाव से मुक्ति के लिए कुछ कार्य भी प्रारम्भ किए गए थे और गंडक एवं कोसी परियोजना फेज-दो का कार्यान्वयन करना था जो अभी तक नहीं हुआ। राज्य सरकार वित्तीय संकट में है।

अत: केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि गंडक और कोसी परियोजना के फेज-दो को पुन: चालू कराने एवं जल जमाव से मुक्ति हेतु केन्द्र सरकार राज्य सरकार को पर्याप्त सहायता प्रदान करे।

(नौ) तमिलनाडु में धर्मपुरी तथा मोरप्पुर रेलवे स्टेशनों पर पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री पी.डी. एलानगोवन (धर्मपुरी): तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले में रेलवे की बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाये जाने की तत्काल आवश्यकता है। सेलम से धर्मपुरी स्टेशन होकर बंगलोर तक एक और सवारी रेलगाड़ी चलाये जाने, पैदल ओवरब्रिज का निर्माण और फ्लेटफार्मों की ऊंचाई उचित स्तर तक बढ़ाकर इसे पूरी तरह आच्छादित करने से धर्मपुरी के लोगों को सुविधा होगी। कोयम्बतूर-चेन्नई इंटरसिटी एक्सप्रेस का मोरप्पुर रेलवे स्टेशन पर ठहराव बंगलोर-तूतीकोरन एक्सप्रेस का धर्मपुरी रेलवे स्टेशन पर ठहराव दिया जाना आवश्यक है। धर्मपुरी शहर के 10 किलोमीटर दक्षिण राष्ट्रीय राजमार्ग सं.-7 पर अदिमामनकुट्टी स्टेशन पर एक रेल ओवर ब्रिज का निर्माण किए जाने की लम्बे समय से मांग की जा रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग सं.-7 पर यातायात जाम होने को रोकने हेतु अदिमामकुट्टी समपार पर रेल ओवरब्रिज का निर्माण किया जाना आवश्यक है। मोरप्पुर और धर्मपुरी रेलवे स्टेशनों पर सभी रेलगाड़ियों के लिए शयनयान/सीटों का आरक्षण कोटा बढ़ाने और इन स्टेशनों पर सभी रेल गाड़ियों का ठहराव बढ़ाने से धर्मपुरी जिले को लोगों की आवश्यकताएं पूरी होंगी।

(दस) मुरादाबाद को दिल्ली तथा मुम्बई से जोड़ने वाली पर्याप्त रेल सेवाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री चन्द्र विजय सिंह (मुरादाबाद): मुरादाबाद को जोड़ने वाली रेल सेवाएं अपर्याप्त हैं। यहां से निर्यात के माध्यम से देश को लगभग 2000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है फिर भी यहां के लिए दैनिक यात्रियों को दिल्ली आने-जाने वाली कोई शताब्दी रेलगाड़ी उपलब्ध नहीं है। जिससे वे उसी दिन वापस आ सकें। इसका मुम्बई के साथ कोई सीधा संपर्क नहीं है और लाइन के उस पार रहने वाले शहर की लगभग आधी आबादी के लिए प्लेटफार्म पर जाने अथवा टिकट काउंटर की कोई सुविधा नहीं है। फरदेही, चकफजलपुर, गोविंद नगर जैसे कई रेल समपार चौकीदार रहित हैं जिससे अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं और लोगों की असामयिक मृत्यु होती है। मैं केन्द्रीय सरकार से इस मामले पर ध्यान देने का अनुरोध करता हूं।

(ग्यारह) पश्चिम बंगाल के पुरूलिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कोटसिला में एक अस्पताल का शीघ्र निर्माण किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री बीर सिंह महतो (पुरूलिया): सभापति महोदय, मैं नियम 377 के अधीन सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र पुरूलिया में बीड़ी श्रमिकों के लिए एक अस्पताल खोले जाने हेतु दिलाना चाहता हूं। इस संसदीय क्षेत्र के कोटसिला क्षेत्र में बीड़ी श्रमिकों के लिए एक अस्पताल स्वीकृत हुए कई साल बीत गए हैं, परन्तु अभी तक सरकार ने उक्त अस्पताल नहीं खोला है। सरकार बड़े-

बड़े शहरों में प्राइवेट अस्पतालों को खोलने हेतु आर्थिक मदद कर रही है। उन्हें सस्ती जमीन और सस्ती दर पर बिजली व पानी दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो स्कूल सरकार ने स्वीकृत किए उन्हें भी नहीं खोल रही है। मेरे संसदीय क्षेत्र में बड़ी संख्या में बीड़ी मजदूर ऐसे माहौल में काम करते हैं जहां समय-समय पर वे बीमार पड़ते रहते हैं।

अत: केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि पुरूलिया के कोटसिला क्षेत्र में बीड़ी मजदूरों के लिए स्वीकृत अस्पताल को शीघ्र खोला जाए।

अपराह्न 3.18 बजे

कम्पनी (संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प और कम्पनी (तीसरा संशोधन) विधेयक

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब सभा मद संख्या 10 और 11 पर एक साथ विचार करेगी।

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

> "कि यह सभा 23 अक्तूबर, 2001 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित कंपनी (संशोधन) अध्यादेश, 2001 (2001 का संख्यांक 7) का निरनुमोदन करती है।"

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

> "कि कंपनी अधिनियम, 1956 में और संशोधन करने हेतु विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री अजय चक्रवर्ती: कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2001 का उद्देश्य शेयरों की पुनर्खरीद प्रक्रिया को और अधिक उदार करने की है। इसका अमरीका में सितम्बर 11 को अमेरिका पर हुए आतंकवादी हमले की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण मुद्रा बाजार की खराब स्थिति को सुधारने का भी उद्देश्य है।

महोदय, अब किसी कंपनी को इसकी 'पेड अप' शेयर पूंजी के 10 प्रतिशत तक शेयरों की पुनर्खरीद करने की अनुमति होगी। उन्हें प्रबंध बोर्ड की मंजूरी से एक मुक्त भंडार रखने की भी अनुमति दी जायेगी। पूर्व में यह शेयरधारकों के एक विशेष संकल्प से किया जाना संभव था। यह स्वतंत्र और लघु शेयरधारकों के हितों और शेयरधारकों के बीच लोकतंत्र की अवधारणा के प्रति हानिकारक सिद्ध होगा।

महोदय, यह सच है कि पुनर्खरीद कंपनी के लिए शेयरधारकों को मूल्यों में वृद्धि करके लाभ पहुंचाने का एक सही तरीका है। लेकिन भारतीय शेयर बाजार की अनिश्चित परिस्थिति के मद्देनजर शायद यह संभव नहीं होगा कि पुनर्खरीद के पश्चात् शेयरों के मूल्य में वृद्धि हो। इससे शेयरधारकों को हानि होगी।

आईसीआईसीआई, यूटीआई इत्यादि जैसी कई वित्तीय संस्थायें उनके पास 1,00,000 करोड़ रुपए मूल्य की अलाभकारी परिसंपत्तियां होने के कारण लगभग अस्तित्वहीन और कार्यहीन हैं।

अत: मैं मंत्री महोदय से एक व्यापक विधेयक लाने और लघु शेयरधारकों के हितों के लिए बकायों की वसूली करने हेतु कदम उठाने का अनुरोध करता हूं। हमारे देश में शेयर बाजार कई शेयर घोटालों के कारण पहले से ही कमजोर है। अर्थव्यवस्था में 'ब्लैक ट्यूजडे' के पूर्व गिरावट आ रही थी। अमरीका पर 11 सितम्बर को हुए आतंकवादी हमले से यह और भी बदतर हुई है। अत: मैं समझता हूं कि इस उपाय से बाजार में सुधार नहीं आयेगा। मैं समझता हूं कि अध्यादेश के माध्यम से विधान बनाये जाने की कोई आवश्यकता नहीं था। इसीलिए मैंने सांविधिक संकल्प लाकर इस विधेयक का विरोध किया है।

श्री अरुण जेटली: महोदय, कंपनी (तीसरा संशोधन) विधेयक, 2001 जिसे शुरू में अध्यादेश के रूप में प्रख्यापित किया गया था, का उद्देश्य शेयर बाजार में वास्तविक सुधार करने और शेयर बाजार में प्रत्यक्ष रूप से मेहनत से अर्जित धन का निवेश करने वाले निवेशकों को सहायता पहुंचाने का है। यह एक मानी हुई बात है कि इस वर्ष के आरम्भ से विगत कई महीनों से बाजार की स्थिति असंतोषजनक रही है और विशेषरूप से मार्च के मध्य से शेयर बाजार में गिरावट आनी शुरू हुई है।

11 सितम्बर के पश्चात् विश्वभर के शेयर बाजार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। अत: जहां तक भारत का प्रश्न है शेयर बाजार पहले से ही प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो चुका था और इसमें और अधिक गिरावट आयी। इन सभी का प्रभाव निवेशकों पर पड़ा है जिन्होंने किसी विशेष दर पर शेयरों की खरीद की है हालांकि इस शेयर को बुक करने का मूल्य अधिक होने के बावजूद इसका बाजार मूल्य कम हो सकता है। यदि निवेशक इन शेयरों की आज बिक्री करें तो उन्हें इसका कम मूल्य मिलेगा और बाजार में और

[श्री अरुण जेटली]

अधिक गिरावट आयेगी। इस स्थिति से निपटने हेतु विभिन्न कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। सरकार द्वारा कुछ कदम उठाए गए हैं और यह संशोधन भी इस दिशा में एक कदम है।

वर्ष 1999 में कंपनी अधिनियम की धारा 77 के उपबंध में संशोधन करके धारा 77क जोड़ी गई थी। कंपनी अधिनियम के अंतर्गत प्रारंभिक अवधारणा यह थी कि शेयरधारक किसी कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं लेकिन कोई कंपनी अपने शेयरों की खरीद नहीं कर सकती थी। यह मूल अवधारणा थी। निगमित शासन की अवधारणा और कंपनी के प्रबंधन में विश्वभर में परिवर्तन हुए हैं। इसमें वृद्धि हुई है, यह तैयार हुई है और वर्ष 1999 में कंपनी अधिनियम में किए गए संशोधन के माध्यम से कंपनियों को 25 प्रतिशत तक अपने शेयरों के पुनर्खरीद की अनुमति दी गई। पुनर्खरीद का प्रभाव यह है कि यदि आपके पास कंपनियों के लाभ अर्जित करने के कारण व्यापक भंडार है और इसमें प्रतिवर्ष होने वाले लाभ के कारण कुछ वृद्धि भी हो रही है, यह भंडार कंपनी के पास है लेकिन इन शेयरों का बाजार मूल्य इसे बुक किए जाने के मूल्य से अत्यधिक कम हो रहा है।

कंपनियां अपने शेयरों की पुनर्खरीद हेतु इन भंडारों का उपयोग करती हैं, बाजार में परिसमापन में वृद्धि करती है, इससे शेयर के मूल्य में वृद्धि होती है और लघु निवेशकों को मूल्य वृद्धि होने के कारण अधिक मूल्य की प्राप्ति होने लगती है अन्यथा उन्हें अपने शेयरों की बिक्री करने की अवस्था में अत्यधिक कम धनराशि की प्राप्ति होगी। जहां तक उन शेयर धारकों का प्रश्न है जो कंपनी का शेयर जारी रखते हैं जिनकी धारक क्षमता लघु निवेशकों से कहीं अधिक है क्योंकि पुनर्खरीद करने पर शेयर धारक आधार भी कम होता हैं उनकी प्रति इकाई मूल्य में भी वृद्धि होती है। अत: विश्वभर में पुनर्खरीद की अनुमति दी जा रही है। भारत में, 1999 में कंपनी अधिनियम में संशोधन किए जाने के पश्चात्, हमने कंपनी की शेयर पूंजी में 25 प्रतिशत तक की पुनर्खरीद करने की अनुमति दी। लेकिन पुनर्खरीद की प्रक्रिया हेतु हमने यह प्रक्रिया निर्धारित की थी कि आपको पुनर्खरीद करने हेतु कंपनी अधिनियम के अंतर्गत एक विशेष संकल्प पारित किए जाने की आवश्यकता है। इस विशेष संकल्प को किसी कंपनी की वार्षिक आम बैठक में 75 प्रतिशत बहुमत से पारित किए जाने की आवश्यकता है।

इस संशोधन से पुनर्खरीद के प्रावधान को और अधिक सरल बनाया गया है अर्थात् 25 प्रतिशत की अधिकतम सीमा बहाल रखी गई है। इस संशोधन का एकमात्र प्रभाव यह है कि कंपनियों को 25 प्रतिशत की पुनर्खरीद की अनुमति दिए जाने में से इसके 10 प्रतिशत की पुनर्खरीद शेयरधारकों द्वारा विशेष संकल्प पारित करने का इंतजार किए बगैर कंपनी के प्रबंध बोर्ड द्वारा पारित एक संकल्प के आधार पर किया जा सकता है। इससे प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाया जा रहा है।

हमने प्रावधानों को और अधिक सरल बनाने हेतु दो और संशोधन जोड़े हैं इसका प्रभाव यह है कि यदि आपने अपने शेयरों की पुनर्खरीद कर ली है तो आपको और अधिक पुनर्खरीद करने हेतु पूरे एक वर्ष (365 दिन) तक इंतजार करना होगा। इसका तीसरा संशोधन यह है कि आप भंडार सुरक्षित होने पर ही पुनर्खरीद कर सकते हैं। मूल संशोधन में यह शर्त थी कि आपको कंपनी की पूंजी दो वर्षों तक प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी गई थी। हमने उसे बदल दिया है और कहा कि आप के पास जारी करने के लिए अन्य दूसरा इश्यू नहीं है ताकि छ: माह की अवधि में कम्पनी के लिए पूंजी जुटाई जा सके। यही संशोधन किया गया है। इस संशोधन का एकमात्र प्रयोजन यह है कि 1999 के संशोधनों के अनुसार दी गई अनुमति के अंतर्गत हम शेयरों के 10 प्रतिशत की पुन: खरीद के लिए आसान प्रक्रिया बना रहे हैं। इसका प्रभाव यह होगा कि शेयर पूंजी के 10 प्रतिशत को कम्पनी द्वारा आसान प्रक्रिया द्वारा पुन: खरीदा जा सकता है। इससे शेयरों के मूल्यों में वृद्धि होगी। इससे उन छोटे निवेशकों को सीधे सहायता मिलेगी जो अपना शेयर बेचना चाहते हैं और यह उन निवेशकों को भी मदद करेगी जिनके पास स्वामित्व क्षमता है, जिसके स्वामित्व में शेयर हैं जो मूल्यों को बढ़ा देते हैं। इसका सीधा प्रभाव कुछ अन्य कदम उठाकर देखा जा सकता है। इस अध्यादेश के आने के बाद तथा कुछ अन्य उपायों को किए जाने के पश्चात् बाजार जो 2600 संवेदी सूचकांक तक नीचे आ गया था, उसमें एक महीने में 700 अंकों का इजाफा हुआ। यह सकारात्मक लक्षण है और मैं सदन के माननीय सदस्यों को यह बताना चाहूंगा कि यह प्रक्रिया का सरलीकरण है और यह बाजार में तेजी लाने की प्रक्रिया में भी सहायक होगा। जो छोटे निवेशकों को भी मदद करता है और इसलिए इस संशोधन का समर्थन किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय: प्रस्ताव स्वीकृत हुआ:

"कि यह सभा 23 अक्तूबर, 2001 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित कम्पनी (संशोधन) अध्यादेश, 2001 (2001 का संख्यांक-7) का निरनुमोदन करती है।"

"कि कम्पनी अधिनियम 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन (शिवगंगा): सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने इस संशोधन के बारे में अत्यन्त सुखद स्थिति का वर्णन किया है। वास्तव में इस व्यवस्था से हम अत्यन्त डरे हुए हैं क्योंकि यह छोटे निवेशकों के ऊपर गंभीर प्रहार हो सकता है। एन.डी.ए. सरकार द्वारा वैश्वीकरण की प्रक्रिया शुरू किए जाने के दिन से ही छोटे निवेशकों की रक्षा किसी भी तरह नहीं की गई है।

जब डा. मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे तो काफी निवेश किया गया था। मैं आंकड़े तक दे सकता हूं। 1994-95 के दौरान पब्लिक इश्यू के माध्यम से जुटाई गई पूंजी 13,300 करोड़ रुपये थी। यह पूरी राशि शतप्रतिशत इक्विटी थी। 2000-01 में यह राशि घटकर 6,600 करोड़ रुपये हो गई जिससे 63 प्रतिशत ऋण कवर होता है और इक्विटी 37 प्रतिशत बनती है। वर्तमान स्थिति यही है। लेकिन माननीय मंत्री जी का कहना है कि उन्होंने बाजार के रुझानों का ध्यान रखा है और इसलिए वे इसे घटाना चाहते हैं और इसे खोलना चाहते हैं। लेकिन इसे किसके लिए खोलना है? इस प्रश्न का जवाब माननीय मंत्री को देना है।

इसी कारण सरकार अध्यादेश लेकर आई है। संविधान के अनुच्छेद 123 में उन परिस्थितियों का वर्णन है जिनके अधीन अध्यादेश प्रख्यापित करके कानून बनने की आवश्यकता पड़ती है। अब आवश्यकता क्या है? यह आवश्यकता किसने उत्पन्न की और अध्यादेश लाने के लिए लॉबी किसने तैयार की जबकि दो सप्ताह के अंदर इसे विधेयक के रूप में संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता था। सरकार ने अध्यादेश के अधीन इसे लाने की पहल क्यों की? इसका जवाब दिया जाना चाहिए क्योंकि राष्ट्र महसूस करता है कि यह सरकार भारतीयों को विशेषकर छोटे निवेशकों तथा उन लोगों के हितों की रक्षा नहीं कर रही है जिन्होंने बड़ी कम्पनियों में अपने धन का निवेश किया है। इससे पता चलता है कि यदि आप कम्पनियों में धन का निवेश करते हैं तो आप समृद्ध होंगे। इसीलिए हम बैंकों का ब्याज घटा रहे हैं और हम बचत बैंक ब्याज घटा रहे हैं। सभी लोगों ने, जो पेंशनभोगी और अधिक आज अर्जित करने वाले है, शेयरों में धन लगाया है। अथवा सम्पत्ति 5 वर्ष पहले खूब पनप रही थी लोगों ने अपनी परिसम्पत्ति बेच दी और अपना धन शेयरों में लगाया। धन जो पहले बैंकों में था उसे इन कम्पनियों में लगाया गया लेकिन क्या हुआ?

शेयर मूल्य गिर गए। संसद के समक्ष कई घोटालों का पर्दाफाश हुआ है। संयुक्त समिति द्वारा जांच-पड़ताल कराके वे सच्चाई का पता लगा रहे हैं। स्थिति यह है। इस स्थिति में सरकार को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करना चाहिए कि वह यह विधेयक लाने में सदाशयी है यह कोई छोटा संशोधन नहीं है। यह ऐसा संशोधन है जिससे एम एन सी अनुषंगी कम्पनियों के सारे शेयरों को खरीद सकेगा जिनके पास 40 प्रतिशत और इससे कम का स्वामित्व है। 1970 में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की अनुषंगी कम्पनियों का गठन किया था लेकिन उस समय सरकार ने मजबूर किया था कि उनके पास 40 प्रतिशत से कम की धारिता होनी चाहिए। यदि वे इसे स्वीकार नहीं करते हैं तो उन्हें इससे अलग होना पड़ेगा। 1970 में इस प्रकार की धारणा थी। यहां उनके लिए मौका है। एम एन सी 11 सितम्बर की घटना के बारे में चिन्तित नहीं है। यह उद्देश्यों में बिल्कुल सम्बद्ध नही है। इससे भी पहले, एम एन सी उनकी अनुषंगी कम्पनियों को जो सूचीबद्ध थी और जिनका शेयर बाजार में मूल्य बहुत कम था, पुन: खरीद के लिए आगे आई। उन्होंने इन्हें खरीदना शुरू किया। उन्होंने इसे अध्यादेश के आने से पूर्व उनके प्रस्ताव को उद्धृत करके और कम राशि करके शुरू कर दिये थे उन्होंने छोटे निवेशकों से सारे शेयर खरीद लिये थे।

मैं कुछ आंकड़े देता हूं और एक उदाहरण भी देता हूं। मैसर्श फूलर इण्डिया विदेश धारिता वाली कम्पनी है। यह कम्पनी 21 अप्रैल, 1998 को निकाल दी गई थी लेकिन यह फिर वापस आ सकती है और वे 93.2 प्रतिशत तक शेयर खरीदना चाहते हैं। इसके बाद वे बाकी के 8.6 प्रतिशत शेयर छोटे निवेशकों से खरीद लेते हैं। अत: अब अधिग्रहण उनके लिए सस्ता है। वे यहां पूरा धन निवेश करना चाहते हैं देश के पूंजीपति को अलग रखकर वे बाजार से धन निकाल कर आसान तरीके से पूरा धन इसमें निवेश कर सकते हैं। देश के पूंजीपति भी इससे परेशान हो रहे हैं। उन्हें एम एन सी द्वारा अब मजबूर किया जा रहा है कि वे अपना कारोबार और व्यापार छोड़कर जाएं। इसीलिए मैं यहां अनुरोध करूंगा कि यह एक साधारण संशोधन नहीं है बल्कि इसका अत्यन्त गंभीर प्रभाव होगा।

मैं सरकार का ध्यान इस कारण की ओर दिलाना चाहूंगा कि वे पुन: खरीद की ओर क्यों अग्रसर हुए हैं। मंत्री महोदय ने पहले ही इसे स्पष्ट कर दिया है। जब प्रबन्धन सोचना है कि उनके स्टाक का कम मूल्य है तो वे आ सकते हैं। अन्य कारण है जिसमें प्रवर्तन अपनी जेब से खर्च किये बिना उनके दाम को बढ़ाने में समर्थ होंगे। वे अपनी बचत को खर्च करना चाहते है उसका निवेश करना चाहते हैं और अपने स्वयं के स्टाक का मूल्य बढ़ाना चाहते हैं। यही मंशा हो सकती है। लेकिन यहां इसका एकदम उलट है। यहां जो हुआ है, प्रवर्तक शेयरहोल्डरों को खुली छूट देकर उनके दावों को भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही, सरकार के हाथों से कुछ करों को समाप्त कर दिया है। किस प्रकार? यदि वे वास्तव में उसे लाभांश के रूप में दे रहे हैं अथवा यदि इसे वह उन्हें बोनस शेयर के रूप में दे रहे हैं तो उन्हें

इस लाभांश के लिए कर अदा करना पड़ेगा। लेकिन यहां, कराधान के बिना वे पूरे शेयरों को खरीदकर निश्चिन्त होना चाहते हैं जो छोटे निवेशकों के हाथों में है और वे गरीब लोग हैं।

मैं सुझाव देना चाहता हूं कि कुछ कम्पनियों के लिए जो बाजार में शेयरों की खरीद में वास्तव में इच्छुक हैं इसे घटाकर एक वर्ष करना अच्छा है। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह कृपया शेयरधारकों के हितों की रक्षा करे। इक घोटाला हो चुका है सेबी ने जांच की है और सूचीबद्ध कम्पनियों की अनियमितताओं के खिलाफ 9000 पृष्ठों की रिपोर्ट दायर की है। इस अध्यादेश के प्रख्यापित होने से पहले, कई कम्पनियों ने अलग-अलग तरीके से शेयर खरीदने शुरू कर दिये हैं। ब्रिटानिया कम्पनी, सीमेन्स, बाम्बे ड्राइंग, जी ई शिपिंग, रिलाइन्स इन्डस्ट्रीज, स्टरलाइट ओपटिकल, केसोराम इन्डस्ट्रीज, लखानी और एक्साइड इन्डस्ट्रीज ने उनके शेयरों की पुन: खरीद करनी शुरू कर दी है। यह कम्पनियों को शेयर धारकों की पहुंच में बाहर कर देगी क्योंकि यह अपरिसमापन निवेश बन जाता है। और उन्होंने अपनी खुद की कम्पनियां बनाई हुई हैं जो साधारण शेयरधारकों के लिए समापन बन जाती है। मैं सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि जब वे विधि को अधिनियम करती हैं तो उनकी नजर छोटे निवेशकों पर होती है जिनका कम्पनी में कोई अधिकार नहीं है। अब, वह समाप्त हो गई है। अब आप को अन्य मामलों को लाने के लिए पहले के 12 महीनों के बजाय छ: महीने दिये जा रहे हैं। यह सितम्बर निकल गया है। फिर ऐसा सितम्बर नहीं आएगा। आप छ: महीने के पश्चात् शेयरों को ही अनुमति देते हैं क्या बाजार उन्हें खरीदेगा? सरकार को अपने कानूनों द्वारा विश्वास पैदा कराना पड़ेगा। यह कानून, मैं समझता हूं, कुछ अच्छी कम्पनियों को मदद करेगा। लेकिन इसके साथ ही कई खराब कम्पनियां हैं जो भारतीय कम्पनियों को बन्द कराने के मार्ग हैं। एम एन सी और विदेशी निवेशक प्रत्यक्ष रूप के बजाय अप्रत्यक्ष रूप से इसमें प्रवेश चाहते हैं। क्या यह अध्यादेश लाने का यही कारण है? मैं सरकार से इसका स्पष्टीकरण लेना चाहूंगा।

मैं यह बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि अधिनियम कुछ कम्पनियों के लिए सहायक होगा लेकिन अधिकतर कम्पनियों को परेशानी उठानी पड़ेगी और एम एन सी समृद्ध होगा।

श्री अनादि साहू (बरहामपुर, उड़ीसा): सभापति महोदय, मैं कम्पनी (तीसरा संशोधन) विधेयक 2001 का समर्थन करता हूं। जैसाकि माननीय मंत्री ने बताया है कि कमजोर बाजार स्थिति ने अध्यादेश जारी करने में सहायता की है। बाद में सदन के समक्ष यह विधेयक लाया गया है। उन्होंने मंगलवार अर्थात् 11 सितम्बर के बारे में बिल्कुल ठीक ही कहा है जब पूरे विश्व के बाजार में उथल-पुथल मच गई थी। उससे पहले भारत को शेयर बाजार में कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा था। जैसाकि कारोबार मौहाल समय-समय पर और बड़ी तेजी में बदल रहा है, इक्विटी के रिटर्न पर बढ़ते हुए दबाव पर सरकार का ध्यान खिचा हैं और समय-समय पर माननीय मंत्री द्वारा संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं और लाए गए हैं। मैं माननीय मंत्री जी को पुन: बधाई दूंगा। हमने कई कम्पनी संशोधन उपबन्धों को पारित किया है। वर्ष 1999 में पहला प्रमुख संशोधन, जैसाकि मंत्री जी ने बताया है, धारा 77(क) था जहां शेयरों की पुन: खरीद के लिए उपलब्ध थे। शेयरों की पुन: खरीद पर सुनिश्चित करने के लिए अच्छी है कि कम्पनी को अधिक पेरशानी न हो और कम्पनी शेयरों को पुन: खरीद सके। इसीलिए यह संशोधन लाया गया। उस विशेष संशोधन अर्थात् 77 (क) में, सीमा 25 प्रतिशत निर्धारित की गई थी। अब 10 प्रतिशत शेयरों के लिए प्रक्रिया में यह सुनिश्चित करने के लिए तबदीली लाई गई है कि पुन: खरीद के 10 प्रतिशत के लिए कम्पनी को विस्तृत प्रक्रिया में से गुजरने की आवश्यकता नहीं है। यह बहुत अच्छा उपाय है। मैं इस उपाय के विस्तार में नहीं जानना चाहता हूं। मैं मात्र तीन कारकों की तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा जिसे बाद की स्थिति में ध्यान में रखना होगा। पहला कारण है जब निदेशक मंडल कोई संकल्प पारित करे तो यह उचित होगा कि 10 प्रतिशत शेयरों की पुन: खरीद अनंतिम आधार पर होनी चाहिए। यह एक सुझाव है। मैं नहीं जानता क्या इसे स्वीकार किया जाएगा अथवा नहीं, क्योंकि बाद में यहां-वहां कुछ समझौते करने पड़ते हैं। दूसरा जब पुन:खरीद का सोचा जाता है तो शेयर के मूल्य को भी निश्चित कर लिया जाये। अन्यथा इससे समस्याएं उत्पन्न होंगी। बाजार मूल्य को भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। तीसरा, जब 25 प्रतिशत के लिए प्रस्ताव पारित किया जाता है तो मंत्री महोदय ने कहा है कि सदस्यों की निश्चित संख्या को उसमें शामिल किया जाना चाहिए।

हमें यह भी बताना चाहिए कि गणपूर्ति होनी चाहिए या नहीं। यह कोई विशेष प्रकार का संकल्प नहीं है यह एक सामान्य प्रकार का संकल्प ही है। अपनी ही कम्पनी या सहायक कम्पनियों के शेयरों की पुन: खरीद करने के लिए इसे चाहे गणपूर्ति की आवश्यकता हो या नहीं कम्पनी अधिनियम के अनुसार सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के द्वारा बताया जाना होता है। यदि इन बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता तो बाद में कठिनाई होती है। वास्तव में क्रास प्रति शेयर धारिता को लाना होता है। यह देखना आवश्यक है कि बाजार मंदा न हो और शेयर बाजार सही रहे चाहे भारतीय कम्पनियों द्वारा कितनी ही कठिनाईयों का सामना किया जा रहा हो।

इन्ही शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और मैं इस संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, मैं संशोधन विधेयक का विरोध करता हूं। जब इस सभा में 1999 में संशोधन पुर:स्थापित किया गया था तो मुझे याद है कि सरकार ने यह शपथ ली थी कि आर्थिक स्थिति सुधरेगी और शेयर बाजार में सुधार होगा। वित्त मंत्री ने इस सभा में इसी बात का आश्वासन दिया था। हमने इसका विरोध इसलिए किया था क्योंकि कम्पनी अधिनियम 1956 में पुन:खरीद के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं था। उदारीकरण, वैश्वीकरण और तथाकथित सुधार प्रक्रिया के कारण, वे हमें बता रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में आर्थिक स्थिति का सामना करने के सामान्य उद्देश्य से, वे कम्पनी नियम में पुनर्खरीद की व्यवस्था करना चाहेंगे। इस उद्देश्य के लिए सरकार ने सभा को यह आश्वासन भी दिया कि यह प्रदत्त पूंजी का 25 प्रतिशत तक होगा। यह आश्वासन दिया गया था। विधेयक पारित हो गया था। यह अधिनियम बन गया था। अब, वे और संशोधन के लिए एक विधेयक ला रहे हैं। उस संशोधन में यह प्रावधान था कि किसी भी पुनर्खरीद का निर्णय शेयर धारकों की महासभा की बैठक के समर्थन से होगा। यह स्थिति थी। अत: सामान्य शेयरधारकों को ऐसी निर्णय लेने की प्रक्रिया में अधिकार दिया गया था। हमारा यह ख्याल था कि चूंकि सामान्य शेयरधारक को यह जानने का मौका दिया गया है कि वास्तव में क्या हो रहा है यह कंपनी को खराब से बदतर होने से बचाने के लिए सुरक्षा और सावधानी का काम करेगा। स्थिति में सुधार नहीं हुआ। अब, माननीय विधि मंत्री यह कहते हुए एक नया संशोधन लाए हैं कि महासभा की बैठक के इस निर्णय को वापस ले लें जिसकी शेयरों की 10 प्रतिशत पुनर्खरीद के लिए आवश्यकता नहीं है। 10 प्रतिशत शेयरों के पुनर्खरीद के लिए सामान्य शेयरधारकों को निदेशक मंडल को प्राधिकृत करने की आवश्यकता नहीं है। वे आसानी से निर्णय ले सकते हैं और उसे लागू कर सकते हैं। अगर सामान्य शेयरधारकों को निदेशक मंडल की दया पर छोड़ा जाता है, जिनमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों, बहुत बड़े उद्योगपति, शामिल होते हैं, तो ये सभी व्यक्ति निदेशक मंडल में आ जाएंगे। स्वाभाविक रूप से वे उन हितों से शासित होंगे न कि गरीब लोगों के हितों से। बोर्ड द्वारा ऐसे निर्णय लिए जाने से शेयरधारकों को खतरा हो जाएगा। प्रावधान बदल गया है। मेरा तर्क यह है कि हम एक कुचक्र में फंसे हुए हैं। क्या हम शेयर बाजार को नियंत्रित या प्रभावित कर सकते हैं? क्या कोई सुरक्षा है? क्या इस कानून में ऐसा कोई उपबंध है जो यह कहता हो कि शेयर का मूल्य सुरक्षित रहेगा? यहां ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। कम्पनी के शेयरधारक अंतर्राष्ट्रीय बाजार की दया पर होने हैं जहां हमारा बिल्कुल नियंत्रण नहीं होता। अब वहां दस प्रतिशत की सीमा है। परन्तु वे इस सभा से यह कहते हुए एक और अध्यादेश लाएंगे कि सामान्य शेयरधारकों द्वारा संकल्प पारित किये बिना भी 25 प्रतिशत की सीमा को समाप्त किया जाये। वे फिर आएंगे क्योंकि हम कुचक्र में हैं। कोई गारंटी नहीं है। इसकी कोई सुरक्षा नहीं है कि शेयर का मूल्य कायम रहेगा। मंत्री जी, क्या आप यह कर सकते हैं? क्या आप सभा को उस सुरक्षा का आश्वासन दे सकते हैं और क्या महासभा की बैठक के निर्णय के बिना ऐसा निर्णय लेने के बाद भी शेयर का मूल्य सुरक्षित रहेगा? कोई भी इसका आश्वासन नहीं दे सकता। वर्तमान स्थिति यही है। इसीलिए, मैंने शुरू में ही कहा है कि हम एक कुचक्र में चल रहे हैं। यह कुचक्र 1999 में तब शुरू हुआ था जब कम्पनी (संशोधन) अधिनियम पारित हुआ था जिसने 25 प्रतिशत की पुनर्खरीद की सुविधा दी थी। उन्होंने हमारे कम्पनी नियम के बुरे दिन शुरू किए थे। जब भी कोई संचय या किसी कम्पनी के संबंध में लाभ या आय होती है वह कमोवेश लाटरी की भांति लगाई जाती है। कुछ लोग लाटरी में निवेश कर रहे हैं। पुनर्खरीद के नाम से खुले बाजार में संचय या लाभ को लगाया जाएगा। जो कुछ हमने आय के रूप में प्राप्त किया है उसे शेयर बाजार में पुनर्खरीद के रूप में लगाया जाएगा। वास्तव में इससे कोई आर्थिक स्थिति या आर्थिक स्थिरता नहीं जुड़ी है। इस प्रकार का कुछ नहीं है। यह बाजार में जुआ ही है। कम्पनी के निदेशक कानूनी या आर्थिक सुरक्षा के बिना ही बाजार में जुआ खेल रहे हैं। नुकसान गरीब शेयरधारकों को ही होगा। कम्पनी के शेयरधारक नुकसान में रहेंगे।

ऐसा दूसरी बाद हुआ है कि वे ऐसा, उपाय लेकर आगे आ रहे हैं। जब वे इस सभा में कम्पनी अधिनियम की धारा 77क में संशोधित करने के लिये 1999 के संशोधन के साथ आए थे तो हमें पूरा विश्वास हो गया था कि भविष्य में ऐसी ही स्थिति पैदा होगी। न्यूयार्क के विश्व व्यापार केन्द्र पर हमला ही एकमात्र कारण बताया जा रहा है। विश्व व्यापार केन्द्र पर हमले और भारतीय कम्पनियों के शेयरों की पुनर्खरीद की प्रक्रिया में क्या संबंध है? कोई सीधा संबंध नहीं है। परन्तु विश्व व्यापार केन्द्र पर हमले की आड़ में उन्होंने इस सभा को नजरन्दाज करते हुये एक अध्यादेश जारी किया है और अपनी सुविधा और उन बहुराष्ट्रीय कम्पनियां जो भातीय कंपनियों को नियन्त्रित कर रही हैं की सुविधा के लिए पूरे कम्पनी नियम को बदल दिया है। वे गरीब तथा सामान्य शेयरधारकों की कीमत पर ऐसा संशोदन चाहते थे।

इसीलिए मैं यह मानता हूं कि यह एक दूरगामी संशोधन है। 1999 में किया गया संशोधन और भी दूरगामी था जिसने पुनर्खरीद शेयरों को प्राधिकार दिया। इसीलिए मैंने कहा है कि यह खुले बाजार में कम्पनी के पूर्ण संचय को जुए पर लगाना है। वे अब एक और संशोधन लाये हैं। वे किसी प्रतिबंध के बिना संकल्प

[श्री वरकला राधाकृष्णन]

लाना चाहते हैं। इस संकल्प के अंतर्गत, कम्पनी के निदेशक को बिना किसी प्रतिबंध के यह करने की अनुमति दी जानी चाहिए। उनकी सुविधा के लिए, उन्होंने अवधि को भी कम कर दिया है। प्रथम संशोधन के अनुसार इस अवधि को 365 दिनों तक कर दिया गया है। वे और एक संशोधन लाए है जिससे 12 महीनों को कम करके एक महीना कर दिया है। यह जुए के अलावा कुछ नहीं है। यह भारतीय पूंजी को शेयर बाजार में जुए पर लगा रही है और सामान्य शेयरधारकों को खतरे में डाल रही है। यह बहुत ही बड़ी असफलता है। हमारा यही अनुभव है। मुझे विश्वास है कि इस संशोधन से शेयर बाजार में सुधार करने या शेयर बाजार के मूल्य को बनाए रखने में किसी तरह से मदद नहीं मिलेगी।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस विधेयक का विरोध करने के लिए बाध्य हूं क्योंकि यह कम्पनी अधिनियम और कम्पनी कानून को बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। मुझे विश्वास है कि वे निकट भविष्य में जब भी एक और संकट होगा तो एक अन्य संशोधन विधेयक लाएंगे। वे यह कहते हुए एक अन्य संशोधन लाएंगे कि यह इसका इलाज है परन्तु यह शेयर बाजार में जुए के अलावा कुछ नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं एक बार फिर इस विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति (विशाखापत्तनम): सभापति महोदय, कम्पनी (संशोधन) विधेयक, 2001 को कम्पनी (संशोधन) अध्यादेश, 2001 (2001 की संख्यांक 7) के स्थान पर लाया गया था। इस अध्यादेश को सत्र के आरम्भ होने से एक महीना पहले इस आधार पर लाया गया था कि इससे शेयर बाजार को बढ़ाने में सहायता मिलेगी। परन्तु मुझे आशंका है कि क्या शेयर बाजार को इस अध्यादेश से बल मिला या नहीं। परन्तु बाजार मूल्य दर्शाते हैं कि ऐसा बल नहीं मिला।

दूसरी बात यह है कि बाजार बहुत धीमे से आगे बढ़ रहा है परन्तु इस अध्यादेश से जो आशा थी उस हिसाब से नहीं। दूसरे शब्दों में, यह छोटे शेयरधारकों के शेयरों के धन को लगाने का एक अप्रत्यक्ष तरीका है क्योंकि कम्पनी को दस प्रतिशत शेयरों की पुनर्खरीद के लिए शेयरधारकों के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। बोर्ड का संकल्प मात्र ही इसके संचय तथा अधिशेष से दस प्रतिशत तक शेयर खरीदने के लिए काफी है। जो 25 प्रतिशत तक दिया गया है उसे भी कम्पनी 365 दिनों के बाद खरीद सकती है। इसके अलावा वे दस प्रतिशत और का संकल्प जारी कर सकते हैं तथा फिर तीसरे वर्ष में यह और पांच प्रतिशत तक हो सकता है। इस प्रकार, कम्पनी शेयरधारकों के पास जाए बिना ही शेयर धारिता का 25 प्रतिशत खरीद सकती है। यह उन संशोधनों में से एक संशोधन है जिसकी इस विधेयक में व्यवस्था की गई है।

श्री अरुण जेटली: यह केवल दस प्रतिशत है।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति: जी, नहीं।

अन्य संशोधन के अनुसार, कम्पनी छह महीने के अंदर ऐसे इक्विटी शेयर जारी कर सकती है? परन्तु वे छह महीने बाद तुरन्त ही पुन: क्यों खरीदते हैं? इसके अलावा, कम्पनी उन शेयरों को जारी कर सकती है या ऐसे इक्विटी शेयरों को जारी करने का प्रयास कर सकती है जिन्हें बाजार में लाया गया है। मैं समझ सकता हूं कि दस प्रतिशत शेयरों की पुनर्खरीद बाजार में तेजी लाने या बाजार में शेष शेयरधारकों को अधिक मूल्य देने या बाजार में परिसमापन में सुधार के लिए होती है। मंत्री जी यह कहना चाहते हैं कि ये कुछ ऐसे कारण हैं परन्तु पुनर्खरीद की प्रक्रिया से कम्पनी में परिसमापन प्रभावित नहीं होनी चाहिए।

छह माह के भीतर खरीद-बिक्री को सुगम बनाने के लिए वे पुन: शेयरों को जारी करने का प्रयास कर रहे हैं यह चक्रीय-प्रभाव है, क्या माननीय मंत्री मुझसे सहमत हैं अथवा नहीं? यह शेयरों के बोनस मुद्दों के विरुद्ध कार्य करता है क्योंकि खरीद-बिक्री किसी न किसी रूप में प्रभावित होती है। उच्च लाभांश की संभावना भी प्रभावित होती है। ये कुछ मुद्दे हैं परन्तु शेयर धारक पूरे प्रकरण में के केवल दर्शक ही बना रहेगा क्योंकि उच्च मूल्य के कारण कम्पनी सर्वदा लघु शेयर धारिताओं को अर्जित कर सकती है तथा अंतत: कंपनियां काफी संख्या में शेयरधारकों द्वारा चलाई जाएगी। इस संशोधन का यह भी एक प्रभाव होगा। तथापि यह पूरे विश्व में व्यापार का एक हिस्सा है और हम भी इसी प्रकार के व्यापार को अपने देश में अपना रहे हैं। यह ठीक है यदि बोर्ड संकल्प के साथ शेयरों की 10 प्रतिशत 'आफ लाडिंग' के द्वारा बाजार को बढ़ाया जा सकता है, जो 10 प्रतिशत तक सीमित है, परन्तु बोर्ड संकल्प के 10 प्रतिशत से अधिक के साथ यह नहीं होना चाहिए। मैं यह भी चाहता हूं कि माननीय मंत्री यह सोचें कि क्या बाजार में इन इक्विटी शेयरों को जारी करने में 24 महीने के बजाय कम करके 6 माह करना आवश्यक है।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): सभापति महोदय, कंपनी संशोधन अध्यादेश 23 अक्तूबर को आया जबकि संसद का सत्र 19 नवम्बर से शुरू होना था और 29 अक्तूबर को इसकी सूचना सांसदों को दे दी गई थी। पिछले सत्र के समय भी हमने इस प्रकार अध्यादेश जारी करने का विरोध किया था। सरकार का अधिकांश मामलों में अध्यादेश लाने का जो तौर-तरीका है, मैं ऐसा

समझता हूं कि यह संसद का अपमान है। संसद का सत्र शुरू होने वाला था तो निश्चित रूप से इसे संसद में ही लाना चाहिए था। आनन-फानन में यह अध्यादेश लाया गया। मुझे लगता है कि कुछ कम्पनियों को लाभ पहुंचाने के लिए ऐसा किया गया। जब मंत्री जी जवाब दें तो बताएं कि 23 अक्तूबर से 29 अक्तूबर के बीच शेयर बाजार में कितना उछाल आया और इन छः दिनों में कितना लाभ अर्जित हुआ? वह इसकी जानकारी अवश्य दें। आपने कहा कि प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए और निवेशकों को सहूलियत देने के लिए यह अध्यादेश लाया गया है और खास तौर पर 11 सितम्बर के बाद अमेरिका में जो आतंकवादी हरकत हुई, उससे शेयर बाजार में मंदी आई। शेयर बाजार में उछाल लाने का यह एक प्रयास था। मैं समझता हूं कि 1998-99 में भी इस तरह का एक प्रयास हुआ था। सेबी का कहना है कि केवल 44 मामलों में बाईबैक हुआ और शेयर बाजार व्यापार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अरुण जेटली साहब शेयर बाजार में मंदी का कारण आतंकवाद नहीं है। उसका कारण वित्तीय संस्थाओं के प्रति अविश्वास की भावना है। आज आम निवेशकों का विश्वास इनसे उठ गया है। 236 कम्पनियां ऐसी हैं जो छोटे निवेशकों का पैसा लेकर भाग गई। यह सरकार उनका पैसा दिला नहीं पाई। जब तक वित्तीय संस्थाओं के प्रति अविश्वास की भावना रहेगी। तब तक शेयर बाजार की हालत सुधर नहीं सकती। आर्थिक घपलों को दुरूस्त करने का जब तक आप काम नहीं करेंगे तब तक कोई बड़ा लाभ इसमें होने वाला नहीं है।

अपराह्न 4.00 बजे

सभापति जी, मुझे शंका है कि सरकार द्वारा जिस तरह से यह अध्यादेश लाया गया है और वह जिस तरह से प्रयास कर रही है, उससे कोई अच्छे परिणाम आने वाले नहीं हैं।

अतः समाजवादी पार्टी इस विधेयक का विरोध करती है।

[अनुवाद]

डा. नीतिश सेनगुप्ता (कोन्टाई): महोदय, मैंने सूचना दी हुई है।

सभापति महोदय: आप कल बोल सकते हैं। चूंकि नियम 193 के अधीन चर्चा शुरू करने में अब केवल एक मिनट का समय शेष रहा है और इस कारण आप केवल एक मिनट बोल सकते हैं।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): सभापति महोदय, क्या संविधान संशोधन विधेयक को कल विचार हेतु लिया जाएगा? *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: यह निर्णय अध्यक्ष महोदय द्वारा लिया जाएगा।...*(व्यवधान)*

अपराह्न 4.01 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

किसानों के समक्ष आ रही समस्याए—*जारी*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब हम अगली मद संख्या 12 अर्थात् नियम 193 के अधीन चर्चा करेंगे।

श्रीमती प्रेनीत कौर

श्रीमती प्रेनीत कौर (पटियाला): सभापति महोदय एवं सभा के सम्माननीय सदस्यगण वर्ष 1960 के दशक के मध्य में हमने हरित क्रान्ति को देखा था। इस हरित क्रांति में पंजाब की अहम भूमिका थी तबसे अब तक इसने केन्द्रीय पूल चावल उत्पादन का 42 प्रतिशत और गेंहू का 64 प्रतिशत अंशदान किया है। हमारे राज्य के कुल क्षेत्र के 84 प्रतिशत फसलाधीन है तथा फसल सघनता 194 प्रतिशत है।

जबकि कृषक अत्यधिक श्रम कर रहे हैं तथा पूरे देश के लिए खाद्यान्न का उत्पादन कर रहे हैं उनकी आर्थिक स्थिति लगातार खराब हो रही है। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के वार्षिक प्रतिवेदन 2001 के अनुसार, धान के उत्पादन की लागत 720 रु. है जबकि न्यूनतम समर्थन मूल्य 520 और 560 के मध्य है। यह सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य भी समाप्त करना चाहती है। इस संबंध में पूरी प्रणाली गड़बड़ा जाएगी और यह खतरनाक ही नहीं होगा परन्तु हरित क्रान्ति के बाद की सरकारों द्वारा किए गए प्रत्येक वायदे के यह विरुद्ध होगा।

जब देश को आवश्यकता थी कृषकों ने हमेशा देश के लिए बहुत अच्छा उत्पादन किया है तथा इस सरकार द्वारा जरूरत के समय इसे छोड़ना मुझे लगता है कि यह प्रत्येक वायदे को तोड़ रही है। तथा यह हमारे देश की कमर तोड़ देगा।

अपराह्न 4.02 बजे

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव *पीठासीन* **हुए]**

कृषकों की इस दशा के लिए कृषि उत्पादों, आदानों जैसे डीजल, उर्वरक जो खेती की आवश्यकताओं का आधुनिकीकरण करते हैं में वृद्धि करना जिम्मेदार है तदनुसार, कृषक ऋण के जाल

[श्रीमती प्रेनीत कौर]

में फंसे हैं। पंजाब के कृषकों पर कुल 5700 करोड़ रु. का कर्ज है तथा इस ऋण का 63 प्रतिशत अत्यधिक ब्याज दर पर कमीशन एजेन्टों को देय है। कृषकों के ऊपर ब्याज का भार 1200 करोड़ प्रति वर्ष तक है।

गोदाम भरे पड़े हैं तथा कृषकों की समस्या यह है कि उनके खाद्यान्नों और नकद फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है तथा बाजार में कृषि उत्पादों में गिरावट है। यह समस्या यहां तक गंभीर है कि हमारे देश के ऋण से ग्रस्त किसान देश के विभिन्न भागों में आत्महत्या कर रहे हैं वर्ष 1998 में पंजाब में आत्महत्या के 421 मामले प्रकाश में आये है। वर्ष 1999 में 463 मामले तथा वर्ष 2000 में 520 मामले तथा इस साल यह मामले बढ़कर 600 से अधिक हो गए हैं।

जबकि खेती ऊपरी सीमा पार कर चुकी है। ग्रामीण लोगों के लिए रोजगार के नये अवसर नहीं खुल पाये हैं। वास्तव में ग्रामीण बेरोजगारी बढ़ रही है तथा पंजाब में 65 प्रतिशत शिक्षित बेरोजगार गांव के हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि कृषि उद्योग मात्र अकेला साधन है जो खपत एवं मूल्य समर्थन अभिकरणों के रूप में कार्य करता है।

ग्रामीण ऋण ग्रस्तता और बेरोजगारी ने कृषकों में व्यापक निराशा और क्षोभ का सृजन किया है तथा लोग नशे के शिकार हो रहे हैं। हाल ही में किए गए अध्ययन के अनुसार पंजाब में प्रत्येक घर में मादक पदार्थों के ऊपर 734 रु. का अनुमानित व्यय होता है तथा पंजाब की जनसंख्या का 12 प्रतिशत के करीब मादक पदार्थों पर 3000 रु. प्रति माह व्यय करते हैं।

जोतों का छोटे-छोटे खंडों में विभाजन होने से कृषि अलाभप्रद हो गई है। 11.74 लाख जोतों में से इन जोतों का 88 प्रतिशत पांच हेक्टेयर से कम है तथा इन जोतों से होने वाली आय सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम है। उर्वरकों, कीटनाशकों और सब-सॉयल वाटर के गहन उपयोग से और समस्या हो गई है और जिसे पूंजीगत गहन तकनीक द्वारा पूरा ठीक किया जा सकता है तथा ऋणग्रस्त कृषक इसे सहन नहीं कर सकते हैं वह बहुत कम सहन कर पायेंगे।

चूंकि कृषि लगातार अलाभप्रद हो गई है, 33 लाख कृषि श्रमिक जो कृषि पर निर्भर है बेरोजगार हो रहे है और उनके पास शहरी क्षेत्रों में पालयन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। और उससे भारी नागरिक समस्या बढ़ जाती है।

प्रकृति भी बहुत अधिक दयालु नहीं है तथा प्रत्येक वर्ष कृषक सूखा और बाढ़ का सामना करते हैं। ये प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि नदियों में आने वाली बाढ़ प्रत्येक वर्ष रही है कोई किसी की मदद नहीं कर सकता है। उदाहरणार्थ मैं यह बताना चाहता हूं कि घाघरा नदी जो पंजाब की पांचों नदियों में से एक है तथा मेरे संसदीय क्षेत्र पटियाला के समस्त नौ विधान सभा क्षेत्रों में बाढ़ प्रत्येक वर्ष आती है। इस पर निश्चित रूप से काबू पाया जा सकता है और यह लगभग वह समय है कि घाघरा की बाढ़ की समस्या पर नियन्त्रण करना चाहिए यह मेरे संसदीय क्षेत्र के नौ विधानसभा क्षेत्रों के लिए वेदना की नदी बन गई है यह त्रासदी राष्ट्रीय आपदा स्तर की होती है इसे सुलझाया जा सकता है, इसलिए केन्द्र को हस्तक्षेप करना चाहिए क्योंकि यह एक अंतर्राज्यीय मामला है।

पंजाब सरकार 58000 करोड़ रु. के ऋण के भार और 32000 करोड़ के राजस्व घाटे से पहले ही दबी हुई है। राज्य के राजस्व का 67.5 प्रतिशत वेतन और पेन्शनों को देने में निकल जाता है इसलिए अभी ऐसी कोई उम्मीद नहीं है कि सरकार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने में सक्षम होगी।

इसलिए इस सरकार एवं इस सभा के माननीय सदस्यों से मेरा यह अनुरोध है कि खाद्यान्नों के खरीद एवं वितरण के मौजूदा समर्थन मूल्य प्रणाली को समाप्त नहीं किया जाए और इस सभा और राष्ट्र को राष्ट्रीय कृषि नीति और खाद्य नीति, जिसे कि इस देश को जरूरत है पर वाद-विवाद और चर्चा की जाये। जैसे ही राष्ट्रीय सहमति और एक व्यवहारिक प्रणाली बने और इसमें प्रत्येक वर्ग विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, विशेषरूप से प्रभावित नागरिक और छोटे कृषकों को शामिल किया जाए और मौजूदा खाद्य सुरक्षा प्रणाली में कोई परिवर्तन कर सकते हैं। इस प्रकार के कठोर और गैर प्रजातान्त्रिक आर्थिक उपायों जो इस देश के पहले से ही असुरक्षित 70 प्रतिशत किसानों के पैरों तले से जमीन सिखने को स्थिति की लागू करना गलत होगा।

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): सभापति जी, खेती और किसान की कठिनाइयों को लेकर इस तंत्र में या जितने भी सत्र पहले चले, सबमें चर्चा हुई, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कभी भी इस सरकार ने इस बहस को या विपक्ष के सुझावों को महत्व नहीं दिया। बार-बार हम लोगों की ओर से कहा जाता रहा कि जब तक इस पर पूरे सदन को विश्वास में लेकर एक राष्ट्रीय नीति नहीं बनेगी, तब तक किसानों की हालत नहीं सुधरेगी।

सभापति महोदय, यह आरोप नहीं है। यह सच्चाई है कि सरकार की लापरवाही के कारण आज किसान पूरी तरह से बर्बाद हो गया है और उसमें यह भावना पैदा होती जा रही है कि खेती

अब घाटे का सौदा हो गई है और यदि किसान अपनी खेती को छोड़कर किसी दूसरे धंधे में जाना चाहे, तो भी नहीं जा सकता है।

सभापति महोदय, 10वीं पंचवर्षीय योजना पूर्ण हो रही है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की तैयारी चल रही है और अभी तक जो भी विकास दर है, उसे बढ़ाने के जितने भी लक्ष्य रखे गए थे, वे सभी विफल हो गए हैं। विकास दर 5.50 फीसदी से ज्यादा नहीं बढ़ पाई है। 11वीं महत्वाकांक्षी पंचवर्षीय योजना के योजनाकार इसे सात फीसदी लक्ष्य तक पहुंचाने की महत्वाकांक्षी योजना बना रहे थे। लेकिन हालात ऐसे हैं कि वे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें, यह नजर नहीं आता है। इसका प्रमुख कारण कृषि, की पैदावार में गिरावट की रफ्तार का बढ़ना है।

सभापति महोदय, दूसरी तरफ जो अभी तक सर्वेक्षण हुए हैं और जो जानकारियां आई हैं, उनके बारे में कृषि मंत्री जी अपने उत्तर में बताएं कि खेती की पैदावार घटती चली जा रही है या नहीं। इसी वर्ष पिछले सत्र में हम लोगों ने एक सवाल किया था। उस समय दूसरे मंत्री जी थे। मैंने सिर्फ एक ही सूबे, उत्तर प्रदेश की बात पूछी थी कि उत्तर प्रदेश में पिछले दो-तीन सालों में क्या खेती की पैदावार में गिरावट आई है, यदि आई है, तो कितनी आई है। मंत्री जी ने जवाब दिया कि चिन्ता की कोई बात नहीं है, जबकि उनकी ओर से सीधा उत्तर आना चाहिए था कि गिरावट आई है और बताया जाना चाहिए था कि इतनी आई है। लेकिन उन्होंने सीधा उत्तर देने के बजाय एक ही जवाब दिया कि चिन्ता की कोई बात नहीं है। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि मंत्री जी ने प्रश्न को गंभीरता से नहीं लिया।

सभापति जी, अब नए मंत्री जी बने हैं। हो सकता है कि चौधरी साहब पर थोड़ा बहुत असर हो और वे नई राष्ट्रीय कृषि नीति बनाएं। उन्होंने किताब को पढ़ी होगी। किताब हमने भी पढ़ी है और जो किताब में लिखा है वह सुना भी है, लेकिन जो अर्थ-व्यवस्था चौपट हो रही है, उसका एक प्रमुख कारण है कि किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य नहीं मिलता है। किसानों को उचित मूल्य दिए जाने की बहुत सी बातें कही जाती हैं, लेकिन उनमें से किसी से किसान को कोई फायदा अभी तक नहीं पहुंचा है और हमारी समाजवादी पार्टी इससे सहमत नहीं है।

सभापति जी, समाजवादी पार्टी की नीति और नीयत सदैव यह रही है कि किसान को उसको पैदावार का लाभकारी मूल्य मिले। पिछले 10 वर्षों से किसान को उसकी पैदावार का लाभकारी मूल्य न मिलने के कारण देश के गरीब और कमजोर तबके के किसानों में से पांच प्रतिशत से अधिक किसानों को अपनी जमीन बेच कर अपना पेट पालना पड़ रहा है। उदारीकरण की जो नीति चली है उसके बारे में मुझसे पहले बोलने वाले वक्ताओं ने बताया होगा, इसलिए मैं उसे दोहराना नहीं चाहता, लेकिन यदि आवश्यक हुआ, तो उसको दोहरा भी दूंगा क्योंकि शायद बार-बार एक ही बात कहने और दोहराने से आप पर कुछ असर हो जाए, इसलिए मैं दोहरा भी दूंगा। आर्थिक उदारीकरण की नीति के परिणाम क्या निकले हैं, वे आपके सामने हैं उदारीकरण के नाम पर खेती भी सब्सिडी रहित तक कर दी गयी। आपसे पहले कृषि मंत्री थे उन्होंने और खाद्य मंत्री श्री शान्ता कुमार जी ने भी कह दिया है कि एफ.सी.आई. अब गेहूं, चावल, चीनी या धान की खरीददारी नहीं करेगी। राज्य सरकारें करेंगी, उनको अधिकार दे दिया गया है। राज्य सरकारों के संसाधन और आर्थिक स्थिति की हालत वैसे ही खराब है, इसलिए वे नहीं खरीद सकती। एफ.सी.आई. आपका धान, आलू और गेहूं नहीं खरीदेगा जिसका नतीजा यह है कि इस वक्त धान मिट्टी के मोल बिक रहा है। सभापति जी, आज धान की हालत यह है कि 150 रुपये से 200 रुपये प्रति क्विटंल का घाटा किसान को हो रहा है। क्योंकि किसान का धान 350 से 370 रु. प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जा रहा है। शायद आप विश्वास नहीं करेंगे, हमारा खुद का धान, बहुत कोशिश करने के बाद 370 रुपये प्रति क्विटंल में खरीदा गया है। सरकार ने सरकारी खरीद का मूल्य 530 रुपये क्विंटल तय किया है। आप हिसाब लगा लीजिए कि कितना घाटा किसान को हो रहा है। सरकार ने जो मूल्य निर्धारित किया है, उसके हिसाब से मुझे ही घाटा हो रहा है आम किसान की हालत क्या होगी। आम किसान की हालत यह है, मैं धान के बारे में कह रहा हूं कि अगर बिचौलियों को कुछ दे दिया जाए या सस्ता खरीदने के लिए तैयार हो जाए तब शायद उसकी बैलगाड़ी का धान खरीदा जा सकता है नहीं तो उसे 3-4 दिन तक मंडी में ही खड़े रहना पड़ता है। पूर्वांचल में शायद प्रति क्विंटल 370 रुपये भी नहीं मिल रहा है। आज किसान की चिंताजनक हालत है। जब एफ.सी.आई. नहीं खरीदेगा तो खाद्यान्न का व्यापार पूरी तरह बड़े लोगों के हाथ में चला जाएगा जिससे किसानों का घाटा और बढ़ता जाएगा।

इधर खान-पान के क्षेत्र में जब बहुराष्ट्रीय कम्पनियां पूरी तरह से प्रवेश कर गई, कृषि उपज को प्रतियोगी बाजार में उतार दिया गया। सरकार नीति में बदलाव लाकर कृषि निवेश को सस्ता करे और उपज को लागत के साथ 20 प्रतिशत मुनाफा जोड़कर खरीदे। सभी कृषि उपज की खरीद की एक राष्ट्रीय नीति हो। यह केवल किसी एक दल का सवाल नहीं है, पूरा सदन बैठा हुआ है, शायद कोई सदस्य बता दे कि उसके क्षेत्र में कहां, कितना निवेश हुआ है और उसको कितना लाभ हुआ। विनिवेश का जो वातावरण बनाया गया है, उसकी वजह से उत्पादन और घटा है क्योंकि

[श्री मुलायम सिंह यादव]

मजदूरों का मनोबल टूटा है, कारखानों का उत्पादन घटा है और वे दहशत में हैं, उनमें असुरक्षा की भावना है। कोई भी निवेश होगा तो उसके नतीजे पांच साल बाद निकलेंगे लेकिन उसका वातावरण अभी से बन गया। उससे और विपरीत प्रभाव पड़ा रहा है। हमारी जानकारी है कि जितना प्रचार किया गया था, शायद उसका 43-44 फीसदी विनिवेश ही हुआ होगा। लेकिन वह निवेश दिखाई नहीं दे रहा है कि कहां हुआ है। यह नहीं पता चल रहा है कि राज्य या केन्द्र सरकार अपना-अपना बजट घाटा पूरा करने में जुटी हुई हैं या तनख्वाह बांटने में लगी हुई हैं। जमीन पर विनिवेश का कौन सा विकास हुआ है, हमें नहीं पता। हमारे इलाके या अड़ोस-पड़ोस के राज्यों की सीमा पर भी हमें कोई विनिवेश दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन किसान पर मार पड़ गई है। कृषि की कोई राष्ट्रीय नीति नहीं है भारत सरकार ने खरीद बन्द कर दी। राज्यों को अधिकार दिये गये, राज्यों के संसाधन कृषि उपज खरीदने लायक नहीं है। केन्द्र सरकार मनमाने ढंग अथवा राजनैतिक दबाव में खरीद के लिये धन नहीं देते हैं। आज असंतोष और गुस्सा इसलिए भी किसान में है कि उत्तर प्रदेश के अन्दर गन्ने की कीमत कम है और बगल में हरियाणा में गन्ने की कीमत ज्यादा है। कृषि मंत्रीजी के क्षेत्र से लगा हुआ क्षेत्र हरियाणा है. वहां गन्ने की कीमत ज्यादा है और मंत्री जी के इलाके में गन्ने की कीमत कम है, यह अन्तर है। पहले भी अन्तर रहा, जब हम सरकार में थे तो उत्तर प्रदेश में गन्ने की कीमत ज्यादा थी तथा हरियाणा में किसान के गन्ने की कीमत कम थी। यह जो भेद है, यह जो अन्तर है, इसे दूर करना चाहिए। इसलिए कोई ऐसी नीति हो कि पूरे हिन्दुस्तान में चाहे गन्ना हो, चाहे धान हो, चाहे गेहूं हो, उसकी कीमत एक समान हो किसान दोहरे मापदण्ड को देखता है। इससे लोगों में रोष है। केन्द्र सरकार को हस्तक्षेप कर सभी राज्यों के लिये एक जैसी नीति बनाने में सहयोग करना चाहिये।

अपने-अपने तरीके से राजनैतिक दबाव में भी काम हो रहा है। कई जगह ऐसा है कि कुछ प्रदेशों में केन्द्रीय सहायता मिल रही है, हमें उस पर कोई एतराज नहीं है। आप आन्ध्र प्रदेश में, पंजाब में या दूसरे प्रदेशों में जहां भी देना चाहो, किसान को ज्यादा मदद करो, उसकी मुझे खुशी है। लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल के किसानों की स्थिति भी कम चिन्ताजनक नहीं है पश्चिम बंगाल से भी ज्योति बसु जैसे लोग धरना देने आये थे, क्या उत्तर प्रदेश और बिहार में बाढ़ से फसल खराब नहीं हुई, क्या किसान का नुकसान नहीं हुआ? क्या कोई बताएगा कि उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि कौन-कौन गये थे, उन्होंने क्या सर्वे किया क्या आकलन किया? कितना नुकसान हुआ, कितनी बर्बादी हुई, बिहार में कितनी बर्बादी हुई, वहां सरकार का कौन प्रतिनिधि गया और उसकी सरकार की क्या रिपोर्ट प्राप्त हुई? बिहार और उत्तर प्रदेश ने क्या गुनाह किया है, इन प्रदेशों में भी बाढ़ से किसानों की बर्बादी हुई, लेकिन उनको भी किसी तरह की मदद नहीं दी गई। अभी भी उनकी फसल चौपट है। उसके कारण भी किसान का घाटा बढ़ा है। भारत घनी आबादी वाला देश है, उसके बावजूद गेंहू, चावल और चीनी निर्यात करने की पूरी क्षमता है, लेकिन भारत के किसान के गेहूं को घटिया कहकर न केवल समृद्ध देश अपितु ईराक जैसे देश ने उसे लेने से मना कर दिया बंगलादेश, नेपाल, दक्षिणी अफ्रीका जैसे व्यापार देश खरीदने को तैयार है जिन्हें लागत मूल्य से आधी दर पर भारत बेचता है। चीनी का निर्यात तो ठप्प सा है-जिसके कारण भारत का व्यापार लगातार घट रहा है। जिसके कारण भारत का घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है। कृषि उत्पादों और कपड़े निर्यात पर समृद्ध देशों में एण्टी डम्पिंग कानूनों का इस्तेमाल होता रहा तो व्यापार घाटा को पूरा करना भारत की पहुंच से बाहर होगा। उसी का नतीजा है कि अप्रैल से सितम्बर 2001 तक हमारा दो फीसदी निर्यात घटा है और सितम्बर माह में 8.61 प्रतिशत निर्यात घटा है इसका तात्कालिक स्मरण शुद्ध हो सकता है लेकिन पूरे व्यापार पर वैसे ही गंभीर असर है। उधर आप उदार आर्थिक नीति लागू कर रहे हैं और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन के चलते इतना बड़ा प्रभाव और पड़ने वाला है कि आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में 11 चीनी मिले बन्द हो गई, जिनमें से पांच चीनी मिल केन्द्रीय सरकार की हैं वह भी बन्द कर दी गयी है।...*(व्यवधान)* बिहार की बात भी मैंने कही है, आप यहां हाजिर रहते तो सुनते। यह हालत है कि पांच चीनी मिलें केन्द्रीय सरकार की हैं वे भी बन्द हो गयी है।

केन्द्रीय सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। जब पडरौना के किसान अपना बकाया मांगने जाते हैं या बंद पड़ी चीनी मिलों को चालू करने की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की सरकार की पुलिस उन पर गोलियां चलाती हैं जिसके परिणामस्वरूप चार किसान मारे जाते हैं।

कुंवर अखिलेश सिंह (महराजगंज, उ.प्र.): वहां के एक माफिया मंत्री को चार मिलें बेच दी गई।

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): आपके ही पड़ौस के मंत्री हैं, आपका ही उनके साथ टकराव रहता है। यह मुद्दा मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। फिर भी यह कहना चाहता हूं कि उनको करोड़ों रुपए की सम्पत्ति का लाभ उठाने का मौका दिया गया है। मिश्रा जी को भी इस बात का पता है। आज वहां का किसान अपना पूरा गेहूं और धान बिचौलियों के हवाले करने को मजबूर हो रहा है। इस कारण उनमें बड़ी त्राहि-त्राहि मची हुई है। इस वर्ष तो खरीद का कोई नामो निशान नहीं है। किसान तबाही की ओर है। दूसरी तरफ रसायन और उर्वरकों के कारखाने बंद हो

रहे हैं। चाहे पश्चिम बंगाल हो या अन्य प्रदेश हो। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के कारखाने के लिए हमने बार-बार मांग की है। लेकिन वह अभी तक बंद पड़ा है। उधर चीनी मिलें भी बंद हो रही हैं। एफ.सी.आई. बीमार हैं। इन कारखानों और मिलों के जीर्णोद्धार के लिए कोई कोशिश नहीं हो रही है। सरकार को कुछ न कुछ तो इसके लिए करना ही चाहिए। आपका बहुत सारा घाटा हो रहा है, लेकिन किसान के घाटे को उठाने के लिए आप तैयार नहीं है। मेरी मांग है सस्ती खाद, बिजली, पानी, कीटनाशक दवा, उन्नत बीज आसानी से किसान को उपलब्ध कराने की एक समन्वित नीति तैयार हो।

आज हमारे यहां सब्सिडी बंद की जा रही है। वहां पर यूरोपीय देशों में धनी देशों में, जिनके हाथ में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार संगठन की लगाम है, जिसमें अमेरिका और कनाडा भी शामिल हैं। विश्व व्यापार संगठन के आंकड़े बता रहे हैं कि यूरोपीय देश केवल कृषि के ऊपर खर्च कर रहे हैं जो अफ्रीकी देशों के वार्षिक बजट के बराबर है। यूरोपीय देश अपने देश में कृषि के ऊपर खर्च करने वाली सब्सिडी की व्यवस्था को खत्म करने को तैयार नहीं है और हमारी सरकार कृषि से सारी सब्सिडी हटाती जा रही है।

अभी अंतर्राष्ट्रीय बाजार संगठन के मंत्री स्तर का सम्मेलन हुआ। वहां से आकर सरकार ने अपनी पीठ थपथपाई कि हमने बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। क्या उपलब्धि हुई कि दवाएं जो बनेंगी एड्स की, मलेरिया की, इन पर पेटेंट कानून लागू नहीं होगा। हम लोग सोचते थे कि आप वहां जाकर मजबूती से किसानों के सम्बन्ध में सवाल उठाएंगे। इस सम्बन्ध में हम, वामपंथी दलों के नेता और अन्य लोग जो कई प्रकार के गैर-राजनीतिक संगठन चला रहे हैं, भूतपूर्व प्रधान मंत्री जी वी.पी. सिंह भी प्रधान मंत्री जी से मिले थे। हमने कहा कि वाणिज्य मंत्री जी वहां जा रहे हैं, अब आपको मौका हाथ लगा है, आपको दबाव बनाना चाहिए। आज दबाव की राजनीति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रही है। अफगानिस्तान में युद्ध के लिए अमेरिका को अपनी धरती पर बेस उपलब्ध कराने के लिए पाकिस्तान ने दबाव की रणनीति अपनाई और अधिकाधिक मदद की मांग की। मजबूरी में अमेरिका को इसे मानना पड़ा है। इसलिए आपका भी दबाव होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन पर कि हम अपने किसानों की कीमत पर कोई समझौता न करें।

सभापति महोदय: मुलायम सिंह जी आपकी पार्टी का समय समाप्त हो गया है। आप और कितना समय लेंगे?

श्री मुलायम सिंह यादव: मैं पांच-दस मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। मंत्री जी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन की बैठक में भाग लेने के लिए गए। खेती की उपज सब्सिडी का मामला दो साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इसका मतलब दो साल के लिए और हमारा व्यापार ठप्प हो जाएगा। दो साल बाद विचार करेंगे कि सब्सिडी कम करेंगे या सब्सिडी खत्म करेंगे या जारी-रखेंगे अभी कुछ तय नहीं है। वैसे भी दो साल बाद हमारा व्यापार और चौपट हो जाएगा और दो साल बाद अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां कितनी बदलेंगी, यह पता नहीं है। बड़ी तेजी के साथ अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर परिस्थितियां बदलती जा रही हैं, इसलिए हम आपसे अपील करेंगे और कहेंगे कि कम से कम 1966 में जो विरोध हुआ था, तब तो वह बिना लड़े भाग खड़े हुए थे लेकिन अबकी दोहा में जापान, अमेरिकी की पूरी तैयारी थी कि किसी भी तरह कोई निर्णय होना चाहिए। यह सही है कि शुरू-शुरू में हमें भी टी.वी. पर लगा कि मारन साहब अबकी बार अड़ गये हैं लेकिन जैसे ही दिल्ली से दबाव पड़ा क्योंकि हर जगह सरकार झुकती रही है और आखिर में दिल्ली के दबाव में आकर दस्तखत कर ही दिये, ऐसी खबर है। दिल्ली पर दबाव किसका है, यह आप सब जानते हैं, बार-बार नाम लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए आपको यह तय करना पड़ेगा कि अपनी प्राथमिकताएं हम तय करेंगे, हमारी सरकार तय करेगी या अन्तर्राष्ट्रीय संस्थायें तय करेंगी या अमरीका तय करेगा। आज ऐसा लग रहा है कि जितनी प्राथमिकताएं हमारी हैं, चाहे खेती की हों या व्यापार की हों या और अब तो रक्षा की या सीमा की सुरक्षा तथा आंतरिक एकता की भी प्राथमिकताएं हम तय नहीं करेंगे, बल्कि अब धनी देशों का दबाव रहेगा। इसीलिए आज हम स्पष्ट करना चाहते हैं और सावधान भी करना चाहते हैं कि आर्थिक स्थिति जितनी कमजोर होती जाएगी, उतना विदेशी दबाव बढ़ता जाएगा और आज हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर हुई है और इसीलिए आज आर्थिक दबाव बढ़ता जा रहा है। हम तो मारन साहब को बधाई देने वाले थे लेकिन आखिर में उनको दस्तखत करने पड़े। और इसीलिए आज बहुत सारी बातें हैं लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि विश्व व्यापार संगठन भारत और दूसरे विकासशील देशों को उनका न्यायोजित अधिकता नहीं गिरने देगा। इसकी ईमानदारी और वैधानिकता पर प्रश्न चिह्न लग गये हैं। इसलिए हमें फायदा नहीं हो सकता क्योंकि प्रतियोगिता होगी और प्रतियोगिता भी तो बराबरी की होती है। अब जहां हमने उदाहरण दिया कि 360 हजार डालर प्रति वर्ष ये धनी देश अपने किसानों को सब्सिडी दे रहे हैं और हम अपने यहां किसानों को सब्सिडी खत्म कर रहे हैं। हमारे यहां किसानों की हालत वैसे ही काफी खराब है तो किसान मुकाबला कैसे कर सकता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन में यह हो जाएगा तो आप मजबूर हो जाएंगे कि आपको इतना खाद्यान्न खरीदना ही पड़ेगा तो फिर हमारे किसानों का अन्न कौन खरीदेगा? दूसरी तरफ नतीजा जल्दी ही हमारे सामने आ गया और नतीजा यह है कि विदेशी कंपनियों का खाद्यान्न बढ़कर चालीस फीसदी से ऊपर बढ़ रहा है और हमारे देश में

[श्री मुलायम सिंह यादव]

अकेले सरसों का उत्पादन 65 फीसदी घट गया है और खाद्य तेल के व्यापार में विदेशी कम्पनियों का 1 प्रतिशत का हिस्सा बढ़कर 40 प्रतिशत हो गया है। अनेक तेल कम्पनियां बन्द हो रही हैं जबकि विदेशी कंपनियां कम से कम 40 हजार करोड़ केवल सरसों के तेल पर मुनाफा कमा रही हैं तो विदेशी कंपनियों ने तो लूटना शुरू कर दिया है। इसीलिए मंत्री जी उत्तर दें और बताएं कि इस संबंध में आप क्या करने जा रहे हैं। और जहां तक बड़ी चर्चा थी और हम आपसे सहमत हैं कि महापुरुषों के बारे में टिप्पणी हो तो वह टिप्पणी हटा दी जाए लेकिन आपने तो भारत में विदेशी मांस की सबसे बड़ी मण्डी खोल दी। फास्टफूड के नाम पर भारत के होटलों में गाय, सुअर और भैंस का मांस परोसा जायेगा। वैसे ये गाय के पुजारी हैं और गाय का मांस विदेशों से मगाएंगे जो भारत के होटलों में परोसा जाएगा।...*(व्यवधान)* कहने को तो गाय के पुजारी हैं पर देश में सारी गायें और जानवर बीमार पड़े हैं। मशीनों के द्वारा उनको काट-काट कर रखा जाता है। दो-दो, तीन-तीन, चार-चार हजार किलो मीट काट कर रखने का इन्तजाम है और वह खराब नहीं होगा। वहीं मांस आपके यहां भेजा जाएगा। यहां जांच तो आप कर नहीं पा रहे हैं, तो उनके द्वारा भेजे गये मांस की जांच किस प्रकार कर पायेंगे।

विशेषज्ञों ने भारत, बंगलादेश, नेपाल, भूटान और पाकिस्तान के बारे में रिपोर्ट दी है कि लगातार जमीन घट रही है। एक साल पहले सम्मेलन हुआ था, जिसमें विशेषज्ञों ने स्वीकार किया है। नतीजा यह हुआ है कि 350 अरब रुपए की सालाना क्षति हो रही है। जमीन क्यों नहीं घटेगी, जब किसानों की जमीनों पर जिले बनाते चले जायेंगे। प्रदेश बटेंगे, तो प्रदेश के लिए सचिवालय बनाइए, नया हाईकोर्ट बनाइए और राजभवन बनाइए। हजारों-हजार एकड़ जमीन किसानों की इसी में जा रही है। 1966 में बंटवारे के बाद आज तक हरियाणा की राजधानी नहीं बन पाई है। बंटवारा ही बंटवारा, जब देखा कि कोई बहाना वोट मिलने का नहीं मिला, तो यही भावना भड़काइए और किसान की कीमत पर राजनीति करिए।...*(व्यवधान)* मैं इसीलिए बार-बार कहता हूं कि यह शर्मनाक घटना है।

महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं, केवल एक बात कहना चाहता हूं। जब भंडार भरे पड़े हैं, तो लोग क्यों भूखे मर रहे हैं? मैं अफसोस के साथ कहना चाहता हूं, प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि यह सब मीडिया और विपक्ष हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए प्रचार कर रहे हैं। हम जानना चाहते हैं, क्या प्रधान मंत्री जी उस गांव में मौके पर गए। विपक्ष ने उड़ीसा का नाम लिया था, जिले का नाम लिया था। क्या वहां पर मुख्यमंत्री को लेकर गए थे, उनका हालात का पता था? यह संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। अगर हम गलत बोल रहे थे, मीडिया गलत लिख रहा था, तो फिर यहां आकर प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए था कि हम मौके पर उस गांव में गए थे और कोई भूख के कारण मौत नहीं हुई है। यह संवेदनहीन सरकार इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। पता नहीं, प्रधान मंत्री जी को बयान देने के लिए क्या मजबूरी थी या किसने मजबूर किया, यह हमको पता नहीं है।

हम इतना ही कहना चाहते हैं, भारत में 32 करोड़ किसान ऐसे हैं, जिनकी सालाना आमदनी सरकारी आंकड़ों के अनुसार 8 से 12 हजार रुपए है। इसके अनुसार भारत ने घोषणा की थी कि विश्व व्यापार संगठन में किसानों को सब्सिडी देने के सवाल पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बार-बार सरकार ने यह झूठा आश्वासन दिया कि दुनिया में सब्सिडी घटाई जा रही है। हम इतना ही कहना चाहते हैं कि इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से खेती को बचा लीजिए। यह मौका अच्छा है। यह मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। बहुत सारे देश मौके का लाभ उठा रहे हैं, लेकिन हम नहीं उठा पा रहे हैं। किसानों की बर्बादी का मतलब है, देश की बर्बादी और दुनिया में जितने भी मुल्क सम्पन्न हुए हैं, वे वही देश है, जिन्होंने खेती पर ध्यान दिया है।

कभी-कभी हमारे सत्ता पक्ष के कुछ सदस्यों को बार-बार आपत्ति होती है। हम चीन की व्यवस्था के बारे में नहीं कहना चाहते हैं कि वहां व्यवस्था कैसी है, लोकतांत्रिक है अथवा नहीं यह अलग बात है। हम इतना तो कह सकते हैं कि चीन में 1949 में क्रांति हुई, तब उन्होंने काम शुरू किया, लेकिन हम लोगों ने 1947 में काम शुरू किया। हम आगे थे, लेकिन आज उसने आबादी घटाई है-125 या 130 करोड़ के आसपास है और हमारी सौ करोड़ से ऊपर है। वहां हमारी तुलना में ढाई गुना, पौने तीन गुना अन्न की पैदावार ज्यादा है, लेकिन आबादी मात्र 25-30 करोड़ से अधिक है। उसने पहले खेती पर ध्यान दिया और अब वे उद्योगों पर ध्यान दे रहे हैं। इसी तरह 400-450 साल पुराने अमेरिका के पास क्या था। उसने खेती पर ध्यान दिया और यह सही है कि आज अमेरिका गेहूं की पैदावार के बल पर दुनिया का दादा बन गया।

महोदय, आज वही देश सम्पन्न हैं जिन्होंने खेती और किसानों पर ध्यान दिया। यह सरकार किसानों पर ध्यान नहीं दे रही। उन पर ध्यान देना तो दूर रहा, यह किसानों की दुश्मन बन गई है। विश्व व्यापार संगठन में किसानों के हितों का ध्यान नहीं रखा गया। इसलिए हम चाहते हैं, हम अन्य जगह तो अपने-अपने सूबों की बात कहेंगे लेकिन आज मंत्री जी से निवेदन करते हैं कि उत्तर प्रदेश के किसानों की हालत इतनी खराब हो गई है। हम चाहते

हैं कि उत्तर प्रदेश के किसानों को कम से कम 15,000 करोड़ रुपए की जो क्षति हुई है, नुकसान पहुंचा है, उसके लिए केन्द्रीय सहायता देनी चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। कृषि की एक राष्ट्रीय नीति बननी चाहिए और आर्थिक उदारीकरण की समीक्षा होनी चाहिए कि खेती को कितना लाभ पहुंचा है। आप कम से कम यहां वायदा कीजिए और केबिनेट तथा सदन में फैसला लीजिए कि हिन्दुस्तान अंतर्राष्ट्रीय बाजार को छः महीने का नोटिस देकर अपनी खेती को अलग करता है, यह हमारा सुझाव है। इन सुझावों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदय, मुझे एक अनुरोध करना है। हमारे पास समस्त दलों के कुछ वक्तागण है। परन्तु समय 6 बजे तक का ही है। मैं सरकार से अपील करता हूं कि वह समय बढ़ाने हेतु सहमति दे ताकि जिनके नाम सूची में है उनमें से प्रत्येक को दो-तीन मिनट का समय दिया जा सके और उसके बाद मंत्री उत्तर दे सके।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: सदन सहमत है।

कुंवर अखिलेश सिंह: सभापति महोदय, खाद्य मंत्री जी को भी बुला लीजिए। धान के भंडारण का सवाल है और खाद्य मंत्री जी यहां बैठे नहीं है।...*(व्यवधान)* वह अखबारों में बयान देते हैं कि हम हर राज्य में धान की खरीद कर रहे हैं लेकिन कहीं भी धान की खरीद समर्थन मूल्य पर नहीं हो रही है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: माननीय सदस्य सदन का समय बढ़ाने के लिए सहमत हैं, जब तक डिसकशन होगा। मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि कम से कम समय में अपनी बात कहें।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: छः बजे फिर समीक्षा की जाएगी, उसके बाद समय बढ़ाया जाएगा।

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): सभापति जी, मंत्री की तो मजबूरी है, लेकिन यहां जो हाजिर हैं उनसे अंदाजा लग सकता है कि ये किसानों के सवाल पर कितने गंभीर हैं।

[अनुवाद]

श्री बिक्रम केशरी देव (कालाहांडी): सभापति महोदय, श्री बसुदेव आचार्य द्वारा नियम 193 के अधीन शुरू की गई यह चर्चा स्वागत योग्य है। लेकिन साथ ही साथ चर्चा का उद्देश्य इस सरकार से जवाब-तलब करने का भी है।

श्री ए.सी. जोस (त्रिचूर): सरकार पहले से ही परेशानी में है।

श्री बिक्रम केशरी देव: आपका ध्येय सरकार से जवाब तलब करने का है। लेकिन विपक्ष को यह मालूम होना चाहिए कि इस सरकार ने देश के किसानों के लिए सबसे पहले पहल की है। यह सरकार मात्र तीन वर्ष पुरानी है और गत 50 वर्षों के दौरान विभिन्न सरकारों द्वारा की गई गलतियों को भूला नहीं सकते हैं।

गत 50 वर्षों के दौरान किसानों की स्थिति नहीं सुधरी है आज हम पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि हम विश्व व्यापार संगठन के लिए जिम्मेवार हैं जिसमें विश्व भर के विकासशील देशों की तुलना में किसानों की अनदेखी की गई है।

मैं यहां स्पष्ट रूप से उल्लेख करना चाहूंगा कि विश्व व्यापार संगठन के साथ सर्वप्रथम 1993 में समझौता किया गया था और उस समय श्री प्रणव मुखर्जी वाणिज्य मंत्री थे। उस समय सरकार ने भारत अथवा अन्य विकासशील देशों के भारत अथवा अन्य विकासशील देशों के किसानों की दुर्दशा पर ध्यान नहीं दिया। अब के केवल घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। यह अत्यधिक दुःखद बात है।

जब हम खाद्यान्न सुरक्षा और किसानों की समस्याओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो हम तीन महत्वपूर्ण पहलूओं पर विचार करना होगा, ये पहलू हैं, खरीद, भंडारण और वितरण। हम कई समर्पित वैज्ञानिकों और किसानों के श्रम के कारण खाद्यान्न सुरक्षा प्राप्त करने में सफल रहे हैं। लेकिन किसानों को उनके उत्पाद हेतु अभी लाभकारी मूल्य दिया जाना है। गत पचास वर्षों के दौरान हम उचित भंडारण सुविधाएं तैयार करने और उचित वितरण प्रणाली बनाने पर विचार नहीं कर सके। आज किसानों को इसी कारण से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि गत कुछ वर्षों में सरकार द्वारा किसानों को दी जा रही राजसहायता 15000 करोड़ रुपए से बढ़कर 25500 करोड़ रुपए हो गई है। साथ ही साथ कृषि में निवेश 7,300 करोड़ रुपए से घटकर 4700 करोड़ रुपए रह गई है। यह अपने आप में एक स्पष्ट प्रमाण है कि पूर्व सरकारों द्वारा किसानों की किस प्रकार

[श्री बिक्रम केशरी देव]

अनदेखी की गई है। कृषि क्षेत्र में निवेश में गिरावट किसानों द्वारा असुरक्षित महसूस किये जाने के कारण है। अब जब हमारी सरकार एक नई कृषि नीति की घोषणा करके एक सुरक्षा कवच देना चाह रही है तो हमारी आलोचना की जा रही है।

हमें किसानों द्वारा सामना की जा रही वास्तविक समस्याओं को समझना चाहिए। वितरण प्रणाली और भंडारण सुविधाओं में सुधार करना होगा? जब देश में खाद्यान्न की कमी थी तो उस समय पीएल-470 गेहूं को देश के गरीबों के बीच वितरित करने हेतु लाया गया था। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज तक पीएल-480 गेहूं का भंडार हमारे भांडागारों में अप्रयुक्त पड़ा है। इससे पूर्व सरकारों की वितरण प्रणाली के संबंध में मेरी आलोचना को स्पष्ट बल मिला है। और आज वे इकट्ठे होकर हमारी सरकार पर यह कहकर आरोप लगा रहे हैं कि हमारी सरकार कृषि नीति में विफल रही है। पहली बार किसानों के हितों की रक्षा हेतु एक उन्नतशील कृषि नीति की घोषणा की गई है।

श्रीमती रेणुका चौधरी (खम्माम): इसीलिए किसान आत्महत्या कर रहे हैं।

सभापति महोदय: कृपया बीच में न बोलें। हमने कल ही ऐसा नहीं करने पर सहमति व्यक्त की थी।

श्री बिक्रम केशरी देव: यह आज के कारण नहीं हुआ है। बल्कि गत कई दशकों के दौरान किसानों की अनदेखी किए जाने के कारण हो रहा है।

हमारे यहां पिछले बारह वर्षों से लगातार अच्छा मानसून रहा है। लेकिन गेहूं के मामले में 1996 के अनुमानों के आधार पर प्रति हेक्टेयर 8680 से घटकर 6926 प्रति हेक्टेयर हो गया है। गेहूं के मामले में उत्पादकता में भी कमी आयी है। चावल की भी यही स्थिति है। यह 7640 प्रति हेक्टेयर से कम होकर 7126 प्रति हेक्टेयर हो गई है। आप हमारे देश के 80 प्रतिशत आबादी के किसान समुदाय में सुधार की कैसे आशा करते हैं। इसलिए आज हम देश के विभिन्न पिछड़े क्षेत्रों में कुपोषण, भुखमरी की छिटपुट घटनाओं के बारे में सुन रहे हैं।

जब खाद्यान्न वितरण का प्रश्न आता है अथवा पोषक तत्व सुरक्षा का प्रश्न आता है तो इसमें दलगत राजनीति नहीं होनी चाहिए।

इसमें बिल्कुल भेदभाव की भावना नहीं होनी चाहिए ताकि हम इस मानवीय समस्या को अत्यधिक सावधानी, और इच्छा, लगन के साथ सुलझा सकें। जब तक यह नहीं किया जाता है हमारा देश उन्नत नहीं होगा। आज हम विश्व व्यापार संगठन की बात कर रहे हैं। हमारी अनदेखी की जा रही है। लेकिन हमारी सरकार ने कई पहल की है जिसे 'ट्रिप्स' समझौते में शामिल किया गया है भौगोलिक सीमाओं और पेटेंटों के मामले में कई नए विधेयक शुरू किए गए हैं। इन सभी विधेयकों को किसानों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लाया गया है। अत: हमें केवल बैठकर सरकार के खिलाफ लगाए गए आरोपों को नहीं सुनना चाहिए।

आज सहकारिता आंदोलन जो कृषक समुदाय का मुख्य आधार था पूरी तरह छिन्न-भिन्न हो चुका है। और हमारी सरकार सहकारी संस्थाओं को और सशक्त बनाने हेतु इन्हें स्वायत्ता देने के लिए एक सहकारी विधेयक लाने पर विचार कर रही है। लेकिन यदि आप ध्यान से देखें तो देश में सहकारी आंदोलन पूरी तरह से विफल हो चुका है। इनके पुनरुद्धार हेतु बैंक धन देने के इच्छुक नहीं है। इस स्थिति में मैं स्वीकार करता हूं कि श्री आचार्य द्वारा उठाया गया मुद्दा बिल्कुल सही है। लेकिन हम सरकार के खिलाफ आरोप नहीं लगा सकते हैं।

मैं मात्रात्मक प्रतिबंध के बारे में भी कुछ कहना चाहूँगा। वाणिज्य मंत्रालय के हाल के आंकड़े न्यूनतम मात्रात्मक प्रतिबंध दर्शाते हैं। लेकिन हम सामान्य आयात को वर्ष 2000-01 में 14.7 प्रतिशत तक कम करने में सफल रहे हैं। मात्रात्मक प्रतिबंध के बारे में उपाय और कानून है जिससे किसान अधिक प्रभावित नहीं होंगे। अत: हम श्री आचार्य द्वारा शुरू की गई चर्चा का स्वागत करते हैं लेकिन यह चर्चा सरकार के विरुद्ध दोषारोपण करने के लिए नहीं होनी चाहिए। कई कृषि उत्पाद सहित अन्य 300 संवेदनशील मदों के आयात का विश्लेषण करने हेतु एक 'वर्क रूम' बनाया गया है। अत: हमारी सरकार किसानों की हितों की रक्षा करने हेतु कार्य कर रही है।

***श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम** (तंजावूर): माननीय सभापति महोदय, तमिल में एक कहावत है। जब आप नमक बेचने जायें तो वर्षा होती है और जब आप भूसी बेचने जायें तो तेज हवा बहती है। यह कहावत भारतीय किसानों की स्थिति बयान करने में उपयुक्त है जो देश भर में खेतों में कड़ी मेहनत करते हैं। वे सादा जीवन व्यतीत करते हैं, गरीब रहते हैं और सिर पर कर्ज लेकर मृत्यु को प्राप्त होते हैं।

मैं किसानों की दुर्दशा और उनके द्वारा सामना की जा रही समस्याओं पर नियम 193 के अधीन चर्चा में मुझे बोलने का अवसर देने हेतु अध्यक्षपीठ को धन्यवाद देता हूं। मैं यहां पूर्व अथवा वर्तमान सरकार की आलोचना करने हेतु खड़ा नहीं हुआ हूं। मैं सभा के समक्ष आजादी के 50 वर्षों के पश्चात भी किसानों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं को उठाना चाहूंगा। मैं नहीं समझता हूँ कि देश के किसी भाग के कृषक संतुष्ट और चिंतामुक्त हैं। बड़े किसानों पर अत्यधिक ऋण है। लघु कृषक पर तुलनात्मक रूप से कम ऋण बोझ है लेकिन उनकी समस्याएं अधिक हैं। सच्चाई यह है कि सभी किसान ऋण संबंधी समस्या से ग्रस्त हैं।

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

स्वतंत्र भारत के प्रारंभिक वर्षों के दौरान, अर्थात 50 के दशक में, जब भूख, गरीबी और इसके कारण होने वाली मृत्यु व्यापक संख्या में हो रही थी, हमारे किसानों ने हरित क्रांति के माध्यम से अपने प्रयास द्वारा नव शक्ति का संचार किया। उन्होंने देश को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में सहायता की है। उन्होंने भूखों को, ऐसे समय जब इसकी सर्वाधिक आवश्यकता थी, अनाज उपलब्ध कराने हेतु प्रयास किए। अब आप किसे समझते हैं कि वह बिना खाद्यान्न के रह रहा है। यह किसानों के संघर्ष से संभव हुआ है। खाद्यान्न उत्पादन के लक्ष्य को पूरा करने में सहायता देने वाले किसान और कृषिविद इसके व्यवसाय और अन्य व्यवसाय से जुड़े व्यक्तियों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे हैं। एक चाय बेचने वाले की भी स्थिति एक गरीब किसान से बेहतर है। क्या कारण है? हम वर्तमान सरकार अथवा पूर्व की सरकार की आलोचना करके इसका समाधान नहीं कर सकते हैं। मैं पाता हूँ कि कम से कम सभा के 99 प्रतिशत सदस्य कृषक परिवारों से आये हैं। दूसरों पर दोषारोपण करके हम अपनी जिम्मेवारियों से नहीं बच सकते हैं।

लगभग दो वर्ष पूर्व दिल्ली में जब प्याज और टमाटर का मूल्य क्रमश: 25 और 20 रुपए प्रति किलो हो गया था, अन्य स्थानों के किसानों, जिन्हें इसका प्रति टोकरी रुपए मूल्य भी नहीं मिल रहा था, ने सोचा कि उन्हें भारी मुनाफा हो सकता है। जब मीडिया विशेषकर टीवी जैसी इलैक्ट्रानिक मीडिया में देश के अन्य भागों के किसानों जो प्याज और टमाटर की खेती कर रहे थे ने दिल्ली में मूल्य वृद्धि का समाचार देखा तो उन्हें अत्यधिक आशा जगी। लेकिन बात इसके विपरीत हुई। प्याज के मूल्य में गिरावट आई और उनकी आशा भी भंग हो गई। बाजार में भंडार लगा हुआ था। प्रति टोकरी मूल्य एक रुपया से भी कम हो गया। एक टोकरी का मूल्य ही 5 रुपए होगा। इससे किसानों को भारी हानि हुई जबकि इससे बिचौलियों को कोई अधिक हानि नहीं हुई। खेतों में किसानों के श्रम की कीमत वापिस होनी तो दूर उन्हें टमाटर की पैकिंग हेतु उपयोग की जाने वाली टोकरी के लिए किए गए निवेश की भी प्राप्ति नहीं हुई। क्या कारण है। उत्पादन और वितरण में अत्यधिक अंतर है। अपर्याप्त विपणन मशीनरी है। यदि हम खाद्यान्नों को भूखमरी का शिकार हो रहे लोगों के बीच औचित्यपूर्ण रूप से वितरित कर सकें तो कम उपलब्धता वाले क्षेत्र, सूखा प्रभावित क्षेत्र और किसानों के बीच शायद भूखमरी की घटना नहीं हो। ऋण बोझ से दबे किसानों की स्थिति में भी शायद सुधार हो सकता है। एक माली ने किसी विशेष वर्ष में 100 रुपए में फूलों की एक टोकरी बेची। यह आशा करते हुए कि शायद अगले वर्ष वह इसे 140 रुपए में बेच पायेगा, उसने पुन: उसी व्यवसाय को जारी रखा मुद्रास्फीति की स्थिति ऐसी थी कि अगले वर्ष जो कुछ हुआ वह जानकर आपको आश्चर्य होगा। फूलों की एक टोकरी का मूल्य घटकर मात्र 40 रुपए रह गया और इस प्रकार किसान की सारी आशाओं पर भी पानी फिर गया। इसके बाद उसने सोचा कि वह एक अन्य नकदी फसल गन्ना की खेती कर सकता है। केवल दो वर्ष पूर्व तक यह माना जाता था कि केवल गन्ना कृषक को घाटा हो ही नहीं सकता है। अब वहाँ भी निराशा की स्थिति है। एक विशेष क्षेत्र के किसानों के खेत में गन्ने की फसल में कीड़े लग गए। गन्ने की फसल 'रेड वार्ट्स'' से बर्बाद हो गई। इस मामले में किसान को फसल बोने में हुए व्यय की भी भरपाई भी नहीं हुई। इसके बाद भी किसान ने हिम्मत नहीं छोड़ी। जब नकदी फसल और सब्जियों में हानि हुई तो उसने सोचा कि शायद चूकि लिफ्ट्स से फायदा होगा। किसान ने यही सोचा। लेकिन फिर जो हुआ वह फिर दुर्भाग्यपूर्ण साबित हुआ।

जो यूकलिप्टस 1000 रुपये प्रति टन के हिसाब से बेचा जाता था उसका मूल्य घटकर 400 रुपये हो गया। अब हम ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि किसी भी किसान को अच्छा लाभ मिलने का आश्वासन नहीं है। किसान ऐसी स्थिति में नहीं है कि कोई योजना बना सके, उन्हें अच्छे लाभ की भी आशा नहीं है। केवल टीक की खेती ही लाभप्रद हो सकती है परन्तु इससे किसानों के पोतों को ही लाभ हो सकता है क्योंकि फसल प्राप्त करने के लिए काफी समय इन्तजार करना होता है।

जिस सदस्य ने मुझसे पहले बोला था उन्होंने उन दिनों का स्मरण कराया जब अमेरिका से पी एल 480 गेहूं का आयात किया जाता था। हमारे किसान जो देश को खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में स्वावलम्बी बनाते हैं वे अभी भी ऋणग्रस्त हैं और ऋण के जाल में फंसे हुए हैं। यह सच है कि सरकार विभिन्न योजनाएं बनाती हैं। परन्तु क्या हमने यह सुनिश्चित किया है कि किसानों को ऐसी स्कीमों से वास्तव में लाभ हुआ है या नहीं। मैं इसके लिए किसी सरकार को दोषी नहीं ठहराता। एक के बाद एक लगभग सभी दल सत्ता में आए। इसलिए एक दूसरे पर आरोप लगाने की बात ही नहीं है। हमें आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि हम यह सुनिश्चित करने के अपने कर्त्तव्य में असफल रहे हैं कि किसानों के लिए बनी सभी स्कीमें उन तक पहुँची है या नहीं। यह सच है कि ऐसी स्कीमों के लिए आवंटित सभी निधियां किसानों तक सही सही नहीं पहुंचती। देश में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो काफी वर्षों से सूखाग्रस्त हैं। विगत वर्षों में कई

[श्री एस.एस पलानीमनिक्कम]

क्षेत्रों में बाढ़ आती रही है। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां एक ही वर्ष में बाढ़ और सूखा दोनों ही आए। जब प्राकृतिक आपदाओं से आतंक मचा हुआ था उस समय किसान ऋण के जाल में फंसे हुए थे। हमें अपने किसानों को ऋण के भार से मुक्त कराने में सहायता करनी चाहिए। राष्ट्रीयकृत बैंकों ने इस बात के कुछ कारण बताए हैं जिससे हमारे प्रयास निष्फल हो जाएं और किसानों को दिया गया ऋण समाप्त हो जाए।

हमारा यह लक्ष्य है कि प्रत्येक वर्ष 40% तक कृषि उत्पादन बढ़ाया जाए। परन्तु क्या हम प्रत्येक वर्ष अपने बजट में कृषि के लिए आवंटन में 40% वृद्धि कर सके हैं। इसका उत्तर स्पष्ट रूप से नकारात्मक है। अगर हम वित्त मंत्रालय से कहते हैं कि वे कहते हैं कि योजना आयोग से अनुमोदन आना बाकी है। योजना आयोग का कहना है कि कृषि मंत्रालय आवंटित निधि का पूरा उपयोग नहीं करता। हम कृषि के लिए कब निधियां आवंटित करते हैं? क्या आवंटन उस समय किया जाता है जब निधि की अत्यन्त आवश्यकता होती है? हमें मिलकर काम करना चाहिए।

विकसित देशों में कृषि अनुसंधान पर कृषि के लिए कुल आवंटन का 2 से 3% तक से अधिक खर्च किया जाता है। लेकिन हमारे जैसे विकासशील देश का यह दुर्भाग्य है कि अनुसंधान और विकास के लिए बहुत कम धनराशि दी जाती है। यह कृषि के लिए किए जाने वाले कुल आवंटन का 0.02% है। आज के प्रतिस्पर्द्धात्मक विश्व में, यह आवश्यक है कि आधुनिक प्रौद्योगिकी अपनाकर आधुनिक तकनीक विकसित करने के लिए पर्याप्त निधियां अलग से रखी जानी चाहिए। अगर हम कृषि अनुसंधान में सुधार नहीं करते तो मुझे लगता है कि अब से दस वर्षों के अंदर अकाल की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। क्योंकि हमारे देश में खेती की जमीन का सदियों से लगातार कम उपयोग होता रहा है। हमें मिट्टी की क्षमता और मिट्टी के प्रबंधन के प्रति ध्यान देने की आवश्यकता है। कई देशों में नई जमीन को कृषि भूमि में बदला जाता है। इसके कारण, कृषि उत्पादन की लागत उस पर सामान्यतया खर्च की जाने वाली राशि का आधा हो जाता है। इससे उन देशों को कम खर्च में उत्पादन करने और विपणन में लाभ कमाने में सहायता मिलेगी। इसलिए यह आवश्यक है कि हम कृषि अनुसंधान और विकास के लिए अलग से अधिक निधियां निर्धारित करके हमें अपनी कृषि अनुसंधान गतिविधियों पर जोर देना चाहिए। किसानों को दी जाने वाली राजसहायता का बहुत प्रचार किया जाता है। वास्तव में इससे हमारे किसानों का महत्व कम होगा। प्रत्येक वार्षिक बजट में प्रत्येक सत्ता दल निशुल्क विद्युत योजना, ऋण माफी इत्यादि की घोषणा करता है।

अपराह्न 5.00 बजे

सभापति महोदय: आप कितना समय लेंगे?

श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम: महोदय, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

हम किसानों को राजसहायता देने की बात जोर-शोर से करते हैं। वास्तव में यह किसानों का अपमान है। अगर नि:शुल्क विद्युत नहीं दी जाती तो हम अपने उत्पादन के लक्षित स्तर को प्राप्त न कर पाते। क्या आप समझते हैं कि क्या हम निर्भरता की उस स्थिति से निकल सके हैं जिसमें हम अपने आपको उन पी एल 480 दिनों में पाते थे। राजसहायता का काम आसान था। कोई भी किसान मूल्य निर्धारण के लिए अपने अधिकार हेतु मांग नहीं करता था। कोई भी किसान सीमांत राशि की दर का फैसला नहीं करता। किसान केवल समर्थन मूल्य के लिए ही चिल्लाते हैं चाहे यह कितना ही न्यूनतम हो। इसको एक अनिवार्य कर्त्तव्य के रूप में करने की बजाए हम, राजनैतिक दल और प्रतिनिधि सरकारें उनका तिरस्कार करते हैं। उनकी मौलिक आवश्यकताओं को पूरा करने में हम संकोच करते हैं। जिन किसानों के पास अपने परिवार चलाने के लिए अन्य साधन हैं वे कृषि व्यवसाय को छोड़ रहे हैं। इस प्रवृत्ति को रोकना चाहिए। मैं इस सरकार का ध्यान यही सुनिश्चित करने के लिए आकर्षित करना चाहता हूं कि हमें भविष्य में किसी गंभीर संकट का सामना न करना पड़े। कई सिंचाई योजनाएं, यहां तक की प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं पर विचार किया गया था, अभी तक पूरी नहीं की गई हैं। अभी तक सिंचाई के लिए पर्याप्त आधारभूत संरचना तैयार नहीं की गई है। प्रत्येक सत्र में किसानों की समस्याओं पर केवल चर्चा करके ही हम उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। हमें दीर्घावधि नीति विकसित करनी चाहिए। कृषि, सिंचाई, वित्त और वाणिज्य विभागों का एक समुचित रवैया होना चाहिए। सभी राजनैतिक नेताओं को लेकर एक निगरानी समिति बनाई जानी चाहिए जिसमें उन मंत्रालयों के अधिकारी भी शामिल हों। हम किसानों के प्रति एक दूरगामी समाधान के लिए एक दीर्घावधि नीति के माध्यम से अपना आभार व्यक्त कर सकते थे। हमारे सम्माननीय साथी और वरिष्ठ नेता श्री मुलायम सिंह यादव ने दोहा में विश्व व्यापार संगठन की बैठक के दौरान हमारे माननीय वाणिज्य मंत्री श्री मुरासोली मारन द्वारा लिए निर्णय की सराहना की थी। परंतु उन्होंने यह भी कहा अंत में उन्होंने अपने पक्ष से समझौता कर लिया है। मुझे दुख है कि मैं उनकी इस बात से असहमत हूं। उनकी आलोचना तथ्यों पर आधारित नहीं है। अगर श्री मारन को सहमत होना होता तो यह केवल उनकी सहमति से ही हो सकता है। वे अपनी अंतरात्मा के विरुद्ध किसी बात से सहमत नहीं होंगे।

मैं आपका ध्यान समाचार पत्रों में छपी रिपोर्ट की ओर दिलाना चाहता हूं। बिजनेस स्टैंडर्ड द्रविड़ मुनेत्र कज़गम पार्टी से संबंधित नहीं है। यूरोपीय संघ के वाणिज्य मंत्री, जिन्होंने अपने प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया था, ने कहा कि उन्हें सभी यूरोपीय देशों का समर्थन प्राप्त है। हमारे केन्द्रीय मंत्री श्री मुरासोली मारन ने यह प्रतिक्रिया की कि उन्हें भारत के करोड़ों लोगों का समर्थन प्राप्त है। यूरोपीय संघ मंत्री ने यह कहते हुए उन पर दबाव डालने की कोशिश की कि वे भारत सरकार और भारत के प्रधान मंत्री से बातचीत करेंगे। बिजनेस स्टैण्डर्ड में यह उल्लेख है कि श्री मारन ने अपने पक्ष के साथ समझौता नहीं किया।

हमारे सभी समाचारपत्रों में यह कहा गया है कि श्री मारन ने उस नुकसान को पूरा करने के लिए अधिक से अधिक समय और ऊर्जा लगाकर भरसक प्रयास किए जो 1994 से अब तक विश्व व्यापार संगठन के वार्ताओं में हमारी भागीदारी से पैदा हुआ था। अत: मेरा इस सम्माननीय सभा और इसके माननीय सदस्यों से यह अनुरोध है कि हमें एक साथ मिलकर आगे आना चाहिए और किसानों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं के स्थायी समाधान ढूंढने के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करना चाहिए।

इसी के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री राजो सिंह (बेगुसराय): सभापति जी, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने बहुत समय के बाद आज मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया है। मैं सदैव ''उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, निकृष्ट चाकरी और भीख निदान'' कहता रहा हूं। सबसे अच्छी खेती मानी जाती थी और उसके बाद सेवा का नंबर आता था, लेकिन मंत्री जी, आपके राज में कृषि नीचे चली गई है और नौकरी अव्वल नंबर पर आ गई है।

सभापति महोदय, आज हमारे देश में खेती की जो स्थिति है, मैं उसके बारे में कुछ आंकड़े देकर स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं। भारतवर्ष में 999 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में खेती होती है और कुल उत्पादन 2230 लाख टन होता है। वहीं अमेरिका में हमसे कहीं बहुत कम भूमि 645 लाख हैक्टेयर में खेती होती है, लेकिन वहां उपज 3426 लाख टन होती है। यानी हमारे यहां होने वाली उपज से डेढ़ गुने के बराबर होती है। चीन में 916 लाख हैक्टेयर जमीन में खेती होती है और उपज 4438 लाख टन होती है। इससे आप अन्दाजा लगाइए कि हमारी स्थिति कहां है। आप बार-बार कृषि विभाग ले लीजिए, लेकिन आप रहेंगे वहीं, जहां हैं।

सभापति महोदय, शायद मंत्री जी को मालूम नहीं होगा कि वर्ष 1959 में कांग्रेस का नागपुर में अधिवेशन हुआ था। उस समय आपके पिताजी उत्तर प्रदेश के राजस्व विभाग के मंत्री थे। हमारे के.सी. पन्त जी के पिता जी ने उस समय कोआपरेटिव फार्मिंग पर रेजोल्यूशन मूव किया था। उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार देश में थी और पं. जवाहर लाल नेहरू प्रधान मंत्री थे। आपके पिताजी अकेले ऐसे आदमी थे जिन्होंने कोआपरेटिव फार्मिंग का विरोध किया था और उस समय कांग्रेस पार्टी ने इस बात को सीरियसली लिया था। लेकिन पं. जवाहर लाल नेहरू ने इन बातों को सीरियसली नहीं लिया था। आपके पिता जी बहुत बड़े डैमोक्रेट लीडर थे। उन्होंने कोआपरेटिव फार्मिंग का विरोध किया था, लेकिन प्रधान मंत्री ने उस प्रस्ताव को गिरा दिया और नागपुर अधिवेशन में कोआपरेटिव फार्मिंग के बारे में प्रस्ताव पारित हो गया। आज हम कहां जा रहे हैं।

सभापति जी, आज हम अपने देश में किसानों को 84 किलो प्रति हैक्टेयर खाद दे रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह): कोआपरेटिव फार्मिंग का प्रस्ताव नागपुर अधिवेशन में पारित नहीं हुआ।

श्री राजो सिंह: हमारे पास रिकार्ड है। आपके पिताजी ने विरोध किया था।

श्री अजित सिंह: हम अब भी विरोध कर रहे हैं।

सभापति महोदय: मंत्री जी, आप अपने उत्तर में जवाब दें।

श्री राजो सिंह: अब हिन्दुस्तान में कम्पनी फार्मिंग हो रही है।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (वाराणसी): उसी विरोध के कारण यह देश कम्युनिज्म से बच गया है।

श्री राजो सिंह: जायसवाल जी, आप बनारस से बीच में कहां आ गए। उनका क्या ठिकाना है, चुनाव होते-होते फिर इधर आ जाएं।

श्री अजित सिंह: सवाल उनका नहीं है, सवाल किसानों का है।

श्री राजो सिंह: मैं आपको किसानों की बात ही बता रहा हूं। आप भारत के किसानों को 84 किलोग्राम खाद उपलब्ध करवाते हैं जबकि अमरीका में किसानों को 114 किलोग्राम खाद दी जाती है, चीन में 266 किलोग्राम खाद दी जाती है। हमारी जो स्थिति है, अनुमान है कि सन् 2025 में भारत को 30 करोड़ टन

[श्री राजो सिंह]

अनाज की कमी हो जाएगी। आपके सामने आंकड़े उपस्थित कर रहा हूं, आप देख लीजिए। कृषि मंत्री जी, हाल ही में देश में आपने भी बयान दिया है कि आधी जमीन उत्पादन शक्ति खो चुकी है। हमने अखबार में पढ़ा है। मैं भी मानता हूं। यहां की बैंकिंग की स्थिति क्या है? किसानों को समय पर खाद नहीं मिलती, डीजल नहीं मिलता, जो कर्ज दिया जाता है, उसपर इतना चक्रवृद्धि ब्याज लगता है कि किसान तबाह हो जाता है और किसान का खेत सूखे से मारा जाता है। बगल में कृषि मंत्री जी बैठे हुए हैं, क्या उन्होंने कभी सोचा है। हमारे बिहार में कहा जाता है–'हरियल खेती देखकर गर्व किया किसान, अभी झोला बहुत है, घर आवे तो जान।' हरियल खेती तैयार हो जाती है, दाना आने लगता है और ऊपर से बाढ़ का पानी आ जाता है जिससे किसान परेशान हो जाता है। आप किसान की मजबूरी को नहीं समझते। उसके घर में जवान बेटी बैठी है। वह उम्मीद करता है कि घर में जब फसल आएगी तो उसे बेच कर अपनी लड़की की शादी करूंगा। लेकिन बाढ़ आने से सब लोग निराश होकर घर में बैठ जाते हैं। यह स्थिति हिन्दुस्तान के किसानों की है, चाहे वह केरल का किसान हो या किसी और प्रदेश का किसान हो।

श्री मुलायम सिंह जी ने अभी भाषण दिया। अभी तो आप बाहर से रोटी मंगवा रहे हैं। पकी-पकाई रोटी जो आठ दिनों तक खराब नहीं होती, वह मंगवा रहे हैं। बंगाली मार्किट में चलिए, आपको दिखा देता हूं। हमारे यहां शिमला का सेब बिक रहा है। किसानों से बहुत सस्ते रेट में मिलता है जो बिक नहीं पाता। धान, खेती और बिहार की स्थिति के बारे में मैं आपका ही उदाहरण दे रहा हूं। सभापति जी, आप समिति के अध्यक्ष हैं। हमें वह प्रतिवेदन मिला है। उसके बारे में आपने क्या लिखा है, पृष्ठ 88 पर देखिए, अनुदान की मांगें-2001-2002, ग्यारहवां प्रतिवेदन, लोक सभा में अप्रैल 2000 में पेश किया गया। उसमें कहा गया है कि बिहार में चावल का उत्पादन लगभग 77.41 लाख टन, धान के रूप में 123.85 लाख टन है जबकि खरीद लगभग 0.5 लाख टन है जो कि नगण्य है। यह इस बात का सबूत है कि बिहार के साथ किस तरह का सौतेला व्यवहार होता है। वहां के किसानों का धान आप नहीं खरीद पाते। हुकुमदेव जी ने कृषि मंत्री की हैसियत से बयान दिया कि हम चावल खरीदेंगे। कहां खरीदंगे-अपने निर्वाचन क्षेत्र में-कोई मिल है जो चावल देगी? आपने बयान क्यों दिया? इस तरह किसानों के साथ खिलवाड़ न करें। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: राजो सिंह जी, जरा संक्षेप में बोलिए, आपकी पार्टी के चार और वक्ता अभी लिस्टेड हैं।

...(व्यवधान)

श्री राजो सिंह: उनको सही बात कहने के लिए क्या कहेंगे। कुछ राज्य जैसे बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र और कर्नाटक आदि के साथ कठोर व्यवहार किया जा रहा है। अत: समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि अन्य राज्यों के किसानों, खासतौर से बिहार के साथ, इस प्रकार का भेदभाव और दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए तथा देश के किसानों के व्यापक हित को देखते हुए एक समान नीति अपनाई जानी चाहिए। यह सिफारिश पार्लियामैंटरी कमेटी की है, जिसे पार्लियामैंट ने ऐक्सैप्ट किया है। स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिश है फिर भी कृषि मंत्रालय ने क्या किया है। अपनी नीति निर्धारित नहीं की, फिर भी किसी तरह का किसानों को कोई लाभ नहीं मिला। अगर यही हालत रही तो मैं समझता हूं कि किसानों को कोई लाभ नहीं होने वाला है। मैं एक बात कहकर बैठ जाना चाहता हूं।

इन्होंने बड़ा जोर दिया कि बाहर की कम्पनी आकर फार्मिंग करे, यहां किसान के साथ एग्रीकल्चर फार्मिंग नहीं, कोआपरेटिव फार्मिंग नहीं, कम्पनी फार्मिंग हो और जब 3-4 साल वह खेती कर लेगा तो सारी की सारी जमीन बंजर हो जायेगी, वह जमीन बेकार हो जायेगी, किसान को उसका कोई फायदा नहीं होगा, ये ऐसी स्थिति उत्पन्न करने वाले हैं।

मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि किसानों के साथ खिलवाड़ मत करिये, नहीं तो आप आने वाले दिनों में अपने क्षेत्र में चाहे राजधानी बना दीजिए, चाहे जो भी बना दीजिए, वही किसान आपको हराकर छोड़ेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री प्रसन्न आचार्य (सम्बलपुर): सभापति महोदय, मैं अन्य माननीय सदस्यों की इन भावनाओं से सहमत हूं कि माननीय खाद्य मंत्री को इस समय चर्चा के दौरान यहां उपस्थित रहना चाहिए। मैं जानता हूं कि कृषि मंत्रालय किसानों की समस्याएं से संबंधित है परन्तु खाद्य मंत्रालय भी, विशेषकर ऐसे संकट में, किसानों की समस्याओं से कुछ कम संबंधित नहीं है। अत: अगर इस चर्चा के दौरान कृषि मंत्री के साथ माननीय खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री भी उपस्थित होते तो बेहतर होता। मुझे खेद है कि इस समय सभा में माननीय खाद्य मंत्री उपस्थित नहीं है।

महोदय, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले वर्ष और उससे पहले, देश के कई भागों में गंभीर सूखे के कारण कठिन समस्याओं को झेलना पड़ा। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज): खाद्य मंत्री कहां हैं?

सभापति महोदय: माननीय रघुनाथ झा जी, आपको मालूम है, आप सीनियर मैम्बर हैं, कृषि मंत्री जी यहां हैं, सरकार की संयुक्त जिम्मेदारी होती है।

[अनुवाद]

श्री प्रसन्न आचार्य: गत वर्ष, देश में कई राज्यों को गंभीर सूखे का सामना करना पड़ा। इस वर्ष देश के कई भागों में बहुत अच्छी फसल हुई है। दुर्भाग्यवश, गत वर्ष, जब सूखा पड़ा था और सूखे के कारण किसानों को काफी तकलीफें हुई थी, इस वर्ष, देश के गरीब किसान अधिक फसल के कारण तकलीफ में हैं। कई माननीय सदस्यों ने यहां ठीक ही कहा है कि बाजार में धान या गेहूं की कोई बिक्री नहीं हुई है और हताशा में बिक्री किए जाने की गंभीर समस्या उत्पन्न हुई है।

महोदय, मैं उड़ीसा जैसे गरीब राज्य से आया हूं। गत वर्ष, मेरे राज्य में भयंकर सूखा पड़ा था और गत वर्ष से पहले भी भयंकर सूखा पड़ा था। सौभाग्य से, इस वर्ष काफी अच्छी फसल हुई है। गैर-सिंचाई क्षेत्रों में भी, फसल अच्छी हुई है। यदि आप देश के उस भाग के विभिन्न मार्केट यार्डों और विशेषकर देश के पूर्वी क्षेत्र में जाते हैं तो आप पाएंगे कि विभिन्न मार्केट यार्डों में हजारों क्विंटल धान का ढेर लगा हुआ है परन्तु कोई खरीदने वाला नहीं है। जैसाकि बिहार के माननीय सदस्यों ने बिल्कुल ठीक ही कहा है कि प्रत्येक किसान विशेषकर गरीब किसान मध्यम वर्ग के किसान और छोटे वर्ग किसान अपनी आजीविका के लिए पूरी तरह से अपने धान अथवा गेहूं पर निर्भर होते हैं। यदि कोई गरीब किसान अपनी पुत्री की शादी करना चाहता है तो उसे अपने धान अथवा गेहूं को बेचना पड़ता है। यदि कोई गरीब किसान अपने पुत्र को कालेज में दाखिल करवाना चाहता है तो उसे अपने धान अथवा गेहूं तो बेचना पड़ता है। यदि कोई गरीब किसान उपचार हेतु अपनी पत्नी को अस्पताल ले जाना चाहता है तो उसे अपने धान अथवा गेहूं को बेचना पड़ता है अपनी धान की फसल अथवा गेहूं को बेचे बिना अथवा वह अस्पताल की जा सकता अथवा वह 10 रु. मूल्य की औषधि तक नहीं खरीद सकता। यह हमारे किसानों की हालत है इस हालात में जब अच्छी फसल होती है तो इसे खरीदने वाला कोई नहीं होता और सरकार इसे खरीदने से इन्कार कर देती है।

महोदय भारत सरकार भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से खाद्यान्न खरीदती है मैं भारतीय खाद्य निगम पर पक्षपातपूर्ण रवैये का आरोप लगाता हूं। भारतीय खाद्य निगम भिन्न-भिन्न राज्यों के लिए भिन्न-भिन्न रवैया अख्तियार करना है। मैं एक उदाहरण दूंगा। मेरे राज्य में 80% से अधीन धान उबले चावल के लिए होता है। भारत सरकार का खाद्य मंत्रालय इस आरोप से स्वयं को बचा नहीं सकता। उन्होंने कच्चे चावल का मूल्य काफी पहले ही निर्धारित कर दिया था।

कतिपय बड़े राज्य हैं मैं यहां उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं। मुझे नहीं पता कि उन्होंने उबले चावल के मूल्य घोषित क्यों नहीं किये हैं। यह खाद्य मंत्रालय में कुछ शक्तिशाली लॉबी के कारण होगा अथवा उनके प्रभावशाली राजनीतिक दबाव के कारण ही होगा अथवा ऐसे दल के प्रतिनिधित्व के कारण होगा जिसका एन.डी.ए. सरकार में काफी दबदबा है। अन्य सदस्यों के लिए चावल और गेहूं की खरीद अक्तूबर माह से ही शुरू हो जाती है लेकिन मेरे गरीब राज्य उड़ीसा में, मेरे पड़ोसी गरीब राज्य छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश और बिहार राज्यों में जहां उबालने वाले चावल का उत्पादन अधिक होता है उसके मूल्य निर्धारित नहीं किये गये हैं क्यों? भारतीय खाद्य निगम ने कुछ राज्यों से खाद्यान्नों की खरीद करनी आरम्भ कर दी है और उड़ीसा जैसे राज्यों में उसने बिल्कुल कार्यवाही आरम्भ तक नहीं की है। भारतीय खाद्य निगम और खाद्य मंत्रालय द्वारा यह दोहरा मानदण्ड क्यों अपनाया जा रहा है? इसलिए मैं चाहता हूं कि माननीय खाद्य मंत्री जी को इस सभा में उपस्थित होकर इस बात को स्पष्ट करना चाहिए।

महोदय, सर्वप्रथम मैं माननीय कृषि मंत्री, जो इस सरकार का प्रतिनिधित्व भी करते हैं से अनुरोध करना चाहूंगा कि वह इस पहलू पर भी विचार करे। इसके साथ-साथ भारतीय खाद्य निगम स्थानाभाव की दलील भी दे रहा है। मैं जानता हूं कि इस समय मेरे राज्य में राज्य सरकार की खरीद का लक्ष्य 15 लाख मीट्रिक टन चावल का है। मैं विशेषकर अपने राज्य के बारे में जानता हूं कि वहां केवल 6 लाख मीट्रिक टन चावल के लिए जगह है जब वहां जगह ही नहीं है और जब भारतीय खाद्य निगम हमेशा उड़ीसा जैसे राज्यों में यह दलील देता आ रहा है कि वहां स्थानाभाव है इसलिए वे किसानों से धान अथवा गेहूं खरीदने में असमर्थ है तो आप अन्य राज्यों से चावल और गेहूं खरीदकर उड़ीसा में क्यों ढेर लगा रहे हैं? क्या यह भण्डारण सुविधा के लिए है? तो हम वहां आपका खाद्यान्न का भण्डारण करने के लिए है। स्थानाभाव की दलील पर आप उड़ीसा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और बिहार के गरीब किसानों से चावल अथवा गेहूं की खरीद नहीं कर रहे हैं दूसरी ओर आप अन्य राज्यों के गेहूं और चावल भण्डारण करने के लिए यहां ढेर लगा रहे हैं यह क्या नीति है? यह पूरी तरह से दोहरा मानदण्ड है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि भारतीय खाद्य निगम और खाद्य

[श्री प्रसन्न आचार्य]

मंत्रालय को, जिसके प्रशासनाधीन भा.खा.नि. कार्य कर रहा है, खरीद नीति के संबंध में अत्यन्त सुस्पष्ट निर्णय लेने दीजिए।

जैसाकि कुछ माननीय सदस्य बिल्कुल ठीक ही कह रहे थे कि सरकार प्रत्येक वर्ष धान और गेहूं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है। यह न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन के वास्तविक लागत से काफी कम है। कोई भी इस तथ्य से इन्कार नहीं कर सकता। आप समर्थन मूल्य निर्धारित कर रहे हैं जो उत्पादन की वास्तविक लागत से काफी कम है। दूसरी ओर आप किसानों को वह न्यूनतम समर्थन मूल्य भी देने में असमर्थ है। मैं जानता हूं कि मेरे राज्य में किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य से 200 या 250 रु. से भी कम मूल्य पर अपने धान बेचने के लिए बाध्य है। गरीब किसान किस प्रकार फलेंगे फूलेंगे? हम यह कह रहे हैं कि हम हरित क्रान्ति में सफल हुए हैं। इसका परिणाम क्या है? हरित क्रान्ति का प्रभाव क्या है? अत: मैं इसे समझ नहीं सकता हूँ।

महोदय मैं क्षमा चाहता हूं। महोदय मैं माननीय खाद्य मंत्री की विद्वता पर प्रश्न कर रहा हूं। महोदय मैं पुन: क्षमा चाहता हूं कि मैं माननीय खाद्य मंत्री की विद्वता पर प्रश्न करते हुए उनके द्वारा घोषित प्रस्ताव को दोहराता हूं कि भारत सरकार उस समय किसानों से धान और गेहूं की खरीद को बन्द करने जा रही है जहां खरीद आरम्भ ही की गई थी। मुझे यह बात समझ में नहीं आती है। माननीय खाद्य मंत्री के इस वक्तव्य में बाजार में अव्यवस्था उत्पन्न कर दी है। पुन: बाजार में मन्दी आई है। सिद्धांतविहीन व्यापारियों, व्यावसायियों और मिल मालिकों ने ऐसे वक्तव्य का लाभ उठाया है और उन्होंने बाजार में चावल, धान और गेहूं के मूल्यों को और कम करने का प्रयास भी किया है। इससे गरीब किसानों को भुगतना पड़ा है। मुझे यह समझ में नहीं आता है। भारत सरकार अथवा भारत सरकार के किसी उत्तरदायी मंत्री को ऐसे वक्तव्य जारी करने से पहले जिसका बाजार और गरीब किसानों पर अत्यन्त गहरा प्रभाव पड़ता है। सैकड़ों बार सोचना चाहिए।

सभापति महोदय: कृपया समाप्त कीजिए।

श्री प्रसन्न आचार्य: कृपया मुझे दो मिनट का समय दीजिए। एक बात है। जैसा कि मैंने बताया कि प्रत्येक गरीब किसान, प्रत्येक छोटा किसान, प्रत्येक मध्यम वर्ग का किसान अपनी आजीविका के लिए पूरी तरह खाद्यान्न पर निर्भर होता है जब किसान निम्न दर पर अपनी उपज बेच रहा होता है तो भारतीय खाद्य निगम, मिल मालिक जो भारतीय खाद्य निगम की ओर से धान खरीदता है वह गरीब किसानों को भुगतान नहीं करता है। मुझे यह बात मालूम है। यह बात मेरे निर्वाचन क्षेत्र में हो रही है मैं उस क्षेत्र से संबंध रखता हूं जो सिंचित है। वह मुख्य क्षेत्र है जो हीराकुण्ड बांध परियोजना द्वारा सिंचित किये जाते हैं। अपनी फसल को दो माह पश्चात भी बेचने पर उन्हें उसका भुगतान नहीं दिया जा रहा है।

आप किस प्रकार आशा करते हैं कि जब आज स्थिति ऐसी है तो गरीब किसान कैसे फलेगा-फूलेगा? इसलिए मैं कृषि मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह खाद्य मंत्री के साथ इन मुद्दों पर विचार करे। भारत सरकार को इन सभी समस्याओं को गम्भीरता से लेना चाहिए।

किसानों द्वारा झेली जा रही अन्य समस्या 'एफ ए क्यू' से संबंधित है। मुझे नहीं पता यह 'एफ ए क्यू' कहां से आया है? 'एफ ए क्यू' का तात्पर्य ''उचित औसत गुणवत्ता'' है। भारतीय खाद्य निगम में 'एफ ए क्यू' की परिभाषा क्या है और भारत सरकार में 'एफ ए क्यू' की परिभाषा कुछ और ही है। मिलर एजेन्ट के लिए जो भारतीय खाद्य निगम की ओर से खरीद करता है और किसान के लिए 'एफ ए क्यू' दो भिन्न चीजें हैं। 'एफ ए क्यू' के नाम पर भारतीय खाद्य निगम और मिलर एजेंटों ने जो किसानों की ओर से धान और गेहूं की खरीद करता है, किसानों को अधिक परेशानी में डाल दिया है। 'एफ ए क्यू' के नाम पर वे धान के मूल्य कम लगा रहे हैं लेकिन जब वह उसी धान को कूटते हैं और भारतीय खाद्य निगम को चावल के रूप में बेचते हैं तो भा.खा.नि. के शब्द कोष से 'एफ ए क्यू' गायब हो जाता है।

पूरी जिम्मेदारी और पूरी अन्तर्विवेक के साथ मैं यह आरोप लगा रहा हूं कि उड़ीसा में और देश के विभिन्न राज्यों में एक बोरी धान के लिए 25-30 रुपये ऊपर से देने पड़ते हैं। मेरा यह आरोप है और मैं किसी प्रकार की भी जांच का सामना करने के लिए तैयार हूं यदि भारत सरकार अथवा खाद्य मंत्रालय इसकी जांच करवाती है। यह उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश और देश के अन्य भागों में किसानों की दशा है। अत: सरकार को सभी समस्याओं पर गम्भीरता में विचार करना चाहिए। किसानों के हितों को अनदेखा मत कीजिए। जब तक किसान जीवित नहीं है, देश जीवित नहीं रह सकता। अत: मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री से और भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह स्थिति की और समस्या की गम्भीरता को समझे उन्हें इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): इसका जवाब कौन देगा? यह सवाल उठा दिया गया है तो कहेंगे कि यह हमारा विभाग नहीं है। ...*(व्यवधान)* किसानों का सवाल उठ रहा है। ...*(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज): फूड मिनिस्टर यहां क्यों नहीं है? इतना गंभीर मामला है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, यह चर्चा किसानों की दशा पर है जो उचित मूल्य पर अपने धान और गेहूं को देने में समर्थ नहीं होते हैं। यह एफ सी आई खरीद से जुड़ी हुई है। यह खाद्य मंत्रालय से जुड़ी हुई है और खाद्य मंत्री अनुपस्थित है। यह सरकार का रवैया है। यदि आप सूचना को ध्यान से देखे तो आपको पता चलेगा कि यह चर्चा किसानों की दशा से संबधित है।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: सभापति महोदय, चेयर से निदेश दिया जाये कि फूड मिनिस्टर यहां हाजिर हों। यह सरकार गंभीर नहीं है, इससे यह साबित होता है। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: आज इसी तरह से हाउस को ट्रीट किया जा रहा है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा: सभापति महोदय, आपका हुकम तो मानेंगे ही, लेकिन आप भी तो उधर हुकम दीजिए कि एक गंभीर मामले पर सवाल उठा है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: सरकार की संयुक्त जिम्मेदारी होती है लेकिन इस तरह की परिपाटी है जिसमें सरकार की भी जिम्मेदारी है कि उसमें उसे सचेत होना पड़ेगा।

...*(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा: फूड मिनिस्ट्री के साथ प्रोक्योरमेंट का सवाल है और फूड मिनिस्ट्री पर इल्जाम लगा रहे हैं और वह कहां हैं? ...*(व्यवधान)* इतने सारे गंभीर सवाल उठ रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण करिए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं और उन्होंने आपके सभी बिन्दुओं को नोट किया है। संयुक्त जिम्मेदारी सरकार की होती है।

...*(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा: आज किसान पर बहस हो रही है और उसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। ...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: सभापति जी, किसानों के हितों पर बहस हो रही है लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। यह बहुत गंभीर मामला है। ...*(व्यवधान)* चेयर से निदेश दिया जाये कि फूड मिनिस्टर हाजिर हों। ...*(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियन (तिरूनेलवेली): सभापति महोदय, मैं भारत में किसानों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं की चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं।

महोदय 1994 में विश्व व्यापार संगठन करार जिसने कृषि को भारत सरकार द्वारा इसकी नीति के भीतर ला दिया था। जब हम औद्योगिककृत राष्ट्रों के साथ भारत की तुलना करते हैं तो इसे हम पूर्णत: असमान पाते हैं। हमारा कृषि प्रधान देश है भारतीय कृषि के लिए परीक्षा की घड़ी है।

महोदय 1994 में इस विश्व व्यापार संगठन करार के पश्चात्, इन औद्योगिककृत देशों ने ब्लू और ग्रीन बाक्स जैसे कई रक्षोपाय प्रारम्भ किये हैं लेकिन हमको भारत में यहां अपने आजीविका के लिए लिवलिहुड बाक्स की व्यवस्था तक नहीं हैं। उन औद्योगिकीकृत देशों ने भारी आयात शुल्क लगाकर रक्षोपाय किये हैं उदाहरण के लिए जापान ने चावल के आयात पर 2000 प्रतिशत आयात शुल्क लगाया है। हमने किसानों की सुरक्षा के लिए ऐसे कठोर कदम नहीं उठाए हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमरीका में किसानों की उपज न करने के लिए धन दिया जा रहा है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया सदस्य को बोलने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियन: लेकिन यहां गरीब किसान को अधिक उपज उगाने के लिए दण्ड दिया जा रहा है। ...*(व्यवधान)*

महोदय, 1 अगस्त 2001 को एफ सी आई के पास 60.91 मिलियन टन भंडार है जिसमें 38.71 मिलियन टन गेहूं और 22.20 मिलियन टन चावल है। यह 1 अगस्त 2000 के स्टॉक से 48% अधिक है। जुलाई 2001 तक सरकार ने एफ सी आई को राजसहायता के रूप में 3884 करोड़ रुपये जारी किये हैं। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): सभापति महोदय मैं एक बात कहना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: श्री पी.एच. पांडियन की बात के अलावा कोई भी बात प्रोसीडिंग में नहीं जाएगी।

...*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री पी.एच. पांडियन (तिरूनेलवेली): महोदय, जैसाकि मैंने कहा, ''ग्रीन बाक्स'' के उपबंधों में कृषि अथवा ग्रामीण समुदाय को सेवा अथवा लाभ प्रदान कराने, खाद्य सुरक्षा हेतु भंडारण घरेलू खाद्य सहायता, निम्न आय और कम संसाधन वाले गरीब परिवारों के लिए निवेश संबंधी और कृषि आदान संबंधी राजसहायता दी जाने संबंधी नीतियां शामिल हैं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): महोदय, इतना गम्भीर विषय है और खाद्य मंत्री सदन में उपस्थित नहीं हैं।

सभापति महोदय: माननीय मंत्री जी सभी बिन्दुओं को नोट कर रहे हैं। उनका जवाब दिया जायेगा?

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी.एच. पांडियन: महोदय, हमारे कृषक परिवार विश्व व्यापार संगठन समझौते से उत्पन्न सभी नकारात्मक प्रभावों का सामना कर रहे हैं और यह अधिकांशत: हमारी अकर्मण्यता अथवा समय पर कार्यवाही न किये जाने के कारण है।

महोदय, मैं यहां इस बात पर बल देना चाहूंगा कि जब इस वर्ष विश्व व्यापार संगठन के समझौते की समीक्षा की जाए तो इसमें हमारे द्वारा 'लाइवलीहुड बाक्स' का प्रावधान किये जाने पर बल देना आवश्यक होगा जिससे हम मात्रात्मक प्रतिबंध लगा सकेंगे। ऐसा तभी किया जाना चाहिए जब इस बात के स्पष्ट प्रमाण मौजूद हों कि इस प्रकार के आयात से लघु और सीमांत किसानों और भूमिहीन कृषि मजदूरों अथवा लघु कृषि प्रसंस्करण और कृषि कारोबार संबंधी क्रियाकलापों में सम्मिलित व्यक्तियों के लिए जीविकोपार्जन के अवसर समाप्त हो जायेंगे।

ये वे लोग हैं जो लगातार लघु कृषि प्रसंस्करण और कृषि पर आधारित कारोबार संबंधी क्रियाकलापों में लगे हुए हैं।

महोदय, एक प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक का यह मत है कि भूमंडलीकरण के कारण आर्थिक विकास बेरोजगार को बढ़ावा मिला है। ''लाइवलीहुड बाक्स'' के बगैर हम बेरोजगार आर्थिक विकास को बढ़ावा नहीं दे पाएंगे। इस समय मैं यही कहना चाहूँगा कि भारत को खाद्य और खाद्य उत्पादन के मामले में विश्व व्यापार संगठन के समझौते से अलग हो जाना चाहिए। हमने इस सभा में विश्व व्यापार संगठन समझौते के खंडों को नहीं देखा है। इसके क्या-क्या खंड हैं। हम समाचार-पत्रों में हर प्रकार की बातें पढ़ते रहे हैं। संसद को विश्व व्यापार संगठन के उन खंडों के बारे में कभी भी सूचित नहीं किया गया है। विश्व व्यापार संगठन ने भारतीय अर्थव्यवस्था और हमारे खाद्य उत्पादन को खराब कर दिया है। यह गरीब किसानों के साथ धोखाधड़ी कर रहा है। मैं किसानों का समर्थन करता हूं। विश्व व्यापार संगठन समझौते की 1994 के बाद कभी भी समीक्षा नहीं की गई है ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: क्या आप समझते हैं कि श्री मारन ने दोहा में ठीक कार्य किया है? ...*(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियन: मैं वाणिज्य मंत्रालय का उल्लेख करना चाहूंगा। मैं यहां किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेना चाहूंगा ...*(व्यवधान)* इस कहानी का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह है कि बेहतर उत्पादन के बावजूद आज किसान मूल्य में अत्यधिक गिरावट आने की स्थिति का सामना कर रहे हैं। किसकी गलती है? किसानों की गलती नहीं है। किसानों ने कुछ भी गलत नहीं किया है। उन्होंने बलिदान दिया है। वे खेतिहर हैं और उन्होंने उत्पादन किया है। इस भारी उत्पादन के लिए केवल किसान ही जिम्मेवार है। देश में आज प्रचुर मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध है। अत: भारत को कृषि नीति से संबंधित मामलों में विश्व व्यापार संगठन समझौते से हट जाना चाहिए। विश्व व्यापार संगठन में यथा तैयार और शामिल की गई कृषि नीति इस देश के किसानों के लाभ के लिए नहीं है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री पांडियन, कृपया अपनी बात अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री पी.एच. पांडियन: महोदय, कुछ व्यवधान हो रहा है।

श्रीमती रेणूका चौधरी: विश्व व्यापार संगठन से अलग होने से किसानों को कैसे लाभ होगा ...*(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियन: तब उन्हें बढ़ा हुआ मूल्य मिलेगा।

श्रीमती रेणूका चौधरी: उन्हें बढ़ा हुआ मूल्य कैसे मिलेगा ...*(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियन: सरकार फसल अवकाश (क्राप हालीडे) की घोषणा कर सकती है और सरकार को निश्चित रूप से संसाधन जुटाने चाहिए ...*(व्यवधान)* महोदय प्रथम खंड सभी विकासशील देशों के लिए सुरक्षोपाय संबंधी मशीनरी से संबंधित था। क्या यह सुरक्षोपाय किया गया? क्या किसानों के लिए कोई सुरक्षोपाय संबंधी मशीनरी की व्यवस्था की गई थी?

श्रीमती रेणूका चौधरी: जापान ने आयात शुल्क में 300 प्रतिशत की वृद्धि की है। आपके पास क्या संरक्षण है?

श्री पी.एच. पांडियन: महोदय, मैं सरकार से संरक्षण दिए जाने की मांग कर रहा हूं। सोयाबीन के आयात के संबंध में विशेष परिस्थितियों के अंतर्गत मात्रात्मक प्रतिबंध मौजूद हैं। सरकार ने क्या किया?

अतएव, महोदय, कृषि उत्पादन हेतु मात्रात्मक प्रतिबंध बहाल रखना और उच्च आयात शुल्क रखना भारत को विश्व व्यापार संगठन वार्ता के दौरान अधिकारिक शर्त होनी चाहिए थी। क्या ऐसा था? फिर मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाये जाने के ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

श्री पी.एच. पांडियन: नई कृषि नीति से किसान बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। समझौते में मात्रात्मक प्रतिबंध बहाल रखना और समीक्षा की प्रक्रिया के दौरान क्रियान्वयन न होना तीसरे विश्व के देशों में हमारी स्थिति किसानों के हितों को कमजोर करती है।

मैं किसानों की समस्याओं पर तीसरी बार चर्चा में भाग ले रहा हूं। हमें अब तक इस संबंध में कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। हम वाद-विवाद में भाग लेते हैं। ऐसे वाद-विवादों में भाग लेने का क्या फायदा है। किसानों के सामने आ रही समस्याओं पर वाद-विवाद को केवल रस्म अदायगी नहीं माना जाना चाहिए। सरकार को ठोस समाधान ढूंढना चाहिए और कार्य योजना तैयार करनी चाहिए। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है ...*(व्यवधान)* यह किसानों से संबंधित मुद्दा है। किसानों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं में कोई दलगत भावना नहीं है।

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री पी.एच. पांडियन: मैं अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम दल की ओर से किसानों का पूर्ण समर्थन करता हूं ...*(व्यवधान)* यह सब हमारे लिए न्यूनतम साझा कार्यक्रम है ...*(व्यवधान)* सरकार को किसानों की समस्या को सुलझाना चाहिए। वह किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दे। और अंत में, इस विषय पर प्रत्येक छः माह के अंतराल में चर्चा नहीं होनी चाहिए।

अपराह्न 5.43 बजे

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

इसे प्रत्येक वर्ष रस्म अदा करने लायक विषय नहीं बनाया जाना चाहिए ...*(व्यवधान)* दलगत भावना से ऊपर उठकर, हम किसानों की समस्या के मुद्दे पर उनके साथ हैं।

मैं अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की ओर से सरकार से किसानों की सहायता करने हेतु कोई समाधान करने का अनुरोध करता हूं। श्री अजीत सिंह स्वयं एक कृषक हैं। वे किसान नेता हैं। उनके पिता भी किसान नेता थे। उन्हें पहल करके किसानों की समस्या सुलझानी चाहिए। इस प्रकार की चर्चा संसद में फिर नहीं की जानी चाहिए। अगली बार विपक्ष द्वारा इस संबंध में सरकार को 'धन्यवाद' देना चाहिए। सरकार निश्चितरूप से इस प्रकार कार्य करे। सरकार को किसानों की समस्याएं समझनी चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री पहल करके प्रधान मंत्री को मनायें कि विश्व व्यापार संगठन के समझौते से निकलकर किसानों का समर्थन किया जाए और किसानों के हितों की रक्षा की जाए।

लगभग 651 मदों का आयात किया जा रहा है। दुग्ध उत्पाद आयात आदेश, 1992 के अंतर्गत दुग्ध पाउडर, पनीर, दही, आइसक्रीम इत्यादि का आयात किया जा रहा है। यादव लोग क्या कर रहे हैं? श्री मुलायम सिंह यादव और श्री लालू प्रसाद यादव को निश्चितरूप से साथ-साथ संघर्ष करना चाहिए क्योंकि दुग्ध उत्पाद आदेश से यादव समुदाय के लोगों को कठिनाई होगी।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रनाथ सिंह (मछलीशहर): अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जो मामला किसानों का चल रहा है वह फूड-मिनिस्टर से संबंधित है।

अध्यक्ष महोदय: रूल बताइये।

श्री चन्द्रनाथ सिंह : मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर यह है कि सीधे फूड मिनिस्टर के ऊपर आरोप लग रहा है। यू.पी. में इसकी खरीद हो रही है और बिचौलियों द्वारा खरीद हो रही है। फूड मिनिस्टर इसका जवाब दें। उनको यहां उपस्थित रहना चाहिए। यह एक गम्भीर आरोप है। कृषि मंत्री इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री ए.सी. जोस (त्रिचूर): महोदय, विश्व व्यापार संगठन पर चर्चा हो रही है और संबंधित मंत्री महोदय यहां उपस्थित नहीं हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: दोनों मंत्री महोदय यहां उपस्थित हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री किशन सिंह सांगवान के भाषण को छोड़कर कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए।

*...(व्यवधान)**

श्री ए.सी. जोस: महोदय विश्व व्यापार संगठन पर चर्चा हो रही है। यहां कोई उपस्थित नहीं हैं। श्री मुरासोली मारन यहां उपस्थित नहीं हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: फिर आप सभा का समय नष्ट कर रहे हैं। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। मैंने श्री किशन सिंह सांगवान का नाम पुकारा है।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): अध्यक्ष महोदय, प्रक्योरमैंट का सीजन अभी चल रहा है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बाद में बोलिए।

श्री किशन सिंह सांगवान (सोनीपत): अध्यक्ष महोदय, काफी समय से किसानों की समस्याओं पर चर्चा चल रही है। काफी माननीय सदस्यों ने अपने-अपने प्रदेशों की, सारे देश के किसानों की समस्याओं के बारे में सदन में कहा। हर संसद के सैशन में किसी न किसी शक्ल में किसानों की समस्याओं पर चर्चा होती रहती है। आप भी स्वयं जानते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था खेती पर निर्भर है। 80 प्रतिशत किसान सीधे या अप्रत्यक्ष या मजदूरी के रूप में खेती करते हैं।

यह भी कटु सत्य है कि आजादी से लेकर आज तक किसानों की दशा दयनीय रही है। आजादी मिलने के बाद किसी ने किसानों की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया और किसान दबता चला गया। 1951 में उद्योग नीति तो बन गई लेकिन कृषि नीति 50 साल के बाद पिछले वर्ष वाजपेयी जी की सरकार से बनाई। पचास साल तक किसी ने कृषि नीति नहीं बनाई। अगर पचास साल पहले कृषि नीति बन जाती तो आज किसानों की समस्याओं पर सब माननीय सदस्य जो बात कर रहे हैं, इतनी नौबत नहीं आती। आज यह हालत है कि हमारी संस्कृति और सभ्यता यूरोपियन होती जा रही है और खेती का काम भी यूरोपियन होता जा रहा है।

हर सदस्य ने अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में यहां बताया। देश का कोई क्षेत्र हो, कोई जिला हो, कहीं अकाल पड़ता है, कहीं सूखा पड़ता है, कहीं बाढ़ आती है, कहीं बीमारी लग जाती है और कहीं मार्किट की समस्या पैदा हो जाती है। समस्याएं ही समस्याएं हैं। बहुत ज्यादा समस्याएं हैं।

हरियाणा, पंजाब, वैस्टर्न यूपी जिसे एक खुशहाल इलाका कहा जाता है। वहां के किसानों की स्थिति में आपके सामने रखना चाहता हूं। माननीय सदस्यों ने अपने-अपने प्रदेशों की बात यहां रखी। जिन क्षेत्रों में किसान खुशहाल माना जाता है, मैं वहां की समस्याएं आखिरी आंकड़ों के मुताबिक रखना चाहता हूं। होल्डिंग की समस्या बन गई। जनसंख्या के बढ़ने के कारण जमीन का बंटवारा हो गया। आज 22 परसैंट ऐसे किसान हैं जिन के पास केवल एक एकड़ जमीन है। 59.4 परसैंट किसान ऐसे हैं जिनके पास ढाई एकड़ जमीन है, 18.6 परसैंट किसान ऐसे हैं जिनके पास पांच एकड़ जमीन है। यह होल्डिंग की स्थिति है कि एक एकड़ पर कितना बोझ पड़ रहा है। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के आंकड़ों के मुताबिक 1655 करोड़ रुपए कमर्शियल बैंकों का लोन, 1752 करोड़ रुपये कोआपरेटिव बैंकों का लोन, 4800 करोड़ रुपये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन्स का लोन और दूसरे लोन प्राइवेट व्यापारियों के अलग हैं यानी 7600 रुपए पर-एकड़ किसान कर्जदार है। इस हिसाब से आज इन प्रान्तों के किसानों की हालत है जिन्हें खुशहाल किसान कहते हैं और खुशहाल प्रदेश कहते हैं। दूसरे प्रदेशों की क्या हालत होगी, आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं। मैं हर प्रदेश की प्राब्लम का जिक्र नहीं करना चाहता।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय, किसान का एक साधन पशुधन होता है। जिसके पास जमीन नहीं थी, वह पशुधन से गुजारा कर लेता था। मेरे पास आंकड़े मौजूद हैं। 1952 में प्रति एक हजार व्यक्तियों के पीछे 452 पशु थे जो 1992 तक आते-आते प्रति एक हजार किसान के पीछे 232 पशु रह गये। पशुओं की संख्या इतनी घट गई है। स्वाभाविक है कि इससे किसान की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा।

जहां तक बाढ़, सूखा का प्रश्न है, सारे देश में कहीं सूखा है, कहीं बाढ़, कहीं बीमारी और कहीं ओले हैं। इस ओर आज तक ध्यान नहीं दिया गया। इस सरकार ने नई कृषि नीति दी है, देखते हैं इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? इसे किस ढंग से लागू किया जायेगा, यह आने वाला समय बतायेगा। किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था की गई। इसके अंतर्गत करोड़ों किसानों ने फायदा उठाया है लेकिन बैंकिंग सिस्टम डिफैक्टिव है।

श्री चन्द्रनाथ सिंह: यह व्यवस्था आपके हरियाणा में होगी, उत्तर प्रदेश में नहीं है।

श्री किशन सिंह सांगवान: सरकार ने बहुत सी योजनायें बनाई हैं जो बैंकिंग सिस्टम से जुड़ी हुई हैं। गांव का आदमी जब बैंक में जाता है तो उसे लूट लिया जाता है। उसे व्यवहार ठीक तरह से नहीं मिलता। जो सहायता उसे मिलनी चाहिए, वह नहीं मिल पाती और उसका सारा पैसा लूट लिया जाता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं अब फसल बीमा योजना की बात करना चाहूंगा। मैं इस सरकार को मुबारकबाद देना चाहता हूं जिसने फसल बीमा योजना बनाई। पिछले पचास सालों से किसानों और राजनैतिक दलों की मांग थी कि फसलों का नुकसान होता है, चाहे वह प्राकृतिक आपदा से हो या किसी अन्य कारण से हो, फसलों के लिए बीमा योजना होनी चाहिए। इसलिए इसकी योजना सरकार ने बनायी है लेकिन इंपलीमेंट नहीं हुई है। कुछ प्रदेश में लागू नहीं हुयी है और जहां लागू हुई है, वहां प्रभावशाली नहीं है। माननीय मंत्री जी बैठे हुए है। वे खुद किसान हैं और प्राकृतिक प्रकोप से परिचित हैं। यदि फसल बीमा योजना को लागू कर दें तो प्राकृतिक प्रकोपों से किसान को राहत मिल जायेगी। यह एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, अभी उड़ीसा से हमारे एक साथी बोल रहे थे। बम्पर क्राप आती है लेकिन मार्किट नहीं होने से किसान को नुकसान होता है। हमारे दूसरे साथियों ने भी इस सवाल को उठाया है कि किसानों को उसकी फसल की सपोर्ट प्राइस मिलनी चाहिए। जब मार्किट में फसल चली जाती है, तब उसका प्राइस घोषित कर दिया जाता है जबकि फसल की बुवाई से पहले सरकार को सपोर्ट प्राइस घोषित करनी चाहिए। यह सब से बड़ा काम है। अगर कृषि मंत्रालय किसानों का भला चाहता है तो फसल बोने से पहले यह भाव तय कर दिया जाये कि किसान को गेहूं, धान, बाजरा और कपास का यह भाव मिलेगा तभी किसान अपनी इच्छा के मुताबिक उतनी ही काश्त कर सकता है। भण्डारण की जो समस्या आ रही है, वह भी नहीं होगी। यदि माननीय कृषि मंत्री यह काम कर दें तो सारी जिन्दगी किसान आपको याद रखेंगे। यदि किसान को फसल बोने से पहले भाव मिल जाये तो वह मानसिक रूप से तैयार हो जाता है।

अध्यक्ष महोदय, कृषि मूल्य आयोग की क्या स्थिति है। इस आयोग में किसानों का कोई नुमाइंदा नहीं है। इसका काम किसानों की फसलों का भाव तय करना है लेकिन उसमें किसान नहीं है।

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी (बाड़मेर): यह आपकी सरकार को तय करना चाहिए।

श्री किशन सिंह सांगवान: एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन में 50 प्रतिशत से ज्यादा किसानों के नुमाइंदे होने चाहिए तभी किसानों को उनकी फसल का सही भाव मिलेगा।

महोदय, मैं हरियाणा की बात करता हूँ। हरियाणा देश के खुशहाल प्रदेशों में से एक है। कुछ समस्याएं कुदरती हैं। आधा हरियाणा बाढ़ की चपेट में आता है और आधा हरियाणा सूखे की चपेट में आता है। आज हरियाणा का वॉटर लैवल इतना नीचे जा चुका है कि सब ट्यूबवैल फेल हो चुके हैं और दक्षिणी हरियाणा तो हमेशा ही सूखा रहा है। 34 वर्षों से एस.वाई.एल. नहर के लिए लोग रो रहे हैं। यह कुदरत की मार नहीं है। 34 साल से एस.वाई.एल. नहर का पानी पाकिस्तान जा रहा है। पाकिस्तान ने डैमेज का दावा किया है कि उनकी फसल अधिक पानी से खराब हो गई और हरियाणा का किसान सूखा झेल रहा है, लेकिन इस समस्या का समाधान नहीं हुआ। कई बार आरबिट्रेटर बैठे, फैसला हुआ, लेकिन वह इंप्लीमेंट नहीं हुआ। एस.वाई.एल. का मामला भी आप प्राथमिकता के आधार पर तय करें जिससे राजस्थान और हरियाणा के लोगों का भला होगा। हरियाणा की सारी अर्थव्यवस्था एस.वाई.एल. नहर पर टिकी है। इसलिए माननीय कृषि मंत्री जी से मैं अनुरोध करूंगा कि हरियाणा और राजस्थान के किसानों को ध्यान में रखते हुए इस पर गंभीरता से ध्यान दें और इस समस्या का हल करें।

खाद की सब्सिडी की बात है। सभी लोग कहते हैं और यह सच्चाई है कि सब्सिडी जो खाद पर हम देते हैं, किसान की प्राइस

[श्री किशन सिंह सांगवान]

डाउन रखने के लिए देते हैं। ये इंडस्ट्री को देते हैं, किसान को नहीं देते हैं। कई हजार करोड़ रुपये प्रति वर्ष हम खाद की सब्सिडी की शक्ल में कारखानों को देते हैं। एफ आई सी सी नाम की जो संस्था है, वह रिटेन्शन प्राइस तय करती है। बार-बार सभी लोगों ने आवाज उठाई है कि यह पॉलिसी मैटर है। आप थोड़ी सब्सिडी दें लेकिन किसान को दें, कारखाने वाले बीच में किसलिए खाएँ? जो बिचौलियों द्वारा लूट हो रही है, उसे खत्म करके किसान को सीधी सब्सिडी दी जाए, यह मांग बार-बार आ रही है।

महोदय, बिजली का मामला अत्यंत गंभीर है। किसान को बिजली नहीं मिलती। सारे प्रदेशों में यही हाल है। किसान को प्राथमिकता के आधार पर बिजली नहीं मिल रही है। बिजली न होने से पानी भी नहीं मिलता। अभी हरियाणा में सरसों और कपास की फसल तथा राजस्थान में बाजरा पिट गया। 40 प्रतिशत प्रोडक्शन कम हुआ है। जो अमरीकन सुंडी नाम की बीमारी लग गई है, उसको खत्म करने के लिए जो दवाई इस्तेमाल की गई, वह मिलावटी थी। मिलावटी दवाई बाजार में बिक रही है और किसान लुट रहा है। 40 प्रतिशत प्रोडक्शन हरियाणा में कम हुआ है। कम से कम अच्छे किस्म के बीज और दवाओं पर ध्यान देना चाहिए। इसमें तो कुदरत की बात नहीं है। सरकारी स्तर पर जो कदम उठाए जा सकते हैं, वे तो उठाए हैं, लेकिन और ध्यान देने की जरूरत है वरना इस देश का किसान जिस प्रकार 50 सालों से लुट रहा है, बरबाद हो रहा है, वही स्थिति बनी रहेगी। मुझे उम्मीद है कि हुक्मदेव जी और अजित सिंह जी बैठे हैं, वे इन सुझावों पर अवश्य ध्यान देंगे और किसानों के लिए कुछ करके दिखाएंगे, तभी ये किसान के बच्चे कहलाने के लायक होंगे, अन्यथा नहीं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

श्री प्रबोध पण्डा (मिदनापुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं इस सम्माननीय सभा के वरिष्ठ सदस्य, श्री बसुदेव आचार्य का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने बहुत ही तर्कसंगत और महत्वपूर्ण चर्चा की।

महोदय, मेरा यह विचार है कि किसानों की यह समस्या आज ही हमारे सामने नहीं आई है। यह उन नीतियों का परिणाम है जो स्वतंत्रता के बाद से अपनाई गई हैं। हमारे पूर्व प्रधान मंत्री, श्री लाल बहादुर शास्त्री ने 'जय जवान, जय किसान' का नारा दिया था।

सायं 6.00 बजे

वर्तमान प्रधान मंत्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस नारे का विस्तार किया है और इसे 'जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान' बना दिया। यह घोषित नारा है और यह घोषित कार्यक्रम है। परन्तु गुप्त कार्यक्रम अलग है। गुप्त कार्यक्रम किसानों के उत्पीड़न और किसानों की पीड़ा के संबंध में है।

दो महीने पहले, दिल्ली में लाखों किसानों ने प्रदर्शन किया था और किसान बचाओ, देश बचाओ-और खेत बचाओ, गांव बचाओ का नारा लगाया था। इस प्रकार कटु सत्य कुछ और ही है। स्वतंत्रता के बाद, जो नीति अपनाई गई है उसने पूंजीवाद के विकास को जन्म दिया। निश्चय ही, किसानों की गरीबी दिन पर दिन बढ़ती गई। अब हम वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण के स्तर से गुजर रहे हैं जिससे किसानों की पीड़ा, कठिनाई और गरीबी बहुत अधिक बढ़ गई। यह रास्ता किसानों के लिए निरुत्साहित करने वाली है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया सभा में व्यवधान न डालें। अगर आप आपस में ही बात करना चाहते हैं तो कृपया बाहर जाकर करें।

श्री प्रबोध पण्डा: यह किसानों के सम्पन्न वर्ग, कारपोरेट हाउस और बहुराष्ट्रीय निगमों के लिए अच्छा हो सकता है। यह 10 प्रतिशत जनसंख्या के लिए अच्छा हो सकता है जो समाज के सम्पन्न वर्ग से संबंधित है और 90 प्रतिशत जनता के लिए खराब होगा जो समाज के निम्न वर्ग से संबंधित हैं। हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है परन्तु उदारीकरण की इस नीति के साथ हमारी सरकार बहुराष्ट्रीय कारपोरेशनों के प्रति उदार हो गई है, बड़े व्यापारिक घरानों के प्रति उदार हो गई है और कारपोरेट घरानों के प्रति उदार हो गई है। यह बाहरी विश्व के लिए खुल गई है। इस प्रकार यह हमारी महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था अर्थात हमारे देश में कृषि की क्षमता को बरबाद कर रहा है। वास्तव में उन्होंने छोटे किसानों, मझौले किसानों, कृषि मजदूरों और सभी किसानों के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया है। अत: यह बहुत ही गंभीर मामला है और इसे इसी प्रकार समझा जाना चाहिए।

सरकार की नीति के संबंध में आपका क्या कहना है? महत्वपूर्ण बात यह है कि कृषि राज्य का विषय है। परन्तु सरकार राज्य सरकारों से परामर्श किए बिना ही राष्ट्रीय कृषि नीति जैसी कई नीतियों की घोषणा कर रही है। यह संघीय ढांचे के बिल्कुल विपरीत है। वित्त मंत्री, श्री यशवंत सिन्हा द्वारा बजट में घोषित

नीति, तथाकथित एनडीए सरकार की राष्ट्रीय कृषि नीति, 'गैट' और इसकी शर्तें तथा विश्व व्यापार संगठन ने किसानों के जीवन के समक्ष अत्यंत गंभीर चुनौती उपस्थित कर दी है। उदारीकरण की यह नीति 1991 से अपनाई गई है। जब 'गैट' समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे तो हमने यह बात उठाई थी कि इससे किसानों को कठिनाई होगी। अब यह साबित हो चुका है कि 'गैट' द्वारा हस्ताक्षर किए जाने से हमारे जैसे देश का कोई सहायता नहीं मिलती।

जहां तक वित्तीय घाटे का संबंध है, स्थायीकरण और ढांचागत समायोजन नीतियों और 40 प्रतिशत से कम वित्तीय घाटे के नाम पर सार्वजनिक निवेश, विशेषकर कृषि के क्षेत्र में काफी कटौती हुई। कृषि क्षेत्र में इस प्रकार के परिवर्तन आने से इस अवधि के दौरान कृषि संबंधी आधारभूत संरचना सर्वाधिक प्रभावित हुई है। पेटेंट कानून में प्रस्तावित परिवर्तन, नई बीज प्रौद्योगिकी, कम अंकुरित और खराब बीज तथा घटिया खाद से बहुराष्ट्रीय कारपोरेशनों और बड़े व्यापार घरानों की पकड़ बढ़ा रहे हैं।

केन्द्र सरकार द्वारा कई बातों की अनदेखी की गई है। सिंचाई, जल प्रबंधन तथा नदियों से गाद निकालने जैसे कार्यों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया है। नदियों की दशा क्या है। क्या मैं पश्चिम बंगाल की स्थिति के बारे में बताऊँ? अधिकांश नदियों में गाद जमा है। स्थिति काफी गंभीर है। और इसी कारण, प्रत्येक जिला भयंकर बाढ़ की चपेट में है। इस पहलू पर विचार करना होगा।

भूमि क्षरण की स्थिति क्या है? नदियों और समुद्रों का क्षरण हो रहा है। मात्रात्मक प्रतिबंध के संबंध में बहुत बातें कही जा रही हैं। यह किसानों और हमारे जैसे देश के लिए बहुत हानिकारक है। कृषि उत्पादों के मूल्य के बारे में बहुत बातें कहीं गई हैं। परन्तु मेरा विचार है कि, आमतौर पर, प्रति वर्ष के कृषि उत्पादों के मूल्य बुरे नहीं हैं। बिचौलियों, जमाखोरों और एजेन्टों को सही मूल्य मिल रहा है। आज जो किसान वस्तुओं और अन्य कृषि उत्पादों का उत्पादन कर रहे हैं वे आज कष्ट उठा रहे हैं। किसान हमारे देश को खाद्य और कृषि में आत्मनिर्भर बनाते हैं। हम उन्हें 'अन्नदाता' कह सकते हैं। परन्तु वे गरीबी में रहते हैं। उन्हें खाने को नहीं मिल रहा है। भूख से मौतों में वृद्धि हो रही है। यह पूरी तरह से सरकार की हानिकारक नीति का ही परिणाम है। अतः महोदय, मेरा मुद्दा यह है कि इस पहलू पर विचार किया जाना चाहिए। कृषि के हितों के लिए आम सहमति बनाने के लिए सभी संबंधित संगठनों और राजनैतिक दलों को विश्वास में लेना चाहिए।

अंत में, मैं अपना भाषण यह कहते हुए समाप्त करता हूं, कई स्थानों पर किसान यह नारा लगाते रहे हैं:

[हिन्दी]

जो रोजी-रोटी दे न सके
वह सरकार निकम्मी है
वह सरकार निकम्मी है
उस सरकार को जाना है।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, खाद्य मंत्री को अब यहां उपस्थित होना चाहिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है जिससे खाद्य मंत्रालय भी संबंधित है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह: अध्यक्ष जी, अभी तक सदन के अंदर खाद्य मंत्री जी उपस्थित नहीं हुए हैं। *...(व्यवधान)*

पूरे उत्तर प्रदेश और बिहार में हाहाकार मचा हुआ है। यह गम्भीर सवाल है, सरकार किसानों के सवाल पर गम्भीर नहीं है। ये बार-बार सदन की घोषणा का अनादर कर रहे हैं। यहां बार-बार सवाल रेज किया जा रहा है कि खाद्य मंत्री को सदन में उपस्थित करिये। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: डा. डी.पी. यादव के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए। माननीय सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है आप क्या बता रही हैं?

श्रीमती रेणूका चौधरी: महोदय गणपूर्ति नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: वह व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं। कृपया आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्रीमती रेणूका चौधरी: गणपूर्ति नहीं है। कृपया आप मुझे अपना विनिर्णय दीजिए *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री देव, आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है?

श्री बिक्रम केशरी देव: कृषि और खाद्य प्रबंधन पर मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था। यह निर्णय लिया गया था कि 50% खरीद राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। इस समय नौ राज्यों में कांग्रेस सरकार मौजूद है। यह अत्यन्त दुख की बात है कि वे सरकार इन 9 राज्यों में खरीद करने में असफल रही हैं। वे किसानों को उचित मूल्य प्रदान करने में असफल रहे हैं। उनसे तो खाद्यान्न बैंक बनाने की अपेक्षा की जाती है। कर्नाटक सरकार को छोड़ कर कांग्रेस द्वारा शासित किसी भी अन्य राज्य सरकार ने 'डब्ल्यू टी ओ' के संबंध में राज्य नीति नहीं दी है। *...(व्यवधान)* अत: सरकार के खिलाफ लगाया गया आरोप आधारहीन है और उसका कोई महत्व नहीं है। *...(व्यवधान)* चूंकि हमारे गोदामों में खाद्यान्नों के भारी भण्डार (स्टॉक) मौजूद है। अत: सरकार ''काम के बदले अनाज कार्यक्रम'' आरंभ कर रही है? *...(व्यवधान)* सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में अवसंरचना संबंधी उन्नत सुविधाएं प्रदान करने पर बल दे रही है। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना पीएमजीवाईएस का काम चल रहा है जिसके द्वारा किसान खाद्यान्न ले सकते हैं। *...(व्यवधान)* हम किसानों की कठिनाईयों को कम करने के लिए कृषि नीति तैयार कर रहे हैं। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाएं, हम आपको भी सुनेंगे।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री देव, आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है?

श्री बिक्रम केशरी देव: मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जो आरोप सरकार पर लगाए गए थे वे आधारहीन थे। उनमें कोई सच्चाई नहीं है। *...(व्यवधान)* महोदय, मैंने कई बार इसे दोहराया है। मुझे इस व्यवस्था के प्रश्न को उठाने का मौका प्रदान करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: यह ठीक नहीं है, मैडम।

श्रीमती रेणूका चौधरी: मैं बिल्कुल ठीक हूं। कोरम के बिना हाउस नहीं चल सकता *...(व्यवधान)* आप इस पर रूलिंग दें।

अध्यक्ष महोदय: रेणूका जी, आप बैठ जाएं।

[अनुवाद]

श्रीमती रेणूका चौधरी: महोदय मैंने गणपूर्ति का मुद्दा उठाया था। कृपया मुझे अपना विनिर्णय दीजिए। *...(व्यवधान)*

श्री बिक्रम केशरी देव: आपने किसानों के मुद्दे पर बहिष्कार किया था। आप मुद्दे का सामना नहीं कर सकते। आपको किसानों के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं है *...(व्यवधान)*

श्रीमती रेणूका चौधरी: महोदय क्या गणपूर्ति के अभाव में सभा चलायी जा सकती है? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री देव, आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है?

श्री बिक्रम केशरी देव: मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि आज इन्होंने सरकार के खिलाफ आरोप लगाये हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप किस नियम के अधीन अपना व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं?

श्री बिक्रम केशरी देव: मैं नियम 376 के अधीन यह मुद्दा उठा रहा हूं *...(व्यवधान)*

श्री शिवराज वी. पाटील (लातूर): महोदय, साधारणतया हमेशा यह देखा गया है कि इस सभा में नियम का अनुपालन किया जाता है। गणपूर्ति का मामला किसी भी समय पीठासीन अधिकारी द्वारा नहीं उठाया जाता है लेकिन यदि कोई सदस्य गणपूर्ति का मुद्दा उठाता है तो यह पता चलाया जाता है कि सभा में गणपूर्ति है कि नहीं। यदि सभा में गणपूर्ति नहीं होती है। महोदय मुझे अपनी बात कहने की अनुमति दी जाए, तो मैं यह कहूंगा कि पीठासीन अधिकारी के सम्मुख सभा की बैठक स्थगित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री चन्द्रनाथ सिंह: अध्यक्ष जी, इनके बाद हमें भी समय दे दीजिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रमोद महाजन: महोदय, मैं इस मुद्दे पर कुछ कहना चाहता हूं ...*(व्यवधान)* मैं आपके अधीन नहीं हूं। अध्यक्ष महोदय ने मुझे बोलने की अनुमति दी हैं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती रेणुका चौधरी: हाउस में कोरम नहीं है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अपना भाषण बाद में दीजिएगा। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन: मैं आपके अधीन नहीं हूं। मुझे अपने अधिकारों की जानकारी है। आपको यह पता नहीं है कि सभा में कहां बैठना है और आप मुझे अधिकारों के बारे में बता रही हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री प्रमोद महाजन के भाषण को छोड़कर कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री प्रमोद महाजन: महोदय, आपको स्मरण होगा कि ऐसा नहीं है कि नियम हमेशा महत्वपूर्ण होते हैं। उनका अनुपालन किया जाना चाहिए इसमें कोई सन्देह नहीं है। लेकिन हमें स्मरण कराया जाता है कि किसानों के संबंध में यह चर्चा विपक्षी दलों द्वारा उठाई गई है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया उन्हें अपना भाषण समाप्त करने दीजिए। इन्होंने अपनी बात अभी समाप्त नहीं की है।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन: साधारणतया नियम 193 के अधीन चर्चा सरकारी कार्य नहीं होता है। ...*(व्यवधान)* आपको स्मरण होगा कि यह चर्चा एक दिन के लिए निर्धारित थी। मैं सभा के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि समाजवादी दल के नेता श्री मुलायम सिंह यादव ने पूछा था कि क्योंकि वह उस दिन उपलब्ध नहीं थे-वह यह चर्चा सोमवार को ही कराना चाहेंगे अगले दिन भी नहीं। सरकार की ओर से हमको इस पर कोई आपत्ति नहीं थी क्योंकि वह अत्यन्त महत्वपूर्ण नेता है और वह किसानों के मुद्दे को उठाना चाहते हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने अपनी बात समाप्त नहीं की है।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन: हमने यह चर्चा आरम्भ की थी अचानक ही मांग आई कि खाद्य मंत्री को आकर जवाब देना चाहिए। दुर्भाग्यवश खाद्य मंत्री शहर में नहीं है। यदि उन्होंने मुझे पर्याप्त सूचना दी होती कि वे खाद्य मंत्री और कृषि मंत्री दोनों से जवाब सुनना चाहते हैं तो हमने खाद्य मंत्री से यहां उपस्थित होने के लिए कहा होता क्योंकि यह संसद का अधिकार है कि खाद्य मंत्री से जवाब प्राप्त करे। हम कुछ भी छिपाना नहीं चाहते हैं। हमने खाद्य मंत्री को बुलाया है। इस समय यही बात सम्भव है।

तत्पश्चात् अचानक ही विपक्ष के सदस्य जो यहां बैठे थे, दिन के अंतिम चरण में बिना किसी कारण सभा से बहिर्गमन कर गए हैं और लॉबी में खड़े हैं। तभी एक सदस्य यहां आता है और गणपूर्ति का मुद्दा उठाता है।

महोदय, मुझे यह कहते हुए खेद है कि इससे यह पता चलता है कि उनकी किसानों के मुद्दे पर कितनी रुचि है। वे किसानों के मुद्दे पर दो दिनों तक बोले और जब माननीय मंत्री महोदय मुद्दों का एक एक करके जवाब देने को तैयार हैं तो वे यह कह रहे हैं। यदि ये संसदीय तरीका, स्वानुशासन और मर्यादा है जिस पर हमने कल चर्चा की थी और यदि विपक्ष का यही प्रदर्शन है तो भगवान ही इस देश में प्रजातंत्र को बचा सकता है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: चूंकि सदस्य ने गणपूर्ति का प्रश्न उठाया है गणपूर्ति के लिए घंटी बजाई जाए और कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाए।

...*(व्यवधान)**

सायं 6.26 बजे

अध्यक्ष महोदय: घंटी बजाई जा रही है।

अब गणपूर्ति है। माननीय सदस्य श्री डी.पी. यादव अपनी बात जारी रखे।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, हमारी बात सुन लीजिए। हम बड़ी देर से अनुरोध कर रहे हैं। हमारा प्वाइंट ऑफ आर्डर है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: किस नियम के अंतर्गत?

[हिन्दी]

श्री चन्द्रनाथ सिंह: हम आपको रूल बता देते हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): अध्यक्ष महोदय, आज जिस विषय पर चर्चा हो रही थी, कल ही सम्मेलन में उस पर चर्चा हुई है, पता नहीं, विपक्ष किसान की समस्या को किस रूप में ले रहे हैं। विपक्ष के माननीय सदस्य ने आज किसानों की चर्चा का राजनीतिकरण करके किसानों का बड़ा अहित किया है। मैं इस बात को कहना नहीं चाहता था, लेकिन अब मुझे बोलना पड़ेगा।

महोदय, आज देश के 75-80 प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर हैं। भारत कृषि प्रधान देश है। आज इतने अहम् विषय पर सदन में चर्चा हो रही थी, इस चर्चा में आधे घंटे का व्यवधान सदन में किया गया, जो बहुत ही खेदजनक है। अभी तक किसानों के खिलाफ इस देश में एक नेक्सस बना हुआ है-चाहे बड़े पूंजीपति या व्यापारी हों, जो लोग किसानों को लाभ नहीं देना चाहते हैं। ऋण वसूली से लेकर, जो यह नेक्सस बना हुआ है, इसमें अधिकारी और शासक वर्ग भी शामिल हैं। आज सबसे जबरदस्त जो चरित्र प्रदर्शन किया गया, उससे पता चलता है कि विपक्ष किसानों का भला नहीं चाहता। मुझे इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए मजबूर होना पड़ा, चूंकि इतने महत्वपूर्ण विषय पर जो बहस हो रही है, उस बहस को जो दिशा देने का काम हुआ है, सरकार को घेरने का काम विपक्ष ने किया है, यह बहुत ही दुखद और शर्मनाक बात है कि विपक्ष ने सरकार को घेरने के लिए किसान की चर्चा को मुद्दा बना दिया, इसलिए मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है।

महोदय, मैं एक बात का अनुरोध करना चाहता हूं कि किसानों को जो ऋण दिया जाता है, आज जो बजट की प्राथमिकता है, सरकार की प्राथमिकता है, वह उद्योगों की प्राथमिकता बनी हुई है और इसे बनाने में जिन लोगों ने बहिष्कार किया, उन्होंने सबसे ज्यादा योगदान दिया। चौधरी चरण सिंह जी किसानों के मसीहा थे। वह पहले गृह मंत्री बने, फिर वित्त मंत्री, फिर उप प्रधान मंत्री और उसके बाद प्रधान मंत्री बने। वित्त मंत्री बनने के बाद उनमें किसानों के प्रति दर्द था, क्योंकि वह किसान के घर में पैदा हुए थे। चौधरी अजीत सिंह जी, जो आज कृषि मंत्री हैं वह इस बहस का जवाब देंगे। संयोग से वह चौधरी साहब के पुत्र है। चौधरी साहब ने कहा था-''छोटी खेती, अच्छी पैदावार, देश मालदार।'' उन्होंने कहा था कि जो काम हाथ से होगा, उसमें गैर जरूरी तौर पर बड़े कारखाने नहीं लगने चाहिए, जैसे ईंजन और दवा बनाने के काम में बड़े कारखाने लगें, लेकिन जो छोटा काम हाथ से हो सकता है, जैसे मिट्टी के कुल्हड़ बनाने का काम, और भी जो छोटे काम हाथ से हो सकते हैं, उनमें बड़े कारखाने नहीं लगने चाहिए। यह नीति कांग्रेस पार्टी ने नहीं बनाई थी। इस देश की आजादी के 54 साल बाद सबसे ज्यादा समय शासन में कांग्रेस पार्टी रही और कांग्रेस ने इस नीति को इस रूप से पलट दिया कि आज तक किसान मार खा रहा है और वह परेशान है।

मैं अजीत सिंह जी से खास तौर से कहना चाहता हूं कि जब चौधरी साहब वित्त मंत्री थे तो उन्होंने आरबीआई के बड़े-बड़े पदाधिकारियों को बुलाया और कहा कि किसानों को बैल, गाय, भैंस और बकरी और मुर्गा खरीदने के लिए ऋण मुहैया कराएं, इस तरह की गाइडलाईंस अन्य बैंकों को आर.बी.आई. जारी करे।

अध्यक्ष महोदय, आरबीआई ने कहा कि केवल उन्हीं उद्योगों को ऋण दिया जा सकता है जो उत्पादन करते हैं। चौधरी साहब ने कहा कि गाय, बकरी, भैंस के दूध देने के बाद मक्खन बनता है, मक्खन से घी बनता है। छाछ बनती है, दूध से दही बनता है और उसके बाई-प्रोडैक्ट से कितनी ही और चीजें बनती हैं। इसलिए यह सबसे बड़ा उद्योग है। इन पशुओं के बाई-प्रोडैक्ट से गोबर भी मिलता है और उससे फर्टिलाइजर बनता है जिससे खेत को उपजाऊ बनाया जाता है। इसलिए इससे बड़ा कोई उद्योग नहीं है। तब जाकर आरबीआई ने अपनी गाइडलाइन्स जारी की और पहली बार 1977-78 में जब जनता पार्टी केन्द्र में थी किसानों को ऋण मुहैया हुआ। मैं माननीय अजीत सिंह जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जब चौधरी साहब प्रधान मंत्री थे तो उन्होंने तम्बाकू के ऊपर से एक्साइज ड्यूटी खत्म की थी। उस समय किसान अपना उत्पादन पुलिस के डर से छिपाकर रखते थे। चौधरी साहब

ने कहा कि हम किसानों के ऊपर से इससे संबंधित ड्यूटी माफ करते हैं। उन्होंने किसानों के लिए इतना बड़ा काम किया था। उसके बाद भी उन्होंने किसानों की भलाई के बहुत से काम किये।

सायं 6.37 बजे

[**श्री पी.एच. पांडियन** *पीठासीन हुए*]

अब एनडीए की सरकार ने क्रैडिट कार्ड और कोल्ड स्टोरेज का काम किया है। जिस सरकार के हम अंग है, उस सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 153 स्कीमें किसानों को लाभ देने की थीं लेकिन मुझे पता चला है कि उनको घटाकर 44 किया जा रहा है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और किसानों पर सारी मार आज पड़ रही है। दुनिया का कोई भी देश क्यों न हो, चाहे अमेरिका ही क्यों न हो, उसने भी गेहूं पीएल-480 के नाम पर पूरे देश को खिलाकर अपना मस्तक ऊंचा करने का काम किया। इसलिए मेरा मानना है कि जब तक कृषि को प्रधानता नहीं दी जाएगी, तब तक देश का भला नहीं होगा।

माननीय प्रभुनाथ सिंह जी कह रहे थे कि किसान पेड़ लगाता है, लकड़ी पैदा करता है। गाय, भैंस पालता है जिससे गोबर पैदा होता है। उस पर भी सब्सिडी लागू होनी चाहिए। भारत के दो प्रतिशत किसान भी गैस पर खाना नहीं बनाते हैं। गांव के लोग लकड़ी जलाकर अपना खाना बनाते हैं, इसलिए उस पर भी सब्सिडी लागू करो। मैं दर्द के साथ इस बात को कहना चाहता हूं कि हमारे अलवर के माननीय मित्र जसवंत सिंह जी ने कहा था कि एग्रीकल्चर का एक टीवी चैनल होना चाहिए। मैं भी किसान का बेटा हूं। आज अनेक प्रकार के किसान हैं। दो एकड़ वाला किसान और दो एकड़ से कम वाला किसान और आज देश में 80 प्रतिशत किसानों के पास पांच एकड़ भूमि भी नहीं रह गयी है। अंग्रेजों से पहले जमीन प्रकृति की थी लेकिन अंग्रेज आये तो नाम कराकर लगान लगा दिया, जमीन बांट दी गयी। जो गांव का चरागाह था उसका भी बंदोबस्त राज्य सरकारों के नाम से हो गया। एग्रीकल्चर चैनल खोलने से किसानों का प्रशिक्षण होने वाला नहीं है।

किसान कई तरह के हैं। बंगले वाले किसान, फार्म-हाउस वाले किसान, छाताधारी किसान, हल-बैल वाले किसान, कुदाली चलाने वाले किसान, भूमिहीन किसान और छोटे किसान जो दूसरों के यहां नौकरी करके ठेके पर खेत लेते हैं। इस तरह से किसान तो कई तरह के होते हैं। बंगले वाले किसानों के लिए टी.वी. चैनल खोलने से क्या उत्पादन बढ़ जाएगा। फार्म-हाउस वाले किसान के लिए टी.वी. चैनल उपयोगी हो सकता है लेकिन जो हल चलाने वाला छोटा किसान है जो अपने खून-पसीने से अनाज पैदा करता है ऐसे किसानों के लिए टी.वी. चैनल उपयोगी नहीं हो सकता है।

पंपिंग सैट के लिए बिजली नहीं मिलती। गांवों में कितने घंटे बिजली रहती है शायद आपको इसका अन्दाजा नहीं है। बेसिक नीडस बिजली है। इस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। किसानों पर और कितनी मार पड़ रही है मैं इस पर बहस करूंगा तो बहुत लम्बा हो जाएगा। जूते, कपड़े, साइकिल और घड़ी बनाने वाले अपने सामान का दाम खुद निर्धारित करते हैं लेकिन 80 प्रतिशत किसान जो खेती पर निर्भर हैं वे अपनी उपज का दाम तय नहीं कर सकते। उनकी उपज का दाम कौन तय करेगा? कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्रोडक्शन उसके दाम निर्धारित करता है। उसमें किसान का एक भी प्रतिनिधि नहीं होता है। जमीन और हल खोदने वाले किसान के प्रतिनिधि उसमें होने चाहिए। ऐसे में वे किसानों की हालत को कैसे जान पाएंगे? ''जाके पांव न फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई'' किसानों की इस हालत का दोषी सरकारी तंत्र है। किसानों को ऋण देने के लिए बैंक खोले गए हैं। ऋण न चुकाने पर ग्रामीण विकास बैंक नोटिस जारी करते हैं और किसानों को जेल भेज दिया जाता है। मैं उदाहरण के तौर पर एक जानकारी देना चाहता हूं। किसानों का ऋण जबर्दस्ती उसे जेल भेज कर वसूल कर लिया जाता है लेकिन नॉन परफॉर्मिंग ऐस्सैट्स कितने है वह मैं बताना चाहता हूं। 2000-2001 में 69 हजार 750 करोड़ रुपए था। इसमें 6-7 महीने के फीगर्स नहीं हैं। मैं केवल 2000-2001 की फीगर्स दे रहा हूं। स्टेट बैंक जयपुर, स्टेट बैंक हैदराबाद, स्टेट बैंक पटियाला, स्टेट बैंक बीकानेर, स्टेट बैंक इंदौर, स्टेट बैंक मैसूर, इलाहाबाद बैंक, आंध्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक आदि की सारी फीगर्स यहां रख देता हूं। मैं चाहता हूं कि इसे देखा जाए। एनपीए की वसूली के लिए सरकार क्या कर रही है? जब किसान ऋण वापस नहीं करता है तो उसे अरैस्ट किया जाता है लेकिन इतना पैसा जिसका कोई मां-बाप नहीं है, उसकी वसूली नहीं होती है।

इसी प्रकार मैं काले धन के बारे में बताना चाहता हूं। 2000-2001 में 11 लाख 51 हजार 999 करोड़ रुपये का काला धन था। जीडीपी के 20 परसैंट के हिसाब से ब्लैक मनी 2 लाख 15 हजार करोड़ रुपये है। यह किन लोगों का पैसा है? उन्हें क्यों नहीं पकड़ा जाता है? उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? कृषि निवेश घटता जा रहा है। मैं इसकी फीगर्स नहीं देना चाहता क्योंकि समय लगेगा। मैं इसके आंकड़े यहीं टेबल पर रख देता हूं। 1998-99 से लेकर अभी तक कृषि के प्रति उदासीनता बरती

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव]

जा रही है। अब आप किसानों पर टैक्स लगाने जा रहे हैं। किसानों की बैल गाड़ी पर 10 रुपए टैक्स लग रहा है। चार करोड़ से ऊपर बैलगाड़ियां हैं। मेरे पास इसका पूरा आकलन नहीं है। अभी तक के सर्वे के मुताबिक चार करोड़ से ऊपर बैलगाड़ियां हैं। उस बैल गाड़ी पर दस रुपए वसूल किये जाते हैं। छोटी साइकिल रखने पर 15 रुपए सालाना टैक्स लिया जाता है। किसान का बेटा उसे चलाता है। अनाज की आवाजाही पर बाजार टैक्स लगता है। ...*(व्यवधान)* किसानों की जो हालत है, उस पर बोलने का आप मुझे मौका देंगे और मेरे साथ न्याय करेंगे ऐसी मुझे उम्मीद है।

अनाज की आवाजाही बाजार समिति करती है और सिंचाई का पटवन तीन गुना लगता है। अभी खाद और बीज महंगा होता जा रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क पर टैक्स है। उसे ट्रैक्टर के इंजिन पर 2400 रुपया और 100 रुपया ट्राली पर टैक्स देना पड़ रहा है। आज इस देश में क्या हो रहा है और यह देश किधर जा रहा है? किसानों को कितना टैक्स देना पड़ रहा है। बिजली का हिसाब-किताब अलग है। हमारा सीधा-सीधा यह कहना है कि गांव का पैसा गांव में छोड़ दीजिए। सरकार बहुत बड़ा काम कर देगी लेकिन हमें इसकी कोई उम्मीद नहीं है। चाहे कोई सरकार आये, गांव का पैसा गांव में छोड़ देना चाहिए ताकि वहां विकास कार्य हो सकें। गांवों में ग्राम पंचायत पर टैक्स लेने का काम छोड़ देना चाहिए ताकि वह गांव में सिंचाई, सड़क, स्कूल जैसे कार्य कर सके। किसानों की हो रही लूट को रोका जाये।

सभापति महोदय, आज किसानों पर इतना अत्याचार किया जा रहा है जिसका मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। गांव का किसान दूध पैदा करता है और वह शहरों में जाता है ताकि शहर के लोग दूध पीकर स्वस्थ रहें लेकिन शहर गांवों को दूध के बदले दारू देता है। गांव में खोया, मक्खन, घी वगैरा तैयार होता है और वह शहर में पहुंचाया जाता है, लेकिन उसके बदले में नशे की पुड़िया गुटखा, शिखर सौंखा, तलब, राजा खैनी तिरंगा भेजी जा रही है। गांव से अमृत जाता है और शहर से बदले में उसे जहर भेजा जाता है। मैं शहर के खिलाफ नहीं, लेकिन शहर और गांव का तारतम्य रहता है, तभी शहर जिन्दा है। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि एक 10 साल के लड़के को ब्लड कैंसर हो गया। पता लगा कि उसकी जेब से शिखर सौंखा निकाला। वह रोज 6 पुड़िया शिखर सौंखा खाता था, तभी मर गया।

अंत में निवेदन करूंगा कि विश्व व्यापार संगठन की दोहा में मिनिस्ट्रीयल कांफ्रेंस हुई। इसके बारे में विपक्ष ने कई बातें कहीं लेकिन 1991 से लेकर 1994 तक उन लोगों ने गैट के बारे में समझौता किया था और देश किस दिशा में चला गया, मैं यह बताना चाहता हूं। आज देश की हालत यह है कि तीसरा दुनिया के देशों में भारत से कहा गया कि डोमैस्टिक सपोर्ट कम कर दें ताकि उनका कृषि बाजार आसानी से इस देश में आ सके। दोहा में कहा गया कि गेहूं का जो भाव 610 रुपये, धान का 530 रुपये तय है, इसको कम करके 300 रुपये कर दो। क्या यह किसानों को मारने का इंतजाम नहीं है? क्या देश के आत्म-सम्मान का सवाल नहीं है? सीड्स की मोनोपली, विदेशी ताकत के हाथ में होगी, क्या देश का इससे भला होगा? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि एक संयुक्त संसदीय समिति गठित की जाये जो अपनी रिपोर्ट दे कि किस प्रकार किसानों की आर्थिक दशा में सुधार और किसानों की ट्रेडिशनल खेती में सुधार किया जाये। समिति की रिपोर्ट के आधार पर सरकार सकारात्मक पहल करे तभी किसानों का भला हो सकेगा।

श्री चन्द्रनाथ सिंह (मछली शहर): सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं एक मिनट से अधिक समय नहीं लूंगा।

महोदय, देश की सर्वोच्च संस्था जितनी नियमों से चलती है उतना परंपराओं से भी चलती है। अभी संसदीय कार्य मंत्री ने आरोप लगाया कि विपक्ष हमेशा व्यवधान डालता है और विपक्ष सरकार की सुनता नहीं है। हम दो वर्षों से देख रहे हैं और कहना चाहते हैं कि जितनी जिम्मेदारी सत्तापक्ष की है, उतनी विपक्ष की भी है। अगर विपक्ष कोई मांग उठाता है, जैसे अभी किसानों के मामले में हम सुन रहे थे कि जितना विपक्ष के लोगों ने आलोचना की है, उतनी ही ट्रैजरी बैन्चेज पर बैठे हुए लोगों ने, एन.डी.ए. सरकार के सदस्यों ने, भारतीय जनता पार्टी और दूसरी पार्टियों के लोगों ने ही आलोचना की है कि देश में किसानों की हालत बुरी है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया विषय पर ही बोलिए अन्य मामलों पर नहीं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री चन्द्रनाथ सिंह: सत्तापक्ष के लोगों का ध्यान किसानों की ओर नहीं है और ये दो वर्षों से किसानों को बेच रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो हम लोग विरोध में उतरकर सड़कों पर आएंगे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: यह क्या है? मैं समझता हूं कि आपने अनुशासन और मर्यादा पर कल हुई संगोष्ठी में भाग नहीं लिया है।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रनाथ सिंह: दो सालों से किसानों को प्रदेशों में लूटा जा रहा है और हम नहीं बोलेंगे? अगर सदन नहीं चलता है तो यह सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है। भारतीय जनता पार्टी का राज इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

****श्री अकबर अली खांदोकर** (सेरमपुर): सभापति महोदय, देश में किसानों की दुर्दशा संबंधी महत्वपूर्ण चर्चा में अपने विचार व्यक्त करने का मौका प्रदान करने के लिए मैं आपको बहुत ही धन्यवाद देता हूं।

आज भारत में किसान कठिन दौर से गुजर रहे हैं। वे उपेक्षित, निरुद्ध और सताये हुए हैं। भारत में 30% लोग कृषि पर निर्भर हैं हम जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि यहां महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। हम इस सम्माननीय सदन में पिछले दो दिनों से किसानों की दुर्दशा पर चर्चा कर रहे हैं। यह चर्चा देश में उच्चतम विधायी निकाय अर्थात् संसद में की जा रही है? लेकिन मुझे हैरानी हुई कि यद्यपि इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की जा रही है किन्तु हम देखते हैं कि मुख्य विपक्षी दल ने ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के बजाय नियम की दलील दी है और सदन की कार्यवाही में बाधा पहुंचाई है और सदन का बहिष्कार किया है। यह हैरानी की बात है कि मुख्य विपक्ष दल इस प्रकार के बहाने से सदन का समय व्यर्थ करने से भी नहीं हिचकिचाते। मैं समझता हूं कि मुख्य विपक्षी दल श्री सोमनाथ चटर्जी द्वारा दिये जाने वाले रात्रि भोज में उपस्थित होने के लिए व्यस्त नजर आ रहे हैं। रात्रि भोज का समय 6 बजे से शुरू होगा इसलिए वे किसानों की दुर्दशा और उनको होने वाली समस्याओं पर चर्चा करने के बजाय रात्रि भोज में सम्मिलित होने में अधिक इच्छुक है। यह निसन्देह खेदजनक है कि किसानों को बार बार होने वाली समस्याओं को इस तरीके से समझा जा रहा है।

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकांठा): महोदय, इन्हें विषय पर ही बोलना चाहिए और आरोप नहीं लगाने चाहिए।

श्री सुदीप बंद्योपाद्याय (कलकत्ता-उत्तर पश्चिम): महोदय, आज समाचार पत्र में एक समाचार आया है कि श्री सोमनाथ चटर्जी ने श्रीमती सोनिया गांधी को आमंत्रण भेजा हैं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: यहां सभी सदस्य, माननीय और जिम्मेवार सदस्य हैं। वे जानते हैं कि उन्हें किस विषय की ओर ध्यान देना चाहिए।

श्री अकबर अली खांदोकर: महोदय, मैं प. बंगाल के एक किसान परिवार का हूं। मुझे पता है कि किसानों के जीवनयापन के लिए किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। महोदय, किसानों की दुर्दशा और समस्याओं के लिए जिम्मेवार कारणों का पता लगाने के लिए हमें गम्भीरता से सोचना पड़ेगा। यदि हमने ऐसा नहीं किया तो किसानों का जीवन बर्बाद हो जाएगा। यदि किसानों की हालत और खराब होती है तो 20 प्रतिशत शहरी जनता के जीवन में भी कष्ट और अशांति आएगी। मैं पश्चिम बंगाल के एक किसान परिवार का हूं। मेरे घर में बिजली नहीं है। यदि आप पश्चिम बंगाल के या देश के अन्य किसी भाग में किसानों की जिंदगी संवारना चाहते हैं तो उन्हें बिजली देनी पड़ेगी, पीने का पानी देना पड़ेगा और जीवनयापन की मूलभूत चीजें देनी पड़ेगी। देश के हर गांव के लिए विद्युतीकरण आवश्यक है। बिजली देने के लिए हमें अवसंरचना चाहिए। अपने गांवों के विकास के लिए हमें व्यापक आधार वाली अवसंरचना चाहिए। इसे उचित रूप से विकसित पंचायती राज से ही प्राप्त किया जा सकता है। सड़कें बनानी पड़ेंगी, ट्यूबवैलों और गहरे कुओं के माध्यम से पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करनी है। यदि अवसंरचना की दक्ष प्रणाली द्वारा हम ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा सकते तो कृषि का विकास नहीं हो सकता। स्वतंत्रता के बाद 54 वर्ष बीत चुके हैं। लोग चांद पर जा रहे हैं और हम अपने किसानों की समस्याओं और उनकी दुर्दशा के बारे में चर्चा कर रहे हैं। बड़े खेद की बात है कि स्वतंत्रता के 54 वर्ष बाद भी भारत में किसानों की हालत ज्यों की त्यों बनी हुई है। आजादी से पहले की स्थिति अब भी बनी हुई है। छोटे तथा सीमांत किसानों की हालत बहुत खराब और गम्भीर है। यदि हम उनका जीवन संवारने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठा सकते तो पूरी व्यवस्था चरमरा जाएगी। श्री बसुदेव आचार्य किसानों के बारे में बहुत सी बातें कर रहे थे। मुझे लगता है कि सीपीएम कलकत्ता से चलकर आसनसोल पहुंचते-पहुंचते पश्चिम बंगाल को भूल जाती है। जब वे दिल्ली पहुंचते हैं तो वे सीपीएम नहीं रहते बल्कि कांग्रेस बन जाते हैं। सीपीएम ने प. बंगाल पर 26 साल से अधिक शासन किया है। अपने

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**मूलत: बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तरण।

[श्री अकबर अली खांदोकर]

26 साल के शासन में उन्होंने सबसे बड़ी क्षति बेचारे किसान समुदाय को ही पहुंचायी है। यही कारण है कि राज्य में उनके विरुद्ध, उनके शासक के विरुद्ध संघर्ष चल रहा है। आज हमारे योग्य प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व की सरकार ने किसानों के जीवन को संवारने के लिए कई सुधारात्मक उपाय किये हैं। उन्होंने कुछ नीतियां अपनाई है ताकि किसानों की समस्याएं हल हो सकें। महोदय, बड़े आश्चर्य की बात है कि प. बंगाल में अभी तक किसान क्रेडिट कार्ड शुरू नहीं किया गया है। हमें नहीं पता है कि यह अभी तक शुरू क्यों नहीं किया गया। उद्योग में काम करने वाले कामगार को उपदान, भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सुविधाएं मिलती हैं किंतु जो किसान दिन-रात काम करता है, जब वह काम करने लायक नहीं रहता है तो उसे ये सब सुविधाएं नहीं मिलती। अपने जीवन के अंत में उसे क्या सुविधाएं मिलेंगी। कृषि मंत्री को इस पर विचार करना चाहिए। इसलिए यदि कोई व्यक्ति उद्योग में काम करता है तो वह बच जाता है। आज केन्द्र और राज्य दोनों ही औद्योगिक विकास को अपना रहे हैं। आज पश्चिम बंगाल में त्वरित औद्योगिकीकरण की मांग और प्रवृत्ति है। इस प्रवृत्ति के कारण किसानों को अपनी जमीन से हाथ धोने पड़ रहे हैं। जब उनकी जमीन चली जाती है तो वे उसे जोत नहीं सकते। किंतु उन्हें फैक्टरी या उद्योग में नौकरी नहीं मिलती और अंततः वे अपना और अपने परिवार का पेट नहीं भर सकते। इसके परिणामस्वरूप भुखमरी से मौत होती हैं। हम अखबारों में पढ़ते हैं कि अनेक किसानों ने आत्महत्या कर ली है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, प. बंगाल या भारत में कहीं भी-भोजन के अभाव में किसान मर रहे हैं। प. बंगाल का हुगली जिला पूरे एशिया में आलू उत्पादन में प्रथम है। यह इस महाद्वीप में आलू उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक है। जब अच्छा उत्पादन होता है तो किसानों को अच्छा मूल्य नहीं मिलता। बिचौलिए फायदा उठा रहे हैं जबकि आलू उत्पादक किसानों को उनका हिस्सा नहीं मिल पा रहा। किंतु राज्य सरकार बिचौलियों की भूमिका पर अंकुश नहीं लगा पाई है। इस प्रकार उनकी गलत नीतियों के कारण किसानों को परेशानी हो रही है। नुकसान उन्हें हो रहा है। हमारे पास गैट समझौता है। इस गैट समझौते का परिणाम क्या है? किसानों को क्या लाभ हुआ? हम उनकी दुर्दशा के बारे में केवल बातें बना रहे हैं। आज किसानों की हालत वही है जो 53 वर्ष पूर्व थी। हम अनेक शीर्षों के अंतर्गत व्यय करते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में हमारे अनेक कल्याण कार्यक्रम हैं। किन्तु किसानों की स्थिति में सुधार का प्रतिशत बिल्कुल नहीं बढ़ा है। ऐसा किसलिए? हमें इसके बारे में गहराई से सोचना पड़ेगा।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं अपने माननीय कृषि मंत्री का ध्यान किसानों की दशा में सुधार करने के लिए किए गए उपायों की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा। बंगलादेश के साथ हमारा फरक्का जल समझौता है। किंतु इस समझौते के परिणामस्वरूप पश्चिम बंगाल के किसानों को परेशानी हो रही है। हमें इस समझौते की समीक्षा करनी चाहिए। अन्यथा बंगाल के किसान मर जाएंगे, उनका बचना मुश्किल है।

[हिन्दी]

बंगाल का किसान मर जाएगा, बच नहीं सकता है। आजकल पानी नहीं मिलता है। मैं स्वयं दफ्तरों को चिट्ठियां लिखता हूं, लेकिन कुछ काम नहीं होता है। मैंने कई बार चिट्ठियां लिखी हैं कि किसान की खेती की हेतु सिंचाई के लिए पानी का इंतजाम कीजिए। पानी नहीं मिलेगा, खाद नहीं मिलेगी, कीटनाशक दवाएं नहीं मिलेंगी, तो किसान कैसे प्रोडक्शन बढ़ाएगा। बंगाल में आज किसान पावर्टी लाइन के नीचे चला गया है। बिलो पावर्टी लाइन के लोगों को ऊपर उठाने के लिए बंगाल में जितना काम होना चाहिए वह ठीक ढंग से नहीं हो रहा है, उनके लिए कौन जिम्मेदार है?

सायं 7.00 बजे

अभी तक बिलो पावर्टी लाइन के लोग आइडैंटीफाई नहीं हुए। क्रॉप इंश्योरैंस सभी राज्यों में हुआ लेकिन हमारे बंगाल में नहीं हुआ। उसका क्या होगा? उसे जरूर करना चाहिए। जो केरल में होगा, वह बंगाल में होगा, जो बंगाल में होगा, वही यू.पी. में होगा, जो महाराष्ट्र में होगा, वही आंध्र प्रदेश में होगा, सारा भारत एक है, यह नारा मेरा है, सब लोगों का नारा है कि भारतवर्ष हमारा है, हिन्दुस्तान हमारा है, तो क्या पश्चिम बंगाल में किसानों के लिए एक चीज लागू होगी, बिहार के लिए दूसरी लागू होगी। बिहार में एफ.सी.आई. चावल खरीद करती है, बंगाल में खरीद नहीं करती। जूट कार्पोरेशन पाट खरीद करती है लेकिन एफ.सी.आई. चावल नहीं खरीद करती तो क्या होगा। इसका असर किसानों के ऊपर पड़ता है। धीरे-धीरे पूरे भारत का किसान मरता जाएगा। उसे सूइसाइड करनी पड़ेगी। जो आंकड़े पहले होते थे, दस-दस साल के अंतराल में कितने किसानों ने सुइसाइड की है। डब्ल्यू.टी.ओ. में जो कुछ हुआ, उसको लेकर किसानों में बहुत चिन्ता है। किसानों के लिए कोई अच्छी पॉलिसी बनानी चाहिए। आज की खबर है कि लेबर दफ्तर के बारे में एक बात उठी कि किसान को ठीक से जोड़ने के लिए हर राज्य के चीफ मिनिस्टर, औपोजीशन लीडर और सबको साथ लेकर एक बैठक करनी होगी। अभी चीन ने ताइचून धान आ रहा है। वह सबसे कम दाम में बिकता है- 3-4 रुपये किलो बिकता है। बंगाल का चावल पहले बंगलादेश में जाता था जिससे बंगाल के किसान को ज्यादा फायदा हो रहा

था लेकिन आज बंगाल का चावल बांग्लादेश में भी नहीं जाता। आज किसान को सपोर्ट देना चाहिए। लेकिन विरोधी पक्ष ने आज जो खेल दिखाया, वे हर रोज एक-एक खेल दिखाते हैं। ...*(व्यवधान)* आज एक अच्छा खेल दिखाया, उसके बाद अच्छा खाना-पीना भी होगा। सोमनाथ जी के घर में जाने के लिए एक अच्छा ड्रामा बनाया कि हाउस में कोरम नहीं है, संबंधित मंत्री नहीं है तो किस मंत्री को बुलाना चाहिए। स्पीकर साहब को बोलना चाहिए था कि संबंधित मंत्री को रहना चाहिए लेकिन अच्छा खाने के लिए हर साल चुनाव लड़ाओ, तब कुछ काम होगा, नहीं तो देश बर्बाद हो जाएगा। अभी एन.डी.ए. को तोड़ना है इसके लिए ये लोग परामर्श कर रहे हैं। हम कृषि मंत्री जी से कहेंगे कि आप बंगाल में जाकर किसानों की हालत देखिए। ...*(व्यवधान)* किसान को न पानी मिलता है, न बिजली मिलती है, न खाद मिलती है। मेरी लीडर ममता बैनर्जी हैं, आप आइए।

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी (बाड़मेर): सभापति महोदय, आज देश के किसान की स्थिति बहुत खराब है। भारत कृषि प्रधान देश है। पूर्व प्रधान मंत्री चौधरी चरण सिंह जी ने एक बार कहा था कि भारत की समृद्धि का रास्ता गांवों और खेतों से होकर गुजरता है। मुझे बड़ी खुशी है कि उनके बेटे कृषि मंत्री हैं। किसानों के बारे में जो बात हो रही है, उसमें आप कुछ अमल करके, नीति बना कर जरूर कुछ करेंगे। हिन्दुस्तान में आज भी करीब 75 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं और उसमें से करीब 65 प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर हैं। सन् 1947 में जब आजादी मिली थी, उस वक्त किसान के पास प्रति व्यक्ति कृषि भूमि 1.2 हैक्टेयर थी और चालीस साल बाद 1990 में जब सर्वे हुआ तो वह 0.2 रह गई। इतना ही नहीं, जो पलायन हो रहा है, वे गांवों से शहरों की ओर जा रहे हैं, उनमें खासकर कारीगर हैं। इससे भी विकास में कमी हो रही है। 1960 से 1990 तक पिछले तीस साल के आंकड़ों के मुताबिक करीब 50 प्रतिशत वृद्धि ग्रामीण क्षेत्र में पलायन होकर हुई है।

इतना ही नहीं, आज भयंकर बेरोजगारी है। 1990 में किसान और मजदूर बेरोजगार करीब 230 लाख थे, आज वे बढ़कर सन् 2000 में करीब 940 लाख हो गये हैं। इन बेरोजगारों में 70 प्रतिशत लोग खेती से जुड़े हुए हैं। बिजली और पानी की स्थिति बहुत खराब है, कहीं पर बिजली नहीं है, जहां खेती नहीं होती है, कहीं पर पानी नहीं है। मैं अपने क्षेत्र की बात बताता हूं, वहां पर पिछले 52 साल में 40 अकाल पड़े हैं। कुछ जगह पर वहां पानी नीचे हैं, कुएं हैं पर वहां पर बिजली नहीं होने की वजह से पिछले दो साल में कई जगह लोग खेती नहीं कर पाये, क्योंकि राजस्थान में एक तिहाई रिक्वायरमेंट की बिजली अपनी है, बाकी बाहर से आती है। भारत सरकार यहां दूसरे पार्टी की है, वह भेदभाव करके उनको बिजली नहीं आने देती, इसलिए वहां किसान त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। कृषि मंडियों की हाल बहुत खराब है, सहकारिता बहुत कमजोर हो गई है और जो बैंक्स हैं, हमारे कई साथियों ने बताया कि वे कृषि लोन नहीं देते हैं, उसमें जो आर.बी.आई. के टार्गेट्स हैं, वे किसानों को नहीं मिलते हैं, खासकर छोटे किसानों को।

दूसरी जो अहम समस्या किसानों की है, वह उपज के भाव की है। आप जानते हैं कि किसानों की बहुत खराब हालत है, उसको भाव नहीं मिल रहा है। मेरे यहां एक रायड़ा करके सरसों की नस्ल होती है, आज से दो साल पहले उसका भाव 2200 रुपये प्रति क्विंटल था और आज लोग उसको 700 रुपये में लेने को तैयार नहीं हैं। ग्वार गम 2500 रुपये क्विंटल था, आज उसे 800 रुपये में लेने को तैयार नहीं हैं। काली मिर्च के भाव करीब 25 प्रतिशत रह गये हैं। जो नारियल पहले वहां पर 6-7 रुपये का था, आप जानते होंगे कि वह आज दो रुपये में भी नहीं बिक रहा है और रबड़ की क्या हालत है, वह आप सब जानते हैं। इसके सिवा और भी जो भाव हैं, जैसे डीजल का भाव 1996 में जब कांग्रेस से आप लोगों ने सत्ता ली थी, उस समय डीजल के भाव 6.50 या सात रुपये पर लीटर थे, आज आपने उसी को चार साल के अन्दर 18-19 रुपये पर लीटर कर दिया, तीन गुना कर दिया। किसान कहां जाये, उसके भाव नहीं मिलते हैं और आप भाव बढ़ाये जा रहे हो। यह सारा कुछ आपकी नीतियों की वजह से हो रहा है। दूध के भाव बहुत कम हो गये हैं, डेरियां बन्द हो गई हैं। फल और सब्जियों की हालत बहुत खराब है। अभी प्रधानमंत्री जी कुछ अर्से पहले यहां से हिमाचल प्रदेश गये थे, वहां पर बी.जे.पी. की सरकार है, वहां पर भी उन्होंने सेब लाकर प्रधानमंत्री के सामने उनको जलाया कि हमको भाव नहीं मिल रहा है। ऐसी हालत में आज किसानों की दशा बहुत खराब है और आज हिन्दुस्तान का किसान दिशाहीन है, आत्महत्याएं कर रहे हैं। आज भुखमरी से मौतें हो रही हैं। यही किसान है, जो किसी तरह से आज से 40 साल पहले 1960 में बाहर से अनाज आता था, पी.एल. 480 यू.एस.ए. से, इन किसानों से आज आप क्लेम करते हैं कि हमारा 60-70 मिलियन टन फूडग्रेन हमारे पास पड़ा है। एक तरफ तो उसे चूहे खा रहे हैं और दूसरी तरफ किसान भूख से मर रहे हैं। यह सिर्फ इसलिए है, क्योंकि आपका तालमेल ठीक नहीं है, आपकी नीति ठीक नहीं है, मुझे यह कहने में कोई अफसोस नहीं है कि यह सरकार किसान के बनिस्पत ट्रेडर्स का ज्यादा ध्यान रखती है।

आपकी जो आयात नीति है, अभी हमारे साथियों ने बताया कि डब्ल्यू.टी.ओ. में क्या हुआ। वहां मंत्री जी स्टेटमेंट देकर आये। उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि हमने यह किया है, लेकिन अगर

[कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी]

बारीकी से देखें तो पूंजीपति और विकसित देशों के प्रभाव में आकर इन्होंने उस पर दस्तखत किये हैं और आने आने वाले टाइम में किसानों की हालत और खराब होगी।

जहां तक निर्यात की स्थिति है, हमारे कुछ किसानों का माल बाहर जाता है, उसके अन्दर भी किसानों को जो भाव मिलना चाहिए, वह नहीं मिलता है। बिचौलिये और बीच के लोग उसमें पैसा खा जाते हैं। मंत्री जी को मेरा सुझाव है कि जो आयात हो रहा है, उसमें आप ड्यूटी बढ़ायें, उस पर आप टैक्स लगायें या टैरिफ को रैगुलेट करें और जो बाहर सामान जा रहा है, उसके अन्दर बिचौलियों के बजाय आपकी जो एजेंसी नेफेड है, उसके मार्फत यह काम करें। इसी तरह से यहां से माल के सैम्पल बाहर जाते हैं, अभी मेरे साथी कह रहे थे कि वे बाहर भेजते कुछ हैं और सैम्पल कुछ होता है और माल कुछ और हो जाता है। इससे क्या होता है कि सारी देश की साख खराब होती है और खराब सामान नहीं जाता है।

मैं न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। राजस्थान में इसको लेकर बहुत भेदभाव किया गया है। राजस्थान में 27 लाख क्विंटल बाजरा हुआ था। उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार ने सितम्बर के आखिर में 485 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया। वही बाजरा वहां 280 रुपये से लेकर 300 रुपये प्रति क्विंटल तक में बिका। इस कारण प्रदेश के किसानों को करीब 400 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, क्योंकि न्यूनतम समर्थन मूल्य देर से घोषित किया गया था। यह ठीक है कि वहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है, लेकिन आपको आगामी चुनाव में पंजाब और यू.पी. के किसान सबक सिखायेंगे। आप खाद में 22,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी देते हैं। लेकिन वह सीधे किसानों को नहीं दी जाती। मेरा आपसे निवेदन है कि वह सब्सिडी सीधे किसानों को मिलनी चाहिए। इसके अलावा उन्हें उन्नत किस्म के ट्रैक्टर, बीज आदि मुहैया कराने चाहिए।

श्री भैरोसिंह शेखावत राजस्थान के मुख्य मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने किसानों के बारे में एक रिपोर्ट केन्द्र को दी है, जिस पर अमृतसर में आपकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी विचार हुआ था। उन्होंने कहा है कि किसानों की हालत बहुत खराब है, वह सुधारी जाए। अगर आप हमारी बात नहीं मानते, तो उन्हीं की बात मान लीजिए और इस पर अमल करें।

कुछ बातें मैं अपने क्षेत्र की कहना चाहूंगा। मेरे क्षेत्र में जैसलमेर, बाड़मेर बहुत बड़ा थार है। वहां पर अकाल पड़ता रहता है। वहां पड़ती भूमि है, वेस्ट लैंड के लिए कांग्रेस सरकार ने एक बोर्ड बनाने का प्रस्ताव यहां भेजा था, लेकिन वह यहां ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। वहां पानी की विकट समस्या है। लोग आज भी 15-20 किलो मीटर दूर से पानी लाते हैं। इंदिरा गांधी नहर जो जवाहर लाल नेहरू जी ने शुरू की थी, दो साल से उसके लिए यहां से जो पैसा जाता था, वह बंद कर दिया गया है। इस कारण उस पर काम बंद हो गया है। इसी तरह वहां पशुपालन के धंधे को भी नुकसान हो रहा है। इन सबसे लोगों को उबारने के लिए आपको वहां आर्थिक सहायता देनी चाहिए। प्रधान मंत्री जी द्वारा इस बाबत घोषणा किये जाने के बावजूद वहां पैसा नहीं दिया जा रहा है। जो डी.डी.पी. और अन्य कार्यक्रमों के तहत पैसा मिलता था, उसको भी यहां के एक मंत्री ने रोक दिया है। इस तरह से वहां भेदभाव नहीं करना चाहिए। किसानों के बारे में एक समुचित नीति बनाकर किसानों का भला किया जाना चाहिए। इससे आपका भी भला होगा, इतिहास में आपका नाम आएगा कि अजित सिंह जी ने किसानों के लिए वाकई कुछ किया है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब श्रीमती रेणूका चौधरी बोलेंगी।

...(व्यवधान)

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): महोदय, इससे पहले कि वह बोलें, मैं समझता हूं कि सभा में गणपूर्ति के लिए सत्ता पक्ष का धन्यवाद करना चाहिए।

श्रीमती रेणूका चौधरी: महोदय, उन्हें अपना धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि कम से कम जनता समझेगी कि किसानों में उनकी कुछ रुचि है।

श्री टी.आर. बालू: क्या सभा में गणपूर्ति बनाए रखना आपका कोई उत्तरदायित्व नहीं है? *...(व्यवधान)*

श्रीमती रेणूका चौधरी: महोदय, आपने मुझे बोलने की अनुमति दी, आपका धन्यवाद। मैं विशिष्ट मुद्दों की ओर इस सभा का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं। हम सबने खरीद मूल्य इत्यादि से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की है। मुख्य मुद्दा यह है कि हमें फसल नियोजन की आवश्यकता है। इस वर्ष असम की बारी थी। पूर्व बिहार और उत्तर बिहार में पानी की बहुतायत है। किंतु हमारा फसल पैटर्न अनियोजित है जिसके फलस्वरूप कभी बहुत अधिक उत्पादन होता है और छोटे तथा मझौले किसान वही फसल उगाते हैं जिसके लिए उन्हें समर्थन मूल्य प्राप्त होता है यदि आप बृहत स्तर पर इसके प्रभाव को देखे बिना नीति के रूप में पृथक रूप से न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करते हो तो शेष जीवन भर हम इस मुद्दे में उलझे रहेंगे।

यदि आपने फसल पैटर्न पर ध्यान दिया हो तो आवश्यक क्षेत्रों में न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाना होता है। पूरे देश में शुष्क-भूमि कृषि के प्रतिशत में कमी आ रही है जिसके फलस्वरूप किसानों की समझ में कुछ नहीं आ रहा। उन्हें नहीं पता कि कहां क्या उगाया जाए। छोटे और मझौले किसानों को अन्य जानकारी नहीं दी जा रही है।

जब हम फसल पैटर्न की बात कर रहे हैं तो मैं चाहती हूं कि सरकार अपना दिमाग लगाए। एक समय था कि भारत पीत क्रांति में लगभग आत्मनिर्भर हो गया था। हम तिलहन उत्पादन के लिए पीत क्रांति की बात करते थे। इस पर हमारा लगभग स्वतंत्र निर्णय था। आज वह पीत क्रांति कहां गई? भारत आयातित खाद्य तेलों पर विदेशी मुद्रा व्यय करता है। साथ ही, बड़ी विचित्र बात है कि हमारे यहां खाद्य तिलहन का अत्यधिक उत्पादन होता है। जहां भी आपने न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया है, आपने बड़े गलत ढंग से किसानों के हितों को नुकसान पहुंचाया है क्योंकि आपने बिना सोचे-समझे यह कदम उठाया है।

दुर्भाग्य की बात है कि चुनाव सूखा या बाढ़ के समय ही सरकारों को किसानों की याद आती है। फिर चुस्ती दिखाते हैं। भा.खा.नि. को प्राथमिक चिकित्सा संगठन के रूप में काम करना बंद कर देना चाहिए जैसाकि हमने लातूर में आए भयंकर भूकम्प के समय किया था। भा.खा.नि. ऐसा संगठन है जिसे कुछ स्वायत्तता होनी चाहिए तथा भविष्य में प्रगति करने की कुछ योजना उसके पास होनी चाहिए। राज्य सरकारों को रियायतें देने से भा.खा.नि. असहाय हो जाता है। यह वास्तविकता है।

हमें बैंकिंग पहलू पर भी विचार करना है। छोटे और मझौले किसान फसल आते ही अपना अन्न बेच देते हैं क्योंकि पहले तो उनके घरों में अपना अन्न रखने की जगह नहीं होती, दूसरे उसे गोदाम में रखने और बचाने के लिए पैसा नहीं होता तथा तीसरे, किसानों की ऐसी प्रौद्योगिकी तक पहुंच नहीं है कि वे अपने उत्पाद की भण्डारण अवधि बढ़ा सके। फसल कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी और तत्संबंधी अपेक्षाएं समय की मांग हैं विशेष रूप से तब जबकि हम प्रगति और विकास की ओर बढ़ रहे हैं।

हम ट्रांसजेनेटिक बीजों की बात करते हैं, हम मत्स्यपालन की बात करते हैं और हम जैव प्रौद्योगिकी की बात करते हैं। यदि किसानों के पास फसल कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी नहीं है तो किसान मजबूरी में अपना उत्पाद बेचते रहेंगे। मुंबई में भाभा एटोमिक रिसर्च सेंटर में इर्रेडिएशन टैक्नोलोजी है। इर्रेडिएशन को ट्रांस जेनेटिक फसल या जेनेटिकली मोडीफाइड फसल नहीं समझा जाना चाहिए। इर्रेडिएशन से बीज परिवर्तित नहीं होता, इससे स्वाद पर प्रभाव नहीं पड़ता और इसका स्वास्थ्य पर भी कोई कुप्रभाव नहीं होता। इजराइल जैसे राष्ट्र दस-पन्द्रह वर्षों से इर्रेडिएशन प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर रहे हैं और इसे मूल्यवर्धित उत्पाद माना जाता है। वे अपने सभी समुद्री खाद्य पदार्थों, प्राकृतिक खाद्य पदार्थों और अन्न पर लिखते हैं कि यह इर्रेडिएटेड खाद्य पदार्थ हैं। यदि आपके पास इर्रेडिएशन तकनीक है तो इसकी लागत मात्र तीन-चार करोड़ रुपये आएगी। यदि आपके हर जिले में इर्रेडिएशन केन्द्र हो तो किसान अपने उत्पाद को वहां उपचारित करा लेंगे। फिर आलू और प्याज में अंकुरण नहीं होगा तथा दलहन को भी अधिक दिनों तक भंडार में रखा जा सकेगा। इससे किसान अपने उत्पाद को मजबूरी में नहीं बेचेगा।

हम साथ ही इसकी जांच तो कर ही रहे हैं, हमें किसानों की आवश्यकताओं को भी समझना चाहिए। उनकी आवश्यकता है कि जैसे ही उन्होंने फसल बोई, उन्हें नगद पैसा चाहिए। जब वे फसल काटते हैं तब उन्हें नगद पैसा चाहिए। बैंक कल्पनाशील नहीं हैं। हमारे बैंक धूल चाट रहे हैं, वे सृजनात्मक नहीं हैं और किसानों को ऋण नहीं देते। आप इसे उनके द्वारा किसानों को दिये जाने वाले ऋण के प्रतिशत से देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस प्रकार का ऋण दिया गया है। ग्रामीण बैंकों को उनके द्वारा किसानों को दिए जा रहे पैकेज के रूप में भांडागारों को किराये पर लेना चाहिए और किसानों को अपने उत्पादों को वहां रखने में सहयोग करना चाहिए। वे फसल पश्चात उपाय के रूप में उन्हें तत्काल रियायती दर पर नकद ऋण दे सकते हैं और यह तब तक जारी रहना चाहिए जब तक कि उनके उत्पादों का बाजार में बेहतर मूल्य प्राप्त नहीं हो जाता है और वे जल्दबाजी में निराशा में बिक्री नहीं करते हैं। इसी प्रकार दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को अपना धन व्यय करके जिला मुख्यालयों में आकर ऋणों के लिए बैंकों का चक्कर लगाना पड़ता है।

जहां तक भूमिहीन मजदूरों और कृषि पर निर्भर रहने वाले लोगों की लघु बचत का प्रश्न है ऐसे व्यक्ति भी हैं जो इन्तजार करते हैं और जिनका धन उन्हें बैंकिंग सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण उनकी झोपड़ियों में लगी आग में नष्ट हो जाता है। महोदय मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि बैंकिंग सुविधा ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में चल बैंकिंग इकाई के रूप में उपलब्ध करायी जाए ताकि निर्धारित कैलेंडर के अनुसार आप गांवों में भी चल बैंक भेज सकें और लोग उसमें लघु बचत कर सकें और किसानों को बिना परेशान हुए और मुख्यालयों में आये बिना आसान शर्तों और मध्यम आकार के ऋण प्राप्त हो सके।

आज किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता बाजार की है। हमारे बाजारों की स्थिति शर्मनाक है। ये हमारी प्रणाली में

[श्रीमती रेणूका चौधरी]

व्याप्त भ्रष्टाचार का विज्ञापन मात्र है। हमारे गरीब किसानों को बाजार में बैठना पड़ता है और एक बार उनके द्वारा दुलाई का भुगतान करने के पश्चात वे अपने उत्पादों की कहीं अन्यत्र दुलाई किये जाने हेतु भुगतान करने की स्थिति में नहीं रहते हैं। वे वहां अपने उत्पाद के साथ फंस जाते हैं। बिचौलिए उनका शोषण करते हैं और बाजार परिसर में ही एक कोने से दूसरे कोने में मूल्य दोगुना हो जाता है और लोगों द्वारा किसानों का इस प्रकार शोषण किया जाता है। ये वास्तविक परिस्थितियां हैं जिसका हम सामना कर रहे हैं। और यदि किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना हो तो यह यहां किया जाना चाहिए। जैव-प्रौद्योगिकी के आगमन से गुजरात में आज लगभग 'बीटी काटन' का 10 करोड़ उत्पादन होता है और हम इसे नष्ट करने की बात कर रहे हैं। आप किस जानकारी के आधार पर बीटी काटन को नष्ट करने की बात कर रहे हैं? यह इसलिए है क्योंकि कीटनाशक दवाओं की लाबी इस प्रकार के ट्रांसजेनिक फसल, जो कीट-प्रतिरोधी हैं, कीटनाशकों की बिक्री नहीं कर पायेंगी और इन्हीं लाबियों द्वारा बाजार में आकर हमें कहा गया कि 11 सितम्बर के पश्चात हम 'अवंत' नामक कीटनाशक अमरीका से प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन यह मेरे खम्माम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में काले बाजार में दोगुनी दर पर उपलब्ध थी। हमने छापे मारकर 'अवंत' बरामद की हैं जिसे विशिष्ट रूप से किसानों को आवश्यक मात्रा में आपूर्ति की जाती थी। अत: हमें उन कीटनाशक कंपनियों पर ध्यान देने होगा जो देश में आ रही हैं और जैव प्रौद्योगिकी कीटनाशकों की बात कर रही है। जैव कृषि के लिए हमारे किसानों को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है। हमने किसानों को बीज तैयार करने और इसका संरक्षण करने हेतु कोई प्रोत्साहन नहीं दिया है। हमने किसानों को जैव-अधिकार समर्थन और पारिस्थितिकीय अधिकार समर्थन के महिला संबंधी विषय होने के कारण पर्यावरणीय सुरक्षित क्रियाकलापों का उपयोग करने के लिए कोई कल्पना शक्ति उपलब्ध नहीं करायी है। आंतरिक रूप से संपूर्ण होने के कारण हमें प्रकृति के साथ संतुलन रखने के लिए ध्यान देना होगा। यह इसलिए है क्योंकि हम फ्रांसिस बेकन द्वारा औद्योगिकीकरण के बारे में व्यक्त विचारों को समझ चुके हैं और हम प्रकृति से बलपूर्वक ही समृद्धि का कितना खजाना, यदि यह बलपूर्वक ही किया जाए, प्राप्त कर सकते हैं। आज विश्व भर में एक समग्र प्रयास है जहाँ लोग यह महसूस कर चुके हैं कि हमें प्रकृति के साथ सावधानीपूर्वक व्यवहार करना होगा और संस्कृति राष्ट्र और व्यक्ति के रूप में हम ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रकृति के साथ सावधानी बरती है। हमारी धार्मिक रणनीति वैज्ञानिक सांस्कृतिक प्रथाओं पर आधारित है। ये धार्मिक प्रथाओं में बदल जाती है क्योंकि हम इसे प्रयोग करते हैं और अपनाने को बाध्य होते हैं। यह भारत में इस क्रांतिकारी कृषि का संरक्षण करने के लिए है। 1984 अथवा 1986 तक हमारे अनपढ़ और गरीब किसानों द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी को अपनाया गया था और क्रांतिकारी कृषि होने लगी। कुल्लू-मनाली सीड सेंटर ने पुष्पकृषि में अनेक प्रकार के रंग एक ही पत्ते में विकसित किये हैं और यह महज उदाहरण मात्र है और मेरे लिए आज सबसे चिंताजनक बात यह है कि पुष्पकृषि पर हमारे द्वारा ध्यान दिये जाने के बावजूद हम पेप्सी पर निर्भर हुए हैं जिसने पंजाब में कृषि क्रांति का वादा किया है और कहा है कि वे ऐसी किस्म की आलू की पैदावार करेंगे जिसे हममें से किसी ने नहीं देखा है। यह सब समाप्त हो चुका है, अब सिर्फ पेप्सी की क्रांति है, अन्य कोई कृषि क्रांति नहीं है। सरकार इन कंपनियों की जांच पड़ताल नहीं कर रही है जो किसानों को सहायता पहुंचाने के नाम पर आयी हैं, उन्होंने ऐसा नहीं किया है ...*(व्यवधान)* हमारे देश में फसल योजना और किस राज्य के पास कितना प्राकृतिक संसाधनों का भंडार है और हम इसका कैसे उपयोग करें, के संबंध में कोई आंकड़ा नहीं है। हमारे पास फसल योजना में बदलाव जिसमें किसान खाद्य फसल छोड़कर नकदी फसल में लग गए हैं, के संबंध में कोई आंकड़ा नहीं है। इसमें बदलाव इसलिए हुआ है क्योंकि जब हम नई प्रौद्योगिकी अपनाते हैं तो किसान इसका उपयोग करने लगते हैं। लेकिन इस संबंध में कोई नहीं सोचता है। मेरे संसदीय क्षेत्र में जेस्मिन उपलब्ध है लेकिन इसके लिए कोई परिष्करण संयंत्र नहीं है। हमने मत्स्यपालन और स्कैपी पालन शुरू किया है जिससे अत्यधिक उत्पादन हुआ है इसके परिणामस्वरूप मिट्टी क्षारित हो रही है और इससे यही जल किसी अन्य फार्म में जाकर जीवाणु फैला रहे हैं और हजारों-हजार किसान प्रभावित हो रहे हैं।

आज हमारे पास जीवाणु प्रतिरोधी 'स्कैपी' पालन है जिसे देश में शुरू किया गया है। 'मैड काऊ' रोग और अन्य रोग के कारण लोग अन्य विकल्प अपना रहे हैं। उन्हें यह पता है कि इसे क्लोरोस्टाल नियंत्रित होता है। स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता आयी है। दुनिया भर में इन जीवाणुओं के साथ लोग सामान्यत: समुद्री खाद्य पदार्थों को अपना रहे हैं। भारत भविष्य में परंपरा और आधुनिकता के सहारे लंबी छलांग लगाने हेतु तैयार है। यदि सरकार इसकी अनदेखी करती है अथवा यदि आप इस पर संकेतपूर्वक ध्यान देते हैं और इस पर संसद में चर्चा होती है और यदि सभा में हुई इस चर्चा के बाद भी कुछ भी निर्णय नहीं ले पाते हैं तो वास्तव में यह दु:ख की बात होगी और इसका प्रभाव आगामी चुनाव पर पड़ेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी मृत्यु के पश्चात देश के लिए सही संदेश जारी करने हेतु कहा था। उन्होंने कहा था जब मेरी मृत्यु हो तो मेरी अस्थियों को किसानों के खेतों में गिराया जाए ताकि मैं हमेशा उनके काम आ सकूं।

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा): सभापति महोदय, मैं संक्षिप्त में अपनी बात रखूंगा। विश्व व्यापार संगठन और अन्य विश्वस्तरीय समझौते के आने से किसानों को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अब हम जानते हैं कि समझौते में त्रुटियां हैं जिसका लाभ उठाना चाहिए। किसानों को इस कठिन स्थिति से उबरने हेतु त्रुटियों का फायदा उठाना चाहिए।

सरकारी तंत्र में एक कमी है। हमारे पास राजनीतिक कार्य संबंधी समिति, आर्थिक कार्य संबंधी समिति इत्यादि है। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि क्या कृषि कार्य संबंधी समिति भी है। यदि यह समिति नहीं है तो मेरा सुझाव है कि एक कृषि कार्य संबंधी समिति गठित की जाए जिसमें वाणिज्य मंत्री, खाद्य मंत्री, सिंचाई मंत्री, वित्त मंत्री और अन्य महत्वपूर्ण मंत्रालयों के मंत्रियों को शामिल किया जाए। इसे किसी कन्सोर्टियम अथवा किसी समिति अथवा किसी अन्य नाम से जाना जा सकता है। इस पर सरकार द्वारा तत्काल कार्यवाही करनी चाहिए।

सभी वस्तुओं के मूल्यों में गिरावट आयी है लेकिन उत्पादन लागत में अत्यधिक वृद्धि हुई है। जहां तक केरल का प्रश्न है, नारियल, सुपारी, रबड़, काली मिर्च, कॉफी, चाय की दर में गिरावट आयी है जिससे किसान परेशानी में आ गए हैं। रबड़ की दर चार अथवा पांच वर्ष पूर्व 69 रुपए थी लेकिन अब यह गिरकर 28 रुपए रह गई है जबकि इसके उत्पादन में दोगुनी वृद्धि हुई है। नारियल गिरी का मूल्य 48 रुपए से कम होकर 18 रुपए रह गया है। मिर्च का मूल्य 240 रुपए से कम होकर 67 रुपए रह गया है। मुझे नहीं मालूम कि सुपारी किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। इसका मूल्य 165 रुपए से कम होकर 28 रुपए रह गया है। इसमें छः गुनी गिरावट आयी है। नारियल का मूल्य 6 रुपए से गिरकर 2 रुपए रह गया है लेकिन गत पांच वर्षों में उत्पादन लागत दो अथवा तीन गुनी बढ़ी है। मेरा सुझाव है कि इस संबंध में कुछ किया जाना चाहिए। नारियल उत्पादकों को बचाने के लिए आपकी नारियल का काम्पलेक्स बनाना चाहिए। अब अग्रणी किसान आईएनएफओआरएम नामक संगठन के साथ हो चले हैं। उन्होंने सुझाव दिया है कि वे इसे अपने आप करेंगे। यदि कतिपय प्रौद्योगिकी और वित्तीय सहायता दी जायें तो उनके अनुसार वे केरल तथा अन्य स्थानों पर नारियल का काम्पलेक्स बनाने को तैयार है।

वे केरल तथा कतिपय अन्य भागों में नारियल के काम्पलैक्स बनाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कॉफी के लिए यह सुझाव दिया है। काली मिर्च के लिए, उन्होंने सुझाव दिया है कि विनाड़ जिले में वह, इसके लिए उचित सहायता दिए जाने की अवस्था में इसे शुरू करेंगे। योजनायें हैं लेकिन हम इसे समझ नहीं पा रहे हैं। उदाहरणस्वरूप नारियल के मामले में कागजों पर एक योजना है जिसके अनुसार यह कहा गया है कि एक नारियल मात्र से 56 उद्योगों को चलाया जा सकता है। नारियल विकास बोर्ड ने मात्र एक नारियल से पेड़ को छोड़कर के आधार पर 56 उद्योगों को सहायता देने के लिए एक योजना है। अतः हमें निश्चित रूप से इसे प्रोत्साहन देना चाहिए।

सभापति महोदयः श्री थामस, क्या आप अपनी बात समाप्त करेंगे?

श्री पी.सी. थामसः महोदय, समय की कमी के कारण मैं विस्तार में नहीं जा सका। मैं जानता हूं कि माननीय मंत्री महोदय भी जल्दी में है। अतः मैं यह अवसर दिए जाने हेतु माननीय अध्यक्ष महोदय और माननीय सभापति महोदय का धन्यवाद करता हूं।

मैं मंत्री महोदय से विश्व व्यापार संगठन और मेरे द्वारा सुझाई गई समिति के संबंध में उत्तर देने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती कैलाशो देवी (कुरुक्षेत्र): सभापति जी, नियम 193 के अंतर्गत किसानों की समस्याओं पर हो रही चर्चा में भाग लेने के लिए आपने मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूं। आज विभिन्न राज्यों में जो किसान आत्म-हत्याएं कर रहे हैं और दुःखी होकर कृषि क्षेत्र से पलायन कर रहे हैं वे इसे एक घाटे का सौदा मान रहे हैं जो भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए एक गहन चिंता का विषय है।

सभापति जी, पिछले कुछ समय से कृषि उत्पादों में 40 प्रतिशत की कमी आई है। कृषि उर्वरकों जैसे खाद, डीजल, बिजली, पानी और कीटनाशक दवाओं के भाव आज आसमान छू रहे हैं और समर्थन मूल्य की दर न्यूनतम मूल्य से कई प्रतिशत गिरी है। यदि मैं राज्यवार किसानों की समस्याओं का जिक्र करूं तो बहुत लम्बा समय लग जाएगा। किसानों की आत्म-हत्या जैसे दर्दनाक कदम उठाने के लिए आजादी से लेकर आज तक की सभी सरकारें जिम्मेदार हैं।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (वाराणसी): आप असत्य भाषण कर रही है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया केवल दो मिनट का समय लें। अध्यक्षपीठ ने महिला सदस्य की हितों की रक्षा की है।

[हिन्दी]

श्रीमती कैलाशो देवी: वर्षों से लम्बित पड़ी योजनाएं जैसे एसवाईएल लिंक नहर, सरदार सरोवर डैम, पानीपत रिफाइनरी, दादीपुर नहर, यमुना नगर थर्मल पावर प्लांट्स जैसी और भी परियोजनाएं जोकि पंचवर्षीय योजनाओं से 50 वर्षीय योजनाओं में तब्दील हो गयी और ब्यूरोक्रेसी के मकड़जाल में बुरी तरह से जकड़ी हुई हैं। उन्हें पूरा किया जाए। बरसाती नदियों पर बांध बनाकर बरसाती पानी को रोका जाए तो एक तो फसल बाढ़ की तबाही से बचेगी और दूसरे बरसाती पानी सिंचाई के काम आयेगा और वाटर-लैवल ऊपर आयेगा। इससे जो 25-30 होर्स-पावर की मोटर चलती हैं वह सात-आठ होर्स-पावर पर चलेंगी। इससे किसानों को बिजली सस्ती और ज्यादा मिलेगी। अगर इस प्रकार की परियोजनाओं को पूरा किया जाएगा तो बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। बरसाती पानी जोकि हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब का है वहां बरसाती नदियों पर बांध बनाकर उसे रोका जाए तो वह समस्त बिहार, यूपी और राजस्थान की प्यासी भूमि की प्यास बुझा सकता है, बशर्ते इन परियोजनाओं को दृढ़ संकल्प से पूरा किया जाए। इससे मजदूरों और किसानों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, उद्योग धंधों का सामान बिकेगा, उद्योग धंधे फेल नहीं होंगे, विदेशी कम्पनियों के चुंगल से हमें छुटकारा मिलेगा क्योंकि हमारी इंडस्ट्री एग्रो बेस्ड है। बड़े-बड़े कृषि संबंधी प्रोजैक्ट पूंजी निवेश का रिस्क लेकर भी पूरे करने चाहिए क्योंकि इससे उत्पादन लाभ त्वरित होता है। ये सारा प्रबंध होने के बाद पैसा ब्याज सहित वापस भी हो जाता है लेकिन ऐसा करने के लिए हमें दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कृषि नीति पर मंथन करना होगा। अपने समस्त पन बिजली स्रोतों का दोहन करना होगा। कहीं सूखे कहीं बाढ़ से बरबादी होती है, इसके लिए हमें पानी का एक नेशनल ग्रिड बनाना होगा। पुराने ढर्रे पर चल रही कृषि नीति में आमूल-चूल परिवर्तन करना होगा। कृषि को उद्योग का दर्जा देना होगा। फसल बीमा योजना लागू करनी होगी जिसके तहत किसानों को लागत और बिक्री मूल्य पूरे का पूरा मिले। मंडियों का आधुनिकीकरण करना होगा क्योंकि ऐसा न होने के कारण यूपी में और दूसरी स्टेटस में हमने देखा है कि किसानों का अनाज सड़कों पर खराब होता रहता है, उसे कोई खरीददार नहीं मिलता। किसान क्रैडिट कार्ड दो करोड़ किसानों को मिलेंगे। 18 करोड़ किसान इससे लाभान्वित होने बाकी हैं। वे समस्त किसानों को दिए जाएं। नहर के हर छोर तक पानी पहुंचाया जाए। डब्ल्यूटीओ से आज हमें मुकाबला करना है। हमें लागत मूल्य कम करके उच्च कोटि का उत्पादन बढ़ा कर किसान के माल को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लाने के काबिल बनाना होगा। उर्वरकों पर ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी देनी होगी। बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाना होगा। प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए एक राष्ट्रीय किसान राहत नीति लागू करनी होगी क्योंकि किसान ने भारत को अन्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाया। हमने विदेशों से अन्न की भीख मांगनी बंद कर दी। हमारे किसानों ने अर्थशास्त्रियों के उन तमाम समीकरणों को गड़बड़ा दिया जो कहते थे कि भारत बढ़ती हुई आबादी को अन्न उपलब्ध नहीं करा पाएगा। आज भारतवर्ष के पास चार वर्ष के लिए अनाज बफर स्टॉक के रूप में पड़ा है। काम के बदले अनाज योजना लागू करनी चाहिए। वह अच्छी तरह लागू नहीं हुई है। इसकी सरकार द्वारा घोषणा भी हुई है। भंडारों में 30 परसेंट अनाज हरियाणा का इसलिए पड़ा है क्योंकि चोटाला साहब जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने किसानों को 24 घंटे बिजली और पानी देकर, फसलों का ज्यादा से ज्यादा रेट देकर, किसानों को इस काबिल बनाया कि उन्होंने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। उन्होंने वितरण प्रणाली को भी दुरुस्त किया क्योंकि बीच में बिचौलिए किसान के उत्पाद को सस्ते दामों पर खरीद कर, स्टॉक करके, मार्किट में कृत्रिम अभाव दिखा कर, महंगे दामों पर बेच कर मालामाल हो जाते थे जिससे किसान और उपभोक्ता दोनों को उत्पीड़ित होना पड़ता था। एक विशेष कृषि नीति राष्ट्रीय स्तर पर लागू करके समस्त पन बिजली स्रोतों का दोहन करना होगा तभी यह समस्या सुलझ सकती है और किसान आत्महत्या जैसे कदम उठाने से बच सकता है।

[अनुवाद]

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह): सभापति महोदय, मैं देश में कृषि परिप्रेक्ष्य पर अपने विचार प्रकट करने और इस चर्चा में भाग लेने के लिए सभी माननीय सदस्यों के साथ-साथ उन सदस्यों जिन्होंने गलत समय में सभा की बैठक का बहिष्कार किया है का भी धन्यवाद करना चाहता हूं।

अधिकतर सदस्य कृषि से जुड़े हुए हैं। इसलिए वे वास्तविकता से परिचित हैं। उन्होंने जो भी सुझाव दिये हैं और जो भी टिप्पणियां की है उनका स्वागत है। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि सरकार किसानों के सामने आ रही समस्याओं से पूरी तरह परिचित है। यह समस्या कृषि मंत्रालय के कार्य क्षेत्र से बाहर है। मैं यह समझ सकता हूं कि कई सदस्यों ने मुद्दे उठाए थे जो खाद्य मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित है। हमारे देश के 65 प्रतिशत लोग अभी भी गांवों में रहते हैं। वे कृषि से जुड़े हुए है। वे जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं वे केवल इस मंत्रालय

से संबंधित न होकर पूरी सरकार से संबंधित है। मैं उससे भी परे जाऊंगा। आज किसान मुद्दों और चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। सभी दल भूल गए हैं कि विश्व व्यापार संगठन समझौते पर किसने हस्ताक्षर किये थे और पिछले 50 वर्षों में क्या हुआ है। आज हम अत्यन्त गम्भीर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं ...*(व्यवधान)*

श्री पी.सी. थॉमस: क्या कृषि से जुड़े विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए कोई व्यवस्था है?

श्री अजित सिंह: मैं आपके द्वारा उठाए गए मुद्दे पर बाद में आऊंगा।

मैं आशा करता हूं कि राजनीतिक दलों ने इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने का प्रयास नहीं किया है। इसके साथ जिस गम्भीरता से यह चर्चा चल रही थी वही भावना बनाई रखी जानी चाहिए थी।

मैं आंध्र प्रदेश से हमारी सक्रिय माननीय सहयोगी का बहुत आभारी हूं। वह सभा की बैठक का बहिष्कार करने वालों की प्रेरणा स्रोत थी। उन्होंने बायो प्रौद्योगिकी जैसे कई मुद्दों पर जो मुझे अच्छे लगे हैं, और किसानों द्वारा झेली गई समस्याओं पर अत्यन्त संवेदनीय भाषण दिया। इसलिए मैं उन सभी सदस्यों, जिन्होंने चर्चा में भाग लिया और जिन्होने चर्चा में भाग नहीं लिया जिन्होंने सभा की कार्यवाही का बहिष्कार किया और जो वापस आ गये थे, जैसाकि मैंने कहा, हम अत्यन्त गम्भीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं का धन्यवाद करता हूं। अच्छी बात यही है कि अब इस समस्या की गम्भीरता को महसूस किया गया है। समाज के सभी वर्गों-हमारे देश के सक्रिय लोग चाहे मीडिया हो चाहे उद्योगपति हों, चाहे वे बड़े-छोटे राजनीतिज्ञ हों-ने यह महसूस किया है कि किसान हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं। अत: हम सभी को वास्तव में अच्छे सुझाव देने चाहिए और कमर कसनी चाहिए क्योंकि हमारे पास अन्य कोई विकल्प नहीं है। जब तक हम अगले कई वर्षों में कुछ ठोस कदम नहीं उठाते, हमें अत्यन्त विकट समस्या का सामना करना पड़ेगा।

आरम्भ में, मैं अपने देश में कृषि के क्षेत्र में हुई असाधारण प्रगति पर बल देना चाहूंगा। इस शताब्दी के पहले 50 वर्षों में वार्षिक विकास दर 0.3 प्रतिशत थी जबकि अगले 50 वर्षों में यह बढ़कर 2.7 प्रतिशत हो गई। हम न केवल आयात की निर्भरता से उभरे हैं और आत्मनिर्भर हुए हैं बल्कि आज हम अपने कृषि उत्पादों का काफी बड़ी मात्रा में निर्यात करने की स्थिति में भी है। हरित क्रान्ति का जोश अब ढीला हो गया है। लेकिन यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि आठवीं योजना में खाद्यान्नों का औसत उत्पादन 187 मिलियन मीट्रिक टन था। नौवीं योजना में इसके 205 मिलियन टन होने की संभावना है। अत: पिछले वर्ष का उत्पादन हानि के पश्चात हाल की खरीफ फसल में—हमें 105.5 मिलियन मी. टन उत्पादन स्तर तक पहुंचने की आशा है। जैसाकि मैंने कहा है कि यह रिकार्ड उत्पादन है। खरीफ उत्पादन में हम कभी भी इस स्तर तक नहीं पहुंचे हैं। रबी फसल की अच्छी संभावनाओं को देखते हुए यह अनुमान है कि इस वर्ष कुल उत्पादन 210 मिलियन मी. टन के अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच जाएगा। वस्तुत:, कृषि क्षेत्र, जिसमें मत्स्य, कुकुट और पशु पालन सम्मिलित है में समग्र विकास 7 प्रतिशत तक होने की सम्भावना है। इसका तात्पर्य है कि हमारे सकल घरेलू उत्पाद का 2 प्रतिशत से भी अधिक भाग कृषि क्षेत्र से होगा।

श्रीमती रेणूका चौधरी: पुष्पकृषि से कितना?

श्री अजित सिंह: सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 24% कृषि से होता है।

श्रीमती रेणूका चौधरी: मैं पुष्पकृषि के बारे में कह रही हूं।

श्री अजित सिंह: पुष्पकृषि इसका हिस्सा है। जैसाकि मैंने कहा है कि यह इसका अत्यन्त छोटा सा भाग है। लेकिन बागवानी और पुष्पकृषि पारम्परिक कृषि से अधिक तेजी से पनप रही है इसी तरह मत्स्य पालन और पशुपालन भी तेजी से पनप रहे हैं।

यद्यपि हमें व्यापक स्तर पर खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर हो गए हैं फिर भी प्रत्येक घरेलू स्तर पर खाद्य सुरक्षा अभी नहीं है। खाद्यान्नों के भण्डार जिसे हमने इकट्ठा किया है इस तथ्य को छिपा नहीं सकते हैं कि अभी भी हमारी जनसंख्या का एक बड़ा प्रतिशत भूखा सोता है। हमारी सरकार इस विसंगति के बारे में बहुत अधिक चिन्तित है। हम ऐसा समान परिप्रेक्ष्य लाने के लिए कार्य करेंगे जिससे ग्रामीण लोगों को जीने के कई अवसर और रोजगार मिलेंगे और उनके जीवन स्तर में वृद्धि होगी।

यह स्वीकार करते हुए कि कृषि क्षेत्र, जैसाकि मैंने कहा है आज गम्भीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। देश में कृषि जोत भूमि का 78% भाग छोटे और मझौले किसानों के पास है। ये जनसंख्या दबाव के कारण यह भूमि और खंडित हो रही है। अच्छे किस्म के बीजों की समय पर उपलब्धता, पेड़ लगाने संबंधी सामग्री अच्छे किस्म के उर्वरक और पौध संरक्षण रसायनिक और उचित शर्तों पर पर्याप्त ऋण आदि ऐसे मुद्दे हैं जिनका सभी राज्य सरकारें सामना कर रही है। वास्तव में कई ऐसी नई चुनौतियां हैं जिनका हम सामना कर रहे हैं। हमें उत्पादकता में वृद्धि करनी पड़ेगी। इसका अर्थ यह है कि हमें नई प्रौद्योगिकी और नए बीजों की आवश्यकता है। विपणन बड़ी समस्या बनने जा रही है।

[श्री अजित सिंह]

जैसाकि सभी जानते हैं और सभी खाद्यान्नों के भण्डारों के बारे में बात कर रहे हैं हमें विविधता की आवश्यकता है। लेकिन इसके लिए पर्याप्त संसाधनों की आवश्यकता है। केवल यह कह देने से ही कि पुष्पकृषि अत्यन्त लाभकारी है अथवा बागवानी अत्यन्त लाभकारी है। किसान से यह कहना आसान नहीं है कि वह अपनी परम्परागत फसल को छोड़कर नई फसल उगाए।

हम उसे क्या गारन्टी दे सकते हैं कि नई फसल विशेषकर बागवानी और पुष्पकृषि से उसे लाभकारी मूल्य प्राप्त होंगे? सबसे महत्वपूर्ण चीज वास्तविक अवसंरचना, वातानुकूलित ट्रक, गोदाम और सड़कें हैं और इसके पश्चात् सबसे महत्वपूर्ण चीज पुष्पकृषि जैसी अवसंरचना का ज्ञान है जिसमें श्रीमती रेणूका चौधरी की रुचि है। मैं समझता हूं उनके घर के बगीचे में चमेली का पेड़ है।

श्रीमती रेणूका चौधरी: नहीं, मेरे पास गुलदाउदी और गरवेरा फूल है।

श्री अजित सिंह: विपणन हालैण्ड से नियंत्रित किया जाता है। अत: वे किस प्रकार किसान को भुगतान करती है? वे उसे यहां फूल उगाने तो कह सकती है और उससे अपेक्षा करती है कि वह इसका विपणन करे। ये बड़े मुद्दे है। सरकार को भी इन मुद्दों का पता है।

जैसाकि मैं कह रहा हूं, कई बार मैंने कहा भी है कि चुनौती यह है कि चूंकि जोत भूमि कम होती जा रही है अत: हमें उत्पादकता में वृद्धि करनी होगी इसका तात्पर्य यह हुआ कि नई प्रौद्योगिकी लाना और आदान-प्रदान की समस्या को दूर करना। उत्पादों के लिए विपणन प्रदान करना एक चुनौती है इसके मात्र दो तरीके हैं *...(व्यवधान)*

श्रीमती रेणूका चौधरी: मैं चुनौती नहीं दे रही हूं। मैं तो उनसे पूछना चाहती हूं *...(व्यवधान)* क्या हमारे पास नकद फसल छोड़कर खाद्य फसल के आंकड़े हैं? *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्रीमती चौधरी, आप उठने से पहले अध्यक्षपीठ से अनुमति क्यों नहीं लेती है?

श्रीमती रेणूका चौधरी: मैं उन्हें चुनौती नहीं दे रही हूं। मैं तो उनसे पूछ रही हूं *...(व्यवधान)*

श्री अजित सिंह: यह चर्चा अथवा मेरा जवाब इस समस्या और सूचना का अन्त नहीं है कोई भी सूचना जिसकी उन्हें आवश्यकता है वे हमेशा पूछ सकती है व्यक्तिगत रूप से और दल के स्तर से भी उन्हें यह अधिकार है। अत: बार-बार उठाने की आवश्यकता नहीं है।

सभापति महोदय: वह अत्यन्त संवेदनशील हैं। यह क्या है?

श्री अजित सिंह: जिन आंकड़ों के बारे में यह पूछ रही है वह इस समय मेरे पास उपलब्ध नहीं है। लेकिन यदि यह चाहती हैं तो मैं उन्हें उपलब्ध करा सकता हूं *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री चन्द्रनाथ सिंह: हम सपोर्ट करते हैं और आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं। सिर्फ एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अध्यक्षपीठ यहां किसलिए है?

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: नहीं, मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं माननीय मंत्री जी, आपको उनके प्रश्न का जवाब देने की आवश्यकता नहीं है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: यह प्रश्न काल नहीं है। जी नहीं बिल्कुल नहीं। कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाए।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय: यह तरीका नहीं है। यह क्या है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: माननीय मंत्री जी आप कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित कीजिए।

[हिन्दी]

श्री अजित सिंह: सभापति महोदय, जो सवाल माननीय सदस्य उठा रहे हैं कि कौन जवाब दें, कौन इधर बैठे हैं, कोरम है या नहीं है, तो मैं कहना चाहूंगा कि उनकी पार्टी के नेता और सदस्यगण अपनी एक-एक स्पीच देकर गायब हो गए। सिर्फ यह दिखाने के लिए बोले कि किसानों के हितैषी हैं। *...(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित कीजिए।

श्री अजित सिंह: महोदय, यदि वे किसानों की दशा से चिन्तित है तो उन्हें इसे एक हल्की चर्चा नहीं बनानी चाहिए। हमने सभी के विचारों को सुना है हम उनके द्वारा उठाए गए सभी प्रश्नों के जवाब देने में असमर्थ होंगे। लेकिन जैसाकि मैंने कहा है मांगे गए सभी आंकड़ों को उन्हें उपलब्ध कराया जा सकता है। हम यहां मौजूद है। हम जल्दबाजी में नहीं हैं। उन्हें श्री सोमनाथ चटर्जी के दल के बारे में नहीं सोचना चाहिए हम जल्दबाजी में नहीं है। अत: हम उनके किसी भी प्रश्न का जवाब देने में अथवा बाद में होने वाले प्रश्नों का जवाब देने के लिए यहां उपस्थित हैं। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: माननीय मंत्री के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बोलना चाहिए।

श्री अजित सिंह: आईये इस बात को स्वीकार करे कि कई मुद्दों पर हम सहमत है। सभा के पक्ष अथवा विपक्ष के कई भाषणों में किसी समस्या का जिक्र नहीं है। भारतीय खाद्य निगम को कठिनाईयां हैं सभी को इसकी जानकारी है। खरीद समस्या बनती जा रही है। विश्व व्यापार संगठन के संबंध में पूरी सभा और सभी दलों को पता है। आइए हम इस पर चर्चा करे। हमें इस पर अपने सुझाव देने चाहिए ताकि उस पर कुछ किया जा सके।

श्रीमती रेणूका चौधरी: माननीय मंत्री को हमें मोबाइल बैंकिंग देनी चाहिए।

सभापति महोदय: श्रीमती रेणूका चौधरी, वह नहीं सुन रहे हैं।

श्री अजित सिंह: एक चल चीज ने इस सभा में अनेक समस्याएं खड़ी की हैं। इसलिए कृपया चल बैंकिंग को यहां से दूर रखिए।

हम लोगों ने कृषि क्षेत्र में होने वाली समस्याओं के हल के लिए अनेक उपाय किये हैं। कृषि विकास में क्षेत्रीय आधार पर निम्न दृष्टिकोण के संवर्द्धन को बढ़ावा देने तथा विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों की संभावनाओं के दोहन के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में पुष्प कृषि के समेकित विकास के लिए प्रौद्योगिकी मिशन शुरू किया गया है। पूर्वी भारत में फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए 'फार्म वाटर मैनेजमेंट'' की महत्वाकांक्षी योजना शुरू की गई है।

ये स्कीमें उत्पादन में मात्रात्मक वृद्धि करने के लिए इन क्षेत्रों में प्रचुर संभावनाओं का दोहन करेंगी। हाल ही में शुरू किया गया 'मैक्रो मैनेजमेंट स्कीम' राज्यों को यह स्वतंत्रता प्रदान करता है कि वे स्थानीय प्राथमिकताओं के अनुसार कार्यक्रमों की पहचान करें तथा उनका कार्यान्वयन करें। इस दृष्टिकोण का सभी राज्य सरकारों ने स्वागत किया है तथा इस वर्ष मैक्रो मैनेजमेंट के लिए 850 करोड़ रु. का बजट रखा गया है।

वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम के फलस्वरूप कृषि योग्य क्षेत्र में वृद्धि हुई है। कुछ सदस्यों ने कहा कि वर्षा सिंचित क्षेत्र तथा कृषि योग्य भूमि में कमी आई है, उससे भिन्न सामुदायिक भागीदारी और स्वामित्व पर आधारित समग्र दृष्टिकोण के माध्यम से नौवीं योजना के दौरान दो मिलियन हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि की वृद्धि हुई है।

इस कार्यक्रम से सीमान्त भूमि में उत्पादकता में वृद्धि होगी तथा इससे देश के निर्धनतम किसानों को लाभ होगा। 200 करोड़ रु. के वाटरशेड डेवलपमेंट फंड की भी स्थापना की गई है।

किसानों के सामने अन्य महत्वपूर्ण समस्या ऋण की है, और विगत कई वर्षों में अनेक किसानों ने आत्महत्याएं इसी समस्या के कारण की हैं। फसल का नहीं होना, विपणन संबंधी समस्या, ऋण का प्रकार, ऋण पर ब्याज दर आदि ऐसे कारण हैं जो किसानों को आत्महत्या करने के लिए बाध्य करती हैं। इसलिए, हम इसके प्रति सजग हैं। इस वर्ष फार्म ऋण के 60,000 करोड़ रु. पार कर जाने की संभावना है।

किसान क्रेडिट कार्ड लोकप्रिय हो रहा है और इस कार्यक्रम से लगभग दो करोड़ किसानों को लाभ हुआ है। कार्डधारकों को व्यक्तिगत बीमा पैकेज देने का प्रस्ताव है जिसमें उन्हें जीवन और अंग-भंग के जोखिम के प्रति सुरक्षा प्रदान की जाएगी। ऋण को उपलब्धता बढ़ाने के लिए नाबार्ड स्व-सहायता समूहों, जो लोकप्रिय और प्रभावी सिद्ध हुए हैं, को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास कर रहा है।

बीस राज्यों ने राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को स्वीकार कर लिया है। प्रसंगवश, पंजाब और हरियाणा के सदस्यों ने कपास की समस्या उठाई है। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान जहां इस वर्ष कपास की फसल खराब हो गई है, ने किसान बीमा योजना के लिए अभिदान नहीं किया है। इसलिए, जब वे कपास के किसानों की समस्याओं के बारे में विचार करते हैं और यह इस वर्ष 500 करोड़ रु. से भी अधिक है, उन्हें राज्य सरकार से कृषि बीमा योजना में अभिदान करने का आग्रह करना चाहिए। बीस राज्यों

[श्री अजित सिंह]

और संघ राज्य क्षेत्रों ने इसे स्वीकार कर लिया है तथा सिर्फ खरीफ में ही लगभग 80 लाख किसानों को बीमा सुरक्षा प्रदान किया गया है। हम इस योजना को और प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न सुझावों की जांच कर रहे हैं।

कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाना प्राथमिकता का विषय है। शीतागार और अन्य गोदामों के निर्माण, आधुनिकीकरण और विस्तार पर पूरा जोर दिया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में गोदामों के निर्माण और किसानों को दीर्घकालीन ऋण सहित राजसहायता प्रदान करने के लिए योजना बनाई जा रही है। इससे उनकी भंडारण क्षमता बढ़ती है और हताशा में बिक्री की संभावना घटती है।

ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि का विस्तार किया गया है और ब्याज दर कम कर दी गई हैं। यह राज्य सरकारों को आवश्यक आधारभूत संरचना के सृजन के लिए निधि से अधिक निकासी के लिए प्रोत्साहित करेगी।

दसवीं योजना का दृष्टिकोण पत्र जिसे हाल ही में राष्ट्रीय विकास परिषद ने अनुमोदित किया है में सरकारी खर्च में अत्यधिक वृद्धि और कृषि आधारभूत संरचना, सिंचाई, ग्रामीण सड़कों इत्यादि की सिफारिश की गई है। निजी पूंजी को आकर्षित करने के लिए उपयुक्त माहौल तैयार करना भी प्राथमिकता क्षेत्र है।

कई सदस्यों ने हाल के महीनों में कृषि जिन्सों की घटती हुई कीमतों पर अपनी चिंता जाहिर की है। हम भी उतना ही चिंतित है और हमने विभिन्न जिन्सों की भारी मात्रा में खरीद शुरू की है।

मैं यह कहना चाहूंगा कि यह एक सार्वभौमिक तथ्य है। भारत में नरम मूल्य का कारण कृषि पर विश्व व्यापार संघ का समझौता नहीं है। हां, विश्व व्यापार संघ की कुछ समस्याएं हैं किन्तु आज किसानों के समक्ष जो समस्यायें हैं उनका जिम्मेवार विश्व व्यापार संघ को नहीं बनाया जा सकता। हमें प्रतिस्पर्धा में शामिल होना चाहिए। विश्व आज सिकुड़ता जा रहा है। अत: हमें नई तकनीक, जैविक तकनीक और सिंचाई के नए तरीकों को अपनाना होगा। उत्पादकता को बढ़ाना होगा। दूसरा कोई तरीका नहीं है। गुणात्मक प्रतिबंधों के समापन के पश्चात खाद्य तेलों को छोड़कर आयात में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है।

जहां तक खाद्य तेलों का संबंध है, इसके आयात में वृद्धि हुई है किन्तु अन्य वस्तुओं के आयात में वृद्धि नहीं हुई है। कृषि वस्तुओं पर हम जो भाड़ा दर/स्तर लागू कर सकते हैं, वह हमारे किसानों के हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त हैं। गत वर्ष के दौरान अनेकों कृषि वस्तुओं पर आधारभूत आयात भाड़े में अनेकों बार संशोधन किया गया है। इसके अतिरिक्त हम आयात रुझान पर कड़ी नजर रखते हैं ताकि अनावश्यक और अवांछनीय आयात को रोकने के लिए भाड़े में परिवर्तन किया जा सके।

कुछ सदस्यों ने डब्ल्यूटीओ दौर के दौरान हमारी प्रतिस्पर्धा क्षमता पर शंका व्यक्त की है। महोदय, यह सत्य है कि उन्नत देशों, विकसित देशों ने राजसहायता में कटौती की बजाय इसमें वृद्धि की है। आज वे अपने किसानों को प्रतिदिन एक बिलियन डॉलर की राजसहायता दे रहे हैं और एक गरीब राष्ट्र किसी भी हालत में इन विकसित देशों के साथ राजसहायता प्रदान करने में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता। किन्तु अब भी, कृषि के कई क्षेत्रों में, जिनका हमें संवर्धन और दोहन करना चाहिए, हमें प्रतिस्पर्धात्मक लाभ है।

हाल ही में इस बारे में बहुत शोर शुरू हुआ कि दोहा में सम्पन्न डब्ल्यू टी ओ बैठक में, हमने कुछ नहीं किया, हम हार गए और हमारे मंत्री जी को जो कुछ करना चाहिए था वह नहीं किया। किन्तु मैं समझता हूं कि इस बात पर सभी सहमत हैं कि हमें सभी प्रकार की निर्यात राजसहायता को धीरे-धीरे समाप्त करने तथा व्यापार को प्रभावित करने वाले घरेलू समर्थन में कटौती को घोषणा में सम्मिलित करवाने में प्रमुख सफलता मिली है।

हमें यह नहीं भूलना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि डब्ल्यू टी ओ से बाहर आ जाओ। हाँ, डब्ल्यू टी ओ में समस्यायें हैं। किन्तु आप डब्ल्यू टी ओ में कृषि से बाहर नहीं उठ सकते। डब्ल्यू टी ओ के अंतर्गत 16 से अधिक समझौते हैं। वे सभी मिलकर एक हैं। हम यह नहीं कह सकते कि कृषि इसका भाग नहीं होगा और शेष इसका भाग होगा।

चीन जो कि 1949 में डब्ल्यू टी ओ से बाहर निकला, इसने 16 वर्षों तक डब्ल्यू टी ओ में सम्मिलित होने का प्रयास किया। यदि आप मुझे सुने और यदि कृषि के बारे में मुझसे चर्चा करना चाहते हैं तो आप हमारे भाड़े को देखें, हमने जो समझौते किए हैं और उन्होंने जो समझौते किए हैं उन्हें देखें तो आपको पता चलेगा कि हमारी स्थिति काफी अच्छी है। अत: अब वे डब्ल्यू टी ओ में शामिल हो गए हैं। हमें एक बात और भी याद रखनी चाहिए। यदि डब्ल्यू टी ओ नहीं होता, तो क्या आप सोचते हैं कि विकसित देशों के पास अपने किसानों को देने के लिए राजसहायता नहीं होती? क्या आप सोचते हैं कि डब्ल्यू टी ओ नहीं होता तो क्या वे जिन देशों से चाहते उनसे आयात भी नहीं कर पाते? अत: हमारी सारी समस्या डब्ल्यू टी ओ नहीं है। हमें विश्व की नई स्थिति में अपने आप को ढालना होगा। हमें

उत्पादकता बढ़ानी होगी। मैं, उन किसानों की वास्तविक समस्याओं के बारे में बोलना चाहूंगा। सभी प्रकार की मूलभूत सुविधाओं और सरकार के समर्थन के अभाव में, वे हरित क्रांति लेकर आए और आज, जैसा कि मैंने कहा, खाद्यान्न के क्षेत्र में हम प्रमुख निर्यातक देश बन सकते हैं और हमें बागवानी, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और जल कृषि के क्षेत्र में प्रमुख निर्यातक देश बनने का प्रयास करना चाहिए। मुझे विश्वास है कि सभी आंध्रवासी जल कृषि को पसन्द करेंगे ...*(व्यवधान)* मैं इससे सहमत हूं।

अब, मैं उस मुद्दे पर आता हूं जिसने विपक्ष के सदस्यों को आंदोलित किया है। इससे सत्तापक्ष के सदस्य भी आंदोलित हुए हैं। उड़ीसा के मेरे साथी ने बड़ा अधीर और बड़ा ही तर्कसंगत भाषण दिया था। वह मामला है, खरीद का और किसानों को मूल्य दिलवाने का।

सर्वप्रथम मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा। खाद्य मंत्री यहां उपस्थित नहीं है। खाद्य राज्य मंत्री यहां है। मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि सरकार का एम.एस.पी. से छुटकारा पाने का इरादा नहीं है। न्यूनतम समर्थन मूल्य है। यह रहेगा। जो कुछ उन्होंने कहा और उनकी सोच यह है कि आज मुश्किल से 20 प्रतिशत किसानों को एम.एस.पी. का लाभ होता है। हमें किसी नए दृष्टिकोण को अपनाना होगा।

आप चाहते हैं कि निर्धनतम किसानों को, जितना भी वे उत्पादन करते हैं, उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना चाहिए। इसलिए, एक बहस शुरू की जा सकती है। संसद सदस्य इसमें भाग ले सकते हैं। यह बहस बाहर भी हो सकती है।

रात्रि 8.00 बजे

जो कुछ भी माननीय खाद्य मंत्री ने कहा है वह यह है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए एक नया और नवीकरण का रवैया अपनाने की आवश्यकता है।

जैसा कि मैंने कहा है, भारतीय खाद्य निगम के सामने कई समस्याएं हैं। कुछ राज्यों में, जहां यह प्रश्न उठाए गए हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल ने विकेन्द्रीकृत प्रणाली का चयन किया है। इसका अर्थ है कि वे राज्य खरीद के लिए जिम्मेदार हैं। भारतीय खाद्य निगम अभी भी भुगतान करेगा परन्तु उन राज्यों की खरीद की व्यवस्था करनी होती है। हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों में भी, जिन्होंने खरीद का चयन नहीं किया है 70 प्रतिशत खरीद राज्य एजेंसियों द्वारा किया जाता है।

राजस्थान के संबंध में बाजरे का मुद्दा उठाया गया था। भारतीय खाद्य निगम ने बाजरा नहीं खरीदा है। पिछली बार हमने 1972 में बाजरा खरीदा था। भारतीय खाद्य निगम का राजस्थान और अन्य कई राज्यों में खरीद के लिए अवसंरचना नहीं है। वे यह काम राज्य एजेंसियों के माध्यम से करते हैं। इसलिए राज्य सरकारों को यह काम करने के लिए आगे आना चाहिए। खरीद का प्रश्न एक बड़ा मुद्दा है। हम सभी यह महसूस करते हैं। हमारे पास जितना अधिशेष है और हमारे पास भंडारण की जितनी कमी है और देश के कुछ भागों में खाद्यान्नों का केन्द्रीकृत उत्पादन होता है जिसके परिणामस्वरूप उसे देश के अन्य भागों में ले जाने संबंधी परिवहन लागत जैसी समस्याएं भी हैं।

श्री बसुदेव आचार्य: हम भारत सरकार की खरीद नीति पर अलग से चर्चा करना चाहते हैं।

श्री अजित सिंह: जैसा कि मैं स्वयं कह रहा था कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। हमें नए विचारों की आवश्यकता है। हमें आपका अनुभव पाने की आवश्यकता है और यह जानने की आवश्यकता है कि आपके पास क्या सुझाव हैं। मैं यह आश्वासन देना चाहता हूं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रहेगा परन्तु प्रश्न यह है कि किस रूप में। अगर हम इसमें सुधार कर सकते हैं तो हमें हर तरीके से इसमें सुधार करने की कोशिश करनी चाहिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली इसलिए बनाई गई थी क्योंकि किसानों के पास उत्पादन करने और इसे बेचने के लिए अच्छी बाजार स्थितियों का इन्तजार करने के लिए वित्तीय संग्रह नहीं था। इसीलिए न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली जारी है।

केरल के मेरे मित्र बहुत अच्छे और धीरज वाले थे। उन्होंने सभा का अधिक समय नहीं लिया। मुझे उनकी समस्याओं के बारे में बोलना है। उनकी पहली समस्या नारियल से संबंधित है। नारियल एक अलग किस्म की फसल है। यह खाद्यान्न की तरह नहीं है। यह वर्षभर होने वाली फसल है। समस्या यह है कि जब आप इसे खरीदते हैं, जब तक इसे खरीदने वाली एजेंसी इसे नारियल के तेल में नहीं बदल देती, आपको इसे फिर से बेचना होता है। अत: हम यह देखने की कोशिश कर रहे हैं कि नैफेड की नारियल को तेल में बदलने की क्षमता को बढ़ाया जाए।

समस्याएं बहुत बड़ी हैं। किसी ने उल्लेख किया था कि हम नारियल से 57 उत्पाद बना सकते हैं। जब माननीय प्रधान मंत्री पिछले वर्ष केरल आए थे तब उन्होंने एक नारियल प्रौद्योगिकी मिशन बनाने का वचन दिया था। वह प्रौद्योगिकी मिशन यह देखने के लिए तत्पर है कि नीति स्वीकृत हो जाए और कार्यक्रम सही प्रकार से चले। बहुत जल्द ही हमें उस प्रौद्योगिकी मिशन के

[श्री अजित सिंह]

निष्कर्षों के बारे में पता चल जाएगा जिससे नारियल उद्योग की समस्याओं को सुलझाने में मदद मिलेगी।

रबड़ उद्योग समस्या का एक अन्य क्षेत्र है। एसटीसी ने एक बाजार हस्तक्षेप स्कीम की घोषणा की है। घोषित मूल्य गत वर्ष के विद्यमान मूल्य से बहुत अधिक है। सभी वस्तुओं का मूल्य गिर गया है। वस्तुओं के मूल्य विश्वभर में गिर गए हैं।

श्री पी.सी. थामस: किसान को उसका मूल्य नहीं मिल रहा है। कोई खरीद नहीं हो रही है।

श्री अजित सिंह: हमें कुछ समस्याओं की जानकारी है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया हस्तक्षेप न करें। माननीय मंत्री को अपना उत्तर पूरा करने दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा: महोदय गुजरात में किसानों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें गुजरात के किसान और उसकी कठिनाइयों के बारे में कुछ कहना है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: जब वह उत्तर दे रहे हैं तब आप किस तरह हस्तक्षेप कर सकते हैं। उन्होंने किसी माननीय सदस्य के बोलते समय बीच में हस्तक्षेप नहीं किया।

श्री अजित सिंह: मैं गुजरात सरकार को बधाई देना चाहता हूं। मैं पहले बाजरा के बारे में बोल रहा था। राजस्थान सरकार ने कहा था कि वे बाजरा नहीं खरीद सकते परंतु गुजरात सरकार ने आगे बढ़कर बाजरा खरीदना शुरू किया। माननीय सदस्य कुछ कहना चाहते हैं। यह बहुत ही अच्छी टिप्पणी है जो मैं गुजरात सरकार के बारे में करना चाहता हूं।

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा: धन्यवाद।

श्री अजित सिंह: हमें खरीद पर बहस शुरू करनी होगी। फिर भी, मुझे इसके बारे में अधिक बोलने की आवश्यकता नहीं है।

एक समिति का गठन करने का प्रश्न वरीयता की बात रही है। जैसा कि मैंने कहा है यह प्राथमिकता की बात थी और माननीय प्रधान मंत्री ने केन्द्रीय मंत्रियों और मुख्य मंत्रियों को लेकर एक समिति का गठन किया है। समिति की बैठक पहले ही तीन बार हो चुकी है।

इन बैठकों के परिणामस्वरूप संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना तैयार हुई। समिति ने ग्रेन बैंक स्कीम की रूपरेखा को अंतिम रूप भी दिया जिससे पहले चरण में 1,066 करोड़ रुपए की लागत से 1.14 लाख जनजातीय गांवों को लाभ मिलेगा। यह समिति कृषि उत्पादों के विपणन के व्यापक पहलुओं पर भी विचार कर रही है। इसलिए इस समिति का गठन किया गया। इसके अलावा, जैसा कि मैंने कहा है, प्रत्येक मंत्रालय किसी न किसी तरह कृषि से संबंधित होता है। रेलवे इसलिए संबंधित है क्योंकि खाद्यान्नों को उससे ले जाया जाता है; जब तक डब्ल्यूटीओ है तब तक वाणिज्य मंत्रालय रहेगा। इस प्रकार सभी मंत्रालय इससे संबंधित हैं। अत:, समितियां भी हैं और जैसा कि मैंने कहा है, जैसा कि आप चाहते हैं किसानों की समस्याओं को देखने के लिए एक विशेष समिति का गठन भी किया गया है।

अब मैं उर्वरक की बात करता हूं। कुछ माननीय सदस्यों ने इसका उल्लेख किया है। मैं समझता हूं कि श्री बसुदेव आचार्य ने अपने पहले भाषण में इसका उल्लेख किया है। उन्होंने बहुत मूल्यवान सुझाव दिए हैं और उन्होंने कई समस्याओं के बारे में भी कहा है। उन्होंने कहा कि उर्वरक राजसहायता कम होती जा रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि गत दो वर्षों में उर्वरकों के मूल्य नहीं बढ़े हैं और अगर गत दो वर्षों में उर्वरक के मूल्य नहीं बढ़े हैं तो यह स्पष्ट है कि उर्वरक राजसहायता में वृद्धि हुई है। *...(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: खपत में कमी आई है।

श्री अजित सिंह: नहीं, खपत में कमी नहीं आई है। वास्तव में, अगर आप चाहते हैं तो मेरे पास आंकड़े भी उपलब्ध हैं। उर्वरक राजसहायता में वृद्धि हुई है। पर्याप्त रूप से नहीं, पर हुई है।

महोदय, मैं एक बार फिर हमारे किसानों की दशा से संबधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने मूल्यवान विचार देने के लिए माननीय सदस्यों का धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं यह फिर दोहराता हूं कि सरकार हमारे किसानों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं के बारे में कम चिंतित नहीं हैं और जैसा कि मैंने समझाने की कोशिश की है, इन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारी एक व्यापक और संवेदी रणनीति है। मैं हमारी नीतियों और कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन में सभी माननीय सदस्यों से सहयोग की आशा करता हूं।

सभापति महोदय: अब सभा कल 27 नवम्बर, 2001 को पूर्वाह्न ग्यारह बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

रात्रि 8.07 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 27 नवम्बर 2001/6 अग्रहायण, 1923 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पी.एल.एस.–48.20.6/2001 (एन०)
280

© 2001 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स जैनको आर्ट इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।